

ओ३म्

मीमांसादर्शनम्

अपूर्णम्

जैमिनि-मुनि-प्रणीतम्

यच्च

न्याय-वैशेषिक-सांख्य-योग-वेदान्त, भाष्यकारेण, श्वेता-
श्वतर-मनु-गीतादि भाषानुवादकेन, सामवेदभाष्यकारेण

तुलसीरामस्वामिना

सरलभाषानुवादेन सङ्कलितम्

तदनुज छट्टनलाल स्वामिना स्वीये

स्वामिमेशीनयन्त्रालये मुद्रयित्वा प्रकाशितम्

मेरठ

सितम्बर सन् १९१५ ई०

मूल्यम् -)

Printed by P. Chhuttanlal Swami

At the Swami Press Meerut.

आय संवत्सर १९७२४४६०१६

ओ३म्

अथ जैमिनिमुनिकृतं
पदार्थभाषानुवादयुतभाष्योपेतं

मीमांसादर्शनम्

तत्र प्रथमेध्याये

प्रथमः पादः

१-अथातो धर्मजिज्ञासा ॥ १ ॥

पदार्थः—(अथ) अब (अतः) इस से आगे (धर्मजिज्ञासा) धर्म की खोज आरम्भ करते हैं ॥

शबरभाष्यार्थ—लोक में जिन अर्थों में पद प्रसिद्ध हैं, संभव हो तो वे उन्हीं अर्थों वाले सूत्रों में भी हैं, ऐसा समझना चाहिये, अध्याहारादि से उन का अर्थ नहीं चढ़ना चाहिये वा परिभाषायुक्त नहीं करना चाहिये । इस प्रकार वेदवाक्यों का व्याख्यान इन (सूत्रस्यशब्दों) से करना चाहिये । नहीं तो वेदवाक्यों को व्याख्या करनी और अपने (सूत्रों के) पदार्थ की भी व्याख्या करनी, यह भारी प्रयत्न करना प्रसक्त होगा । इस दृष्टा में देखा जाता है कि लोक में अथ (अब) शब्द का प्रयोग वृत्तान्त से अनन्तर प्रकरण के अर्थ में होता है । परन्तु यहां कुछ (पूर्व) वृत्तान्त तो पाया नहीं जाता और पाया जाना चाहिये था, जिस (पूर्ववृत्त) के होने पर फिर धर्मजिज्ञासा सार्थक होती । तथा च वह (पूर्व वृत्तान्त) प्रसिद्ध पदार्थ वाला कल्पना किया जाता है, वह (प्रसिद्धपदार्थ) वेदाध्ययन है । उस (वेदाध्ययन) के होने पर वह (धर्मजिज्ञासा) सार्थक होती है । (आक्षेप—) यह बात ठीक नहीं, क्योंकि अन्य कर्म के अनन्तर भी

धर्मजिज्ञासा हीसकती है और वेदाध्ययन से पहले भी । (समाधान-) कहा जाता है कि आचार्य (जैमिनि) ने उस प्रकार की धर्मजिज्ञासा का अधिकार (प्रकरण) मान कर अथ शब्द का प्रयोग किया है जो वेदाध्ययन के बिना नहीं होसकती । (प्रश्न-) कैसे ? (उत्तर-) वेदवाक्यों का अनेक प्रकार का विचार इस (मीमांसादर्शन) में प्रवृत्त किया जायगा और यहां हम यह शिक्षा भी नहीं करते हैं कि वेदाध्ययन से पूर्व धर्म जिज्ञासा का निषेध है और पश्चात् अनन्तरता है । क्योंकि यह एक वाक्य ही वेदाध्ययन के पूर्व धर्मजिज्ञासा का निषेध नहीं करेगा और (न) आगे आनन्तर्य का आरम्भ करेगा, ऐसा करने से वाक्यभेद ही जायगा । इस की एकवचन व्यक्ति यह है कि वेदाध्ययन से पहले धर्मजिज्ञासा का निषेध करता है, दूसरी (वचनव्यक्ति) यह है कि (वेदाध्ययन के) पश्चात् आनन्तर्य का (विधान) उपदेश करता है । एक में यह तात्पर्य है कि वेदों को पढ़ कर धर्मजिज्ञासा का विधान है । दूसरी में (इस के) विपरीत (यह तात्पर्य है कि वेदाध्ययन से पूर्व धर्मजिज्ञासा निषिद्ध है) । “ अर्थ की एकता से एकवाक्यता ” को भी आचार्य कहेंगे । किंच वेद पढ़ चुकने पर दो (बातें) आती हैं, १ यह कि गुरुकुल से समावर्तन करना । २-यह कि वेदवाक्यों का विचार करना । उस में भी (चाहे) गुरुकुल से समावर्तन न करो, परन्तु वेदवाक्यों का विचार कैसे किया जाय, इस लिये यह (इस दर्शन का) उपदेश है ॥

प्रश्न-यदि ऐसा है तो वेदाध्ययन को पूर्व नहीं सम्भवा जा सकता, क्योंकि सम्प्रदाय तो यह है कि ‘ वेद को पढ़ कर समावर्तनस्नान करे ’ और यहां यह (कहा गया) कि वेद पढ़ कर समावर्तनस्नान (पीछे) करेगा, (पहिले) धर्म की जिज्ञासा करता हुआ इस सम्प्रदाय का उल्लङ्घन करे और आमनाय (कायदा=नियम=सम्प्रदाय) का उल्लङ्घन करना योग्य नहीं ?

इसका उत्तर-कहा जाता है-हम इस नियम का उल्लङ्घन करेंगे क्योंकि उल्लङ्घन न करें तो सार्थक वेद को अनर्थक कर डालें । क्योंकि वेदाध्ययन का अर्थ (फल) कर्म का सम्भ्रान्त है । केवल वेद के पाठमात्र से माननीय याज्ञिक लोग फलप्राप्ति नहीं मानते और जहां कुछ नागते

से जान पड़ते हैं, वहां भी (द्रव्यसंस्कारकर्मसु परार्थत्वात् फलश्रुति-
रर्थवादः स्यात्) इस प्रकार अर्थवादता को (आचार्य) कहेगा। (वेद-
अधीत्य स्नायात्) यह वाक्य वेदाध्ययन के अनन्तर स्नान (समावर्तन)
को विधान नहीं करता, क्योंकि यहां कोई शब्द अनन्तरता का कहने वाला
नहीं है। (अधीत्य, इस पद में आया हुआ) क्त्वाप्रत्यय (केवल) पूर्व-
कालता में प्रयुक्त है, न कि अनन्तरता में और आनन्तर्य अर्थ लेने पर
अध्ययन की दृष्टार्थता (अनुभूतार्थकता) नष्ट हो जायगी। लक्षणा से यह
अर्थ होगा कि यह (समावर्तन) स्नान अद्रष्टार्थ (वेदार्थ का अनुभव
रहित) विहित नहीं है। किन्तु लक्षणा से (यह अर्थ होगा कि) वेदाध्य-
यन काल जब तक है, तब तक अस्नान (समावर्तनस्नान निषेध) की
अवधि कहते हैं अर्थात् स्नान के विरोधी अस्नान शब्द से स्नान (समा-
वर्तन संस्कार के अन्य कर्मों सहित) का वर्जन है कि वेदाध्ययन समाप्त
होने तक समावर्तनस्नान न करे ॥

वेदमधीत्य स्नायात्=वेदाध्ययन करके समावर्तन करे, गुरुकुलान्तर
समावर्तिष्ठ=गुरुकुल से समावृत्त न हो, यह इसलिये कहा है कि अद्रष्टा-
र्थता (अर्थानुभवशून्यता) का परिहार हो। इसलिये वेदाध्ययन को ही
प्रथम निमटा कर अनन्तर धर्म की जिज्ञासा करे, यह 'अथ' शब्द का
सामर्थ्य है। हम यह नहीं कहते कि अन्य कर्म के अनन्तर धर्मजिज्ञासा
न करनी चाहिये, किन्तु (यह कहते हैं कि) वेद पढ़ कर तत्काल ही
समावर्तन स्नान न कर डाले, अनन्तर धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिये,
यह अथ शब्द का अर्थ है ॥

देखने के लिये हमने ऊपर शबरभाष्य में का अथ शब्दार्थ दिखलाया।
इस प्रकार समस्त शबरभाष्य का अनुवाद न तो समस्त अत्यावश्यक है
और आगे चलकर न हम को सर्वत्र उपादेय ही है। जहां २ उस की
आवश्यकता समझी जायगी, उद्धृत करेंगे ॥

सूत्र का सरल भाषार्थ यही है कि अब इस से आगे धर्म की जिज्ञासा
आरम्भ करते हैं ॥ १ ॥

अब धर्म का स्वरूप बतलाते हैं—

२-चोदनालक्षणोर्धोधर्मः ॥ २ ॥

पदार्थः—(चोदनालक्षणः) चोदना=वेदाज्ञा है लक्षण जिस का वह (अर्थः) अर्थ=वस्तु (धर्मः) धर्म है ॥

शास्त्र की आज्ञा को यहां चोदना कहा है । शास्त्राज्ञा से जिस का लक्षण=पहचान हो, वह धर्म है । शास्त्रों में सर्वोत्तम सर्वमूल अनादि अपौरुषेय वेद सर्वोच्च शास्त्र है । अन्य शास्त्र भी उस वेद के अविरोधी होने तक शास्त्र हैं, विरोधी होने पर नहीं ॥ २ ॥

३-तस्य निमित्तपरीष्टिः ॥ ३ ॥

पदार्थः—(तस्य) उस=धर्म के (निमित्तपरीष्टिः) निमित्त की परीक्षा करते हैं ॥

द्वितीय सूत्र में धर्म का स्वरूप लक्षण किया था कि शास्त्रविहित कर्म का नाम धर्म है, तब शास्त्र ही धर्म का निमित्त हुवा । अब शास्त्र की परीक्षा करते हैं, उसे परखते हैं अर्थात् युक्तिपूर्वक साधक तर्कों से विचार करते हैं ॥ ३ ॥ कि—

४-सत्संप्रयोगे पुरुषस्थेन्द्रियाणां बुद्धिजन्म,

तत्प्रत्यक्षमऽनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनत्वात् ॥ ४ ॥

पदार्थः—(इन्द्रियाणाम्) इन्द्रियों का (सत्संप्रयोगे) वर्तमान अर्थ से संयोग होने पर (पुरुषस्य) जीव को (बुद्धिजन्म) ज्ञान उत्पन्न होता है (तत्) वह ज्ञान (प्रत्यक्षम्) प्रत्यक्ष कहाता है । सो (विद्यमानोपलम्भनत्वात्) विद्यमान की उपलब्धिकारक होने से (अनिमित्तम्) धर्म का निमित्त नहीं ॥

आगे चल कर धर्मजिज्ञासा की पूर्ति का निमित्त वेद को बतावेंगे, जो शब्द प्रमाण है, इस लिये इस सूत्र में कहा है कि प्रत्यक्ष प्रमाण धर्म ज्ञान में पर्याप्त नहीं । क्योंकि प्रत्यक्ष तो केवल वर्तमान पदार्थ का हो सकता है, क्योंकि वर्तमान कालस्थ पदार्थ का ही इन्द्रियों से संप्रयोग होता है, भूत भविष्यत् का नहीं, इन्द्रियों से व्यवहित वर्तमान का भी नहीं । प्रत्यक्ष के साथ प्रत्यक्षपूर्वक अनुमानादि प्रमाणां का भी धर्मज्ञान में अनिमित्तत्व कहा गया समझो ॥ ४ ॥

५-औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन संबन्धस्तस्य
ज्ञानमुपदेशोऽव्यतिरेकश्चार्थेऽनपलब्धे तत्प्रमाणं
बादरायणस्याऽनपेक्षत्वात् ॥ ५ ॥

पदार्थः—(तु) परन्तु (शब्दस्य) शब्दप्रमाण का (अर्थेन) अर्थ से (औत्पत्तिकः) सदाकालिक (संबन्धः) संबन्ध है (तस्य) उस का (ज्ञानं) ज्ञान (उपदेशः) परम आत्मा परमात्मा का उपदेश है और (अर्थे) अर्थ के (अनुपलब्धे) इन्द्रियों से उपलब्ध न होने पर (च) भी (अव्यतिरेकः) भेद नहीं पड़ता । (तत्) वह शब्दप्रमाण (प्रमाणम्) धर्म विषय में ठीक निमित्त वा प्रमाण है । (बादरायणस्य) बादरायण का यह मत है (अनपेक्षत्वात्) यह वेद प्रमाण अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखने से स्वतः प्रमाण है ॥

प्रत्यक्षादि प्रमाण तो सदोष हैं, परन्तु शब्दप्रमाण (विशेषतः वेद-शब्दों से तात्पर्य है) का सम्बन्ध अर्थ के साथ औत्पत्तिक है अर्थात् जब से अर्थ उत्पन्न हुवे, तभी से परमात्मा ने शब्दों द्वारा उनका अर्थबोधोपदेश दिया । यह शब्दप्रमाण भूत भविष्यत् वर्तमान किसी काल में अर्थ से व्यतिरिक्त=व्यभिचरित नहीं होता, क्योंकि नित्य परमात्मा का उपदेश वा ज्ञान भी नित्य है । औत्पत्तिक का अर्थ सहज है । इस सूत्र पर शबरभाष्य अपने से पूर्व के विवरणकार के मत को दिखलाते हुवे १२ पृष्ठों पर है । किन्तु हमने केवल सारमात्र दे दिया है । विस्तार से उन २ भाष्य विवरणादि में देखना चाहिये । बादरायण का नाम आदरार्थ है, इस लिये नहीं कि जैमिनि जी उस से मतभेद रखते हों ॥ ५ ॥ पूर्व पक्ष—

६-कर्मके तत्र दर्शनात् ॥ ६ ॥

पदार्थः—(एके) कई एक कहते हैं कि (कर्म) शब्द क्रियाजन्य है क्योंकि (तत्र) उस शब्द में (दर्शनात्) क्रियाजन्यता देखने से ॥

क्योंकि शब्द उच्चारण से उत्पन्न होता है इस लिये कर्म=कार्य है और कार्यमात्र अनित्य होता है । क्योंकि वह करने से पूर्व असत् होता है ॥६॥ दूसरे हेतु से भी—

७-अस्थानात् ॥ ७ ॥

पदार्थः—(अस्थानात्) न ठहरने से ॥

उच्चारण करने के पश्चात् शब्द ठहरता नहीं । इस से भी अनित्य है ॥ ७ ॥ तीसरा हेतुः—

८—करोतिशब्दात् ॥ ८ ॥

पदार्थः—(करोतिशब्दात्) करोति के प्रयोग से ॥

हम देखते हैं कि शब्द के लिये कञ् का प्रयोग होता है । जैसे देव-दत्त शब्द करता है । इत्यादि । तब शब्द की नित्य कैसे मान सकते हैं ॥ ८ ॥ चौथा हेतुः—

९—सत्त्वान्तरे च यौगपद्यात् ॥ ९ ॥

पदार्थः—(च) और (सत्त्वान्तरे) दूसरे सत्त्व में (यौगपद्यात्) एकवारगी होने से ॥

हम देखते हैं कि एक देश में जिस काल में जो शब्द उच्चारण किया जाता है, देशान्तर में उसी काल में दूसरे प्राणी भी उसी शब्द का प्रयोग करते हैं । शब्द नित्य होता तो एक ही शब्द युगपत् अनेक देशों में न वर्त्ता जाता ॥ ९ ॥ पांचवां हेतुः—

१०—प्रकृतिविकृत्योश्च ॥ १० ॥

पदार्थः—(प्रकृतिविकृत्योः) प्रकृति और विकृति में (च) भी शब्द की नित्यता नहीं रहती ॥

इकार प्रकृति है, उस को यकार विकृति होती है । उकार प्रकृति है तो उस को वकार विकृति होती है । जिस शब्द में प्रकृति विकृति पाई जावे, वह स्थिर नित्य कैसे होगा ॥ १० ॥ छठा हेतुः—

११—वृद्धिश्च कर्तृभूमनाऽस्य ॥ ११ ॥

पदार्थः—(कर्तृभूमना) कर्ताओं के बाहुल्य से (अस्य) इस शब्द की (वृद्धिः) बढ़ोतरी (च) भी होती है ॥

एक मनुष्यादि प्राणी जितना शब्द करता है उसे बढ़ा कर बहुत मनुष्यादि बहुत शब्द कर सकते हैं, वा करते हैं, तब घटने बढ़ने वाला शब्द पदार्थ नित्य कैसे हो सकता है ? ॥ ११ ॥

यहां तक ६ सूत्रों में ६ हेतु दिखला कर शब्द की नित्यता पर आक्षेप

१२-समं तु तत्र दर्शनम् ॥ १२ ॥

पदार्थः—(दर्शनं) देखना (तु) तौ (तत्र) उस शब्द में (समं) समान है ॥

उच्चारण क्रिया से चाहे अभूतपूर्व शब्द उत्पन्न होवे, चाहे भूतपूर्व केवल अभिव्यक्त होवे, दोनों दशाओं में शब्द को समान ही देखियेगा—वा विपन्न वा पूर्व पत्त किया। आगे सिद्धास्त वा उत्तरपत्त करके शब्द की नित्यता अर्थात् शब्द अर्थ के नित्य सम्बन्ध का समर्थन करेंगे—तब यह निश्चय क्यों कर होगया कि शब्द कार्य है, हम तौ अभिव्यञ्ज्य=प्रकटनीय मानते हैं। यह प्रथम हेतु (६ छठे सूत्रोक्त) का उत्तर हुवा ॥१२॥ दूसरे हेतु (सप्तम सूत्रोक्त) का उत्तर—

१३-सतः परमदर्शनं विषयानागमात् ॥ १३ ॥

पदार्थः—(सतः) विद्यमान हुवे शब्द का (परं) आगे चल कर (अदर्शनम्) न दीख पड़ना (विषयानागमात्) अभिव्यञ्जक के न आने से है ॥

सूत्र ७ में यह आक्षेप था कि शब्द उच्चारण के पश्चात् विध्वस्त हो जाता है, फिर शब्द की नित्यता कैसे? उस का समाधान इस सूत्र में यह है कि शब्द उच्चारण के पश्चात् काल में भी विद्यमान=सत रहता है, उस का अदर्शन केवल इस लिये रहता है कि विषय=अभिव्यञ्जक के न रहने से। यदि अभिव्यञ्जक में रोक लिया जावे तौ फिर भी अभिव्यञ्जन क्रिया से प्रकट हो सकता है। आज कल तौ फोनोग्राफ से यह अत्यन्त स्पष्ट हो गया है कि शब्द अपने अभिव्यञ्जक में बना रह सकता है और बना रहता पाया जाता है ॥ १३ ॥ तीसरे आक्षेप का उत्तर—

१४-प्रयोगस्य परम् ॥ १४ ॥

पदार्थः—(प्रयोगस्य) प्रयोग के (परम्) अर्थ में आया है ॥

८ वें सूत्र में शब्द की नित्यता पर यह आक्षेप था कि शब्द करोति क्रिया का कर्म=कार्य होने से नित्य नहीं हो सकता। इस सूत्र में समाधान यह है कि करोति का कर्म प्रयोग=उच्चारण है, न कि शब्द। अर्थात् शब्द करो का अर्थ यह है कि शब्द का उच्चारण करो। इस से शब्द कार्य नहीं, उच्चारण कार्य है। जैसे सूत्र करो। यहां सूत्र कार्य नहीं। सूत्र का

उत्सर्ग=छोड़ना कार्य है। गोबर करो। कहने से गोबर का बनाना अर्थ नहीं होता, किन्तु विद्यमान गोबर का उत्सर्ग=सलत्याग मात्र कर्म है ॥१४॥
चौथे आक्षेप का उत्तर—

१५—आदित्यवद्यौगपद्यम् ॥ १५ ॥

पदार्थः—(यौगपद्यम्) एक साथ एक शब्द का अनेक देशों में होना (आदित्यवत्) सूर्य के समान है ॥

९ वें सूत्र में यह आक्षेप था कि शब्द नित्य होता तो एक शब्द एक ही काल में अनेक देशों में अभिव्यक्त न होसकता। इस सूत्र में उस का समाधान यह है कि एक सूर्य जैसे अनेक देशों में जहां अभिव्यक्त की बाधा न हो एक ही काल में अनेक स्थानों में अभिव्यक्त होता है, वैसे शब्द भी जानो ॥ १५ ॥ पांचवें आक्षेप का उत्तर—

१६—वर्णान्तरमविकारः ॥ १६ ॥

पदार्थः—(वर्णान्तरं) अन्य वर्ण (अविकारः) विकार नहीं ॥

इ वर्ण के स्थान में य वर्ण होना=अन्य वर्ण होना है, कुछ इ का य विकार नहीं समझा जासकता ॥ १६ ॥ छठे आक्षेप का उत्तर—

१७—नादवृद्धिपरा ॥ १७ ॥

पदार्थः—(नादवृद्धिपरा) शब्द की वृद्धि नाद की वृद्धि अर्थ में हैं ॥

११ वें सूत्र में यह आक्षेप था कि शब्द में बढोतरी (वृद्धि) होती पाई जानी है, इस लिये शब्द नित्य नहीं होसकता। इस का समाधान इस सूत्र में यह है कि शब्द की वृद्धि का तात्पर्य नाद की वृद्धि है, यथार्थ में शब्द की वृद्धि नहीं होती ॥१७॥ इन सब पूर्व पक्षों के ६ सूत्रों में उत्तर दे कर अपनी प्रतिज्ञा का फिर स्मरण कराते हुवे अगले सूत्र में उत्तर पक्ष समाप्त करते हैं कि—

१८—नित्यस्तु स्याद्दर्शनस्य परार्थत्वात् ॥ १८ ॥

पदार्थः—(तु) शब्द तौ (नित्यः) नित्य (स्यात्) होगा, क्योंकि (दर्शनस्य) अभिव्यक्ति के (परार्थत्वात्) पराये लिये होने से ॥

दूसरे को अर्थ की प्रतीति कराने के लिये शब्द का दर्शन=उच्चारण किया जाता है, न कि शब्द को उत्पन्न किया जाता है। इस लिये शब्द नित्य ठहरैगा ॥ १८ ॥

१९-सर्वत्र योगपद्यात् ॥ १९ ॥

पदार्थः—(सर्वत्र) सर्वत्र (योगपद्यात्) एक साथ होने से ॥

सर्वत्र एक साथ गोशब्द के उच्चारण से एक ही आकृति वाले पदार्थ का बोध हो जाता है । इस से पाया जाता है कि शब्द नित्य एक है, वही गोशब्द सर्वत्र एक काल में उच्चारित होने पर भी एक सी प्रतीति होती है । इस से जाना जाता है कि शब्द नित्य है ॥

२०-संख्याऽभावात् ॥ २० ॥

पदार्थः—(संख्याऽभावात्) संख्या के अभाव से ॥

दश मनुष्य यदि गोशब्द का एक साथ उच्चारण करें तो भी यही प्रतीति होती है कि एक शब्द की दश ने उच्चारण किया, यह नहीं कि दश गोशब्दों का उच्चारण हुवा । तब उच्चारण कर्त्ताओं की संख्या के अनुसार शब्द की संख्या का भाव नहीं समझा जाता । इस लिये शब्द में संख्या के अभाव से पाया जाता है कि शब्द अनित्य नहीं ॥ २० ॥

२१-अनपेक्षत्वात् ॥ २१ ॥

पदार्थः—(अनपेक्षत्वात्) सापेक्ष न होने से ॥

जिस प्रकार घट पटादि पदार्थों को अपनी सत्ता में कारण की यह अपेक्षा है कि कारण वृत्तिका के परमाणुओं के संयोग में घट की उत्पत्ति और वियोग में नाश होगा, तथा तन्तु संयोगविशेष में पट की उत्पत्ति और वियोग में नाश होगा, उस प्रकार शब्द के नाश होने का कोई कारण नहीं पाया जाता, इस से भी समझ सकते हैं कि शब्द नित्य है ॥ २१ ॥

प्रश्न—वायुके परमाणुओं के संयोगविशेष से शब्द उत्पन्न होता है, तब वियोग से नाश क्यों न होगा ? उत्तर—

२२-प्रख्याभावाच्च योगस्य ॥ २२ ॥

पदार्थः—(योगस्य) वायु के योग की (प्रख्याऽभावात्) ख्याति न होने से ॥

वायु के परमाणुओं का संयोगविशेष शब्द का कारण होता तो शब्द का स्पर्श से ज्ञान होता । परन्तु नहीं होता । इस से पाया जाता है कि शब्द अनित्य=वायुपरमाणुजनित और वियोगकारणक नाशवान् भी नहीं ॥ २२ ॥

२३-लिङ्गदर्शनाच्च ॥ २३ ॥

पदार्थः—(लिङ्गदर्शनात्) चिन्ह देखने से (च) भी ॥

वेद में शब्द की नित्यता का चिन्ह पाया जाता है। इस से भी नित्य है। यथाः—

यज्ञेन वाच पदवीयमायन्तामन्वविन्दन्नुषिषु
प्रविष्टाम् ॥ ऋ० ८ । २ । २३ म० ॥ ३ ॥

अर्थ—यज्ञेन=धर्मोत्सृष्ट के बल से वेदवाणी की पदवी को जो ऋषियों के अन्तःकरण से प्रविष्ट थी, शुद्धान्तःकरण ज्ञानियों ने फिर से पाया ॥

इस से जाना जाता है कि वेदवाणी पूर्व से वर्तमान थी, उसको ही फिर से ऋषियों के अन्तःकरण में ज्ञानियों ने पाया। वेदवाणी कुछ अनित्य=नवीन उत्पन्न नहीं हुई ॥

शबरभाष्य में अन्य एक वचन है कि—

वाचा विरूपनित्यया

इस में वाणी का विशेष नित्य है। इस में भी शब्दप्रमाण वेद की नित्यता पाई जाती है ॥ २३ ॥ पूर्वपक्ष—

२४-उत्पत्तौ वाऽवचनाः स्युरर्थस्याऽतन्निमित्तत्वात् २४

पदार्थः—(वा) दूसरा पक्ष यह है कि (उत्पत्तौ) शब्द और अर्थ का सहजसम्बन्ध सात्त्विक पर (अवचनाः) अर्थों के वाचक न (स्युः) होंगे। क्योंकि (अर्थस्य) अर्थ के (अतन्निमित्तत्वात्) शब्दनिमित्तक न होने से ॥

यदि शब्द का अर्थ के साथ औत्पत्तिक=सहजसम्बन्ध है तो (वा) यह पूर्वपक्ष होगा कि शब्द (अवचनाः) अर्थों के वाचक न होंगे; क्योंकि अर्थ=वाक्यार्थ का निमित्त पद वा पद का अर्थ भी नहीं है ॥

चूत्तैर्बोधयताऽतिथिम् । इत्यादि वाक्यों में चूतैः पद का एक अर्थ है। बोधयत पद का दूसरा अर्थ है। अतिथिम् पद का तीसरा अर्थ है। अब तीनों को जिला कर वाक्य बनाने वाला ती अनुपपन्न=पुरुषविशेष होगा। जाना कि प्रत्येक शब्द अपने अर्थ का वक्ता अनादि काल से नित्य ही; परन्तु वाक्य-

रचना और उस से वाक्यार्थ जोधन कराना तो मनुष्यने ही कल्पित किया होगा; क्योंकि अकेला अपने वाक्य में अनन्वित कोई भी शब्द वाक्यार्थ ज्ञान का निमित्तकारण नहीं हो सक्ता। तब शब्दप्रमाण (वेदवाक्य) की पुरुषकल्पितता तो रही ? नित्यता नहीं ? ॥ २४ ॥ उत्तर—

२५-तद्भूतानां क्रियार्थेन समाप्तायोऽर्थस्य
तन्निमित्तत्वात् ॥२५॥

पदार्थः—(तद्भूतानां) उनही पदार्थों में वर्तमान पदों का (क्रियार्थेन) क्रियावाचक पद के साथ (समाप्तायः) अनन्वित सम्बन्ध बना बनाया है पुरुषकल्पित नहीं; क्योंकि (अर्थस्य) क्रियापदार्थ के (तन्निमित्तत्वात्) पदपदार्थकारणक होने से ॥

क्रिया अर्थ वाले पद भी अन्य पदों के साथ नित्य कहे गये ही। तब न केवल पदार्थ नित्य है, प्रत्युत वाक्य और वाक्यार्थ भी नित्य हैं अर्थात् जिस प्रकार के शब्दों का अन्वय, छन्दोरचना, वाक्यरचना और वाक्यार्थ सम्बन्ध शब्द (वेद) में है वह ज्यों का त्यों नित्य है, अपौरुषेय है, पुरुषकृत नहीं; क्योंकि वाक्यार्थ का निमित्त पदार्थ है और पदार्थ का समाप्ताय सार्थक पदों से है, जो नित्य है, इस लिये वैदिक पद पदार्थ, वाक्य वाक्यार्थ सब नित्य है ॥ २५ ॥

इस सीमांसादर्शन के भाष्य को श्री पं० तुलसीराम जी स्वामी ने आरम्भ किया था। केवल २५ सूत्रोंका भाष्य लिख पाये थे कि आषाढ शुक्ल ५ शनिवार संवत् १९७२ को परलोकयात्रा कर गये। नमूनामात्र पाठकों के समक्ष है परमात्मा कृपा करे आगे श्री पं० तुलसीराम जी के आरम्भ किये भाष्य को कोई पूर्ण करे। इसी अभिप्राय से यह प्रकाशित करदिया है॥

बुहनलालस्वामी

स्वामीप्रेस नेरट

भास्करप्रकाश १।) सजिल्द १॥)
 सामवेदभाष्यका पूर्वार्ध १२॥) उत्तरार्ध १॥)
 „ भाषाभाष्य मूलसहित संपूर्ण ४) वा ४॥)
 मनुस्मृतिभाषानुवाद १) बहिया १।)
 गीता भाषानुवाद ॥=) पुष्टजिल्दकी ॥॥-)

पाँचों दर्शनों का भाष्य

न्यायदर्शनभाषानुवाद सूत्रसूचीसहित ॥)
 बहिया ॥=) जिल्द का -) आना
 योगदर्शनभाषानुवाद ॥) सजिल्द ॥-)
 सांख्यदर्शन भाषानुवाद सजिल्द १)
 वैशेषिकदर्शनभाषानुवाद ॥=) सजि० ॥=)
 दिवाकरप्रकाश १।) (दुबारा छपा)
 सुभाषितरत्नमाला १=)
 वेदान्त दर्शन ” १)
 अष्टाध्यायी भाषानुवाद २) वा ३)
 अष्टाध्यायी मूल मोटा अक्षर १)
 हितोपदेश भाषानुवाद तथा श्लोक १)
 श्लोकयुक्त वैदिक निघण्टु ३)
 वेदप्रकाश मासिकपत्र के २ रे वर्ष के १२
 अङ्क ॥=) ११। १२। १३। १४। १५। १६।
 १७। १८ वे प्रत्येक वर्ष के ॥) गुरुकुलाङ्क =)
 तु० रा० स्वामी के ४ व्याख्यान १)
 पिण्डपितृयज्ञ १।) ५ वां व्याख्यान
 काशिक-संस्कृत (६) व्याख्यानम् -)
 संस्कृतस्वयं सिखानेवाली संस्कृतभाषा
 प्रथम पुस्तक ॥) द्वितीय पुस्तक -)
 तृतीय पुस्तक ॥=) चतुर्थ ॥=) चारों
 की १ जिल्द ॥=)
 स्वामी दयानन्द स० जी का चित्र-) व।
 सन्ध्योपासना ॥ सरल भाषार्थ सहित
 ऋगादिभाष्यभूमिकेन्द्र- [मन्त्रब्राह्मण
 परागोद्वितीयोऽंशः -) ॥॥] निर्णय है

भीमप्रश्नीत्तरी ॥)
 वैदिकविज्ञान -) पञ्चकन्याचरित्र ॥)
 भागवतसमीक्षा ॥=) बहिया कागज़ ॥)
 भागवतविचार -) भागवतपरीक्षा ॥)
 विवाह के मन्त्र अर्थसहित ॥)
 चारणक्यनीतिसार भाषाटीका सहित-)
 विवाहवयोविचार -) विवाह की उमर
 नियोगनिर्णय २) नारीअक्षरप्रदीप ॥)
 अक्षरप्रदीप ॥) बालकों को
 नागरीरीहर नं० १ मूल्य ॥ नं० २ का -)
 „ नं० ३ मूल्य- ॥ नं० ४ मूल्य =)
 आर्यसमाज ने क्या किया ॥
 गङ्गाकामेला ॥ वाल्मीकिरामायणसार-)

स्त्रीशिक्षा के पुस्तक-

नारीउपदेश ॥=) नारायणीशिक्षा १।)
 वनिताबुद्धिप्रकाश ३) मोटे टाइप में
 मोहनीमन्त्र ॥) कन्योपनयनसंस्कार १)
 नारीधर्मविचार प्रथम भाग ॥)
 „ द्वितीय भाग १)
 बालाबोधनी चारों भाग ॥=)
 सीताचरित्र ६ भाग टाइप मोटा २।)
 स्त्रीपत्रप्रबोध ३)

आर्यनियमोदयकाव्य २) पं० अखिला०
 दयानन्ददिग्विजय ४) „
 आर्यशिरोभूषण काव्य १) „
 लघुकाव्यसंग्रह ३)
 दयानन्दलहरी =)
 वैधव्यविष्वंसनत्रम्पू ॥=) „
 भामिनीभूषण काव्य १) „
 पिङ्गलसभाष्य ॥) „
 काव्यालङ्कारसूत्र सभाष्य ॥) „
 वैदिकसिद्धान्त वर्णनकाव्य ॥=) „
 ब्राह्मणमहत्वादर्श ॥) „

दर्शनानन्द ग्रन्थ संग्रह २)

वैदिकविवाहादर्श १)

सूर्यसिद्धान्त भाषानुवाद १॥)

संस्कारचन्द्रिका २)

ध्यानयोगप्रकाश १।)

देवियों का संवाद भजन -)

वृक्षों में जीवविचार-॥ वि० एन० शर्मा

वर्णव्यवस्थामीमांसा -) ॥

प्रकरणप्रमाणदर्शिका १) ॥

मूर्तिपूजामीमांसा ३) ॥

होमपद्धति ३)

ज्योतिश्चन्द्रिका नई छपी ३)

स्वर्ग में महासभा १)

स्वर्ग में सऊजेक्ट कमेटी-॥)

ऐतिहासिकनिररीक्षण प्र०-॥ द्वि० ३)

भजन पुस्तकें

अनुरागरत्न १) शान्तिसरोवर ३)

सजीवनबूटी १-) कुरीतिनिवारण ३)

संगीतरत्नप्रकाश ५ भाग ॥-॥ उत्तरार्ध ॥)

वासुदेव भजन रत्नमाला १) ॥

ज्ञानभजनावली चारों भाग सजिल्द ॥-)

रामगीतावली १भाग-॥ २भाग-॥ ३भाग-॥)

नगरकीर्त्तन दोनों भाग ३)

स्त्रीभजन-भगडारा-॥)

आर्यसमाज १)

भीष्मपितामह का जीवनचरित्र १)

रामलीला का फल ॥) सैकड़ा

होममन्त्रप्रकाश १)

धर्मशिक्षा प्रथम १-॥ द्वितीय भाग १-॥)

अपने पुस्तकों पर ६) में १) और १०) में २) कमीशन छोड़े जायंगे। सर्वसाधारण को पारमार्थिक और लौकिक सुधार के पुस्तक लेने का अच्छा अवसर है ॥

उपनिषदें-

श्वेताश्वगरोपनिषद्भाष्य १) वा ३)

ईशादि ६ उपनिषद् भाष्य १) सजिल्द १)

भारतवर्ष का इतिहास १॥)

सरस्वती कोष सजिल्द १)

स्वामी जी का जीवन चरित्र बड़ा ॥ १)

बाल-सत्यार्थप्रकाश १-) तर्कइसलाम ३)

नागरी सीखने का ताश ३)

आर्यनामावली -)

सर्वहरिगीति शतक भाषा टीका ३)

वेदारम्भ ॥)

वेदमन्त्रार्थप्रकाश द्वितीय भाग १)

वैदिक प्रेस के पुस्तक-

यजुर्वेदभाष्य १०) सत्यार्थप्रकाश १)

मूक्तिका १) संस्कारविधि ॥)

उणादिकोश ॥) निरुक्त ॥-॥)

आर्योभिविनय-३) पञ्चमहायज्ञविधि-५)

शतपथब्राह्मण मूल ४)

घालुपाठ १) गणपाठ ३)

आर्यसमाजकी रसीदबुक-३) चिकबुक १)

दाखलाफार्म १) सैकड़ा, गायत्रीमं० ॥) सैकड़ा

आर्यसमाज के नियम नागरी ३) १००

अंग्रेजी में १) १०० सैकड़ा

व्याख्याजका विद्यापन-जो चार जगह

खानापूरी करके सब उपदेशकों के काम

में आता है ३) के १००

पता--बुटनलाल स्वामी-मेरठ

पांच दर्शनों का भाष्य

प्रियपाठक ! आर्यावर्त के भूषण ऋषि मुनियों ने अपने दीर्घकालीन तप और अनुभव के द्वारा पवित्र देववाणी में जिन अमूल्य रत्नों का सङ्गठन किया था, यद्यपि वे अभी तक उस देववाणी की गम्भीर गुहा में यथाक्रम और यथास्थान रखे हुवे हैं तथापि ऐसे मनुष्यों के अभाव से जो विचार का दीपक और परिश्रम का कुदाल हाथ में लेकर उन को वहां से निकालें, सर्वसाधारण जन उन की देदीप्यमान ज्योतिः से वञ्चित हैं। वस-सर्वसाधारण तक उन रत्नों का प्रकाश पहुंचाने के लिये यह शुभारम्भ किया है। सरल हिन्दी भाषा में अनुवाद और व्याख्या करके विद्यार्थिक पाठकों की सेवा में समर्पित किया है। इस में प्रथम सूत्र का सरलपदार्थ, पुनः उस का व्याख्यान किया गया है। आशा है कि इस अनुवाद के द्वारा सूत्रकार और भाष्यकारों का आशय समझने में पाठकों को बहुत कुछ सहायता मिलेगी ॥

१-न्यायदर्शन भाषानुवाद, बड़िया कागज़ ॥=)

साधारण कागज़ ॥) जिल्द का -) अधिक

२-योगदर्शन भाषानुवाद, मूल्य ॥)

३-सांख्यदर्शन भाषानुवाद, मूल्य १)

४-वैशेषिकदर्शन भाषानुवाद, मूल्य ॥=)

५-वैदान्तदर्शन भाष्य मूल्य १)

पांचों दर्शनों की एकपुष्ट जिल्द ३॥-)

पता—कुहनलाल स्वामी मेरठ

ओ३म

मनुस्मृतिः

भारतदेश—भाषाणुवाद—सहिता
तथा च.

यथाऽऽवश्यकं तत्रतत्रोपयुक्तविशिष्टव्याख्यानैः
परिवृंहिता

सा चयम्

न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदान्त, गीता व्याख्याकारेण,
सामवेदभाष्यकारेण, वेदप्रकाश सम्पादकेन

श्री पं० तुलसीराम स्वामिना
सम्पादिता

अष्टमवार २,५००

मूल्य एकप्रति १।)

पुस्तक मिलने का पता:—

पं० छुट्टनलाल स्वामी
मैनेजर स्वामी प्रेस मेरठ शहर

सृष्टिसंवत् १९७२, ४६, ०१६७ विक्रमी संवत् १९७६

Printer & Publisar Chhuttanlal Swami,
at the Swami Press Meerut.

मनुस्मृति भाषानुवाद का

विषयसूचीपत्र

मनोभाषानुवादस्य तुलसीराम शर्मणा (स्वामिना)
अनुक्रमणिका सूची विषयाणामुदीर्यते ॥ १ ॥

भूमिका में-

विषय

पृष्ठ

पुस्तक के भाषानुवाद का कारण	२३
जिन ३० पुस्तकों से पाठ की सहायता ली है उन के नगरों तथा स्वामियों के नाम	२७
किस २ अध्याय में कितने २ श्लोक प्रक्षिप्त हैं	२५
मनु के आरम्भ में एक नवीन श्लोक १९ पुस्तकों में भिला है	२५
अध्याय १ से २ तक में जो २ श्लोक किन्हीं २ पुस्तकों में हैं	२९-३२

प्रथमाध्याय में-

श्लोक

मनु जी से ऋषियों का धर्मज्ञानार्थ प्रश्न	१-३
मनु जी का उत्तर देने का आरम्भ	४
जगत् की उत्पत्ति से पूर्वोक्तवस्था	५
परमेश्वर का जगत् की उत्पन्न करना	६-९
नारायण शब्द का निर्वचन	१०
ब्रह्मा शब्द का वाच्यार्थ	११
द्युलोक, भूलोक, अन्तरिक्ष, दिशा, जलस्थान की उत्पत्ति	१२-१३
मन और अहङ्कार, महत्तत्त्व, ३ गुण, ५ इन्द्रियों की उत्पत्ति	१४-१५
अन्य देवी सृष्टि	१६-२२
वेदोत्पत्ति	२३
काल, कालविभाग, नदी समुद्रादि की उत्पत्ति	२४
तप, वाणी रजि आदि की उत्पत्ति	२५-२६
ब्राह्मणादि चार वर्णों की उत्पत्ति	२७
स्त्री पुरुषों और विराट् की उत्पत्ति	२८

विषय	श्लोक
“मनु और सरीचि आदि १० प्रजापतियों और अन्य ७ मनुओं तथा यक्ष राक्षसादि की उत्पत्ति प्रक्षिप्त श्लोकों में” प्रक्षिप्त	३१-४१
सर्व के धर्म वर्णनार्थ मनु की प्रतिज्ञा	४२
१ श्लोक जो ३ पुराने पुस्तकों में मिला है	०
जरायुज, अस्रडज, स्वदेज, उद्भिज्जों की उत्पत्ति	४३-४०
मनु ने अपनी उत्पत्ति के साथ जनदुत्पत्ति का उपसंहार किया है	४१
उत्पत्ति और प्रलय की अवस्थाओं का वर्णन	४२-४७
“मनु का कथन कि परमेश्वर ने मुझे यह शास्त्र पढ़ाया, मैंने सरीच्यादि को, इन में शृगु तुम्हें सुनावेगा” प्रक्षिप्त	४८-४९
“शृगु ने ७ जन्मों का वर्णन और नाम बताये” प्रक्षिप्त	५०-५३
निमेष, काष्ठा, कला, सुहूर्त्त, मानुष, दैव, पित्र्य, दिन, रात्रि, आदि काल के परिमाण	५४-७३
जल, आकाश, वायु आदि तत्व और इन के गुणों का वर्णन	७४-७८
मन्वन्तर का परिमाण	७९-८०
“युगों का प्रभाव” प्रक्षिप्त	८१-८६
ब्राह्मणादि वर्णों के कर्म	८७-९१
ब्राह्मण की प्रशंसा	९२-९५
प्राणियों में कौन किस से श्रेष्ठ है	९६-९७
पुनः सब में ब्राह्मण की श्रेष्ठता	९८-१०१
“शृगु का कथन कि यह शास्त्र मनु ने बनाया और इस के पढ़ने का अधिकार और फल” प्रक्षिप्त	१०२-१०७
आचार की प्रशंसा	१०८-११०
“मनुस्मृति का संक्षिप्त सूचीपत्र” प्रक्षिप्त	१११-११९
द्वितीयाध्याय में-	
धर्मोपदेश की प्रतिज्ञा	१
सुकान्ता, निष्कान्ता का विवेक	२-३
वेद, स्मृति, शील, आत्मतुष्टि का धर्म में प्रमाण	६
“शृगुवचन से वेद प्रशंसा” प्रक्षिप्त	७
श्रुति स्मृति में कहे धर्म की प्रशंसा, गमानने की जिन्दा	८-१३

विषय	
श्रुतिद्वेष में दोनों की प्रमाणाता	१४-१५
यहाँ की विशेष श्लोक ३ पुस्तकों में मिले हैं	०
इस शास्त्र में गर्भाधानादि वेदोक्त कर्म धर्म का ही वर्णन है	१६
आर्यावर्त की उत्तर दक्षिण सीमा	१७
सदाचार का लक्षण	१८
एक अधिक श्लोक मेधातिथि के भाष्य से मिला	०
ब्रह्मर्षि देश की सीमा	१९
इसी देश के ब्राह्मणों से सब देशों के लोग पढ़ें	२०
मध्यदेश की सीमा	२१
आर्यावर्त की पूर्व पश्चिम सीमा	२२
यज्ञयोग्य देश का लक्षण	२३
ऊपर के पवित्र देशों में द्विजों को वास करना चाहिये	२४
वर्णधर्मवर्णन की प्रतिज्ञा	२५
संस्कारों की प्रशंसा और आवश्यकता तथा फल	२६-२८
जातकर्म, नामकरण संस्कार	२९-३३
निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म संस्कार	३४-३५
उपनयन का काल और कालातिक्रम का दोष	३६-४०
चर्न, मेखला, उपवीत और दण्डों के वर्णन	४१-४८
भिक्षा का प्रकार, भोजन	४९-५१
“ किस ओर सुख करके भोजन का क्या फल है ” प्रश्निस	५२
एक श्लोक यहाँ ३ पुस्तकों में अधिक है	०
भोजन का प्रकार, आचमनादि करना	५३-५८
ब्राह्मादि तीर्थों की संज्ञापरिभाषा	५९
आचमन, मुखप्रक्षालनादि का वर्णन	६०-६३
उपवीती, निवीती आदि संज्ञा	६४
मेखलादि टूटने पर नवीन का धारण	६५
केशान्त संस्कार का खनय	६६
“ स्त्रियों के इन संस्कारों में मन्त्र न पढ़े ” प्रश्निस	६७
“ केवल विवाह ही स्त्रियों का वेदमन्त्रों से ही ” प्रश्निस	६८

विषय	श्लोक-
उपनयन का उपसंहार	६८
शिष्य को गुरु किस प्रकार पढ़ाया करे, और शिष्य पढ़ते समय कैसा व्यवहार करे	६९-७५
ओंकार और गायत्री के ३ पादों के व्याहृतिपूर्वक जप का फल, त्याग की निन्दादि	७६-८४
विधियज्ञादि से जपयज्ञ की श्रेष्ठता	८५-८७
इन्द्रियों के नियंत्रण की कर्त्तव्यता, इन्द्रियों की गणना	८८-९३
भोग से काम शान्त नहीं होते, प्रत्युत बढ़ते हैं, इत्यादि से जितेन्द्रिय होने की आवश्यकता	९४-१००
प्रातः सायं सन्ध्या की कर्त्तव्यता, त्याग का दोष	१०१-१०४
वेदोपकरणादि में अनध्यय नहीं	१०५-१०६
स्वाध्याय का फल, समावर्त्तन तक अत्याज्य कर्म	१०७-१०८
आचार्यपुत्रादि १० धर्मानुसार पढ़ाने चाहिये	१०९
पठन पाठन वा उपदेश में नियम	११०-११६
लौकिक वा वैदिक विद्यादाता को प्रथम प्रणाम करे	११७
वेदपाठी अकर्मण्य से अल्पज्ञ कर्मनिष्ठ की प्रशंसा	११८
बड़ों की शय्यासनादि पर न बठे इत्यादि	११९
बड़ों को प्रत्युत्थान की आवश्यकता	१२०
अभिवादन का फल, प्रकार न जानने की निन्दा, प्रत्यभिवादन का विधान	१२१-१२६
ब्राह्मणादि से कुशालादि भिन्न २ शब्दों से प्रश्नभेद	१२७
दीक्षित का नाम लेकर संभाषण न करे	१२८
परपत्नी, मामा, चाचा आदि सम्बन्धियों से अभिवादनादि में विशेष	१२९-१३३
पुरवासी आदि से कैसे व्यवहार माने	१३४
ब्राह्मण की आयु घोड़ी होने पर भी उच्चता	१३५
धन, बन्धु, आयु, कर्म, विद्या के कारण सान्यभेद	१३६-१३७
कौन किस को मार्ग छोड़े	१३८-१३९
आचार्य, उपाध्याय, गुरु, ऋत्विज् के लक्षण	१४०-१४३
गुरु से द्रोह न करे	१४४

विषय	श्लोक
आचार्य, पिता माता आदि में किस की कौंधी उच्चता है	१४३-१५०
'आङ्गिरस कवि ने पितरों को अज्ञानी होने से पढाया और पुत्र कहा	१५१-१५२
ज्ञान से वृद्धता होती है, न कि आयु आदि से	१५३-१५४
ब्राह्मणादि भिन्न भिन्न वर्गों में भिन्न भिन्न कारण से वड़प्पन है	५
बाल पकने से वृद्ध नहीं होता, किन्तु विद्या से	१५६
विना पढ़े ब्राह्मणकुलोत्पन्न की निन्दा	१५७-१५८
सधुरवाणी से ही उपदेशादि करे, कटु से नहीं	१५९-१६१
ब्राह्मण ज्ञान की इच्छा न करे इत्यादि	१६२-१६४
द्विजों को वेदाध्ययन स्वाध्यायादि की आवश्यकता	१६५-१६८
द्विजों के तीन जन्म वेदोक्त हैं	१६९
दूसरे जन्म में माता गायत्री, पिता आचार्य है	१७०
आचार्य को पिता क्यों कहते हैं कि वह वेद देता है	१७१
उपनयन से पूर्व वेदाध्ययन का अनधिकार	१७२-१७३
व्रत समय भी अपने अपने विहित दण्डनेत्र लादि का धारण	१७४
ब्रह्मचारी को गुरुकुलवास के ये नियम सेवनीय हैं	१७५-१८२
भिक्षा और होम की आवश्यकता	१८३-१८८
भिक्षान्न की प्रशंसा में दो अधिक श्लोक ८ पुस्तकों से मिले	८
दैवपित्र्यादि कार्य में व्रत के तुल्य अोजन करे	१८९
यह (१८९ का) नियम ब्राह्मण को ही है	१९०
गुरु के विना कहे भी विद्योपार्जन में यत्न करे	१९१
गुरु से पढ़ते समय तथा अन्य समय कैसे बैठना उठना आदि करे	१९२-२००
१ पुस्तक में यहां १ अधिक श्लोक मिला है	०
गुरुनिन्दकादि की निन्दा	२०१
गुरु को दूर से प्रणाम न करे, न स्त्री के समीप में, किस ओर बैठे इत्यादि नियम	२०२-२०४
गुरु के गुरु से कैसे वर्ण इत्यादि	२०५-२०८
गुरुपुत्र के चरण दबाना आदि न करे	२०९
गुरु पत्नियों को श्राप किस प्रकार व्यवहार सेवा करे	२१०-२१७
गुरु की शुश्रूषा से विद्या की प्राप्ति	२१८
जटा रखे वा जघ मुंडावे, ज्ञान में सूर्यास्त न होने दे, सूर्यादय	

विषय	श्लोक
तक सोता न रहे, सोवे तो प्रायश्चित्त	२१९-२२१
आचरणादि का नियम रखे, सब से उत्तम बात सीखे	२२२-२२३
त्रिवर्ग किन को कहते हैं	२२४
माता पिता आचार्यादि का अपमान न करे, इन की प्रतिष्ठा	२२५-२३१
विद्या, धर्म, स्त्री नीच से भी ग्रहण करले	२३२-२४०
आपत्काल में अब्राह्मण से भी पढ़े इत्यादि	२४१-२४४
कोई वस्तु गुरु से पूर्व न भोगे, परन्तु गुरु की आज्ञा से स्नान	२४५-२४६
पूर्व भी करले	२४७-२४८
आचार्य के मरने पर गुरुपुत्रादि का मान्य करे इत्यादि	२४९-२५०

तृतीयाध्याय में

३६ वर्ष आदि का ब्रह्मचर्य रख कर वेद पढ़ कर जो गृहस्थ बने,	१-४
उस ससावर्त्तित को गोदान	५-११
सपिण्डादि स्त्रियों विवाह के अयोग्य हैं	१२-१३
"प्रक्षिप्त श्लोकों में असवर्णा विवाह के नियम"	१४-१५
शूद्रा आदि हीन स्त्री से विवाह न करे	१६
शूद्राविवाह से पतित होने में अनेक मत	१७-१८
शूद्रा से विवाह की निन्दा	२०-२१
आठ प्रकार के विवाह और उन के नाम	२२-२६
"आठ विवाहों में से किस वर्ण को कौन कौन विवाह धर्म्य है"	२७-३४
आठों विवाहों के भिन्न भिन्न लक्षण	३५
ब्राह्मणों को कन्यादानसकल्प की प्रशंसा	३६
"इन विवाहों के गुण दोषों के वर्णन में भृगु की प्रतिज्ञा" प्रक्षिप्त	३७-४२
ब्राह्मणादि ४ विवाहों के पुत्रों की न्यूनाधिक प्रशंसा	४३-४४
"असवर्णा विवाह के विधान" प्रक्षिप्त	४५-४७
स्त्रियों के ऋतुकाल का सविस्तर वर्णन	४९-५४
कन्या के मूल्य लेने की निन्दा और निषेध	५५-६२
स्त्रियों की पूजा की प्रशंसा और निरादर की निन्दा	६३-६६
कुलीनता की हानि और उन्नति के कारण	६७-६८
पञ्चमहायज्ञों का वर्णन	६९-७५

विषय	श्लोक-
अग्नि में दी हुई आहुति से जगदुपकार में युक्तिप्रमाण	७६
गृहाश्रम की श्रेष्ठता	७७-८०
स्वाध्यायादि से ऋष्यादि की पूजा	८१-८३
वैश्वदेव यज्ञ को १० आहुतियों और १६ बलि	८४-८९
कुत्तों आदि के ६ भाग, वैश्वदेव की प्रशंसा	९२-९३
अतिथियज्ञ की विधि, फल, अतिथिलक्षणादि	९४-११३
सद्योविवाहिता आदि स्त्रियों को अतिथि से पूर्व ही भोजन देना	११४
इन सब को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करे	११५-११७
इस के बिना स्वयं भोजन करना पापभोजन है	११८
राजादि घर आर्य तौ सधुपर्क सत्कार	११९-१२०
साधुद्वार के भोजन में वैश्वदेवकर्म	१२१
" सृतकआहु का प्रक्षिप्त वर्णन "	१२२
" आहु में कैसे ब्राह्मण जिमाने, कैसे नहीं "	१२३-१४६
" नातं सम्बन्ध वालों को आहु में जिमा सकते हैं "	१४७-१४८
" आहु में निन्दित अभोजनीय लोग "	१४९-१६९
अयोध के जिमाने का दुष्ट फल	१७०
परिवेत्ता तथा परिवित्तिके लक्षण और उन के जिमाने का दोष	१७१-१७२
दिधिषूपति, कुण्ड, शोकल के लक्षण	१७३-१७४
" किस प्रकार के अपाङ्ग्य को जिमाने में क्या २ दोष है "	१७५-१८२
" पङ्क्तिपावन ब्राह्मणों के वर्णन "	१८३-१८६
" आहु में निसन्नत्रण और निमन्नत्र के नियम "	१८७-२६५
" किन २ मांसादि से कितने २ दिन तक पितृवृत्ति होती है "	२६६-२७२
" त्रयोदशी आहुदि विशेष आहुतों का वर्णन "	२७३ २७३
बसु षड् आदित्य संज्ञक पितर	२७४
यज्ञशेष भोजन की विधि और प्रशंसा	२७५
द्विजों में मुख्य ब्राह्मण की वृत्ति का प्रतिज्ञाकथन	२७६

चतुर्थाऽध्याय में-

आयु का दूसरा भाग गृहाश्रम में लगावे

विषय

श्लोक—

जिन से किसी को कष्ट न हो वा अल्प कष्ट हो उन ऋत असृत आदि वृत्तियों से जीवे	२-८
वृत्ति (जीवन) में एक श्लोक एक पुस्तक से मिला	०
कोई ब्राह्मण ६, कोई ३, कोई २ और कोई १ ही कर्म करके जीविका करते हैं, अन्तिम को पर्वान्तरादि इष्टि कर लेना ही पर्याप्त है	९-१०
ब्राह्मण लोकवृत्त न करे, संतोष से रहे	११-१२
जीविका में ब्राह्मण को स्वाध्यायादि के विघ्न बचाने चाहिये और नित्य शास्त्राभ्यास रखना	१३-१०
एक पुस्तक में शास्त्राभ्यासार्थ १ श्लोक पाया गया है	०
पशुयज्ञ न त्यागे और ज्ञानी के ज्ञान में ही पशुयज्ञ	२१-२४
अग्निहोत्र, दर्श पीर्णमास का समय और कर्तव्यता	२५
” नवसस्येष्टि और पशुयज्ञ प्रक्षिप्त ”	२६-२८
अपूजित अतिथि न रहने पावे, अतिथि कैसे न माने कैसे माने	२९-३१
बलिवैश्वदेव भी यथाशक्ति अवश्य करना	३२
स्नातक विप्र के दान लेने आदि में नियम और दण्डादि धारण रहन सहन के प्रकार,	३३-३९
रजस्वला से गमन न करना तथा स्त्री के साथ अन्य व्यवहारों का निषेध	४०-४४
चार पुस्तकों में १ अधिक श्लोक मिला है	०
एक वस्त्र पहने भोजन न करे, न नग्न होकर करे कई स्थानों में मल	४५-४२
सूत्र त्याग का निषेध और विधि	४३-४४
अग्नि को मुख से न फूँके इत्यादि नियम	४५
सन्ध्याकाल के निषिद्ध कर्म, पुष्पमाला न उतारना	४६
जल में मल, सूत्र, शूक आदि न करे	४७-४८
अकेले शयनादि का निषेध, दहिने हाथ के काम	०
३ पुस्तकों में १ श्लोक मिला है कि अकेला इतने काम न करे	४९
बछड़े को दूध पिलाती गौ को न रोके इत्यादि छोटे छोटे नियम	६०-६१
अधार्मिक ग्रानादि में वास न करे	६२-६६
भोजन, पान, नाचना, गाना, पाँव धोना, जूता, उपवीत, पुष्पमालादि के नियम	६२-६६

विषय	श्लोक
निषिद्ध और विहित सवारी	६०-६८
धूप, धुवां, आसन के नियम, वृषा तोड़ना आदि वृषा चेष्टा का निषेध	६९-७१
चढ़खटता से बात न करना, बेल की पीठ पर न चढ़ना, विना द्वार न घुसना, रात्रि में वृक्षच्छाया का त्याग, फांसे न खेलना, शय्या आसन वा हाथ पर भोजन न करना, सूर्यास्त समय तिलयुक्त भोजन न करना, नंगे न सीना, झूठ मुंह बाहर न जाना, गीले पांव खाना पर सीना नहीं	७२-७६
विना देखे दुर्ग में न जाना, मल सूत्र न देखना, नदी को बाहु से न तिरना, बाल आदि पर न बैठना, चाखालादि में न बसना	७७-७९
“शूद्र को सुमति न दे। इत्यादि” प्रवृत्ति	८०-८१
दीनों हाथों से शिर न खुगावे, शिर में छोट न मारै इत्यादि	८२-८३
राजा का प्रतिग्रह लेने वाला तामिस्रादि २१ नरकों में जाता है	८४-९१
ब्राह्म सुहूर्त में सोकर जगना आदि	९२-९४
श्रावणी वा भाद्री पौर्णमासी में वेदाध्ययनारम्भ, पौषी वा माघी में त्याग, उपरान्त शुक्ल पक्ष में वेद, कृष्णपक्ष में अन्य ग्रन्थ पढ़ना, वेदपाठ में निन्दित स्थान	९५-१००
अनध्यायों का वर्णन	१०१-१२७
अमावास्या, अष्टमी, पौर्णिमा, चतुर्दशी में मेधुनन्यास, भोजनोत्तरादि काल में स्नानन्यास, शुरु आदि की काय न लांघना, चतुष्पथ सेवन का निषेध, उबटनादि पर न बैठना	१२८-१३२
वेरी आदि के पास न जाका, परस्त्रीगमनत्याग, जप्रियादि का तथा अपना अपमान न करना, सत्य प्रिय बोलना, बहुत अन्धेरे में न चलना, हीनाङ्ग आदि को न बिड़ाना, झूठे हाथों ब्राह्मणमहि को न ठूना इत्यादि	१३३-१४४
मङ्गलाचारादियुक्त रहना, जप हवन नित्य करना, वेदाभ्यास परम तप है, वेदाभ्यासादि ४ उपायों से पूर्वजातिज्ञान, सावित्र होम, शान्ति होम, अष्टका अन्वहिका आदि की कर्तव्यता	१४५-१५०

विषय	श्लोक
रहने के स्थानादि से दूर सूत्रादि करना, स्नानादि कई कार्य दोपहर से पहले ही करना, पर्वों पर धार्मिकादि के दर्शनार्थ जाना, कुहों को अभिवादन, जातों के पीछे जाना, सदाचार का सेवन और फल, दुराचारी की निन्दा	१५१-१५८
परवश करणों को स्ववश करना, आचार्यादि को दुःख न देना, नास्तिकत्वादि न करना, दूसरों को न मारे, शिष्य पुत्र की ताड़ना का नियम, ब्राह्मण को धनकी न देना आदि, अधार्मिकादि सुख नहीं पाते, अधर्म कभी भी न करे, अधर्म शीघ्र नहीं तो देर में अवश्य नाश करेगा,	१५९-१७६
हाथ पाँव नेत्रादि से छपलता न करे, बाप दादों के सम्मान पर चले, ऋत्विज् आदि से विवाद न करे	१७७-१८१
आचार्य आदि ब्रह्मलोकादि की स्वामी हैं	१८२-१८५
प्रतिग्रह लेने से बचे, प्रतिग्रह के नियम	१८६-१९१
वैडालब्रतिकादि को दान न देना इत्यादि	१९२-२००
पराये जलाशय में न नहाना, विना दिये यानादि वराने वाला स्वामी के चतुर्थांश पाप का भागी है, नद्यादि में स्नान करना	२०१-२०४
धर्मों का अवश्य सेवन करना, यम नियमों की गणना	२०५-२१७
अश्रोत्रियादि के रचित यज्ञ में भोजन न करना, सदसत्तादि का भोजन, गौ आदि का सूषा भोजनादि, चौरादि का भोजन, ब्रूतकान्त, असत्कृतादि अन्न और पिशुनादि का अन्न त्याज्य हैं	२०५-२१७
त्याज्यान्न भक्षण के भिन्नर दुष्फल, निन्दा, ब्राह्मकान्त की प्रशंसा, अह्ना से दिये की प्रशंसा	२१८-२२६
दान प्रशंसा, भिन्नर दानों के भिन्नर फल, ब्रह्मदान की श्रेष्ठता, तप से गर्व न करना इत्यादि	२२७-२३७
धर्म की प्रशंसा, मृत्यु होने पर भी धर्म का साथ जाना	२३८-२४३
रुद्रों से नस्वन्त्यादि करना	२४४-२४५
रुद्र, तिलिन्द्रियादि की प्रशंसा	२४६
" रुचोदकादि सिद्धा को निषेध न करे," इत्यादि	२४७-२५३

विषय	पृथक-
भीतर बाहर एकसा बर्तान रखना, अन्यथा, नहीं	२५४-२५६
वानप्रस्थधर्म वर्णन की प्रतिज्ञा, गृहस्थधर्मवर्णन का उपसंहार	२५७-२६०
पञ्चमाऽध्याय में-	
“ ऋषियों का भृगु से संवाद ” प्रक्षिप्त	१-३
आलस्यादि दोषों से मृत्यु की समीपता	४
लशुनादि अभक्ष्य द्रव्यगणना	५-१०
“अभक्ष्य मांसीकी गणना और मांस भक्षणमें दोष न माननेके हेतु” प्रक्षिप्त	११-२३
अभक्ष्य द्रव्यों में अपवादरूप भक्ष्य दध्यादि	२४-२५
“मांस भक्षण के विधि और निषेध, यज्ञार्थ मांस भक्षण की निर्दोषता, इस में हेतु” इत्यादि प्रक्षिप्त	२६-४२
(महाभारत के प्रमाण से मनु की मांसविरुद्ध सम्मति)	१
वेदविहित हिंसा अहिंसा, मांस भक्षण के दोष, न भक्षण की प्रशंसा	४३-५५
“ मद्य मांस मैथुन में दोष नहीं ” प्रक्षिप्त	५६
प्रेतशुद्धि, मृतक का अशौच	५७-७४
परदेश में मृत की सूचना पर अशौचादि	७५-८४
शवस्पर्शादि की अशुद्धि	८५-८८
अङ्कुरजातादि का सूतकादि नहीं, न उदकक्रिया	८९-९०
आचार्यादि मृतक को उठाने से ब्रतीका व्रत भङ्ग नहीं होता	९१
शूद्रादि मृतकों को दक्षिणादि नियत दिशाओं से निकालना	९२
राजा आदि जिन को वा जिन का अशौच नहीं होता	९३-९८
ब्राह्मणादि की शुद्धि के जलस्पर्शादि भिन्न २ साधन	९९
असपिण्ड प्रेतशुद्धि की व्यवस्था	१००-१०३
ब्राह्मण मृतक को शूद्र से न उठवावे	१०४
ज्ञान तप अग्नि आदि १२ शुद्धिकारक पदार्थ	१०५
अर्थशुद्धि (इसानन्दारी) बड़ी भारी शुद्धि है	१०६
विद्वान् आदि क्षमादि से शुद्ध होते हैं	१०७
भिन्न २ पात्रादि भिन्न २ मृत्तिकादि से शुद्ध होते हैं	१०८-१२६
अदृष्टादि को शुद्ध मानना, अधिक जल को शुद्ध मानना	१२७-१२८

विषय	श्लोक—
कारीगर आदि के हाथ आदि शुद्ध मानने	१२९
“ स्त्रीमुख और शिकार का सांखादि शुद्ध मानना ” प्रक्षिप्त	१३०-१३१
जाभि से ऊपर की इन्द्रियों की शुद्धता (सौम्यता)	१३२
सक्ली आदि को अशुद्ध न मानना	१३३
मलसूत्रादि त्यागार्थ कितना जल मिष्टी लेना	१३४
देह के १२ मलों की संख्या	१३५
बुद्धा आदि से कितनी बार जिह्वी लगाकर	१३६
गृहस्थादि आश्रमभेद से सुद्धिभेद	१३७
मलसूत्रत्यागोत्तर आचमनादि	१३८-१३९
शूद्र सेवकों के मासिक वपनादि	१४०
जलविन्दु आदि को अशुद्ध न मानना	१४१-१४२
स्त्रीधर्म, स्त्रियों की परतन्त्रता, भर्ता आदि से वियुक्त न रहना,	
उच्छिष्ट को छूने आदि की अशुद्धि पर कर्तव्य	१४३-१४६
प्रसन्न रहना, स्त्री पुरुष का सम्बन्ध, पति की प्रशंसा, पति-	
शुश्रूषा, और परपुरुष का त्याग	१४७-१५८
खन्तानार्थ भी व्यभिचार न करना, अपुत्र की भी सद्गति	
व्यभिचार निन्दा, पतिव्रतप्रशंसा	१५९-१६६
भार्या पूर्व कर जावे तो अग्निहोत्री का कर्तव्य	१६७-१६८
गृहस्थ धर्म का उपसंहार	१६९
षष्ठाऽध्याय में—	
वानप्रस्थ होने की आज्ञा और समय	१-२
बनी को ग्राम्याहारत्याग, अग्निहोत्र का हाथ, वन में वास, शाक मूल	
फलों से निर्वाह, पञ्चयज्ञानुष्ठान, जितेन्द्रियादि रहने का विधान	३-१३
सद्य नांस भीम-कबकादि न खाना	१४-१६
क्या २ खावे, कब २ खावे, संग्रह कितना रखे, मूत्रि में डोबे	
इत्यादि नियम	१७-२२
शीघ्र में पशुतपा, जाड़े में जल में खड़ा होना आदि सहनशीलता	२३-२४
आत्मा में वैतानिक अग्नि का समारोपण, सुखार्थ वन न करना खान पान	
की साधारणता, वा गरम पर्यन्त जल वायु आदि से ही निर्वाह	२५-३२

विषय	श्लोक-
वानप्रस्थ धर्म से मुक्ति	३२
संन्यासाश्रम की आज्ञा, स्वयं, तीन ऋणों को चुकाने की आवश्यकता, विश्वा लुकाये संन्यास लेने से अयोगति	३३-३८
सब प्राणियों को अभयदान, निष्कामता, एकाकी रहना, अग्नि का त्याग, वृक्षसूलादि में रहना आदि, जीवन भरण की उपेक्षा, कान कर जल पीना आदि, निन्दा का सहना और क्रोध, वैर, असत्यादि का त्याग	३९-४८
ध्यान में रहना, गणितादि विद्या से जीविका न करना, ग्रन्थों से वसी जगह में न रहना, डाढ़ी सूख मुंडाये रहना	४९-५२
“ धातु के पात्र न हों इत्यादि ” प्रतिज्ञा	५३-५४
एक काल भोजन, गृहस्थों की आवश्यकता पूरी होने पर भिक्षा लाना, खादा भोजन, भोजन न मिले तो भी शोक न करना, अल्पभोजी होना, इन्द्रियदमनार्थि	५५-६०
मनुष्यों की कर्मशक्तियों पर दृष्टि डालना, मृत्यु, शोक, भय, उत्पत्ति, परमात्मा की सृष्टनता का विचार करना	६१-६५
निन्दा करने पर भी धर्म करना, लिङ्ग धर्म का कारण नहीं	६६
मान मात्र से शक्ति नहीं होती	६७
पृथिवी को देखकर चलना, अज्ञात जन्तु के मर जाने का प्रायश्चित्त, मासायाम का फल, अन्तरात्मगति का विचार, देह की पृथितता का विचार, इस के त्याग की प्रशंसा	६८-७८
प्रियाऽप्रिय में एकभाव, द्वन्द्वत्याग. वेदान्तादि पाठ, संन्यास की प्रशंसा, मुक्ति की प्राप्ति धर्मपूर्वक सभी आश्रमों से मुक्ति-प्राप्ति, गृहस्थ की बड़ाई, दश लक्षण वाला धर्म सेवनीय है	७९-८४
गृहस्थ में ही संन्यासफलप्राप्ति, संन्यासी को वेद न त्यागना, संन्यास से मुक्ति, संन्यासधर्म का उपसंहार, राजधर्मवर्णन की प्रतिज्ञा	८५-८७

सप्तमाऽध्याय में-

राजधर्मवर्णन की प्रतिज्ञा, राजा के बिना हानि, राजोत्पत्तिका प्रयोजन, राजा का दैव बल, सूर्यादि के उतान तैज, राजा का प्रभाव, राजनियम का मान्य, दरुड की उत्पत्ति	१-१४
---	------

विषय	श्लोक-
दण्ड की बड़ाई, न्यायपूर्वक दण्ड चलाना, दण्ड न हो तो हानि, अनुचित दण्ड देने से राजा प्रजा का नाश	१५-२९
सूढत्वादिदोषयुक्त राजा दण्ड को न्यायपूर्वक नहीं दे सकता, किन्तु पवित्र सत्यवादित्वादि गुणवान् ही दे सकता है, स्वराज्य परराज्यादि में वर्तव्य का भेद, इस प्रकार के राजा के लाभ, विपरीत की हानियाँ, उत्तम राजा के कर्तव्यवर्णन की पुनः प्रतिज्ञा, राजा को ब्राह्मणादि बृद्धों का मान्य करना, उन से विनय सीखना, अविनय से हानि और विनय के लाभ	३०-४०
“प्रतिम २ श्लोकों में विनय अविनय के ऐतिहासिक प्रमाण”	४१-४२
राजा की त्रयीविद्यादि सीखना, जितेन्द्रिय होना, काम के १० और क्रोध के ८ व्यवहारां से बचना, लोभ १८ हों का मूल है, किन लक्षणों के ७ वा ८ मन्त्री रखने, उन से मन्त्र (सलाह) करना	४३-५६
मन्त्रियों से मन्त्र करने की रीति, उन का विश्वास करना, अन्य अधिक अप्रैक्षित मन्त्री बढ़ाना, दूत का वर्णन, लक्षण, बड़ाई और दूत से स्वयं सावधान रहना	५७-६८
राजा कैसे देश में बसे, छः प्रकार के दुर्ग (किले), सब दुर्गों में पहाड़ी दुर्ग की उत्तमता, जहाँ दुर्गों में से किन २ के सहारे से शृगादि कौन २ बचते हैं, दुर्ग के लाभ, दुर्ग की सामग्री, उस में राजगृह और उस में पत्नीसहित रहना	६९-७७
राजा को पुरोहित रखना, ब्राह्मणसत्कार, आप्तपुरुषों से राजकर उगहवाना, कार्यकर्ताओं पर अध्यक्ष (इन्सपेक्टर) रखना, समावर्तित ब्रह्मचारियों का सत्कार, ब्राह्मणसत्कार में व्यय किये धनादि की सफलता	७८-८६
संग्राम में कोई ललकारे तो पीछे न हटना, युद्ध में न हटने वालों की सद्गति, छूट हथियार आदि से न लड़ना, नपुंसकादि किन २ पर शस्त्र न चलाना, रथादि वस्तु जो २ घोड़ों जीते उस २ को दे देना, वे घोड़ा छूट में से राजा को भेंट दें	८७-९८

विषय

श्लोक-

- अलब्ध लाभान्दि ४ चेष्टा, नित्यदण्ड की उद्यत रखना आदि, छल न करना और शत्रु के छल को समझना, अपने छिद्र छिपाना, शत्रु के छिद्र जानना, बक, सिंह आदि के सी वृत्ति रखना, शत्रुवशा करण, सामान्दि ४ उपाय, प्रजा को सुताने से राजा का नाश ९९-११२
- राज्यरक्षार्थ देश विभाग करके काम बांटना, नीचे के शासक ऊपर वालों को सूचना दे, राजा के देय पदार्थ ग्राम का शासक प्राप्त करे, छोटे बड़े शासकों की कितनी कितनी जीविका हों, उन पर राजमन्त्री दृष्टि रखे, बड़े बड़े नगरों में प्रधान शासक रखना, रिशवत न चलने देना, छोटे नोकर चाकर स्त्री आदि की प्रतिदिन की मजदूरी देना और वेतन विभाग ११३-१२६
- व्यापारियों से कर लेने का विचार, किस वस्तु पर कितना कर लगाना, शिल्पी लोगों से क्या कर लेवे, अधिक कर से न दबावे, मन्त्र और क्रूर दोनों भाव रखे १२७-१४०
- अपने को रोगादि ही तो मन्त्री से काम ले, प्रजारक्षा न करने की निन्दा, ब्राह्मसुहृत् में उठना, सन्ध्या अग्निहोत्र ब्राह्मण शुश्रूषा करना, राजसभा में जाकर प्रजा के व्यवहार (मुकदमों) देखना प्रजा को विसर्जन करके एकान्त देश में मन्त्र करना, गुंगे बहरे आदि को मन्त्रसमय दूर भगाना परन्तु आदर पूर्वक सन्त्रियों की परस्पर विरुद्ध सम्मतियों से सार निकालना, कन्या और कुमारों पर राजा का कर्तव्य, दूत भेजना, कार्यशेष को जानना १४१-१५३
- आदान विसर्गादि ८ कर्म, ५ वर्ग आदि का विचार, शत्रु मित्र उदासीन की चेष्टाओं पर ध्यान, असात्य आदि ७२ प्रकृतियों का वर्णन, सामान्दि उपायों का प्रयोग, सन्धि विग्रहादि ६ गुण, सन्धि-विग्रहादि के अवसर और भेद १५४-१६२
- कब सन्धि, कब विग्रहादि, कै र प्रकार के करने, यदि मित्रों में भी भीतरी दुर्भाव देखे तो उन से भी लड़े १६३-१७६
- मित्रादि अधिक न बढ़ावे, वर्तमान और भविष्यत् का विचार रखे, चढ़ाई कैसे समय में किस प्रकार करे, चढ़ाई के समय अन्य मित्रोदासीनादि से कैसा व्यवहार रखे, दांड शकटादि व्यूह रचना और आप पद्मव्यूह में रहे १७७-१८८

विषय

श्लोक—

सेनापति सेनाध्यक्ष के संग्राम में कार्यभाग, कैसे २ स्थान में किन २ साधनों से लड़े, कुरुक्षेत्रादि वीरभूमि के वीरों को आगे रखे, उन्हें प्रसन्न रखे, लड़ते हुवों पर भी दृष्टि रखे, शत्रु के भोजनादि को बिगाड़े, शत्रु के मन्त्री आदि को फोड़े, यथाशक्ति युद्ध को बचावे, जीतकर ब्राह्मणों का सत्कार करे, अभय की डैाड़ी पिटवावे, जीते हुवे राजा को गद्दी से उतार कर उसी वंशके योग्य पुरुषको बैठावे १८९-२० शत्रु के प्राचीन रिवाजों का प्रमाख माने, रत्नों से शत्रु का सत्कार करे, देने से सब प्रसन्न और लेने में अप्रसन्न होते हैं, दैव की चिन्ता न करे, सानुप में यत्न करे वा शत्रु से मिल कर लौट आवे, किस प्रकार के मनुष्य को मित्र वा पाष्णिप्राहादि बनावे, शत्रु मित्र उदासीन के लक्षण, अपनी रक्षा के लिये उत्तम से उत्तम भूमि को भी त्याग दे २०३-२१२

धन स्त्री आत्मा में उत्तरोत्तर रक्षा, बहुत आपत्तियों में सासादि सब उपाय एक साथ करना, राजा का व्यायाम, स्नान, अन्तःपुर में विश्वासपात्रादि के हाथ का भोजन, भोजन में विष की परीक्षा, भोजन शयनादि में यत्न रखना, स्त्रीकीटा, फिर वाहनायुधादि की संभाल, सायं सन्ध्या करके बाहर के गुह्य विचार और सूचनाओं का सुनना, फिर भोजनार्थ अन्तःपुर में जाना २१३-२२६

अष्टमऽध्याय में

व्यवहार (मुकहमे) देखने में मन्त्रियों की सहायता लेनी, शास्त्रीय और लौकिक हेतुओं से निश्चय करना और ऋण न देना आदि १८ विवाद के स्थान १-७

सनातनधर्मानुसार निर्णय करना, राजा स्वयं न करे तो विद्वान् ब्राह्मण से निर्णय करावे, उस अधिकारी और अन्य ३ सभ्यों की सावधानी और सावधानी न करें तो उन को दोष ८-१२ या तो सभा में न जावे, जावे तो धर्मानुसार कहे, विपरीत कहने वा चुप रहने का दोष, धर्म का महत्त्व, अधर्म करने से राजा मन्त्री साक्षी आदि को दोष के भाग, शूद्र को न्यायामन न देना १३-२०

विषय

श्लोक

राज्य में शूद्रवृद्धि न होने देना, न्यायासन पर बैठने का प्रकार, क्रमपूर्वक कार्य (मुकद्दमे) देखना २०-२४

चेष्टा आकारादि से हृद्गत भाव पहचानना, बालकों वा स्त्रियों आदि के स्वत्व की राजा समावर्तनादि तक रक्षा करे, जीवती स्त्रियों का भाग छीनने वाले कुटुम्बियों को चौरदण्ड, नष्ट-स्वामिक द्रव्य की रक्षा, उसके लौटाने में खान बीन, उस में से राजभाग लेना और उसकी रक्षा करना इत्यादि २५-३६

ब्राह्मण को धरा दवा धन मिल जावे तो स्वयं रक्खे, राजा को मिले तो आधा दान करे, चोरी का माल राजा स्वयं न ले, जाति-धर्मादि के अनुसार विचार करना, राजा वा राजपुरुष स्वयं मुकद्दमे न उत्पन्न करें, अनुमान से न्याय में कास लेना, सत्य साक्षी, देशकालादिक का विचार, देशधर्मादि के अविरोध से निर्णय करना ३७-४६

उत्तमर्ण का धन अधमर्ण से दिलाना, नटने वाले को दण्ड, अधमर्ण नटे तो उत्तमर्ण को प्रमाण देने चाहिये, राजपुरुष अधमर्ण से प्रश्न (जिरह) करे, सिद्ध न कर पावे तो धन न पावे, नालिश क के फिर पैरवी न करे तो दण्ड, १॥ माम तक उपस्थित न हो तो हार जावे, नटने वाले को नटने अनुसार दण्ड इत्यादि ४७-६०

कैसे लोग साक्षी करने, कैसे न करने कौन साहययोग्य है, कौन नहीं, बाल वृद्ध रोगी आदि को साह्य में स्थिरमति न मानना, साहसादि में उक्त लक्षण के ही साक्षियों की आवश्यकता नहीं, साक्षियों के परस्परविरोध में राजा का कर्तव्य ६१-६४

साक्षी को धर्मविरुद्ध असत्य से बचना, राजसभा में आये साक्षियों से साह्य लेनेका प्रकार, सत्य साह्य की स्तुति, असत्य को निन्दा ६५-८४

साक्षी असत्य कहते हुये यह न समझे कि हमें कोई देखता नहीं, ब्राह्मणादि वर्णों से भिन्न प्रकार साह्य पूछे, असत्य से बचने के लिये साक्षी को कई प्रकार के शपथ करना, सत्यवादी की प्रशंसा ८५-१०२

किसर साह्य में झूठ बोलने से कितनेर बान्धवों के मारने का पाप है, भिन्न पदार्थों के असत्यसाह्य में भिन्न २ पाप, गौरवकादि विषयों से शूद्र के समान साह्य पूछे, दो श्लोक अधिक भी १०१-१०२

विषय	श्लोक
"शूद्रादि के धचाने को असत्य साक्ष्य में दोष नहीं प्रक्षिप्त"	१०३-१०४
"किन्तु वे असत्यवादी एक प्रकार का प्रायश्चित्त हीस करे" प्रक्षिप्त	१०५-१०६
साक्ष्यत्व दे नकने की अवधि (नियाद), साक्षी न हों तो शपथ से निश्चय करना	१०७-१०८
"शपथ (कसम) करने में इतिहासप्रसाध" प्रक्षिप्त	११०
झूठा शपथ न करना, करने से नाश	१११
"स्त्री आदि के निमित्त झूठ शपथ भी करे" प्रक्षिप्त	११२
ब्राह्मणादि वर्णों को भिन्न शपथ न करावे	११३
"सत्यपरीक्षार्थ अग्निदाहादि न लगे तो सत्य जाने" प्रक्षिप्त	११४-११६
असत्य साक्ष्य के निर्णय अनिर्णय हैं; जिस साक्ष्य में जोर जित्तर	
कामादि कारण से असत्य बोले उसको भिन्न दण्ड	११७-१२२
दण्ड के हस्तच्छेदादि १० स्थान, ब्राह्मण को न्यून दण्ड, अधर्म	
दण्डादि की निन्दा, वाग्यदण्डादि ४ दण्ड	१२३-१३०
असुरेणु से लेकर उत्तम साहित्य पर्यन्त विविध छिक्के, संज्ञा, नाप वा तौल, व्याज लेने का प्रकार, धरोहर (अमानत), गिरवी, आड़ आदि का निर्णय	१३१-१४८
आधि, सीमा आदि भांगने से नहीं छुटती, अधवृद्धि का भोग, वृद्धि (व्याज) के प्रकार और परिमाण, ऋण का कामज आदि बदलवाना, प्रतिभू (जगनिन) आदि हीना पिता का पुत्र पर आवश्यक नहीं, देने की जमानत दायियों से भी दिलानी, जमानत के अन्य विचार	१४९-१६२
सत्त, उन्मत्तादि के चलाये मुकद्दमे नहीं चलते, कानून विरुद्ध शर्त सत्य न होगी, छलकत गिरवी आदि लौटाने योग्य हैं, कुटुम्बार्थ ऋण लेने वाला मर जावे तो अलग हुवे दायियों को भी देना चाहिये, कुटुम्बार्थ पुत्रादिकत लेन देन का भार कुटुम्बी पर है, बलात् कराये दान भोग आदि अकृत हैं, तीन पदार्थ बलेश पाते, चार समुद्गु होते हैं, राजा अग्र्यात् न ले, ग्राह्य न छोड़े, राजा की यमवृत्ति, अधर्मी राजा का नाश	१६३-१७४
राजा का संयम, ऋणी का ऋण दिलाना, धरोहर कैसे पुरुष के यहां रखनी, धरोहर के मुकद्दमे	१७५-१८६

विषय

श्लोक

जो जिस वस्तु का स्वामी नहीं वह उसको बेच डाले, तो उस के न्याय, भोग, कब्जा आदि विवादनिर्णय, छलविक्रय, छलकृत कन्यादान, ऋत्विजों की दक्षिणा का विवाद निर्णय, दान का लौटाना वा न देना	१९७-२१३
वेतन न देने के विवाद, प्रतिज्ञा भङ्गविवादनिर्णय, बेचने खरीदने में नापसन्द का १० दिन में लौटा सकना, दुष्टा कन्यादान पर दण्ड, काम ठहर कर नापसन्द रहने के निर्णय, गोस्वामी गोपाल आदि के विवाद, ग्राम की छुटी भूमि, खेत की बाह, उस पर चरने से पशुपालादि का विवाद	२१४-२४४
सीमाविवादनिर्णय, सीमाच्छिद् सान्नी, सीमा कमीशन इत्यादि विवाद निर्णय, दण्ड आदि	२४५-२६४
वाक्पारुष्य (गाली) आदि का विवादनिर्णय	२६५-२७७
दण्डपारुष्य-अङ्गच्छेदनादि दण्डविवरण, फौजदारी के विवाद, रथी की हानि आदि, रथ से किसी की हानि, इत्यादि	२७७-३००
चोरी के विवाद का निर्णय, राजा की अवश्य रक्षा करना, अरक्षक राजा को दोष, भिन्न चोरियों के भिन्न दण्ड	३००-३४४
साहितिक बलात्कारादि पर राजकर्त्तव्य, आततायिवध, परस्त्री-गमनादि में राजदण्ड, कन्यादूषण का नियम, भिन्न वर्णों के व्यभिचार में दण्ड में	३४५-३७८
“ब्राह्मण अवध्य है” प्रतिज्ञा	३७८-३८९
परस्त्रीगमन में ब्राह्मणादि के दण्ड भेद, ऋत्विज का त्याग, पिता माता आदि के त्याग पर राजदण्ड	३८२-३८८
वानप्रस्थों के विवाद में दण्ड न देकर समझाना, सत्कारार्ह के सत्कार न करने पर राजा की ओर से शिक्षा सूत और जुलाहे के निर्णय, राजा के विक्रीय द्रव्यों का विचार, क्रयविक्रय में राज-नियम, भाव नियत करना, नाप तोल बाट आदि की परीक्षा	३९०-४०३
पुल वा नौका के महसूल इत्यादि	४०४-४०९
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों की वृत्ति में राजा का हस्तक्षेप, शूद्रों (दासों) के ७ भेद, इत्यादि	४१०-४१८
राजा की कोषादि निरीक्षण में बाधधानी, धनीराजा की मुक्ति	४१९-४२०

विषय

श्लोक

नवमाऽध्याय में-

स्त्री पुरुष के धर्म, स्त्री की परतन्त्रता, स्त्री की रक्षा, जाया शब्द का निर्घचन, स्त्रीरक्षा के काम वा उपाय, स्त्री के ६ दूषण	१-१३
"स्त्रियों की वृथा भिन्दा" स्त्रीधर्म का उपसंहार	१४-२५
सन्तानधर्म-सन्तान में स्त्री की बड़ाई, क्षेत्र बीज का वर्णन	२६-४१
"पर स्त्री में बीज न बेने के लिये इतिहास" प्रक्षिप्त	४२-४४
स्त्री पुरुष की एकाङ्गता, कन्यादानानि ३ कार्य का १ ही वार होना, क्षेत्र बीज आदि विवाद	४४-५५
स्त्रियों का शापधर्म नियोग का निर्णय "वेन कथा" प्रक्षिप्त	५६-६८
देवर से नियोग, उस की विधि, कन्या का पुनर्दान न करना, स्त्री की वृत्ति करके परदेश जाना, परदेशगत की प्रतीक्षा की अवधि, स्त्री की प्रतीक्षा की अवधि	६९-७७
स्त्रीपरित्याग, उस के समय की मर्यादा	७८-८४
"अश्वर्णाविवाह में स्त्रीसत्कारभेदादि" प्रक्षिप्त	८५-८७
कन्यादान का समय, वर परीक्षा, स्वयंवर	८८-९२
"ऋतुसती कन्या के हरण का वर्णन" प्रक्षिप्त	९३-९४
स्त्री पुरुष की धर्मानुसार सहस्रिथिति	९५-९६
कन्याविक्रय का निषेध, स्त्री पुरुषों का परस्पर व्यभिचारत्याग	९७-१०२
दायभाग-माता पिता के पश्चात् ही पुत्र स्वामी है पिता के धन में ज्येष्ठ पुत्र की श्रेष्ठता, ज्येष्ठ का कनिष्ठों के प्रति धर्म, ज्येष्ठ का अधिक दाय, ज्येष्ठ कनिष्ठों के अंगभेद ज्येष्ठ की सेवनीयता	१०३-१२१
"दो स्त्रियों में उत्पन्न पुत्रों के ज्येष्ठ भागादि का निर्णय" प्रक्षिप्त	१२२-१२५
जौड़ियों में कौन ज्येष्ठ है, अपुत्र को पुत्रिका विधान	१२६-१२७
"दत्त प्रजापति की पुत्रियों का पुत्रिकात्व और विभाग" प्रक्षिप्त	१२८-१२९
पुत्र पुत्री की बराबरी, माता का धन पुत्री ले, धैवते का भाग पुत्रिका के पुत्र और निज पुत्र में समता, पुत्रिका का पुत्र न हो तो जामाता धन पावे, पुत्र की बड़ाई दीहिम पुत्रादि कैसे विगडदान का भेद करें दत्तपुत्र का भाग	१३०-१४२

विषय

श्लोक-

नियुक्तापुत्र के भाग, आतृस्त्री का धनादि सन्तान होने पर उसे ही दे देना आदि	१४३-१४९
"असवर्णाविवाहजनित सन्तानों के भागादि" प्रतिषेध	१४८-१५८
१२ प्रकार के पुत्र, उनके भाग, औरस पुत्र की बड़ाई, कुपुत्रनिन्दा औरसादि १२ पुत्रों के लक्षणआदि	१५९-१८१
भाइयों में एक की सन्तान से सब का सपुत्रत्व, कई स्त्रियों में १ के पुत्र ही तो सब का सपुत्रीत्व, पुत्रों में नीचोच्चत्व से भागभेद, अपुत्र के मरने पर दायभागी, किस अपुत्र का दाय राजा ले, पुत्रों के भागविवाद में निर्णय, स्त्री मरने पर भर्ता का धन हो	१८२-१९६
स्त्रीधन के अन्य निर्णय, स्त्रियों के आभूषण को न बांटना, दाय-भाग के अनधिकारी, माता पिता और भाइयों के भाग, वस्त्रादि कई वस्तु बांटने योग्य नहीं	१९७-२२०
द्यूत और समाह्वयकाभेद, द्यूतादि क्रीडकों, रिश्वतखोरों, छल से शासन करने वालों, प्रजादूषकादिकों, को दण्ड, अपील नामंजूर करना, मंजूर करना, अन्यायपूर्वक निर्णयकारी अमात्यादि को दण्ड और सुकृद्दमा फिर से करना ब्रह्महत्यारे आदि ४ महापातकियों को दण्ड, उस दण्डधन का राजा क्या करे, ब्राह्मणों के बाधक का निग्रह, अवध्यवधादि से राजा को बचना, १८ विवादों का उपसंहार	२२१-२५०
राजा को न्यायपूर्वक प्रजारघा करते हुवे राज्यबहुवादि उपाय, प्रकाश और अप्रकाश दो प्रकार के तस्कर, उन का पता लगा कर शासन, समाप्याज चौराहे आदि पर चौकी बैठाना, वहां के तस्करों का निग्रह दमन और दण्ड	२५१-२६९
मालसहित ही चौर को दण्ड देना, चोरों के सहायकों का निग्रह, स्वधर्मत्यागियों को दण्ड, यथाशक्ति राजा की सहायता न करने वालों को आसघातादि में दण्ड, राजकोष के चोरों सैध लगाने वालों, अग्नि लगाने वालों, जलभेदकों इत्यादिकों को दण्ड	२७०-२८०

विषय	श्लोक-
तडागादि के जलचोर, राजमार्ग में सैला गेरने वाले चिकित्सक पुल आदि तोड़ने वाले, बराबर के मूल्य से घटिया वस्तु देने वाले इत्यादि के भिन्न दरद	२५१-२५९
जेलघर मार्ग पर बनवाने, छारदिवारी तोड़ने वाले-मारणादि प्रयोग करने वाले-अबीजविक्रयी आदि-चोर सुनार खेती का सामान चुराने वाले-शस्त्र वा औषध के चोर इत्यादिके दरद	२६०-२६६
स्वामी अमात्यादि ९ प्रकृति, चार (शुभदूत) आदि रखना, सदा आरम्भ रखने वाले को लक्ष्मीलाभ, राजा ही युग है, इन्द्र सूर्यादि के तेजोघृत्त पर राजा चले, ब्राह्मणों के कोप से बचे	२६७-३१३
" ६ श्लोकों में ब्राह्मणों की असंभव प्रशंसा " प्रक्षिप्त	३१४-३१९
राजा का शासन ब्राह्मण ही कर सकते हैं, ब्राह्मण क्षत्रियों को मिल कर काम करना, राजा का वानप्रस्थ, राजधर्म का उपसंहार, वैश्यधर्म का व्यौरेवार वर्णन, शूद्रधर्म का वर्णन	३२०-३३६

दशमाऽध्याय में-

ब्राह्मण अन्य सब वर्णों को स्ववर्णधर्म शिक्षादि दें, अन्य केवल शिक्षा ग्रहण करें, ब्राह्मणप्रभुता, चार वर्ण, स्ववर्ण में उत्पन्न सन्तान का जातिवर्ण, हीनवर्णोत्पन्न सन्तानों का वर्ण, उनके अस्त्रादि भेद, वर्णसङ्करों का उपसंहार	१-२४
अनुलोमप्रतिलोमज संकीर्ण योनिसूत वैदेह चण्डाल आदि भेद	२५-४१
तप और वीजादि के प्रभाव से उच्चनीचता, क्षत्रियों की अधम जातियें पौरुहक कम्बोजादि, दस्यु, इन सब की जीविकाओं के भेद	४२-५६
वर्णसङ्करादि की पहचान, अधिक वर्णसङ्कर वाले राज्य का नाश, ब्राह्मण के प्राणरक्षादि कर्तव्यों के प्रभाव से पतितों की उच्चता, अहिंसादि चातुर्वर्ण्यधर्म, शूद्रादि का ब्राह्मणत्वादि वा ब्राह्मणादि का शूद्रत्वादि को प्राप्त होना, आर्य से अनार्य वा अनार्य से आर्य में उत्पन्न सन्तान का अधिकार, वीज और योनि का बलाज्वल	५७-९२
अनार्य आर्यकर्मी वा आर्य अनार्यकर्मी में विवेक, ब्राह्मणादि के पट्ट कर्मादि, वर्णधर्म और आपद्धर्म	९४-९४

विषय

श्लोक

“बहुत से व्यापारों को वृथा वर्जित करना” प्रक्षिप्त ८५-९४
 नीचे की ऊंच जीविका न करना, शूद्र के आपद्धर्म, “ब्राह्मण की
 आपत्ति में वृत्ति” ९५-१०८
 प्रतिग्रह की निन्दा, जप होम शिलोच्छादि वृत्ति, राजा से ब्राह्मण
 जीविका कब २ सांग सकता है, दाय आदि ९ धर्म्य धनागम,
 विद्या शिल्पादि १० जीविकार्ये, ब्राह्मण क्षत्रिय को व्याज न
 खाना, आपत्ति में क्षत्रिय को व्याज खाने का नियम, क्षत्रिय
 को वैश्यदि से बलिग्रहण १०९-१२०
 शूद्र की उच्च सेवा में प्रशंसा, धर्मात्मा शूद्रों की प्रशंसा, उच्चता,
 शूद्र को धन सञ्चय का निषेध, वर्णधर्म का उपसंहार, प्रायश्चित्त
 की प्रतिज्ञा १२१-१३१

एकादशाऽध्याय में-

नव ९ प्रकार के स्नातक धर्मभिक्षुक हैं राजा को इन का सत्कार
 करना, सत्कार की प्रशंसा, सोमयाग का अधिकारी कौन है,
 कुटुम्बादि का प्रोषण न करके यज्ञादि पुण्य की निन्दा, यज्ञ
 रुका ही तो यजमान ब्राह्मण को वैश्य से राजा धन दिलावे,
 शूद्र से या अन्यो से भी सहायता कराना १-१९
 देवधन और असुरधन, ब्राह्मण को राजा क्षुत्पीडा से बचावे,
 यज्ञार्थ शूद्र से धन सांगने का दुष्फल, देवधन हरणादिकी
 निन्दा, अनापद्ध में आपत्कर्म की निन्दा २०-३०
 ब्राह्मण को कोई सतावे तो यथाशक्ति ब्रह्मबल से ही रोके, राजा
 से निवेदन न करे, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र किन उपायों से
 आपत्त का निवारण करें ३१-३४
 ब्राह्मण की श्रेष्ठता के कारण, कन्यादि होता नहीं हो सकते, दक्षिणा
 न देने पर अनादिताग्निपना, दक्षिणा का संकोच हो तो अन्य
 पुण्य करे-यज्ञ का नाम न ले, अग्नि के अपवैध विहित कर्म
 का त्याग, निषिद्ध का अनुष्ठान करने से प्रायश्चित्त, विना जाने
 वा जाने कर्म के भी प्रायश्चित्त ३५-४६

विषय	श्लोक
प्रायश्चित्त पर विचार, प्रायश्चित्त न होने तक अलग रहना, पूर्व जन्म वा इस जन्म के प्रायश्चित्तियों के कुनस होने आदि लक्षण, ब्रह्महत्यादि ४ महापातक और अन्यकर्म जो महापातकों के समान हैं	४७-५८
गोवधादि उपपातकों की गणना	५९-६६
जातिभ्रंशकर ३ कर्म, सङ्करीकरण, अपात्रीकरण, मलिनीकरण कर्म	६७-७०
ब्रह्महत्या के प्रायश्चित्तों के भेद	७१-८६
भ्रूणहत्या, यजमानवध, इत्यादि में यही ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त जानकर ब्रह्महत्या करने का उपाय नहीं, मद्यपान का प्रायश्चित्त मद्यकी निन्दा, मद्य के भेद, मद्य मांसादि यक्षरक्षः पिशाचान्न है, मद्यपान की हानियाँ	८७-९८
सुवर्ण की चोरी, उस के दण्ड प्रायश्चित्तादि	९९-१०२
गुरुपत्नीगामी के प्रायश्चित्त तप आदि	१०३-१०६
उपपातकियों के प्रायश्चित्त, गोवधादि का प्रायश्चित्त	१०७-११६
अन्यों की भी गोवध का प्रायश्चित्त, ब्रह्मचर्य नष्ट करने वाले और जातिभ्रंशकर कर्म का प्रायश्चित्त	११७-१२४
सङ्करीकरण और अपात्रीकरण तथा मलिनीकरण के प्रायश्चित्त, अन्य वर्णों के वधमें ब्रह्महत्याकी अपेक्षा अशून्यून प्रायश्चित्त इत्यादि	१२४-१३०
सार्जारादि के वधों के प्रायश्चित्त भेद	१३१-१४४
अभक्ष्यभक्षण के प्रायश्चित्त, वाग्शी मदिरापान प्रायश्चित्त	१४६-१५८
पुनः संस्कार में क्या २ काम प्रथम संस्कार से न्यून हों	१५९
अभोज्यों के अन्न, उच्छिष्ट, मांस या अन्य अभक्ष्य, अत्यन्त खड़े सड़े द्रव्य, जन्तुओं के मूत्र पुरीष, ककक, शुष्कमांस इत्यादि भक्षण पर प्रायश्चित्त	१५२-१५५
“ऋतयादि के भक्षण पर प्रायश्चित्त” प्रक्षिप्त	१५६-१५८
विडालादि के उच्छिष्टादि खाने पर प्रायश्चित्त	१५९-१६०
धान्यादि चुराने, मनुष्यों के हरण, भक्ष्य, वृण, काष्ठ, मलिसुक्तादि, धातु, कर्पास इत्यादि चुराने के प्रायश्चित्त व्रत	१६१-१६८
अगम्यागमन के प्रायश्चित्त व्रतादि	१६९-१७८
पतितों से मेल संवासादि के प्रायश्चित्त	१७९-१८१

विषय	श्लोक
"पतित का ऊर्ध्वदेहकृत्यादि निर्णय" प्रक्षिप्त	१८५-१८८
प्रायश्चित्तीय होकर प्रायश्चित्त न करने वालों का संगत्याग, ब्राह्म- हत्यादिकारकों से प्रायश्चित्त करने पर भी संगत्याग, सौवि- त्रीपतियों, अन्य कुकर्मी द्विजों, निन्दिताजीवी ब्राह्मणों, अस- त्प्रतिग्राहियों, व्रात्यों को यज्ञ कराने वालों, शरणागत के त्यागियों, इत्यादिकों के प्रायश्चित्त व्रतादि	१८९-१९८
कुत्ते आदि के काटखाने, अपाकृत्य भोजन, सरयानादि निन्दित- यानपर सवारी करने, वेदोदित कर्मत्याग, स्नातक के व्रत- लोप, ब्राह्मण को धसकाने आदि के प्रायश्चित्त	१९९-२०५
"ब्राह्मण को धसकाने आदि का दुष्फल" प्रक्षिप्त	२०६-२०९
ब्राह्मण के रक्तनिपातनान्त कर्म, अनुक्त प्रायश्चित्तों का देश कालादि विचारपूर्वक प्रायश्चित्तकल्पना	२१०-२१८
प्रायश्चित्तार्थे व्रतों में क्या २ उपाय करने होते हैं	२१०
प्राजापत्य, कच्छ, सान्तपन, अतिकच्छ, तप्त कच्छ, पराक कच्छ, चान्द्रायण	२११-२१९
व्रतियों को किन नियमों से रहना चाहिये, तप की बड़ाई	२२०-२४४
वेदाभ्यास, जप, ज्ञान की बड़ाई "रहस्य प्रायश्चित्त"	२४५-२५२
तत्समन्दीयादि सूक्तजपों के विधान फल प्रयोगादि	२५३-२५६

द्वानुशास्यध्याय में-

"भृगुसंवाद" प्रक्षिप्त	१-२
कर्म का प्रवर्तक मन है, मन वचन देह के कार्य तीनों का भोग- साधन, फल, योनि, संयमी को सिद्धि, क्षेत्रज्ञ और भूतात्मा, जीव, शरीरोत्पत्ति के वर्णन	३-१६
धरयातनाभोग, फिर सात्राओं में लय, उन्नति, स्वर्गप्राप्ति, नरक- प्राप्ति, धर्म में ही मन लगाना, सत्त्वादि ३ गुण, सब श्रुतों का गुणों से षण्मात्र होना	१७-२६
३ गुणों की पहचान, तीनों गुणों की तीन तीन=९ गति	२७-५२
किस २ कर्म से क्या २ योनि मिलती है, उनके अनेक दुःख	५३-८२

विषय	श्लोक
वेदाभ्यासादि नैश्रेयसकर्मों का वर्णन, प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग,	
वेद चक्षु है, वेदविरुद्ध स्मृति असामान्य तथा न.श्वर हैं	८३-८६
सब कुछ चातुर्वर्ण्यादि वेद से प्रसिद्ध हुवा है, वेद सर्वाधार है. सब अधिकार वेदज्ञ को योग्य हैं, वेदज्ञ दुष्ट कर्म से बचता है, वेदज्ञ की मुक्ति, ज्ञान की अपेक्षा उच्च नीचता का तारम्य	८७-१०३
तप और विद्या का फल, प्रत्यक्ष अनुमान और शास्त्र को जानना उचित है, जिन धर्मों का शास्त्रों में वर्णन न हो वहाँ शिष्ट ब्राह्मणवचन प्रमाण, शिष्ट ब्राह्मण का उत्तरण	१०४-१०८
१० वा ३ विद्वानों की सभा वा १ भां विद्वान् का धर्म में प्रामाण्य अज्ञानी बहुतों का भी अप्रामाण्य, सूर्यनिर्धारित धर्माभास का दुष्ट फल, धर्मानुयायी की मुक्ति, आत्मज्ञान	११०-१२५
"फलश्रुति"	१२६



निवेदन

मनु के भाषानुवाद की धर्मजिज्ञासुओं को जितनी अधिक आवश्यकता है, उसे जिज्ञासु ही जानते हैं और सम्प्रति मनु पर अनेक संस्कृत टीका और भाषाटीकाओं के होते हुवे भी एक ऐसे अनुवाद की आवश्यकता थी जो सुगम हो, अल्प मूल्य का हो, संक्षिप्त और मूल का आशय भले प्रकार स्पष्ट करने वाला हो, जिसके अर्थों में खेचातानी और पक्षपात न हो। इस पर भी यह जाना जासके कि कितने और कौन २ से श्लोक लोगों ने पश्चात् मिला दिये हैं। यह एक ऐसा कठिन काम है, जैसे दूध में मिले पानी का पृथक् करना। इसी लिये हमने ऊपर लिखे गुणों से युक्त यह टीका छापी है और जो श्लोक हमारी समझ में पीछे से औरों ने मिला दिये हैं, उनको ठीक उसी स्थान पर कुछ छंटे अक्षरों में उपस्थित रक्खा है और " " चिह्न उन के ऊपर कर दिया है तथा संक्षेप से उन के प्रक्षिप्त मानने के हेतु लिख लाते हुवे उस के अर्थ में कुछ हस्तक्षेप न करके अपनी सम्मति () चिह्न के भीतर लिख दी है। जिस में जिन मज्जनों को उन २ श्लोकों की प्रक्षिप्त मानने के हेतु पर्याप्त (काफ़ी) प्रतीत हों, वे अद्वा करें और जिन की दृष्टि में अग्राह्य हों, वे न मानें। क्योंकि हम निश्चिन्त वा सर्वज्ञ नहीं हैं और न मनुष्य सर्वज्ञ हो सक्ता है। इसी से अपनी सम्मति को सर्वोपरि मानकर पुस्तक में से वे श्लोक निकाल नहीं दिये हैं। जहां तक घना छान बीन बहुत की है। कितने ही ऐसे श्लोकों का भी पता लगता है जो अब मूल में से निकल गये, प्राचीनकाल में वे वा अभी सब पुस्तकों में नहीं मिल पाये। हमने उनको भी [] कोष्ठक में रक्खा है। जिन श्लोकों को स्वामी जी ने अपने ग्रन्थों में माना है, उनमें से हमने किसीको प्रक्षिप्त नहीं माना। मुख्यतः के एक पुस्तक से, जिसमें मेधातिथि, सर्वज्ञनारायण, कुल्लुक, राघवामन्द, नन्दन और रामचन्द्र; इन परिश्रमी और प्रसिद्ध टीकाकारों की टीकाओं के अतिरिक्त १-बङ्गाल ऐशियाटिक सोसाइटी। २-उज्जैन के सोरठी बाबा रामभाऊ। ३-उज्जैन के आठवले नाना साहब। ४-९-मुन्शी हनुमानप्रसाद प्रयाग। ८-खण्डवा के रावबहादुर खेरे बल्लात्तज वासुदेवशर्मा। ९-१०-मिरज के महाबल वासन भट्ट। ११-यादव के रामचन्द्र। १२-१४-पूना के ज्योतिषी बलघन्तराव। १५

अहमदाबाद के सेठ बेचरदास जी । १६-शम्भुमहादेव क्षेत्र के जावड़े बलवन्त राव । १७-बङ्गाल ऐति० के मूल पुस्तक । १८-आस्ट्रेलिये के गोविन्द । १९-लगडन का मूल पुस्तक । २०-कलिकाता राजधानी का छपा । २१-मिरज के वानन मह का राघवानन्दी टीका का । २२-बड़ीहे के बाबुदेव । २३-जयपुर के लक्ष्मीनाथ शास्त्री (राघ०) २४-मद्रास के दीवान बहादुर रघुनाथ राव । २५ पूने के गणेश ज्योतिर्विद् २६-पूना के गोखले मह नारायण । २७-जयपुर के लक्ष्मीनाथ शास्त्री का मूलसात्र । २८ सर्वज्ञना० टी० २९-३० आस्ट्रेलिये के गोविन्द राघवा० टीका । इन ३० प्राचीन पुस्तकों का संग्रह किया है; पाठान्तर, पाठाधिक्य, श्लोकाधिक्य आदि का देखभाल कर यथा सम्भव अपनी क्षमति लिखने में सावधानी की है । और अब तक जो कुछ विचार किया उससे " चिन्हयुक्त प्रति अध्याय क्रम से ३५ । ५ ।

१६७ । २० । ४१ ०० । ३। १९ । ४९ । १९ । २० । ४ सब ३२२ श्लोक प्रसिद्ध जान पड़े हैं । परन्तु अभी कई विचारणीय भी हैं । आशा है कि सज्जन पत्र श्रम से प्रसन्न होंगे ॥

मनुस्मृति के प्रथमाध्याय के आरम्भ में ही सब से प्रथम ३० प्रकार के प्राचीन लिखे पुस्तकों में से १९ प्रकार के पुस्तकों में एक श्लोक अधिक प्राया जाता है और श्लोकसंख्या उसपर नहीं है । इससे भी पाया जाता है कि वर्तमान में जो मनुस्मृति का पुस्तक मिलता है, यह मनुप्रोक्त नहीं किन्तु अन्य का बनाया है । इसी में यथार्थ मनु के आशय भी हैं । वह श्लोक यह है:-

स्वयंभुवे नमस्कृत्य ब्रह्मणेऽमिततेजसे ।

मनुप्रणीतान्विविधान्धर्मान्वक्ष्यामि शाश्वतान् ॥ १ ॥

अर्थात्-मैं (सम्पादक) अनन्त तेजस्वी स्वयम्भू ब्रह्मा को नमस्कार करके मनुप्रोक्त अनातन विविध धर्मों का वर्णन करूंगा ॥ अध्याय एक श्लोक २ में " अन्तरप्रमवाणाम् " के स्थान में ३ पुस्तकों में " सङ्ख्यप्रमवाणाम् " पाठ देखा जाता है ॥

अध्याय १ श्लोक ७ में सर्वज्ञनारायण टीकाकार " अतीन्द्रियोऽप्राच्यः " मानते हैं और इसी श्लोक में ८ पुस्तकों में " सएव=सएयः " पाठ देखा जाता है ॥ १ । ८ में कई पुस्तकों का पाठ अभिध्याय=अभिध्यायन् । वीजम्=वीर्यम् । सजम्=अग्निपत, है ॥ १ । ९ में दो पुस्तकों " तस्मिन्=पस्मिन् " पाठ है ।

१।१० से तीन पुस्तकों में “अयनं तस्य ताः पूर्व” पाठ है। १।१० के आगे:-

नारायणपरोठयक्तादण्डमठयक्तसंभवम् ।

अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपाऽत्र मेदिनी ॥

यह श्लोक दो पुस्तकों के मूल में और एक की टीका में देखा जाता है और एक पुस्तक में उक्त श्लोक के स्थान में निम्न लिखित प्राक्तम श्लोक पाया जाता है:-

सहस्रशार्पा पुरुषारुवमथाहुस्त्वनीन्द्रियः ।

ब्रह्म नारायणाख्यस्तु सुष्वाप सलिले तदा ॥

एक पुस्तक में १।११ में “नित्यम्=लोके” देखा जाता है ॥ १।१३ में-
ताभ्यां स शकलाभ्याम्=ताभ्यां च शकलाभ्याम्=ताभ्यां सुशडकपालाभ्यां, भी
देखे जाते हैं ॥ तथा-स्थानं च शाश्वतं=स्थानं प्रकल्पयत-भी है ॥ तथा इस
के आगे निम्नस्थ डेढ़ श्लोक ३ पुस्तकों में अधिक है:-

वैकारिकं तेजसं च तथा भूतादिमेव च ।

एकमेव त्रिधाभूतं महानित्येव संस्थितम् ॥

इन्द्रियाणां समस्तानां प्रभवं प्रलयं तथा ।

१।१५ से आगे:-

अविशेषान्विशेषांश्च विषयांश्च पृथग्विधान् ।

यह अर्ध श्लोक दो पुस्तकों में अधिक मिलता है ॥ १।१६ में १ पुस्तक में
व्याप्य=व्यपि=व्यपयानपि । मात्रासु=मात्रास्तु, देखा जाता है ॥ १।१७ में
पुस्तक में तस्येमानि=तानिमानि, है ॥ १।२५ के १ पुस्तक में वाचं=बल है ॥
१।२७ के १ पुस्तक में सार्धं=विश्वं, है ॥ १।४६ के ७ पुस्तकों में स्थावराः=तरवः,
है ॥ १।५० के १ पुस्तक में-अन्तःसंज्ञा=अतःसंज्ञा, और ४ पुस्तकों में-
अन्तःसंज्ञाः, और दो पुस्तकों में-सुखदुःखसमो=फलपुष्पसमो, पाठ हैं ।
उक्त पाठों से वृक्ष सुखदुःखयुक्त नहीं सिद्ध होते ॥ १।६३ से आगे १ पुस्तक
में और दूसरी में ७० वें श्लोक में यह अर्ध श्लोक अधिक है:-

कालप्रमाणं वक्ष्यामि यथावत्तं निघोषत ॥

१।७८ से आगे ३ पुस्तकों में आगे कहा श्लोक अधिक है:-

परस्परानुप्रवेगाद्धारयन्ति परस्परम् ।

गुणं पूर्वस्य पूर्वस्य धारयन्त्युत्तरीत्तरम् ॥

१। ८५ में युगहामानुसूक्तः=तत्तद्गुणानुरूपतः; पाठ है और इस से आगे १ पुस्तक में निम्नस्थ श्लोक अधिक है, जिसकी व्याख्या केवल रामचन्द्र टीकाकार ने, जो सब से नवीन है, की है। जिससे प्रतीत होता है कि अति नवीन समय तक युग २ के पृथक् २ धर्मों की शिक्षा की मिलावट होती रही है:-

ब्राह्मं कृतयुगं प्रोक्तं त्रेता तु क्षत्रियं युगम् ॥

वैश्योद्वं परमित्याहुः शूद्रं कलियुगः स्मृतः ॥

१। ८७ से आगे दो पुस्तकों में यह श्लोक और अधिक है कि:-

तेषां न पूजनीयोऽन्यस्त्रिषु लोकेषु विद्यते ।

तपोविद्याविशेषेण पूजयन्ति परस्परम् ॥

तथा अन्य दो पुस्तकों में आधा श्लोक और अधिक है कि:-

ब्रह्मविद्यया परं भूतं न क्षिञ्चिदिह विद्यते ॥

१। १०५ से आगे दो पुस्तकों और रामचन्द्रकृत टीका में यह श्लोक अधिक है:-

यथा त्रिवेदाध्ययनं धर्मशास्त्रमिदं तथा ।

अध्येतव्यं ब्राह्मणेन नियतं स्वर्गमिच्छता ॥

२। ५ से आगे दो पुस्तकों में ये दो श्लोक अधिक हैं:-

असद्वृत्तस्तु कामेषु कामोपहतचेतनः । नरकं समवाप्नोति

तत्फलं न समश्नुते ॥ १ ॥ तस्माच्छुनिस्मृतिप्रोक्तं यथाविध्यु-

पपादितम् । काम्यं कर्मैह भवति श्रेयसे न विपर्ययः ॥ २ ॥

३। १५ से आगे भी ३ पुस्तकों में दो श्लोक अधिक हैं, जो हमने उसी स्थान पर लाये हैं ॥ २। ३१ के उत्तरार्ध का ३ पुस्तकों में-

शूद्रस्य प्रेष्यसंयुतम्

पाठभेद है ॥ ३। ३२ में भी एक पुस्तक में:-

राज्ञोरक्षासमन्वितम्=राज्ञोवर्मधमन्वितम् ।

पाठ भेद है ॥ २ ॥ ५१ के अन्तर्गत—पावदर्थ, पाठों में मेधातिथि के भाष्यानुसार भेद है ॥ २ ॥ ६७ वें प्रक्षिप्त श्लोक के पाठ में भी बड़ा अन्तर है कि एक पुस्तक में—

संस्कारो वैदिकः स्मृतः=औपनायनिकः स्मृतः ।

पाठ भेद है । दूसरे एक पुस्तक में—

गृहार्थीग्निपरिक्रिया=गृहार्थीग्निपरिग्रहः ।

पाठ है और अन्य दो पुस्तकों में इसी की जगह—

गृहार्थीग्निपरिक्रिया

पाठान्तर है । तौ क्या ठिकाना है कि यह श्लोक मनुप्रोक्त है ॥ इसी ६७ वें से आगे एक पुस्तक में यह श्लोक अधिक है:—

अग्निहोत्रस्य शुश्रूषा सायमुद्वासमेष च ।

कार्यं पत्न्या प्रतिदिनमिति कर्म च वैदिकम् ॥

ऐसे ही एक पुस्तक में यह श्लोक ११७ से आगे मिलाया गया है कि:—

जन्मप्रभृति यत्किञ्चिच्चैतसा धर्ममाचरेत् ॥

तत्सर्वं विफलं ज्ञेयमेकहस्ताभिवादनात् ॥

एक हाथ से सलाम करने की निन्दा यवनकालीन जान पड़ती है ॥ नन्दन भाष्यकारके मत में “ भोःशब्द कीर्त० ” यह १२४ वां श्लोक १२३ वें “ नामधेयस्य० ” के स्थान में पाया जाता है ॥

इस से आगे १२ वें अध्याय तक पाठ भेद पाठाधिक्य वा जो २ अधिक श्लोक किन्हीं पुस्तकों में पाये गये वे अनुमान ११९ के हैं और उसी स्थान पर [] चिन्ह के भीतर हम छापते गये हैं ॥

एकादशाध्याय में प्रायश्चित्तार्थे जिन २ वेदमन्त्रों के प्रतीक श्लोकों में आये हैं वे २ मन्त्र वेदों के मण्डल सूक्त अध्याय आदि पते खोज कर लिख दिये हैं ॥

इस पुस्तक का विषयसूची पृथक् भी इस लिये छपा दिया है कि यद्यपि अध्याय १ श्लोक १११ से ११८ तक १२ हों अध्यायों का भिन्न २ विषयसूची किसी ने श्लोक बनाकर मिलाया है उसकी भाषाटीका भी हलने की है परन्तु वहां जिन को विस्तार से कोई विषय जानना हो, नहीं जान सकते । बहुत शीघ्र मैंने यह बनाया और छपाया था । इस से बहुत सुधारने पर भी जहां

जहाँ जो कुछ अशुद्धि रह गई हो और पाठकगणको दृष्टि पड़े तो सरलता से मुझे लिखें, आठवीं बार छपेगा उसमें भी और ठीक कर दिया जायगा ॥

इस के अतिरिक्त हेमाद्रि आदि लोगों ने ऐसे कई वचन कहे हैं जो उन्होंने मनुवचन कहके लिखे हैं, परन्तु वे वचन अब मनु में नहीं मिलते। ऐसे वचनों का संग्रह ४६६ श्लोकों के अनुमान ज्ञात हो चुका है। जैसा कि धर्माधिधार में १ स्मृतिचन्द्रिका में ३२ दानहेमाद्रि में ११ व्रतहेमाद्रि में १ ब्राह्महेमाद्रि में ३१ स्मृतिरत्नाकर में ५९ शूद्रकमलाकर में १४ पराशरसाधव में ४७ निर्णयसिन्धु में १५ मिताक्षरा में १९ संस्कारकौस्तुभमें ६ विवाद भङ्गार्णव में १७ नारायणभट्टकृत प्रयोगरत्न संस्कारमयूख में २ व्यवहारतत्त्व में १ दायक्रमसंग्रह में २ श्रीमद्भागवत ३। १। ३६ की टीका में १ शङ्करदिग्विजय १ प्रकर्षमें २ संस्कारमयूख में ४ आचारमयूख में ८ ब्राह्ममयूख में २ व्यवहारमयूख में २ प्रायश्चित्तमयूख में १० और बृहन्मनु के नाम से १७४ बृहन्मनु के नाम से १७ इस प्रकार श्लोक ४६६ हुवे। तथा मेधातिथि के समस्त पाठभेद ५०० के लगभग हैं। कुल्लुक के पाठभेद भी ६५० के ऊपर हैं। राघवानन्द ने भी ३०० से ऊपर पाठभेद माने हैं। नन्दन ने १०० के लगभग पाठभेद माने हैं। इत्यादि अनेक हेतु इस पुस्तक के (जो वर्तमान समय में मिलता है) ठीक २ मनुकृत होने में पूर्ण सन्देहजनक हैं ॥

मेरठ २२। ५। १९१४

तुलसीराम स्वामी

* नोट - अब ८वीं बार छपेगा अशुद्धियों की सूचना इस पतेपर दीजिये
पण्डित बृहन्नलाल स्वामी-स्वामी प्रेम मेरठ

श्री ३म्
श्री परमात्मने नमः
अथ

मनुस्मृति-भाषानुवादः

प्रणम्य जगदाधारं वाक्पतिं परमेश्वरम् । क्रियते
मानवी टीका तुलसीरामशर्मणा (स्वामिना) ॥१॥

मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षयः ।

प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमब्रुवन् ॥ १ ॥

अर्थ-महर्षि लोग एकान्त में विराजमान मनु जी के निकट जाकर (उभ
का) यथोचित प्रतिपूजन कर, यह वचन बोले कि-॥ १ ॥

भगवन्सर्ववर्णानां यथावदनुपूर्वशः । अन्तरप्रभवाणां च
धर्मान्नो वक्तुमर्हसि ॥२॥ त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य विधानस्य
स्वयंभुवः । अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्यतरवार्यवित्प्रभो ॥३॥

अर्थ-महाराज ! संपूर्ण वर्णों और वर्णसङ्घों के धर्मों का यथावत् क्रम
से हम लोगों को उपदेश करने में आप समर्थ हैं ॥ २ ॥ क्योंकि संपूर्ण वेद
(ऋग्यजुः साम अथर्व) के कार्यों (ज्योतिष्टोमादि यज्ञ और नित्यकर्म
संस्कारावन्दनादि) के यथार्थ तात्पर्य के जानने वाले आप एक ही हैं । जो
(वेद) कि अचिन्त्य, अप्रमेय, अनादि=परमात्मा का विधान (कानून है) ॥३॥

स तैः पृष्टस्तथा सम्यगभितौजा महात्मभिः । प्रत्युवाचाचर्य
तान् सर्वान्महर्षीन्ब्रूयतामिति ॥४॥ आसीदिदं तस्मिभूत-
मप्रज्ञातमलक्षणम् । अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥५॥

अर्थ-जब इन महात्माओं ने महात्मा मनु से इस प्रकार प्रश्न किया, तब
मनु जी ने इन सब महर्षियों का सत्कार करके कहा कि अध्वण की जये ४ ॥

यह विश्व (महाप्रलयकाल में) अन्यकारयुक्त और लक्षणों से रहित, सृष्टि के अयोग्य तथा तर्क द्वारा और स्वरूप से जानने के अयोग्य, सब ओर से निद्रा की सी दशा में था ॥

(यहां यह प्रश्न होता है कि ऋषियों ने तौ धर्म पूछा था, मनु जी सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन क्यों करने लगे ? मनु के सब टीकाकारों (१ मेधातिथि, २ सर्वज्ञनारायण, ३ कुल्लूक, ४ राघवानन्द, ५ मन्दन) ने एक छठे रामचन्द्र टीकाकार को छोड़कर यह प्रश्न उठाया है और थोड़े से भाव में भेद करते हुवे प्रायः सब का तात्पर्य उत्तर में यह है कि सृष्टि का वर्णन करते हुवे, चारों वर्णों के धर्म क्रमशः वर्णन करने के लिये प्रथम सृष्टि की उत्पत्ति से आरम्भ करना साङ्गोपाङ्ग धर्म का वर्णन कहा जा सकता है । इस लिये और ब्रह्म-ज्ञान की सब धर्मों में उत्तमता होने से मनु जी ने परमात्मा से जगत् की उत्पत्ति दिखाते हुवे धर्मोपदेश का आरम्भ किया । परन्तु दूसरे श्लोक के आगे अन्य दो श्लोक भी चार प्राचीन लिखित पुस्तकों में देखे जाते हैं और मन्दन तथा रामचन्द्र ने इन पर टीका भी की है । ये हैं :-

[जरायुजाण्डजानां च तथा संस्वेदजोद्भिदाम् । भूतग्रामस्य सर्वस्य प्रभवं प्रलयं तथा ॥१॥ प्राचारांश्चैव सर्वेषां कार्याकार्य-विनिर्णयम् । यथाकालं (कामं) यथायोगं वक्तुमर्हस्यशेषतः ॥२॥]

अर्थात्—जरायुज, अण्डज, स्वेदज तथा उद्भिज्ज और सब प्राणिमात्र की उत्पत्ति और प्रलय ॥१॥ और सब के आचार और कार्य अकार्य का निर्णय, काल (वा इच्छा) और योग के अनुसार समस्त कहिये ॥२॥ तीन पुस्तकों में "कालम्" पाठ देखा जाता है । यदि ये श्लोक प्राचीन माने जायं तो यह संशय सर्वथा नहीं रहता कि ऋषियों ने धर्म पूछा था, मनु जी सृष्टि का वर्णन क्यों करने लगे ? हमारे विचार में तौ जैसे बहुत श्लोक मनु में नये मिल गये, वैसे ही ऐसे २ श्लोक मनु से जाते रहे और किन्हीं २ पुस्तकों में रह गये) ॥५॥

ततः स्वयंभूर्भगवानऽव्यक्तोव्यञ्ज्यपन्निदम् । महाभूतादिवृत्तौ-
जाः प्रादुरासीत्तमोनुदः ॥ ६ ॥ योसावतीन्द्रियग्राह्यः सूक्ष्मो
ऽव्यक्तः सनातनः । सर्वभूतमयोऽचिन्त्यः स एव स्वयमुद्भवौ ॥ ७ ॥

अर्थ- इस (दशा) के अनन्तर उत्पत्तिरहित, सर्वशक्तिमान्, इन्द्रियों से अतीत, (प्रलयकाल के अन्त में) प्रकृति की प्रेरणा करने वाले, महत्तत्त्व (आकाश वायु अग्निजल पृथ्वी) आदि कारकों से युक्त है बल जिसका, उस परमात्मा ने इन को प्रकाशित करके अपने को प्रकट किया । (परमेश्वर का प्रकट होना यही है कि जगत् की रचना और जगत् के लोगों को अपना ज्ञान कराना) ॥ ६ ॥ जो कि इन्द्रियों से नहीं (किन्तु आत्मा से) जाना जाता और परम सूक्ष्म, अठ्यक्त, सनातन, संपूर्ण विश्व में व्याप्त तथा अचिन्त्य है वही अपने आप प्रकट हुआ ७ ॥

सोऽभिध्याय शरीरात्स्वात्सिसृक्षुर्विविधाः प्रजाः । अपएव
ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत् ॥ ८ ॥ तदण्डमभवद्वैमं सह-
स्रांशुसमप्रभम् । तस्मिञ्जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः ९

अर्थ-उस (स्वस्वामिभावसंबन्धसे=मालिक और मिलकियत के लिहाज से) अपने शरीर से नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा करने वाले ने ध्यान करके प्रथम अप तत्त्व ही उत्पन्न किया, उस में बीज को आरोपित किया । (यहां शरीर शब्द से उपादानकारण का ग्रहण है * । परमेश्वर उस का अधिष्ठाता=स्वामी [मालिक] है, इस लिये उसे "परमेश्वर का" कहा गया है) ॥

अप शब्द का अर्थ अप्रत्त्व है, जल नहीं । वास्तव में पञ्च भूतों में से एक भूत जल का अर्थ लेना यहां संगत भी नहीं किन्तु प्रकृति को जब परमात्मा कार्योन्मुख करके सृष्टि को उत्पन्न करना आरम्भ करता है तब जो तत्त्व प्रकृति का सब से पहला कार्य वा सब से पहला परिणाम होता है उसी को " अप्रत्त्व" कहा समझना चाहिये क्योंकि इस के आगे १ । ११ में-

“ यत्तत्कारणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम् । ”

इस श्लोक में अव्यक्त (प्रकृति) का वर्णन प्रकरण में है । उसी को १ । ८ में शरीर कहा है । शरीर से अप को उत्पन्न करना कहा गया है । अप वही वस्तु जान पड़ती है जिस को सांख्य मत में-

प्रकृतेर्महान्

* प्रधानमेव तस्येदं शरीरम्=प्रकृति ही उस पुरुष का शरीर है । मेधा-
तिथि टीकाकार ॥

कह कर महत्तत्त्व संज्ञा दी है। यदि हम अप् का अर्थ जल मात्र लें तो यह किसी शास्त्र वा दर्शन से अनुमोदित नहीं हो सकता ॥ ऐतरेय आरण्यक पृ० ११२ में सायणाचार्य कहते हैं कि—

“अप् शब्देन पञ्चभूतान्युपलक्ष्यन्ते,” (तथा—)

“अप् शब्देन सर्वेषां देहबीजभूतानां सूक्ष्मभूतानां ग्रहणम्”

यह सायणीय वा माधवीय शङ्करदिग्विजय के सर्ग ७ श्लोक ७ की टीका टिप्पणी में कहा गया है। इन दोनों वाक्यों का अर्थ यही है कि अप् शब्द से देह के बीजभूत सब सूक्ष्म भूत समझने चाहिये ॥

ऋग्वेद १० । १२१ । ७ में जो मन्त्र है कि—

आपो ह यद् बृहतीर्विश्वमायन्
गर्भं दधाना जनयन्तीरग्निम् ।
ततो देवानां समवर्त्ततासुरेकः
कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

इस में अप् शब्द के विशेषण—गर्भं दधानाः, अग्निं जनयन्तीः, दक्षं दधानाः, यद् जनयन्तीः आये हैं सो केवल जल साधारण से गर्भ का धारण, अग्नि का उत्पादन, बल का धारण, यद् का उत्पादन नहीं संभव होता, किन्तु प्रकृति की पहली विकृति में ही घट सकता है और यही कारण संस्कृत में 'अप्' शब्द के खीलिङ्ग होने का भी जान पड़ता है। पीछे 'अप्' के जल तुल्य द्रव (रक्तीक) पदार्थ होने से उस का नाम जल पड़ गया और लिङ्ग वही खीलिङ्ग प्रयुक्त होता रहा जान पड़ता है। यही मन्त्र यजुर्वेद २७ । २५ में भी आया है, जिस का भाष्य करते हुवे महीधर ने शतपथ ११ । १ । ६ । १ का प्रमाण दिया है कि—

आपो ह वा इदमग्रे सलिलमेवास ।

इस में भी जगत् की प्रथम कार्यावस्था वाले तत्त्व को ही 'अप्' तत्त्व कहा जान पड़ता है ॥

इसी यजुः २७ । २५ में—स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज ने भी (आपः) = “व्यापिकास्तन्मात्राः” । व्यापक = जलों की सूक्ष्म मात्रा, कहा है और यजुर्वेद ३२ । ७ में पुनः इस मन्त्र का प्रतीक आने पर भी उक्त स्वामी

जी ने (आपः) व्याप्ताः, (आपः) आकाशः अर्थ किया है, जिस से मेरे लिखे सन्ध्या पुस्तकस्थ अर्णवः समुद्रः के अर्थ=जल भरा समुद्र=आकाश अर्थ की पुष्टि होती है। इसी को आकाशतत्त्व भी कह सकते हैं ॥

वास्तव में जगत् की उत्पत्ति के प्रकरण में आपः शब्द योगरूढ है, जो वेदों और अन्य सब शास्त्रों में जहां सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है, बाहुल्य से प्रयोग में आया है, इसी से पौराणिक समुद्र से कमलनाल में ब्रह्मा की उत्पत्ति वाली कथा घड़ी गई जान पड़ती है और इसी से ईसाइयों के उत्पत्ति प्रकरण के वाक्य कि ईश्वर का आत्मा जल पर डोलता था, इत्यादि घड़े गये अनुमान होते हैं ॥८॥ वह (बीज) चमकीला सूर्य के समान अण्डाकार बना था। उसमें परमात्मा (ब्रह्मा) सर्वलोक का पितामह आप प्रकट हुआ (अर्थात् प्रथम उपादान कारण का एक चमकीला गोला सा बनाया) ॥९॥

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः । ता यदस्यायनं पूर्वतेन नारायणः स्मृतः ॥१०॥ यत्तत्कारणमव्यक्तं नित्यं सद-सदात्मकम् । तद्विसृष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मेति कीर्त्यते ॥११॥

अर्थ—अप् को “नाराः” कहते हैं क्योंकि नर=परमात्मा से अप् उत्पन्न हुआ है। वह नारा प्रथम स्थान है जिसका, इस कारण परमात्मा को “नारायण” कहते हैं ॥१०॥ जो सम्पूर्ण जगत् का उपादान और नेत्रादि से देखने में नहीं आता तथा नित्य और सत् असत् वस्तुओं का मूलभूत प्रधान (प्रकृति) है, उस सहित परमात्मा लोक में “ब्रह्मा” कहाता है ॥ ११ ॥

तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम् । स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोद्द्विधा ॥१२॥ ताभ्यां सशकलाभ्यां च दिवं भूमिं च निर्ममे । मध्येव्योमदिशश्चाष्टावपांस्थानं च शाश्वतम् ॥१३॥

अर्थ—उस अण्डे में परिवत्सरसंज्ञक कालपर्यन्त स्थित होकर, उस परमात्मा ने आपही अपने ध्यान से उस अण्डे के दो (कल्पित) टुकड़े किये ॥

(कल्प के समय का १०० वां भाग परिवत्सर जाना। जिस प्रकार १०० वर्ष की सामान्य आयु वाला मनुष्य एक वर्ष के लगभग गर्भ में तैयार होता है, इसी प्रकार यह जगत् भी अपने १०० वें कालभाग तक गर्भ के सी अवस्था में रहा)

॥१२॥ उसने उन दो टुकड़ों से द्युलोक और पृथिवी, बीच में आकाश और आठ दिशा तथा जल का सनातन स्थान बनाया ॥ १३ ॥

उद्ववर्हात्मनश्चैव मनः सहसदात्मकम् । मनसश्चाप्यहंकार-
मभिमन्तारमीश्वरम् ॥१४॥ महान्तमेव चात्मानं सर्वाणि त्रिगु-
णानि च । विषयाणां ग्रहीतृणि शनैः पञ्चेन्द्रियाणि च ॥१५॥

अर्थ—और अपने स्वभूत (मिलकियत) प्रकृति से उस (जगत्कर्ता) ने सङ्कल्पविकल्पात्मक मन और मनसे अभिमानी सामर्थ्य वाले अहत्त्व को उत्पन्न किया ॥ १४ ॥ महान् आत्मा=महत्तत्त्व और रजः, सत्व, तमः और विषयों की ग्रहण करने वाली पांच इन्द्रियां शनैः (उत्पन्न कीं) ॥ १५ ॥

तेषां त्ववयवान्सूक्ष्मान्पणामप्यमितीजसाम् । सन्निवेश्या-
त्ममात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे ॥१६॥ यन्मूर्त्यवयवाः सूक्ष्मास्तस्ये-
मान्याश्रयन्ति षट् । तस्माच्छरीरमित्याहुस्तस्यमूर्तिमनीषिणः

अर्थ—बड़े बल वाले पूर्वोक्त छः ६ (५ इन्द्रियां और १ अहङ्कार=६) के सूक्ष्म अवयवों को अपनी २ मात्राओं (शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध) में योजना करके सब प्राणियों को बनाया ॥१६॥ क्योंकि शरीर के सूक्ष्म छः अवयव (अर्थात् अहङ्कार और पांच इन्द्रियों से पांचमहाभूत=६) सब कार्यों के हेतुरूप होकर उस परमात्मा के आश्रय में रहते हैं, इस कारण उस ज्ञान-स्वरूप परमात्मा के रचित (मूर्ति) जगत् को उस का शरीर कहते हैं । यद्यपि परमात्मा निराकार=शरीररहित है । यह वेदों का सिद्धान्त है । और पूर्व कठे श्लोक में यहां मनु जी ने भी उसे [अव्यक्त] निराकार इन्द्रियातीत कहा है । परन्तु कल्पना की रीति से जैसे शरीर में जीवात्मा रहता है, वैसे जगत् में परमात्मा रहता है । इस एकदेशीय दृष्टान्त से हम सारे जगत् को परमात्मा का शरीर कल्पित कर लिया जाता है । वेदों में इस प्रकार के अलङ्कार की शैली बहुत आई है ॥ १७ ॥

सदाविशन्तिभूतानि महान्ति सहकर्मभिः । मनश्चावयवैः सूक्ष्मैः
सर्वभूतकृदव्ययम् ॥१८॥ तेषामिदं तु सप्तानां पुरुषाणां मही-
जसाम् । सूक्ष्माभ्यो मूर्तिमात्राभ्यः संभवत्यव्ययाद्व्ययम् ॥१९॥

अर्थ—५ महाभूत और मन जो सब का कर्ता और (अन्यों की अपेक्षा) अविनाशी है, ये ६ सब पूर्वोक्त जगतरूपी शरीर में अपने ९ कामों और सूक्ष्म अवयवों सहित प्रविष्ट होते हैं ॥ १८ ॥ पूर्वोक्त सात पुरुष (जगतरूप पुर में रहने वाले १ अहङ्कार, २ महत्तत्त्व और आकाशादि पांच, इस प्रकार ७ सात) जो कि बड़े सामर्थ्य वाले हैं, इन की सूक्ष्म सृष्टिमात्राओं (पञ्चतन्मात्राओं) से अविनाशी परमात्मा नाशवान् जगत् को उत्पन्न किया करता है ॥१९॥

आद्याद्यस्यगुणंत्वेषामवाप्नोति परःपरः।योथोयावतिथश्रैषां
स स तावद्गुणःस्मृतः ॥२०॥ सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च
पृथक्पृथक् । वेदशब्देभ्यएवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे ॥२१॥

अर्थ—इन (पञ्चमहाभूतों) में से पूर्व २ के गुण की परला २ प्राप्त होता है (आकाश का गुण शब्द परले वायु में ध्याप्तहुवा । ऐसे ही वायु का स्पर्श अग्नि में, अग्नि का रूप जल में, जल का रस पृथ्वी में । इसी से पृथ्वी के शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध ५ गुण हैं) इन में जो ५ जितनी संख्या वाला है, वह २ उतने २ गुण वाला कहलाता है ॥२०॥ उस (परमात्मा) ने सृष्टि के आरम्भ में उन सब के पृथक् २ नाम और कर्म और व्यवस्था वेद शब्दों से रचीं ॥२१॥
कर्मात्मनां च देवानां सोऽसृजत्प्राणिनां प्रभुः । साध्यानां च
गणं सूक्ष्मं यज्ञं चैव सनातनम् ॥२२॥ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं
ब्रह्म सनातनम् । दुदोह यज्ञसिद्धयर्थं मृग्यजुःसामलक्षणम् ॥२३॥

अर्थ—उस प्राणियों के प्रभु ने, कर्म है स्वभाव जिन का ऐसे देवों (अग्नि वायु आदित्यादि), साध्यों के सूक्ष्म समुदाय और सनातन (ज्यांतिष्टोमादि) यज्ञ को उत्पन्न किया ॥२२॥ (उस ने) यज्ञ के अर्थ सनातन वेद, जिस के ३ वेद=ऋग्यजुः साम हैं, इन को अग्नि वायु सूर्य से (अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद, सूर्य से सामवेद) प्रकट किया ॥ २३ ॥

कालं कालविभक्तीश्च नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा ।

सरितः सागरान् शैलान् समानि विप्रमाणि च ॥२४॥

अर्थ—समय, (वर्षमास यज्ञ तिथि महर घटिका पल कला काष्ठादि) काल-विभाग तथा नक्षत्र ग्रह नदी समुद्र पर्वत और ऊँची नीची भूमि उत्पन्न किये ॥२४॥

तपो वाचं रतिं चैव कामं च क्रोधमेव च । सृष्टिं ससर्ज चै-
वेमां स्रष्टुमिच्छन्निमाः प्रजाः ॥२५॥ कर्मणां च विवेकार्थं धर्मा-
ऽधर्मौ व्यवचेचयत् । द्वन्द्वैरयोजयञ्चेमाः सुखदुःखादिभिः प्रजाः ॥२६॥

अर्थ—प्रजा के उत्पन्न करने की इच्छा करते हुवे ने तप, वाणी, रति (जिस से चित्त को प्रसन्नता होती है), काम तथा क्रोध को उत्पन्न किया ॥२५॥ कर्मों के विवेक के लिये धर्म अधर्म को जताया (और धर्माधर्मानुसार) सुख दुःखादि द्वन्द्वों से प्रजा का योजन किया ॥ २६ ॥

अण्व्यो मात्राविनाशिन्यो दशाह्वीनां तु याः स्मृताः । ताभिः
सार्द्धमिदं सर्वं संभवत्यनुपूर्वशः ॥२७॥ यं तु कर्मणि यस्मिन्स
न्ययुक्तं प्रथमं प्रभुः । स तदेव स्वयं भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः ॥२८॥

अर्थ—सूदन जो दश की आधी विनाशनी (पांच) तन्मात्रा (शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध) कही हैं, उन के साथ यह सम्पूर्ण सृष्टि क्रम से उत्पन्न है ॥२७॥ उस प्रभु ने सृष्टि के आदि में जिस स्वाभाविक कर्म में जिस की योजना की उसने पुनः २ जब २ उत्पन्न हुआ, स्वयं वही स्वाभाविक कर्म अपने आप किया २८

हिंसा हिंसे मृदु क्रूर धर्माधर्मावृतानृते । यद्यस्य सोऽदधात्सर्गं
तत्तस्य स्वयमाविशत् ॥२९॥ अथ तु लिङ्गान्युत्तवः स्वयमेवर्तु-
पर्यये । स्वानि स्वान्यभिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिनः ॥३०॥

अर्थ—हिंस्रकर्म—अहिंस्र, मृदु, (दयाप्रधान) क्रूर, धर्म धृत्यादि—अधर्म, सत्य, असत्य, जिस का जो कुछ (पूर्व कल्प का) स्वयं प्रविष्ट था, वह २ उस २ को सृष्टि के समय उस ने धारण कराया ॥ २९ ॥ जैसे वसन्त आदि ऋतुवें अपने अपने समय में निज २ ऋतुचिह्नों को प्राप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्यादि भी अपने २ कर्मों को पूर्वकल्प के वचे कर्मानुसार प्राप्त हो जाते हैं ॥ ३० ॥

लोकानां तु विवृद्ध्यर्थं मुखवाहूरुपादतः । ब्राह्मणं क्षत्रियं
वैश्यं शूद्रं च निरवर्तयत् ॥३१॥ द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्थेन
पुरुषोऽभवत् । अर्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजत्प्रभुः ॥३२॥

अर्थ-लोकों की वृद्धि के लिये मुख ब्राह्मण, बाहू क्षत्रिय, चरुवैश्य, पाद शूद्र (इस क्रम से सृष्टिकर्ता ने) उत्पन्न किये ॥ ३१ ॥ उस प्रभु ने अपने जगत रूपी शरीर के दा भाग किये, अर्द्धभाग से पुरुष और अर्द्धभाग से स्त्री हुई, उस स्त्री में विराट् (सारे जगत को एक पुरुषरूपक में) उत्पन्न किया ॥

(यहां सब जगत को एक पुरुषमाना है । जिस में अर्द्धभाग स्त्रीपने का और अर्द्ध पुरुषपने का है । मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष और पृथिव्यादि लोक इत्यादि सब में स्त्री भाव और पुरुषभाव है) ॥ ३२ ॥

“तपस्तप्त्वासृजद्यत्तु स स्वयं पुरुषो विराट् । तं मां वित्तास्य सर्वस्य स्त्रिष्टारं द्विजसत्तमाः ॥ ३३ ॥ अहं प्रजाः सि सृक्षस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम् । पतीन्प्रजानामसृजं महर्षीनादितो दश ॥ ३४ ॥ ”

अर्थ-हे द्विजश्रेष्ठो ! उमी विराट् पुरुष ने तप करके जिस को उत्पन्न किया, वह सब का उत्पन्न करने वाला मुझे जानो ॥ ३३ ॥ मैंने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से उग्र तप करके प्रजा के पति दश १० महर्षियों को प्रथम प्रत्पन्न किया ३

“मरीचि मन्त्र्यद्भिरसौ पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम् । प्रचेतसं वसिष्ठं च भृगुं नारदमेव च ॥ ३५ ॥ एते मनुंस्तु सप्तान्यानाऽसृजन्भूरि तेजसः । दैवान्देवनिकायांश्च ब्रह्मर्षींश्चाभितौजसः ॥ ३६ ॥ ”

“ अर्थ-(उन दश महर्षियों के नाम) मरीचि १ अत्रि २ अद्भिरस् ३ पुलस्त्य ४ पुलह ५ क्रतु ६ प्रचेतस् ७ वसिष्ठ ८ भृगु ९ और नारद १० को ॥ ३५ ॥ इन बड़े प्रकाशवाले दश प्रजापतियों ने अन्य बड़े कान्तिवाले सात मनु तथा देवतों और उन के स्थानों और ब्रह्मर्षियों को उत्पन्न किया ॥ ३६ ॥

“अक्षरक्षः पिशाचांश्च गन्धर्वाण्सुरसोऽसुरान् । नागान्सर्पांस्सुपर्णांश्च पितॄणां च पृथग्गणान् ॥ ३७ ॥ विद्युतीऽशनिमेघांश्च रोहितेन्द्रधनूपि च । उल्कानिर्घातकेतूश्च ज्योतींष्युच्चावचानि च ३८ ”

अर्थ-और यत्तरक्षः पिशाच गन्धर्व अप्सरा असुर नाग सर्प सुपर्ण और पितरों के गण (समूह) को ॥ ३७ ॥ और विद्युत् (जो बिजली बादलों में चमकती है), अशनि (जो बिजली लोह आदि पर गिरती है,) मेघ=बादल, रोहित (जो नानावर्ण दगडाकार आकाश में दिखाई देने हैं वर्षा ऋतु में) इन्द्र

धनुष् (प्रसिद्ध), उल्का (जो रेखाकार आकाश से गिरती है), निर्घात= अन्तरिक्ष या पृथिवी से उत्पातशब्द, कैतु (पूँछवाले तारे) और नाना प्रकार के तारे ॥ ३८ ॥

“किन्नरान्वानरान्मत्स्यान्विषांश्च विहंगमान्। पशून्मृगान्
मनुष्यांश्च व्यालांश्चोभयतोदतः ॥३९॥ कृमिकीटपतङ्गांश्च यूका
मक्षिकमत्कुणम् । सर्वे च दंशमशकं स्थावरं च पृथग्विधम् ४०”

अर्थ—किन्नर, वानर, मत्स्य, नानाप्रकार की पत्नी, पशु, मृग, मनुष्य, सपें और जिनके ऊपर नीचे दांत होते हैं ॥३९॥ कृमि, क्रांत, पतङ्ग, जूका, खटमल और सम्पूर्ण क्षुद्र जीव) मच्छर इत्यादि काटने वाले और स्थावर नाना प्रकार के (वृक्ष लता बल्ली इत्यादि) ॥ ४० ॥

“एवमैतैरिदं सर्वं मन्त्रियोगान्महात्मभिः ।

यथाकर्म तपोयोगात्सृष्टं स्थावरजङ्गमम् ॥ ४१ ॥”

येषां तु यादृशं कर्म भूतानामिह कीर्तितम् ।

तत्तथा वोभिधास्यामि क्रमयोगं च जन्मनि ॥ ४२ ॥

अर्थ पूर्वोक्त (मरीचि आदि) महात्माओं ने मेरी आज्ञा तथा अपने तप के प्रभाव से यह सम्पूर्ण स्थावर जङ्गम कर्म के अनुसार रचा ॥ ४१ ॥

(३३ से ४१ तक ९ श्लोक हमारी सम्प्रति में अवश्य पीछे से मिलाये गये हैं ॥ परमात्मा ने लोक, मनुष्य, ब्राह्मणादि वर्ण, वेद तथा अन्य सब जगत् बनाया यहां ४ जगत्कर्ता पाये जाते हैं, १ परमात्मा, २ विराट्, ३ मनु, ४ मरीच्यादि । इनमें ३६ वें श्लोक में मरीच्यादि ऋषियों से अन्य ७ मनुओं का उत्पन्न होना कहा है । सब लोग ब्रह्मा का पुत्र मनु को मानते हैं, यहां विराट् का पुत्र मनु कहा है । ३३ वें श्लोक में मनु अपने का सब जगत् का बनाने वाला बताते हैं जो इसी मनु के पूर्व श्लोकों, वेदों और पुराणों तक के विरुद्ध है । तथा १ श्लोक ४० वें के आगे और भी किन्हीं पुस्तकों में पाया जाता है, मयों में नहीं । इस से जाना जाता है कि वह तो बहुत ही थोड़े समय से मिलाया गया है, वह यह है ॥

“यथाकर्म यथाकालं यथाप्रज्ञं यथाश्रुतम् ।

यथायुगं यथादेशं यथावृत्ति (यथोत्पत्ति) यथाक्रमम्” ॥१॥

“इस श्लोक का (यथोत्पत्तिः) पाठ उज्जैन नगरी के (आठवले) नाना साहब के रामकृत टीकायुक्त पुस्तक में पाया जाता है। यह श्लोक सितारा के समीपवर्ती यतिेश्वर स्थान के द्रविड़ शङ्करात्मज रामचन्द्र के मूलसात्र पुस्तक में भी पाया जाता है। तथा उज्जैन के (मेरठी बाबा) रामभाऊ शर्मा के मूल पुस्तक में भी पाया जाता है। शेष २९ प्रकार के पुराणे लिखे पुस्तकों में यह श्लोक नहीं है। हमको आश्चर्य यह है कि सिधातिथि आदि ६ टीकाकारों ने न जाने क्यों इस विरोध पर दृष्टि भी नहीं की ॥ ४१ ॥

इस संसार में जिन प्राणियों का जो कर्म कहा है उसी प्रकार हम कहेंगे तथा उन के जन्म में क्रम भी (कहेंगे) ॥ ४२ ॥

पशवश्चमृगाश्चैव व्यालाश्चोभयतोदतः। रक्षांसि च पिशाचाश्च
मनुष्याश्च जरायुजाः ॥४३॥ अण्डजाः पक्षिणः सर्पा नक्रा म-
त्स्यश्च कच्छपाः। धानिचैवंप्रकाराणि स्थलजान्योदकानि च ४४

अर्थ—[जरायु (गर्भ की भिन्नी) से जो उत्पन्न हो उसे जरायुज कहते हैं] गाय आदि पशु, हरिणादि मृग, सिंह और जिन के ऊपर नीचे दांत होते हैं वे, और राक्षस (स्वार्थी), पिशाच (कच्चे मांस खाने वाले), मनुष्य ये सब जरायुज हैं ॥ ४३ ॥ और पक्षी (परद), सर्प नाके, कछुवे इत्यादि इसी प्रकार के भूमि पर तथा पानी में उत्पन्न होने वाले भी सब अण्डज कहलाते हैं ॥ ४४ ॥

स्वेदजं दंशमशकं यूकामक्षिकमत्कुणम् । ऊष्मणश्चोपजा-
यन्ते यच्चान्येति कंचिदीदृशम् ॥४५॥ उद्भिज्जाः स्थावराः सर्वबीज
काण्डप्ररोहिणः। औषधयः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलापगाः ४६

अर्थ—मच्छर और काटने वाले लुद्र जीव जूआं मत्तिका खटमल इत्यादि और जो गरमी से उत्पन्न होते हैं। और जो इन्हों के सदृश (चींटियां इत्यादि) स्वेदज अर्थात् पसीने से उत्पन्न होने वाले हैं ॥ ४५ ॥ जो भूमि को फाड़ कर ऊपर निकलें, उन का उद्भिज्ज कहते हैं वे ये हैं—स्थावर अर्थात् वृक्षादि। इन में दो प्रकार हैं, एक बीज से उत्पन्न होने वाले, दूसरे शाखा से, (धान यव इत्यादि) जिनका फलपाक में अन्त हो जाता है और पुष्प फल जिन में अधिक होते हैं, उनको औषधि कहते हैं (उद्भिज्ज हैं) ॥ ४६ ॥

अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः । पुष्पिणः, फलिन-
 श्रैव वृक्षास्तूभयतः स्मृताः ॥४७॥ गुच्छं गुल्मं तु विविधं तथैव
 वृणजातयः, । बीजकाण्डरुहाण्येव प्रताना बल्ल्यएव च ॥४८॥

अर्थ—जिन में पुष्प नहीं किन्तु फल ही होता है उन को वनस्पति कहते हैं और जो पुष्प फल से युक्त हों उन को वृक्ष कहते हैं ॥ ४७ ॥ जिस में जड़ से ही लता का मूल हो और शाखा इत्यादि न हो उस को गुच्छ कहते हैं जैसे मल्लिका) गुल्म (जैसे इक्षुप्रभृति) वृणजाति, नाना प्रकार के बीज गाखा से उत्पन्न होने वाले और प्रतान (जिन में सूत सा निकले जैसे कद्दू कीरा इत्यादि) और बल्ली (जैसे गुडूच्यादि,) उद्भिज्ज हैं ॥ ४८ ॥

तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्महेतुना । अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते
 सुखदुःखसमन्विताः ॥ ४९ ॥ एतदन्तास्तु गतयो ब्रह्माद्याः
 समुदाहृताः । घोरेस्मिन्भूतसंसारे नित्यं सततयायिनि ॥५०॥

अर्थ—ये (वृक्ष) अधिक तमोगुण और (दुःख देने वाले अधर्म) कर्मों से व्याप्त हैं, इन के भीतर लुपा ज्ञान रहता है, सुख दुःख से युक्त रहते हैं ॥ ४९ ॥ इस नाशवान्, प्राणियों को भयङ्कर और सदा चल संसार में ब्रह्मा से स्थावरपर्यन्त ये गतियें कहीं ॥ ५० ॥

एवं सर्वसं सृष्टेदं मां चाचिन्त्यपराक्रमः । आत्मन्यन्तर्दधेभूयः
 कालं कालेन पीडयन् ॥५१॥ यदा स देवो जागर्ति तदेदं चेष्टते
 जगत् । यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सर्वं निमीलति ॥५२॥

अर्थ—उस अचिन्त्यपराक्रम ईश्वरने संपूर्ण (स्थावरजङ्गमरूप) सृष्टि और मुक्ति मनु को ऐसे उत्पन्न करके सृष्टिकाल को प्रलयकाल से नाश करते हुवे अपने में लुपा लिया है (अर्थात् प्राणियों के कर्मवश से पुनः पुनः सृष्टि प्रलय करता है) ॥५१॥ जब प्रजापति जागता=(सृष्टि करने की इच्छा करता) है उस समय यह संपूर्ण जगत् चेष्टायुक्त हो जाता है और जब निवृत्ति की इच्छा होती है तब संपूर्णलय को प्राप्त होता है (यही उसका सोना जागना है) ॥५२॥

तस्मिन् स्वपिति तु स्वस्थे कर्मात्मानः शरीरिणः । स्वकर्मभ्योनि

जिन प्रकार जलादि के न मिलने से मनुष्यादि मर जाते वैसे वृक्षादिभी ॥

वर्तन्ते मनश्चग्लानिमृच्छति।५३।युगपत्तुप्रलीयन्तेयदातस्मिन्
महात्मनि। तदायं सर्वभूतात्मा सुखं स्वपिति निर्वृतः॥५३॥

अर्थ—जब वह व्यापारों से रहित हो शयन करता है उस समय कर्मात्मा (जो कि शरीर के साथ तक कर्मबन्धन से नहीं छूटते हैं) प्राणी अपने २ कर्म से निवृत्त हो जाते हैं और मनस्तत्त्व भी क्षीण हो जाता है ॥५३॥ एक ही समय जब वे सपूर्ण ईश्वर में प्रलय को प्राप्त होते हैं उस समय (सुख दुःखादि से रहित जीवों को सुषुप्त का सुख प्राप्त हो, इस लिये) यह परमात्मा निवृत्त और सोता कहा जाता है ॥

(कभी भी अनुभव न किया हुआ प्रलयका वर्णन लोगों कीसमझमें कुछ न कुछ आजावे, इस लिये प्रलयको परमात्मा की रात्रि करके वर्णन किया गया है। घस्तुतः परमात्मा चतनस्वरूप सदा जागने वाला ही है। जिस प्रकार सूर्य वनस्पतियों के उगने और सूखने का हेतु है परन्तु किसी वृक्षादि को उगाने वा सुखाने के समय सूर्य का स्वरूप नहीं बदलता किन्तु एकसा ही रहता हुआ सूर्य उगाता और सुखाता भी है। किन्तु वे वृक्षादि अपने स्वभाव भेद और अवस्थाभेद से सूर्य का प्रभाव अपने ऊपर अनेक प्रकार का डालते हैं। यद्यपि सूर्यका प्रभाव है एक ही प्रकार का। ऐसे ही परमात्मा के सब गुण सदा एक से ही रहते हैं, परन्तु प्रकृति कभी विकृत होती है, कभी प्रकृत और इसी से जब विकृत होती है तब परमात्मा की व्यापकता का फल उत्पत्ति और जब प्रकृत होती है तब उस की व्यापकता का फल प्रलय हो जाता है) ॥५४॥

तमोऽयं तु समाश्रित्य चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः। न च स्वङ्कुरुते
कर्म तदोत्क्रामतिमूर्त्तितः।५४।यदाणुमात्रिकोभूत्वाबीजंस्था-
स्तु चरिष्णु च। समाविशति संसृष्टस्तदामूर्त्तिं विमुञ्चति ॥५५॥

अर्थ—जब यह जीव इन्द्रियों सहित बहुत कालपर्यन्त तम (सुषुप्ति) को आश्रय करके रहता है और अपना कर्म (श्वासप्रश्वासादि) भी नहीं करता तब शरीर से पृथक् हुवा रहता है ॥ ५४ ॥ जब अणुमात्रिक होकर (अर्थात् अणु हैं मात्रार्थे जिस की उस अणुमात्र को पुर्यष्टक कहते हैं अर्थात् शरीर प्राप्त होने की आठ सामग्री जीव १ इन्द्रिय २ मन ३ बुद्धि ४ वासना ५ कर्म ६ वायु ७ अविद्या ८ ये आठ मिलकर अणुमात्र कहलाते हैं तो प्रथम अणुमात्रिक

हाकर) अचर (वृक्षादि) वा चर (मनुष्यादि) के हेतुभूत बीजों में प्रावृष्ट होता है, तब उन में मिलकर शरीर को धारण करता है ॥ ५६ ॥

एवं स जाग्रत्स्वप्नाभ्यामिदं सर्वं चराचरम् ।

सञ्जीवयति चाजस्रं प्रमापयति चाव्ययः ॥५७॥

अर्थ—ऐसे वह अविनाशी परमात्मा शयन और जाग्रत से इस संपूर्ण चराचर को निरन्तर उत्पन्न और नष्ट करता है ॥ ५७ ॥

“इदं शास्त्रं तु कृत्वाऽसौ मामेव स्वयमादितः ।

विधिवद् ग्राहयामास मरीच्यादींस्त्वहं मुनीन् ॥५८॥

“मनु जी कहते हैं कि इस (ब्रह्मा) ने सृष्टि के प्रथम इस धर्मशास्त्र का निमार्ण करके विधिवत् मुझको उपदेश किया, अनन्तर मैंने मरीच्यादि मुनियों को पढ़ाया ॥ ५८ ॥”

“एतद्वीऽयं भृगुः शास्त्रं प्रावधिष्यत्यशेषतः ।

एतद्दि मत्तोऽधिजगे सर्वमेषोऽखिलं मुनिः ॥५९॥

ततस्तथा स तेनोक्तो महर्षिर्मनुना भृगुः ।

तानब्रवीद्वीन्सर्वान्प्रीतात्मा श्रूयतामिति ॥६०॥”

अर्थ—“यह संपूर्ण शास्त्र भृगु आप लोगों को सुनावेगा, जो मुझ से संपूर्ण पढ़ा है ॥५९॥ अनन्तर महर्षि भृगुने मनु की आज्ञा पाकर प्रसन्नचित्त होकर उन सब ऋषियों के प्रति कहा कि सुनिये ॥ ६० ॥

स्वायंभुवस्यास्य मनोः षड्वंश्या मनुवोऽपरे ।

सृष्टवन्तः प्रजाः स्वाः स्वा महात्मानोमहौजसः ॥६१॥

स्वारीचिषश्चौत्तमश्च तामसोरैवतस्तथा ।

चाक्षुषश्च महातेजा विवस्वत्सुत एव च ॥६२॥”

अर्थ—इस स्वायंभुव मनु के वंश में उत्पन्न हुवे छः मनु और हैं, उन वड़े पराक्रम वाले महात्माओं ने अपनी-२ सृष्टि उत्पन्न की थीं ॥६१॥ (उन के नाम) स्वारीचिष १ औत्तम २ तामस ३ रैवत ४ चाक्षुष ५ और विवस्वत ६ ये छः वड़े कान्ति वाले हैं ॥ ६२ ॥”

“स्वायंभुवाद्याःसप्तैते मन वोभूरितेजसः ।

स्वे स्वेन्तरे सर्वमिदमुत्पाद्याऽपुश्चराचरम् ॥६३॥”

अर्थ—“स्वायंभुव आदि सप्त मनु बड़े तेजस्वी हुवे जिन्होंने अपने २ अधिकार में सम्पूर्ण चर अचर सृष्टि को उत्पन्न करके पालन किया।” (५८ से ६३ तक ६ श्लोक असङ्गत जान पड़ते हैं। ५८ वें में मनु का यह कहना असङ्गत है कि मैंने यह सास्त्र परमात्मा से ग्रहण किया। यदि वेदों का तात्पर्य लेकर बनाये हुवे की भी ईश्वरीय कहें तो न्यायशास्त्रादि सब ग्रन्थ परमेश्वर से ही ऋषियों ने पढ़े मानने पड़ेगे। और मनु का ऋषियों से यहां तक अविच्छिन्न संवाद चला आता है इस लिए यह वाक्य भृगु की ओर से नहीं माना जा सकता। और ५८ वें में यह कहकर कि मैंने परमात्मा से पढ़ा और फिर सरांश्यादि को पढ़ाया। ५९ वें में आगे यह कथन है कि “सो मेरा पढ़ाया हुआ शास्त्र भृगु तुमको सुन वेगा” इससे भी मनु का ही ऋषियों से संवाद चलता रहना पाया जाता है। किन्तु ये श्लोक, बनाने वाले ने इस ग्रन्थ की अपौरुषेयता सिद्ध करने और यह सिद्ध करने की कि मैंने सरासा मनु से पढ़ा, बनाये हैं। आगे ६१। ६२। ६३ श्लोकों में यह वर्णन है कि स्वायंभुव के वंश में छः और मनु हुवे थे, जिन्होंने अपने २ समय में चराऽचर जगत् बनाये और पाले। इस से यह फलकता है कि श्लोककर्ता से पूर्व छः मन्वन्तर बीत चुके थे। तौ छः मन्वन्तर बीतने पर इस भृगु को उपदेश करने स्वायंभुव मनु कहां से आया। इन श्लोकों का यह कहना भी असत्य है कि मनु वंश में कोई देहधारी मनु नामक मनुष्य हुवे और उन्होंने अपनी २ प्रजा बनायीं। ११ चतुर्युगियों का १ मन्वन्तर आगे श्लोक १२ में कहेंगे। फिर कोई राजा इतने दिनों तक कैसे वर्तमान रह सकता है। परराशों में सत्ययुग में एक लक्ष, त्रेता में १० सहस्र, द्वापर में एक सहस्र और कलि में १०० वर्ष की आयु लिखी है। यह भृगु तो उस से भी आगे बढ गया। मन्वन्तर किसी पुरुष का नाम भी नहीं है किन्तु जैसे सत्ययुग आदि चार युग काल की संज्ञा हैं वैसे मन्वन्तर भी आगे १९ वें श्लोक में कहे प्रमाण ११ चतुर्युगियों के बराबर काल की संज्ञा हैं। काल के नाम पर राजा का नाम संभव मानें तौ भी एक मनु के वंश में दूसरा मनु कैसे रहे। और इतने दीर्घकाल तक एक २ पुरुष की आयु कैसे रहे। क्योंकि ६३ वें श्लोक में (स्वे स्वेन्तरे) कहा है कि आने २ काल के

अन्तर (मन्वन्तर) में उस २ मनु ने अपनी २ प्रजा रची और पाली। और मन्वन्तर का वर्णन काल के विभागों (निमेष से लेकर) को बतलाते हुए ११ वें श्लोक में आयेगा। फिर निमेष - ऋषा, कला, मुहूर्त, दिन, रात, वर्ष युग इत्यादि के पश्चात् वर्णन करने योग्य मन्वन्तर का यहां प्रथम ही वर्णन करना असङ्गत और पुनरुक्त भी है श्लोक ५९ में (अशेषतः) (सर्वम्) (अखिलम्) यह तीन पद एक ही अर्थ में पुराणों की शैली के से व्यर्थ भी हैं) ॥३॥

निमेषा दश चाष्टौ च काष्ठा त्रिंशत्तु ताः कला ।

त्रिंशत्कला मुहूर्तः स्यादहोरात्रं तु तावतः ॥ ६४ ॥

अर्थ—(सृष्टि का समय जानने के लिये समय की संज्ञा निरूपण करते हैं) आंख की पलक गिरने के समय का नाम निमेष है, अठारह निमेष की १ काष्ठा होती है, तीस काष्ठा की १ कला, तीस कला का १ मुहूर्त, तीस मुहूर्त का १ दिन रात होता है ॥ ६४ ॥

अहोरात्रे विभजते सूर्योमानुषदैविके, रात्रिः स्वप्नाय भूतानां
चेष्टायै कर्मणामहः ॥६५॥ पितृभ्ये रात्र्यहनी मासः प्रविभागास्तु
पक्षयोः । कर्मचेष्टास्वहः कृष्णः शुक्लः स्वप्नाय शर्वरी ॥६६॥

अर्थ—सूर्य, मनुष्य देव सम्बन्धी रात दिन का विभाग करता है, उसमें मनुष्यादि के शयन को रात्रि और कर्म करने को दिन है ॥ ६५ ॥ (मनुष्य के एक मास का १ रात दिन पितरों का होता है, उस में कृष्णपक्ष दिन कर्म करने के लिये और शुक्लपक्ष रात्रि शयन करने के लिये है ॥ ६६ ॥

दैवे रात्र्यहनी वर्षे प्रविभागास्तयोः पुनः । अहस्तत्रोदगधनं रात्रिः
स्यात्क्षिणायनम् ॥६७॥ ब्राह्मस्य तु क्षयाऽहस्य यत्प्रमाणं
समासतः । एकैकशो युगानां तु क्रमशस्तन्निबोधत ॥ ६८ ॥

अर्थ—मनुष्यों के एक वर्ष में देवतों का रात्रिदिवस होता है, फिर उनका विभाग यह है कि उस में उत्तरायण दिन है और दक्षिणायन रात्रि है ॥ (पितरों की दिनरात्रि का तात्पर्य चन्द्रलोक वालों की दिनरात्रि है। उपनिषदों में पितृगति को चन्द्रलोक की गति और देवगति को सूर्यलोक की गति करके कहा है। सूर्य की परिक्रमा पृथिवी एक वर्ष में करती है, इस विचार से सूर्योपेक्षा उत्तरायण प्रकाश की वृद्धि से देव दिन और दक्षिणायन प्रकाश

की घटती से दैवी रात्रि माना गया है । चन्द्रलोक पृथिवी की परिक्रमा एक मास में करता है इस से चन्द्र=पिचलोक की १५ दिन को १ रात्रि और १५ दिन का १ दिन कहा है) ॥६९॥ अब ब्राह्मरात्रि दिवस और (कृत त्रेता द्वापर कलि) प्रत्येक युगों का भी परिमाण क्रम से सुनो ॥ ६८ ॥

चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तु कृतं युगम् । तस्य तावच्छती
संध्या संध्याशश्च तथाविधः । ६९ ॥ इतरेषु ससंध्येषु ससंध्यांशेषु
च त्रिषु । एकापायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च ॥ ७० ॥

अर्थ— (मनुष्यों के ३६० वर्ष का १ दैव वर्ष, ऐसे) चार हजार वर्ष को कृत युग कहते हैं और उसकी सन्ध्या (युगका पूर्वकाल) चार सौ वर्ष का होता है और सन्ध्यांश (युगका परकाल) भी चार सौ वर्ष का होता है । (सन्ध्या और सन्ध्यांश मिलकर कृतयुग ४००० दैव वर्ष का होता है) ॥ ६९ ॥ अन्य तीस (त्रेता द्वापर कलि) की सन्ध्या और सन्ध्यांश के साथ जो संख्या होती है वह क्रम से सहस्र में की और शत में की एक संख्या घटाने से तीनों की संख्या पूरी होती है (जैसे, कृतयुग ४००० = १७२०००० त्रेता ३६०० = १२६०००० द्वापर २४०० = ९६०००० कलि १२०० = ४३२०००० चारों १ = ८००० = २४२००००० वर्ष १ चतुर्धुगी) ॥७०॥

यदेतत्परिसंख्यातमादावेव चतुर्धुगम् । एतद् द्वादशसाहस्रं
देवानां युगमुच्यते ॥७१॥ दैविकानां युगानां तु सहस्रं परि-
संख्यया । ब्राह्ममेकमहर्ज्ञेयं तावती रात्रिरेव च ॥ ७२ ॥

अर्थ—यह जो प्रथम गिनाये, इन्हीं चार युगों को बारह हजार १२००० गुणा करके १ दैव युग कहाता है ॥७१॥ दैव सहस्रयुगों का ब्रह्मा का एक दिन और सहस्रयुगों की रात्रि (अर्थात् दैव दो सहस्रयुग होने से ब्रह्मा का रात्रि दिन होता है । दैव १००० वर्ष का एक युग, इसे १००० गुणा करने से १२०००००० दैववर्ष का १ ब्राह्मदिन हुवा । इसे ३६० गुणा करने से ४३२००००००० चार अर्ध षत्तीस कोड़ मानुष वर्षों का ब्राह्म दिन और इतनी ही रात्रि हुई ॥ ७२ ॥

तद्वै युगसहस्रान्तं ब्राह्मं पुण्यमहर्विदुः । रात्रिं च तावतीमेव
तेऽहोरात्रविदोजनाः ॥७३॥ तस्यसोऽहर्निशस्यान्ते प्रसुप्तः प्रति
बुद्ध्यते । प्रतिबुद्ध्यश्च सृजति मनः सदऽसदात्मकम् ॥ ७४ ॥

अर्थ—सहस्र युग से अन्त अर्थात् समाप्ति है जिस की उसे ब्रह्मा का पुराण दिवस और उतनी ही रात्रिको वे अहोरात्रज्ञ जानते हैं ॥७३॥ पूर्वोक्त अहोरात्र के अन्त में वह (ब्रह्मा) सोते से जाग्रत होता है और जागकर संकल्प विकल्पात्मक मन को उत्पन्न करता है ॥ ७४ ॥

मनः सृष्टिं विकुरुते चोद्यमानं सिसृक्षया । आकाशं जायते तस्मात्तस्य शब्दं गुणं विदुः ॥७५॥ आकाशात्तु विकुर्वाणात्सर्वं गन्धवहःशुचिः। बलवान् जायते वायुः सर्वैस्पर्शगुणोमतः॥७६॥

अर्थ—(परमात्मा की) रचने की इच्छा से प्रेरित किया हुआ मन सृष्टिको विकृत करता है, मनस्त्व से आकाश उत्पन्न होता है, उसके गुणको शब्द कहते हैं ॥ ७५ ॥ आकाश के विकार से सब गन्ध को ले चलने वाला पवित्र बलवान् वायु उत्पन्न होता है वह स्पर्श गुणवाला माना है ॥ ७६ ॥

वायोरपि विकुर्वाणाद्विशोचिष्णुस्तमोनुदम्। ज्योतिरुत्पद्यते भास्वत्तद्रूपगुणमुच्यते॥७७॥ ज्योतिषश्चाविकुर्वाणादापोरस गुणाः स्मृताः। अद्भ्योगन्धगुणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादितः७८

अर्थ—वायु के विकार से तम का नाश करने वाला प्रकाशित चमकीला अग्नि उत्पन्न होता है, उसका गुण रूप है ॥ ७७ ॥ अग्नि के विकार से जल उत्पन्न होता है जिसका गुण रस है और जल से पृथिवी, जिसका गुण गन्ध है । प्रथम से सृष्टि का यह क्रम है ॥ ७८ ॥

यत्प्राग्द्वादशसाहस्रमुदितं दैविकं युगम् । तदेकसप्ततिगुणं सन्वन्तरमिहोच्यते ॥७९॥ सन्वन्तराण्यसंख्यानि सर्गः संहार एव च । क्रीडन्निवैतत्कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः ॥ ८० ॥

अर्थ—पूर्व जो बारह सहस्र वर्ष का दैव युग कहाया, ऐसे एकदत्तर युग का एक सन्वन्तर होता है ॥७९॥ सन्वन्तर असंख्य हैं । सृष्टि और संहार= प्रलय भी असंख्य हैं । इन को बारबार प्रजापति क्रीडावत् । बिना श्रम) ही किया करता है ॥ ८०॥

“चतुष्पात्सकलोधर्मः सत्यं चैव कृते युगो नाधर्मो नागमः कश्चिन्न मनुष्यान् प्रतिवर्तते ॥८१॥ इतरेष्वगमाद्दुर्मः पादशस्त्वऽय-

रोपितः । चौरिकानृतमायाभिर्धर्मश्चापैति पादशः ॥८२॥ ”

“ अर्थ—सत्ययुग में धर्म पूर्ण चतुष्पाद् और सत्य रहता है क्योंकि तब अधर्म से मनुष्यों को धन प्राप्त नहीं होता ॥ ८१ ॥ इतर (तीन=त्रेता द्वापर कलि) में वेद से प्रतिपादित धर्म क्रमशः चोरी, भूठ, नाया; इन से धर्म चौथाई २ ज्ञान होता है ॥ ८२ ॥ ”

“अशोकाःसर्वसिद्धार्थाश्चतुर्वर्षशतायुषः।कृते त्रेतादिषुह्येषा-
मायुर्हसति पादशः ८३ ॥ वेदीक्तमाधुर्मर्त्यानामाशिपरश्चैव
कर्मणाम् । फलन्त्यनुयुगंलोके प्रभावश्च शरीरिणाम्॥८४॥”

“ अर्थ—सत्ययुग में सब रांगरहित होते हैं और संपूर्ण मनोरथ पूरे होते हैं । आयु ४०० वर्ष की होती है । आगे त्रेतादि में इन की चौथाई २ आयु घटती है ॥ ८३ ॥ मनुष्यों की वेदानुकूल आयु, कर्मों के फल और शरीरधारियों के प्रभाव, सब युगानुकूल फलते हैं ॥ ८४ ॥

“अन्येकृतयुगे धर्मास्त्रेतायांद्वापरे परे।अन्ये कलियुगे नृणां
युगहासानुरूपतः ॥८५॥ तपः परं कृतयुगे त्रेतार्यां ज्ञानमु-
च्यते । द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेकं कलौ युगे ॥ ८६ ॥ ”

“ अर्थ—युगों की हीनता के अनुसार मनुष्यों के धर्म सत्ययुग के और हैं, त्रेता के दूसरे हैं, द्वापर के अन्य और कलियुग के और ही हैं ॥ ८५ ॥ कृतयुग में तप मुख्य धर्म है, त्रेता में ज्ञान प्रधान है, द्वापर में यज्ञ कहते हैं और कलि में एक दान ही प्रधान है ॥ ”

(८१ से ८६ तक छः श्लोक भी प्रलिप्त ज्ञान पड़ते हैं । क्योंकि मनु सा धर्मात्मा सत्यवादी पुत्रण ऐसा असत्य लिखे, सो संभव नहीं प्रतीत होता । जैसा कि ८ श्लोक में कहा है कि सत्ययुग में धर्म पूरा होता है, अधर्म की मनुष्यों में प्रवृत्ति नहीं होती । यह बात प्रथम तो “ काल क्या वस्तु है ” इस बात पर विचार करने से ज्ञात हो सकती है:—

अपरस्मिन्नपरं युगपञ्चिरं क्षिप्रमिति काललिङ्गानि ॥

वैशेषिकदर्शन अ० २ आ० २

पहले, पीछे, एक साथ और शीघ्र; ये काल के चिन्ह हैं । इस में धर्म वा अधर्म में प्रवृत्त करना काल का काम नहीं । तथा यह इतिहासप्रचारा के

भी विरुद्ध है कि सत्ययुग में अधर्म न हुवा हो। इतिहासों के विचार से ज्ञात होता है कि सब युगों में पापी पुरयात्मा देव असुर इत्यादि होते रहे हैं। और यह लेख मनु के ही पूर्व लेख के प्रतिकूल है। मनु में पूर्व श्लोक २ में लिखा है कि प्रजा प्रथम धर्माऽधर्म सुख दुःख से युक्त हुई। तौ सृष्टि के आरम्भ में पहले सत्ययुग होता है उस में अधर्म और दुःख कैसे उत्पन्न हुवे। श्लोक २९ में हिंसक अहिंसक, मृदु क्रूर, धर्माऽधर्म, सत्याऽसत्य ये, तौ सत्ययुग में क्यों थे ? इत्यादि प्रकार से और इस कारण से भी कि इन युगों की व्याख्या श्लोक ६९। ७० में हो चुकी, मनुजीयुग में धर्माऽधर्म का प्रभाव बताते तो उसी के आगे लिखते। अतः ये श्लोक प्रक्षिप्त जान पड़ते हैं। ८२ वें में त्रेता में चोरी, द्वापर में असत्य और कलि में छल होना बताना भी पूर्वोक्त कारणों से माननीय नहीं। ८३ में सत्ययुग में सब का नीरोग रहना बताना भी उक्त कारणों से अप्राच्य है। ८४। ८५ और ८६ में जो काल के प्रभाव लिखे हैं, वे भी उक्त प्रकार से शास्त्रों, इतिहासों और मनुवचनों से भी विरुद्ध हैं। श्लोक ८० का ८१ के साथ संबन्ध भी ऐसा ठीक मिलता है, जिस से बीच के ६ श्लोक अनावश्यक जान पड़ते हैं) ॥ ८६ ॥

सर्वस्यास्य तु सर्गस्य गुण्यथसमहाद्युतिः। मुखबाहूरुपज्जानां पृथक्कर्माण्यकल्पयत् ॥८०॥ अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकल्पयत् ॥८१॥

अर्थ-उस महातेजस्वी ने इस सब सृष्टि की रचनार्थ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के कर्मों को पृथक् २ बताया ॥८०॥ ब्राह्मणों के षट् कर्म-पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना और लेना बताया है ॥ ८१ ॥

प्रजानां रक्षणं दानमिज्याऽध्ययनमेव च । विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥ ८२॥ पशूनां रक्षणं दानमिज्याऽध्ययनमेव च । वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥ ८३ ॥

अर्थ-प्रजा की रक्षा, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना और विषयों में न कंसना से संक्षेप से क्षत्रिय के कर्म हैं ॥ ८२ ॥ पशुओं का पोषण, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना व्यापार करना, ध्यान लेना और खेती, ये वैश्य के हैं ॥८३॥

एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत्। एतेषामेव वर्णानां

शुश्रूषामनसूयया ॥ ९१ ॥ ऊर्ध्वं नाभिर्मध्यतरः पुरुषः परि
कीर्तितः । तस्मान्मेध्यतमं त्वस्य मुखमुत्तं स्वयंभुवा ॥ ९२ ॥

अर्थ—प्रभु ने शूद्रों का एक ही कर्म बताया कि इन (तीनों) वर्णों की
निन्दारहित (जिसमें कोई निन्दानहीं) सेवा करनी ॥ ९१ ॥ पुरुषनाभि के ऊपर
पवित्रतर कहा है, इस से परमात्मा ने उसका मुख उस से भी पवित्र कहा है ॥ ९२ ॥

उत्तमाङ्गोद्भवोऽज्येष्ठ्या ब्रह्मणश्चैव धारणात् । सर्वस्यैवास्यसर्ग-
स्य धर्मतो ब्रह्मणः प्रभुः ॥ ९३ ॥ तं हि स्वयंभूः स्वादास्यात्तपस्तप्त्वा
ऽऽदितोऽसृजत् । हव्यकव्याभिव्यह्याय सर्वस्य ऽस्य च गुप्तये ९४

अर्थ—उत्तमाङ्गोद्भव (मुखतुल्य हने) और ज्येष्ठता और वेदके धारण कराने से
ब्राह्मण संपूर्ण जगत् का धर्म से प्रभु है ॥ ९३ ॥ क्योंकि ब्राह्मण को परमात्मा ने
देवता और पितरों के हव्य कव्य पहुंचाने और सम्पूर्ण जगत् की रक्षा के लिये
(ज्ञानमय) तप करके (स्वस्वामिभाव से) अपने मुख से उत्पन्न किया है ॥
(देवता-वायु आदि और पितर चन्द्रकिरणादि को हव्यकव्य नामक पदार्थ
अग्निमें होमे जाते हैं, उसे यज्ञ कहते हैं । यज्ञ कराना ब्राह्मणका कर्म बताया
जा चुका है । इस लिये हव्य कव्य पहुंचाने का काम ब्राह्मणों का हुवा ।
“परमात्मा ने अपने मुख से रचा” इस का तात्पर्य श्लोक ८८ के अनुसार यही है
कि पढ़ना मुख से, पढ़ाना मुख से, यज्ञ करने कराने में वेदपाठ मुखसे, दान
और आदान का वाक्य उच्चारण करना, प्रायः ये सब काम मुखसे ब्राह्मण
करता है । परमात्मा ने वेदद्वारा जो धर्मापदेश किया है सो भी ब्राह्मण ऋषियों
के मुख द्वारा किया है । यथार्थ में परमात्मा तो [सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रिय
धिवर्जितम् । श्वेताऽइत्यादि प्रमाणों से मुखादिरहित ही है) ॥ ९४ ॥

यस्यास्येन सदाऽश्नन्ति हव्यानि त्रिदिवीकसः । कव्यानि चैव
पितरः किंभूतमधिकं ततः ९५ भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां
बुद्धिजीविनः । बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ९६

अर्थ—हवन में जिस के मुख से (मुखोच्चारित मन्त्र के साथ) त्रिदिवी-
कस् (पृथिवी अन्तरिक्ष दिवके रहनेवाले नित्तकोक्त वायु आदि) देवता हव्यों
और पितर कव्यों को पाते हैं, उस से अधिक कौन प्राणी होगा ॥ ९५ ॥ भूतों

(स्थावर जङ्गलों) में प्राणी (कीटादि श्रेष्ठ हैं, इन में भी बुद्धिजीवी (पशुवादि), इन सब में सनुष्य श्रेष्ठ है और सनुष्यों में ब्राह्मण ॥९६॥

ब्राह्मणेषु च विद्वांसोविद्वत्सु कृतबुद्ध्यः । कृतबुद्धिषु कर्तारः
कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः ॥ ९७ ॥ उत्पत्तिरेव विप्रस्य सूर्तिर्धर्मस्य
शाश्वती । स हि धर्मार्थमुत्पन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥९८ ॥

अर्थ-ब्राह्मणों में अधिक विद्यायुक्त श्रेष्ठ हैं, विद्वानों में जिन की श्रुतीक कर्मों के विषय कर्तव्यबुद्धि हो, और उन से करने वाले और करने वालों से ब्रह्मजानी श्रेष्ठ हैं ॥९७॥ ब्रह्मपञ्च की उत्पत्ति ही धर्म की शाश्वत सूर्ति है, क्योंकि वह ब्राह्मण धर्मार्थ उत्पन्न हुआ है । जोज्ञ का अधिकारी है ॥

(ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विज कहते हैं अर्थात् इन का जन्म एकबार माताके गर्भ से दूसरा जन्म गायत्री माता और गुरु पिता से होता है। यह द्विज कहाने का अधिकारी यथार्थ में दूसरे जन्म से होता है । इस लिये यहां ब्राह्मण की उत्पत्ति का तात्पर्य दूसरे विद्यासम्बन्धी जन्म से है) ॥९८॥

ब्राह्मणोजायमानो हि पृथिव्यामधिजायते । ईश्वरः सर्वभूतानां
धर्मकोशस्य गुप्तये ॥९९ ॥ सर्वं स्वं ब्राह्मणस्येहं यत्किञ्चिज्ज-
गतीगतम् । श्रेष्ठेनाभिजनेनेदं सर्वं वै ब्राह्मणोऽर्हति ॥१००॥

अर्थ-ब्राह्मण का उत्पन्न होना ही पृथिवी में श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संपूर्ण जीवों के धर्मरूपी स्रजाने की रक्षार्थ वह प्रभु है (अर्थात् धर्म का उप देश ब्राह्मणद्वारा ही होता है) ॥९९॥ जो कुछ जगत के पदार्थ हैं वे सब ब्राह्मण के हैं । ब्रह्मोत्पत्तिरूप श्रेष्ठता के कारण ब्राह्मण संपूर्ण को ग्रहण करने योग्य है । (यह ब्राह्मण की प्रशंसा है कि संपूर्ण को ब्राह्मण अपने सा जाने किन्तु ब्राह्मण यह नहीं समझे कि पराये धन को चोरी आदि से ग्रहण करतूँ । क्योंकि ब्राह्मणों को भी चोरी का दण्ड आने लिखा है) ॥१०० ॥

स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च ।

आनृशं स्याद्ब्राह्मणस्य भुञ्जते हीतरे जनाः ॥ १०१॥

“ तस्य कर्म विवेकार्थं शेषाणामनुपूर्वशः ।

स्वायंभुवोऽनुर्धोमानिदं शास्त्रमकल्पयत् ॥१०२॥”

अर्थ—(जोकि) ब्राह्मण (दूसरे का भी दिया अन्न) भोजन करे या (दूसरे का दिया वस्त्र) पहिने या (दूसरे का दिया लेकर और को) देवे, सो मख ब्राह्मण का अपना ही है। अन्य लोग जो भोजनादि करते हैं वे केवल ब्राह्मण की कृपा से ॥ (तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण के ई कर्मों में व्यापारादि करना, धन कामना नहीं कहा, केवल दान और यज्ञ कराने आदि कामों में दक्षिणा लेना ही उसकी जीविका है। इस पर कोई कदाचित् यह समझे कि ब्राह्मण "सेत सेत खावा" (मुफ्तखोरे) रहे, सो नहीं किन्तु ब्राह्मण धर्मानुसार सब जगत् को चला कर जगत् का उपकार करता है और इस से अर्थ (धनादि) प्राप्त होते हैं तौ एक प्रकार से धर्मोपदेष्टा होने से सब जगत् की कमाई का ब्राह्मण प्रधान सहायक होने से किसी को यह न मरुना चाहिये कि ब्राह्मण व्यर्थभोजी (मुफ्तखोर) है किन्तु सब को ब्राह्मण के मुख्य कर्म धर्मोपदेश से जीविका है, यही उस की कृपा जानो, परन्तु यह प्रश्नता जन्ममात्र के ब्राह्मण ब्रुवों की नहीं। ऐसा यथार्थ ब्राह्मण बड़े तप से कभी कठिन से कोई हो पाता है) ॥१०१॥ " उम ब्राह्मण के और शेष त्रित्रियादि के भी कर्म क्रमशः जानने के लिये बुद्धिमान् स्वायंभुव सन्तु ने यह धर्मशास्त्र बनाया ॥ १०२ ॥ "

“विदुषा ब्राह्मणेनेदमध्येतव्यं प्रयत्नतः। शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यङ्नान्येन केनचित् ॥१०३॥ इदं शास्त्रमधीयानो ब्राह्मणः शांसितव्रतः। मनोवाग्देहजैर्नित्यं कर्मदोषैर्न लिप्यते ॥१०४॥”

अर्थ—विद्वान् ब्राह्मण को यह धर्मशास्त्र पढ़ना और शिष्यों को पढ़ाना योग्य है, परन्तु अन्य किसी को नहीं ॥१०३॥ इस शास्त्र को पढ़ा, इस शास्त्र की आज्ञानुसार कर्म करने वाला ब्राह्मण मन वाणी और देह से उत्पन्न होने वाले पापों से लिप्त नहीं होता ॥ १०४ ॥

“पुनाति पङ्क्तिं वंश्यांश्च सप्त सप्त परावरान् । पृथिवीमपि चैवैमांकृतनामेकोपि सोऽर्हति ॥१०५॥ इदं स्वस्त्ययनं श्रेष्ठमिदं बुद्धिविवर्धनम् । इदं यशस्यमायुष्यमिदं निःश्रेयसं परम् १०६”

अर्थ—“ अपवित्र पांति को (इस धर्मशास्त्र का जानने वाला) पवित्र कर देता है और अपने वश के सात पिता प्रपिता आदि और सात पुत्रादि क्रम से इन सब १४ को पवित्र कर देता है तथा इस सम्पूर्ण पृथिवी को भी

वह (लेने) योग्य है ॥१०५॥ यह शास्त्र कल्याण देने वाला और बुद्धि का बढ़ाने वाला तथा यश का देने वाला और आयु का बढ़ाने वाला है और साक्ष का भी सहायक है ॥ १०६ ॥

“अस्मिन्धर्मोऽखिलेनोक्तोगुणदोषौ च कर्मणाम् ।

चतुर्णामपि वर्णानामाचारश्चैव शाश्वतः ॥ १०७ ॥ ”

अर्थ—“इस (स्मृति) में सम्पूर्ण धर्म कहा है और कर्मों के गुण दोष तथा चारों वर्णों का शाश्वत (परम्परा से होता आया) आचार भी कथन किया है ॥१०७॥

आचारः परमोः धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च ।

तस्मादस्मिन्सदायुक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः १०८ ॥

अर्थ—श्रुति (वेद) और स्मृति में कहा हुआ आचार परम धर्म है । इस लिये अपना कल्याण चाहने वाला द्विज सदा आचारयुक्त रहे ॥ १०८ ॥

आचाराद्विच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते । आचारेण तु संयुक्तः
सम्पूर्णफलभाग्भवेत् ॥१०९॥ एवमाचारतोदृष्ट्वा धर्मस्य मनु-
योगतिम् । सर्वस्य तपसो मूलमाचारं जगृहुः परम् ॥११०॥

अर्थ—आचार से छुटा हुआ विप्र वेद के फल को नहीं पाता और जो आचार से युक्त है, वह सम्पूर्ण के फल का भागी होगा ॥१०९॥ मुनियों ने आचार से धर्म की प्राप्ति इस प्रकार से देख कर धर्म के परम मूल आचार को ग्रहण किया था ॥ ११० ॥

“जगतश्च समुत्पत्तिं संस्कारविधिमेव च । व्रतचर्मापचारं च
स्नानस्य च परं विधिम् ॥१११॥ दाराऽधिगमनं चैव विवाहानां
च लक्षणम् । महायज्ञविधानं च श्राद्धकल्पश्च शाश्वतः ॥११२॥”

अर्थ—जन्म की उत्पत्ति (मथन अध्याय में कही है) और संस्कारों की विधि और ब्रह्मचारियों के व्रतधारण और स्नान की परमविधि ॥ १११ ॥ तथा गुरु के अभिवादन का प्रकार और उपासनादि (दूसरे अध्याय में लिखे हैं) गुरु के पास से विद्याभ्यास कर स्त्रीगमन और [ब्रह्मादि ८] विवाहों का लक्षण, महायज्ञविधि और श्राद्धकल्प जो * अनादि समय से चला आता है (तीसरे अध्याय का विषय) है ॥ (श्राद्ध को ही * अनादि

काल से सनातन करके लिखा है। इस से सूची बनाने वाले का यह शङ्का झलकती है कि कोई इसे नवीन न समझे ॥

“वृत्तीनां लक्षणं चैत्र स्नातकस्य ब्रतानि च । भक्ष्याभक्ष्यं च शौचं च
द्रव्याणां शुद्धिमेव च ॥११३॥ स्त्रीधर्म शौगं तापस्यं मोक्षं संन्यास-
मेव च । राज्ञश्च धर्ममखिलं कार्याणां च विनिर्णयम् ॥११४॥”

“अर्थ-वृत्तियों के लक्षण और स्नातक के ब्रत (चतुर्थ अध्याय में) भक्ष्य, अभक्ष्य, शौच, द्रव्यों की शुद्धि ॥११३॥ स्त्रियों का धर्मापाय (पांचवें अध्याय में) वानप्रस्थ आदि तपस्त्रियों का धर्म और मोक्ष तथा संन्यास धर्म (षष्ठाध्याय में) और राजा का सम्पूर्ण धर्म (सप्तमाध्याय में) और कार्यों का निर्णय (मुक्तदमों की छानबीन) ॥ ११४ ॥

“साक्षिप्रश्नविधानं च धर्मं स्त्रीपुंसयोरपि विभागधर्मं द्यूतञ्च
कण्टकानां च शोधनम् ॥११५॥ वैश्यशूद्रोपचारं च संकीर्णानां च
सम्भवम् । आपद्दुर्मञ्च वर्णानां प्रायश्चित्तविधिं तथा ॥११६॥”

“अर्थ-साक्षिप्रश्न [गवाहों से सवाल] (अष्टमाध्याय में) स्त्री पुरुष के धर्म और विभाग [हिस्सा] तथा जुवारी चोर इत्यादि का शोधन ॥११५॥ वैश्य, शूद्रों के धर्म का अनुष्ठान प्रकार (नवमें अध्याय में) वणसङ्घों की उत्पत्ति और वर्णों का आपद्दुर्म (दशमाध्याय में) और प्रायश्चित्तविधि (एकादश में) ॥११६॥

“संसारगमनं चैव त्रिविधं कर्मसम्भवम् । निःश्रेयसं कर्मणां च गुण
दोषपरीक्षणम् ॥११७॥ देशधर्माञ्जातिधर्मान्कुलधर्मांश्च शास्त्र-
तान् । पाषण्डगणधर्मांश्च शास्त्रेऽस्मिन्नुक्तवान्मनुः ॥११८॥”

“अर्थ-देहान्तरप्राप्ति जो तीन प्रकार के कर्म (उत्तम मध्यम अधम) से होती है और मोक्ष का स्वरूप और कर्मों के गुणदोष की परीक्षा (द्वादश में) ॥११७॥ देशधर्म (जो प्रचार जिस देश में बहुत काल से चला आता है) और जो धर्म जाति में नियत है और जो कुलपरम्परा से चला आता है और पाषण्ड (वेद शास्त्र में निषिद्ध कर्म) और गणधर्म इस शास्त्र में * मनु ने कहे हैं ॥ ११८ ॥”

* इससे स्पष्ट है कि ये श्लोक अन्यत्र संशोधित करके कभी सूचीपत्र बनाया है

“ यथेदमुक्तवान् शास्त्रं पुरा पृष्टोभनुर्मया ।
 यथेदं यूयमप्यद्यमत्सकाशान्निबोधत ॥११६॥”
 इति मानवे धर्मशास्त्रे (भृगुप्रोक्तायां संहितायां)
 प्रथमोऽध्यायः ॥१॥

“अर्थ जिस प्रकार मनु जी से पूर्व मैंने पूछा तब यह शास्त्र उन्होंने उपदेश किया । उसी प्रकार अब आप मुझ से सुनिये ॥”

(१०२ वां श्लोक इस पुस्तक के सम्पादक का वचन है । मनु का नहीं । यह श्लोक ही से स्पष्ट पाया जाता है ॥ १०३ में इस ग्रन्थ पर ब्राह्मणों का अधिकार जमाना पक्षपात है । अन्यत्र यह कहीं नहीं लिखा कि स्मृति पर ब्राह्मणों का ही अधिकार है । जो ग्रन्थ शूद्र को वेदाध्ययन का निषेध भी लिखते हैं वे भी शूद्र को स्मृति पढ़ने का निषेध नहीं करते और द्विजमात्र को तो वेद के अधिकार में भी कोई नवीन वा प्राचीन ग्रन्थ निषेध नहीं करता, फिर यह पक्षपात नहीं तो क्या है? ॥१०४॥ में इस ग्रन्थ के पढ़ने से पापों का नाश लिखा है और कर्मदोष न लगना कहा है, यह भी ग्रन्थ की अत्युक्ति करके प्रशंसा है ॥ १०५, १०६ में भी यही बात है ॥ १०७ वें श्लोक में इस ग्रन्थ के संपादक ने इस ग्रन्थ का सूचीपत्र आरम्भ किया, परन्तु १०८ से ११८ तक ३ श्लोकों में धर्मशास्त्र की आज्ञा है और ११९ से फिर सूचीपत्र है जो ११८ तक चला गया है ॥ ११९ में पुस्तक का सम्पादक कहता है कि मैंने मनु से जैसे सुना वैसे मैं आप को सुनाता हूँ । सो सम्पादक का मनु के समकाल होना तो असम्भावित है । हाँ मनु के धर्मशास्त्र से जो कि पूर्व सूत्ररूप में था इस भद्रपुरुष ने उस मूल में आशय लिया है और वही मनु से सुनना समझा जाय तो दूसरी बात है) ॥ ११९॥

इति श्री तुलसीरामस्वामिकृते मनुस्मृतिभाषानुवादे

प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

अथ द्वितीयोऽध्यायः

विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वेषरागिभिः । हृदयेनाभ्यनुज्ञातो
यो धर्मस्तं निबोधत ॥१॥ कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहा-
स्त्यकामता । काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः ॥२॥

अर्थ—वेद के जानने वाले और रागद्वेषादि से रहित महात्माओं ने जिस धर्म का सेवन किया और हृदय से जिस को अच्छे प्रकार जाना, उस धर्म को सुनो ॥१॥ न तो कामात्मता होना और न केवल निष्कामहीना ही अच्छा है क्योंकि वेद की प्राप्ति और वेदाक्तकर्मानुष्ठान कामना करने के ही योग्य है ॥२॥

संकल्पमूलः कामो वै यज्ञाः संकल्पसंभवाः । व्रतानियमधर्माश्च
सर्वे संकल्पजाः स्मृताः ॥३॥ अकामस्य क्रिया काचिद्दृश्यते नेह
कहिंचित् । यद्यद्विकुरुते किञ्चित्तत्तत्कामस्य चेष्टितम् ॥४॥

अर्थ—(इस कर्म से यह इष्ट फल प्राप्त होगा, इस को संकल्प कहते हैं फिर जब पूरा विश्वास होता है तब) संकल्प से उस के करने की इच्छा होती है । यज्ञादि सब संकल्प ही से होने हैं और व्रत, नियम, धर्म, ये सब संकल्प ही से होते हैं (अर्थात् संकल्प विना कुछ भी नहीं होता) ॥३॥ लोक में भी कोई क्रिया (भोजन गमनादि) विना इच्छा कभी देखने में नहीं आती इस कारण जो कुछ कर्म पुरुष करता है, वह संपूर्ण काम ही से करता है ॥४॥

तेषु सम्यग्वर्त्तमानो गच्छत्यमरलोकताम् । यथा संकल्पितां-
श्रेह सर्वान्कामान्समश्नुते ॥५॥ वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृति
शीले च तद्विदाम् । आचारश्चैव साधूनामोत्मनस्तुष्टिरेव च ६

अर्थ—उन शास्त्रीक कर्मों में अच्छे प्रकार आचरण करनेवाला अमरलोकता अर्थात् अविनाशी भावको प्राप्त होता है और जो यहाँ संकल्प करता है वह संपूर्ण पदार्थ भी प्राप्त होते हैं ॥५॥ संपूर्ण वेद धर्ममूल है और वेद के जानने

वालों की स्मृति तथा शील भी धर्मसूत्र हैं इसी प्रकार साधुजनों का आचार और आत्मा का सन्तोष भी धर्मसूत्र है ॥ ६ ॥

“ यः कश्चित्कस्यचिद्गुणो मनुना परिकीर्तितः ।

स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः ” ॥७॥

सर्वं तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा ।

श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान्स्वधर्मे निविशेत् वै ॥ ८ ॥

अर्थ—“जिस वर्ण के लिये जो धर्म मनु ने कहा है, वह संपूर्ण वेद में कहा है क्योंकि वेद सब विद्याओं का भण्डार है अर्थात् संपूर्ण वेद को जान कर यह स्मृति बनाई, इस से सब स्मृतियों से इसकी उत्कृष्टता दिखाई है” (इस ७ वें श्लोकमें ग्रन्थके सम्पादकने मनु की प्रशंसा और वेदानुकूलता पुष्ट की है) ॥ ७ ॥

(ग्रन्थकार कहता है कि) विद्वान् को चाहिये कि इस सब धर्मशास्त्र को ज्ञान की आंख से वेद के प्रमाण में जांचे और अपने धर्म में श्रद्धा करे ॥८॥

श्रुतिस्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन् हि मानवः। इह कीर्तिमवाप्नोति
प्रेत्य चानुत्तमं सुखम् ॥९॥ श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै
स्मृतिः । ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मो हि निर्वभौ ॥१०॥

अर्थ—वेद और स्मृतियों में कहे धर्म को जो मनुष्ठय करता है, उसकी यहाँ कीर्ति होती है और परलोक में अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है ॥९॥ श्रुति वेद है और (मन्वादिकों का) धर्मशास्त्र स्मृति है । ये दोनों संपूर्ण अर्थों में निर्विवाद हैं, क्योंकि इन से धर्म का प्रकाश हुआ है ॥१०॥

योऽवमन्ये तते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद् द्विजः। स साधुभिर्विहिष्कृतो
नारितको वेदनिन्दकः ॥११॥ वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च
प्रियमात्मनः। एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद् धर्मस्य लक्षणम् ॥१२॥

अर्थ—जो द्विज कुतर्कादि से इन (धर्मसूत्रों) का अपमान करे, वह साधुओं को निकाल देने योग्य है क्योंकि वेदनिन्दक नास्तिक है ॥११॥ वेद=श्रुति, स्मृति (मन्वादिकों की), सदाचार शीलदि और अपना सन्तोष; यह चार प्रकार का साक्षात् धर्म का लक्षण (मुनि लोग) कहते हैं ॥ १२ ॥

अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते। धर्मजिज्ञासमानानां
प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥१३॥ श्रुतिद्वयं तु अत्र ग्रात्तत्र धर्माविभौ
स्मृतौ। उभावपि हि तौ धर्मौ सम्यगुक्तौ मनीषिभिः ॥१४॥

अर्थ—अर्थ और काम में जो पुरुष नहीं फंसे हैं उन को धर्मोपदेश का
विधान है और जो पुरुष धर्म जानने की इच्छा रखते हैं उन को परमप्रमाण
वेद है ॥१३॥ श्रुतियों के जहां दो प्रकार हों (अर्थात् भिन्न भिन्न अर्थ का
प्रतिपादन हो) वहां वेदों (तुल्य बल के कारण) ही धर्म हैं, दोनों विकल्प
से अनुष्ठेय हैं। यह ऋषियों ने कहा है ॥ १४ ॥

उदितेऽनुदिते चैव समयाध्युषिते तथा। सर्वथा वर्तते यज्ञ
इतीयं वैदिकी श्रुतिः। ऋषिषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रैर्यस्यो-
दितो विधिः। तस्य शास्त्रेधिकारोऽस्मिन्नेषो नान्यस्य कस्यचित्

अर्थ—(पूर्व जो कहा कि श्रुतिभेद दो भौ माननीय हैं, उस को यहाँ
दिखाते हैं, जैसे—) उदित समय में अर्थात् सूर्य के प्रादुर्भाव के समय में,
अनुदित उस के विरुद्ध और समयाध्युषित अर्थात् सूर्यनक्षत्ररहित काल में,
सर्वथा यज्ञ (होम) होता है। यह वैदिकी श्रुति है अर्थात् वेदमूलक वाक्य
मुनते हैं ॥ (श्लोक १५ के आगे ३० प्रकार के पुस्तकों में से ३ में ये दो श्लोक
अधिक पाये जाते हैं:—

[श्रुतिं पश्यन्ति मुनयः स्मरन्ति तु यथास्मृतिः।

तस्मात्प्रमाणं मुनयः प्रमाणं प्रथितं भुवि ॥ १ ॥

धर्मव्यतिक्रमोदृष्टः श्रेष्ठानां साहसं तथा।

तदन्वीक्ष्य प्रयुञ्जानाः सीदन्त्यपरधर्मजाः ॥ २ ॥]

हमारा तात्पर्य इन के लिखने से यह है कि लोग यह जान लें कि
मनुस्मृति में पाठों की अधिकता अवश्य जाती आई है) ॥१॥ गभीधान
से लेकर अन्त्येष्टिपर्यन्त जिस कर्म की वेदोक्त मन्त्रों ने विधि कही है उस
कर्म का अधिकार (प्रकरण) इस (मानवधर्मशास्त्र) में जानिये, अन्य
किसी का नहीं ॥ १६ ॥

सरस्वतीदूषद्वत्योर्देवनद्योर्यदन्तरम् । तं देवनिर्मितं देशं
ब्रह्मावर्त्तं प्रचक्षते ॥१७॥ तस्मिन्देशे यं आचारः पारस्पर्यं

क्रमागतः । वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥१८॥

अर्थ—सरस्वती और दृषद्वती इन देवन्दियों के मध्य में जो देश है, वह देवतों से बनाया गया है, उसको ब्रह्मावर्त कहते हैं ॥ १८ ॥ उस देश में परम्परा से प्राप्त जो वर्णों (अर्थात् ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र) और वर्णसङ्करों का आचार है, उसको सदाचार (सदा का आचार) कहते हैं ॥ (१८ वें के आगे एक श्लोक मेधातिथि के भाष्य में पाया जाता है, अन्यत्र कहीं नहीं। वह यह है—

[विरुद्धा च विगीता च दृष्टार्था दिष्टकारणौ ।

स्मृतिर्न श्रुतिमूला स्याद्या चैषाऽसंभवश्रुतिः ॥१९॥]

इस से हमारा सन्देह पुष्ट होता है कि मनु में कुछ पीछे की मिलावट अवश्य है और वेदविरुद्ध स्मृतियों का होना भी इस से पाया जाता है ॥१९॥

कुरुक्षेत्रं च मत्स्याश्च पञ्चालाः शूरसेनकाः । एष ब्रह्मर्षिदेशो वै
ब्रह्मावर्त्तादनन्तरः ॥१९॥ एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ २० ॥

अर्थ—कुरुक्षेत्र और मत्स्य देश, पञ्चाल और शूरसेनक, यह ब्रह्मर्षि देश है जो ब्रह्मावर्त से समीप है ॥ १९ ॥ इन (कुरुक्षेत्रादि) देशों में उत्पन्न ब्राह्मण से पृथिवी के सम्पूर्ण मनुष्य अपने २ कामों की शिक्षा पाये ॥२०॥

हिमवद्विन्ध्ययोर्मध्ये यत्प्राग्विनशनादपि प्रत्यगैव प्रयागात्
मध्यदेशः प्रकीर्तितः ॥२१॥ आसमुद्रात्तु वै पूर्वादासमुद्रात्तु
पश्चिमात् । तयोरेवान्तरं गिर्यार्यावर्त्तं विदुर्वुधाः ॥२२॥

अर्थ—हिमवान् और विन्ध्याचल के बीच में जो सरस्वती के पूर्व और प्रयाग के पश्चिम में देश है उसको मध्यदेश कहते हैं ॥ २१ ॥ पूर्व समुद्र से पश्चिम के समुद्र तक और हिमाचल से विन्ध्याचल के बीच में जो देश है, उसको विद्वान् लोग आर्यावर्त कहते हैं ॥ २२ ॥

कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः । स ज्ञेयो यज्ञियो देशो
म्लेच्छदेशस्त्वतः परः ॥२३॥ एतान् द्विजातयो देशान् संप्रयेरन्
प्रयत्नतः । शूद्रस्तु यस्मिन्कस्मिन्वा निवसेद्वृत्तिकर्षितः ॥२४॥

अर्थ—कृष्णसार मृग जहां स्वभाव से विचरता है (अर्थात् बलात्कार से न छोड़ा हो) वह यज्ञिय देश है (अर्थात् यज्ञ करने योग्य देश है) इससे परे जो देश है, वह म्लेच्छ देश है ॥ २३ ॥ इस देश को द्विजाति लोग प्रयत्न के साथ आश्रय करें और शूद्र चाहे किसी देश में वृत्तिपीडित हुवा निवास करे ।

(यद्यपि धर्मानुष्ठान मनुष्य के अधीन है, देश के अधीन नहीं, तथापि जिस देश में धर्मात्मा लोग अधिक रहते हैं, वहां धर्मानुष्ठान में बाधा कम होती है और धर्मानुष्ठान के साधन सुगमता से मिलते हैं; इस लिये देश का धर्म से संबन्ध होजाता है । पूर्वजों ने स्वाभाविक (नेचुरल) रीति पर भी इस देश को अच्छा और यज्ञादि धर्मानुष्ठान के लिये उत्तम जान कर यहां ही रहना स्वीकार किया था । इसी से मनु ने १७ से २३ श्लोक तक धर्म के उपयोगी देश का वर्णन किया है और २३ वें में तो यज्ञयोग्य देश की पहचान ही बतलाई है कि "कृष्णसार" मृग, जिसका चर्म ऊपर से काला होता है, जिस देश में स्वभाव से उत्पन्न हो और विचरे, उस देश को जानो कि यह यज्ञयोग्य देश है, इस में वे बूटी उत्पन्न होती हैं जिन से यज्ञानुष्ठान होता है) ॥ २४ ॥

एषा धर्मस्य त्रयोनिः समासेन प्रकीर्तिता । संभवश्चास्य सर्वस्य वर्णधर्मान्निबोधता ॥ २५ ॥ वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैर्निषेकादिर्द्विजन्मनाम् । कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च २६

अर्थ—यह धर्म की त्रयोनि (अर्थात् जानने का कारण) और इस सब (जगत्) की उत्पत्ति तुम से संक्षेप से कही, अब वर्णधर्मों को सुनो ॥ २५ ॥ वैदिक जो पुण्य कर्म हैं उन से ब्राह्मणादि तीन वर्णों का (गर्भाधानादि) शरीर संस्कार, जो दोनों लोक में पवित्र करने वाला है, करना चाहिये ॥ २६ ॥

गार्भैर्हीमैर्जातकर्मचौडमौञ्जीनिबन्धनैः । वैजिकं गार्भिकंचैतो द्विजाभामपमृज्यते ॥ २७ ॥ स्वाध्यायेन व्रतैर्हीमैस्त्रैविद्येनेज्यया सुतैः । महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ २८ ॥

अर्थ—गर्भाधान संस्कार, जातकर्म, चूडाकर्म और मौञ्जीबन्धन; इनमें के होमों से द्विजों के गर्भ और बीज के दोषादि की शुद्धि होती है ॥ २७ ॥ वेदत्रयी का पढ़ना, व्रत, होम, इज्याकर्म, पुत्रोत्पादनादि तथा पशु महायज्ञों और यज्ञों से यह तनु ब्राह्मी होता है ॥ (होम=पर्वादि समय का । इज्या=अग्निष्टोमादि । यज्ञ=पौर्णमासादि । व्रत=सत्यभाषणादि) ॥ २८ ॥

प्राङ्नाभिवर्धनात्पुंसो जातकर्म विधीयते । मन्त्रवत्प्राशनं
 चास्य हिरण्यमधुसर्पिषाम् ॥२९॥ नामधेयं दशम्यां तु द्वा-
 दश्यां वाऽस्य कारयेत् । पुण्ये तिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा
 गुणान्विते ॥३०॥ मङ्गल्यं ब्राह्मणस्य स्यात्क्षत्रियस्य बला-
 न्वितम् । वैश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितम् ॥३१॥
 शर्मवद्ब्राह्मणस्य स्याद्राज्ञो रक्षासमन्वितम् । वैश्यस्य पुष्टि-
 संयुक्तं शूद्रस्य प्रेष्यसंयुतम् ॥ ३२ ॥

अर्थे नाभि छेदने के पूर्व पुरुष का जातकर्म संस्कार करे और गृह्योक्त
 वेदमन्त्रों से सुवर्ण मधु घृत का प्राशन करावे चटावे) ॥२९॥ दशवें या बारहवें
 दिन नामकरण करे अथवा जब शुद्ध तिथि मुहूर्त (दो घड़ी) नक्षत्र हो ॥
 (इसका तात्पर्य साफ दिन और समय से है, जिसमें मेघाच्छन्नादि दुर्दिन
 न हो) ॥३०॥ सुखवाचक शब्दयुक्त ब्राह्मण का नाम हो, क्षत्रिय का बलयुक्त,
 वैश्य का धनयुक्त और शूद्र का दास्ययुक्त नाम होवे ॥३१॥ ब्राह्मण के नाम
 शर्मा, क्षत्रिय के वर्मादि, वैश्य के भूतियुक्त और शूद्र के दासयुक्त रखे ॥३२॥

स्त्रीणां सुखोद्यमक्रूरं विस्पृष्टार्थं मनोहरम् । मङ्गल्यं दीर्घवर्णा-
 न्तमाशीर्वादाभिधानवत् ॥३३॥ चतुर्थे मासि कर्तव्यं शिशोर्नि-
 ष्क्रमणं गृहात् । षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि अद्वेषं मङ्गलं कुले ॥३४॥

अर्थ—और स्त्रियों का नाम सुख से उच्चारण करने योग्य हो, क्रूर न हो
 जिसके अक्षर स्पष्ट हों और प्रीति का देने वाला और मङ्गलवाची, दीर्घ
 स्वर जिसके अन्त में हो और आशीर्वादात्मक शब्द से युक्त हो, ऐसा रखे
 (जैसे यशोदा देवी इत्यादि) ॥३३॥ चतुर्थे मास में बालक को घर से बाहर
 निकालने का संस्कार और छठ मास में अन्नप्राशन संस्कार करावे या जिस
 प्रकार कुलाचार हो उस समय करे ॥ ३४ ॥

चूडाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः । प्रथमेऽव्दे तृतीये वा
 कर्तव्यं श्रुतिचोदनात् ॥३५॥ गर्भाष्टमेऽव्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्यो-
 पनायनम् । गर्भादिकादशे राज्ञोगर्भान्तु द्वादशे विशः ॥३६॥

अर्थ—ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का चूडाकर्म धर्मानुसार प्रथमवातीसरे वर्ष में वेद की आज्ञा से करना चाहिये ॥ ३५ ॥ गर्भ से अष्टम वर्ष में ब्राह्मण का और गर्भ से एकादश में क्षत्रिय का और द्वादश में वैश्य का उपनयन करे ॥३६॥

ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्यं विप्रस्य पञ्चमे । राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे
वैश्यस्येहार्थिनोऽष्टमे ॥ ३७ ॥ आषोडशाद्ब्राह्मणस्य सावित्री
नातिवर्तते । आद्वाविंशात्क्षत्रचन्द्रोराचतुर्विंशतेर्विशः ॥३८॥

अर्थ—वेदाध्ययन के अर्थ ज्ञानादि से बड़ा तेज ब्रह्मवर्चस कहाता है, उस की इच्छा करने वाले विप्र का पांचवें वर्ष में उपनयन करे और बलार्थी क्षत्रिय का छठे वर्ष और कृष्यादिकर्म की इच्छावाले वैश्य का ८ वें में उपनयन करे ॥३७॥ सोलह वर्षपर्यन्त ब्राह्मण की सावित्री नहीं जाती और क्षत्रिय की बाईस वर्ष पर्यन्त, वैश्यकी १४वर्ष पर्यन्त (अर्थात् उपनयन काल की यह परमावधि है) ३८

अत ऊर्ध्वं त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः । सावित्रीपतिता
ब्रात्याभवन्त्यार्थविगर्हिताः ॥३९॥ नैतैरपूतैर्विधिवदापद्यपि हि
कहिंचित् । ब्राह्मणान्यौनांश्च संबन्धानाचरेद्ब्राह्मणः सह ॥४०॥

अर्थ—इस के उपरान्त ये तीनों सावित्रीपतित होजाती हैं, अपने अपने काल में उपनयन से रहित होने से इन की संज्ञा 'ब्रात्य' होती है और शिष्टों से निन्दित होते हैं ॥ ३९ ॥ इन अपवित्र ब्रात्यों के साथ जिन का प्रायश्चित्तादि विधिपूर्वक नहीं हुआ, आपत्काल में भी ब्राह्मणादि विद्या या योनि का सम्बन्ध न करे ॥ ४० ॥

कार्णरौरववास्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिणः । वसिरत्नानुपूर्व्येण
शाणक्षौमाविकानि च ॥४१॥ मौञ्जी त्रिवृत्सखा शलक्षणा कार्या
विप्रस्य मेखला । क्षत्रियस्य तु मौर्वीज्या वैश्यस्य शणतान्तवी ४२

अर्थ—कृष्णमृग, हरमृग, अज इन के चर्मोंका वस्त्र ३ वर्ष के ब्रह्मचारी क्रमशः रत्न और सन, क्षौम (अलसी) तथा ऊन का भी ॥ ४१ ॥ ब्राह्मण की मेखला तिलड़ी और चिकनी सुखस्पर्शवाली मूँझ की और क्षत्रिय की मूर्वा वृण से धनुष के गुण सी और वैश्य की सन के डोरे की बनावे ॥४२॥

मुञ्जालाभे तु कर्तव्या कुशाशमन्तकवल्बजैः। त्रिवृता ग्रन्थिनै
केन त्रिभिःपञ्चभिरेववा॥४३॥कार्पासमुपवीतंस्थाद्विप्रस्योर्ध्व
वृतं त्रिवृत्। शणसूत्रमयं राज्ञो वैश्यस्याविकसौत्रिकम् ॥४४॥

अर्थ—सूज के न मिलने पर कुश, अशमन्तक, वल्बज वृणोंकी ऊम से तीनों
वर्णों की मेखलातीन लर वाली, १ या, ३ या ५ ग्रन्थि लगाकर बनावे ॥४३॥
कपास का जनेऊ ब्राह्मण का ऊपर की बटार हुआ और त्रिगुण (३ लर) होवे।
और सन के छोरे का क्षत्रिय का और वैश्य का भेड़की ऊन का होवे ॥ ४४ ॥

ब्राह्मणो बिल्वपालाशौ क्षत्रियोवाटखादिरौ। पीपलौदुम्बरौ
वैश्योदण्डानर्हन्तिधर्मतः४५ केशान्तिकोब्राह्मणस्यदण्डःकार्यः
प्रमाणतः। ललाटसंमितोराज्ञःस्थात्तुनासान्तिकोविशः ॥४६॥

अर्थ—ब्राह्मण बेल या पलाश के दण्ड, क्षत्रिय बट वा खदिर के तथा
वैश्य पीपल वा गुलर के दण्ड, ऊम से सब धर्मानुसार बनायें ॥ (इस श्लोक
में जन्दन टीकाकार ने ब्राह्मणादि ग्रन्थों के प्रमाण देकर बिल्वादि के साथ
ब्राह्मणादि की समानता दिखाई है। वह लिखता है कि १—असौ वा आदित्यो
यतो जायत ततो बिल्व उदतिष्ठत स योन्यैव ब्रह्मवर्षसमवहन्थे इति श्रुतेः=
अर्थात् जिस कारण की प्रधानता से सूर्य बना है, उसीसे बिल्व का वृक्ष भी
उपजा है, इसलिये वह जन्म से ही ब्रह्मवर्षस का प्रभाव (अक्षर) धारण
करता है। इस कारण ब्राह्मण बेलका दण्ड धारण करे। २—तदुक्तसैतरेयब्रा-
ह्मणे-क्षत्रं वा एतद्वनस्पतीनां यन्न्यग्रोधः। क्षत्रं वैराजन्य इति=अर्थात् ऐत-
रेय ब्राह्मण में यह लिखा है कि बट वृक्ष वनस्पतियोंमें क्षत्रिय है। क्षत्रिय
राजा है। इस लिए क्षत्रिय बट का दण्ड रखे। ३—अरुतोवा एतदोजो यद-
श्वत्थ । अरुतोवै देवानां विशः इति श्रुतेः=अर्थात् अश्वत्थ (पीपल) वायु
के वृक्ष से प्रधानता से युक्त है और वायु देवतों का वैश्य है, क्योंकि देवतों
के हव्य पदार्थ इधर उधर ले चलता है, जैसे वैश्य लोग भोजनदि के अनादि
एक देश से दूसरे देश में लेजाते हैं। इसलिये वैश्य पीपल का दण्ड बनावे।
इस के अतिरिक्त अन्य जिन वृक्षों वा वृणों के दण्ड वा मेखला का विधान
है, उन में भी उस उस वर्ण के साथ किसी स्वाभाविक समानता का आन-

मान होता है, जो ब्राह्मणग्रन्थों के खोजने से मिल सकता है। किन्हीं पुस्तकों में
 "पैलवीदुम्बरी" भी पाठ है) ॥ ४५ ॥ ब्राह्मण का केशान्तिक अर्थात्
 शिर के बाल तक लम्बाई का दण्ड होवे और ललाट तक क्षत्रिय का तथा
 वैश्य का दण्ड नाक तक लम्बा होवे ॥ ४६ ॥

ऋजवस्तेतु सर्वे स्युरत्रणाःसौम्यदर्शनाः । अनुद्वेगकरा नृणां
 सत्वचोनाग्निदूषिताः ॥४७॥ प्रतिगृह्येपिसतं दण्डमुपस्थाप्य
 च भास्करम्प्रदक्षिणं परीत्याग्निं चरेद्वैक्षं यथाविधि ॥४८॥

अर्थ—ओर के सब (दण्ड) सीधे हों, कटे न हों, देखने में सुन्दर हों तथा
 मनुष्यों को डरावने न हों, बल्कलसहित हों और आग से जले न हों ॥४७॥
 यथेष्ट दण्ड को ग्रहण करके और आदित्य के सम्मुख स्थित होकर अग्नि को
 प्रदक्षिणा देकर, यथाविधि भिक्षा करे ॥ ४८ ॥

भवत्पूर्वं चरेद्वैक्षमुपनीतोद्विजोत्तमः । भवन्मध्यं तु राजस्यो
 वैश्यस्तुभवदुत्तरम् ॥४९॥मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनीं
 निजाम् । भिक्षेत भिक्षां प्रथमं याचैनं नावमानयेत् ॥ ५० ॥

अर्थ—उपनीत ब्राह्मण भवत् शब्द को प्रथम उच्चारण करके भिक्षा करे ।
 क्षत्रिय भवत् शब्द को मध्य में, वैश्य अन्त में (अर्थात् ब्राह्मण—“अहो
 भिक्षां ददातु” इस प्रकार उच्चारण करे । क्षत्रिय “भिक्षां भवती ददातु”, वैश्य
 “भिक्षां ददातु भवती” इस प्रकार तीनों का क्रम है ॥४९॥ प्रथम माता से भिक्षा
 मांगे या मौसी या अपनी भगिनी से और जो कोई इस का अपमान न करे ॥५०॥

समाहृत्य तु तद्वैक्षं यावदर्थममायया ।

निवेद्य गुरुवेऽशनीयादाचम्य प्राङ्मुखः शुचिः ॥५१॥

“आयुष्यं प्राङ्मुखोभुङ्क्ते यशस्यं दक्षिणामुखः ।

अथ प्रत्यङ्मुखोभुङ्क्त ऋतं भुङ्क्तेह्युदङ्मुखः ॥५२॥

अर्थ—वह भिक्षा लाकर निष्कपट होके गुरु को वृत्ति भर देकर आप आह-
 मन करके पूर्वाभिमुख होकर भोजन करे ॥५१॥ “आयु के हित के लिये
 पूर्वाभिमुख होकर, यज्ञ के अर्थ दक्षिण की ओर होकर, सम्पत्ति के लिये
 पश्चिम और सत्य को चाहे तो उत्तर की ओर मुख करके भोजन करे ॥ ५२ ॥”

(पूर्वादि दिशाओं का आयु आदि के साथ कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता। केवल किन्हीं टीकाकारों ने इसे काम्यवचन कहा है। यदि उन का कहना माने तो आयु आदिकी कामनावाले क्रमशः पूर्वादि नियत दिशाओं में मुख करके भोजन किया करें, यह मानना होगा। ब्रह्मचारी के कर्तव्यों में यह कोई आवश्यक भी कर्तव्य नहीं। इस लिये हमको यह श्लोक प्रक्षिप्त सा प्रतीत होता है और इस से आगे एक अन्य श्लोक है जो कि सज्जन के (आठवले) ज्ञाना साहेब के रामचन्द्र टीकायुक्त पुस्तक और पूना के (जोशी) बलवन्तराव के मूल पुस्तक में पाया जाता है। तथा प्रयाग के (मुन्शी) हनुमान्प्रसादजी के मूल पुस्तकमें (*श्रुतिनोदितम्) पाठभेद है। शेष २१ पुस्तकों में नहीं पायाजाता। इससे जान पड़ता है कि थोड़े समय से ही बढ़ाया गया है। तथा रामचन्द्र टीकाकार के अतिरिक्त शेष ५ में से किसी ने भी इस पर टीका नहीं की और रामचन्द्र सबसे अन्तिम समय के टीकाकार हैं। इस से भी प्रतीत होता है कि मेधातिथि आदि रामचन्द्र से पुराने टीकाकारों के समय में यह श्लोक न था, जिसका पाठ इस प्रकार है:-

[सायं प्रातर्द्विजातीनाभशनं स्मृति (* श्रुति) नोदितम् ।
नान्तरे भोजनं कुर्यादग्निहोत्रसमोविधिः ॥ ५२ ॥]

इस का अर्थ यह है कि द्विजों को (श्रुति वा) स्मृतिने सायंप्रातः दोवार भोजन की आज्ञा दी है। बीच में भोजन न करे। इसकी विधि अग्निहोत्र के समान है ॥ यद्यपि हमको इस में कोई सुराई नहीं प्रतीत होती परन्तु यह श्लोक नवीन समय का है और कुछ आश्चर्य नहीं कि वह पहला श्लोक जो अब सब पुस्तकों और टीकाओं में उपस्थित है, भी वह कुछ पुराने समय में लिखाया गया हो) ॥ ५२ ॥

उपरुपृश्यद्विजोनित्यमन्नमद्यात्समाहितः।भुक्त्वाचोपरुपृशेत्
सम्यग्द्विः खानि च संरुपृशेत्॥५३॥ पूजयेदशनंनित्यमद्याञ्चै-
तदकुत्सयन् । दृष्ट्वा हृष्येत्प्रसीदेषु प्रतिनन्देषु सर्वशः ॥५४ ॥

अर्थ—ब्राह्मणादि नित्य आचमनादिकरके, एकाग्र हो, भोजन करे। भोजन करनेके पश्चात् भी भले प्रकार आचमन करे और चटुरादिका जल से स्पर्श करे ॥५३॥ और भोजन के समय अन्न का प्रतिदिन संस्कार करे, निन्दा न

करके भोजन करे और देख के हृष्ट, प्रसन्न होवे और सर्वथा प्रशंसा करे ॥५४॥

पूजितं ह्यशनं नित्यं बलमूर्जं च यच्छति। अपूजितं तु तद्बुद्धमु-
भयं नाशयेद्विदम् ॥५५॥ नोच्छिष्टं कस्यचिद्दद्यान्नाद्याच्चैव तथा-
न्तरा । न चैवाध्यशनं कुर्यान्न चोच्छिष्टः क्वचिद् व्रजेत् ॥५६॥

अर्थ—संस्कृत अन्न बलवीर्य को देता है और असंस्कृत बल सामर्थ्य इन दोनों का नाश करता है (इस लिये संस्कार करके भोजन करना चाहिये) ॥५५॥ उच्छिष्ट अन्न किसी को न दे, भोजन के बीचमें ठहर २ कर भोजन न करे, अधिक भोजन भी न करे और उच्छिष्ट कहीं गमन न करे ॥ ५६ ॥

अनारोग्यमनायुष्यमस्वर्ग्यं चातिभोजनम् । अपुण्यं लोकवि-
द्विष्टं तस्मात्तत्परिवर्जयेत् ॥५७॥ ब्राह्मेण विप्रस्तीर्थेन नित्य-
कालमुपस्पृशेत् । कायत्रैदशिकाभ्यांवा नपित्र्येण कदाचन ॥५८॥

अर्थ—अतिभोजन करना आरोग्य, आयु तथा सुख नहीं देता और पुण्य भी नहीं होता और लोगों में निन्दा होती है, इस लिये अति भोजन न करे ॥ ५७ ॥ विप्र सर्वदा ब्राह्मेतीर्थ से आचमन करे अथवा प्राजापत्य वा देवतीर्थ से करे, परन्तु पित्र्यतीर्थ से कभी न करे ॥ ५८ ॥

(हाथ से काम करने के वा आचमन करने के वा आहुति खोड़ने के चार (तीर्थ) उत्तारने के स्थान हैं । उनमें ब्राह्मादि उत्तरोत्तर अच्छे हैं अर्थात् सुगमता से काम कर सकने योग्य हैं । पित्र्यतीर्थ से आचमन न करने का हेतु बेढक्कापन है क्योंकि अगले प्रलोक में तर्जनी अङ्गुलि और अंगूठे के नीचेके स्थान को पित्र्यतीर्थ कहा है, उससे आचमन करना अत्यन्त कठिन होने से वर्जित है । वह तीर्थ अग्नि में पित्र्य आहुति देने के लिये सुगम पड़ता है) ॥

अङ्गुष्ठमूलस्य तले ब्राह्मं तीर्थं प्रचक्षते । कायमङ्गुलिमूलेऽग्रे
दैवंपित्र्यं तयोरधः ॥५९॥ त्रिराचामेदपः पूर्वं द्विः प्रमृज्यात्ततो
मुखम् । खानि चैव स्पृशेदद्विरात्मानं शिर एव च ॥ ६० ॥

अर्थ—अङ्गुष्ठमूल के नीचे (कलाई) को ब्राह्मतीर्थ कहते हैं और कनिष्ठाङ्गुलि के मूल में कायतीर्थ और उसी के अग्रभाग में देवतीर्थ और अङ्गुष्ठ तथा तर्जनी के मध्य में नीचा पित्र्य तीर्थ है ॥ (यज्ञादि में आहुति आदि कामों के

विभागार्थं यह कल्पना की प्रतीत होती है । विशेष प्रयोजन कुछ नहीं जान पड़ता) ॥५९॥ प्रथम जल से तीन बार आचमन करे, अनन्तर दो बार मुख धोवे, पश्चात् इन्द्रियों, शिर और हृदय का जल से स्पर्श करे ॥ ६० ॥

अनुष्णाभिरफेनाभिरद्विस्तीर्थेन धर्मवित् । शौचेणसुःसर्वदाचा-
मेदेकान्तेप्रागुद्भुमुखः ॥६१॥ हृद्गाभिःपूयतेविप्रःकण्ठगाभिस्तु
भूमिपः । वैश्योद्विःप्राशिताभिस्तु शूद्रःस्पृष्टाभिरन्ततः ॥६२॥

अर्थ—फेनरहित शीतल जल से पवित्र होने की इच्छा करने वाला धर्मज्ञ एकान्त में पूर्व या उत्तर को मुख करके आचमन करे ॥ ६१ ॥ (वह पूर्वोक्त आचमन का जल) हृदय में पहुंचने से ब्राह्मण पवित्र होता है, कण्ठ में प्राप्त होने से क्षत्रिय और मुख में पहुंचने से वैश्य, तथा स्पर्शमात्र से शूद्र पवित्र होता है ॥ ६२ ॥

उद्धृतेदक्षिणेपाणावुपवीत्युच्यतेद्विजः । सव्येप्राचीनआवीती
निवीती कण्ठसज्जने ॥ ६३ ॥ मेखलामजिनं दण्डमुपवीती
कमण्डलुमाप्रप्सुप्रास्यविनष्टानिगृह्णीतान्यानि मन्त्रवत् ६४

अर्थ—दक्षिण हाथ को बाहर निकालने (बायें के ऊपर जनेऊ कर लेने) पर द्विज “उपवीती” कहाता है । इसके विपरीत करने पर “प्राचीन आ-
वीती” और जब जनेऊ कण्ठ से लगा हो तब “निवीती” कहाता है ॥ ६३ ॥ मेखला और मृगचर्मादि तथा दण्ड, जनेऊ और कमण्डलु; इन दूटे वृषों को पानी में डालकर और नवीन को मन्त्र पढ़कर ग्रहण करे ॥ ६४ ॥

केशान्तः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते ।

राजन्यबन्धोद्वाविंशे वैश्यस्य द्वायधिके ततः ॥६५॥

“अमन्त्रिका तु कार्येयं स्त्रीणामावृदशेषतः ।

संस्कारार्थं शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम् ॥६६॥

अर्थ—ब्राह्मण का केशान्त संस्कार सोलहवें वर्ष में करे और क्षत्रिय का २२ बार्हस्पत्य में तथा उस से २ अधिक (२४ श्रीश्रीसर्वे वर्ष) में वैश्य का ॥६५॥ “यह (जातकर्मादि) सम्पूर्ण कार्य, उक्त काल और क्रम में शरीर के संस्कारार्थे स्त्रियों के अमन्त्रक करे अर्थात् स्त्रियों के इन संस्कारों में वेदोक्त मन्त्र न पड़े ॥ ६६ ॥

“ वैवाहिकोविधिः स्त्रीणां संस्कारोवैदिकः स्मृतः ।

पतिसेवा गुरौ वासीगृहार्थोऽग्निपरिक्रिया ” ॥६७॥

एष प्रोक्तोद्विजातीनामौपनायनिकोविधिः ।

उत्पत्तिव्यञ्जकः पुण्यः कर्मयोगं निबोधत ॥६८॥

अर्थ—“स्त्रियों के विवाहसम्बन्धी जो विधि है, वही केवल वेदोक्त कही है और पतिसेवा=गुरुकुलवास, गृहकृत्यादि=सायंप्रातर्होम है ॥” (६६ वें श्लोक का यह कहना तो ठीक है कि स्त्रियों के भी गर्भाधान से लेकर केशान्त संस्कार पर्यन्त सब संस्कार करने चाहिये, परन्तु इस के लिये किसी पृथक् विधान की आवश्यकता नहीं। क्योंकि तीनों वर्णों के जो जो संस्कार पूर्व कह आये हैं, वे २ सब कन्या और पुत्र दोनों ही के हैं। पुस्त्रिङ्ग निर्देश अवि-वक्षित है। अर्थात् वक्ता का तात्पर्य वर्षमात्र में है, चाहे कन्या हो, वा पुत्र। जैसे कोई कहे कि (योत्राऽऽगमिष्यति स मृत्युनाऽपस्यति=जो यहां आवेगा वह मर जायगा) इस दशा में यद्यपि पुस्त्रिङ्ग का निर्देश है, परन्तु कहने वाले का तात्पर्य स्त्री पुरुष दोनों से है। अथवा वैदिक शास्त्र में पुस्त्रिङ्ग करके निर्देश करते हुवे जो सामान्य विधि निषेध किये हैं, वे सब स्त्री पुरुषों दोनों को समझे जाते हैं। ऐसे ही जो साधारण संस्कार हैं, वे सब स्त्री पुरुषों के एक से और एकही विधिवाक्य से विहित समझने चाहिये और कन्याओं के विवाह संस्कार को छोड़कर अन्य संस्कारों में वेदमन्त्र पढ़ने का निषेध भी प्रसिद्ध है। जहां तक हमने देखा और विचारा है, वहां तक वेदों में कहीं यह निषेध नहीं पाया जाता। इसलिये ६६। ६७ श्लोक स्त्री जातिके विद्वेषी अन्य मतों के समर्थ से प्रसिद्ध जान पड़ते हैं। तथा ६५ वें श्लोक को ६८ वें श्लोक के साथ मिलाकर पढ़िये तो ठीक सम्बन्ध चला जाता है) ॥६७॥ यह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का उपनयन सम्बन्धी विधि कहा। यह विधि जन्म का जललाने वाला और पवित्रकारक है (अब आगे) कर्तव्य को सुनो ॥ ६८ ॥

उपनीयगुरुःशिष्यंशिक्षयेच्चौचमादितः।आचारमग्निकार्यंच

संध्योपासनमेव च ॥६९॥अध्येष्यमाणस्त्वाचान्तोयथाशास्त्र-

मुदङ्मुखः।ब्रह्माक्षुलिकृतोऽध्याप्योलघुवासाजितेन्द्रियः॥७०॥

अर्थ—गुरु उपनयन कराकर शिष्य को प्रथम शौच, आचार, सायं प्रातः-होम तथा संध्यापासन सिखावे ॥६९॥ पढ़ने वाले शिष्य को शास्त्र विधि से आचनन करके, हाथ जोड़कर, उत्तरमुख हो; हलका वस्त्र पहिर, जितेन्द्रिय होकर पढ़ना चाहिये ॥ ७० ॥

ब्रह्मारम्भेऽवसाने च पादौग्राह्यौगुरोःसदा।संहत्य हस्तावध्येयं
स हि ब्रह्माञ्जलिःस्मृतः ॥ ७१ ॥ व्यत्यस्तपाणिना कार्यमुपसं-
ग्रहणं गुरोः। सव्येन सव्यः स्पृष्टव्योदक्षिणेन च दक्षिणः ॥ ७२ ॥

अर्थ—वेदाध्ययन के आरम्भ और समाप्ति के समय सदा गुरु के चरण-छुवे और हाथ जोड़ के पढ़े। इस को ब्रह्माञ्जलि कहते हैं ॥ ७१ ॥ अलग २ हाथ करके गुरु के पैर छुवे, दहिने से दहिना और बावें से बावां ॥ ७२ ॥

अध्येष्यमाणं तु गुरुर्नित्यकालमतन्द्रितः। अधीष्वभोइति
ब्रूयाद्विरामोस्त्विति चारमेत् ७३ ब्राह्मणःप्रणवंकुर्षादादावन्ते
च सर्वदा। स्रवत्यऽनोकृतं पूर्वं पुरस्ताच्च विशीर्यति ॥ ७४ ॥

अर्थ—आलस्यरहित गुरु सर्वदा पढ़ने वाले शिष्य के प्रति प्रथम पढ़ने के समय “अधीष्वभोः” अर्थात् “हे शिष्य पढ़, ऐसे कहै, पश्चात् “विरामो-स्त्विति” अर्थात् “अब बस करो, ऐसे कहै, तब पढ़ना बन्द करै ॥७३॥ वेद के पढ़ने के प्रारम्भ में सदा प्रणव (ओ३म्) का उच्चारण करै और अन्त में भी। यदि आदि में और अन्त में ओ३म् का उच्चारण न करै तो उस का पढ़ा हुआ धीरे र नष्ट हो जाता है ॥ ७४ ॥

प्राक्कूलान्पर्युपासीनः पवित्रैश्चैव पावितः। प्राणायामैस्त्रिभिः
पूतस्तत ओङ्कारमर्हति ॥ ७५ ॥ अकारं चाप्युकारं च मकारं च
प्रजापतिः। वेदत्रयान्निरदुहद् भूर्भुवःस्वरित्तीति च ॥ ७६ ॥

अर्थ—पूर्वाग्र दूर्भों को ब्रिड्याकर उस पर बैठे और पवित्रों से मार्जन कर पवित्र होकर, तीन धार प्राणायामों से पवित्र हो, ओङ्कार के उच्चारण करने योग्य होता है ॥ ७५ ॥ ब्रह्मा ने तीनों वेदों से अकार उकार मकार और भूर्भुवः स्वः यह तीन व्याहृति सार निकाली हैं ॥ ७६ ॥

त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादमदूदुहत् तदित्युचोस्थाः सावि-
त्र्याः परमेष्ठी प्रजापतिः ॥७७॥ एतदक्षरमेतां च जपन् व्या-
हृतिपूर्विकाम् । संधययोर्वेदविद्विप्रो वेदपुण्येन युज्यते ॥७८॥

अर्थ—प्रजापति ब्रह्मा ने तीनों वेदों से "तत्सवितुः०" इस सावित्री ऋचा के एक एक पाद को दुहा है ॥७७॥ इस (ओङ्काररूप) अक्षर और त्रिपादयुक्त सावित्री को, तीनों व्याहृति पूर्व लगाकर, वेदका जानने वाला दोनों सध्याओं में जपता हुआ विप्र वेद पढ़ने के फल को प्राप्त होता है ॥ ७८ ॥

सहस्रकृत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेतत्त्रिकं द्विजः।महतीप्येनसो मा-
सात्त्वचेवाहिर्विमुच्यते ॥७९॥ एतयर्चा विसंयुक्तः काले च
क्रियया स्वया।ब्रह्मक्षत्रियविद्यो निर्गर्हणां याति साधुषु ॥८०॥

अर्थ—और इस त्रिक (अर्थात् प्रणव, व्याहृति, त्रिपादयुक्तगायत्री) को सहस्रवार ग्रामके बाहर (नदी तीर वा अरण्य में) एक जास जपने से द्विज महापाप से भी छूटता है । जैसे सर्प कंचली से (यह १ प्रायश्चित्त जानो । प्रायश्चित्त से पाप छूटने का एकादशाध्याय में व्याख्यान लिखेंगे) ॥ ७९ ॥ इस गायत्री के जपसे रहित और सायंप्रातः स्वक्रिया (अग्निहोत्रादि) से रहित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण संजनों में निन्दा को पाता है ॥ ८० ॥

ओङ्कारपूर्विकास्तिस्त्रोमहाव्याहृतयोऽव्यथाः। त्रिपदाचैवसा-
वित्रीविज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम् ॥८१॥ योऽधीतेऽहन्यहन्यतांस्त्रीणि
वर्षाण्यतन्द्रितः।स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः स्वमूर्तिमान् ॥८२॥

अर्थ—ओङ्कारसे युक्त तीन अविनाशिनो महाव्याहृति और त्रिपदागायत्री को वेद का मुख जानना (वेद के अध्ययन के पूर्व में पढ़ी जाती हैं और ब्रह्म जो परमात्मा, उसका प्राप्ति हेतु है) ॥ ८१ ॥ जो पुरुष प्रतिदिन आलस्य रहित होकर तीन वर्ष पर्यन्त ओं, व्याहृति और गायत्री का जप करता है वह परब्रह्म को प्राप्त होता है, वायुवत् स्वतन्त्रघारी होकर स्वमूर्तिमान् शरीर बन्धन से रहित होजाता है ॥ ८२ ॥

एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः परंतपः। सावित्र्यास्तु परं नास्ति
मौनात्सत्यं विशिष्यते ॥८३॥ क्षरन्ति सर्वा वैदिक्यो जुहोति-

यजतिक्रियाः । अक्षरं दुष्करं ज्ञेयं ब्रह्मचैव प्रजापतिः ॥८४॥

अर्थ—ओ३म् यह एक अक्षर परब्रह्मका वाचक है और प्राणायाम बड़ा तप है और गायत्रीसे श्रेष्ठ कोई मन्त्र नहीं, तथा मौन से सत्यभाषण श्रेष्ठ है ॥८३॥ सम्पूर्ण वेदविहित क्रिया (यज्ञयागादि) नाशवान् है, परन्तु कठिन से जानने योग्य प्रजापति ब्रह्म का प्रतिपादक ओ३म् अक्षर अविनाशी है ॥८४॥

विधियज्ञाज्जपयज्ञोविशिष्टोदशभिर्गुणैः । उपांशुः स्याच्छतगुणः साहस्री मानसः स्मृतः ॥८५॥ ये पाकयज्ञाश्चत्वारो विधियज्ञ समन्विताः । सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् ॥८६॥

अर्थ—विधियज्ञ (वैश्वदेवादिकों) से जपयज्ञ दशगुण अधिक है और वही यदि दूसरों के अंग में न आवे, ऐसा जप शतगुण अधिक है । और (जिह्वाके न हिलने से) केवल मन से जो जप किया जावे, वह सहस्रगुण अधिक कहा है ॥८५॥ ये जो ४ पाकयज्ञ हैं (अर्थात् वैश्वदेव १ बलिकर्ष २ नित्यश्राद्ध ३ अतिथिभाजन ४) यज्ञ (पौर्णमासादि) से युक्त, ये सब, जपयज्ञ के षोडश भाग को भी नहीं पाते (अर्थात् जपयज्ञ सब से श्रेष्ठ है) ॥ ८६ ॥

जप्येनैव तु संसिध्येद्ब्राह्मणो नात्र संशयः । कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान् मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥८७॥ इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । संयमे यत्नमातिष्ठेद्विद्वान्यन्तेव वाजिनाम् ॥ ८८ ॥

अर्थ—ब्राह्मण जप करने ही से सिद्धि को प्राप्त होता है (अर्थात् मोक्ष प्राप्त होनेके योग्य होता है) और अन्य कुछ (यागादि) करे अथवा न करे वह नैव अर्थात् सर्वप्रिय कहा है । इसमें संशय नहीं ॥८७॥ अपनी ओर खैचने के स्वभाव वाले विषयों में विचरने वाली इन्द्रियों के संयम में विद्वान् यज्ञ करे । जैसे मारुति घोड़ों के रोकने में यत्नकरता है ॥ ८८ ॥

एकादशेन्द्रियाण्यहुर्यानि पूर्वसनीषिणः । तानि सम्यक्कृतवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥८९॥ श्रोत्रं त्वक् चक्षुषी जिह्वानासिका चैव पञ्चमी । पायूपस्थं हस्तपादं वाक् चैव दशमी स्मृता ९०

अर्थ—पूर्व मुनियों ने जो एकादश ११ इन्द्रियें कही हैं, उनको क्रमशः ठीकर अच्छे प्रकार कहता हूँ कि—॥८९॥ कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और पाँचवीं नाक और गुदा, शिश्न, हस्त, पाद और १० वीं वाणी कही है ॥ ९० ॥

बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैषांश्रोत्रादीन्यनुपूर्वशः । कर्मेन्द्रियाणि प-
ञ्चैषां पायवादीनि प्रचक्षते ॥९१॥ एकादशं मनोज्ञं स्वगुणेनो-
भयात्मकम् । अस्मिन् जिते जितावेतौ भवतः पञ्चकौ गणौ ॥९२॥

अर्थ—उन में श्रोत्रादि क्रमशः पांचबुद्धीन्द्रिय अर्थात् ज्ञानेन्द्रिय हैं और उन में गुदा आदि पांच का कर्मेन्द्रिय कहते हैं ॥ ९१ ॥ एकादशवां मन अपने गुण से दोनों (ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियों) को चलाने वाला है । जिस के वश्य होने से यह दोनों पांच २ के गण वश में होजाते हैं ॥ ९२ ॥

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यऽसंशयम् । सन्नियम्य तु तान्येव
ततः सिद्धिं नियच्छति ॥९३॥ न जातु कामः कामानामुपभोगेन
शास्यति । हविषा कृष्णवर्त्मैव भूय एवाऽभिवर्धते ॥ ९४ ॥

अर्थ—इन्द्रियों के विषयों में फँसने से निःसंदेह दोष को प्राप्त होता है और उन्हीं के रोकने से फिर सिद्धि को प्राप्त होता है ॥ ९३ ॥ विषय भोग की इच्छा विषयों के भोग से कभी शान्त नहीं होती, जैसे घृत से अग्नि (कभी शान्त नहीं होता किन्तु) अधिक ही बढ़ता है ॥ ९४ ॥

यश्चैतान्प्राप्नुयात्सर्वान्यश्चैतान्केवलास्त्यजेत् । प्रापणात्सर्व
कामानां परित्यागो विशिष्यते ॥९५॥ न तथैतानि शक्यन्ते
संनियन्तुमसेवया । विषयेषु प्रजुष्टानि यथाज्ञानेन नित्यशः ॥९६॥

अर्थ—जो इन सब विषयों को भोगे और जो इन को केवल छोड़ देवे, (उन दोनों में) संपूर्ण कामनाओं का भोगने से छोड़ना बड़ कर है ॥९५॥ ये विषयासक्त इन्द्रिय विषयों के सेवन विना भी उस प्रकार नहीं जीती जा सकतीं, जैसे कि सर्वदा (विषयों के दोष के) ज्ञान से ॥ ९६ ॥

वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च । न विप्रदुष्टभावस्य
सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित् ९७ श्रुत्वास्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रा-
त्वा च योनरः । न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयोजितेन्द्रियः ९८

अर्थ—वेदाध्ययन, दान, यज्ञ, नियम और तप; ये दुष्टभाववाले को कभी सिद्ध नहीं होते ॥९७॥ जिस पुरुष को (निन्दा या स्तुति के) सुनने से और (कोमल वा कड़ी वस्तु के) स्पर्श करने से तथा (सुन्दर वा असुन्दर वस्तु के) देखने

से और (अच्छे भोजन या सामान्य) भोजन से और (सुगन्ध वा दुर्गन्ध) पदार्थ के सूंघने से हृष विबाद न हो, उस का जितेन्द्रिय जानना ॥ ९८ ॥

इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यद्येकं क्षरतीन्द्रियम् । तेनास्य क्षरति प्रज्ञा
हृतेः पात्रादिबोद्धकम् ॥ ९९ ॥ अशोकृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च अन-
स्तथा । सर्वान्संसाधयेदर्थानक्षिप्वन्योगतस्तनुम् ॥ १०० ॥

अर्थ-संपूर्ण इन्द्रियों में यदि एक भी इन्द्रिय का विषय में झुकाव हो तो तत्वज्ञानी की बुद्धि उस से नष्ट होती है । जैसे दूति-मशक (वा फूटे पात्र) से (उसका) पानी ॥ ९९ ॥ इन्द्रियों के गणों को स्वाधीन करके और मन का भी संयम करके युक्तिसे शरीर को पीड़ा न देता हुआ संपूर्ण अर्थों (पुरुषार्थचतुष्टय) को साधे ॥ १०० ॥

पूर्वासंध्यां जपं स्तिष्ठेत्सावित्रीमार्कदर्शनात् । पश्चिमांतुसमा-
सीनः सम्यग्दृक्षविभावनात् ॥ १०१ ॥ पूर्वा संध्यां जपं स्तिष्ठन्नैशमे-
नो व्यपीहति । पश्चिमांतुसमासीनो मलं हन्ति दिवाकृतम् ॥ १०२ ॥

अर्थ-प्रातःकाल की संध्या को गायत्री का जप करता हुआ सूर्यदर्शन होने तक स्थित होकर और सायंकाल की संध्या को नक्षत्रदर्शन ठीक २ होने तक बैठ कर करे ॥ १०१ ॥ प्रातः संध्या के जप से रात्रि भर की और सायं संध्या से दिन भर की दुर्वासना का नाश होता है ॥ १०२ ॥

नतिष्ठति तु यः पूर्वां नोपास्तेयश्च पश्चिमां । शूद्रवद्वहिष्कार्यः
सर्वस्माद्द्विजकर्मणः ॥ १०३ ॥ अपांसमीपे नियतो नैत्यकं विधि
मास्थितः । सावित्रीमप्यधीथीत् गत्वारण्यं समाहितः ॥ १०४ ॥

अर्थ-जो प्रातःकाल की संध्या न करे और जो सायंकाल की भी न करे, वह संपूर्ण द्विजों के कर्म से शूद्रवत् वहिष्कार्य है ॥ १०३ ॥ जल के समीप एकार्याचित्त से वन (वा एकान्त) में जाकर (संध्या यन्त्रादि) नैत्य कर्म और गायत्री का जप भी करे ॥ १०४ ॥

वेदोपकरणेषु चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके । नानुरोधोस्त्यनध्याये
होममन्त्रेषु चैव हि ॥ १०५ ॥ नैत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि
तत्स्मृतम् । ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यमनध्यायवपत्कृतम् ॥ १०६ ॥

अर्थ—शिक्षादि के पढ़ने और नित्य के स्वाध्याय और होममन्त्रोंमें अनध्याय के दिन भी मनाई नहीं है ॥ १०५ ॥ नित्य के कर्म में अनध्याय नहीं है क्योंकि उस को ब्रह्मयज्ञ कहा है । उस में ब्रह्माहुति का ही होम है और (उस) अनध्याय में भी वषट्कार (समाप्तिसूचक) शब्द किया जाता है ॥ १०६ ॥

यःस्वाध्यायमधीतेऽब्दं विधिना नियतः शुचिः । तस्य नित्यं क्षरत्येष पयोदधि घृतमधु ॥ १०७ ॥ अग्नीन्धनं भैक्षचर्यामधः शय्यांगुरोर्हितम् । आसमावर्तनात्कुर्यात्कृतोपनयनोद्विजः ॥

अर्थ—जो पुरुष एक वर्षपर्यन्त विधियुक्तनियम से पवित्र होकर स्वाध्याय पढ़ता है, उस के लिये वह (स्वाध्याय) दूध, दधि, घृत, मधु को वर्षाता है ॥ १०७ ॥ उपनयन किया हुआ द्विज, ब्रह्मचर्य व्रत को जब तक समावर्तन न हो, इस प्रकार करे—(समावर्तन उस को कहते हैं, जो गुरु से सम्पूर्ण विद्या पढ़ कर घर जाने की अवधि है) सायंप्रातर्होम, भिक्षा, भूमि पर शयन तथा गुरु का हित किया करे ॥ १०८ ॥

आचार्यपुत्रःशुश्रूषुर्ज्ञानदीधार्मिकःशुचिः । आप्तःशक्तोऽर्थदः साधुःस्वीध्याप्यादशधर्मतः ॥ १०९ ॥ नापृष्टःकस्यचिद्रूपान्नचान्यायेन पृच्छतः । जानन्नपिहिमेधावीजडवल्लोकआचरेत् ॥

अर्थ—आचार्यपुत्र, सेवक, ज्ञानान्तरदाता, धर्मात्मा, पवित्र, प्रामाणिक, धारणाशक्तिवाला, धन देने वाला, हितेच्छु और ज्ञाति; ये दश धर्म से पढ़ाने योग्य हैं (अर्थात् इन को पढ़ाना फल है) ॥ १०९ ॥ विना किसी के पूछे न बोले और अन्याय से पूछते हुवे से भी न बोले, किन्तु जानकर भी बुद्धिमान् उन लोगों में अनजान सा रहे ॥ ११० ॥

अधमणचयः प्राह यश्चाधर्मणपृच्छति । तयोरन्यतरः प्रैति विद्वेषंवाधिगच्छति ॥ १११ ॥ धर्मार्थौयत्र न स्यातां शुश्रूषा वाऽपितद्विधा । तत्रविद्यानवक्तव्याशुभं बीजमिवोपरि ॥ ११२ ॥

अर्थ—क्योंकि जो अधर्म से उत्तर देता और जो अधर्म से पूछता है, उन दोनों में एक सर जाता वा द्वेषी ही जाता है ॥ १११ ॥ जिस (शिष्य के पढ़ाने) में धर्म और अर्थ न हों और वही गुरु में भक्ति भी न हो, उस को विद्या न पढ़ावे । जैसे अच्छा बीज ऊपर में न बोवे (बोने से कुछ उत्पन्न नहीं होता) ॥ ११२ ॥

विद्यथैवसमंकांममर्तव्यं ब्रह्मवादिना । आपद्यपि हि धीरस्य
 नस्तेनात्तरिणे वपेत् ॥ ११३ ॥ विद्या ब्राह्मणमेत्याह शोवधिरिते निधि
 रक्षमास्य असूयकाय मां मादास्तथा स्यां वीर्यवत्तमा ॥ ११४ ॥

अर्थ-चाहे विद्या के साथ मरना पड़े, परन्तु वेदाध्यापक घोर आपत्ति
 में भी अयोग्य शिष्य को विद्या न देवे ॥ ११३ ॥ विद्या ब्राह्मण के पास आकर
 बौली कि मैं तेरी निधि हूँ, मेरी रक्षा कर, असूयकादि दोष वाले पुत्र को
 मुझे मत दे । इस प्रकार करने से मैं बलवती होंगी ॥ ११४ ॥

यमेव तु शुचिं विद्यानियतब्रह्मचारिणमात्मै मां ब्रूहि वि-
 प्रायनिधिपायाऽप्रमादिने ॥ ११५ ॥ ब्रह्मयस्त्वननुज्ञातमधीजा-
 नाद्वाप्रयात्स ब्रह्मस्तेयसंयुक्तो नरकं प्रतिपद्यते ॥ ११६ ॥

अर्थ-जिसको पवित्र, जितेन्द्रिय और ब्रह्मचारी जाने और जो मुझ निधि
 रूप की रक्षा करनेवाला हो, ऐसे प्रमादरहित विप्र को पढ़ावो ॥ ११५ ॥
 और जो कोई अन्य पढ़ रहा हो, उस से बिना उसके पढ़ाने वाले की आज्ञा
 के सीख लेवे, वह विद्या की चोरी से युक्त नरक को प्राप्त होता है (इससे
 ऐश्वर्य न करे) जो आशय यहां मनु में श्लोक ११४ । ११५ और ११६ का है,
 वही आशय निरुक्त २ । ३-४ से भी प्रमाणित होता है । यथा-

नित्यं हि विज्ञातुर्विज्ञानेऽसूयोपसन्नाय तु निर्भ्रूयाद्योवाऽलं
 विज्ञातुं स्यान्मेधाविने तपस्विने वा ॥ ३ ॥ विद्या ह वै ब्राह्म-
 णमाजगाम गोपाय मा शोवधिष्ठेहमस्मि असूयकायानृजवे
 ऽयताय न मा ब्रूया वीर्यवती तथास्याम्य आतृणत्यवितथेन
 कर्णावऽदुःखं कुर्वन्नमृतं संप्रयच्छन् । तं मन्येत पितरं मातरं
 च तस्मै न द्रुह्येत्कतमञ्जनाह ॥ आध्यापिता ये गुरुं नाद्रिय-
 न्ते विप्रावाचा मनसा कर्मणा वा । यथैव ते न गुरोर्भोजनी-
 यास्तथैव तान् भुनक्ति श्रुतं तत् ॥ यमेव विद्याः शुचिप्रमत्तं
 मेधाविनं ब्रह्मचर्योपपन्नम् । यस्ते न द्रुह्येत्कतमञ्जनाह तस्मै
 मां ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन् ॥ इति, निधिः शोवधिरिति ॥ ४ ॥

भावार्थ:- विद्या ने (अध्यापक) ब्राह्मण से कहा कि मेरी रक्षा कर, मैं तेरा (स्वजाना) निधि हूँ। चुगली करने वाले, क्रूर और ब्रह्मचर्य रहित को मेरा उपदेश न कर, जिससे मैं दलबती रहूँ ॥ जो सत्य से दोनों कान भरता है दुःख दूर करता है और अमृत पिलाता है, उसे माता पिता करके मानना चाहिये, उससे कभी द्वेष न करना चाहिये ॥ जो पढ़ लिख कर बुद्धिमान् हो, अपने गुरु का मनवचन वा कर्म से आदर नहीं करते, वे जिस प्रकार गुरु के भोजनीय नहीं, इसी प्रकार उनका पढ़ता सुफल नहीं ॥ किन्तु हे ब्रह्मन् ! जिसको तू शुद्ध, अग्रमादी, बुद्धिमान्, ब्रह्मचर्य से युक्त समझे और जो तुम्हें से कभी द्वेष न करे, उस निधि के रक्षक शिष्य को मेरा दान दे ॥ ११६ ॥

लौकिकं वैदिकं वा पितृयाध्यात्मिकमेव च । आददीत यतो ज्ञानं
तं पूर्वमभिवादयेत् ॥११७॥ सावित्रीमात्रसारोपि वरं विप्रः
सुयन्त्रितः ॥ नायन्त्रितस्त्रिवेदोऽपि सर्वाशी सर्वविक्रयी ॥११८॥

अर्थ-जिससे लौकिक विद्या वा वेदोक्त कर्मकाण्ड तथा ब्रह्मविद्या पढ़े उस (प्रतिष्ठितों के बीच बैठे हुए) को प्रथम नमस्कार करे (पश्चात् अन्यों को) ॥११७॥ जो गायत्री मात्र का जानने वाला भी जितेन्द्रिय विप्र है, वह शिष्टों में मान्य है और जो तीनों वेदों को भी पढ़ा हो परन्तु सध्याभक्ष्य का विचार न रखता हो तथा संपूर्ण वस्तुओं का विक्रय करता हो वह अजितेन्द्रिय शिष्टों में माननीय नहीं है ॥ ११८ ॥

शय्यासनेऽध्याचरिते श्रेयसान समाविशेत् । शय्यासनस्थश्चै
कैर्न प्रत्युत्थायाभिवादयेत् ॥११९॥ उर्ध्वप्राणाह्यत्क्रामन्ति यूनः
स्थविर आयति । प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान् प्रतिपद्यते ॥१२०॥

अर्थ-जो शय्या वा आसन विद्यादि से अधिक वा गुरुके स्वीकार किये हुए हों उन पर आप धराग्र न बैठे और वह गुरु आवे तो आप शय्या वा आसन पर बैठा हुआ भी उठकर नमस्कार करे ॥ ११९ ॥ बड़े आदमी के घर आने पर छोटे आदमी के प्राण ऊपर को उभरने लगते हैं। वे (प्राण) उठकर नमस्कारादि करने से स्वस्थता को प्राप्त होते हैं (इससे अवश्य अपने से विद्यादि में अधिकों को उठ कर नमस्कार करे) ॥ १२० ॥

अभिवादनशीलस्यनित्यं वृद्धोपसेविनः। चत्वारितस्यवर्धन्ते
 आयुर्विद्या यशोबलं ॥१२१॥ अभिवादात्परं विप्रोज्यायां स-
 मभिवादयन्। असौ नामाहमस्मीतिस्वं नामपरिकीर्तयेत् ॥१२२॥

अर्थ—जो प्रति दिन वृद्धों की सेवा करता है और नमस्कार करने के स्वभाव वाला है, उसकी चार वस्तु बढ़ती हैं; आयु, विद्या, यश और बल ॥ १२१ ॥ वृद्ध को नमस्कार करता हुआ विप्र "मैं नमस्कार करता हूँ" इस अभिवादनवाक्य के अन्त में "अमुक नाम वाला हूँ" ऐसे अपना नाम कहे ॥ १२२ ॥

नामधेयस्ययेकेचिदभिवादनं जानते। तान्प्राज्ञोहमिति ब्रूयात्
 स्त्रियः सर्वास्तथैव च ॥१२३॥ भोःशब्दं कीर्तयेदन्ते स्वस्थनाम्नो
 ऽभिवादनो नाम्नां स्वरूपभावो हि भोभावः ऋषिभिः स्मृतः ॥१२४॥

अर्थ—जो कोई नामधेय के उच्चारणपूर्वक नमस्कार करना नहीं जानते उनसे बुद्धिमान् ऐसा कहदे कि "मैं नमस्कार करता हूँ" और संपूर्ण मान्य स्त्रियों को भी ऐसे ही कहदे ॥१२३॥ अभिवाद्य के नामों के स्वरूप में "भोः" यह सम्बोधन ऋषियों ने कहा है। इससे अपना नाम लेकर अन्त में "भोः" शब्द कहा करे (अर्थात् अपने से बड़े अभिवादनीय पुरुष का नाम न ले, किन्तु उसके नाम की जगह "भोः" शब्द कहे) ॥ १२४ ॥

आयुष्मान्भव सौम्येति वाच्यो विप्रोऽभिवादने। अकारश्च स्या
 नाम्नोन्ते वाच्यः पूर्वक्षरः प्लुतः ॥१२५॥ योन वेत्स्यभिवादनस्य
 विप्रः प्रत्यभिवादनमाणाभिवाद्यः सविदुषायथाशूद्रस्तथैव सः

अर्थ—नमस्कार करने पर "आयुष्मान्भव सौम्य" ऐसा ब्राह्मण से कहे। नमस्कार करने वाले के नाम के अन्त के व्यञ्जन (शर्मन् इत्यादि) से पूर्व अकार (वा किसी स्वर) को प्लुत करे (इससे उसका आदर होता है) ॥ १२५ ॥ जो ब्राह्मण नमस्कार करने पर क्या कहना चाहिये, इसको नहीं जानता, वह शूद्रतुल्य है, नमस्कार करने के योग्य नहीं है ॥ १२६ ॥

ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेत्क्षत्रवन्धुमनामथम्। वैश्यं क्षेमं समागत्य

शूद्रमारोग्यमेव च ॥१२७॥ अवाच्यो दीक्षितो नाम्ना यवी यानपि
यो भवेत् । भीभवत्पूर्वकत्वेन मभिभाषित धर्मवित् ॥१२८॥

अर्थ—(नमस्कार के अनन्तर) मिलाप होने पर ब्राह्मण से “कुशल” पूछे, क्षत्रिय से “अनालय” वैश्य से “क्षेम” और शूद्र से “आरोग्य” ही पूछे ॥१२७॥ यदि दीक्षित कनिष्ठ (छोटा) भी हो तथापि उस का नाम लेकर न बोले । (जो कुछ बोलना हो तो) धर्म का जानने वाला भी दीक्षित । वा आपं (अवान्) कह कर बोले ॥ १२८ ॥

परपत्नी तु यास्त्री स्यादसंबन्धा च यो नितः। तां ब्रूयाद्भ्रजतीत्येवं
सुभगे भगिनीति च ॥१२९॥ मातुलांश्च पितृव्यांश्च श्वशुरानृत्विजो
गुरुन् । असावहमिति ब्रूयात्प्रत्युत्थाय यवीयसः ॥ १३० ॥

अर्थ—पर स्त्री जो योनि सम्बन्ध (रिश्ते) वाली न हो, उसको (बोलने के समय में) कहे कि भवति । सुभगे । भगिनि । ॥ १२९ ॥ मातुल, पितृव्य, श्वशुर, ऋत्विज्, गुरु; यदि ये कनिष्ठ (छोटे) हों तौ भी इनके आगे पर उठ कर “असौ अहम्” ऐसा कहे (अर्थात् अपना नाम प्रकट करे) ॥ १३० ॥

मातृष्वसा मातुलानिश्चश्वशुरथ पितृष्वसा। संपूज्या गुरुपत्नीवत्
समास्ता गुरुभार्याया ॥ १३१ ॥ भ्रातुर्भार्यापसंग्राह्या सवर्णा
ऽहन्यहन्यपि विप्रोष्यतूपसंग्राह्याज्ञातिसंबन्धि योषितः ॥१३२॥

अर्थ—माता की भगिनी, मामी, सासू और पितृभगिनी; ये संपूर्ण गुरुभार्या की तुल्य हैं, इस से इन का आदर सत्कार गुरुभार्यावत् करे ॥१३१॥ (ज्येष्ठ) माता की सवर्णा भार्या से प्रतिदिन नमस्कारादि करे और ज्ञातिसम्बन्धिनी जो स्त्री हैं (मानृपत्न की मातुलानी इत्यादि और पितृपत्न के पितृव्यादिकों की स्त्रियों) इन को परदेश से आने पर नमस्कार करे ॥ १३२ ॥

पितुर्भगिन्यां भ्रातुश्च ज्यैष्ठ्या च स्वस्य पिमातृवद्भृत्तिमातिष्ठे
नमाताताभ्योगरीयसी ॥१३३॥ दशाब्दाख्यं पौरुषख्यं पञ्चाटहाख्यं
कलाभूताम्नात्र्यब्दपूर्वं श्रोत्रियाणां स्वल्पेनापि स्वधीनिषु १३४

अर्थ पितृभगिनी, मातृभगिनी और अपनी ज्येष्ठा भगिनी इनका माता के सन्मान आदर करे परन्तु माता इनसे अधिकतर है ॥ १३३ ॥ एकपुरमिथा-

वियों का दश वर्ष बड़ा होने तक सख्य (बराबरी) होता है और यदि सङ्गीतादि कला के जानने वाले हों तो पांचवर्ष बड़ा होने तक सख्य (बराबरी) होता है और श्रोत्रियों में तीन वर्ष की क्येष्ठता तक और अपने ज्ञातियों में घोड़े ही दिनों में सख्य (बराबरी) होता है ॥१३४॥

ब्राह्मणं दशवर्षतुशतवर्षतुभूमिपम् । पितापुत्रौविजानीयात्
ब्राह्मणस्तुतयोः पिता ॥१३५॥ वित्तबन्धुर्वयःकर्मविद्याभवति
पञ्चमी । एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम् ॥१३६॥

अर्थ-दश वर्ष का ब्राह्मण और सौ वर्ष का क्षत्रिय हो ती पिता पुत्रके समान जाने और ब्राह्मण उन में पिता के समान है ॥१३५॥ १ वित्त=न्यायो-पार्जित द्रव्य, २ विलुठपादि=बन्धु, ३ श्रौतस्नानादि-कर्म, ४ भाय और ५ विद्या ये पांच बड़ाई के स्थान हैं । इन में उत्तरोत्तर एक से एक अधिक हैं ॥१३६॥

पञ्चानां त्रिषुवर्षेषु भूषांसिगुणवन्ति चाथत्रस्युःसोत्रमानार्हः
शूद्रोपि दशमीं गतः १३७ चक्रिणोदशमीस्थस्यरीगिणीभारिणः
स्त्रियाः । स्नातकस्य च राज्ञश्च पन्था देयो वरस्यच ॥१३८॥

अर्थ-तीन वर्णों (ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य) में पूर्वोक्त पांच गुणों में श्रेष्ठ में जितने अधिक हों वह उतना अधिक माननीय है और शूद्र भी सौ वर्ष का हुआ माननीय है ॥ १३७ ॥ चक्रयुक्त रथादि पर सवार हुये और ९०-१०० वर्षके वृद्ध, रोगी, बोकवाले, स्त्री, स्नातक, राजा और वर=जिस का वियाह हो, इन सब को मार्ग (रास्ता) छोड़ देवे ॥ १३८ ॥

तेषांतु समवेतानां मान्योस्नातकपार्थिवी । राजस्नातकयोश्चैव
स्नातको नृपमानभाक् ॥१३९॥ उपनीय तु यः शिष्यं वेदम-
ध्यापयेद्द्विजः । सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥१४०॥

अर्थ-ये सब जहां उकट्टे हों वहां राजा और स्नातक अधिक माननीय हैं उन में भी राजा और स्नातक एक साथ मिल जायें ती राजा स्नातक को मान (रास्ता) देवे (स्नातक उस ब्रह्मचारीको कहते हैं जिस का समावर्तनही मुका हो) ॥१३९॥ जो द्विज शिष्य का उपनयन करके कल्प और रहस्य के सत्य वेद पढ़ावे उसको "आचार्य" कहते हैं (कल्प=यज्ञविधि । रहस्य=उपनिषद्) ॥१४०॥

एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः। यो ध्यापयति वृत्त्यर्थ-
मुपाध्यायः स उच्यते ॥१४१॥ निषेकादीनि कर्माणि यः करोति
यथाविधि । संभावयति चान्तेन स विप्रो गुरु उच्यते ॥१४२॥

अर्थ-वेद के एक देश वा वेद के अङ्ग (ज्योतिष व्याकरणादि) वृत्ति के लिये
जो पढ़ावे, उस को "उपाध्याय" कहते हैं ॥१४१॥ जो र्गर्भधानादि शास्त्रोक्त कर्म
कराता है और जो अन्तसे पीषण करता है, उस ब्राह्मणको "गुरु" कहते हैं ॥१४२॥
अग्न्याधेयं पाक यज्ञानग्निष्टोमादिकान्मखान् । यः करोति

वृत्तीयस्य सतस्य त्विर्गिही च्यते ॥१४३॥ अश्रावणीत्यवितथं ब्रह्म-
णाश्रावणावुभौ । स मातासपिता ज्ञेयस्तं न दुह्येत्कदाचन ॥१४४॥

अर्थ--(जो आहवनीय अग्नि को उत्पन्न करके कर्म किया जाता है उसको)
अग्न्याधेय (कहते हैं) और पाकयज्ञ (विश्वदेवादि) और अग्निष्टोमादि यज्ञों
को धरण लेकर जो जिसे करावे उसको इस शास्त्रमें उसका "ऋत्विज्" कहते हैं
॥ १४३ ॥ जो (गुरु) सत्यविद्या वेद से दोनों कर्णों को भरता है वह माता
पिता के तुल्य जानने योग्य है, उससे कभी दूह न करे ॥ १४४ ॥

उपाध्यायान्दशाचार्याणां शतं पिता । सहस्रं तु पितृन्मा-
ता गौरवेणातिरिच्यते ॥१४५॥ उत्पादकब्रह्मदात्रोर्गरीयान्ब्रह्मदः
पिता । ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रेत्य च्चेह च शाश्वतम् ॥१४६॥

अर्थ--दश-१० उपाध्यायों के तुल्य गौरव (बड़ाई) एक आचार्य में और
शत १०० आचार्यों के समान पिता में, और पिता से सहस्रगुणित माता में
होता है ॥ १४५ ॥ उत्पन्न करने वाला और वेद का पढ़ाने वाला (के दोनों
पिता हैं) इन में ब्रह्म का देने वाला बड़ा है क्योंकि विप्र का ब्रह्मजन्म ही
इस लोक तथा परलोक में शाश्वत (स्थिर फल का हेतु) है ॥ १४६ ॥

कामान्मातापिता चैनं दुत्पादयतो मिथः । संभूतिस्य तां वि-
द्याद्यद्योनावभिजायते ॥१४७॥ आचार्यस्त्वस्य यां जातिं विधि-
वद्देहपारगः । उत्पादयति सा विद्या सा सत्या साऽजराऽमरा ॥१४८॥

अर्थ—माता और पिता ली कानवश होकर भी इस बालक को उत्पन्न करते हैं इस से जिस योनि में वह जाता है, उसी प्रकार उस के हस्त पादादि हो जाते हैं ॥१४९॥ परन्तु सम्पूर्ण वेद का जानने वाला आचार्य इस बालक की विधिवत् गायत्री उपदेश द्वारा जो जाति उत्पन्न करता है वह जाति सत्य है और अजर अमर है (क्योंकि उसी से शाश्वत ब्रह्म की प्राप्ति होती है) ॥१४८॥
अल्पं वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः। तस्य पीह गुरुं विद्या-
श्रुतीपक्रियया तया ॥१४९॥ ब्राह्मस्य जन्मनः कर्ता स्वधर्मस्य च
शासिता । बालोपि विप्रो बृहस्य पिता भवति धर्मतः ॥१५०॥

अर्थ—जो (उपाध्याय) जिसको अल्प वा बहुत वेदाध्ययनादि कराकर उपकार करे, उस को भी इस लोक में पढाई के उपकार करने से “ गुरु ” जाने ॥ १४९ ॥ ब्रह्म (वेद) के पढाने से जन्म दिया है जिसने और स्वधर्म की शिक्षा करने वाला, ऐसा (आयु से) बालक भी विद्वान् पुरुष, (आ-
युमान् से) बृह (सूर्य) का धर्म से पिता है ॥ १५० ॥

“अध्यापयामास पितृन् शिशुराङ्गिरसः कविः । पुत्रका इति होवाच
ज्ञानेन परिगृह्य तान् ॥ १५१ ॥ ते तमर्थमपृच्छन्त देवानागतमन्यवः
देवाश्चैतान्समेत्योचुर्नार्य्यं वः शिशुरुक्तवान् ॥ १५२ ॥”

“अर्थ—अङ्गिरस मुनि को विद्वान् पुत्र ने अपने पितृव्यादि को पढाया और अपने अधिक विद्या ज्ञान से उन को शिष्य जान कर हे—पुत्रकाः । अर्थात् “ हे लड़के ” ऐसा कहा ॥ १५१ ॥ वे क्रोधयुक्त होकर देवताओं से “पुत्र” के अर्थार्थ को पूछने गये, देवताओं ने मिल कर उन से कहा कि उस लड़के ने तुम से ठीक कहा है ॥”

(मनु के प्रश्नात् अङ्गिरस गोत्र कवि हुआ और उस को भी लिट् लकार परोक्ष श्रुत से बहुत पुराना करके इन श्लोकों में कहा होने से ये दोनों श्लोक नवीन ज्ञात हैं) ॥ १५२ ॥

अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मन्त्रदः । अज्ञं हि बालसि-
त्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम् ॥१५३॥ न हायनैर्न पलितैर्न विरोध
नयन्धुभिः। ऋषयश्चक्रिरे धर्मं वीनुजानः स नीमहान् ॥१५४॥

अर्थ-अज्ञानी ही बालक है और मन्त्र का देने वाला पिता है इस से अज्ञ को बालक और मन्त्रदाता को पिता कहते हैं ॥ १५३ ॥ न बहुत आयु से, न श्रुत बालों से, न द्रव्य से, न नाते में बड़ाई से बड़म्बे है, किन्तु जो वेदाध्ययनपूर्वक धर्म का जानने और करने वाला है वही हम ऋषियों में बड़ा है । यह धर्मव्यवस्था ऋषियों ने की है ॥ १५४ ॥

विप्राणां ज्ञानतो ज्यैष्ठ्यं क्षत्रियाणां तु वीर्यतः । वैश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मतः ॥ १५५ ॥ न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः । यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ १५६ ॥

अर्थ-ब्राह्मणों का ज्ञान की अधिकता से बड़प्पन होता है और क्षत्रियों का पराक्रम से, वैश्यों का धन धान्य की समृद्धि से और शूद्रों का जन्म से ॥ १५५ ॥ शिर के केश श्वेत होने से वृद्ध नहीं होता, यदि युवा भी लिखा पढ़ा हो तो सब को देवता 'वृद्ध' जानते हैं ॥ १५६ ॥

यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः । यश्च विप्रो नधीयान स्वयस्ते नाम विभ्रति ॥ १५७ ॥ यथा पण्डोऽफलः स्त्रीषु यथा गौर्गविष्ठाफला । यथा चाज्ञोऽफलं दानं तथा विप्रो नृचोऽफलः ॥ १५८ ॥

अर्थ-जैसे काष्ठ का हाथी और चमड़े का मृग है वैसे बिना पढ़ा ब्राह्मण का पुत्र, ये तीनों नाममात्र को धारण करते हैं ॥ १५७ ॥ जैसा स्त्रियों में नपुंसक निष्फल और गौ में गौ, तथा अज्ञानी में दान निष्फल है, वैसे ही वेदरहित ब्राह्मण निष्फल है ॥ १५८ ॥

अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोऽनुशासनम् । वाक्चैव मधुरा श्लक्ष्णा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥ १५९ ॥ यस्य वाङ्मनसो शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सर्वदा । स वै सर्वमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम् ॥ १६० ॥

अर्थ-प्राणियों को श्रेय अर्थात् कल्याणरूपी अर्थ की शिक्षा अहिंसा (दुःख न देकर) ही से करे और वाणी मधुर और स्पष्ट कहे, धर्म की इच्छा करने वाला (क्रूर भाषणादि न करे) ॥ १५९ ॥ जिस के वाणी और मन शुद्ध और (क्रोध निश्चाभाषणादिकों से) सदा सुरक्षित हो, वह वेदान्त के यथार्थ सब फल को प्राप्त होता है (मोक्ष लाभ करता है) ॥ १६० ॥

नारुन्तुदः स्यादातोपि न परद्रोहकर्मधीः। अथास्थो द्विजतैवावा
नालीक्यां तामुदीरयेत् ॥१६१॥ संमानाद्ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत
विषादिव । अमृतस्येव चाकाङ्क्षेदवमानस्य सर्वदा ॥१६२॥

अर्थ—दवावपड़ने पर भी किसी के सम्बन्ध में करने वाली बात न बोलें
दूसरे के साथ द्रोह करने वाली बुद्धि न करे और जिस वाणी से दूसरा डरे,
लोक की अहित करने वाली, ऐसी कोई बात न बोले ॥ १६१ ॥ ब्राह्मण
सम्मान से सर्वदा (सुख नहीं माने) विषवत् डरे और सर्वदा अपमान की
अमृतवत् इच्छा करे (मान अपमान से उस को दुःखादि न होवे) ॥१६२॥

सुखं ह्यवमतः शोते सुखं च प्रतिबुध्यते । सुखं चरति लोके रिम-
न्नावमन्ता विनश्यति ॥१६३॥ अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा
द्विजः शनैः। गुरौ वसन्संचिनुयाद्ब्रह्माधिगमिकं तपः ॥ १६४ ॥

अर्थ—दूसरे से अपमान किये जाने पर भी खेद न करता हुआ पुरुषपुरुष
पूर्वक शयन करता है सुखपूर्वक जागता है लोगों में सुखपूर्वक व्यवहार करता
है और अपमान करने वाला (उस पाप से) नष्ट हो जाता है ॥१६३॥ इस
क्रम से (जातकर्म से उपनयनपर्यन्त) संस्कार किया हुआ द्विज, गुरु के समीप
वास करता हुआ वेद के ग्रहणार्थ तप का सञ्चय करे ॥ १६४ ॥

तपोविशेषैर्विविधैर्व्रतैश्च विधिचोदितैः। वेदः कृत्स्नोऽधिगन्त-
व्यः सरहस्यो द्विजन्मना ॥१६५॥ वेदमेव सदाभ्यस्येत्तपस्तपस्यन्
द्विजोत्तमः । वेदाभ्यासो हि विप्रस्यतपः परमिहोच्यते ॥१६६॥

अर्थ—विधिविहित विविध तपोविशेष (समयनियमादि) और व्रतों
(गुरुसेवादि, से सम्पूर्ण वेद उपनियमों के सहित, द्विजन्मा-ब्राह्मण शत्रिय
वैश्य की पढ़ना योग्य है ॥१६५॥ तप करना हो तो ब्राह्मण वेद ही का सदा
अभ्यास करे । वेदाभ्यास ही ब्राह्मण का परम तप कहा है ॥ १६६ ॥

आहैव सनखाग्रेभ्यः परमंतप्यते तपः। यः सन्नव्यपि द्विजोऽधीते
स्वाध्यायं शक्तितोऽन्वहम् ॥१६७॥ याऽनधीत्य द्विजो वेद-न्यत्र
कुरुते श्रमम् । स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु मच्छति सान्व ॥ १६८

अर्थ—जो द्विज पुष्पमाला का भी धारण करके (ब्रह्मचर्य समाप्त करके भी) प्रतिदिन यथाशक्ति वेदाध्ययन करता है वह निश्चय नख, शिख, तक परम तप करता है (अर्थात् इस से अधिक कोई तप नहीं है) ॥१६७॥ जो द्विज वेद को बिना पढ़े अन्य कार्य में ग्रम करे, वह जीता हुआ ही वंश के सहित शूद्रता को प्राप्त होता है ॥ १६८ ॥

मातुरग्रीधिजननं द्वितीयं मौञ्जीबन्धने । तृतीयं यज्ञदीक्षायां
द्विजस्य श्रुतिचोदनात् ॥१६९॥ तत्र यद्ब्रह्मजन्मास्यमौञ्जीबन्धन-
च्चिन्हेतम् । तत्रास्य मातासावित्री पितात्वाचार्य उच्यते १७०

अर्थ—श्रुति की आज्ञा से द्विज के, प्रथम माता से जन्म, दूसरे मौञ्जी-
बन्धन, तीसरे यज्ञ की दीक्षा में, ये तीन जन्म होते हैं ॥ १६९ ॥ इन पूर्वोक्त
तीनों जन्मों में वेदग्रहणार्थ उपनयन संस्काररूप जो जन्म है, उस जन्म
में उस बालक की माता सावित्री और पिता आचार्य कहाते हैं ॥ १७० ॥

वेदप्रदानादाचार्यपितरं परिचक्षतो न ह्यस्मिन्धुज्यते कर्म किं-
चिदामौञ्जीबन्धनात् ॥१७१॥ नाभिठयाहारयेद्ब्रह्मस्वधानिन्य-
नादृते । शूद्रेण हि समस्तावद्यावद्वेदे न जायते ॥ १७२ ॥

अर्थ—वेद के प्रदान से आचार्य को पिता कहते हैं । उस बालक की
मौञ्जीबन्धन से पूर्व कोई (श्रोतस्मार्तादि) क्रिया ठीक नहीं है ॥ १७१ ॥
(मौञ्जीबन्धन से पूर्व) वेद का उच्चारण न करावे, परन्तु मृतक संस्कार में
वेदमन्त्रों का उच्चारण वर्जित नहीं है । जब तक वेद में जन्म नहीं हुआ
तब तक शूद्र के तुल्य है ॥ १७२ ॥

कृतीपनथनस्यास्य व्रतादेशनमिष्यते । ब्रह्मणो ग्रहणं चैव
क्रमेण विधिपूर्वकम् ॥१७३॥ यद्यस्य विहितं चर्म यत्सूत्रं वा
च सेखला । यो दण्डो यञ्च वसनं तत्तदस्य व्रतेष्वपि ॥१७४॥

अर्थ—इस बालक को (सायं प्रातः होम करना और दिन में न सोना
इत्यादि) व्रत और क्रमपूर्वक विधि वेद का अध्ययन, उपनयन हुवे को
कहा है (इस लिये पूर्व न करे) ॥ १७३ ॥ जो जिसको चर्म, सूत्र, सेखला, दण्ड
और वस्त्र, (उपनयन में) कहा है वही उस को व्रतों में भी जानो ॥ १७४ ॥

सैवेतेमांस्तु नियमान्ब्रह्मचारीगुरौवसन्। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं
तपोवृद्धयर्थमात्मनः ॥१७५॥ नित्यं स्नात्वा शुचिः कुर्याद्दिवर्षि
पितृतर्पणम् । देवताभ्यर्चनं चैव समिदाधानमेव च ॥ १७६॥

अर्थ—ब्रह्मचारी गुरु के पास रहता हुआ इन्द्रियों का संयम करके अपने
तप को वृद्धि के लिये इन (जो आगे वर्णित हैं) नियमों का पालन करे ॥१७५॥
प्रतिदिन स्नान करके पवित्र होके, देव, ऋषि और पितृसंज्ञक पुरुषोंका जलादि
से तर्पण करे और सन्निधियोंका आधानकर हीमसे देवताओं का पूजन करे १७६
वर्जयेन्मधुमांसं च गन्धमाल्यं रसान्द्विजः। शुक्लानियानि सर्वा-
णि प्राणिनां चैव हिंसनम् ॥ १७७॥ अभ्यङ्गमञ्जनं चाक्षणोरुपान-
कृच्छ्रधारणम्। कामक्रोधं च लोभं च नर्तनं गीतनवादनम् ॥ १७८॥

अर्थ—इन वस्तुओंको छोड़ देवे मधु, मांस, गन्ध, माल्य, ऋच्छे मधु-
रादि रस स्त्री (स्त्रिका इत्यादि) जो सड़ी वस्तु हैं वे सब और प्राणियों
की हिंसा ॥१७७॥ तैलादि का मर्दन, आंखों में अञ्जन, जूता पहरना, छत्र
धारण, काम, क्रोध, लोभ, नाचना, गाना और बजाना ॥ १७८ ॥

द्यूतं च जन्वाहं च परिवादं तथा नृत्यम् । स्त्रीणां च प्रेक्षणालम्भ-
सुपघातं परस्व च ॥१७९॥ एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्का-
चित् । काम्यादि स्कन्दयन् रेतो हिनति व्रतमात्मनः ॥१८०॥

अर्थ—जुआ, जगहा, दूसरे की निन्दा, झूठ, स्त्रियों के साथ देखना
वा दिलचस्पी करना और दूसरे का उपघात (न करे) ॥१७९॥ सर्वदा एका ही
शयन करे और शुक्र (वीर्य) को न गिरावे क्योंकि इच्छा से शुक्र का पात
करे तो अपने व्रत का नाश करता है ॥ १८० ॥

स्नाने सिक्कांश्च ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकाम्यतः। स्नात्वा कर्मचर्यं पितृवा-
चिः पुनर्मानित्युचं जपेत् ॥ १८१॥ उदकुम्भं सुमनसो गोशङ्ख-
त्तिकाकुशान् । आहरेद्यावदर्थानि भैक्षं चाहरहरचरेत् १८२

अर्थ—स्नान में द्विज ब्रह्मचारी का सिक्का इच्छा से शुक्र गिर जाये,
तो स्नान कर परमात्मका पूजन करके, तीस वार "पुनर्मानित्विन्द्रियम्" इत्य

शुद्धा को पढ़े ॥ १८१ ॥ पानी का घड़ा, पुष्प, गोबर, सही, कुशा; इन को जितना आवश्यक हो ले आवे और प्रतिदिन भिक्षा ले आवे ॥ १८२ ॥

वेदयज्ञैरहीनानां प्रशस्तानां स्वकर्मसु । ब्रह्मचार्याहरेद्वैशं गृहे
अथः प्रयतोऽन्वहम् ॥ १८३ ॥ गुरोः कुले न भिक्षेत न ज्ञातिकुल-
वन्धुषु । अलाभे त्वन्यगोहानां पूर्वं पूर्वं विवर्जयेत् ॥ १८४ ॥

अर्थ—वेद और यज्ञ से जो हीन नहीं है और अपने नित्यकर्म में प्रलिप्त है, ऐशों के घरों से ब्रह्मचारी प्रतिदिन नियम से भिक्षा लावे ॥ १८३ ॥ गुरु और गुरु के ज्ञाति वाले कुल और वन्धु, इन के कुल से भिक्षा न मांगे । यदि और जगह न मिले तो (इन में से) पहिले पहिलों को छोड़ देवे ॥ १८४ ॥

सर्ववापि चरेद्दशमं पूर्वोक्तानामसंभवे । नियमप्रयतो वाच-
समिशः तांस्तुवर्जयेत् ॥ १८५ ॥ दूरादाहत्य समिधः संनिद्धया
द्विहायसि । सायं प्रातरच जुहुयात्ताभिरग्निमतन्द्रितः ॥ १८६ ॥

अर्थ—पूर्वोक्तों (वेदयज्ञसहितों) से कहीं न मिले तो चाहे और सब ग्राम से भिक्षा मांगे, परन्तु बहुत न बोल कर, और उन में भी महापातकी आदि को छोड़ दे ॥ १८५ ॥ दूर से समिधा लाकर ऊंचे पर रखे, आलस्य छोड़ कर सायं प्रातः उन से अग्नि में होन किया करे ॥ १८६ ॥

अकृत्वामैश्वर्यमसमिध्य स पावकम् । अनातुरः सप्तरात्रम-
वकीर्णं व्रतं चरेत् ॥ १८७ ॥ भिक्षेण वर्तयेन्नित्यं नैकाब्दादि
भवेद्गती । भिक्षेण व्रतिनो वृत्तिरुपवाससमा स्मृता ॥ १८८ ॥

अर्थ—[यदि] बिना रोगादि बाधा ब्रह्मचारी सात दिन भिक्षावृत्ति और अग्नि में समिधों से सायं प्रातः हीन न करे तो [ब्रह्मचर्यव्रतं नष्ट होता है] उस पर अवकीर्णव्रत (११ अध्यायोक्त) प्रायश्चित्त करे ॥ १८७ ॥ ब्रह्मचारी भिक्षा करके नित्य भोजन करे और एक का अन्न भोजन न करे (किन्तु बहुत घरों से भिक्षा मांग के भोजन करे) क्योंकि भिक्षा समूह से जो ब्रह्मचारी की वृत्ति है वह उपवास के तुल्य (सुनियों ने कही है) ॥

(१८८ के आगे ३० पुराने पुस्तकों में से ८ जगह के पुस्तकों की टीका में ब्रह्म के स्वान में ये दो श्लोक अधिक पाये जाते हैं । शेष २२ पुस्तकों में नहीं । वे ये हैं:—

[न भैक्ष्यं परपाकः स्यान्न च भैक्ष्यं प्रतिग्रहः ।

सोमपानसमं भैक्ष्यं तस्माद्भैक्ष्येण वर्तयेत् ॥

भैक्ष्यस्यागमशुद्धस्य प्रोक्षितस्य हुतस्य च ।

यांस्तस्य ग्रसते ग्रासांस्ते तस्य क्रतुभिः समाः ॥]

ये किसी ने भिक्षा की निन्दा वा ग्लानि देख कर बना दिये हैं । जिन का अर्थ यह है कि "भिक्षा का अन्न न तो परपाक है, न प्रतिग्रह है, किन्तु सोमपान के तुल्य है, इस लिये भिक्षा के अन्न से वृत्ति करे । भिक्षा का अन्न शास्त्र से विहित शुद्ध, प्रोक्षित, हुत हो तो उस के जितने घास खाता है उतने यज्ञों का फल खाने वाले को होता है" ॥ इससे भी जाना जाता है कि समय २ पर मनु में प्रक्षेप होता रहा है) ॥ १८८ ॥

व्रतवद्देवदेवत्ये पित्र्येकर्मण्यथर्षिवत् । काममभ्यर्थितोऽरनी-

याद् व्रतमस्य न लुप्यते ॥१८९॥ ब्राह्मणस्यैव कर्मैतदुपदिष्टं

मनीषिभिः । राजन्यवैश्ययोस्त्यैवं नैतत्कर्म विधीयते ॥१९०॥

अर्थ-परन्तु देवतोद्देश (देवयज्ञसम्बन्धी ब्रह्मभोज) में निवन्धित ब्रह्मचारी व्रतवत् (एक के घर भी चाहे) भोजन करे, तो उसका व्रत लुप्त नहीं होता । तथा जीवित पितृनिमित्तक श्राद्धादि में मुन्यन्तों के ऋषितुल्य भोगन करने से भी (व्रत नष्ट नहीं होता) ॥१८९॥ परन्तु मनीषियों ने यह कर्म ब्राह्मण ब्रह्मचारी को कहा है, क्षत्रिय वैश्यों को यह कर्म ऐसा नहीं है ॥ १९० ॥

चोदितो गुरुणानित्यमप्रचोदितएव वा। कुर्यादध्ययनेयत्नमा-

चार्यस्य हितेषु च ॥१९१॥ शरीरं चैव वाचं च बुद्धीन्द्रियज-

नांसि च । नियम्यप्राञ्जलिस्तिष्ठेद्दीक्षमाणो गुरोर्भुञ्जन् ॥१९२॥

अर्थ-गुरु प्रतिदिन कहे वा न कहे, पढ़ने में तथा गुरु की हित संवर्धन करे ॥ १९१ ॥ शरीर, वाणी, ज्ञानेन्द्रिय और मन का संयम कर, हाथ जोड़ गुरु का मुख देखता हुआ (खाने) रहा करे ॥ १९२ ॥

नित्यमुद्भूतपापिः स्यात्साध्यादारः सुसंयतः । आस्यतापिति

चोक्तः सखासीतमिमुखं गुरोः ॥१९३॥ हीनान्भवत्येवः स्यात्स-

र्वदागुरुमन्निधी । उन्निष्ठेताथमंचास्यचरमं चैवसंपिबोत् ॥१९४॥

अर्थ-निरन्तर (ओढ़ने के वस्त्र से) दक्षिण हाथ बाहर निकाले रहे और अच्छे आचार से युक्त " बैठी " देखा (गुरु) कहे तब गुरु के सम्मुख बैठे ॥ १९३ ॥ सदा गुरु से हीन (घटिया) अन्न वस्त्र देव रख कर गुरु के पास रहे, गुरु से प्रथम जागे और गुरु के पश्चात् सीड़े ॥ १९४ ॥

प्रतिश्रवणसंभाषेशयानी न समाचरेत् । नासीनोनच भुञ्जानी
न तिष्ठन्नपराङ्मुखः ॥१९५॥ आसीनस्थस्थितः कुर्यादभिगच्छं-
स्तुतिष्ठतः । प्रत्युद्गम्य त्वात्रजतः पश्चाद्वावस्तुधावतः ॥१९६॥

अर्थ-सोता हुवा या आसन पर बैठा हुवा या भोजन करता हुवा या और और मुह करके खड़ा हुवा गुरु से आज्ञा का उत्तर या संभाषण न करे ॥१९५॥ आसन पर बैठे हुवे गुरु आज्ञा देवे तौ आप आसन से उठकर और गुरु खड़े हों तौ आप समीप चलके और गुरु अपनी ओर आवें तौ आप भी उन्न की ओर जाके और गुरु चलते र बोलें तौ आप उन्न के पीछे चलता हुवा (संभाषणादि करे) ॥ १९६ ॥

पराङ्मुखस्याभिमुखो दूरस्थस्यैत्य चान्तिकम् । प्रणम्य तु
शयानस्थ निदेशे चैव तिष्ठतः ॥१९७॥ नीचं शय्यासनंचास्य
सर्वदागुरुसन्निधौ । गुरोस्तु चक्षुर्विषये न यथेष्टासनो भवेत् ॥१९८॥

अर्थ-गुरु पीछे हों तौ सम्मुख होकर और दूर हों तौ निकट आकर और लेटे हों तौ नमस्कार करके और खड़े हों तौ समीप होकर (कहीं सी सुने) ॥ १९७ ॥ गुरु के समीप इस (शिष्य) का बिछौना वा आसन उन्न से सदा नीचा हो और गुरु के सामने मनमानी बैठक से न रहे ॥ १९८ ॥

नीदाहरदस्य नाम परोक्षमपि केवलम् । न चैवास्यानुकुर्वीत
गतिभाषितचैष्टितम् ॥१९९॥ गुरोर्यत्र परीवादी निन्दा वापि
प्रवर्त्तते । कर्णैतत्र पिघातव्यौ गन्तव्यं वा लतोऽव्यतः ॥२००॥

अर्थ-गुरु का केवल नाम परोक्ष में भी न लेके और गुरु के चलने बोलने वा चेष्टा की नक़ल न करे (१९९ के पूर्वाह्न से आगे भी एक श्लोक मुं० हनुमानप्रसाद प्रसाद के पुस्तक में पाया जाता है कि:-

[परोक्षं सत्कृपापूर्वं प्रत्यक्षं न कथंचन ।

दुष्टानुचारी च गुरोरिहवाऽमुत्र चैत्यधः ॥]

अर्थ-गुरु का नाम पररेक्ष में लेना हो तो नाम से पूर्व "सत्कृपा" लगा कर नाम लेवे, प्रत्यक्ष में सर्वथा नहीं। गुरु का दुष्प्रचारी शिष्य इस लोक और परलोक में नीचता को प्राप्त होता है। इससे भी पया जाता है कि मनु ने इसलोक प्रायः निलार्थे गये हैं। क्योंकि यह श्लोक शेष २९ पुस्तकों में नहीं पाया गया) ॥१९९॥ जहाँ पर कोई गुरुके दोष कहता हो वा निन्दा करता हो वहाँ पर कान बन्द कर लेवे या वहाँ से और जगह चला जावे ॥२००॥
 परीवादात्स्वरीभवति श्चा वैभवति निन्दकः। परिभीक्ता कृमि-
 र्भवति कीटी भवति अत्सरी ॥२०१॥ दूरस्थो नार्चयेद्देनं नम्रुहो ना-
 न्तिके स्त्रिधाः। यानासनस्थश्चैव नमस्कृत्या भिवाद्ध्येत् ॥२०२॥

अर्थ-गुरु की निन्दा सुनने से (मर कर) गधा होता है और निन्दा करने से (दूबरी जन्म में) कुत्ता होता है और गुरु के अनुचित कृपा का भोला शिष्य कृमि होता है और मत्सरता करने वाला कीट होता है ॥२०१॥ गुरु की दूर से पूजा न करे, क्रोधयुक्त हुवा भी न करे और जब गुरु अपनी स्त्री के साथ बैठे हों तब भी। स्वयं यान वा आसन पर बैठा हुवा इनको उत्तर कर नमस्कार करे ॥ २०२ ॥

प्रतिवातेऽनुवाते च नासीत गुरुणा सह। अस्तं प्रवेच्यैव गुरोर्न कि-
 ञ्चिदपि कीर्तयेत् ॥२०३॥ गोऽथोऽप्युपानासादस्त्रस्तरेषु कटेषु
 च। आसीत गुरुणा सार्धं शिलाफलकनीषु च ॥ २०४ ॥

अर्थ-जब बस्मुख शिष्य की ओर से गुरु की ओर वायु आवे वह प्रति-
 वात है ऐसी जगह गुरु के साथ न बैठे और अनुवात (जहाँ गुरु का वायु अपने ऊपर आता हो) वहाँ भी न बैठे (किन्तु दाये धार्ये बैठे) और गुरु भी न चुन सकें तो कुब न कहे ॥ २०३ ॥ घेले, घोड़े, ऊंट की जोती हुई नाड़ी में और सकान की छत पर, पुराल तथा चटाई और पत्थर पर या लकड़ी की बड़ी चीकियों या जाव पर गुरु के साथ शिष्य बैठ सकता है ॥ २०४ ॥

गुरोर्गुरीसन्निहिते गुरुवद्भुजिल्लोचयेत्। न चानिकृष्टो गुरुणा
 स्वान्गुरुनभिवाद्ध्येत् ॥२०५॥ विद्यागुरुप्वेतदेव नित्यावृत्तिः
 स्वश्रीनिषु। प्रतिषेधत्सु चाधर्मानिहर्तव्योपदिशत्स्यपि ॥२०६॥

अर्थ-गुरु का गुरु समीप आने, तो उस से भी गुरुवत् वर्ताव करे। गुरु के घर में रहने वाला शिष्य (गुरु के बिना कहे अपने गुरु) माता पितादि को नमस्कार न करे ॥२०५॥ विद्यागुरुपूर्वोक्त उपाध्यायदि और पिता आदि लोग तथा जो अघर्ष से रोकने वाले और हित के उपदेश करनेवाले हैं, उन में भी यही वृत्ति रखे (- अगर्वावत् भक्ति रखे और नमस्कारादि प्रतिदिन विधि के अनुकूल करे) ॥ २०६ ॥

श्रेयःसु गुरुवद्वृत्तिं नित्यमेव समाचरेत्। गुरुपुत्रेषु चार्थेषु गुरोश्चैव स्वबन्धुषु ॥२०७॥ बालः समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकर्मणि । अध्यापयन्गुरुसुतो गुरुवन्मानमर्हति ॥२०८॥

अर्थ-विद्या तप से अधिकों और आर्य गुरुपुत्रों तथा गुरु के बन्धुओं में नित्य गुरु की सी वृत्ति रखे ॥२०७॥ लोटा हो वा समान आयु वाला हो वा अपना पढ़ाया हुआ हो परन्तु यज्ञ में आकर ऋत्विज हुआ हो तब गुरुपुत्र पढ़ाता हुआ गुरु के समान पूजा पाने के योग्य है ॥ २०८ ॥

उत्सादनं च गात्राणां स्नापनीच्छिष्टभोजनानकुर्याद्गुरुपुत्रस्य पादयोश्चावनेजनम् ॥ २०९ ॥ गुरुवत्प्रतिपूज्याः स्युः सवर्णा गुरुर्योषितः। असवर्णास्तु संपूज्याः प्रत्युत्थानाभिवादनैः ॥२१०॥

अर्थ-शरीर मलना, न्हिलाना, उच्छिष्ट (शेष स्वच्छ) भोजन करना और पैर धोना, इतनी सेवा गुरुपुत्र की न करे (अर्थात् ये गुरु ही की करनी चाहिये) ॥ २०९ ॥ सवर्णा गुरु की स्त्रियों का गुरुवत् पूजन करे और (अपने से) सवर्णा न हों तो उठकर नमस्कार करके ही उन का सत्कार करे (विशेष न करे) ॥ २१० ॥

अभ्यञ्जनं स्नापनं च गात्रोत्सादनमेव च। गुरुपत्न्या नकार्याणिकेशानां च प्रसाधनम् ॥ २११ ॥ गुरुपत्नी तु युवतिर्नाभिवाद्येह पादयोः। पूर्णविंशतिवर्षेण गुणदोषौ विजानता ॥२१२॥

अर्थ-उबटना लगाना, स्नान कराना, देह दबाना, बाल फूलों से गुंथना (ये सेवा) गुरुपत्नी की न करे ॥ २११ ॥ पूर्ण २० वर्ष का (शिष्य) गुणदोष का जानने वाला युवति गुरुपत्नी को पैर छूकर नमस्कार न करे (अर्थात् दूर से सूत्रि पर प्रणाम करले) ॥ २१२ ॥

स्वभावएषनारीणांनराणासिहदूपणम्प्रतीर्थान्निजमाद्यन्ति
प्रमदासु विपश्चितः ॥२१३॥ अविद्वांसमलं लोके विद्वांसमपि
वा पुनः । प्रमदा ह्युत्पथं नैतुं कामक्रोधवशानुगम् ॥२१४॥

अर्थ-यह स्त्रियों का स्वभाव है कि पुरुषों को दोष लगा देना, इससे
परिडित लोग स्त्रियों में प्रमत्त नहीं होते (बड़े सावधान रहते हैं) ॥२१३॥
काम क्रोध के वश हुआ पुरुष विद्वान् वा सुख हो, उस को बुरे मार्ग पर
ले जाने को स्त्री समर्थ है ॥ २१४ ॥

मात्रास्वलादुहित्वावानविविक्तासनोभवेत् । बलवानिन्द्रिय-
ग्रामी विद्वांसमपि कर्षति ॥२१५॥ कामं तु गुरु पत्नीनां युवती-
नां युवा भुवि विधिवद्वन्दनं कुर्यादसावहमिति ब्रुवन् ॥२१६॥

अर्थ-जा या बहिन या लड़की के साथ भी एकान्त स्थान में न बैठे,
क्योंकि अतिबलवान् इन्द्रियों का गण, विद्वान् पुरुष को भी खींच सकता है
॥२१५॥ युवतीगुरुपत्नी हों और आपभी युवा हो तो जाहे यद्योक्तवधिवे "अमुक
शर्माहम्" यह कहकर (पैर विना छुये) पृथिवी पर नमस्कार करले ॥२१६॥

विश्रीष्यपादग्रहणमन्वहंचाभिवादनम् । गुरुदारेपुकुर्वीतसतां
धर्ममनुस्मरन् ॥ २१७ ॥ यथा खनन्स्वनित्रेण नरो वार्यधिग-
च्छति । तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रुपुरधिगच्छति ॥ २१८ ॥

अर्थ-प्रवास से आकर पादस्पर्श करके और प्रतिदिन सत्पुरुषों के धर्म
को स्मरण करता हुआ गुरुपत्नियों को (विना पांव छुवे) नमस्कार साज कर
ले ॥२१७॥ जैसे कोई पुरुष कुदाल (फावड़े) से भूमि खोदता हुआ पानी ही
पाता है, वैसे ही गुरु में की विद्या को सेवा करने वाला पाता है ॥२१८॥

मुण्डोवाजटिलोवास्यादथवास्याच्छिखाजटः । नैनंग्रामेऽभि-
निहोचेत्सूर्योनाभ्युदियात्काचित् ॥२१९॥ तं चेदभ्युदियात्सूर्यः
शयानं कामचारतः । निहोचेद्वाप्यविज्ञानाज्जपन्नुपयसेद्विनम्

अर्थ-मुण्डित अथवा शिखा वाला वा जटायुक्त, इन तीन प्रकार में से
अस्त्रचारी कोई प्रकार रखे । ग्राम में इसको कभी भी सूर्य अस्त वा उदित
न हो ॥२१९॥ यदि ज्ञानपूर्वक शयन करते हुवे को सूर्य उदय या अस्तान में
अस्त हो जाये तो दिन भर (गायत्री) जप करके उपवास करे ॥ २२० ॥

सूर्येण ह्यभिनिर्मुक्तः शयानोऽभ्युदितश्च यः। प्रायश्चित्तमकुर्वाणो
युक्तः स्थान्महतैः सा ॥ २२१ ॥ आचम्य प्रयतो नित्यमुभे
सन्ध्ये समाहितः। शुचौ देशे जपञ्जप्यमुपासीत यथाविधि ॥ २२२ ॥
यदि स्त्री यद्यवरजः श्रेयः किञ्चित्समाचरेत्। तत्सर्वमाचरेद्युक्तो
यत्र वास्य रमेन्मनः ॥ २२३ ॥ धर्मार्थावुच्यते श्रेयः कामार्थो धर्म
एव च। अर्थ एवेह वा श्रेयस्त्रिवर्ग इति तु स्थितिः ॥ २२४ ॥

अर्थ—यदि सूर्य के उदय वा अस्त के समय सो जाय और प्रायश्चित्त न करे
तो महापाप के युक्त होता है ॥ २२१ ॥ आचमन करने प्रतिदिन एकाग्र चित्त होकर
दोनों सन्ध्याओं को पवित्र देश में यथाविधि जप करता हुआ उपासना
करे ॥ २२२ ॥ जिस किसी धर्म का स्त्री वा शूद्र भी आचरण करता हो और
उन में इस का चित्त लगे, उस को भी मन लगा कर करे ॥ २२३ ॥ धर्म अर्थ
ये दोनों श्रेय कहाते हैं। कोई काम को भी श्रेय मानते हैं और अर्थों का
मत यह है कि अर्थ ही श्रेय है। (अपना मत मनु बताते हैं कि) तीनों
(पुरुषार्थ) त्रिवर्ग श्रेय हैं ॥ २२४ ॥

आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः पितामूर्तिः प्रजापतेः। माता पृथिव्या मू-
र्तिस्तु भ्राता स्वो मूर्तिरात्मनः ॥ २२५ ॥ आचार्यश्च पिता चैव माता-
भ्राता च पूर्वजः। नार्त्तनाप्यवमन्तव्या ब्राह्मणेन विशेषतः ॥ २२६ ॥

अर्थ—आचार्य वेद की मूर्ति है और पिता ब्रह्मा की मूर्ति है, माता
पृथ्वी की और भ्राता आत्मा की मूर्ति है। (इस लिये किसी का अपमान
न करे) ॥ २२५ ॥ ब्राह्मण को विशेष करके चाहिये कि आचार्य पिता माता
और ज्येष्ठ भ्राता, इन का अपमान स्वयं क्लेषित होने पर भी न करे ॥ २२६ ॥
यं मातापितरौ क्लेशं सहेते संभवेन नाम्। न तस्य निष्कृतिः शक्यः
एतुं वर्षशतैरपि ॥ २२७ ॥ तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च
सर्वदा। तेज्ज्वे त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते ॥ २२८ ॥

अर्थ—मनुष्यों की उत्पत्ति और पालनादि में जो क्लेश माता पिता सहते
हैं, उस क्लेश का बदला सौ वर्ष में भी नहीं हो सकता ॥ २२७ ॥ माता पिता
और गुरु का सर्वकाल में नित्य प्रिय करे। इन तीनों की ही प्रसन्नता हाने
पर सन्पूर्ण तप पूरा होता है ॥ २२८ ॥

तेषां त्रयाणां शुश्रूषा परमं तप उच्यते । न तैरभ्यननुज्ञाती धर्म-
मन्यं समाचरेत् ॥२२९॥ त एव हि त्रयो लोकास्त एव त्रय आ-
श्रमाः । त एव हि त्रयो वेदास्त एवोक्तास्त्रयोऽग्नेयः ॥२३०॥

अर्थ—उन तीनों की शुश्रूषा परम तप कहाती है और कुछ अन्य धर्म उगकी
आज्ञा के बिना न करे ॥२२९॥ माता पिता और गुरु ही तीनों लोक हैं और
वही तीनों आश्रम हैं और वही तीनों वेद हैं और वही तीनों अग्नि हैं ॥२३०॥

पिता वै गार्हपत्याग्निर्माताग्निर्दक्षिणः स्मृतः गुरुराहवनी यस्तु
साग्नित्रेतागरीयसी ॥२३१॥ त्रिष्वप्रमाद्यन्तैषु त्रीं लोकां निव-
जयेद्गृही । दीप्यमानः स्वपुषा देववद्विवि मोदते ॥ २३२ ॥

अर्थ—(जिन में) पिता तौ गार्हपत्याग्नि और माता दक्षिणाग्नि और गुरु
आहवनीयाग्नि हैं । ये तीन अग्नि प्रसिद्ध तीन अग्नियों से बड़े हैं ॥ २३१ ॥
गृहस्थ इन तीनों के विषय में प्रनाद को त्यागता हुआ (शुश्रूषा करे ती)
मानो तीनों लोकों को जीते और अपने शरीर से प्रकाशमान होकर देव-
ताओं के समान सुख में प्रसन्न रहे ॥ २३२ ॥

इमं लोकं मातृभक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमस्मां गुरुशुश्रूषया त्वेवं
ब्रह्मलोकं समश्नुते ॥२३३॥ सर्वे तस्यादुता धर्मा यस्येते त्रय आ-
दृताः । अनादृतास्तु अस्येते सर्वास्तस्याऽफलाः क्रियाः ॥२३४॥

अर्थ—माता की भक्ति से ज्ञानी इस लोक को जीतता है और पिता की
भक्ति से मध्य (अन्तरिम) लोक को और ऐसे ही गुरु की शुश्रूषा से ब्रह्म-
लोक को प्राप्त होता है ॥ २३३ ॥ जिस पुरुष ने माता पिता और गुरु का
सत्कार किया, उस को सम्पूर्ण धर्म फल देते हैं और जिस के इन तीनोंका
सत्कार नहीं होता, उसके (श्रौत स्मार्त) कर्म सब निष्फल होते हैं ॥२३४॥

थावत्प्रवस्ते जीवे युस्ता वल्लान्धसमाचरेत् । तेष्वेव नित्यं शुश्रूषां
कुर्यात्प्रियाहिते रतः ॥२३५॥ तेषामनुपरोधेन पारत्रं यद्यदा-
चरेत् । तत्तन्निवेदयेत्तभ्यो मनोवचनकर्मभिः ॥ २३६ ॥

अर्थ—इस कारण उनकी प्रीति और हित में परायण होता हुआ जब तक वे
जीवें तबतक पाहे और सुख न करे, किन्तु उन तीनोंके शुश्रूषा करे ॥२३५॥ माता

पिता और गुरु की आज्ञा के अनुसार जो परलोक के निमित्त कर्म करे, सो मन, वचन और कर्म से उन ही के निवेदन करदे ॥२३६॥

त्रिष्वेतेष्वितिकृत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते। एषधर्मः परः साक्षा-
दुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥ २३७॥ अद्धानः शुभां विद्यामाददी-
तावरादपि। अन्त्यादपि परं धर्मं स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि ॥२३८॥

अर्थ-माता पिता और गुरु की शुश्रूषा से पुरुष के सम्पूर्ण कर्म पूरे होते हैं। इस कारण यही साक्षात् परमधर्म है और अन्य उपधर्म हैं ॥ २३७ ॥
अद्धानुक्त होता हुआ उत्तम विद्या शूद्र से भी ग्रहण करले और चाण्डाल से भी परम धर्म ग्रहण करले और स्त्रीरत्न अपने से नीचे कुल की ही उसे भी (विवाह के निमित्त) अङ्गीकार करले ॥ २३८ ॥

विषादप्यमृतं ग्राह्यं बालादपि सुभाषितम्। अमित्रादपि सद्-
वृत्तममेध्यादपि काञ्चनम् ॥२३९॥ स्त्रियोरत्नान्यथो विद्याधर्मः
शौचं सुभाषितम्। विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः

अर्थ-(विष और असृत मिले हों तो) विष से असृत और बालक से भी हित वचन ग्रहण करले। शत्रु से भी अच्छा कर्म और अमित्रों में से भी सुवर्णादि ग्रहण करले ॥ २३९ ॥ स्त्री, रत्न, विद्या, धर्म, शौच, अच्छे वचन और अनेक प्रकार की शिल्पविद्या सबसे ग्रहण करले ॥ २४० ॥

अब्राह्मणादध्ययनमापत्काले विधीयते। अनुब्रज्या च शुश्रूषा
यावदध्ययनं गुरोः २४१ नाऽब्राह्मणे गुरौ शिष्यो वा समात्यन्तिकं
वसेत्। ब्राह्मणे चाननूयानि कालक्षन्नातिमनुत्तमाम् ॥ २४२ ॥

अर्थ-प्रापत्तिपनय में ब्राह्मण के बिना (क्षत्रिय और वैश्य से) भी पढ़ना कहा है और गुरु की आज्ञा में चलना और शुश्रूषा जब तक पढ़े तब तक करे ॥ २४१ ॥ ब्राह्मण गुरु न हो तो शिष्य सदा गुरुकुल निवास न करे ब्राह्मण भी साङ्ग वेदों का पढ़ाने वाला न हो तो मोक्ष की इच्छा करता हुआ शिष्य सदा गुरुकुल निवास न करे ॥ २४२ ॥

यदि त्वात्यन्तिकं वासं रोचयेत् गुरोः कुले। युक्तः परिवर्तयेत्-
माशरीरविमोक्षणात् ॥२४३॥ आसमाप्तेः शरीरस्य यस्तु शुश्रू-

पते गुरुम् । स गच्छत्यञ्जसा विप्रो ब्रह्मणः सद्यः शाश्वतम् २४४

अर्थ—जो गुरुकुल में सदा वास की रुचि हो तो सावधानी से जब तक जीवे गुरु की शुश्रूषा करता रहे और (ब्रह्मचर्य में) युक्त रहे ॥२४३॥ जो शरीर समाप्त होने तक गुरु की शुश्रूषा करता है वह ब्राह्मण अनायास मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ २४४ ॥

न पूर्वं गुरवे किञ्चिदुपकुर्वीत धर्मवित् । स्नास्यस्तु गुरुणा ज्ञप्तः
शक्त्या गुर्वर्थमाहरेत् ॥२४५॥ क्षेत्रं हिरण्यं गामश्च कृत्रोपा-

नहमासनम् । धान्यं शाकं च वासांसि गुरवे प्रीतिमावहेत् २४६

अर्थ—धर्म का जानने वाला स्नान के अतिरिक्त कोई वस्तु गुरु से पूर्व न वर्ते । गुरु की आज्ञा से यथाशक्ति गुरु के लिये जलादि ला देवे ॥ २४५ ॥ पृथिवी, सुवस्त्र, गी, घोड़ा, छत्र, जूता, आसन, अन्न, शाक और वस्त्र गुरु के निमित्त प्रीतिपूर्वक निवेदित करे ॥ २४६ ॥

आचार्यैस्तु खलु प्रेते गुरुपुत्रे गुणान्विते गुरुदारे सपिण्डे वा
गुरुवद्वृत्तिमाचरेत् ॥२४७॥ एतेष्वविद्यमानेषु स्नानासनवि-

हारवान् । प्रयुञ्जानीऽग्निशुश्रूषां साधयेद्देहमात्मनः ॥२४८॥

अर्थ—गुरु के मरे पीछे गुरु का पुत्र गुणों से युक्त हो और गुरु की स्त्री हो और गुरु के सपिण्ड अर्थात् भ्राता आदि होवें तो उन को भी गुरु के तुल्य मानता रहे ॥२४७॥ और ये (गुरुपुत्र, गुरु की स्त्री और गुरु के पितृआदि) न होवें तो स्नानादि और होमादि करता हुआ अपने शरीरको साधे (ब्रह्म की प्राप्ति के योग्य करे) ॥ २४८ ॥

एवं चरति यो विप्रो ब्रह्मचर्यमविप्लुतः ।

स गच्छत्युत्तमस्थानं न चेहाजायते पुनः ॥२४९॥
इति मानवे धर्मशास्त्रे (भृगुप्रोक्तार्यां संहितार्यां)

द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥

अर्थ—जो ब्राह्मण ऐसे अखण्डित ब्रह्मचर्य करता है वह ब्रह्म को प्राप्त होता है और फिर पृथिवी पर जन्म नहीं लेता ॥ २४९ ॥

इति श्री तुलसीरामस्वामी-विरचिते मनुस्मृतिभाषानुवादे

द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

अथ तृतीयोऽध्यायः

षट्त्रिंशदाब्दिकं चार्यं गुरोत्रैवैदिकं व्रतम् । तदर्धिकं पादिकं
वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥१॥ वेदानधीत्यवेदौ वा वेदं वापि
यथाक्रमम् । अविप्लुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत् ॥२॥

अर्थ—गुरुकुल में (ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम) तीनों वेद उत्तीस वर्ष पर्यन्त
अथवा अठारह वर्ष पर्यन्त वा नव वर्ष पर्यन्त पढ़े अथवा जितने काल में
पढ़ने की शक्ति है वे उतने ही काल तक पढ़े और ब्रह्मचर्य रखें ॥१॥ क्रम
से तीनों वेद वा दो वेद अथवा एक ही पढ़कर ब्रह्मचर्य खलिहत न करके
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें ॥ २ ॥

तं प्रतीतं स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः। स्वग्निषणं तल्पआसीन-
मर्हयेत्प्रथमं गवा ॥३॥ गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथा-
विधि । उद्वहेत् द्विजो भार्यां सवर्णां लक्षणान्विताम् ॥ ४ ॥

अर्थ—अपने धर्म के अनुसार पिता (आचार्य) से वेदरूपी दायभाग लाते
हुवे छोटकर आये, उस जाला से अलंकृत और शय्या पर स्थित हुवेकी (पिता)
गोदान से पूजित करें ॥३॥ गुरु की आज्ञा से यथाविधि स्नान और समावर्तन
करके द्विज अपने वर्ण को शुभ लक्षणों से युक्त स्त्री से विवाह करें ॥ ४ ॥

असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च यापितुः। साप्रशस्ताद्विजा-
तीनां दारकर्मणि मैथुने ॥५॥ महान्त्यपि समृद्धानि गोजावि-
धनधान्यतः। स्त्रीसम्बन्धे दशैतानि कुलानि पस्विर्जयेत् ॥६॥

अर्थ—जो माता की सपिण्ड (सात पीढ़ी में) न हो और पिता के गोत्र
में न हो (ऐसी स्त्री) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की स्त्री कर्म—मैथुन में श्रेष्ठ है
॥ ५ ॥ यदि गौ, बकरी, भेड़, इम्य और अन्न से बहुत समृद्ध भी हों तो श्री
इन आगे कहे (दोषयुक्त) दश कुलों की कन्या से विवाह न करें ॥ ६ ॥

हीनक्रियं निष्पुरुषं निरुच्छन्दोरोनशार्शसम् । क्षय्यामथाव्यप-
स्मारिशिवत्रिकुष्ठिकुलानिचण्डोद्भूतेकपिलांकन्यानाधिकार्हो
न रोगिणीम् । नालोमिकां नालोमां नवाद्याटानपिङ्गलाम्

अर्थ—(वेकुल ये हैं) हीनक्रिया (सातकर्मोदिरहित) १, पुच्छरहित २, वेदपाठरहित ३, बहुत बड़े बालों वाला ४, दयाहीनरुक्त ५, क्षय उवाचि से युक्त ६, मन्दाग्नि ७, सुगी ८, इक्षेतकुष्ठी ९, और गलितकुष्ठी १० (इन दस कुलों को छोड़ देवे) ॥७॥ कपिल रङ्ग वाली, अधिक अङ्ग वाली, रोगिणी, विना बालों वाली, बहुत बालों वाली, कठोर बोलने वाली और कांपरी कन्या से विवाह न करे ॥ ८ ॥

नर्क्षवृक्षनदीनाम्नीं नान्त्यपर्वतनामिकाम् । न पक्ष्यहिम्रेष्यना-
म्नीं न च भीषणनामिकाम् ॥८॥ अव्यङ्गाङ्गीं सौम्यनाम्नीं हंस-
वारणगामिनीम् । तनुलोमकेशदशनां मृद्वङ्गीमुद्वहेत्स्त्रियम् १०

अर्थ—नक्षत्र, वृक्ष, नदी, अन्त्यज, पहाड़, पत्नी, सर्प, शूद्र, (आदि) नामों और भयङ्कर नामों वाली से न करे ॥८॥ सुन्दर अङ्ग वाली, अशुद्ध नाम वाली, हंस और गज के सदृश गमन वाली, पतले रोमाङ्गी, बालों और दाँतों और कोमल शरीर वाली से विवाह करे ॥ १० ॥

यस्यास्तु न भवेद् भ्राता न विज्ञायेत वा पिता ।

नोपयच्छेत तां प्राज्ञः पुत्रिकाधर्मशङ्कया ॥ ११ ॥

“सर्वर्षाणि द्विजातीनां प्रथस्ता दारकर्मणि ।

कामतस्तु प्रथतानामिमाः स्युः क्रमशोवराः ॥११॥”

अर्थ—जिसके भाई न हो वा जिसके पिता का पता न लगे, ज्ञानवान् पुरुष (जिसका प्रथम पुत्र अपने मामा की गोद धर्म से देना पड़े उसकी “पुत्रिका” कहते हैं) “पुत्रिका” धर्म से डर कर उससे विवाह न करे ॥११॥ “प्राज्ञ”, सत्रिय, वैश्यों को स्त्री करने में प्रथम अपने वर्णकी कन्या से विवाह श्रेष्ठ है और कामाधीन विवाह करे तो क्रम से से नीची भी छोड़ें ॥११॥

“भूदेव भावो शुद्रस्य सा च स्वा च विशः स्मृतेः ।

ते च स्वा चैव राक्षस्य तार्क्ष्यस्ता चाऽप्यजन्मनः ॥ १३ ॥”

न ब्राह्मणक्षत्रिययोरापद्यपि हि तिष्ठतोः ।

कस्मिंश्चिदपि वृत्तान्तेशूद्रा भार्योपदिश्यते ॥ १४ ॥

अर्थ—शूद्र को शूद्र ही की कन्या से, वैश्य को वैश्य की और शूद्र की कन्या से, क्षत्रिय को शूद्र वैश्य और क्षत्रिय की कन्या से और ब्राह्मण को शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण की (कन्या से विवाह करलेना भी घुरा नहीं है) ॥ १२ । १३ श्लोक स्वयं मनु के ही—अगले १४ । १५ । १७ । १८ और १९ वें श्लोकों से विहट्ट हैं) ॥ १३ ॥ ब्राह्मण क्षत्रिय को आपत्काल में रक्षकों को भी किसी भी दृष्टान्त में शूद्रा भार्या नहीं बताई गई है ॥ १४ ॥

हीनजातिस्त्रियं मोहादुद्वहन्तोद्विजातयः ।

कुलान्येव नयन्त्याशु ससन्तानानि शूद्रताम् ॥१५॥

“शूद्रावेदी पतत्यत्ररुतश्चतनयस्य च ।

शौनकस्य सुतोत्पत्त्या तदपत्यतया भृगोः ॥ १६ ॥

अर्थ—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मोहवश अपने वर्ण से हीन वर्णस्थ स्त्रीसे विवाह करें तो सन्तानसमेत अपने कुल को शूद्रता को प्राप्त करते हैं ॥१५॥ “शूद्रा से विवाह करने से पतित होता है, यह अत्रि और उत्तश्य के पुत्र का मत है । शूद्रा से सन्तान उत्पन्न करने से पतित होता है, यह शौनक का मत है । और उस सन्तान के सन्तान होने से पतित हो, यह भृगु का वचन है ” । (स्पष्ट है कि यह श्लोक मनु का नहीं है) ॥ १६ ॥

शूद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणीयात्यधोगतिम् । जनयित्वा सुतं तस्यांब्राह्मण्यादेवहीयते ७ देवपित्र्यातिथेयानितत्प्रधानानि यस्य तु । नाश्नन्ति पितृदेवास्तन्न च स्वर्गं स गच्छति ॥१६॥

अर्थ—शूद्रा के शय्या पर आरोपण करने से ब्राह्मण नीच गति को प्राप्त होता है और उसके सन्तान उत्पन्न करके तो ब्राह्मणत्व से ही हीन हो जाता है ॥१७॥ और जिस ब्राह्मण ने शूद्रा स्त्री के प्रधानत्व से होम, आहु और अतिविभोजन कराया चाहा है, उस का अन्न पितृसंज्ञक और देवतासंज्ञक पुरुष ग्रहण नहीं करते और वह पुरुष स्वर्ग को प्राप्त नहीं होता ॥ १८ ॥

दूषलीफेनपीतस्य निःश्वासोपहतस्य च । तस्यां चैव प्रसूतस्य
निष्कृतिर्न विधीयते ॥१९॥ चतुर्णामपिवर्णानां प्रेत्य चेह हिता
ऽहितान् । अष्टाविमान्समासेन स्त्रीविवाहान्निबोधत ॥२०॥

अर्थ-शूद्रा के मुख चुम्बन करने वाले पुरुष की और उस के मुँह की
आकृति लगने से उस पुरुष और उस से उत्पन्न सन्तान की शुद्धि नहीं होती
॥ १९ ॥ चारों वर्णों के परलोक और इस लोक में अच्छे बुरे आठ प्रकार
के विवाहों को संक्षेप से सुनो ॥ २० ॥

ब्राह्मोदैवस्तथैवार्थः प्राजापत्यस्तथासुरः ।

गान्धर्वोराक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥२१॥

“योग्यस्य धर्मावर्णस्य गुणदोषी च यस्य यौ ।

तद्गुणं सर्वं प्रवक्ष्यामि प्रसवे च गुणाऽगुणान् ॥ २२ ॥”

अर्थ-ब्राह्म १ देव २ आर्ष ३ प्राजापत्य ४ नासुर ५ गान्धर्व ६ राक्षस ७
और आठवां पैशाच ८ अतिनिन्दित है ॥ २१ ॥ “जो (विवाह) जिस वर्ण
को योग्य है और जो गुण दोष जिस में हैं, सो तुम से कहता हूँ और स-
न्तान के गुण दोष भी (कहता हूँ) ॥ २२ ॥”

“यहानुपूर्व्यां विप्रस्य क्षत्रस्य चतुरोवराम् । विट्शूद्रयोस्तु ता-
नेव विद्यादुभ्यांनगराक्षसान् ॥ २३ ॥ चतुरोब्राह्मणस्वाद्यान्प्रश-
स्तान्कवचोविदुः । राक्षसं क्षत्रियस्यैकमासुरं वैश्यशूद्रयोः ॥ २४ ॥”

अर्थ-ब्राह्मण को क्रम से (ब्राह्म देव आर्ष प्राजापत्य आसुर गान्धर्व)
छः विवाह धर्म्य हैं और क्षत्रिय को (आर्ष प्राजापत्य आसुर गान्धर्व) चार
विवाह श्रेष्ठ हैं । वैश्य और शूद्र को भी ये ही (चारों) विवाह धर्मसम्बन्धी
हैं, परन्तु किसी को भी राक्षस विवाह योग्य नहीं ॥२३॥ ब्राह्मण को (ब्राह्म
देव आर्ष प्राजापत्य) पहले चार विवाह उत्तम हैं । क्षत्रिय को राक्षस विवाह
श्रेष्ठ है और वैश्य शूद्र को एक आसुर विवाह उत्तम है ॥ २४ ॥”

“पश्चानां तु त्रयोधर्म्यां द्वावधर्म्यां स्मृताविह । पैशाचश्चासुरश्चैव
न कर्तव्यौ कदाचन ॥ २५ ॥ पृथक्पृथक्ता मित्री वा विवाही पूर्वयो-
दिति । गान्धर्वोराक्षसश्चैव धर्म्यौ क्षत्रस्य तु स्मृती ॥ २६ ॥”

“अर्थ—पांच विवाहों में तीन धर्मसम्बन्धी और दो अधर्मसम्बन्धी हैं।
पेशाच और आसुर कभी करने योग्य नहीं हैं ॥ २५ ॥ पहले कहे हुवे न्यारे
न्यारे अथवा मिले हुवे गान्धर्व और रासह विवाह वृत्रियों के धर्मसम्बन्धी
कहे हैं ॥ * (२२।२३।२४।२५।२६ श्लोक प्रक्षिप्त जान पड़ते हैं । क्योंकि प्रथम
ती २१ वें में जो ८ विवाह कहे हैं, उन के लक्षण क्रम से २७ वें से वर्णन
किये गये हैं । इस लिये उन से ठीक सम्बन्ध मिल जाता है। दूसरे ये श्लोक
स्वयं परस्पर विरुद्ध हैं । क्योंकि आगे ३८। ४०। ४१ वें श्लोकों में प्रथम के
ब्राह्मदि विवाह उत्तम और पिछले ४ निन्दित बताये जायेंगे और यही उन
के लक्षणों से प्राया जाता है। परन्तु उस के विरुद्ध यहाँ २३ वें में ब्राह्मणको
ऋः विवाह धर्मयुक्त बताये हैं। २५ वें में पेशाच और आसुर को वर्जित किया
है, २३ और २४ वें में उन्हें विहित बताया है । इत्यादि बहुत विरोध हैं,
जो स्पष्ट हैं) ॥ २६ ॥

आचक्ष्वाद्य चार्चयित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयम् । आहूय दानं
कन्याया ब्राह्मो धर्मः प्रकीर्तितः ॥२७॥ यज्ञे तु वितते सम्य-
गृत्विजे कर्म कुर्वते। अलंकृत्य सुतादानं देवधर्मं प्रचक्षते ॥२८॥

अर्थ—विद्यायुक्त शीलवान् वर को बुला कर वस्त्र तथा भूषणादि से
सज्जित करके कन्यादान करने को “ ब्राह्म ” विवाह कहते हैं ॥ २७ ॥
(ज्योतिषोमादि) यज्ञ में अरुहे प्रकार यज्ञ कराने वाले ऋत्विज वर को
सूषण पहिरा कर कन्यादान करने को “ देव ” विवाह कहते हैं ॥ २८ ॥

एकंगीमिथुनंदेवावरादादायधर्मतः। कन्याप्रदानं विधिवदार्पी
धर्मः स उच्यते ॥२९॥ सहोभौ चरतं धर्ममिति वाचानुभाष्य
च । कन्याप्रदानमभ्यर्च्य प्राजापत्यो विधिः समृतः ॥ ३० ॥

अर्थ—एक गौ और एक बैल अथवा दो गौ और २ बैल (यज्ञादि के
निमित्त अथवा कन्या को देने के निमित्त) वर से लेकर शास्त्र में कहे प्रकार
से कन्यादान करनेको “आर्ष” विवाह कहते हैं (आगे ५३ वें श्लोक में कहेंगे
कि यह सब का मत नहीं है और घुस है) ॥२९॥ ‘तुम दोनों साथ धर्म के
आचरण करो, कन्यादान के समय वाणी से यह प्रार्थना करके जो सत्कार-
पूर्वक कन्यादान किया जाता है वह “ प्राजापत्य ” विवाह है ॥ ३० ॥

ज्ञातिभ्योऽद्रवियां हत्वाकन्यायै चैवशक्तितः।कन्याप्रदानंस्वा-
च्छन्द्यादासुरोधर्मउच्यते ॥३१॥इच्छायान्यान्यसंयोगःकन्या-

याश्रवरस्यच । गान्धर्वःस तु विज्ञेयोमैथुन्यःकामसंभवः॥३२॥

अर्थ—वर के माता पिता आदि और कन्या को यथाशक्ति धन देकर जो
इच्छापूर्वक कन्या देना है, यह " आसुर " विवाह कहा जाता है ॥ ३१ ॥
अपनी इच्छा से कन्या और वर का मिलाप मात्र होना, यह कामियों का
मैथुन्य " गान्धर्व विवाह " जानना चाहिये ॥ ३२ ॥

हत्वा छित्वा च भित्त्वाचक्रीशन्तीरुदतांगृहात्प्रसह्य कन्या
हरणंराक्षसोविधिरुच्यते ॥३३॥सुप्रांसत्तांप्रमत्तांवारहोयत्रो-
पगच्छतिसपापिष्ठोविवाहानां पैशाचश्चाष्टमोऽधमः॥ ३४ ॥

अर्थ—बिनाश करके, हस्तपादादि पर चोट मार के, मकान आदिफेड़
के, गाली देती और रोती हुई कन्या को हठ से लेजाना "राक्षस " विवाह
कहाता है ॥ ३३ ॥ सोती हुई और नशा पी हुई और प्रमादनी को जहां
मनुष्य न हों, विषय करके प्राप्त होना, यह पाप का मूल विवाहोंमें अधम
पापों में " पैशाच " विवाह है ॥ ३४ ॥

अद्विरेव द्विजाग्र्याणां कन्यादानं विशिष्यते ।

इतरेषां तु वर्णानामितरेतरकाम्यया ॥ ३५ ॥

“ शीघ्रस्यैषां विवाहानां मनुजा कीर्तितोगुणः ।

सर्वं शृणुत तं विप्राः सर्वं कीर्तयतो मन ॥ ३६ ॥ ”

अर्थ—ब्राह्मणों को जल से ही कन्यादान करना श्रेष्ठ है और क्षत्रियादि
वर्णों को परस्पर की इच्छामात्र से कन्यादान होता है (जल का नियम नहीं
है) ॥३५॥ “ इन विवाहों में जो गुण जिस विवाह का मनु ने कहा है, वो
संपूर्ण है ब्राह्मणों । सुक से सब सुनो” (यह अंगुने ब्राह्मणों से कहा है) ॥३६॥

दश पूर्वान्परान्वंश्यानात्मानंचैकविंशकम्ब्राह्मीपुत्रःसुकृत
कृन्मोचयेदेनसः पितृन् ॥ ३७ ॥ देवोढाजःसुतश्चैव सप्त सप्त
परावरान् । आर्षोढाजःसुतस्त्रीस्त्रीन्षट्षट्कायोढजःसुतः ३८

अर्थ—ब्राह्मविवाह की कन्या का पुत्र, जो अच्छे कर्म करने वाला होवे तो दश पीढ़ी प्रथम (अपने जन्म से पहिली) और दश पीढ़ी पर (पुत्रादि) तथा अपने को, इस प्रकार इक्कीस को (अपयशरूपी) पाप से छुटाता है ॥ ३७ ॥ और दैव विवाह की स्त्री का पुत्र सात पीढ़ी पहिली और सात अगली तथा ऋषिविवाह की स्त्री का पुत्र तीन पीढ़ी पहिली और तीन अगली और प्राजापत्य विवाह की स्त्री का पुत्र छः पीढ़ी पहिली और छः अगली और अपने को (अपयश) पाप से छुटाता है ॥

(ये दो श्लोक ब्राह्मादि चार विवाहों की प्रशंसा के हैं यथार्थ में जब किसी कुल में कोई धर्मात्मा प्रतिष्ठित पुरुष उत्पन्न होता है, तब अगले पिछलों के नाम पर कोई बुरा भी लगा हो तो उस से दब जाता है । और उत्तम विवाह उत्तम सन्तान का हेतु है ही । इस लिये ब्राह्मआदि ४ विवाहों का न्यूनमाधिक उत्तमत्व दिखाया गया है) ॥ ३८ ॥

ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुर्वैवानुपूर्वशः। ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसंमताः ॥३९॥ रूपसत्त्वगुणोपेता धनवन्तो यशस्विनः। पर्याप्तभोगा धर्मिष्ठा जीवन्ति च शतं समाः ॥४०॥

अर्थ—ब्राह्मादि चार विवाहों से ही क्रमसे ऐसे पुत्र होते हैं जो ब्रह्म-तेजस्वी और श्रेष्ठ मनुष्यों के प्यारे, ॥ ३९ ॥ रूपवान्, पराक्रमी, गुणवान्, धनवान्, यश वाले, पुष्कल भोग वाले, धर्मात्मा और १०० वर्ष की आयु वाले होते हैं ॥ ४० ॥

इतरेषु त् शिष्टेषु नृशंसानतवादिनः। जायन्ते दुर्विवाहेषु ब्रह्म धर्मद्विष. सुताः ॥४१॥ अनिन्दितैः स्त्रीविवाहैरनिन्द्या भवति प्रजा। निन्दितैर्निन्दिता नृणां तस्मान्निन्द्यान्निर्वर्जयेत् ॥४२॥

अर्थ—शेष दुष्ट विवाहों के सन्तान निर्लज्ज, झूठ बोलने वाले, ब्रह्मधर्म-द्वेषी (ब्राह्मणों व धर्मों के शत्रु) उत्पन्न होते हैं ॥४१॥ अच्छे स्त्रीविवाहों से अच्छी और बुरे विवाहों से बुरी सन्तान मनुष्यों के होती है । इस कारण निन्दित विवाहों का त्याग करे ॥ ४२ ॥

“पाणिग्रहणसंस्कारः सधर्णासूपदिश्यते । असवर्णास्वयं ज्ञेयो विधिरुद्वाहकर्मणि ॥ ४३ ॥ शरः सन्नियया ग्राह्याः प्रतोदो वैश्यकन्यया । वसनस्य दशा ग्राह्या शूद्रयोत्कृष्टवेदने” ॥ ४४ ॥

अर्थ—पाणिग्रहणसंस्कार अपने वर्ण की स्त्री के साथ कहा है और अपने वर्ण से दूसरे वर्ण की स्त्रियों में विवाह कर्म में यह विधि जाननी चाहिये—॥४३॥ उत्तम वर्ण का पुरुष हीन वर्ण की कन्या से विवाह करे तो क्षत्रिय की कन्या को घाण का एक सिरा और वैश्य की कन्या को सांडे का एक सिरा और शूद्र की कन्या को कण्डे का एक सिरा पकड़ना चाहिये॥”

(४३ । ४४ श्लोकों में स्वयं ही कहते हैं कि यह पाणिग्रहण संस्कार नहीं है, जो असवर्णों के साथ हो । और असवर्णों के साथ विवाह करना पूर्व श्लोक ४ के विरुद्ध होने से त्याज्य भी है) ॥ ४४ ॥

ऋतुकालाभिगाप्ती स्यात्स्वदारनिरतः सदा।पर्ववर्जेत्रजेच्चैनां
लद्धतोरतिकाम्यया ॥४५॥ ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः

षोडश स्मृताः । चतुर्भिरितरैः सार्धमहोभिः सद्भिर्गर्हितैः ॥४६॥

अर्थ—अपनी स्त्री से (अमावस्यादि) पर्ववर्जित दिनों में ऋतुकाल में प्रीतिपूर्वक संभोग करे ॥४५॥ स्त्रियों की स्वाभाविक ऋतुकाल की १६ रात्रि हैं जिन में (पहले) चार दिन अच्छे मनुष्यों से निन्दित भी सम्मिलित हैं ४६

तासामाद्यश्चतस्रस्तुनिन्दितैकादशीचयात्रयोदशीचशोषा-

स्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ॥४७॥ युग्मासु पुत्राजायन्ते स्त्रियोऽयु-

ग्मासुरात्रिषु तस्माद्युग्मासु पुत्रार्थी संविशेता त्वेस्त्रियम् ॥४८॥

अर्थ—उन में चार प्रघस की और ११ वीं और १३ वीं ये छः रात्रि (स्त्री भोग में) निषिद्ध हैं और शेष दश रात्रि श्रेष्ठ हैं ॥४७॥ (उन दशों में भी) युग्म (छठी आठवीं इत्यादि) में पुत्र उत्पन्न होते हैं और अयुग्म (सातवीं आदि) रात्रियों में कन्या उत्पन्न होती हैं इस कारण पुत्र की इच्छा वाला युग्म स्थितियों में ऋतुकाल में स्त्री से संभोग करे ॥ ४८ ॥

पुमान्पुंसोऽधिकेशु क्रेस्त्रीभवत्यधिकेस्त्रियाः।समेऽपुमान्पुंस्त्रियो

वा क्षीणेऽल्पे च विपर्ययः ॥ ४९ ॥ निन्द्यास्वष्टासु चान्यासु

स्त्रियो रात्रिषु वर्जयन् ब्रह्मचार्यैव भवति यत्र तत्राश्रमेव सन् ॥०

अर्थ पुंस्य का वीर्य अधिक हो तो पुत्र और स्त्री का अधिक हो तो कन्या, जो दोनों का वीर्य बराबर हो तो नपुंसक वा १ कन्या और १ पुत्र

उत्पन्न होता है । वीर्य क्षीण हो अथवा कम हो तो सन्तान नहीं होती ॥४९॥
चार रात्रि ऋतु की, ११ वीं १३ वीं और दोपर्व की इन ८ रात्रियों को त्याग
कर, शेष रात्रियों में जिस किसी भी आश्रम में रहा हुआ (स्त्री संभोगकरे
तो) ब्रह्मचारी ही है ॥ ५० ॥

नकन्यायापिताविद्वान्गृह्णीयाच्छुक्रमण्वपिगृह्णुच्छुल्कं हि
लोभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयीऽस्त्री धनानितु येमोहादुपजीव-
न्तिवान्धवाः। नारीयानानिवस्त्रं वातेपापायान्त्यधोगतिमृश्र

अर्थ—ज्ञानवान् पिता कन्या का अल्प द्रव्य भी शुल्क मूल्य ग्रहण न
करे । यदि लोभ से मूल्य ग्रहण करे तो वह मनुष्य सन्तान का देने वाला
हो ॥५१॥ स्त्रीधन (स्त्री को दिया हुआ धन) वा यान वा वस्त्र को (पतिके)
जो बान्धव ग्रहण करते हैं, वे पापी अधोगति को प्राप्त होते हैं ॥५२॥

आर्षेगोमिथुनंशुक्रं केचिदाहुर्मृषैवतत्प्रल्पोऽल्प्येवंमहान्
वापि विक्रयस्तावदेव सः ॥५३॥ यासां नाददते शुक्रंज्ञातयो
न स विक्रयः । अर्हणं तत्कुमारीणामानृशंस्यं चकेवलम् ॥५४॥

अर्थ—आर्षविवाह में गौ के जोड़े का ग्रहण करना जो कोई कहते हैं
सो मिथ्या है, क्योंकि बहुत मूल्य हो चाहे थोड़ा परन्तु बेचना तो ही ही
है ॥५३॥ परन्तु जिन कन्याओं का द्रव्य पित्रादि न लें, वह बेचना नहीं है,
किन्तु कन्याओं का पूजन और केवल दया है ॥ ५४ ॥

पितृभिर्भ्रातृभिश्चैताःपतिभिर्देवरैस्तथा। पूज्या भूषयितव्याश्च
बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥५५॥ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र
देवताः। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राऽफलाः क्रियाः ॥५६॥

अर्थ—अपनी बहुत आलाहें चाहें तो पिता, भाई, पति और देवर भी
(यज्ञालङ्कारादि से) इनका पूजन करें ॥ ५५ ॥ क्योंकि जिस कुल में स्त्रियें
पूजी जाती हैं, वहां देवता रमते हैं और जहां देव का पूजन नहीं होता,
वहां सम्पूर्ण कर्म (यज्ञादि) निरर्थक हैं ॥ ५६ ॥

शोचन्ति जामयोयत्र विनश्यत्प्राशु तत्कुलम् । न शोचन्ति त

यत्रैता वर्धतेतद्धि सर्वदा ॥५७॥ जामयीथानि गेहानि शपन्त्य-
प्रतिपूजिताः। तानिकृत्याहतानीव विनश्यन्तिसमन्ततः ॥५८॥

अर्थ—जिस कुल में स्त्रियें (दुःखित हो) शोक करती हैं, वह कुल शीघ्रनाश
को प्राप्त हो जाता है जहां ये शोक नहीं करतीं वह (कुल) स्वदा बढ़ता
है ॥ ५७ ॥ जिन घरों को अपूजित होकर स्त्रियां शाप देती हैं वे घर कृत्या
(विषप्रयोगादि) के से मारे सब ओर नाश को प्राप्त होजाते हैं ॥ ५८ ॥

तरमादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः। भूतिकामैर्नरै-
र्नित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥५९॥ सन्तुष्टोभार्यया भर्ताभर्त्रा
भार्या तथैव च। यस्मिन्नेव कुलेनित्यंकल्याणंतत्रवैध्रुवम् ६०

अर्थ—इस लिये ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले पुरुषों को भूषण और वस्त्र
आदि से अच्छे कामों और विवाहादि में इन (स्त्रियों) का सदा सत्कार
रखना उचित है ॥५९॥ जिस कुल में नित्य स्त्री से पति और पति से स्त्री
प्रसन्न रहती है उस कुल में निश्चय कल्याण होता है ॥ ६० ॥

यदि हि स्त्री न रोचते पुमांसं न प्रमोदयेत्। अप्रमोदात्पुनः पुंसः
प्रजनं न प्रवर्त्तते ॥६१॥ स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्रोचते
कुलम्। तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ ६२ ॥

अर्थ—यदि स्त्री शोभित न होती पति को प्रसन्न न कर सके और पुरुष
को प्रसन्न न रहने से सन्तान नहीं चलती ॥ ६१ ॥ स्त्री (वस्त्र आभूषणादिसे)
शोभित ही तो सम्पूर्णकुल को शोभा है और उस के मलिन होने से सम्पूर्ण
कुल मलिन रहता है ॥ ६२ ॥

कुविवाहैः क्रियालोपैर्वेदानध्ययनेन च। कुलान्यकुलतांयान्ति
ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥६३॥ शिल्पेन व्यवहारेण शूद्रापत्यैश्च
केवलैः। गोभिरश्वैश्च यानैश्च कृष्या राजोपसेवया ॥ ६४ ॥

अर्थ—सोटे विवाहों से, कर्म के लोप से और वेद के न पढ़ने से कुल
नीचपन को प्राप्त हो जाते हैं और ब्राह्मणों की आज्ञाभङ्ग करने से भी ॥६३॥
शिल्प और व्यवहार से, केवल शूद्र सन्तानों से, गाय, घोड़े और सवारियों
से, खेती और राजा की नीची नौकरी से—॥ ६४ ॥

अथाज्ययाजनैश्चैवनास्तिक्येनच कर्मणाम् । कुलान्याशुविन-
शयन्ति यानिहीनानिमन्त्रतः ॥६५॥ मन्त्रतस्तु समृद्धानिकुला-
न्यल्पधनान्यापिकुलसंख्यां च गच्छन्तिकर्षन्तिचमहदशः६६

अर्थ-और चारडालादि को यज्ञ कराने तथा श्रौत स्मार्त कर्मोंकी अप्रदुा
से और वे कुल जो वेदपाठ से हीन हैं, इन कामों से शीघ्र ही नाश को प्राप्त
हो जाते हैं ॥ ६५ ॥ और वेदों से समृद्ध कुल, चाहे अल्प धन वाले भी
हों, परन्तु बड़े कुल की गिनती में गिने जाते हैं और बड़े यज्ञ को धारण
करते हैं (अर्थात् कुल की प्रतिष्ठा वेदपाठ से है-न कि नौकरी, व्यापार,
सवारी और गौ आदि आहम्बर से) ॥ ६६ ॥

वैवाहिकेऽग्नौ कुर्वीत गृह्यं कर्म यथाविधि । पञ्चयज्ञविधानं
च पक्तिं चान्वेहाहिकीं गृही ॥६७॥ पञ्चसूना गृहस्थस्यचुल्ली
पेषण्युपस्करः । कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यतेयास्तुवाहयन्६८

अर्थ-विवाह की अग्नि में विधिपूर्वक गृह्योक्त कर्म (सायंप्रातः होमादि)
करे और पञ्चयज्ञान्तर्गत बलिबैशवादि और नित्य करने का पाक भी गृहस्थ
(उसी में) करे ॥ ६७ ॥ ये पांच वस्तु गृहस्थ को हिंसा का मूल हैं-बूल्हा
१ षक्री २ बुहारी ३ उलूखल, मूसल, जल का घड़ा ५ इनको अपने कामों
में लाता हुआ (पाप से) बन्ध जाता है ॥ ६८ ॥

तासां क्रमेणसर्वासां निष्कृत्यर्थं महर्षिभिः । पञ्चकल्पामहा
यज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम् ॥६९॥ अध्यापनं ब्रह्मयज्ञःपितृयज्ञ
स्तु तर्पणम् । होमोद्वैवोबलिर्भौतोनृयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥७०॥

अर्थ-गृहस्थोंके उन पापों के प्रायश्चित्तार्थं महर्षियों ने प्रतिदिनके पांच
सहायज्ञ रखे हैं ॥६९॥ ब्रह्मयज्ञ=पढ़ाना और पितृयज्ञ=तर्पण और देवयज्ञ=होम
और भूतयज्ञ=भूतबलि और मनुष्ययज्ञ=अतिथिभोजन (ये ५ हैं) ॥ ७० ॥

पञ्चैतान्योमहायज्ञान्न हापयतिशक्तितः । सगृहेऽपिवसन्नित्यं
सूनादोषैर्न लिप्यते ॥७१॥ देवतातिथिभृत्यानां पितृणामा-
त्मनश्च यः । न निर्वपतिपञ्चानामुच्छसन्न स जीवति ॥७२॥

अर्थ—जो इन ५ महायज्ञों की अपनी शक्ति भर न छोड़े, वह पुरुष गृह में बसता हुआ भी हिंसा के दोषों से लिप्त नहीं होता ॥७१॥ देवता, अतिथि मृत्यु, माता, पिता आदि और आत्मा इन पाँचों की अन्न न दे तो जीता हुआ भी मरे के तुल्य है ॥ ७२ ॥

अहुतं च हुतं चैव तथा प्रहुतमेव च । ब्राह्मं हुतं प्राशितं च
पञ्चयज्ञान्प्रचक्षते ॥७३॥ जपोऽहुतोहुतोहोमः प्रहुतोभौतिको
बलिः । ब्राह्मं हुतं द्विजाग्र्यार्चा प्राशितं पितृतर्पणम् ॥७४॥

अर्थ—अहुत १ हुत २ प्रहुत ३ ब्रह्महुत ४ प्राशित ५, ये पाँच दूसरे नाम पञ्चमहायज्ञों के (मुनि लोग) कहते हैं ॥७३॥ अहुत=अप, हुत=होम, प्रहुत=भूतबलि, ब्राह्महुत=ब्राह्मण की पूजा, प्राशित=नित्य आहु (कहाता है) ॥ ७४ ॥

स्वाध्यायेनित्ययुक्तः स्याद्देवैश्चैवेहकर्मणि । देवैकर्मणियुक्तो हि
विभर्त्सिदं चराचरम् ॥७५॥ अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्य
मुपतिष्ठते । आदित्याज्जायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥७६॥

अर्थ—वेदाध्ययन और अग्निहोत्र में सर्वदा युक्त रहे । जो देव=होमकर्म में युक्त है, वह चराचर का पोषण करता है । क्योंकि—॥ ७५ ॥ अग्नि में डाली आहुति आदित्य को पहुंचती है और सूर्य से वृष्टि होती है और वृष्टि से अन्न, अन्न से प्रजा होती है । (इस से जो अग्निहोत्र करता है वह सम्पूर्ण प्रजा का पालन करता है) ॥ ७६ ॥

यथावायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः । तथा गृहस्थमाश्रित्य
वर्तन्ते सर्व आश्रमाः ॥७७॥ यस्मात्त्रयोप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन
चान्वहम् । गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥७८॥

अर्थ—जैसे सम्पूर्ण जीव (प्राणी) वायुके आश्रयसे जीते हैं, वैसे गृहस्थके आश्रय (सहारे) से सब आश्रम चलते हैं ॥७७॥ जिस कारण तीनों आश्रम-वालों का ज्ञान और अन्न से गृहस्थ ही प्रतिदिन धारण करता है इससे गृहाश्रमी बड़ा है ॥ ७८ ॥

ससंधार्यः प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता । सुखं चेहेच्छता तानित्यं
योऽधार्यो दुर्बलेन्द्रियैः ॥७९॥ ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथ-
यस्तथा । आशासते कुटुम्बिभ्यस्तेभ्यः कार्यं विजानता ॥८०॥

अर्थ—जो दुबला इन्द्रिय वालों से धारण नहीं किया जा सकता, वह (गृहस्थाश्रम) इस लोक में सुख की इच्छा करने वाले तथा अक्षय सुख (मोक्ष) की इच्छा करने वाले को प्रयत्न से धारण करना चाहिये ॥१९॥ क्योंकि ऋषि, पितर, देव, अन्य जीव तथा अतिथि; ये सब कुटुम्बियों से आशा करते हैं, इस से इन के लिये जानते हुवे को (प यज्ञ) करने चाहिये ॥२०॥

स्वाध्यायेनार्चयेत्पर्वाहोमैर्देवान्यथाविधि । पितृन्प्राद्वैश्र
ननन्मैर्भूतानि बलिकर्मणा ॥२१॥ कुर्यादहरहः प्रादुमन्वाद्येनो-
दकेन वा । पयोमूलफलैर्वापि पितृभ्यः प्रीतिमावहन् ॥ २२ ॥

अर्थ—स्वाध्याय से ऋषियों, होम से देवताओं, प्रादुओं से पितरों, अन्न से सनुष्यों तथा बलिकर्म से अन्य भूतों को सतकृत करे ॥२१॥ पितरों से प्रीति चाहने वाला अन्नादि, दुग्ध, मूल फल और जल से प्रतिदिन प्रादु करे ॥२२॥

एकमप्याशयेद्विप्रं पित्रर्थे पाञ्चयज्ञिकेन चैवात्राशयेत्किञ्चि-
द्वैश्वदेवं प्रतिद्विजम् ॥२३॥ वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृह्ये ग्नौ विधि-
पूर्वकम् । आभ्यः कुर्याद्देवनाभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम् ॥ २४ ॥

अर्थ—पञ्चमहायज्ञसम्बन्धी पितृयज्ञनिमित्त (साक्षात् पिता आदि न हो तो चाहे पितृत्वगुणयुक्त छान्दोग्य में कहे अनुसार २४ वर्ष ब्रह्मचर्य धारण करने वाला वसुसंज्ञक ब्रह्मचारी जिस की २५ वें प्रलोक में वसु और पितृ संज्ञा करेंगे, उस प्रकार के) एक ब्राह्मण को भी भोजन करा देवे । परन्तु इस वैश्वदेव के स्थानमें किसी को भोजन न करावे ॥ २३ ॥ गृह्य अग्नि में सिद्ध वैश्वदेव का इन देवताओं के लिये ब्राह्मणादि प्रतिदिन होम करे: ॥२४॥

अग्नेः सोमस्य चैवादीतयोश्चैव समस्तयोः । विश्वेभ्यश्चैव देवे-
भ्यो धन्वन्तर्य एव च ॥ २५ ॥ कुह्वै चैवानुमत्यै च प्रजापतय-
एव च । सह द्यावापृथिव्योश्च तथा स्विष्टकृतेऽन्ततः ॥ २६ ॥

अर्थ—(वे देवता ये हैं:—) अग्नये, सोमाय, इस से पहिले होम करे फिर दोनों का नाम मिला कर, फिर विश्वेभ्यो देवेभ्यः और धन्वन्तरये, ॥२५॥ और कुह्वै, अनुमत्यै, प्रजापतये, द्यावः पृथिवीभ्याम् और अन्त में स्विष्ट-कृते (इन सब के साथ “ स्वाहा ” अन्त में लगा कर होम करे) ॥ २६ ॥

एवं सम्यग्घविहुत्वा सर्वादिक्षप्रदक्षिणम्। इन्द्रान्तकाप्पती-
न्दुभ्यः सानुगेभ्यो बलिं हरेत् ॥ ८७ ॥ मरुद्भ्य इतितु द्वारिक्षिपे-
दस्वद्भ्य इत्यपि। वनस्पतिभ्य इत्येवं मुसली लूखले हरेत् ॥ ८८ ॥

अर्थ—उक्त प्रकार अच्छी विधि से होम करके, चारों दिशाओं में प्रद-
क्षिण क्रम से सानुग इन्द्र, यम, वरुण और सोम, इनके लिये बलि दे ८७
मरुद्भ्यः ऐसा कह कर द्वार, अद्भ्यः ऐसा कह कर जल, वनस्पतिभ्यः ऐसा
कर उलूखल मुसल निमित्त बलि दे ॥ ८८ ॥

उच्छीर्षके श्रियै कुर्याद्द्रुक्काल्यै च पादतः। ब्रह्मवास्तोष्पतिभ्यां तु
वास्तुमध्ये बलिं हरेत् ॥ ८९ ॥ विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो बलिमाकाश
उत्क्षिपेत् । दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नक्तचारिभ्य एव च ॥ ९० ॥

अर्थ—वास्तु के शिरः प्रदेश छत में श्री के लिये, मकान के पैर=भूमि में
भद्रकाली के लिये, ब्रह्मा और वास्तोष्पति के लिये घर के बीच में ॥ ८९ ॥
विश्वदेवों के लिये आकाश में, दिवाचर प्राणी तथा रात्रिचरों के लिये
भी आकाश में ॥ ९० ॥

पृष्ठवास्तुनि कुर्वीत बलिं सर्वात्मभूतये ।

पितृभ्यो बलिशेषं तु सर्वं दक्षिणतो हरेत् ॥ ९१ ॥

अर्थ—मकान के पीछे सर्वात्मभूति के लिये और शेष बलि पितरों को
दक्षिण में देवे ॥ ९१ ॥ (८७ से ९१ तक ५ श्लोकों में वैश्वदेव बलि का विधान या
रीति है) वैश्वदेव शब्द विश्वदेवाः से बना है, जिसका अर्थ यह है कि
सब देवों वा प्राणी अप्राणीरूप जगत् के पदार्थों को अपने भोजन से भाग
देना । क्योंकि श्लोक ८९ में इस का नाम भूतबलि कह आये हैं और श्लोक
६८ में गृहस्थ को ५ हिंसा लगना कह आये हैं कि चूल्हा, चक्की आदि से
काम लेते हुए गृहस्थ पुरुष कुछ न कुछ जगत् की हानि भी करता ही है, उसी
के प्रायश्चित्तार्थ उसको सब जगत् के उपकाररूप वैश्वदेव बलि का विधान है ।
८४ । ८५ । ८६ वें श्लोकों में आहुतियों का वर्णन है, वे आहुति उस २ देवता=दि-
व्यपदार्थ के उपकारार्थ दी जाती हैं । उस २ देवता (भग्नि, सोम आदि में जो २
दिव्य सामर्थ्य है, वह २ दिव्य सामर्थ्य परमात्मा में सर्वोपरि है । इस लिये
कोई आचार्य परमात्मा की प्रसन्नता के लिये इस होम को जानते हैं । और भिन्न

भिन्न देवताके पक्षमें १ अग्नि । २ सोम । ३ अरनीषोम । ४ विश्वेदेवाः=सब देवता । ५ धन्वन्तरि=रोगनिवारक । ६ कुहू=अनावस्था में चन्द्रोदय होने से विशेष दिनमें विशेष । ७ अनुमति=पौर्णिमा में भी उक्त रीति से । ८ प्रजापति=काम । ९ द्युलोक और भूमिलोक । १० स्विष्टकृत अग्निः, ये सब पदार्थ वायु के समान सर्वत्र फैले हुवे हैं और मनुष्यादि के शरीर भी इन्हीं से बने हैं और बाह्य जगत में जब हवन से इनकी उत्तम अवस्था रहती है तब शरीरस्थ देवता, जो सूक्ष्मतत्त्व वा अंश हैं, वे भी भले प्रकार आप्वायित रहते हैं। जैसे बाहर का वायु शुद्ध पवित्र हो तो शरीरस्थ प्राणादि भी स्वस्थ रहते हैं, वैसे ही बाह्य जगत के व्याप्त द्रव्य अच्छे रहें, तभी मनुष्य के भीतरी तत्त्व भी परिष्कृत रह सकते हैं। इस लिये इन मन्त्रों से होम का तात्पर्य उन २ द्रव्यों की हृष्टि पुष्टि शुद्धि आदिसे है। और आगे जो बलि लिखी हैं उन २ को भी उस २ देवता=तत्त्व वा द्रव्य की हृष्टिपुष्टि औरशुद्धि की निमित्त मानकर (निमित्तार्थ में ही इन श्लोकों की सप्तमी विभक्ति है, नकि अधिकरण में, इस लिये) द्वार आदि स्थानों में भागरखना आवश्यक नहीं किन्तु पत्तल पर रखकर पीछे श्लोक ८४ के अनुसार गृह्य अग्नि चूल्हेसे निकाल कर उस में चढ़ादे। अब यह जानना शेष रहा कि इन २ इन्द्रादि का उस २ पूर्व दिशा आदि से क्या सम्बन्ध है? यद्यपि अपनी बुद्धि के अनुसार हम लिखते हैं और हम से पूर्वके टीकाकारों ने भी अपनी २ समझ के अनुसार लिखा है, परन्तु जितना हम लिखते हैं वा अन्योंने लिखा है, उससे पूरा सन्तोष न तो हम को है और न हम यह आशा करते हैं कि अन्यो को होगा परन्तु हम इस सम्बन्ध को यह निश्चय विश्वास करते हैं कि यह प्राथमिक कल्पना नहीं है किन्तु बहुत कुछ यह सम्बन्ध वेदों में भी देखा जाता है, उदाहरण के लिये सन्ध्या में मनसापरिक्रमा के मन्त्रों को देखिये, जिन में से पूर्वादि दिशाओं के साथ विशेष नाम एक प्रकार के क्रम से आये हैं, जो वेदों के अन्य मन्त्रों में भी उस क्रम से प्रायः पाये जाते हैं। इस लिये हम अनुमान करते हैं कि इन्द्र का पूर्व दिशा से, यम का दक्षिण से, वरुण का पश्चिम से, सोम का उत्तरसे, वायु का (द्वार में होकर आने से) द्वारसे, जल का जल से साक्षात्, वनस्पति का (काष्ठमयवृक्षजन्य) सूखल उलूखल से, ऊपर का लक्ष्मीसे, पृथ्वी का भद्रकाली-पृथ्वी से, वेददेवता पुरोहितादि और गृहपति का गृहमध्य से और सब सामान्य देवताओं और दिन में तथा रात्रि में

विचरने वाले प्राणियों का आकाश से कुछ न कुछ विशेष सम्बन्ध है। सर्वात्मभूतिका पृष्ठसे तथा पितरोंका दक्षिण से भी ॥ जैसे इन्द्र वरुण यमादि तारोंके विशेष नाम हैं, वैसेही यहां बलित्रैश्वदेव में पितरः पदका भी एक प्रकारके आकाशगत तत्त्वोंसेही अभिप्राय है। माता पिता आदि गुरुजनों का तो पृथक् पितृयज्ञ विहित ही है ॥ “वायुकोणमें जल भरा घड़ा रखना, वहीं स्नानगृह और सोरी रखना, अग्निकोणमें वनस्पति शाकादि उखली मूषल आदिरखना, ईशानकोण में लक्ष्मी=धन, नैऋत्य में स्त्रीपुरोहितादि वेदपाठियों वा वेदपाठ और गृहपति का, मुख्यतः बीचमें यज्ञशाला, विश्वे देवाः विशेषतः अग्नि वायु सूर्य का प्रायः आकाश, दिवाचर मक्खी आदि और रात्रिचर दंश मशकादि, जो निकष्ट मलिन कारण से उत्पन्न होते हैं, उन का अपने विरुद्ध धूम से ऊपर को उड़ने से आकाश, सब प्रकार के अन्नादि रखने का मकान के पृष्ठ भाग से सम्बन्ध रखना कलकता है ॥” इत्यादि विचार भी चिन्तनीय हैं। निदान यह, सर्वभूत बलिका तात्पर्य मात्र तौ (अहरहर्बलिमित्ते०) इत्यादि अथर्व १९।१।१ और (पुनन्तु विश्वाभूतानि०) इत्यादि यजुः १०।३९ वेदमन्त्रोंमें भी पाया जाता है कि प्रतिदिन सब भूतों को बलि दे। परन्तु पूर्वादि दिशों के साथ का भेद और (सानुगायेन्द्रायनमः) इत्यादि मन्त्र, वेदमन्त्र नहीं हैं किन्तु गृह्यमूत्रों और स्मृतिके हैं। इस लिये यह कर्म स्मार्त्त वा गृह्य कहाता है और गृहस्थ का ही कर्त्तव्य है ॥ हमलोग बहुत काल तक वेद शास्त्रादि में अट्टा रखते हुवे यदि यही तप करते चले जायेंगे तो आशा है कि भविष्यत् में इन सबका पूरा २ भेद जान पड़ेगा। और सब देवता कहानेवाले दिव्य पदार्थों में जो २ ऐसा गुण है, जिससे वह २ पदार्थ (देवी दानाद्वा०) इत्यादि निरुक्त के अनुसार देवता कहाता है वह २ गुण परमात्मा में अवश्य अनन्तभाव से वर्तमान है। इसलिये उस २ देवतावाचक शब्द से परमात्मा का ग्रहण काना तो निर्विवाद ही है ॥९१॥

शुर्ना च पतितानां च श्वपचां पापरोणिणाम् ।

वायसानां कृमीणां च शनकैर्निर्वपेद्भुवि ॥ ९२ ॥

कुत्ते, पतित, चाण्डाल, पापरोणी, कठत्रे, तथा कीड़े; इन के धीरे से भूमि पर भाग डाले (जिससे मिट्टी न लगे) ॥ ९२ ॥

एवंयः सर्वभूतानिब्राह्मणो नित्यमर्चति । स गच्छति परंस्थानं

तेजोमूर्तिः पथर्जुना ॥६३॥ कृत्वैतद्वलिकर्मैवमतिथिंपूर्वमा-
शयेत् । भिक्षां च भिक्षवे दद्याद्विधिवद्ब्रह्मचारिणे ॥ ६४ ॥

अर्थ—इस प्रकार जो ब्राह्मणादि नित्य सब प्राणियों का सत्कार करता है वह सीधे मार्ग से ज्योतिरूप परमधाम को प्राप्त होता है ॥ ६३ ॥ उक्त प्रकार से बलि कर्म करके अतिथि को प्रथम भोजन करावे और विधिवत् भिक्षा वाले ब्रह्मचारी को भिक्षा देवे ॥ ६४ ॥

यत्पुण्यफलमाप्नोतिगांदत्वाविधिवद्गुरोः । तत्पुण्यफलमा-
प्नोतिभिक्षांदत्वाद्द्विजोगृही ॥६५॥ भिक्षामप्युदपात्रं वासत्कृत्य
विधिपूर्वकम् । वेदतत्त्वार्थविदुषे ब्राह्मणायोपपादयेत् ॥६६॥

अर्थ—जिस पुण्य का फल, गुरु को गोदान करने से (शिष्य) पाता है वही फल (ब्रह्मचारी को) भिक्षा देने से द्विज गृहस्थ पाता है ॥ ६५ ॥ भिक्षा वा जलपात्र मात्र ही विधिपूर्वक वेदतत्त्वार्थ जानने वाले ब्राह्मण को सत्कार करके देवे ॥ ६६ ॥

नश्यन्तिहव्यकव्यानिनराणामविजानताम् । भस्मीभूतेषुवि-
प्रेषु मोहादृत्तानिदातृभिः ॥६७॥ विद्यातपःसमृद्धेषु हुतं विप्र-
मुखाग्निषु । निस्तारयतिदुर्गाच्च महतश्चैवक्विल्विषात् ॥६८॥

अर्थ—जो भस्मीभूत (जैसे अङ्गार में से अग्नि निकल कर निस्तेजभस्म रह जाता है, ऐसे ही ब्रह्मवचसादिहीन भस्मरूप कथनमात्र के जो ब्राह्मण हैं उन) ब्राह्मणों को जो दाता लोग अज्ञान से दान करते हैं, उक्त के दियेहव्य कव्य सब नष्ट हो जाते हैं ॥६७॥ विद्या और तप से समृद्ध विप्रों के मुखरूप अग्नि में हवन करना कठिनाई और बड़े पाप से बचाता है ॥ ६८ ॥

संप्राप्ताय त्वतिथयेप्रदद्यादासनोदके । अन्नं चैव यथाशक्ति
सत्कृत्यावधिपूर्वकम् ॥६९॥ शिलानप्युज्जतेनित्यं पञ्चाग्नी-
नपिजुह्वतः । सर्वसुकृतमादत्तेब्राह्मणोऽनर्चितोवसन् ॥ १०० ॥

अर्थ—आये हुवे अतिथि के लिये यथाशक्तिआसन, जल और अन्न सत्कृत करके विधिपूर्वक देवे ॥ ६९ ॥ नित्य शिल (खेत में पीछे से रहे हुवे अनाज के दानों) को अन्न कर जीवन करने वाले और (आहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिण

श्रौत, श्रावसद्य) पांच अग्नि में होम करने वाले के भी उपार्जितसव पुण्यों को बिना पूजन किया हुआ ब्राह्मण अतिथि) ले जाता है ॥ १००॥

तृणानिभूमिरुदकं वाक्च तुर्यीचसूनृता। एतान्यपि सतां गेहे
नोच्छिद्यन्तेकदाचन ॥१०१॥ एकरात्रंतु निवसन्नतिथिर्ब्राह्मणः
स्मृतः । अनित्यं हि स्थितोयस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ॥१०२॥

अर्थ—(अन्न न हो तो) तृणासन, विश्राम के लिये स्थान, जल और धौये अच्छा बोलना; ये चार बातें ती सत्पुरुषों के कभी कम रहती ही नहीं ॥ १०१ ॥ एक रात्रि रहने वाला ब्राह्मण अतिथि होता है, क्योंकि नित्य नहीं रहता, इसी से अतिथि कहाता है ॥ १०२ ॥

नैकग्रामीणमतिथिं विप्रंसाङ्गतिकंतथा। उपस्थितंगृहेविद्या-
द्वार्यायत्राभनयोऽपिवा ॥१०३॥ उपासतेयेगृहस्थाः परपाकम-
बुद्ध्यः । तेन ते प्रेत्य पशुतां व्रजन्त्यन्नादिदायिनाम् ॥१०४॥

अर्थ—(उसी) एक ग्राम में रहने वाले, सहाध्यायी और भार्या तथा अग्नि से युक्त गृहस्थ में रहने वाले (वेशवदेव काल में) उपस्थित विप्र को अतिथि न जाने ॥१०३॥ जो निर्बुद्धि गृहस्थ (भोजन के लालच से) दूसरे के अन्न का सहारा देखते हैं, उस से वे मरने पर अन्नादि देने वाले के पशु बनते हैं ॥१०४॥

अप्रणोद्योऽतिथिः सायं सूर्योढोगृहमेधिना । काले प्राप्नस्त्व-
कालेवानास्यानश्नन्गृहेवसन् १०५ न वै स्वयं तदश्रीयादतिथिं
यन्नभोजयेत् । धन्यं यशस्य मायुष्यं स्वर्ग्यं वाऽतिथिपूजनम् १०६

अर्थ—सायंकाल के सूर्य छिपने पर भोजन के समय अतिथि प्राप्त हो वा वे समय (जब कि भोजन हो चुका हो) प्राप्त हो तो भी उस को भूखा घर से न भेजे (अर्थात् गृहस्थ यह न कहे कि चले जावो) ॥ १०५ ॥ जो वस्तु अतिथि को भोजनार्थ न दे, उसे आप भी भोजन न करे । यह अतिथि पूजन धन्य=धनहितार्थ, यश, आयु तथा स्वर्ग का देने वाला है ॥ १०६ ॥

आसनावसथौ शय्यामनुव्रज्यामुपासनाम् । उत्तमेषूत्तमं कुर्या-
द्दीने हीनं समे समम् ॥१०७॥ वैश्वदेवे तु निर्वृत्ते यद्यन्योऽति-

धिराव्रजेत्तस्याप्यन्नं यथाशक्ति प्रदद्यान्न बलिं हरेत् ॥१०८॥

अर्थ-आसन और जगह तथा शय्या और अनुव्रज्या (विदाई) तथा उपासना (अरदली) ये सब उत्तमों को उत्तम और हीनों को हीन और समों को समानता से करे ॥ १०७ ॥ वैश्वदेव के हो चुकने पर यदि दूसरा अतिथि आजावे तो उस को भी यथाशक्ति अन्न देवे, बलिहरण=पूरीपसल (चाहे) न करे ॥ १०८ ॥

न भोजनार्थं स्वे विप्रः कुलगोत्रे निवेदयेत् । भोजनार्थं हि ते शंसन्वाता शीत्युच्यते बुधैः ॥१०९॥ न ब्राह्मणस्य त्वतिथिर्गृहे राजन्य उच्यते । वैश्य शूद्रौ सखाचैव ज्ञातयोगुरुरेव च ॥११०॥

अर्थ-भोजन के लिये विप्र अपना कुलगोत्र न कहे और जो भोजन के लिये उन्हें कहे तो उसको विद्वान् लोग वान्ताशी=उगलन खाने वाले कहते हैं (क्योंकि वह टुकड़ों के लिये बड़ों का सहारा लेता है) ॥ १०९ ॥ ब्राह्मण के घर क्षत्रिय अतिथि नहीं होता और वैश्य, शूद्र, सखा तथा गुरु भी अतिथि नहीं समझने चाहियें ॥ ११० ॥

यदि त्वतिथिधर्मेण क्षत्रियोगृहमाव्रजेत् । भुक्तवत्सूक्तविप्रेषु कामं तमपि भोजयेत् ॥१११॥ वैश्य शूद्रावपि प्राप्नौ कुटुम्बेऽतिथिधर्मिणौ । भोजयेत्सहभृत्यैस्तावानृशंस्यं प्रयोजयन् ॥११२॥

अर्थ-यदि अतिथि धर्म से क्षत्रिय भी उक्त ब्राह्मणों के भोजन करत हुवे गृह पर आजावे तो उस को भी चाहे भोजन करा देवे ॥ १११ ॥ और यदि वैश्य शूद्र भी अतिथि होकर प्राप्त होंवें तो कुटुम्ब में भृत्यों के सहित उम पर कृपा करता हुआ भोजन करा देवे ॥ ११२ ॥

इतरानपिसख्यादीन्संप्रीत्यागृहमागतान् । सत्कृत्यान्नं यथाशक्ति भोजयेत्सहभार्यया ॥११३॥ सुवासिनीः कुमारीश्च रोगिणी गर्भिणीः स्त्रियः । अतिथिभ्योऽग्र एवैतान् भोजयेदविचारयन् ॥११४॥

अर्थ-क्षत्रियादि के अतिरिक्त मित्रादि प्रीति करके घर आजावें तो उनको भी यथाशक्ति सत्कार करके भार्या के सहित भोजन करावे ॥११३॥ सुवासिनी (जिन का अभी विवाह हुआ हो), कुमारी, रोगीली, ग तथा गर्भ वती स्त्री इन को अतिथि के पहिले ही बिना विचार भोजन करा देवे ॥११४॥

अदत्त्वातु य एतेभ्यः पूर्वभुङ्क्तेऽविचक्षणः। समुञ्जानो न जानाति
श्वगृध्रैर्जग्धिमात्मनः॥११५॥ भुक्तवत्स्वथ विप्रेषु स्वेषु भृत्येषु
चैव हि । भुञ्जीयातां ततः पश्चादवशिष्टं तु दम्पती ॥११६॥

अर्थ—जो मूर्ख इनको बिना दिये पहिले भोजन करता है वह नहीं जानता
है कि कुत्ते और गीधों से अपना भक्षण (भरण के अनन्तर) होगा ॥ ११५ ॥
ब्राह्मण और पौष्यवर्ग ये सब भोजन कर चुके, तत्पश्चात् वधे को (गृहस्थ)
आप और स्त्री भोजन करें ॥ ११६ ॥

देवानृषीन्मनुष्यांश्च पितृन्गृह्यांश्च देवताः । पूजयित्वा ततः
पश्चाद्गृहस्थः शेषभुम्भवेत् ॥११७॥ अघंसकेवलं भुङ्क्ते यः पच-
त्यात्मकारणात् । यज्ञशिष्टाशनं ह्येतत्सतामन्नं विधीयते ११८

अर्थ—देव, ऋषि, मनुष्य, पितर और गृह्योक्त विश्वे देवाः, इन सब को
सत्कृत करके पश्चात् गृहस्थ शेष अन्न का भोजन करने वाला हो ॥ ११७ ॥
जो केवल अपने लिये अन्न पकाता है, वह निरा पाप खाता है और जो
यज्ञादि से शेष भोजन है, वह सज्जनों का भोजन है ॥ ११८ ॥

राजत्विक्स्नातकगुरुन्प्रियश्वशुरमातुलान् । अर्हयेन्मधुपर्केण
परिसंवत्सरात्पुनः ॥ ११९ ॥ राजा च श्रोत्रियश्चैव यज्ञकर्म-
पथुपस्थितौ । मधुपर्केण संपूज्यौ न त्वयज्ञइति स्थितिः १२०

अर्थ—राजा, ऋत्विज्, स्नातक, गुरु, मित्र, श्वशुर, मामा, एक वर्ष के
ऊपर फिर आवें तो फिर भी इनका मधुपर्क से पूजन करे ॥११९॥ राजा और
स्नातक यज्ञकर्म में प्रायत हों तो मधुपर्क से पूज्य हैं, बिना यज्ञ के नहीं ॥१२०॥

सायं त्वन्नस्य सिद्धस्य पत्न्यमन्त्रं बलिं हरेत् ।

वैश्वदेवं हि नामैतत्सायं प्रातर्विधीयते ॥१२१॥

अर्थ—सायंकाल में रसोई होने पर स्त्री बिना मन्त्र बलि करे । क्योंकि
वैश्वदेव नाम कृत्य का गृहस्थ को सायं प्रातः विधान किया है ॥ १२१ ॥

पितृयज्ञं तु निर्वर्त्य विप्रश्चेन्दुक्षयेऽग्निमान् ।

पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्धं कुर्यान्मासानुसासिकम् ॥ १२२ ॥

“अर्थ—अग्निहोत्री अमावस्या में पितृपूजा करके “पिण्डान्वाहायक” श्राद्ध प्रतिमास किया करे ” ॥

(यहाँ श्लोक १२२ से श्लोक १६९ तक “मृतकश्राद्ध” का वर्णन है । हमारी सम्मति में यह सभी प्रकरण प्रसिद्ध है । ११० में उत्तम व्रती ब्राह्मणादि की प्रशंसा और विरुद्धों की निन्दा का प्रकरण कहेंगे, जो मृतपितरों से सम्बद्ध नहीं है । इस लिये उस से १२१ वें श्लोक का ठीक सम्बन्ध मिल जाता है । इस श्लोकों को प्रसिद्ध मानने के हेतु ये भी हैं—१—इन श्लोकों के संस्कृतकी शैली मनु के सी नहीं, किन्तु पुराणों के सी है । २—यह मासिक श्राद्ध का (जो अमावस्या में है) विधान है । जब नित्य श्राद्ध कह चुके तब अमावस्या भी आगई, इस लिये व्यर्थ है । ३ श्लोक १२३ में आमिष=मांस से इस का विधान है, जो देव ऋषि पितरों का भोजन नहीं, किन्तु “यक्षराजः पिशाचाश्च मद्य मांसं सुरासवम् ” (मनु ११।९५) मद्यमांसादि यज्ञ राक्षसादि का भोजन है । कोई लोग “आमिष” पद से “भोज्यवस्तु” का ग्रहण करते हैं और जीवतों का ही श्राद्ध वर्णित कहते हैं, परन्तु मेधातिथि आदि ६ टीकाकार आमिष=मांस ही लिखते हैं । ४—और रामचन्द्र टीकाकार ने इस के आगे एक यह श्लोक और लिख कर व्याख्या की है कि—

[न निर्वपति यः श्राद्धं प्रसीतपितृकोद्विजः ।

इन्दुक्षये मासि मासि प्रायश्चित्ती भवेत्तु सः ॥]

अर्थात् जिस द्विज के माता पिता मर गये हों और प्रतिमास अमावस्या को श्राद्ध न करे वह प्रायश्चित्ती होता है ॥ इस से यह फलकता है कि यह प्रकरण मृतकश्राद्ध का ही है । यह श्लोक अन्य ५ टीकाकारों ने नहीं लिखा, न ३० पुस्तकों में से एक पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों में है । इससे पाया जाता है कि रामचन्द्र सब से पिछले टीकाकार हैं, उन्हीं के समय में यह मिला हुआ था, पूर्व ५ टीकाकारों के समय में नहीं था । १२४ वें श्लोक को फिर यह कहना कि जिन अन्तों से जैसे और जितने ब्राह्मण भोजन कराने हैं, उन्हें कहेंगे, व्यर्थ है क्योंकि ११३ में मांस से जिमाना कह चुके हैं । ५—पितृ निमित्त में ब्राह्मणों की गिनती का विधान भी मृतकश्राद्ध का ही सूचक है । ६—१२७ वें में स्पष्ट ही इसे प्रेत कृत्या लिखा है । ७—१३६ वें में परिहृत के

पुत्र सूखे ब्राह्मण की उत्तमता और सूखे के पुत्र विद्वान् की भी निन्दा अन्याय और पक्षपातपूर्ण है । ८-४६ वें में एक ब्राह्मण के भोजन से ७ पुरुषाश्रितों की असंभव तृप्ति वर्णित है । ९-१४९ वें में दैव कर्म में ब्राह्मण की परीक्षा न करना अन्याय है । १०-११० वां श्लोक स्पष्ट मनु का नहीं, अन्यकृत है । ११-१५२ वें में मांस बेचने वाले ब्राह्मण को भोजन न कराना कहा है । इस से जाना जाता है कि उस श्लोक के बनते समय ब्राह्मण मांस खाना क्या बेचने का भी पेशा करने लगे थे । १२-१५३ से १६७ तक जिन ब्राह्मणों को श्राद्ध में वर्जित किया है उन में बहुतों के ऐसे कर्म कहे हैं जो श्राद्ध में ही क्या किसी भी कार्य में सत्कारयोग्य नहीं, किन्तु राजदण्ड के योग्य हैं) ॥१२२॥

“ पितृणां मासिक श्राद्धमन्वाहार्यं विदुर्वृधाः । तच्चाभिषेण कर्तव्यं

प्रशस्तेन समंततः ॥ १२३ ॥ तत्र ये भोजनीयाः स्युर्ये च वर्ज्या

द्विजोत्तमाः । यावन्तश्चैव वैश्वान्नेस्तान्प्रवदयाम्यशेषतः ॥ १२४ ॥

द्वौ दैवे पितृकार्ये त्रीनेकैकमुभयत्र वा । भोजयेत्सुसमृद्धोऽपि न

प्रसज्जेत विस्तरे ॥ १२५ ॥ सत्क्रियां देशकालौ च शौचं ब्रा-

ह्मणसंपदः । पञ्चैतान्विस्तरोहन्ति तस्मान्नेहेत विस्तरम् ॥ १२६ ॥

प्रथिता प्रेतकृत्येषा पित्र्यं नाम विधुक्षये । तस्मिन्नुक्तस्यैति नित्यं

प्रेतकृत्येव लौकिकी ॥ १२७ ॥ श्रोत्रियायैव देयानि हव्यकव्यानि

दातृभिः । अर्हत्तमाय विप्राय तस्मै दत्तं महाफलम् ॥ १२८ ॥

एकैकमपि विद्वांसं दैवे पित्र्ये च भोजयेत् । पुष्कलं फलमाप्नोति

नाऽमन्त्रज्ञान्यहूनपि ॥ १२९ ॥ दूरादेव परीक्षेत ब्राह्मणं वेदपारगम् ।

तीर्थे तदुत्थकठयानां प्रदाने सोऽतिथिः स्मृतः ॥ १३० ॥ ”

अर्थ—पितरों के मासिक श्राद्ध को परिहित अन्वाहार्य जानते हैं । उस को श्राद्धविहित सर्वथा अच्छे मांस से करे ॥१२३॥ उस श्राद्ध में जो भोजन योग्य ब्राह्मण हैं और जो त्याज्य हैं और जितने और जिस अन्नसे जमाने चाहिये यह सम्पूर्ण में आगे कहूंगा ॥ १२४ ॥ देवश्राद्ध में दो और पितृश्राद्ध में तीन ब्राह्मण वा देवश्राद्ध में और पितृश्राद्ध में एक-२ को भोजन करावे । अच्छा समृद्ध (यजमान) भी विस्तार न करे ॥१२५॥ अच्छी पूजा, देशकाल, पवित्रता और श्राद्धोक्त गुण वाले ब्राह्मण; इन पाँचों को विस्तार नष्ट करता है, इस

से विस्तार न करे ॥ १२६ ॥ यह जो पितृकर्म है, सो प्रेतकृत्या विख्यात है । अमावस्या के दिन उस में युक्त होने वाला पुरुष नित्य के लौकिक श्राद्धों के फल को प्राप्त होता है ॥ १२७ ॥ देने वाले लोग श्रोत्रिय को ही हव्य और कव्य देवें और अधिक पूज्य को देवें तौ बड़ा फल है ॥ १२८ ॥ देवकर्म (यज्ञादि) में और पितृकर्म (श्राद्ध) में एक ही एक ब्राह्मण को भोजन करावें तो भी बहुत फल को प्राप्त होता है और बहुत सूर्ख ब्राह्मणों के जिमाने से नहीं ॥ १२९ ॥ प्रथम ही से एक संपूर्ण वेद की शाखाओं के पढ़ने वाले ब्राह्मण की परीक्षा करले, वह हव्य कव्यों का पात्र है, देने में अतिथि कहा है ॥ १३० ॥

“सहस्रं हि सहस्राणामनृचां यत्र भुञ्जते । एकस्तान्मन्त्र-
वित्प्रीतः सर्वानर्हति धर्मतः ॥ १३१ ॥ ज्ञानोत्कृष्टाय देयानि
कव्यानि च हवींषि च । न हि हस्तावसृग्दिग्धौ रुधिरैणैव शुष्यतः
॥ १३२ ॥ यावतो ग्रसते प्रासान्हठयकव्येष्वमन्त्रवित् । तावतो
ग्रसते प्रेत्य दीप्तान् शूलानयोगुडान् ॥ १३३ ॥ ज्ञाननिष्ठा द्विजाः
केचित्तपोनिष्ठास्तथा परे । तपःस्वाध्यायनिष्ठाश्च कर्मनिष्ठास्तथा
परे ॥ १३४ ॥ ज्ञाननिष्ठेषु कव्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यत्नतः । हठयानि
तु यथान्यायं सर्वेष्वेव चतुर्ष्वपि ॥ १३५ ॥ अश्रोत्रियः पिता यस्य
पुत्रः स्याद्देदपारगः । अश्रोत्रियो वा पुत्रः स्यात्पिता स्याद्देदपारगः
॥ १३६ ॥ ज्यायांसमनयोर्विद्याद्यस्य स्याच्छ्रोत्रियः पिता ।
मन्त्रसंपूजनार्थं तु सत्कारमितरोऽर्हति ॥ १३७ ॥ न श्राद्धे भोज-
येन्मित्रं धनैः कार्योऽस्य संग्रहः । नाऽरिं न मित्रं यं विद्यात्तं
श्राद्धे भोजयेद्द्विजम् ॥ १३८ ॥ यस्य मित्रप्रधानानि श्राद्धानि च हवींषि
च । तस्य प्रेत्य फलं नास्ति श्राद्धेषु च हविष्यु च ॥ १३९ ॥ यः
संगतानि कुरुते सोहाच्छ्राद्धेन मानवः । स स्वर्गाच्छयषते लोक-
च्छ्राद्धमित्रो द्विजाधमः ॥ १४० ॥ संभोजनीयाभिहिता पैशाची
दक्षिणा द्विजैः । इहैवास्ते तु सा लोके गीरुधेवैकवेश्मनि ॥ १४१ ॥
यथेरिणे बीजमुप्लवा न वप्ता लभते फलम् । तथाऽनृचे हविर्दत्त्वा
न दाता लभते फलम् ॥ १४२ ॥ दातृन्प्रतिग्रहीतृश्च कुरुते फल-

भागिनः । विदुषे दक्षिणां दत्त्वा विधिवत्प्रेत्य चेह च ॥१४३॥ कानं
 श्राद्धेऽर्घ्येन्मित्रं नाभिरूपमपि त्वऽरिम् । द्विषता हि हविर्भुक्तं
 भवति प्रेत्य निष्फलम् ॥ १४४ ॥ यत्नेन भोजयेच्छ्राद्धे बह्वृच वेद-
 पारगम् । शाखान्तगम्यथाऽर्घ्यं छन्दोगं तु खनासिकम् ॥ १४५ ॥
 एषामन्यतमो यस्य भुञ्जीत श्राद्धमर्चितः । पितॄणां तस्य तृप्तिः
 स्याच्छ्रावती साप्तवीरुषी ॥ १४६ ॥”

“अर्थ—जिस श्राद्ध में वेद के न जानने वाले दश लक्ष ब्राह्मण भोजन करते
 हों, वेद का जानने वाला सन्तुष्ट हो तो वह एक उन सब के बराबर फल
 देता है ॥ १४१ ॥ विद्या से उत्कृष्ट को हठ्य और कव्य देना चाहिये । क्योंकि
 रक्त से भरे हुवे हाथ रक्त ही से शुद्ध नहीं होते ॥१४२॥ वेद का न जानने वाला
 जितने घ्रास हठ्य कव्य के खाता है उतने ही मरने पर जलते हुवे शूल और
 लोह के गोले खाता है * ॥१४३॥ कोई द्विज आत्मज्ञानपरायण होते हैं और

(* यह भी ज्ञात हो कि श्लोक १३३ के भाष्य में मेधातियि जो अन्य
 पाँच भाष्यकारों से प्राचीन हैं, लिखते हैं कि:—

व्यासदर्शनात् भोजयितुरयं दोषः, न भोक्तुः, न पितॄणां; न तावन्मृ-
 तानामन्यकृतेन प्रतिषेधातिरुक्तेण दोषसम्बन्धोयुक्तः । अरुताभ्यागमादिदो-
 षापत्तेः । यदि हि पुत्रेण तादृशो ब्राह्मणो भोजितः कोऽपराधो मृतानाम् ? ननु
 चोपकारोऽपि पुत्रकृतः पितॄणामनेन न्यायेन न प्राप्नोति ? न प्राप्नुयाद्यदि
 तादर्थ्येन श्राद्धादि नोदितं स्यात् । इह तु नास्ति चोदना ॥ इत्यादि ।

अर्थात् व्यासस्मृति से तो भोजन कराने वाले को यह दोष है, न भोजन
 करने वाले और न पितरों को । क्योंकि मरों को अन्य के किये अपराध का फल
 युक्त नहीं है । ऐसा हो तो अरुताभ्यागम=विना कर्म किये फल भोगादि दोष
 प्राप्त होगा । क्योंकि पुत्र ने ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराया, इसमें मरे पितरों
 का क्या अपराध है ? तो फिर ऐसे न्याय से तो पुत्र का किया श्राद्धरूप उपकार
 भी पितरों को न मिलना चाहिये ? हां, जो मरों के लिये विधान किया हो तो
 नहीं मिल सकता । परन्तु यहां तो मरों के लिये विधि नहीं है ॥ (इत्यादि)

दूसरे तपस्तत्पर होते हैं और कोई तप अध्ययनरत होते हैं और कोई यज्ञादि कर्म में तत्पर होते हैं १३४ उनमें ज्ञाननिष्ठ को आहुतों में यत्नपूर्वक भोजन देवे अन्य यज्ञों में क्रम से चारों को भी भोजन देवे १३५ जिस का पिता वेद न पढ़ा हो और पुत्र पढ़ा हो या जिसका पुत्र न पढ़ा हो और पिता वेद जानने वाला हो—॥१३६॥ इनमें श्रेष्ठ उसको जानो, जिस का पिता श्रोत्रिय ही। परन्तु वेद पूजन की दूसरा योग्य है ॥१३७॥ आहुत में मित्र को भोजन न करावे, धन से इसका उत्कार करे और जिस को न तो मित्र जाने, न शत्रु, ऐसे द्विज को आहुत में भोजन करावे ॥१३८॥ जिस के आहुत और हवि मुख्यतः मित्र खाते हैं उस को पारलौकिक फल न आहुतों का है, न यज्ञों का ॥ १३९ ॥ जो मनुष्य अज्ञानवश आहुतद्वारा मित्रता करता है वह अधम आहुत मित्र द्विज स्वर्गलोक से पतित होता है ॥ १४० ॥ वह दानप्रक्रिया द्विजों ने पैशाची कही है कि जिस किसी के भापने भोजन किया है, उसी को परस्पर जिमाना, यह इसी लोक में फल देने वाली है, जैसे अन्धी गौ एक ही घर में खड़ी रहती है (दूसरी जगह नहीं जाती) ॥ १४१ ॥ जैसे जषर भूमि में बीज बोने से बोने वाला फल नहीं पाता, वैसे बिना वेद पढ़े को हवि देकर देने वाला फल नहीं पाता ॥१४२॥ वेद जाननेवाले ब्राह्मण को यथाशास्त्र दिया हुआ दान, दाता और प्रतिग्रहीता दोनों को इसलोक और परलोक में फल का भागी करता है ॥१४३॥ आहुत में मित्र को चाहे बैठा देवे, परन्तु शत्रु विद्वान् हो तो भी उसे न बैठावे, क्योंकि जो द्वेषभाव से भक्षण किया हवि है, वह परलोक में निष्फल होता है ॥ १४४ ॥ पूर्ण ऋग्वेदी को आहुत में भोजन करावे, उसी प्रकार सशाख यजुर्वेदी और जो मरुपूर्ण सामवेद पढ़ा है और जिसने वेद समाप्त किया है, ऐसे ब्राह्मण को यत्नपूर्वक भोजन करावे ॥१४५॥ इनमें से कोई ब्राह्मण अच्छे प्रकार पूजित किया हुआ जिस के आहुत में भोजन करता है, उस के पितरों की निरन्तर सात पुरुष तक वृत्ति होती है ॥ १४६ ॥ "

“एष वै प्रथमः कल्पः प्रदाने हठ्यकठपयोः । अनुकल्पस्त्वयं
 ज्ञेयः सदा सद्भिरनुष्ठितः ॥१४७॥ मातामहं मातुलं च स्वस्तीयं प्रवशुरं
 गुरुम् । दौहित्रं विट्पतिं बन्धुमृत्विभ्याज्यौ च भोजयेत् ॥१४८॥
 न ब्राह्मणं परीक्षेत दैवे कर्मणि धर्मवित् । पित्र्ये कर्मणि तु

प्राप्ते परीक्षेत प्रयत्नतः ॥ १४९ ॥ ये स्तेनपतितक्लीबा ये च नास्तिक-
वृत्तयः । तान् हव्यकव्ययोर्विप्राननर्हान् मनुर्ब्रवीत् ॥ १५० ॥
जटिलं घानधीयानं दुर्बलं कित्तवं तथा । याजयन्ति च
ये पूगांस्तांश्च श्राद्धे न भोजयेत् ॥ १५१ ॥ चिकित्सकान्देव-
लकान्सांसांस्त्रिणस्तथा । विपणेन च जीवन्तो वज्याः स्यु-
र्हव्यकव्ययोः ॥ १५२ ॥ प्रेष्योग्रामस्य राज्ञश्च कुनखी श्याव-
दन्तकः । प्रतिरोद्धा गुरोश्चैव त्यक्ताग्निर्वार्धुषिस्तथा ॥ १५३ ॥
यक्ष्मीचपशुपालश्चपरिवेत्तानिराकृतिः । ब्रह्मद्विट्परिवित्तिश्च
गणाभ्यन्तर एव च ॥ १५४ ॥ कुशीलवोऽवकीर्णो च वृषली-
पतिरेव च । पौनर्भवश्च काणश्च यस्य घोपपतिर्गृहे ॥ १५५ ॥
भृतकाध्यापको यश्च भृतकाध्यापितस्तथा । शूद्रशिष्यो गुरुश्चैव
वाग्दुष्टः कुण्डगोलकौ ॥ १५६ ॥ ”

“ अर्थ—हव्य और कव्य के देने में यह मुख्य कल्प कहा है और इनके
अभाव में आगे जो कहते हैं उस को अनुकल्प जाने । वह साधुओं से सर्वदा
अनुष्ठान किया गया है ॥ १४७ ॥ इन १० सातान्हादि को भोजन करा देवे
नाना १ मामा २ भानजा ३ ससुर ४ गुरु ५ धेवता ६ जवाई ७ मौसी का
लडका ८ ऋत्विज ९ तथा याज्य अर्थात् यज्ञ कराने योग्य १० ॥ १४८ ॥ चाहे
धर्म का जानने वाला यज्ञ में भोजन के लिये ब्राह्मण की परीक्षा न करे,
परन्तु श्राद्ध में यज्ञपूर्वक परीक्षा करे ॥ १४९ ॥ जो चोर महापातकी नपुंसक और
नास्तिक वृत्ति वाले हैं, ये विप्र मनु ने हव्य कव्य के अयोग्य कहे हैं ॥ १५० ॥
जटाधरी परन्तु अपेढा, दुर्बल, जुआरी और बहुत उद्यापन कराने वाला
इन सब को श्राद्ध में भोजन न करावे ॥ १५१ ॥ वैद्य, पुजारी, सांस का बेचने
वाला और वाणिज्य से जीने वाला, ये सब हव्य और कव्य में निषिद्ध हैं
॥ १५२ ॥ ग्राम और राजा का हलकारा, कुनखी, काले दांत वाला, गुरु के
प्रतिकूल चलने वाला, अग्निहोत्र का छोड़ने वाला, व्याजजीवी, ॥ १५३ ॥
क्षयरोगी, वृत्ति के लिये गाय, भैंस, बकरी इत्यादि का पालने वाला
परिवेत्ता, नित्यकर्मानुष्ठान से रहित, ब्राह्मण का द्वेष करने वाला, परिवित्ति
(देखो १११) समुदाय के द्रव्य से अपना जीवन करने वाला, ॥ १५४ ॥ कया

की वृत्ति करने वाला, जिस का ब्रह्मचर्य नष्ट हुआ हो, शूद्रा से विवाह करने वाला, पुनर्विवाह का लड़का, जिस की स्त्री का जार हो, ॥ १५५ ॥ वेतन लेकर पढ़ाने वाला और उसी प्रकार पढ़ने वाला, जिस गुरु का शूद्र शिष्य हो, कटु बोलने वाला, कुण्ड, गोलक (देखो १७४) ॥ १५६ ॥ ”

“ अकारणपरित्यक्ता मातापित्रोर्गुरोस्तथा । ब्राह्मणैर्यौनैश्च संबन्धैः संयोगं पतितैर्गतः ॥१५७॥ आगारदाहीगरदः कुरहाशी सोमविक्रयी । समुद्रयायी बन्दी च तैलिकः कूटकारकः ॥१५८॥ पित्रा विवदमानश्च कितवोमद्यपस्तथा । पापरोग्गभिश्चस्तश्च दाम्भिको रसविक्रयी ॥१५९॥ धनुःशराणां कर्ता च यश्चाग्ने दिधिषूपतिः । मित्रशुग्द्यूत वृत्तिश्च पुत्राचार्यस्तथैव च ॥ १६० ॥ आमरी गरुडमाली च शिव-त्रयऽथो पिशुनस्तथा । उन्मत्तोऽन्धश्च वर्ज्याः स्युर्वेदनिन्दक एव च ॥ १६१ ॥ हस्तिगोश्वोष्ट्रदमको नक्षत्रैर्यश्च जीवति । पत्निणां पोषको यश्च युद्धाचार्यस्तथैव च ॥ १६२ ॥ स्त्रोतसां भेदको यश्च तेषां चावरणे रतः । गृहसंवेशको दूतो वृत्तारोपक एव च ॥ १६३ ॥ श्वाक्कीडी प्रयेनजीवी च कन्यादूषक एव च । हिंस्रो वृषल-वृत्तिश्च गणानां चैव याजकः ॥१६४॥ आचारहीनः क्लीबश्च नित्यं याचनकस्तथा । कृषिजीवी श्लीपदी च सद्भिर्निन्दित एव च १६५ औरभ्रिको माहिषिकः परपूर्वापतिस्तथा । प्रेतनिर्यातकश्चैव वर्जनीयाः प्रयत्नतः ॥ १६६ ॥ एतान्विगर्हिताचारानपाङ्क्तयान् द्विजाधमान् । द्विजातिप्रवरो विद्वानुभयत्र विवर्जयेत् ॥ १६७ ॥ ब्राह्मणस्त्यनधीयानस्तृणाग्निरिव शाम्यति । तस्मै हृदयं न दा-तव्यं न हि भस्मनि हूयते ॥ १६८ ॥ अपाङ्क्तदाने यो दातुर्भव-स्यूर्ध्वं फलोदयः । दैवे हविषि पित्र्ये वा तत्प्रवक्ष्याम्यशेषतः १६९”

“ अर्थ—बिना कारण माता पिता गुरु का त्यागने वाला, पतितों से अध्ययन और कन्यादानादि सम्बन्ध वाला, ॥ १५७ ॥ घर का जलाने वाला, विष देने वाला, कुण्ड का अन्न खाने वाला, सोम बेचने वाला, समुद्र पार

जाने वाला, राजा की स्तुति करने वाला, तेली और झूठा साक्षी, ॥ १५८ ॥
 पिता से लड़ने वाला, धूर्त, मद्य पीने वाला, कुष्ठी, कलङ्की, दम्भी, रस
 बेचने वाला, ॥ १५९ ॥ धनुष बाण का बनाने वाला, (बड़ी बहिन से पहिले
 जिस छोटी का विवाह होता है वह अग्नेदिधिषू कहाती है) अग्नेदिधिषू
 का पति, मित्र से द्वेष करने वाला, जूबे का रोजगार करने वाला, पुत्र से
 पढ़ा हुवा, ॥ १६० ॥ मिरगी वाला, गच्छमाली, श्वेत कौढ़ वाला चुगलखोर,
 उन्माद रोग वाला, और अन्धा, ये वर्जित हैं । और वेद की निन्दा करने
 वाला, ॥ १६१ ॥ हाथी बैल घोड़ा और ऊंट को सीधा चलना सिखाने
 वाला, ज्योतिषी, पक्षियों का पालने वाला, युद्ध विद्या सिखाने वाला,
 ॥ १६२ ॥ नहर आदि को तोड़ने वाला, उस का वन्द करने वाला, गृह-
 वास्तु विद्या से जीविका करने वाला, दूत, वृत्तों का लगाने वाला, ॥ १६३ ॥
 कुत्तों से खेलने वाला, बाज़ खरीदने बेचने वाला, कन्या से गमन करने वाला,
 हिंसा करने वाला, शूद्रवृत्ति वाला, (विनायकादि) गणों की पूजा कराने
 वाला, ॥ १६४ ॥ आचार से हीन, नपुंसक, नित्य भीख मांगने वाला, खेती
 करने वाला, पीलिया रोग वाला और जो सत्पुरुषों से निन्दित हो, ॥ १६५ ॥
 भैंडा और भैंस से जीने वाला, द्वितीया विवाहिता का पति, प्रेत का धन
 लेने वाला, ये (ब्राह्मण) यत्नपूर्वक (श्राद्ध में) वर्जनीय हैं ॥ १६६ ॥ इन
 निन्दित आचार वाले और पङ्क्तिबाह्य अधर्मों को द्विजों में श्रेष्ठ विद्वान्,
 देव और पितृकर्मों में त्याग देवे ॥ १६७ ॥ विना पढ़ा ब्राह्मण फूस की अग्नि
 के समान ठण्डा होजाता है । इस से उस ब्राह्मण को हवि न देवे, क्योंकि
 राख में होम नहीं किया जाता ॥ १६८ ॥ पङ्क्तिबाह्य ब्राह्मणों को देवताओं
 के हव्य और पितरों के कव्य देने में दाता को जो देने के ऊपर फल होता
 है, वह संपूर्ण में आने कहूंगा ॥ १६९ ॥ ॥

अत्रतैर्यद् द्विजैर्भुक्तं परिवेत्रादिभिस्तथा ।

अपाङ्क्यैर्यदन्यैश्च तद्वै रक्षांसि भुञ्जते ॥ १७० ॥

अर्थ-वेदव्रतरहित ब्राह्मण और (वश्यमास) परिवेत्ता आदि वा और
 कोई (चोर इत्यादि) पङ्क्तिबाह्यों ने जो भोजन किया, उसको राक्षस भोजन
 कहते हैं ॥ १७० ॥

दाराग्निहोत्रसंयोगं कुरुते योऽग्रजे स्थिते । परीवेत्ता सविज्ञेयः ।
परिवित्तिस्तु पूर्वजः ॥१७१॥ परिवित्तिः परीवेत्ता यथा च
परिविद्यते । सर्वेते नरकं यान्ति दातृयाजकपञ्चमाः ॥१७२॥

अर्थ—जो कनिष्ठ ज्येष्ठ भ्राता के रहते उस से प्रथम विवाह और अग्नि-
होत्र करे, उस को “परीवेत्ता” और ज्येष्ठ को “परिवित्ति” जानो ॥ १७१ ॥
परिवित्ति और परीवेत्ता और वह कन्या तथा कन्या का देने वाला और
याजक=विवाह का आचार्य, ये पाँचों सब नरक को जाते हैं ॥ १७२ ॥

भ्रातुर्मृतस्य भार्यायां योऽनुरज्येत कामतः । धर्मेणापि नियु-
क्तायां सज्ञेयो दिधिषूपतिः ॥१७३॥ परदारेषु जायेते द्वौ सुतो
कुण्डगोलकौ । पत्यौ जीवतिकुण्डः स्यान्मृते भर्तारि गोलकः १७४

अर्थ—मरे भाई की भार्या से धर्मानुसार नियोग भी किया हो परन्तु उससे
जो कामवश होकर प्रीति करे, उसे दिधिषूपति जानो ॥१७३॥ पर स्त्री से उत्पन्न
हुवे दो पुत्रों को कुण्ड और गोलक कहते हैं । पति के जीवते जो हो वह कुण्ड
और मरने पर हो वह गोलक है (१७० से यहां तक भी चिन्त्य हैं) ॥ १७४ ॥

तौ तु जातौ परक्षेत्रे प्राणिनौ प्रेत्य चेह च । दत्तानि
हृथ्यकव्यानि नाशयेते मृदायिनाम् ॥ १७५ ॥ आपङ्कथीयावतः
पाङ्कथान्मुञ्जानाननुपश्यति । तावतां न फलं प्रेत्यदातामाप्नोति
बालिशः ॥ १७६ ॥ वीक्ष्यान्धो नवतेः काणः षष्ठेः शिवत्री
शतस्य तु । पापरोगी सहस्रस्य दातुर्नाशयति फलम् ॥ १७७ ॥
यावतः संस्पृशेद्भ्रूव्राह्मणाञ्छूद्रयाजकः । तावतां न भवेद्दातुः
फलं दानस्य पौर्तिकम् ॥ १७८ ॥ वेदविद्यापि विप्रोऽस्य लोभात्कृत्वा
प्रतिग्रहम् । विनाशं व्रजति क्षिप्रमासपात्रमिवास्थसि ॥ १७९ ॥
सोमविक्रयिणे विष्टो भिषजे पूयशोणितम् । नष्टं देवलके दत्तम्-
प्रतिष्ठं तु वार्षुषी ॥ १८० ॥

“ अर्थ—देने वाले के हृथ्य और कव्यों को इस लोक और परलोक में
वे जो दूसरे के क्षेत्र में उत्पन्न हुवे हैं, नष्ट करते हैं ॥ ”

(श्लोक १७५ से फिर असम्बद्ध परस्पर विरुद्ध स्मृतकश्राद्ध के श्लोक चलते हैं । १७६-१८२ तक में पङ्क्तिबाह्यों के भोजन कराने का फल नष्ट कह कर १८३-१८६ तक पङ्क्तिपावन ब्राह्मण गिनाये हैं । जबकि पङ्क्तिपावन पङ्क्ति को पवित्र कर देता है तो श्लोक १७७ का यह कहना वृथा है कि अन्धा ब्राह्मण अपनी दृष्टि से ९० वेदपाठियों के जिमाने के फल को नष्ट करता है, काणा ६० के, श्वेतकुष्ठी १०० के, और पापरीगी १००० के फल को नष्ट करता है । फिर भला पङ्क्तिपावनता क्या रही ? अन्धे आदि ही बलवान् रहे और अन्धा देख भी नहीं सकता, इस लिये भी १७६ वां श्लोक असम्भव दोषयुक्त है । १७९ में कहा है कि वेदज्ञ ब्राह्मण भी पङ्क्तिबाह्य के साथ लोभ से प्रतिग्रह ले तो नष्ट हो जाता है और वेदज्ञ को १८४ वें में पङ्क्तिपावन कहा है । यह परस्पर विरोध है । १८७ वें में १, २ वा ३ ब्राह्मण श्राद्ध में लिखे हैं और पूर्व भी विस्तार को वर्जित किया है तो फिर ६० । ९० । १०० १००० जब श्राद्ध में जिमाये ही नहीं जाते तब फलनाश किन का होगा । १८८ वें में श्राद्ध जिमाने और जीमने वाले को उस दिन वेद पढ़ने का निषेध भी चिन्तनीय है । १९४ में विराट् का मनु, ननु के मरीच्यादि, उन के पुत्र पितर लिखे हैं । फिर मनुष्यों के मृत माता पिता आदि का उद्देश्य कहा रहा १९५ से १९७ तक भिन्न जातियों के सोमसदादि भिन्न २ पितर कहे हैं, तब मनुष्यजाति का सबका श्राद्धव्यर्थ है । २०५ से २०३ तक स्मृतकश्राद्ध की विधि और उन मांसों का वर्णन है जिन से इन कल्पित पितरों की तृप्ति की कल्पना की गई है । जब स्मृतकश्राद्ध ही वेदविहित नहीं तब उस के विधानादि स्मृत्युक्त सभी निष्फल और दुष्फल है और तृतीयाऽध्याय के अन्तिम श्लोक २०६ में कहा है कि यह "पञ्चमहायज्ञ का विधान वर्णन किया गया" इससे भी पाया जाता है कि बीच के २०३ तक कहे स्मृतक पितरों के सासिकादि श्राद्ध प्रक्षिप्त हैं । क्योंकि पञ्चमहायज्ञ तो गृहस्थ का नैतिक कर्म है, नैमित्तिक नहीं) ॥ १७५ ॥

“पङ्क्ति के अयोग्य पुरुषअपाङ्क्त्य पूर्वोक्तचौरादि, जितने भोजन करते हुवे श्रोत्रियादि को श्राद्ध में देखते हैं, उतनों का फल भोजन कराने वाला सूख नहीं पाता ॥ १७६ ॥ अन्धा देखकर दाता के ९० श्रोत्रियादि ब्राह्मणों के भोजन का फल नष्ट करता है और काणा ६० का, श्वेत कीड़ वाला १०० का और पापरीगी १००० ब्राह्मणों के भोजन का फल नष्ट करता है ॥१७७॥ शूद्र का यज्ञ कराने वाला, अज्ञों से जितने श्राद्ध में भोजन करने वालों को

सुवे, उतनों का पूर्णसम्बन्धी आहु का फल दाता को न होगा ॥१७८॥ वेद का जानने वाला भी विप्र, शूद्रयाजक के साथ लोभ से प्रतिग्रह लेकर शीघ्र नष्ट हो जाता है, जैसे कच्चा बरतन पानी में नष्ट हो जाता है ॥१७९॥ सोम-विक्रयी को जो हव्य कव्य देवे तो विष्टा होती है और वैद्य को देवे तो पीष रक्त और पुजारी को देने से नष्ट होता है, तथा व्याजवृत्ति को देवे तो अप्रतिष्ठत होता है ॥ १८० ॥ ”

“ यत्तु वाणिजके दत्तं नेह नामुत्र तद्भवेत् । भस्मनीव हुतं

हव्यं तथा पौनर्भवे द्विजे ॥ १८१ ॥ इतरेषु त्वपाङ्क्येषु यथो-

द्दिष्टेष्वसाधुषु सिद्धोऽसृङ्मांसमज्जास्थिषु दन्त्यन्नं मनीषिणः ॥ १८२ ॥

अपाङ्क्योपहता पङ्क्तिः पाठ्यते यै द्विजोत्तमैः । तान्निबोधत

कात्स्नर्येन द्विजाग्रयान्पङ्क्तिपावनान् ॥ १८३ ॥ अग्न्याः सर्वेषु

वेदेषु सर्वप्रवचनेषु च । श्रोत्रियान्वयजाश्चैव विज्ञेयाः पङ्क्तिपा-

वनाः ॥ १८४ ॥ त्रिणाचिकेतः पञ्चाग्निस्त्रिसुपर्णः षडङ्गवित् ।

ब्रह्मदेयात्मसन्तानो ज्येष्ठसामग एव च ॥ १८५ ॥ वेदार्थवित्प्रवक्ता

च ब्रह्मचारी सहस्रदः । शतायुश्चैव विज्ञेया ब्राह्मणाः पङ्क्ति-

पावनाः ॥ १८६ ॥ पूर्वद्युरपरद्युर्वा आहुकर्मण्युपस्थिते । निमन्त्र-

येत इयवरान्सम्यग्विप्रान्यथोदितान् ॥ १८७ ॥ निमन्त्रितो द्विजः

पित्र्ये नियतात्मा भवेत्सदा । न च छन्दांस्यधीयीत यस्य आहुं

ष तद्भवेत् ॥ १८८ ॥ निमन्त्रितान्हि पितर उपतिष्ठन्ति

तान्द्विजान् । व युवच्चानुगच्छन्ति तथासीनानुपासते ॥ १८९ ॥

केतितस्तु यथान्यायं हव्यकव्ये द्विजोत्तमः । कथंचिदप्यतिक्रा-

मन्पापः सूकरतां व्रजेत् ॥ १९० ॥ आमन्त्रितस्तु यः आहु

वृषत्या सह मोदते । दातुर्षद्दुष्कृतं किञ्चित्सर्वं प्रतिपद्यते ॥ १९१ ॥

अक्रोधनाः शौचपराः सतत ब्रह्मचारिणः । न्यस्तशस्त्रा महा-

भागाः पितरः पूर्वदेवताः ॥ १९२ ॥ यस्मादुत्पत्तिरेतेषां सर्वेषा-

मप्यशेषतः । ये च यैरुपचर्याः स्युर्नियमैस्तान्निबोधत ॥ १९३ ॥

मनोहैरययगर्भस्य ये मरीच्यादयः सुताः । तेषामृषीणां सर्वेषां
पुत्राः पितृगणाः स्मृताः ॥ १९४ ॥

अर्थ—बनिये की वृत्ति करने वाले ब्राह्मण को देवे तौ यहाँ तथा पर-
लोक में कुछ फल नहीं, जैसे राख में घी जलाना वैसे पुनर्विधाह के लड़के
को देवे तो राख के होसवत् व्यर्थ है ॥ १९३ ॥ और इतर अपाङ्क्त्यों को
देने में मेद रक्त मांस सज्जा हड्डी होती हैं । ऐसा विद्वान् कहते हैं ॥ १९४ ॥
असाधुओं से अष्ट पंक्ति जिन द्विजोत्तमों से पवित्र होती है, उन पङ्क्तियों
के पवित्र करने वाले सब द्विजश्रेष्ठों को सुनो ॥ १९३ ॥ जो चारों वेदों के जानने
वाले और वेदके संपूर्ण अङ्गों को जानने वाले, आत्रिय, परंपरा से वेदाध्ययन
जिन को होता है उन को पङ्क्तिपावन जाने ॥ १९४ ॥ कठोनिषद् में कहे व्रतको
त्रिणाचिकेत कहते हैं, उसको करने वाला भी त्रिणाचिकेत कहलाता है और
पूर्वाक्त पञ्चाग्नि वाला, वैसे ही ऋग्वेद के ब्राह्मणोक्त व्रत करने वाला त्रिसुपर्ण
कहलाता है और छः अङ्गों का जाननेवाला और ब्राह्मणविवाहिता स्त्रीसे उत्पन्न
हुआ और साम के आरव्यक (गान विशेष) का गाने वाला, इन को पङ्क्त
पावन जाने ॥ १९५ ॥ वेद के अर्थ को जानने वाला और उसी का पढ़ाने
वाला और ब्रह्मचारी और सहस्रगोदान करने वाला और सौ वर्ष का इन
को भी पङ्क्ति के पवित्र करने वाले जाने ॥ १९६ ॥ आहु के प्रथम दिन
वा उसी दिन यथोक्तगुण वाले और ब्राह्मणों को सत्कारपूर्वक तीन वा न्यूनको
निमन्त्रण देवे ॥ १९७ ॥ आहु में निमन्त्रित ब्राह्मण आहु के दिन नियम
वाला होवे और वेदाध्ययन न करे । ऐसे ही आहु करने वाला भी ॥ १९८ ॥
पितर उन निमन्त्रित ब्राह्मणों के पास आते हैं और वायुतुल्य उन के पीछे
चलते हैं और बैठों के पास बैठे रहते हैं ॥ १९९ ॥ श्रेष्ठ ब्राह्मण हठ्य कव्य में
यथाशास्त्रनिमन्त्रित किया हुआ निमन्त्रण स्वीकार करके फिर किसी प्रकार
भोजन न करे तौ उस पाप से जन्मात्तर में सूकर होवेगा ॥ १९० ॥ जो ब्राह्मण
आहु में निमन्त्रित हुआ शूद्रा स्त्री के साथ मैथुन करे वह आहु करने वालेके
संपूर्ण पाप को पाता है ॥ १९१ ॥ क्रोधरहित, भीतर बाहर से पवित्र, निरन्तर
जितेन्द्रिय, हथियार छोड़े हुवे और दयादि गुणों से युक्त पूर्व देवता पितर हैं
॥ १९२ ॥ इन सब पितरों की जिस से उत्पत्ति है और जो पितर जिन नियमों

से पूजित होते हैं, उन नियमों को सम्पूर्णतया सुनो ॥१९३॥ स्वायम्भुव मनु के पुत्र मरीच्यादि हैं और उनके पुत्रों को पितृगण कहा है ॥ १९४ ॥ ”

“ विराट्सुताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्मृताः । अग्नि-
 ष्वात्ताश्च देवानां मारीचा लोकविश्रुताः ॥ १९५ ॥ दैत्यदानव-
 यक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम् । सुपर्णाकिन्नराणां च स्मृता बर्हि-
 षदोत्रिजाः ॥ १९६ ॥ सोमपा नाम विप्राणां क्षत्रियाणां हवि-
 र्भुजः । वैश्यानामाज्यपा नाम शूद्राणां तु सुकालिनः ॥ १९७ ॥
 सोमपास्तु कवेः पुत्रा हविष्मन्तोद्भिरस्सुताः । पुलस्त्यस्या-
 ज्यपाः पुत्रा वसिष्ठस्य सुकालिनः ॥ १९८ ॥ अग्निदग्धानग्नि-
 दग्धान्काव्यान्बर्हिषदस्तथा । अग्निष्वात्तांश्चसोम्यांश्च विप्राणा-
 मेव निर्दिशे ॥ १९९ ॥ य एतं तु गणा मुख्याः पितृणां परि-
 कीर्तिताः । तेषामपीह विज्ञेयं पुत्रपौत्रमनन्तकम् ॥ २०० ॥
 ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देवमानवाः । देवेभ्यस्तु जगत्
 सर्वं चरस्थायनपूर्वशः ॥ २०१ ॥ राजतैर्भाजनैरेषामथो वा
 राजतान्बितैः । वार्यपि श्रद्धया दत्तमक्षयायोपकल्पते ॥ २०२ ॥
 देवकार्याद् द्विजातीनां पितृकार्यं विशिष्यते । दैवहि पितृका-
 र्यस्य पूर्वमाप्यायनं श्रुतम् ॥ २०३ ॥ तेषामारक्षभूतं तु पूर्वं दैवं
 नियोजयेत् । रक्षांसि हि विलुम्पन्ति श्राद्धमारक्षवर्जितम् ॥ २०४ ॥
 दैवाद्यन्तं तद् हेतुं पित्राद्यन्तं नतद्भवेत् । पित्राद्यन्तं त्वीहमानः
 क्षिप्रं नश्यति सान्वयः ॥ २०५ ॥ शुचिं देशं विविक्तं च गोम-
 येनोपलेपयेत् । दक्षिणाप्रवणं चैव प्रयत्नेनोपपादयेत् ॥ २०६ ॥
 अवकाशेषु चोक्षेषु नदीतीरेषु चैव हि । विविक्तेषु च तुष्यन्ति
 दत्तेन पितरः सदा ॥ २०७ ॥ आसनेषूपकृमेषु बर्हिष्मत्सु पृथक्
 पृथक् । उपस्पृष्टोदकान्सम्यग्भिप्रांस्तानुपदेशयेत् ॥ २०८ ॥
 उपवेश्य तु विप्रान्तानासनेष्वजुगुप्सितान् । गन्धमाल्यैः सुरभि-

भिरचयेद्देवपूर्वकम् ॥ २०९ ॥ तेषामुदकमानीय सुपवित्रांस्तित-
लानरि । अग्नौ कुर्यादनुज्ञातो ब्राह्मणो ब्राह्मणैः सह ॥ २१० ॥”

“अर्थ—विराट् के पुत्र सोमत्तद् नामवाले साध्यों के पितर हैं । सरीचि के पुत्र लोकविख्यात अग्निष्वात्त देवों के पितर हैं ॥ १९५ ॥ बर्हिषद् नाम अग्नि के पुत्र, दैत्य, दानव, यक्ष, गन्धर्व, सर्प, राक्षस, सुपर्ण और किन्नरों के पितर हैं ॥ १९६ ॥ सोमपा नाम ब्राह्मणों के और क्षत्रियों के हविर्भुज तथा वैश्यों के आज्यपा नाम और शूद्रों के सुकालिन् पितर कहे हैं ॥ १९७ ॥ भृगु के पुत्र सोमपा और अङ्गिरा के पुत्र हविष्मन्त और पुलस्त्य के पुत्र आज्यपा और वसिष्ठ के सुकालिन्, ये पितर इन ऋषियों से उत्पन्न हुवे ॥ १९८ ॥ अग्निदग्ध अनग्निदग्ध, काश्य, बर्हिषद् और अग्निष्वात्त तथा सौम्यों को ब्राह्मणों के पितर कहा है ॥ १९९ ॥ ये इतने तौ पितरों के गण मुख्य कहे हैं, परन्तु इस जगत् में उन के पुत्र पौत्र अनन्त जानने ॥ २०० ॥ ऋषियों से पितर हुवे और पितरों से देवता तथा मनुष्य हुवे और देवतों से ये सम्पूर्ण स्यावर जङ्गम क्रम से हुवे ॥ २०१ ॥ चांदी के पात्रों से या चांदी लगे पात्रों से पितरों का श्राद्ध करके दिया पानी भी अक्षय सुख का हेतु होता है ॥ २०२ ॥ (इन लोकों में पाया जाता है कि सरे हुवे पिता आदि पितर नहीं हैं) द्विजातियों को देवकार्य से पितृकार्य अधिक कहा है । क्योंकि देवकार्य पितृकार्य का पूर्वाङ्ग तर्पण मुना है ॥ २०३ ॥ पितरों के रक्षा करने वाले देवताओं का श्राद्ध में प्रथम स्थापन करे, क्योंकि रक्त रहित श्राद्ध को राक्षस नष्ट कर देते हैं ॥ २०४ ॥ श्राद्ध में प्रारम्भ और समाप्ति दोनों देवता पूर्वक करे, पित्रादि पूर्वक न करे। पित्रादि पूर्वक न करने वाला शीघ्र वंशसहित नष्ट हो जाता है ॥ २०५ ॥ एकान्त और पवित्र देश को गोबर से लीपे और दक्षिण की ओर को नीचीवेदी प्रयत्न से बनावे ॥ २०६ ॥ खुली जगह और पवित्र देश वा नदी के तीर पर या निर्जन देश में श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं ॥ २०७ ॥ उस देश में कुश सहित अच्छे प्रकार अलग २ बिछाये हुवे आसनों पर स्नान आचमन किये हुवे निमन्त्रित ब्राह्मणों को बैठावे ॥ २०८ ॥ अनिन्दित ब्राह्मणों को आसन पर बैठाकर अच्छे सुगन्धित गन्धमाल्यों से देवपूर्वक पूजे (अर्थात् प्रथम देवस्थान के ब्राह्मणों को पूज कर पश्चात् पितृस्थानीय ब्राह्मणों की पूजा करे) ॥ २०९ ॥”

उन ब्राह्मणों का पवित्री और तिलों से युक्त अर्घ्योदक लाकर ब्राह्मणों के साथ आहु करने वाला ब्राह्मण अग्नि में होम करे ॥ २१० ॥

“ अग्नेः सोमयमाभ्यां च कृत्वाप्यायनमादितः । हविर्दानेन विधिवत्पश्चात् संतर्पयेत्पितृन् ॥ २११ ॥ अन्यभावे तु विप्रस्य पाणावेवोपपादयेत् । यो ह्यग्निः स द्विजो विप्रैर्मन्त्रदर्शिभिरुच्यते ॥ २१२ ॥ अक्रोधनान्मुप्रसादान्बदन्त्येतान् पुरातनान् । लोकस्याप्यायने युक्तान् आहुंवात् द्विजोत्तमान् ॥ २१३ ॥ अपसव्यनग्नौ कृत्वा सर्वमाश्रुत्य विक्रमम् । अपसव्येन हस्तेन निर्वपेदुदकं भुवि ॥ २१४ ॥ श्रीस्तु तस्माद्दुविःशेषात्पिण्डान्कृत्वा समाहितः । औदकेनैव विधिना निर्वपेदृक्षिणामुखः ॥ २१५ ॥ न्युप्य पिण्डास्ततस्तास्तु प्रयतो विधिपूर्वकम् । तेषु दर्भेषु तं हस्तं निमृज्यास्त्रेपभागिनाम् ॥ २१६ ॥ आचम्योदकपरावृत्य त्रिरायम्य शनैरसून् । षड्भ्रतंश्चनमस्कुर्वीत्पितृनेव च मन्त्रवित् ॥ २१७ ॥ उदकं निनयेच्छेषं शनैः पिण्डान्तिके पुनः । अवजिघ्रेच्च तान्पिण्डान्यथान्युप्तान्समाहितः ॥ २१८ ॥ पिण्डेभ्यस्त्वल्पिकां मात्रां समादायानुपूर्वशः । तेनैव विप्रानासीनान् विधिवत्पूर्वमाशयेत् ॥ २१९ ॥ प्रियमाण तु पितरि पूर्वेषामेव निर्वपेत् । विप्रवद्वापि तं आहुं स्वकं पितरमाशयेत् ॥ २२० ॥ पिता यस्य निवृत्तः स्याज्जिघ्रेच्चापि पितामहः । पितुः स नाम संकीर्त्यकीर्तयेत्प्रपितामहम् ॥ २२१ ॥ पितामहो वा तच्छ्राद्धं भुञ्जीतेत्यब्रवीन्मनुः । कामं वा समनुज्ञातः स्वयमेव समाचरेत् ॥ २२२ ॥ तेषां दत्त्वा तु हस्तेषु सपवित्रं तिलोदकं । तत्पिण्डायं प्रयच्छेत् स्वधैषामस्तिवति ब्रुवन् ॥ २२३ ॥ पाणिभ्यां तूपमंशुश्च स्वयमन्नस्य वर्धितम् । विप्रान्तिके पितृन्प्यायन् शनैरुपनिक्षिपेत् ॥ २२४ ॥ उभयोर्हस्त-

योर्भुक्तं यदन्नमुपनीयते । तद्द्विप्रलुम्पन्त्यसुराः सहसा दुष्टचेतसः
 ॥२२५॥ गुणांश्च सूपशाकाद्यान् पयोदधि घृतं मधु । विन्वसेत्प्रयतः
 पूर्वं भूमावैव समाहितः ॥ २२६ ॥ ”

“अर्थ—प्रथम यथाविधि होम करके अग्नि सोम यम का पर्युक्षणपूर्वक तर्पण करके पश्चात् पितरों को तृप्त करे ॥२२१॥ अग्नि के अभाव में होम न करे तो ब्राह्मण के हाथ पर (उक्त तीन) आहुति देदेवे क्योंकि जो अग्नि है वही ब्राह्मण है, ऐसा मंत्र के जानने वाले कहते हैं ॥२२२ ॥ क्रोधरहित और प्रसन्नचित्त वाले और वृद्ध तथा लोगों की वृद्धि में उद्योग करने वाले द्विजोत्तमों को आहुपात्र कहते हैं ॥ २२३ ॥ अपरुष्य से अग्नीकरणादि होम और अनुष्ठानक्रम करके पश्चात् दक्षिण हाथ से भूमि पर पानी डाले ॥२२४॥ उस होमद्रव्य के शेष से तीन पिण्ड बनाके जल वाली विधि से दक्षिणमुख होकर स्वस्थचित्त से (कुशों पर) चढ़ावे ॥२२५॥ विधिपूर्वक उन पिण्डों को (दर्भों पर) स्थापन करके उन दर्भों के ऊपर लेपभागी पितरों की तृप्तिके लिये हाथ पूछ डाले ॥ २२६ ॥ अनन्तर उत्तरमुख होकर आचमन और ३ प्राणायाम शनैः २ करके मंत्र का जानने वाला षट् ऋतुओं और पितरों को भी नमस्कार करे ॥२२७॥ एकाग्रचित्त वाला पिण्डदान के पात्र में जो शेष पानी बचा हो, उस को पिण्डों के समीप धीरे २ छोड़े । सावधान हुवा जिस क्रम से पिण्डों को रक्खा था उसी क्रम से मूँचे ॥ २२८ ॥ क्रम के साथ प्रत्येक पिण्ड से थोड़ा २ भाग लेकर विधि के साथ उन्हीं अल्प भागों को भोजन के समय ब्राह्मणों को प्रथम खिलावे ॥२२९ ॥ पिता जीता हो तो बाबा आदि का ही आहु करे वा पिता के स्थान में अपने (जीवते) पिता का भोजन करा देवे ॥२३०॥ पिता जिस का मरगया हो और बाबा जीता हो, तो पिता का नाम उच्चारण करके, प्रपितामह का उच्चारण (आहुमें) करे ॥ २३१ ॥ वा उस आहु में जीते पितामह को भोजन करावे, ऐसा मनु कहते हैं वा पितामह की आज्ञा पाकर जैसा चाहे वैसा करे ॥२३२॥ उन (ब्राह्मणों) के हाथ में सपवित्र तिलोदक देकर पितृ पितामह प्रपितामह के साथ “स्वधा अस्तु” ऐसा उच्चारण करता हुवा क्रम से वह पिण्ड का अल्प भाग देवे ॥२३३॥ परिपक्व अन्नों के पात्रों को अपने हाथोंसे “वृद्धिरस्तु” कह कर पितरों का स्मरण करता हुवा ब्राह्मणों के समीप धीरे २ रक्खे ॥२३४॥ (ब्राह्मणों को)

दोनों हाथों से न लाये हुवे अन्न को अकस्मात् दुष्ट बुद्धि वाले असुर छीन खाते हैं, (इससे एक हाथ से लाकर न रखे) ॥२२५॥ चटनी दाल तरकारी इत्यादि नाना प्रकार के व्यञ्जन दूध दही घृत और मधु को पवित्र हो कर तथा स्वस्थचित्त से प्रथम (पात्र सहित) भूमि पर रखे ॥ २२६ ॥

“भक्ष्यं भोज्यं च विविधं मूलानि च फलानि च । हृद्यानि चैव मांसानि पानानि सुरभीणि च ॥२२७॥ उपनीय तु तत्सर्वं शनकेः सुसमाहितः । परिवेषयेत् प्रयतो गुणान्सर्वान्प्रचोदयन् ॥ २२८ ॥

नाश्रुमापातयेज्जातु न कुप्येन्नानृतं वदेत् । न पादेन स्पृशेदन्नं न चैतदवधूनयेत् ॥२२९॥ अस्त्रं गमयति प्रेतान्कोपोऽरीन्ऽनृतं सुतः ।

पादस्पर्शस्तु रक्षांसि दुष्कृतीन्वधूननम् ॥ २३०॥ यद्यद्वाचेत् विप्रे-

भ्यस्तत्तद्दद्यादन्तसरः । ब्रह्मीद्याश्चकथाः कुर्यात्पितृणामेतदीप्सि-

तम् ॥२३१॥ स्वाध्यायं श्रावयेत्पित्र्ये धर्मशास्त्राणि चैव हि । आ-

ख्यानानीतिहासांश्च पुराणान्यखिलानि च ॥२३२॥ हर्षयेद् ब्राह्म-

णांस्तुष्टो भोजयेच्च शनैः शनैः । अन्नाद्येनासकृच्चैतान् गुणैश्च

परिचोदयेत् ॥२३३॥ ब्रह्मस्यमपि दौहित्रं श्राद्धे यत्नेन भोजयेत् ।

कुतपं चासने दद्यात्तिलैश्च विकिरेन्महीम् ॥२३४॥ त्रीणि श्राद्धे

पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्त्रिलाः । त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शीघ्रं

सक्रोधसत्त्वरात् ॥२३५॥ अत्युष्णं सर्वमन्नं स्याद्भुञ्जोरस्ते च वाग्मताः

न च द्विजातयो ब्रूयुर्दात्रा पृष्टा हविर्गुणान् ॥२३६॥ यावदुष्णं भव-

त्यन्नं यावदश्नन्ति वाग्मताः । पितरस्तावदश्नन्ति यावन्नोक्ता

हविर्गुणाः ॥ २३७ ॥ यद्वेष्टितशिराभुङ्क्ते यद्भुङ्क्ते दक्षिणामुखः ।

सोपानत्कश्च यद्भुङ्क्ते तद्वै रक्षांसि भुञ्जते ॥२३८॥ चण्डालश्च वरा-

हश्च कुक्कुटः श्वा तथाैव च । रजस्वला च षण्ढश्च नेक्षरन्नश्नतो

द्विजान् ॥२३९॥ होमे प्रदाने भोज्ये च यदेतिरभिवीक्ष्यते । देवे

कर्मणि पित्र्ये वा तद्गच्छत्ययथातथम् ॥२४०॥ घ्राणेन सूकरो हन्ति ॥

पत्रवातेन कुक्कुटः । श्वा तुदृष्टिनिपातेन स्पर्शनाऽत्रवर्णजः ॥२४१॥

खञ्जीवायादि वा काणो दातुः प्रेष्योऽपि वा भवेत् । हीनातिरिक्त-

गात्री वा तमप्यपनयेत्पुनः ॥ २४२ ॥ ”

“अर्थ—नाना प्रकार के भक्ष्य भोजन, मूल, फल और हृदय के मांस और सुगन्धियुक्त पीने के द्रव्य ॥२४१॥ से सम्पूर्ण अन्न धीरे से ब्राह्मणों के समीप लाकर पवित्रता और स्वस्थचित्त से सब के गुण कहता हुआ परोसे ॥२४२॥ (श्राद्ध के समय में) रोदन और क्रोध न करे तथा झूठ न बोले और अन्न में पैर न लगावे और अन्न को न फेंके ॥२४२॥ रोने से वह अन्न प्रेतों को मिलता है और क्रोध करने से शत्रुओं को प्राप्त होता है और असत्य भाषण से कुत्तों को पहुंचता है तथा पैर लगाने से राक्षस खाते हैं और फेंका हुआ प्राणी पाते हैं ॥२४३॥ और जो २ अन्न ब्राह्मणों को अच्छा लगे वह र देवे । मत्सरतारहित होकर ईश्वरसम्बन्धी बात करे क्योंकि पितरोंको यही इष्ट है ॥२४३॥ वेद धर्मशास्त्र और आख्यान तथा इतिहास पुराण इत्यादि श्राद्ध में सुनवावे ॥२४३॥ प्रसन्नचित्त हुआ आप ब्राह्मणों को प्रसन्न करे और अन्न से जल्दी न करता हुआ भोजन करावे और मिष्टान्न के गुणों से ब्राह्मणों को प्रेरणा करे ॥ २४३॥ श्राद्ध में दौहित्र (नातो) ब्राह्मचारी हो तो भी यत्र से भोजन करावे । बैठने को नेपाली कम्बल देवे और श्राद्ध भूमि में तिलछाले ॥२४४॥ श्राद्ध में तीन पवित्र हैं—नाती, कम्बल और तिल । और तीन प्रशंसा के योग्य हैं—१ क्रोध का न करना, २ पवित्रता तथा ३ जल्दी न करना ॥२४५॥ बोलना बन्द करके ब्राह्मण भोजन करे । भोजन योग्य जो पदार्थ हैं वे सब उष्ण (गरम) होने चाहिये और श्राद्ध करने वाला भोजनों का गुण पूछे तो भी विप्र न बोले ॥ २४६ ॥ जब तक अन्न उष्ण है और जब तक मौन-युक्त भोजन करते हैं और जब तक भोजन के गुण नहीं कहे जाते तब तक पितर भोजन करते हैं ॥२४७॥ सिर बांधे हुये जो भोजन करता है और दक्षिणमुख जो भोजन करता है तथा जूता पहरे जो खाता है, वे सब राक्षस भोजन करते हैं (पितर नहीं) ॥२४८॥ चाण्डाल, सूकर, मुरगा, कुत्ता, रजस्वला स्त्री और नपुंसक, ये सब भोजन करते हुये ब्राह्मणों को न देखें, ॥२४९॥ अग्निहोत्र, दान, ब्रह्मभोज, देवकर्म वा पितृकर्म में जो ये देखें तो

वह सब निष्फल हो जाता है ॥ २४० ॥ सूकर (उस अन्न को) सूघने से (कर्म को) निष्फल करता है । परों की हवा से मुरगा और देखने से कुत्ता और खूने से शूद्र निष्फल कर देता है ॥ २४१ ॥ जिस का पैर मारा गया हो वा काणा वा दाता का दास हो वा न्यून या अधिक अङ्ग वाला हो, उसको भी (आहु के स्थान से) हटा देवे ॥ २४२ ॥ ”

“ब्राह्मणं भिक्षुकं वापि भोजनार्थमुपस्थितम् । ब्राह्मणैर-
भ्यनुज्ञातः शक्तितः प्रतिपूजयेत् ॥ २४३ ॥ सार्ववर्णिकमन्नाद्यं
सन्नीयाप्लाव्य वारिणा । समुत्सृजेद् भुक्तवतान्यतो विकिरन्भुवि
॥ २४४ ॥ असंस्कृतप्रसीतानां त्यागिनां कुलियोषिताम् । उच्छिष्टं
भागधेयं स्याद्दृभेषु विकिरश्च यः ॥ २४५ ॥ उच्छेषणं भूमिगत-
मजिह्वस्याशठस्य च । दासवर्गस्य तत्पिण्डे भागधेयं प्रचक्षते
॥ २४६ ॥ आसपिण्डक्रियाकर्म द्विजातेः संस्थितस्य तु । अद्वयं
भोजयेच्छ्राद्धं पिण्डमेकं तु निर्वपेत् ॥ २४७ ॥ सहपिण्डक्रियायां
तु कतायामस्य धर्मतः । अनधैवावृता कार्यं पिण्डनिर्वपणं सुतैः
॥ २४८ ॥ आहुं भुक्त्वा य उच्छिष्टं वृषलाय प्रयच्छति । समूहो
नरकं याति कालसूत्रमवाक्शिराः ॥ २४९ ॥ आहुभुग्वृषलीतल्पं
तद्दह्योऽधिगच्छति । तस्याः पुरीषे तं मासं पितरस्तस्य शेरते
॥ २५० ॥ पृष्ठा स्वादितमित्येवं तृप्तान्नाषामयेत्ततः । आचान्तांश्चानु-
जानीयाद्भितो रभ्यतानिति ॥ २५१ ॥ स्वधास्त्वित्येव तं ब्रूयु-
र्ब्राह्मणास्तदनन्तरम् । स्वधाकारः परं ह्याशीः सर्वेषु पितृकर्मसु
॥ २५२ ॥ ततो भुक्तवतां तेषामन्नशेषं निवेदयेत् । यथा ब्रूयुस्तथा
कुर्यादनुज्ञातस्ततो द्विजैः ॥ २५३ ॥ पिण्डे स्वदितमित्येष वाच्यं
गोष्ठे तु सुश्रुतम् । संपन्नमित्यभ्युदये दैवे रुचितमित्यपि ॥ २५४ ॥
अपराहस्तथादर्भा वास्तुसंपादसं तिलाः । सृष्टिसृष्टिर्द्विजाश्चाग्रधाः
आहुकर्मसु संपदः ॥ २५५ ॥ दर्भाः पवित्रं पूर्वाह्नो हविष्याणि च

सर्वशः । यवित्तं यच्च पूर्वोक्तं विज्ञेया हव्यसंपदः ॥ २५६ ॥ सुन्य-
नानि पयः क्षीमो मांसं यच्चानुपस्कृतम् । अन्नारलवणं चैव
प्रकृत्या हविसृष्यते ॥ २५७ ॥ विसृज्य ब्राह्मणांस्तांस्तु नियतो
वाग्यतः शुचिः । दक्षिणां दिशमाकाङ्क्षन्त्याचेतेमान्वरान्
पितॄन् ॥ २५८ ॥ ”

“अर्धे—भिन्नक वा ब्राह्मण उस काल में भोजनार्थ प्राप्त हो तो उसका भी ब्राह्मण की आज्ञा पाकर यथाशक्ति पूजन करे (भोजन करावे या भिक्षा देवे) ॥ २५३ ॥ सर्व प्रकार के अन्नादि को एकत्र करके पानी से छिड़क कर भोजन किये हुवे ब्राह्मणों के आगे दर्भ पर बखेरता हुआ रखे ॥ २५४ ॥ संस्कार के अयोग्य नरे बालकों तथा त्यागिनों और कुलस्त्रियों का उच्छिष्ट कुश पर का भाग त्रिकिर (२४३) में कहा है ॥ २५५ ॥ जो कि भूमि पर गिरा श्राद्ध में उच्छिष्ट है वह दातों के समुदाय का भाग है । ऐसा मनु कहते हैं । परन्तु यह दातसमुदाय सीधा ही और कुटिल न ही ॥ २५६ ॥ नरे द्विजों की सपिण्डी तक वैश्वदेवरहित श्राद्धान्न (ब्राह्मण को) जिमावे और एक पिण्ड देवे ॥ २५७ ॥ परन्तु धर्म से सपिण्डी हो जाने पर पुत्रों को उक्त प्रकार से पिण्डप्रदान करना चाहिये ॥ २५८ ॥ जो श्राद्धोच्छिष्ट को भोजन करके शूद्र को देता है वह मूर्ख कालसूत्र नाम नरक को जाता है, जिस का नीचे को शिर और ऊपर को पैर होते हैं ॥ २५९ ॥ जो श्राद्धान्न को भोजन करके उस दिन वेश्याप्रसङ्गकरता है उस के पितर उस वेश्या के विष्टा में उस नहीने तक लेटते हैं ॥ २६० ॥ तप्त ब्राह्मण को “अच्छे भोजन हुआ” ऐसा पूछकर आचमन करावे, पश्चात् आचमन कियों को “आराम कीजिये” ऐसा कहे ॥ २६१ ॥ इस कहने के अनन्तर ब्राह्मण श्राद्धकर्ता के प्रति “स्वधा अस्तु” ऐसा कहें । क्योंकि सब श्राद्धकर्म में स्वधा शब्द का उच्चारण परम आशीर्वाद है ॥ २६२ ॥ स्वधा शब्द के उच्चारणानन्तर निवेदन करे कि “यह श्रेय अन्न है” । तब ब्राह्मण इस को जैसा कहें वैसा करे ॥ २६३ ॥ पितृश्राद्ध में “स्वदितम्”=रूब भोजन किया, ऐसा कहे और गोष्ठ श्राद्ध में “सुश्रुतम्” ऐसा कहे और अभ्युदय श्राद्ध में “संपन्नम्” इस प्रकार कहे और दैवश्राद्ध में “संचितम्” ऐसा कहे ॥ २६४ ॥ दीपहर का समय, दर्भ और गोबर से छेपन, तिल और

सदारता से अन्नादि का देना और अन्न का संस्कार और पूर्वोक्त प्रङ्क्ति-
पावन ब्राह्मण, ये आहु की सम्पत्ति हैं ॥२५५॥ दर्भ और पवित्र और पहला
पहर और सत्र मुनियों के अन्न और जो पूर्वोक्त पवित्र, ये हव्य की सम्पत्ति
जानो ॥२५६॥ मुनियों के अन्न, दूध, सोमलता कारस, भांस जो पकाया नहीं
गया और सैन्धव नमक को स्वभाव से हवि कहते हैं ॥२५७॥ उन ब्राह्मणों
को विसर्जन करके एकाग्रचित्त और पवित्र, मौनी, दक्षिण दिशा में देखता
हुवा, पितरों से अपने अभिलषित ये वर मांगे कि—॥ २५८ ॥

“ दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः सन्ततिरेव च । अद्वा च नो
नाव्यगमद् बहुधेयं च नोऽस्तिवति ॥ २५९ ॥ [* अन्नं च नो बहु
भवेदतिथीश्च लभेमहि । याचितारश्च न सन्तु मा स्म याचिष्म
कञ्चन ॥ १ ॥ आहुभुक् पुनरश्नाति तदहर्षो द्विजाऽधमः । प्रयाति
सूकरो योनिं कृमिर्वा नात्र संशयः ॥ २ ॥] एवं निर्वपणं कृत्वा
पिण्डांस्तांस्तदनन्तरम् । मां विप्रसज्जमग्निं वा प्राणयेदप्सु वा
क्षिपेत् ॥ २६० ॥ पिण्डनिर्वपणं केचित्पुरस्तादेव कुर्वते । त्रयोभिः
खादयन्त्यन्ये प्रक्षिपन्त्यनलेऽप्सु वा ॥ २६१ ॥ पतिव्रता धर्मपत्नी
पितृपूजनतत्परा । सध्यसं तु ततः पिण्डमद्यात्सन्त्यक् सुता-
धिनी ॥ २६२ ॥ आधुष्यन्तं सुतं सूते यशोभेधासमन्वितम् ।
धनवन्तं प्रजावन्तं सात्त्विकं धार्मिकं तथा ॥ २६३ ॥ प्रजालय
हस्तावाचम्य ज्ञातिप्रायं प्रकल्पयेत् । ज्ञातिभ्यः सत्कृतं दत्त्वा
बान्धवानपि भोजयेत् ॥२६४॥ उच्छेषणं तु तत्तिष्ठेद्यावद्विप्रा वि-
सर्जिताः । ततो गृहबलिं कुर्यादिति धर्मो ष्यवस्थितः ॥ २६५ ॥
हविर्यच्चिररात्राय यद्दानन्त्याय कल्पते । पितृभ्यो विधिवद्दत्तं
तत्प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ २६६ ॥ तिलैर्ब्रीहियवैर्भाषैरद्विर्मूलफलेन
वा । दत्तेन मासं तृप्यन्ति विधिवत्पितरो नृणाम् ॥ २६७ ॥ द्वौ
मासौ मत्स्यसांसेन त्रीन् मासान्हारिणेन तु । औरभेणाय चतुरः

शाकुनेनाथ पञ्च वै ॥ २६८ ॥ षण्मासांश्छागमांसेन पार्षतेन च
सप्त वै । अष्टावैणस्य सांसेन रौरवेण नवैव तु ॥ २६९ ॥ दश
मासांस्तु तृप्यन्ति वराहमहिषानिषैः । शशकूर्मयोस्तु मांसेन
मासानेकादशैव तु ॥ २७० ॥ ”

“ अर्थ—हमारे कुल में देने वाले, वेद और पुत्र पौत्रादि बड़े और
श्रद्धा हमारे कुल से न हटे और धनादि बहुत होवे ॥

[* हमारे अन्न बहुत होवे, हम अतिथियों को भी पावें, हमसे मांगने
वाले हों और हम किसी से न मांगें ॥ जो ब्राह्मणाऽधम श्राद्ध भोजन करके
उस दिन दूसरी वार भोजन करता है वह सूकर वा कीड़े की योनि पाता
है । इस में संशय नहीं ॥] (ये दो श्लोक तो बहुत ही थोड़े दिनों से मिलाये
गये हैं क्योंकि इन में पहला श्लोक पुराने लिखे ३० में से १ पुस्तकों में है २३ में
नहीं तथा राघवानन्द और रामचन्द्र इन दो ने ही इस पर टीका किया है,
औरों ने नहीं और दूसरा श्लोक ३० में केवल १ लिखित पुस्तक में ही मिलता
है, शेष २० में नहीं । इस पर टीका भी किसी ने नहीं की) ॥२५९॥ उक्त प्रकार से
पिण्डदान करके उन पिण्डों को गाय, ब्राह्मण, बकरा वा अग्नि को खिलावे वा
पानी में डाल देवे ॥२६०॥ कोई ब्राह्मण भोजन के अनन्तर पिण्डदान करते
हैं और कोई पक्षियों को पिण्ड खिलाते हैं और दूसरे अग्नि वा पानी में
डालते हैं ॥२६१॥ सजातीय विवाहिता, पतिव्रत धर्म की करने वाली, श्राद्ध में
श्रद्धा रखने वाली, लड़के की इच्छा करने वाली स्त्री उन ३ में से विधियुक्त
बीच के पिण्ड का भक्षण करे ॥२६२॥ (उस पिण्डभक्षण से) दीर्घायु, कीर्ति
और यश धारण करने वाला, भाग्यवान्, सन्तति वाला, सत्वगुणी, धर्मात्मा पुत्र
उत्पन्न करती है ॥२६३॥ हाथों को धोकर आचमन करके, जाति वालों को
भोजन करावे । सत्कारपूर्वक जाति वालों को अन्न देकर भाइयों को भी
भोजन करावे ॥२६४॥ वह ब्राह्मणों का उच्छिष्ट अन्न, ब्राह्मणों के विसर्जन तक
रहे, उस के अनन्तर वैश्वदेव करे । यह धर्म की व्यवस्था है ॥२६५॥ जो हवि
पितरों को यथाविधि दिया हुआ बहुत कालपर्यन्त और अनन्त तृप्ति देता है
वह सम्पूर्ण आगे कहते हैं—॥२६६॥ तिल, धान्य, यव, उड़द, जल, मूत्र और
फल विधिवत् देने से मनुष्यों के पितर एक मास पर्यन्त तृप्त होते हैं ॥२६७॥

सछली के मांस से दो महीने तक और हरिण के मांस से तीन महीने, मेढा के मांस से चार महीने, पक्षियों के मांस से पांच महीने (तृप्त रहते हैं । क्या अब भी मृतकश्राद्ध को प्रतिष्ठन मानियेगा ?) ॥ २६८ ॥ और बकरे के मांस से छः महीने, चित्र मृग के मांस से सात महीने, एण मृग के मांस से आठ महीने और रुरु मृग के मांस से नौ महीने ॥ २६९ ॥ सूकर और भैंसे के मांस से दश महीने तृप्त रहते हैं और शशा तथा कछवे के मांस से ग्यारह महीने (तृप्ति रहती है) ॥ २७० ॥ ”

“संवत्सरं तु गव्येन पयसा पायसेन च । वार्धीणसस्य मांसेन तृप्तिर्द्वादशवार्षिकी ॥ २७१ ॥ कालशार्क महाशक्तः खड्गलोहामिषं मधु । आनन्त्यायैव कल्पन्ते मुन्यन्नानि च सर्वशः ॥ २७२ ॥ यत्किञ्चिन्मधुना मिश्रं प्रदद्यात्तु त्रयोदशीम् । तदप्यक्षयमेव स्याद्दुर्षासु च मघासु च ॥ २७३ ॥ अपि नः स कुले जायाद्यो नो दद्यात्तु त्रयोदशीम् । पायसं मधु सर्पिर्भ्यां प्राक्छाये कुक्षरस्य च ॥ २७४ ॥ यद्यद्ददाति विधिवत्सम्यक्श्राद्धसमन्वितः तत्तत्पितृणां भवति परत्रानन्तमक्षयम् ॥ २७५ ॥ कृष्णपक्षे दशम्यादौ वर्जयित्वा चतुर्दशीम् । श्राद्धे प्रशस्तास्तिथयो यथैता न तथेतराः ॥ २७६ ॥ युष्णु कुर्वन् दिनक्षेषु सर्वान्कामान्समंश्रुते । अयुष्णु तु पितृन्सर्वान्प्रजां प्राप्नोति पुष्कलाम् ॥ २७७ ॥ यथा चैवापरः पक्षः पूर्वपक्षाद्विशिष्यते । तथा श्राद्धस्य पूर्वाह्णे दपराह्णे विशिष्यते ॥ २७८ ॥ प्राचीनावीतिना सम्यगपसव्यसतन्द्रिणा । पित्र्यमानिधनात्कार्यं विधिवद्दर्भपाणिना ॥ २७९ ॥ रात्रौ श्राद्धं कुर्वीत राक्षसी कीर्तिता हि सा । सन्ध्ययोरुभयोश्चैव सूर्यं चैवाचिरोदिते ॥ २८० ॥ अनेन विधिना श्राद्धं त्रिरब्दस्येह निवंपेत् । हेमन्तयोष्मवर्षासु पाञ्चयज्ञिकमन्वहम् ॥ २८१ ॥ न पितृयज्ञियो होमोलौकिकेऽग्नौ विधीयते । न दर्शनेन विना श्राद्धसाहिताग्नेर्द्विजन्मनः ॥ २८२

“अर्थ—गाय के दूध वा उसकी खीर से १ वर्ष पर्यन्त और वाघ्रीणस (लम्बे कान वाले बकरे) के मांस से बारह वर्ष तृप्ति रहती है ॥ २८१ ॥ कालशाक, महाशल्क (मछलियों के भेद हैं) और गेंडा, लाल बकरा, मधु और संपूर्ण मुनियों के अन्न अन्नन्त तृप्ति देते हैं ॥ २९२ ॥ वर्षा काल की सघायुक्त त्रयोदशी में श्राद्धनिमित्त (ब्राह्मण को) जो कुछ मधुयुक्त देवे, उस से अन्नय तृप्ति होती है ॥ २९३ ॥ इस प्रकार का कोई हमारे कुल में हो, जो हम को चतुर्दशी में दूध मधु घृत से युक्त भोजन देवे या हस्ती की पूर्व दिशा की छाया में देवे (यह पितर आशा करते हैं) ॥ २९४ ॥ अच्छे श्राद्धयुक्त जो कुछ विधिपूर्वक पितरों को देता है वह परलोकमें पितरो की अन्नय तृप्ति के लिये होता है ॥ २९५ ॥ कृष्णपक्ष में दशमी से लेकर चतुर्दशी छोड़कर ये तिथि श्राद्ध में जैसी प्रशस्त हैं वैसी और नहीं ॥ २९६ ॥ युगमतिथि और युग नक्षत्रों में श्राद्ध करने वाला संपूर्ण इष्ट पदार्थों को प्राप्त होता है । अयुगम तिथि और अयुगम नक्षत्रों में श्राद्ध करने वाला पुत्रादि सन्तति को पाता है ॥ २९७ ॥ जैसे शुक्लपक्ष से कृष्णपक्ष श्राद्धादि करने में अधिक फल का देने वाला है, वैसे ही पहले पहर से दूसरे पहर में अधिक फल होता है ॥ २९८ ॥ दहिने कन्धे पर यज्ञोपवीत करके, आलस्य रहित हो, कुशा हाथ में लेकर अपसव्य हो, शास्त्रानुसार सप्त पितृसम्बन्धी कर्म मृत्युपर्यन्त करे ॥ २९९ ॥ रात्रि में श्राद्ध न करे । उस (रात्रि) को रात्रसी कहा है और दोनों संध्याओं तथा सूर्योदय से (छः घड़ी वा) थोड़ा दिन चढ़े तक समय में भी श्राद्ध न करे ३०० ॥ इस विधि से एक वर्ष में तीन बार—हेमन्त ग्रीष्म वर्षा में श्राद्ध करे । और पञ्चयज्ञान्तर्गत श्राद्ध को प्रतिदिन करे ॥ ३०१ ॥ श्राद्धसम्बन्धी होम लौकिक अग्नि में नहीं कहा है और आहिताग्नि ब्राह्मणादि को अमावास्या से अतिरिक्त तिथि में श्राद्ध नहीं कहा है ॥ ३०२ ॥ ”

“ यदेव तर्पयत्यद्भिः पितृन्स्नात्वा द्विजोत्तमः ।

तेनैव कृत्स्नमाप्नोति पितृयज्ञक्रियाफलम् ॥ ३०३ ॥ ”

“अर्थ—जो द्विज स्नान करके जल से ही पितृतर्पण करता है, उसी से संपूर्ण नित्यश्राद्ध का फल पाता है ॥ ३०३ ॥ ”

वसून्वदन्ति तु पितृन् रुद्रांश्चैव पितामहान् ।

प्रपितामहांश्चादित्यान्श्रुतिरेषा स्नातनी ॥ ३०४ ॥

पितरं=वसुवों और पितामह=रुद्रों और प्रपितामह=आदित्यों को कहते हैं। यह सनातन से सुनते हैं ॥ (इम विषय में खान्दोग्य उपनिषद् ३।१२ में भी लिखा है सो देखने योग्य है—

पुरुषोवाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विंशतिर्वर्षाणितत्प्रातः
सवनं, चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री, गायत्रं प्रातः सवनं, तदस्य
वसवोऽन्वायत्ताः, प्राणावाव वसव एते हीदं सर्वं वासयन्ति १
अथयानिचतुश्चत्वारिंशद्वर्षाणितन्माध्यन्दिनं सवनं, चतु-
श्चत्वारिंशदक्षरा त्रिष्टुप्, त्रैष्टुभं माध्यन्दिनं सवनं, तदस्य
रुद्रा अन्वायत्ताः, प्राणावाव रुद्रा एते हीदं सर्वं रोदयन्ति ३
अथयान्यष्टाचत्वारिंशद्वर्षाणितत्तृतीयसवनमष्टाचत्वारिंश-
दक्षरा जगती, जागतं तृतीयसवनं, तदस्यादित्या अन्वा-
यत्ताः, प्राणा वावादित्या एते हीदं सर्वं माददते ॥ ५ ॥

भावार्थ—यह है कि मनुष्य भी एक यज्ञ है। जैसे यज्ञ के प्रातःसवन, माध्यन्दिनसवन और सायंसवन वा तृतीयसवन, ये ३ सवन होते हैं, ऐसेही मनुष्यदेहयात्रा रूप यज्ञ के २४।४४।४८ वर्ष ३ सवन हैं। गायत्री के २४ अक्षर हैं। प्रातःसवन का भी गायत्री छन्द है, उसमें इस के प्राण वसु संज्ञक होते हैं। ४४ अक्षर का त्रिष्टुप्छन्द है और माध्यन्दिन सवन का भी त्रि-
ष्टुप्छन्द है। उस में इस के प्राण रुद्र संज्ञक होते हैं। और ४८ अक्षर का जगती छन्द है और तृतीयसवन का भी जगती छन्द है। उस में इस के प्राण आदित्यसंज्ञक होते हैं (निदान २४ वर्ष तक ब्रह्मचर्यव्रतधारी के प्राण वसु, ४४ वर्ष वाले के रुद्र और ४८ वाले के आदित्य कहाते हैं। ये ब्रह्म-
चारी यज्ञस्वरूप हैं और क्रम से पिता पितामह और प्रपितामह के समान सत्करणीय हैं) ॥ २८४ ॥

विघसाशीभवेन्नित्यं नित्यं वामृतभोजनः। विघसोभुक्तशेषं तु
यज्ञशेषं तथामृतम् ॥२८५॥ एतद्वोऽभिहितं सर्वं विधानं पाञ्च-
यज्ञिकम्। द्विजातिमुख्यवृत्तीनां विधानं श्रूयतामिति ॥२८६॥

अर्थ—सर्वदा विधस भोजन करने वाला वा अमृत भोजन करने वाला होवे । (ब्राह्मणादिकों के) भोजन के शेष को विधस कहते हैं और यज्ञशेष को अमृत कहते हैं ॥ २८५ ॥ यह पञ्चपञ्चानुष्ठान की सब विधि तुम से कही । अब द्विजों में मुख्य (ब्राह्मण) की वृत्तियों का विधान सुनो ॥ २८६ ॥

इति मानवे धर्मशास्त्रे (भृगुप्रोक्तायां संहितायां)

तृतीयोध्यायः ॥ ३ ॥

इति श्री तुलसीरामस्वामिविरचिते मनु भाषानुवादे
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥



अथ चतुर्थोऽध्यायः

चतुर्थमायुषोभागमुषित्वाऽऽद्यगुरौ द्विजः।द्वितीयमायुषोभागं
कृतदारी गृहे वसेत् ॥१॥ अद्राहेणैव भूतानामल्पद्रोहेण वा
पुनः। या वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥ २ ॥

अर्थ-आयु के प्रथम चौथाई भाग (१०० वर्ष प्रमाण से चौथाई पच्चीस वर्ष) द्विजगुरुकुल में निवास करके आयु के द्वितीय भाग में गृहस्थाश्रमको धारण करके ॥१॥ जिस वृत्ति में जीवों को पीड़ा न हो वा अल्प पीड़ा हो, ऐसी वृत्ति को धारण करके आपत्ति रहित काल में विप्रनिर्वाह करे ॥ २ ॥

यात्रामात्रप्रसिद्ध्यर्थं स्वैः कर्मभिरगर्हितैः।अक्लेशेन शरीरस्य
कुर्वीत धनसञ्चयम् ॥३॥ ऋतामृताभ्यां जीवेत्तु मृतेन प्रमृतेन
वा । सत्यानृताभ्यामपि वा न श्ववृत्या कदाचन ॥ ४ ॥

अर्थ-प्राणरक्षक, शास्त्रानुसार कुटुम्बपोषण और नित्यकर्मानुष्ठान मात्र के लिये अपने अनिन्दित कर्मों से तथा शरीर में क्लेश न करके, धनसञ्चय करे ॥ ३ ॥ ऋत-अमृत वा मृत-प्रमृत से वा सत्य-अनृत से जीवन करे परन्तु कुत्ते की वृत्ति से कभी नहीं ॥ ४ ॥

ऋतमुज्झाशिलंज्ञेयममृतं स्यादयाचितम्।मृतं तुयाचितं भिक्षं
प्रमृतं कर्षणं समृतम् ॥५॥ सत्यानृतं तु वाणिज्यं तेन चैवापि
जीव्यते । सेवा श्ववृत्तिराख्याता तस्मात्तां परिवर्जयेत् ॥६॥

अर्थ-उज्झ और शिल को ऋत, न मांगने की वृत्ति को अमृत और मांगी हुई भिक्षा को मृत तथा कृषि को प्रमृत जानना चाहिये ॥५॥ इन से या सत्यानृत=वाणिज्यवृत्ति से जीवे । और सेवा कुत्ते की वृत्ति कही है इस से उसे वर्जित करे ॥ ६ ॥

कुशूलधान्यकोवा स्यात्कुम्भीधान्यकएववा। त्र्यहैहिकीवापि
भवेदरवस्तनिकएव वा ॥७॥ चतुर्णामपि चैतेषां द्विजानां गृह-
संधिनाम् । ज्यायानपरः परोज्ञेयो धर्मतोलीकजित्तमः ॥ ८ ॥

अर्थ—कोठार में धान्य का सञ्चय करने वाला हो, वा घड़े भर अन्न सञ्चय वाला हो, या दिनत्रय के निर्वाहमात्र का सञ्चय करने वाला हो, या कल को भी न रखने वाला हो ॥ (७ वें के आगे ३० में से केवल एक पुस्तक में यह श्लोक अधिक पाया जाता है—

सद्यः प्रक्षालिको वा स्यान्माससञ्चयिकोपि वा ।

षण्मासनिचयोवापि समानिचय एव वा ॥ ९ ॥

अर्थात्—तुरन्त हाथ धो डालने वाला, वा एक मास वा छः मास वा १ वर्षके लिये धान्यादि सञ्चय करने वाला होवे ॥ ९ ॥

यद्यार्थ में मनु के लेखानुसार गुण कर्म स्वभावयुक्त ब्राह्मण हों और तदनुसार ही उन की जीविका का भार क्षत्रिय वैश्यों पर रहे तो संचय की ब्राह्मणों की कुछ आवश्यकता नहीं है) ॥ ७ ॥ उन चार गृहस्थ द्विजों में एक से दूसरा, फिर तीसरा, इस क्रम से श्रेष्ठ (अर्थात् जितना जिस के कम संग्रह हो उतना वह श्रेष्ठ है) धर्म से लोक का अत्यन्त जीतने वाला समझना चाहिये ॥ ८ ॥

षट्कर्मैकीभवत्येषां त्रिभिरन्यः प्रवर्त्तते। द्वाभ्यामेकश्चतुर्थस्तु
ब्रह्मसन्नेन जीवति ॥ ९ ॥ वर्त्तयंश्च शिलोञ्छाभ्यामग्निहोत्र
परायणः । इष्टीः पार्यायनान्तीयाः केवलानिर्वपेत्सदा ॥ १० ॥

अर्थ—इन में कोई गृहस्थ षट्कर्मों से जीता है (ऋत, अयाचित, भिक्षा कृषि, वाणिज्य और कुसीद से) और कोई तीन कर्मों से जीता है (याजन, अध्यापन, प्रतिग्रह) और कोई दो (याजन और अध्यापन) से और कोई एक (पहाने) ही से ॥ ९ ॥ शिलोञ्छों से जीवन करता हुआ केवल सदा अग्निहोत्र और पर्व तथा अघन के अन्त में इष्टि= यज्ञ करे ॥ १० ॥

न लोकवृत्तं वर्त्तत वृत्तिहेतोः कथञ्चन । अजिह्यामशठां शुद्धां
जीवेद्ब्राह्मणजीविकाम् ॥ ११ ॥ संतोषं परमास्थायसुखार्थी
संयतो भवेत् । संतोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं विप्रययः ॥ १२ ॥

अर्थ—जीविका के लोकवृत्त (नाटकादि) कभी न करे, किन्तु असत्य और दम्भादि से रहित पवित्र जीविका, जो कि ब्राह्मण को कही है, करे ॥ ११ ॥ सुखार्थी संतोष से रहकर स्वस्थचित्त रहे, क्योंकि संतोष ही सुख का कारण है और उठला दुःख का हेतु है ॥ १२ ॥

अतोऽन्यतमया वृत्त्या जीवंस्तु स्नातको द्विजः । स्वर्ग्यायुष्य
यशस्यानि व्रतानीमानि धारयेत् ॥ १३ ॥ वेदोदितं स्वकं कर्म
नित्यंकुर्यादतन्द्रितः । तद्विकुर्वन्न्यथाशक्तिमाप्नोति परमां गतिम्

अर्थ—इन में कोई भी वृत्ति से निर्वाह करता हुआ स्नातक द्विज, स्वर्ग
आयु और यश देने वाले इन व्रतों का धारण करे— ॥ १३ ॥ अपना वेदोक्त
कर्म नित्य आलस्यरहित होकर यथाशक्ति करे क्योंकि उस को करता हुआ
निश्चय परम गति (मोक्ष) को प्राप्त होता है ॥ १४ ॥

नेहेतार्थान्प्रसंगेन न विरुद्धेन कर्मणा । न विद्यमानेष्वर्थेषु
नार्थामपि यतस्ततः ॥ १५ ॥ इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत
कामतः । अतिप्रसक्तिं चैतेषां मनसा संनिवर्त्तयेत् ॥ १६ ॥

अर्थ—गाने बजाने आदि से शास्त्र विरुद्ध किसी कर्म से द्रव्योपार्जन न
करे । द्रव्य होने पर भी न करे और कष्ट में भी इधर उधर से (पतितों)
द्रव्यों का उपार्जन न करे ॥ (ए प्राचीन लिखित पुस्तकों में उत्तरार्थ इस
प्रकार है कि—न कल्पमानेष्वर्थेषु नान्त्यादपि यतस्ततः) ॥ १५ ॥ संपूर्ण
इन्द्रियों के अर्थों (शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध) में इच्छा से न फंसे । इन की
बहुत आसक्तिकी मन से हटा देवे (सेधातिथि के भाष्य में—सन्निवर्त्तयेत्=
सन्निवेशयेत् पाठ है) ॥ १६ ॥

सर्वान्परित्यजेदर्थान्स्वार्थाध्यायस्य विरोधिनः । यथा तथा ध्याप-
यंस्तु साहायस्य कृतकृत्यता ॥ १७ ॥ वयसः कर्मणोऽर्थस्य श्रुत-
स्याभिजलस्य च । वेषवाग्बुद्धिसारूप्यमाचरन्विचरेदिह ॥ १८ ॥

अर्थ—वेदाध्ययन के विरोधी जितने अर्थ हैं, सब को छोड़े देवे । जैसे
बने जैसे वेदाध्ययन से निर्वाह करे, यही उसकी कृतकृत्यता है ॥ १७ ॥ आयु
क्रिया, धन, विद्या और कुल, इन के अनुरूप वेव वाणी और समस्त आच-
रण करता हुआ इस जगत में रहे ॥ १८ ॥

बुद्धिवृद्धिकराण्यांश्च धन्यानि च हितानि च । नित्यं शास्त्राण्य
वेक्षेत निगमांश्चैव वैदिकान् ॥ १९ ॥ यथायथा हि पुरुषः शास्त्रं
समाधिगच्छति । तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते २०

अर्थ—शं अ बुद्धि के बढ़ाने वाले धन के सञ्चय कराने वाले और शरीर को सुख देने वाले, शास्त्रों को और वेद के अर्थ जताने वाले शास्त्रों को भी नित्य देखे ॥ १९ ॥ जैसे २ मनुष्य अच्छे प्रकार शास्त्र का अभ्यास करता है, वैसे ३ शास्त्र को जानता जाता है और इसको विज्ञान रचता जाता है ॥

(१० में से १ पुस्तक में यह श्लोक अधिक पाया जाता है कि:-

शास्त्रस्य पारङ्गत्वा तु भूयोभूयस्तदभ्यसेत् ।

तच्छास्त्रं शक्यं कुर्यान्न चाधीत्य त्यजेत्पुनः ॥ १ ॥

अर्थात् शास्त्रके पार को प्राप्त होकर भी वार २ अभ्यास करता रहे । उस शास्त्र को उज्वल करे, न कि पढ़ कर फिर छोड़ दे) ॥ २० ॥

ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा । नृयज्ञं पितृयज्ञं च
यथाशक्ति न हापयेत् ॥२१॥ एतानेके महायज्ञान्यज्ञशास्त्र-
विदो जनाः । अनीहमानाः सततमिन्द्रियेष्वेव जुह्वति ॥२२॥

अर्थ—स्वाध्यायादि पञ्चयज्ञों की यथाशक्ति कभी न छोड़े ॥ २१ ॥ कोई यज्ञशास्त्र के जानने वाले पुरुष इन पञ्च महायज्ञों को (ब्रह्मयज्ञ के अभ्यास से) वाच्य चेष्टा से निरन्तर रहित हुए पञ्चज्ञानेन्द्रियों में ही संयम करते हैं ॥२२॥

वाच्येके जुह्वति प्राणं प्राणे वाचं च सर्वदा । वाचि प्राणे च
पश्यन्तोयज्ञनिर्वृतिमक्षयाम् ॥२३॥ ज्ञानेनैवापरेविप्रायजन्त्ये
तैर्मखैःसदा । ज्ञानमूलांक्रियामेषां पश्यन्तोज्ञानचक्षुषा ॥२४॥

अर्थ—कोई वाणी का प्राण में और प्राण का वाणी में हवन करते हैं और इन्हीं में यज्ञ की अक्षय फलसिद्धि देखते हैं (अर्थात् प्राणायाम और मीन धारण करते हैं) ॥ २३ ॥ ज्ञानचक्षु से इन क्रियाओं को ज्ञानमूलक जानने वाले दूसरे विप्र इन यज्ञों को ज्ञान से ही करते हैं ॥ २४ ॥

अग्निहोत्रं च जुहुयादाद्यन्ते द्युनिशोः सदा ।

दर्शनं चार्धमासान्ते पौर्णमासेन चैव हि ॥ २५ ॥

“सस्यान्ते नवसस्येष्टया तथर्त्वंन्ते द्विजोऽध्वरैः ।

पशुना त्वयनस्यादौ समान्ते सौमिकैर्मखैः ॥२६॥”

अर्थ—दिन और रात्रि के आदि में नित्य अग्निहोत्र करे और अर्धमास के अन्तमें अमावास्या और पूर्णिमा संक्रमणःदर्शयेत् और पौर्णमास यजनकरे ॥२५॥ नवीन अन्न की उत्पत्ति में नवीन धान्य से नवसस्येष्टि करे, ऋतुओं के अन्त में अध्वर याग करे और अयन के आदि में पशु से याग करे और वर्ष के अन्त में सोमयाग करे ॥ मेघातिथि के भाष्य में पाठभेद भी है—पशुना ह्ययनस्वादौ । इस से भी यह नवीन प्रक्षेप संशयित होता है ॥२६॥

“नानिष्ट्वा नवसस्येष्ट्या पशुनाचारित्तमान्द्विजः । नवान्नमद्यान्मांसं
या दीर्घमायुर्जिजीविषुः ॥ २७॥ नवेनाऽनर्चिता ह्यस्य पशुहव्येन
चाग्नयः । प्राणानेवाऽतुमिच्छन्ति नवान्नामिपगर्हिनः ॥ २८ ॥ ”

“अर्थ—अग्निहोत्री ब्राह्मणादि दीर्घआयु की इच्छा करनेवाला नवीन अन्न से इष्टि किये बिना नवान्न भक्षण न करे और पशुयाग किये बिना मांस भक्षण न करे ॥२७॥ नवीन अन्न और पशु से यजन किये बिना अग्नि इनके प्राणों को खाने की इच्छा करते हैं, क्योंकि अग्नि नवीन अन्न और मांस के अत्यन्त अभिलाष वाले हैं ॥” (इस प्रसङ्ग में पशुयाग का अर्थ पशु के घृतादि से यज्ञार्थ लेकर कोई लोग २६ वें का समाधान करते हैं, परन्तु आगे २७ वें के अर्थवाद में मांस को वर्णन आने से स्पष्ट ज्ञान पड़ता है कि यह लीला हिंसकों की है । यज्ञ देवकार्य है और मनु एकादशाध्याय में मांस को देवभोजन नहीं, किन्तु राक्षसी वा पैशाच भोजन कहेंगे । इस लिये यह श्लोक हमारी सम्मति में मनु के विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है) ॥२८॥

आसनाशनशय्याभिरद्भिर्मूलफलेन वानास्य कश्चिद्भुसेद्गृहे
शक्तितोऽनर्चितोऽतिथिः ॥२९॥ पाषण्डिनोविकर्मस्थान्वैडाल
व्रतिकाञ्छठान्।हेतुकान्वकवृत्तींश्चवाङ्मनात्रेणापिनार्चयेत्३०

अर्थ—आसन भोजन शय्या जल मूल वा फल से यथाशक्ति विना पूजन किया कोई अतिथि इस (गृहस्थ) के घर में न रहे ॥२९॥ परन्तु पाखण्डी और निषिद्ध कर्म करने वालों, विहासव्रत वालों, शठों, वेद से अद्वान रखने वालों और अकृषि वालों की ब्राह्मीमात्र से भी न पूजे ॥ ३० ॥
वेदविद्याव्रतस्नाताऽश्रोत्रियान्गृहमेधिनः।पूजयेद्व्यकव्येन

विपरीतांश्च वर्जयेत् ॥३१॥ शक्तितोऽपचमानेभ्यो दातव्यं
गृहमेधिना । संविभागश्च भूतेभ्यः कर्तव्योऽनुपरीधतः ॥३२॥

अर्थ—वेदविद्या की समाप्ति करने वाले और व्रत को सम्पूर्ण करने वाले
तथा श्रोत्रिय गृहस्थों को हठय कव्य से पूजित करे और इन से विपरीतों को
नहीं ॥३१॥ गृहस्थ यथाशक्ति पाक न करने वाले (संन्यासी वा ब्रह्मचारी)
को भिक्षा देवे और सम्पूर्ण जीवों को विना रुकावट के जलादिभाग देवे ॥३२॥

राजतो धनमन्विच्छेत्संसीदन्स्नातकः क्षुधायाज्यान्तेवासि-
नोर्वापि न त्वन्यत इति स्थितिः ॥३३॥ न सीदित्स्नातकी विप्रः
क्षुधाऽशक्तः कथंचन न जीर्णमलवद्वासा भवेच्च विभवे सति ॥३४॥

अर्थ क्षुधा से पीड़ित स्नातक राजा से और यजमान वा शिष्य से द्रव्य
की इच्छा करे, अन्य से न मांगे । इस प्रकार की शास्त्र मर्यादा है ॥३३॥
स्नातक ब्राह्मण क्षुधा से पीड़ित कभी न रहे और धन पास होने पर
पुराना मैला वस्त्र न रखे ॥ ३४ ॥

कृष्णकेशनखश्रुदान्तःशुक्राम्बरः शुचिस्वाध्याये चैव युक्तः
स्यान्नित्यमात्महितेषु च ॥३५॥ वैणवीं धारयेद्यष्टिं सोदकं
च कमण्डलुम् । यज्ञोपवीतं वेदं च शुभे रौक्मे च कुण्डले ॥३६॥

अर्थ—केश, नख, दाढ़ी मुँहासे हुवे (ऐसी हजामत बनवाया करे)
और इन्द्रियों का दमन करने वाला, श्वेतवस्त्रधारी और पवित्र रहे और
नित्य वेद पाठ तथा आत्मा का हित किया करे ॥ (यह प्राचीन कालीन रहन
सहन (एटीकेट) है, जो मनु ने अपने समय में नियमबद्ध किया था । इस में
से जो २ घातें धर्मोऽधर्म में कारण हैं, वे वे प्राच्य अग्राच्य हैं । शेष देशकाल
की रीति नीति मात्र थी जो बहुत सी अब आवश्यक नहीं रहीं) ॥ ३५ ॥
बांस की छड़ी, जल भरा लोटा, यज्ञोपवीत, वेदपुस्तक और अच्छे सोने के
दो कुण्डल धारण करे ॥ ३६ ॥

नेक्षेतोद्यन्तमादित्यं नास्तं यान्तं कदाचन । नोपसृष्टं न
वारिरुथं न मध्यं न भसोगतम् ॥३७॥ न लङ्घयेद्दत्सतन्त्रीं न प्रधा
वेच्च वर्षति । न चोदके निरीक्षेत स्वं रूपमिति धारणा ॥३८॥

अर्थ-उदय और अस्त होते हुवे सूर्यको कभी न देखे, ग्रहों से मिलने पर और जल में सूर्य का प्रतिबिम्ब और बीच आकाश में भी सूर्य को न देखे (इस से दृष्टि की हानि होती है) ॥३७॥ और बछड़े के अंधे होते उस के रस्ते को न लांचे, पानी बरबते में न दौड़े, अपना स्वरूप पानी में न देखे ऐसा नियम है ॥३८॥

मृदंगां दैवतं विप्रं घृतं मधुचतुष्पथम् । प्रदक्षिणानि कुर्वीत
प्रज्ञातांश्रवनस्पतीन् ॥ ३९ ॥ नोपगच्छेत्प्रमत्तोऽपि स्त्रिय-
मार्तवदर्शने । समानशयने चैव न शयीत तथा सह ॥ ४० ॥

अर्थ-मिट्टी के टीलों, गौवों, यज्ञशालाओं, ब्राह्मणों, घृत और मधु के समूहों, चीराहों, और बड़े प्रसिद्धर वनस्पतियों को दक्षिण ओर करके जावे ॥ ३९॥ कामार्त्त पुरुष भी रजस्वला स्त्री के पास न जावे और उसके साथ बराबर विछौने पर भी न सोवे ॥ ४० ॥

रजसाभिलुप्तां नारीं न रस्थ ह्युपगच्छतः । प्रज्ञा तेजो बलं
चक्षुरायुश्चैव प्रहीयते ॥ ४१ ॥ तां विवर्जयतस्तस्य रजसां
समभिप्लुताम् प्रज्ञा तेजो बलं चक्षुरायुश्चैव प्रवर्धते ॥ ४२ ॥

अर्थ-रजस्वला स्त्री के पास जाने वाले पुरुष की प्रज्ञा तेज, बल, आंख, तथा आयु नष्ट होती है ॥ ४१ ॥ उसी (रजस्वला) के पास न जाने वाले की प्रज्ञा, तेज, बल, आंख की दृष्टि और आयु बढ़ती है (४ पुस्तकों में- प्रज्ञा लक्ष्मीर्यशश्चक्षुः पाठ है) ॥ ४२ ॥

नाश्रीवाद्धार्यथासार्धनैनामीक्षेत चारुनतीम् । क्षवतीं जुम्भमा-
णां वा न चासीनां यथासुखम् ४३ नाज्जयन्तीं स्वकेनेत्वे न चाभ्य-
क्तामनावृताम् । न पश्येत्प्रसवन्तीं च तेजस्कां भोद्विजोत्तमः ४४

अर्थ-तेज चाहने वाला भार्या के साथ भोजन न करे, इस को भोजन करते हुए भी न देखे तथा खींकती, जभाई लेती हुई और अशराम से बैठी हुई को भी न देखे (इस से लज्जाभङ्ग का भय है) ॥ ४३॥ अपने नेत्रों में अङ्गुन करती हुई, बिना कपड़ों नङ्गी, तैलादि लगाती हुई, बच्चा जन्मती हुई को तेज की इच्छा करने वाला ब्राह्मणादि न देखे ॥ (चार पुस्तकों

और रामचन्द्र के टीके में ४४ से आगे यह श्लोक अधिक पाया जाता है:-

उपेत्य स्नातको विद्वान्निक्षेत्रगनां परस्त्रियम् ।

स्तरहस्यं च सञ्वादं परस्त्रीषु विवर्जयेत् ॥

अर्थात् स्नातक विद्वान् परसई नग्न स्त्री के समीप न जावे और न देखे और पर स्त्रियों में एकान्त संवाद वर्जित करे) ॥ ४४ ॥

नान्नमद्यादिकवासा न नग्ने स्नानमाचरेत् । नभूतं पथिकुर्वीत
न भस्मनि न गोव्रजे ॥४५॥ न फालकृष्टे न जले न चित्यां
न च पर्वते । न जीर्णदेवायतने न बल्मीके कदाचन ॥४६॥

अर्थ-एक वस्त्र पहनकर भोजन न करे, नङ्गा स्नान न करे, मार्ग में, गौ के खरक में, ॥ ४५ ॥ खेत तथा जल में चिता और पर्वत में, पुराने टूटे देव स्थान-यज्ञशाला में और बस्ती में कभी सूत्र न करे ॥ ४६ ॥

न ससत्त्वेषु गर्तेषु न गच्छन्नापि च स्थितः । न नदीतीरमासाद्य
न च पर्वतमस्तके ॥४७॥ वाय्वग्निविप्रमादित्यमपः पश्यंस्त-
थैव गाः । न कदाचन कुर्वीत विष्मूत्रस्य विसर्जनम् ॥४८॥

अर्थ-रहते हुवे जानवरों के बिलों में, चलते हुवे, खड़े हुवे, नदी के किनारे, पर्वत की चोटी पर, ॥ ४७ ॥ वायु, अग्नि, विप्र, सूर्य, जल और गौवों को देखता हुआ कभी मल सूत्र त्याग न करे ॥ ४८ ॥

तिरस्कृत्योच्चरेत्काष्ठलोष्टपत्रतृणादिना । नियम्य प्रयतोवाचं
संवीताङ्गीऽवगुण्ठितः ॥४९॥ सूत्रोच्चारसमुत्सर्गं दिवा कुर्यादु-
दङ्मुखः । दक्षिणाभिमुखो रात्रौ संध्ययोश्च यथा दिवा ॥५०॥

अर्थ-लकड़ी, ढेला, पत्ता, घासआदि से छिपकर दिशाफिरे, बोले नहीं, शरीर पर कपड़ा ओढ़ लेवे और गठकर बैठे ॥४९॥ दिन और दोनों संध्याओं में उत्तर की ओर मुख करके और रातको दक्षिण मुख होकर मलसूत्र त्याग किया करे ॥५०॥

छायायामन्धकारे वा रात्रावहनिवा द्विजः । यथासुखमुखः कु-
र्यात्प्राणवाधाभयेषु च ॥५१॥ प्रत्यग्निं प्रतिसूर्यं च प्रतिसोमोद-
कद्विजान् । प्रतिगां प्रतिवातं च प्रज्ञा नश्यति जेहतः ॥५२॥

अर्थ—खाया, अन्धकार, रात्रि वा दिन में (जिस में दिशा का ज्ञान न हो) वा (व्याघ्रादिकों से) प्राण के भय में जैसे चाहे वैसे मुख करके मल मूत्र त्यागले ॥५१॥ अग्नि, सूर्य, चन्द्र, जल, ब्राह्मणादि, गौ और वायु इन के सम्मुख सूत्र करने वाले की बुद्धि नष्ट होती है ॥ ५२ ॥

(जैसे स्वच्छ वस्त्र पर थोड़ी भी मलिनता बहुत प्रतीत होती है, वा अतिस्वच्छ वस्त्र धारण करने वाले थोड़ा भी छीटा पड़ जाने से वस्त्र को मलिन और न पहरने योग्य समझते हैं, परन्तु साधारण लोग उतने सैले वस्त्रादि को मैला ही नहीं समझते । इसी प्रकार धर्मशास्त्र के अनुसार चलने वाले लोगों को ही उस के विपरीत चलने की हानि वा ग्लानि प्रतीत हो सकती है, सब को नहीं । और जो लोग जिस प्रकार से सदा सहन करते हैं उस से नई वा विरुद्ध वा भिन्न रीति से करने में उन्हें ही कष्ट होता है । अन्यो को नहीं । जैसे अंग्रेजी पाठ (पाखाने) में इस देश वालों को कष्ट होता है । मल मूत्रादि करने में जहांशकिसी की कोई भी हानि हो वर्धा र न करे, जो र स्थान वा ठहरे धर्मशास्त्र में यहां बतलाये हैं, वे उपलक्षणभाव हैं । इस से अन्यत्र भी हानि देखे तौ न करे । और इन स्थानों में भी करने से लाभ और न करने से हानि हो तौ, इस मर्यादा को चाहे न माने । यही विचार ५१ वें श्लोक का मुख्य करके है । ब्राह्मणादि के सामने मूत्रादि करने से जुन का अपमान और अपने में धृष्टतादि दोषोत्पत्ति, तथा वायु आदि की परीक्षा करते, एक काल में दो कामों के करने से विघ्न और शीघ्र का ठीक र न होना, बवासीर और मूत्ररुच्छादि रोगों की वृद्धि संभव है । इत्यादि स्वयं विचारते रहना चाहिये) ॥ ५२ ॥

नाग्निं मुखेनोपधमेन्नग्निनेक्षेत च स्त्रियमूनामधयंप्रक्षिपेदग्नौ
न च पादौ प्रतापयेत् ॥५३॥ अधस्ताब्जोपदध्याञ्च नचैनम-
भिलङ्घयेत् । नचैनं पादतः कुर्यान्न प्राणाबाधमाचरेत् ॥५४॥

अर्थ—आग को मुख से न फूँके और नझी खी को न देखे, मल मूत्र आग में न डाले और पैरों को आग पर न तपावे ॥५३॥ (चारपाई आदिके) नीचे आग न घरे और इस (आग) को न लांचे और पैरों को आग पर न रक्खे और जीवों को पीड़ा होने वाला कर्म न करे ॥ ५४ ॥

नाश्लीयात्संधिवेलाशानगच्छेज्जापिसंविशेत् नचैवप्रलिक्षेद्

भूमिनात्मनोपहरेत्स्वजम् ॥५५॥ नाप्सुभूत्रंपुरीषं वा ष्ठीवनं वा
समुत्सृजेत् ॥ अमेध्यलिप्तमन्यद्वालीहितं वा विषाणिवा ॥५६॥

अर्थ—संध्याकाल में भोजन, शयन, यात्रा न करे और न मूमि पर लकीर
खींचे और पहनी हुई माला को न निकाले ॥५५॥ सूत्र, मल, धूक वा मल-
सूत्रयुक्तवस्तु, रक्त और विष और जल में न डाले ॥ ५६ ॥

नैकः स्वपेच्छून्यगेहे श्रेयांसं न प्रबोधयेत् ॥ नोदक्यथाभिभाषेत
यज्ञंगच्छेन्नचाऽवृतः ॥५७॥ अग्न्यागारे गर्वा गोष्ठे ब्राह्मणानां
च सन्निधौ ॥ स्वाध्याये भोजने चैव दक्षिणं पाणिमुदरेत् ॥५८॥

अर्थ—सूने सकान में अकेला न सोवे, अपने से बड़े को (सोते हुवे) न
अगावे, रजस्वला से न बोले और विना वरण किये यज्ञ में न जावे ॥

(५७ वें के आगे ३ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक है:—

एकः स्वादु न भुञ्जीत स्वार्थमेकोन चिन्तयेत् ।

एकोन गच्छेदध्वानं नैकः सुप्तेषु जागृयात् ॥१॥

अर्थात् अकेला स्वादुपदार्थ न खावे, न अकेला स्वार्थकी चिन्ता करे ॥ अकेला
दीर्घयात्रा न करे, सब के सोते हुवे अकेला न जागे ॥५७ यज्ञशाला गोशाला
तथा ब्राह्मणोंके समीप, वेद के पढ़ने और भोजनमें दहिना हाथ चढावे ॥५८॥

नवारयेद्गां धयन्तीं न चाचक्षीतकस्यचित् । नदिवीन्द्रायुधं

दृष्ट्वा कस्यचिद्दर्शयेद्बुधः ॥५९॥ नाधार्मिकेवसेद्ग्रामेनव्या-

धिबहुलेभृशम् । नैकः प्रपद्येताध्वानं न चिरं पर्वतेवसेत् ॥६०॥

अर्थ—(जल) पीती गाय को न हांके और न दूसरे को बतवावे, आकाश
में इन्द्रधनुष देख कर किसी को न दिखावे (आंख की हानि है) ॥ ५९ ॥

अधर्मी यात्र और जहां बहुत बीमारी हो वहां न रहे, अकेला मार्ग न
चले और पर्वत पर बहुत काल निवास न करे ॥ ६० ॥

नशूद्रराज्ये निवसेन्नाधार्मिकजनावृते । नपाण्डिभयाक्रा-

न्तेनोपसृष्टेऽन्त्यजैर्दुर्भिः ॥६१॥ नमुञ्जीतीहृष्यत्स्वैहं नातिसौहि-

त्यमाचरेत् ॥ नातिप्रमे नातिसायं न सायं प्रातराशितः ॥६२॥

अर्थ-शूद्रों के राज्य में निवास न करे, अधार्मिक पुरुषों से घरे हुवे और पाषण्डियों के वास किये हुवे तथा चाण्डालों से भरे हुवे देश में भी न बसे ॥६१॥ जिसकी चिकनाई निकाल ली हो उसको न खावे (जैसे खल) । अतिवृष्टि न करे, उदय तथा अस्तकाल के समीप भोजन न करे, प्रातःकाल अतिवृष्टि हुआ सायंकाल में भोजन न करे ॥ ६२ ॥

न कुर्वीत वृथा चेष्टान्वार्यञ्जलिनापिवेत् नोत्सङ्गे भक्षयेद्द्रव्या-
न्न जातु स्यात्कुतूहली ॥६३॥ न नृत्येदथवा गायेन्न वादित्राणि
वादयेत् । नास्फोटयेन्न च क्ष्वेडेन्न च रक्तो विरावयेत् ॥६४॥

अर्थ-निष्फल कर्म न करे, अञ्जली से पानी न पीवे । (मोदकादि)
भक्ष्य को गोद में रख कर भोजन न करे और कभी व्यर्थ बातें न करे ॥ ६३ ॥
न नाचे, न गान करे, बाजों को न बजावे, और ताली न बजावे और तुतलाकर
न बोले और बहुत प्रसन्न होकर (गधे का सा) कुशब्द न करे ॥ ६४ ॥

न पादौ धावयेत्क्रांथेकदाचिदपि भाजनेन भिन्नभाण्डेभु-
ञ्जीत न भावप्रतिदूषिते ॥६५॥ उपानहौ च वासश्च घृतमन्यैर्न
धारयेत् । उपवीतमलङ्कारं स्रजं करकमेव च ॥ ६६ ॥

अर्थ-कांसे के बर्तन में कभी पैर न धुवाये, फूटे बर्तन में भोजन न करे
और विरोध वाले के घर भोजन न करे ॥ ६५ ॥ जूता, कपड़ा यज्ञो-
पवीत, अलङ्कार, पुष्पमाला और कमण्डलु दूसरे के ओढ़े पहरे वर्त्ते हुवे
धारण न करे ॥ ६६ ॥

नाविनीतैर्ब्रजेदुर्धनचक्षुद्वयाधिपीडितैः । न भिन्नशृङ्गाक्षिखुरै-
र्न बालाधिविरूपितैः ॥ ६७ ॥ विनीतैस्तु ब्रजेन्नित्यमाशुगैर्ल-
क्षणान्वितैः । वर्णरूपीपसपन्नैः प्रतोदेनातुदन्भृशम् ॥ ६८ ॥

अर्थ-अशिक्षित, क्षुधा व्याधि से पीडित, तथा सींग आंख और
खुर से खरिहत घोड़ों वा बैलों की सवारी न करे । लांछे बैलों से यात्रा न
करे ॥ ६७ ॥ किन्तु शिक्षित तथा अच्छे प्रकार शीघ्र चलने वाले शुभलक्षण
युक्त, वर्णरूप सहित (अश्वादि से) प्रतोद (कोड़े) से निरन्तर न चुभाता
हुआ यात्रा करे ॥ ६८ ॥

बालात्पःप्रेतधूमोवर्ज्यंभिन्नंतथासनमानच्छिन्त्यान्नखलोमानि
दन्तैर्नीत्पाठयेन्नखान् । ६८॥ नमृत्पृष्ठंमृदनीयात्क्षिच्छिन्त्यात्क-
रजैस्तृणम् । न कर्म निष्फलं कुर्यान्नायत्थामसुखोदयम् ॥ ७० ॥

अर्थ—उदयकाल का घाम और जलते सुई का धुआं और टूटा आसन
त्याज्य हैं और रोम वानखोंको न उखाड़े तथा दांतोंसे नखों को न उपाड़े
(दो पुस्तकों में ६९ वें के बीच में यह अर्थ श्लोक अधिक पाया जाता है:—

(श्रीकामोवर्जयेन्नित्यं मृण्मयेचैव भोजनम् ।)

अर्थात् शोभा का इच्छुक सिही के पात्र में न खाया करे) ॥ ६९ ॥ सिहीके
हेले को न मसला करे और नखों से तृणों को न काटा करे और व्यर्थकाम
न करे और आगामी काल में दुःख का देने वाला काम न करे ॥ ७० ॥

लोष्टमर्दीत्तृणच्छेदी नखखादी च योनरः । सविनाशं व्रजत्याशु
सूचकीऽशुचिरेव च ॥ ७१ ॥ न विगर्हाकथां कुर्याद् बहिर्भाल्यं
न धारयेत् । गवां च यानं पृष्टेन सर्वथैव विगर्हितम् ॥ ७२ ॥

अर्थ—हेलेका मसलने वाला, तृणका छेदने वाला और नखोंके खरानेके
अभयास-वाला मनुष्य शीघ्र नाश को प्राप्त होजाता है और सुगलखोरतथा
अपवित्र भी ॥ ७१ ॥ उद्वेगता से बात न करे, भाला को बाहर धारण न
करे और बैल की पीठ पर सवारी न करे, यह सर्वथा ही निन्दित है ॥ ७२ ॥

अद्वारेण च नातीयाद् ग्रामं वा वेश्म वा वृतमूरात्रौ च वृक्षमू-
लानि दूरतः परिवर्जयेत् ॥ ७३ ॥ नाक्षैः क्रीडित्कदाचित्तु स्वयं नी-
पानहौ हरेत् । शयनस्थो न भुञ्जीत न पाणिरथं न चासने ॥ ७४ ॥

अर्थ—घिरे हुवे नगर या मकान में विना दरवाजे के न जावे
(अर्थात् दरवाजे से जावे, दीवार कूद कर न जावे) और रात को वृक्ष के
नीचे न रहे ॥ ७३ ॥ कभी जुवा न खेले, अपने जूतों को हाथ से उठा कर
न चले, शय्या पर वा हाथ में लेकर वा आसन पर रख कर न (किन्तु
पात्र में रख कर) खावे ॥ ७४ ॥

सर्वं च तिलसंबद्धं नाद्यादस्तमिते रवौ । न च नग्नः शयीतेह

नचोच्छिष्टः क्वचिद्ब्रजेत् ॥ ७५ ॥ आर्द्रपादस्तु भुञ्जीत नार्द्रपादस्तु
संविशेत् । आर्द्रपादस्तु भुञ्जानो दीर्घमायुरवाप्नुयात् ॥ ७६ ॥

अर्थ—सूर्य के अस्त होने पर तिलयुक्त सब पदार्थों का भोजन न करे
और नंगा न सोवे और झूठे झुंड कहीं न जाये ॥ ७५ ॥ गीले पैर भोजन
करे किन्तु गीले पैर सोवे नहीं । क्योंकि गीले पैर भोजन करने वाला
दीर्घायु पाता है ॥ ७६ ॥

अचक्षुर्विषयं दुर्गं न प्रपद्येत कर्हिचित् । न विण्मूत्रमुदीक्षेत
न बाहुभ्यां नदीं तरेत् ॥ ७७ ॥ अधितिष्ठेन्न केशांस्तु न भस्मास्थि
कपालिकाः । न कार्पासास्थि न तुषान्दीर्घमायुर्जिजीविषुः ७८

अर्थ—आंखों से जो दुर्ग नहीं देखा वहाँ कभी न जावे और मलमूत्र को
न देखे और बाहु से नदी को न तरे ॥ ७७ ॥ बहुतदिन जीने की इच्छा वाला
केश भस्म हड्डी खपरों के टुकड़े कपास की सींग और भूसे पर न बैठे ॥ ७८ ॥

न संवसेच्च पतितैर्न चण्डालैर्न पुण्ड्रकैः ।

न भूर्खैर्नावलिप्रैश्च नान्त्यैर्नान्त्यावसायिभिः ॥ ७९ ॥

अर्थ—पतितों के साथ न रहे । चण्डालों के साथ तथा निषाद से शूद्रा
में उत्पन्न हुवे पुण्ड्रकों के साथ भी न बसे और भूर्ख तथा धनगर्वित और
अन्त्यज और निषादस्त्री में चण्डाल से उत्पन्न हुवों के साथ भी न बसे ॥

(७९ वें से आगे यह श्लोक १ पुस्तक में अधिक पाया जाता है कि:-

[न कृतघ्नैरनुद्युक्तैर्न महापातकान्वितैः ।

न दस्युभिर्नाशुचिभिर्नाऽमित्रैश्च कदाचन ॥]

अर्थात् कृतघ्न, आलसी, उद्योगहीन, महापातकी, दस्यु, अपवित्र और
शत्रुओं के साथ कभी वास न करे) ॥ ७९ ॥

“न शूद्राय मतिं दद्यान्नोच्छिष्टं न हविष्कृतम् ।

न चास्पोपदिशेद्दुर्गं न चास्थ्यं व्रतमादिशेत् ॥ ८० ॥”

‘शूद्र की बुद्धि और उच्छिष्ट और हविष्कृत अर्थात् होमशेष का भाग
न दे । और उस को धर्म उपदेश न करे और व्रत भी न बतावे ॥ (एक
पुस्तक में अर्थ श्लोक अधिक है कि:-

[अन्तरा ब्राह्मणं कृत्वा प्रायश्चित्तं समादिशेत् ।

अर्थात् शूद्र को प्रायश्चित्त बताना ही तो ब्राह्मण को बीच में करले ॥८०॥

“यो ह्यस्य धर्ममाचष्टे यश्चैवादिशति व्रतम् ।

सोऽसंवृतं नाम तमः सह तेनैव मज्जति ॥ ८१ ॥”

न संहताभ्यां पाणिभ्यां कण्डूयेदात्मनः शिरः ।

न स्पृशेच्चैतदुच्छिष्टेन च स्नायाद्विना ततः । ८२ ॥

“अर्थ—जो इस (शूद्र) को धर्मोपदेश और प्रायश्चित्त का उपदेश करे वह उस शूद्र के साथ “असंवृताख्य” बड़े अन्धकार वाले नरक में गिरता है ॥ ” (दशमाध्याय १२६ । १२८ में शूद्र के विषय में (न धर्मात्प्रतिषेधनम् । धर्मेऽसवस्तु धर्मज्ञाः सतां वृत्तमनुष्ठिताः) कहा है, जिस से शूद्रों का भी धर्मात्मा धर्मज्ञ सदाव्ययी होता पाया जाता है । और बिना उपदेश धर्म ज्ञान असम्भव है । इस लिये ये ८० । ८१ श्लोक किसी शूद्रद्वेषी के मिलाये प्रतीत होते हैं, जो कि उक्त दशमाध्याय से विरुद्ध हैं और आगे ११ नरक श्लोक ८८ । ८९ । ९० में गिनाये हैं, उन में “असंवृत” नाम का कोई नरक भी नहीं है और इसी के समीप उक्त १॥ श्लोक सब पुस्तकों में नहीं है । इस से भी प्रक्षिप्तताका संशय होता है) ॥८१॥ दोनों हाथोंसे एक साथ अपना शिर न खुजावे और झूठे हाथों से शिर को न छुवे और बिना शिरपर पानी डाले स्नान न करे ॥ ८२ ॥

केशग्रहान्प्रहारांश्चशिरस्येतान्विवर्जयेत् शिरःस्नातश्चतैलेन
नाङ्गं किञ्चिदपि स्पृशेत् ॥८३॥ नराज्ञःप्रतिगृह्णीयादराजन्य-

प्रसूतितः। सूनाचक्रध्वजवतां वेषेणैव चजीवताम् ॥ ८४ ॥

दशसूना समं चक्रं दशचक्रसमोध्वजः । दशध्वजसमोवेषो

दशवेषसमो नृपः ॥ ८५ ॥ दशसूनासहस्राणि योवाहयति

सौनिकः । तेन तुल्यःस्मृतोराजा घोरस्तस्य प्रतिग्रहः ॥८६॥

योराज्ञःप्रतिगृह्णाति लुब्धस्योच्छास्त्रवर्तिनः । स पर्यायेण

यातीमान्नरकानिकविंशतिम् ॥ ८७ ॥ तामिस्रमन्धतामिस्रं

महारौरवरौरवी । नरकं कालसूत्रं च महानरकमेव च ॥८८॥
 संजीवनं महावीचिं तपनं संप्रतापनम् । संघातं च खकाकोलं
 कुड्मलं प्रतिमूर्त्तिकम् ॥ ८९ ॥ लोहशङ्कुमृजीषं च पन्थानं
 शाल्मलीं नदीम् । असिपत्रवनं चैव लोहदारकमेव च ॥९०॥
 एतद्विदन्तोविद्वांसोब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः । न राज्ञःप्रति-
 गृह्णन्ति प्रेत्य श्रेयोऽभिकाङ्क्षिणः ॥ ९१ ॥

अर्थ-केश का पकड़ना और मारना, ये दो काम शिर में न करे। शिरमें तेल लगाकर अन्य किसी अङ्ग को न छुवे ॥८३॥ विना क्षत्रिय से उत्पन्न राजा से दान न लेवे। सूना (जीवों के मारने की जगह), गाड़ी आदि, तथा कलालपन से वृत्ति करने वालों और बहुरूपियों के भी (धन को ग्रहण न करे) ॥८४॥ दश सूना वाले के बराबर एक गाड़ी वाला है और दस के बराबर एक कलाल, और दश कलालों के समान एक वेपधारी, दश वेष वालों के बराबर एक उक्त अधर्मी राजा (अर्थात् उत्तरोत्तर अधिक निषिद्ध) हैं ॥ ८५ ॥ दस हजार जीवों को मारने का अधिष्ठाता सैनिक कहाता है, उक्त राजा उस के बराबर कहा है। इस लिये इस का प्रतिग्रह घोर है (अतएव न ले) ॥८६॥ जो कृपण और शास्त्र का उल्लङ्घन करने वाले राजा का प्रतिग्रह लेता है, वह क्रमसे इन इक्कीस नरकों को जाता है ॥८७॥ तामिस्र १ अन्धतामिस्र २ महारौरव ३ रौरव ४ नरक ५ कालसूत्र ६ महानरक ७ ॥८८॥ संजीवन ८ महावीचि ९ तपन १० संप्रतापन ११ संघात १२ खकाकोल १३ कुड्मल १४ प्रतिमूर्त्तिक १५ ॥८९॥ लोहशङ्कु १६ ऋजीष १७ पन्थान १८ शाल्मली नदी १९ असिपत्रवन २० और लोहदारक २१ (इन इक्कीस नरकों=स्थानविशेषों वा देशविशेषों को पाता है) ॥९०॥ यह प्रतिग्रह नाना प्रकार के नरकोंका हेतु है, ऐसा जानने वाले विद्वान् वेद के जाननेवाले और परलोक में कल्पयाणकी इच्छा करनेवाले ब्रह्मवादी ब्राह्मण ऐसे राजा का प्रतिग्रह नहीं लेते ॥

(८४ से ९१ तक ८ श्लोक भी प्रक्षिप्त से जान पड़ते हैं। एक तो इन की संस्कृत शैली मनु के सी नहीं। दूसरे ८५ के श्लोक का पाठ २४ पुस्तकों में तो यही मिलता है जैसा मूल में द्रपा है परन्तु ६ पुस्तकों में—(दशध्वजसमावेश्या दशवेश्यासमोनृपः) पाठभेद है, तीसरे राजा और पहियोंदार गाड़ी

से जीविका करने वाले वैश्य, इन को खड़ीकों और कलालों तथा वैश्याओं के समान समझना और इन्हें भी नीच समझना चिन्त्य है। और २७ वें श्लोक के "मतिस्मृतिक" नरक का नाम = पुराने लिखे पुस्तकों में "पूति-स्मृतिक" पाया जाता है। जिस से भिन्न २ पुस्तकों में भिन्न २ पाठ भी संग्रह का हेतु हैं। इन तथा अन्य हेतुओं से हमने पहले तीन बार के एडीशनों (छापां) में प्रतिम लिखा था परन्तु अब चौथी बार इस लिये प्रतिमनहीं रखा कि स्वामी दयानन्द सर० जी ने भी संस्कारविधि बृहत्सम प्र०में श्लोक २५ माना है और नरकयोनियों के नाम प्रायः मनु के माननीय श्लोकों में भी आये हैं, अतः हमने अब मान लिया है परन्तु ऊपर लिखे कारणों से सदेहयुक्त अब भी हैं) ॥ ९१ ॥

ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत् ।

कायकेशांश्च तन्मूलान्वेदतत्त्वार्थमेव च ॥ ९२ ॥

अर्थ—प्रातः दो बड़ी रात से उठे और धर्म अर्थ का चिन्तन करे। उनके उपार्जन के शरीरकेशों को समझे और वेदतत्त्वार्थ को भी सोचे ॥ ९२ ॥

उत्थायावश्यकं कृत्वा कृतशौचः समाहितः। पूर्वा सन्ध्याजपं-
स्तिष्ठेत्स्वकाले चापरां चिरम् ॥ ९३ ॥ ऋषयो दीर्घसंध्यात्वाद्
दीर्घमायुरवाप्नुयुः। प्रज्ञायशश्च कीर्त्तिं च ब्रह्म वर्च समेव च ॥ ९४ ॥

अर्थ—फिर उठ कर दिशा जङ्गल होकर पवित्र हो एकाग्रचित्त से प्रातः सन्ध्या में बहुत काल पर्यन्त जप करता रहे और सायं सन्ध्या को भी अपने काल में देर तक करे ॥ ९३ ॥ क्योंकि ऋषिलोग दीर्घ सन्ध्या के अनुष्ठान से दीर्घ आयु, प्रज्ञा, यश, कीर्त्ति तथा ब्रह्म तेज को भी पा सकते हैं ॥ ९४ ॥

प्रावण्यांप्रौष्टव्यांवाऽप्युपाकृत्य यथाविधियुक्तश्छन्दांस्यधी-
धीतमासान्विप्राऽर्धपञ्चमान् ॥ ९५ ॥ पुष्येतु छन्दसां कुर्याद्बहि-
रत्सर्जनं द्विजः। भाद्य शुक्लस्यवाप्राप्ते पूर्वाह्ने प्रथमेऽहनि ॥ ९६ ॥

अर्थ—ब्राह्मणादि आबली वा भाद्रपदी पौर्णिमा को उपाकर्म करके साढ़ेचार मास में उद्यत होकर वेदाध्ययन करे ॥ ९५ ॥ पुष्यनक्षत्र वाली पौर्णिमा (पौषी) में या साध शुक्ल के प्रथम दिन के पूर्वाह्न में वेद का "उत्सर्जन" कर्म (ग्राम के) बाहर जाकर करे ॥ ९६ ॥

यथाशास्त्रं तु कृत्वैव मुत्सर्गं छन्दसां वहिः । विरमेत्पक्षणीं रात्रिं
तद्वैवैकमहर्निशम् ॥६७॥ अत ऊर्ध्वं तु छन्दांसिशुक्रेषु नियतः
पठेत् । वेदाङ्गानि च सर्वाणि कृष्णपक्षेषु संपठेत् ॥ ६८ ॥

अर्थ-शास्त्र के अनुसार (ग्राम के) बाहर वेदों का उत्सर्जन कर्म करके
दो दिन और १ बीच की रात्रि भर अनध्याय करे वा उसी दिन और रात्रि
का अनध्याय करे ॥ ६७ ॥ उत्सर्जन अनध्याय के उपरान्त शुक्लपक्ष में नियम
पूर्वक वेद और कृष्णपक्ष में वेदों के सम्पूर्ण अङ्गों को पढ़ा करे ॥ ६८ ॥

नाविःपष्टमधीधीतनशूद्रजनसन्निधौ न निशान्तेपरिश्रान्सी
ब्रह्माधीत्य पुनः स्वपेत् ॥६९॥ यथोदितेन विधिना नित्यं छन्द-
स्कृतं पठेत् । ब्रह्म छन्दस्कृतं चैव द्विजोयुक्तीह्यनापदि ॥१००॥

अर्थ-अस्पष्ट न पढ़े और शूद्रों के पास बैठ कर न पढ़ा करे और प्रभात
काल पढ़ कर एका हुवा फिर शयन न करे ॥ ६९ ॥ यथोक्त विधि से नित्य
गायत्र्यादि छन्दों से युक्त मन्त्र पढ़े और द्विजमात्र अनापत्तिकाल में साधा-
रण वेदपाठ और छन्दोयुक्त मन्त्र नियमपूर्वक पढ़ा करे ॥ १०० ॥

इमान् नित्यमनध्यायानधीयानो विवर्जयेत् । अध्यापनं च कुवीणः
शिष्याणां विधिपूर्वकम् ॥१०१॥ कर्णश्रवेऽनिले रात्रि दिवा
प्रांसुसमूहने । एतौ वर्षास्वनध्यायावध्यायज्ञाः प्रचक्षते ॥१०२॥

अर्थ-इन आगे कहे अनध्यायों को सर्वदा यथोक्तविधि से पढ़ने वाला
और शिष्यों को पढ़ाने वाला (गुरु) छोड़ देवे ॥ १०१ ॥ रात्रि में कान में
शब्द करने वाले वायु के चलते हुवे और दिन में गर्द उड़ाने वाले वायु के
चलते हुवे, ये वर्षाऋतु में दो अनध्याय स्वाध्यायज्ञ (मुनि) कहते हैं ॥१०२॥

“ विद्युत्स्तनितवर्षेषु महोत्कानां च संप्लवे ।

आकालिकमनध्यायमेतेषु मनुरब्रवीत् ॥१०३॥ ”

एतांस्त्वभ्युदितान्विद्याद्यदा प्रादुष्कृताग्निषु ।

तदा विद्यादनध्यायमनृतौ चाश्वदरानि ॥१०४॥

अर्थ-बिजुली गरजते हुवे वर्षा में और चल्काओं के गिरने में अनध्याय उस समय तक करे जिस समय तक ये उत्पात वा वर्षा होते रहें । ऐसा मनु कहते हैं ॥ (यह श्लोक भी स्पष्ट मनुप्रोक्त नहीं है तथा १०५-१०६ से पुनरुक्त भी है) ॥१०३॥ " इन विद्युदादि को अग्निहोत्र के होम समय उत्पन्न होते जाने तो न पढ़े और उसी समय में बिना वर्षाऋतु के बादल दीखे तो भी अनध्याय करे ॥ १०४ ॥

निर्घातेभूमिचलनेज्योतिषांचोपसर्जने । एतानाकालिकान्वि
द्यादनध्यायानृतावपि ॥१०५॥ प्रादुष्कृतेष्वग्निषुतुविद्युत्स्तनित
निःस्वने । सज्योतिःस्यादनध्यायःशेषेरात्रौयथाद्विवा ॥१०६॥

अर्थ-अन्तरिक्ष में उत्पातशब्द होने और सूकम्प और सूर्यादिकों के उप-द्रव में जिन ऋतुओं में सूकम्पादि हुवा करते हों उन में भी जबतक उपद्रव रहे तब तक अनध्याय करे ॥१०५॥ होमार्थ अग्नि प्रकट होने के समय बादल में बिजुली का शब्द हो तो दिनभर का अनध्याय करे और शेष समयों वा रात्रि में पूर्वोक्त दिन के समान " आकालिक " अनध्याय करे ॥ १०६ ॥

नित्यानध्याय एवस्याद्ग्रामेषुनगरेषुच । धर्मनैपुण्यकामानां
पूतिगन्धे च सर्वदा ॥१०७॥ अन्तर्गतशवे ग्रामे वृषलस्य च
सन्निधौ । अनध्यायोरुद्यमाने समवाये जनस्य च ॥ १०८॥

अर्थ-धर्म की अतिशय इच्छा वालों को ग्राम वा नगर में सर्वदा अन-ध्याय (किन्तु एकान्त जङ्गल में पढ़ना उत्तम है) और दुर्गन्ध में कभी पढ़ना नहीं चाहिये ॥ १०७ ॥ जिस में मुर्दा पड़ा हो ऐसे छोटे ग्राम में और अधर्मों के पास और रोने तथा भीड़ में न पढ़े ॥ १०८ ॥

“उदकेमध्यरात्रेचविण्मूत्रस्य विसर्जनीउच्छिष्टःश्राद्धेषुचैव
मनसाऽपिन चिन्तयेत् ॥१०९॥ प्रतिगृह्यद्विजो विद्वानेकीद्वि-
ष्टस्यकेतनम् । ज्यहं न कीर्तयेद्ब्रह्मराज्ञोराहोश्चसूतके ११०”

अर्थ-“जल और मध्यरात्रि में और मलमूत्र करने के समय और भोज-नादि करके झूठे मुंह और श्राद्ध में भोजन करके वेद की मन से भी याद न करे ॥ १०९ ॥ विद्वान् ब्राह्मण एकीद्विष्टश्राद्ध का निमन्त्रण ग्रहण करके तीन

दिन वेद का अध्ययन न करे और राजा के (पुत्रजन्मादिके) सूतक तथा राहु के सूतक में तीन दिन अनध्याय करे ॥ ११० ॥

“यावदेकानुद्विष्टस्यगन्धोलेपश्चतिष्ठति । विप्रस्यविदुषोदेहे तावद्ब्रह्मन कीर्तयेत् ॥१११॥ शयानः प्रौढपादश्चकृत्वा चैवावसद्विथकामानाधीयीतामिषंजग्ध्वासूतकान्नाद्यमैवच ॥११२”

अर्थ—“ जब तक एकोद्विष्ट का देह में गन्ध और लेप रहता है, विद्वान् ब्राह्मण तब तक वेद न पढ़े ॥ १११ ॥ लेटा हुवा और पैरों को ऊंचा किये बैठने में दोनों पैरों की भीतर की ओर सोड़े हुये, मांस तथा सूतकियों का अन्न भोजन करके भी न पढ़े ॥ ११२ ॥ ”

नीहारे वाणशब्दे च संध्योरेव चोभयोः ॥

अमावास्याचतुर्दशयोः पौर्णमास्यष्टकासु च ॥ ११३ ॥

“अमावास्या गुरुं हन्ति शिष्यं हन्ति चतुर्दशी ।

ब्रह्माऽष्टकापौर्णमास्यौतस्मात्ताः परिवर्जयेत् ॥११४॥”

अर्थ—कुहर में और वाणों के शब्द में तथा दोनों संध्याओं में, अमावास्या तथा चतुर्दशी और पूर्णमासी और हेमन्तशिशिर की कृष्ण अष्टमों में न पढ़े ॥११३॥ “क्योंकि अमावास्या (को पढ़ने में) गुरु को नष्ट करती है और चतुर्दशी शिष्य को और वेद को अष्टमों पौर्णमासी नष्ट करती हैं ॥११४॥”

पांसुवर्षे दिशादाहे गोमायुविरुते तथा । श्वखरोष्ठे च रुवति पङ्क्तौ च न पठेद् द्विजः ॥ ११५ ॥

नाधीयीत श्मशानान्ते ग्रामान्ते गोव्रजेपि वा ।

“वसित्वा मैथुनं वासः आद्रिकं प्रतिगृह्य च ॥११६” ॥

अर्थ—धूल धरने और दिशाओं के जलने और सियारों के चिह्नाने और कुत्ता, ऊँट, गधे के शब्द करने और पङ्क्तियों में द्विज वेद न पढ़ा करे ॥११५॥ श्मशान और ग्राम के समीप तथा गोशाला में न पढ़े और मैथुन, समय के वस्त्रों को पहन कर और आहुत को भोजन करके न पढ़े ॥ ११६ ॥ ”

“प्राणि वा यदि वाऽप्राणि यत्किंचिच्छ्राद्रिकं भवेत् ।

तदालभ्याप्यनध्यायः पाण्यास्यो हि द्विजः स्मृतः ॥११७॥

चौरैरुपप्लुते ग्रामे संभ्रमे चाग्निकारिते ।

आकालिकमनध्यायं विद्यात्सर्वाद्भुतेषु च ॥ ११६ ॥

अर्थ—“आहुसम्बन्धी पशु वा शाकादि को हाथ से काट कर बगारकर न पड़े । क्योंकि ब्राह्मण “पाशयास्य” (अर्थात् हाथ ही हैं मुख जिसका) कहा है ॥ ११७ ॥ चोरों के उपद्रव में, ग्राम में और सकान इत्यादि जलते समय में पूर्वोक्त आकालिक अनध्याय जाने और सम्पूर्ण अहुत कर्तों के होने में नो ॥ ११८ ॥

उपाकर्मणिचोत्सर्गेत्रिरात्रंक्षेपणंस्मृतम् । अष्टकासुत्वहोरात्र
सृत्वन्तासु च रात्रिषु ॥ ११९ ॥ नाधीयीताश्चमारूढो न वृक्षं न
च हस्तिनम् । न नावं न खरं नोष्ट्रं नेरिणस्थो न यानगः ॥ १२० ॥

अर्थ—उपाकर्म और उत्सर्ग में तीन रात्रि अनध्याय कहा है अष्टकाओं में एक दिन रात्रि और ऋतु के अन्त की १ रात्रि में अनध्याय करे ॥ ११९ ॥ घंटे पर बैठा हुआ और वृक्ष पर चढ़ा हुआ न पड़े और हाथी, नाव, गधा जंत और ऊपर भूमि और गाड़ी आदि पर भी बैठ कर न पड़े ॥ १२० ॥

न विवादे न कलहे न सेनायां न सङ्गरे । न भुक्तमात्रेणाजीर्णे
न वमित्वा न सूतके ॥ १२१ ॥ अतिथिं चाऽननुज्ञाप्यमारुतेवापि
वा भूशम् । रुधिरं च स्तुतेगात्राच्छस्त्रेण च परिक्षते ॥ १२२ ॥

अर्थ—विवाद में, झगड़े में, सेना में, लड़ाई में, तत्काल भोजन करके, अजीर्ण में वमन करके और सूतक में न पड़े ॥ १२१ ॥ अतिथि की आज्ञा बिना वायु के बहुत प्रचण्ड चलने और शस्त्र से वा फोड़े से शरीर का रक्त निकलते (न पड़े) ॥ १२२ ॥

सामध्वनावृग्यजुषी नाधीयीत कदाचन ।

वेदस्याधीत्य वाप्यन्तमारण्यकमधीत्य च ॥ १२३ ॥

“ऋग्वेदी देवदैवत्यो यजुर्वेदस्तु मानुषः ।

सामवेदः स्मृतः पित्र्यस्तस्मात्तस्याऽशुचिर्ध्वनिः ॥ १२४ ॥

अर्थ—साम की ध्वनि में ऋग्वेद और यजुर्वेद कभी न पड़े और वेदान्तवा वेद के आरण्यक को पढ़ कर (तत्काल) वेद न पड़े ॥ १२३ ॥ “ऋग्वेद

देवताओं का है, यजुर्वेद, मनुष्यसम्बन्धी और पितृसम्बन्धी साम है। इस कारण उस की ध्वनि अशुचि है [ऋग्यजुसाम के पाठ से पढ़ने वाला जान सकता है कि उन में देव मनुष्य और पितरों का इस क्रम से वर्णन नहीं है जैसा इस प्रलोक में बताया जाता है इस लिये यह वेद विरुद्ध है] ॥१२४॥

एतद्विदन्तोविद्वांसस्त्रयीनिष्कर्षमन्वहम् । क्रमतःपूर्वमभ्यस्य
पश्चाद्देदमधीयते ॥१२५॥ पशुमण्डूकमाजारश्चसर्पं नकुला-
खुभिः । अन्तरागमने विद्यादनध्यायमहर्निशम् ॥ १२६ ॥

अर्थ—इस प्रकार जानने वाले विद्वान् प्रतिदिन गायत्री, ओ३म् और व्याहृति; इस वेद के सार को क्रमपूर्वक प्रथम जप कर पश्चात् वेद को पढ़ते हैं ॥ १२५ ॥ बैल इत्यादि पशु मेंडक, बिल्ली, कुत्ता, सांप, नेवला, घूहा, ये पढ़ते समय (गुरु शिष्य के) बीच में होकर निकल जावें तो दिन रात्रि अनध्याय करे ॥ (पशु आदि सदा मनुष्यों से डरते और बैठे मनुष्यों के बीच में को नहीं निकलते हैं और जब निकलते हैं तो कुछ उपद्रव और अपवित्रता हो जाती है इत्यादिकारण हैं । और अगले श्लोक में मनु जी ने सब अनध्यायों को दो बातों के अन्तर्गत कर दिया है अर्थात् एक तो जब २ पढ़ने के स्थान में कोई बाह्य विघ्न हो, दूसरे जब २ आत्मा में व्यग्रता आजावे) ॥ १२६ ॥

द्वैवैववर्जयेन्नित्यमनध्यायौप्रयत्नतः।स्वाध्यायभूमिंच शुद्धा-
मात्मानं चाशुचिंद्विजः ॥१२७॥ अमावास्यामष्टमीचपौर्णमा-
सींचतुर्दशीमाब्रह्मचारीभवेन्नित्यमपृतीस्नातकीद्विजः ॥१२८॥

अर्थ—(वस्तुतः) दो ही अनध्याय सर्वदा यत्नपूर्वक छोड़े । एक पढ़ने की अशुद्ध जगह और दूसरे आप पढ़ने वाला द्विज अपवित्र हो तब (अर्थात् अच्छे स्थान में और आप पवित्र होकर पढ़े) [अनध्याय प्रकरण समाप्त हुआ] ॥ १२७ ॥ अमावस्या अष्टमी पौर्णमासी और चतुर्दशी इन तिथियों में पूर्वोक्त स्नातक द्विज, ऋतुकाल में भी भार्या के पास न जावे ॥ १२८ ॥

नस्नानमाचरेद्भुक्त्वा नातुरीनमहानिशानवासीभिःसहाजस्रं
नाऽविज्ञाते जलाशये ॥१२९॥ देवतानां गुरोराज्ञःस्नातकाचार्य
धीरतथानाक्रामेत्क्रामतश्छायांबभ्रणो दीक्षितस्य च ॥१३०॥

अर्थ—भोजन करके, रोग में, मध्यरात्रि में, कपड़ों के साथ, और जहां पानी गहरा हो और विदित न हो ऐसे जलाशय में स्नान न करे ॥१२९॥
देव=प्रसिद्ध २ विद्वानों और गुरु, राजा, स्नातक, आचार्य, कपिल, दीक्षित, इन की छाया इच्छा से न लायें (इस से इन का अनादर होता है) ॥१३०॥

“मध्यंदिनेऽर्धरात्रे वा श्राद्धं भुक्त्वा च सामिषम् ।

सन्ध्योरुभयोश्चैव न सेवेत चतुष्पथम् ॥ १३१ ॥

उद्वर्तनमपस्त्रानं विण्मूत्रे रक्तमेव च ।

श्लेष्मनिष्ठ्यू तवान्तानि नाधितिष्ठेत्तु कामतः ॥१३२ ॥

“अर्थ=दोपहर दिन, आधी रात्रि और श्राद्ध में मांस भोजन करके और दोनों सन्ध्याओं में चौराहे पर अधिक काल तक न रहे ॥”

(१०९ । ११० । १११ । ११२ । ११३ । ११४ । आधा ११६ । ११८ । १२४ ।
१३१ वें श्लोक प्रक्षिप्त हैं, क्योंकि जल में पढ़ना किसी को इष्ट ही नहीं । मध्यरात्रि शयनार्थ है ही । विष्ठा सूत्र के त्याग समय सभी काम पूर्व निषिद्ध कर आये फिर भला वेदपाठ का निषेध कहाँ रह गया ? भूँट मुंह कहीं जाना तक निषिद्ध है, फिर वेदाध्ययन कैसा ? मांस और मृतकश्राद्ध निषिद्ध और वेदवाच्य है, ये सर्वदा ही निन्दित हैं, स्वाध्याय में क्या ? मांसभक्षण ब्रह्मचारी को विशेषतः और सामान्यतः सब ही को प्रथम निषिद्ध कर आये हैं और करेंगे, फिर मांस खाकर वेद न पढ़े, यह कथन कैसा निरङ्कुश है। अमावास्यादि का पाठ पर्व होने से ही वर्जित है । परन्तु गुरु शिष्य वा विद्या की हानि और नाश लिखना अनर्गल है । ब्रह्मचारी को मैथुन ही अप्राप्त है, फिर मैथुन के वस्त्र धारे हुवे वेदपाठ निषेध की क्या आवश्यकता है । प्राणिवध वर्जित है, तब वेदपाठी को उस की आशङ्का ही क्या है १२४ वें में ऋग्वेद को देव, यजुः को मानुष साम को पित्र्य बताना सकल वैदिक सिद्धान्त के धिरुद्ध है । न ३ वेदों में इन ३ की कोई विशेषता पाई जाती है । १३१ वें में मांस और श्राद्धभोजी का अनध्याय प्रक्षेपक से भी पुनरुक्त है । १११ में नन्दन टीकाकारने (गन्धोलेपश्च=स्नेहो गन्धश्च) व्याख्यात किया है । यह पाठभेद भी प्रक्षिप्तता के संशय को दृढ़ करता है) ॥ १३१ ॥ उबटन के मेल की पीठी, स्नान का पानी, मल, मूत्र, रक्त, कफ, पीक और वमन; इन के ऊपर जान कर खड़ा न होवे ॥ १३२ ॥

वैरिणं नोपसेवेत सहायं चैव वैरिणः । अधार्मिकं तस्करं
च परस्यैव च योषितम् ॥ १३३ ॥ न हीदृशमनायुष्यं लोके
किञ्चन विद्यते । यादृशं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम् ॥ १३४ ॥

अर्थ-शत्रु और उसके सहायक से और अधर्मी, चोर तथा पराई स्त्री से मेल न रखे ॥ १३३ ॥ इस प्रकार का आयुक्षय करने वाला संसार में कोई कर्म नहीं है, जैसा (मनुष्य की आयु घटाने वाला) दूसरे की स्त्री का सेवन है ॥ १३४ ॥

क्षत्रियं चैव सर्पं च ब्राह्मणं च बहुश्रुतम् । नावमन्येत वैभूषणः
कृषानपिकदाचन ॥ १३५ ॥ एतत्त्रयं हि पुरुषं निर्दहेदवमानि-
तम् । तस्मादेतत्त्रयं निर्य्यं नावमन्येत बुद्धिमान् ॥ १३६ ॥

अर्थ-(धर्मादि से) वृद्धि चाहने वाला क्षत्रिय, सर्प और बहुश्रुत ब्राह्मण दुबले भी हों तौ भी इन का अपमान न करे ॥ १३५ ॥ ये तीन अपमान करने से अपमान करने वाले को भस्म कर देते हैं, इस से बुद्धिमान् इनका अपमान न करे ॥ १३६ ॥

नात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरसमृद्धिभिः । आमृत्योः प्रियमन्वि-
च्छेन्नैनामन्येत दुर्लभाम् ॥ १३७ ॥ सत्यं ब्रूयात्प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्
सत्यमप्रियम् । प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः ॥ १३८ ॥

अर्थ-यत्न करने से द्रव्य न मिले तौ भी अपने को अभागी कह कर अपमान अपमान न करे, किन्तु मरने तक समृद्धि के लिये यत्न करे, इसको दुर्लभ न जाने ॥ १३७ ॥ सच बोले, प्रिय बोले और जो प्रिय न हो ऐसा सच न बोले (मौन रहे) और असत्य प्रिय भी न बोले; यह सनातनधर्म है ॥ १३८ ॥

भद्रं भद्रमिति ब्रूयाद्भद्रमित्येव वा वदेत् । शुष्कवैरं विवादं च
न कुर्यात्केनचित्सह ॥ १३९ ॥ नातिकल्पनातिसाध्यं नातिमध्यं-
दिने स्थिते । नाऽज्ञातेन सप्तं गच्छेन्नैको न वृषलैः सह ॥ १४० ॥

अर्थ-भद्र भद्र (अच्छर बहुत अच्छा) कहे या केवल " अच्छा " ही कहे, किन्तु निष्पमोजन वैर वा झगडा किसी से न करे ॥ १३९ ॥ सबेरे उषः काल और मदीप समय में तथा दोपहर दिन को और अनजान के साथ तथा अकेला और शूद्रों के साथ मार्ग न चले ॥ १४० ॥

हीनाङ्गानतिरिक्तान्ङ्गान्विद्याहीनान्वयोधिकान्ङ्गान्ङ्गपद्व्यविही-
नांश्च जातिहीनांश्च नाक्षिपेत् १४१ नस्पृशेत्पापिनोच्छिद्यो विप्रो
गोब्राह्मणानलान्ङ्गान्चापि पश्येत् शुचिः सुरथोजयोतिर्गणान्दिवि

अर्थ—अङ्गहीन, अधिक अङ्गवाले, सूखे, बूढ़, कुरूप तथा द्रव्यहीन और
जाति से हीन को ताना न दे ॥ १४१ ॥ भोजन करके झूठे हाथ से इन्द्रियों,
ब्राह्मणों और अग्नि का स्पर्श न करे। व्याधिरहित पुरुष अपवित्र हुवा
आकाश में सूर्यादि को न देखे ॥ १४२ ॥

स्पृष्टैतान् शुचिर्नित्यमग्निः प्राणानुपस्पृशेत् ॥ गात्राणि चैव स-
र्वाणि नाभिं पाणितलेन तु ॥ १४३ ॥ अनातुरः स्वानि खानि न स्पृशे-
दनिमित्ततः ॥ रोमाणि चरहस्यानि सर्वान्येव विवर्जयेत् ॥ १४४ ॥

अर्थ—यदि अपवित्र हुवा पुरुष भूल से इन इन्द्रियादि का स्पर्श करले
तो आचमन कर हाथ से जल लेकर चक्षुरादि का स्पर्श करे और सम्पूर्णगात्र
तथा नाभि को स्पर्श (करना रूप प्रायश्चित्त) करे ॥ १४३ ॥ स्वस्थ मनुष्य
अपने इन्द्रियों और सब गुप्त बालों को बिना निमित्त न छुवे ॥ १४४ ॥

मङ्गलाचारयुक्तः स्यात्प्रयतात्मा जितेन्द्रियः ॥ जपेच्च जुहुयाच्चैव
नित्यमग्निमतन्द्रितः ॥ १४५ ॥ मङ्गलाचारयुक्तानां नित्यं च
प्रयतात्मनाम् जपतां जुहुतांचैव विनिपाती न विद्यते ॥ १४६ ॥

अर्थ—शुभाचारयुक्त, शुचि तथा जितेन्द्रिय रहे। सर्वदा आलस्यरहित
हो कर जप और अग्निहोत्र करे ॥ १४५ ॥ शुभ आचारयुक्त और सर्वदा पवित्र
रहने वाले और जप तप तथा होम करने वालों का उपद्रव (रोगादि)
नहीं होता ॥ १४६ ॥

वेदमेवाभ्यसेन्नित्यं यथाकालमतन्द्रितः ॥ तं ह्यस्याहुः परंधर्म
मुपधर्माऽन्य उच्यते ॥ १४७ ॥ वेदाभ्यासेन सततं शौचेन तपसैव

च । अद्रोहेण च भूतानां जातिं स्मरति पौर्विकीम् ॥ १४८ ॥

अर्थ—सर्वदा आलस्यरहित होकर यथावसर वेद ही को पढ़े क्योंकि यह
इस का परमधर्म कहा है और दूसरा धर्म इस से नीचे है ॥ १४७ ॥ निरन्तर
वेदाभ्यास करने, शुचि रहने, तप करने और जीवों के साथ द्रोह न करने
से (अपने) पूर्व जन्म को जान जाता है ॥ १४८ ॥

पौर्विकीं संस्मरन्नातिब्रह्मैवाभ्यसते पुनः। ब्रह्माभ्यासेन चाजस्र
मनन्तं सुखमश्नुते ॥ १४६॥ सावित्राज्छान्तिहोमांश्च कुर्यात्
पर्वसु नित्यशः। पितृश्रैवाष्टकास्वर्चैन्नित्यमन्वष्टकासु च ॥ १५०

अर्थ—पूर्व जन्म को स्मरण करता हुआ पुनः नित्य वेद ही का अभ्यास करता है, उस वेदाभ्यास से अनन्त सुख (मोक्ष) को भोगता है ॥ १४६॥ सविता देवता के मन्त्रों और शान्तिपाठ से सर्वदा अमावास्या तथा पूर्णिमासी आदि पर्वों में होम करे और हेमन्त शिशिर ऋतु की कृष्णा अष्टमी और नवमियों में यथाविधि पितरों का (विशेष) पूजन करे। (नन्दनटीकाकार) ने “सावित्रान्=सावित्र्या” पाठ की व्याख्या की है। जिस प्रकार नित्य भी गुरु का सत्कार करते ही हैं, परन्तु आषाढी गुरुपूर्णिमा में विशेष गुरुपूजन की रीति है, इसी प्रकार माता पिता आदि के नित्य सत्कार के अतिरिक्त हेमन्त और शिशिर की कृष्णपक्ष की ४ अष्टमी और ४ नवमियों में पितृपूजा का विशेष उत्सव जानो ॥ १५० ॥

दूरादावसथान्मूलं दूरात्पादावसेचनम्। उच्छिष्टान्ननिषेकंच
दूरादेव समाचरेत् ॥ १५१॥ मैत्रं प्रसाधनं स्नानं दन्तधावन-
मञ्जनम्। पूर्वाह्ण एव कुर्वीत देवतानां च पूजनम् ॥ १५२॥

अर्थ—गृह से मल मूत्र और पैर धोना और जूतन का त्याग भी दूर ही करे ॥ १५१ ॥ मल का त्याग, शरीरशुद्धि, स्नान, दन्तधावन, अञ्जन और देवतों के लिये होम, ये कर्म प्रथम प्रहर में करे ॥ ५२ ॥

दैवतान्यभिगच्छेत्सुधार्मिकांश्च द्विजोत्तमान्। ईश्वरं चैव रक्षार्थं
गुरुनेव च पर्वसु ॥ १५३॥ अभिवादयेद्दृष्ट्वांश्च दद्याच्चैवासनं
स्वकमाकृताञ्जलिरुपासीत गच्छतः पृष्ठतोऽन्विष्यात् ॥ १५४॥

अर्थ—यज्ञशालाओं, धार्मिक ब्राह्मणों और गुरुओं के मिलने वा ईश्वर की उपासना को अपनी रक्षा के लिये पर्वों में जावे ॥ १५३॥ (घर में आये) वृद्धों को नमस्कार करे और बैठने के लिये अपना आसन देवे और हाथ जोड़ कर उन के पास रहे और चलते हुएों के पीछे (थोड़ी दूर) चले ॥ १५४॥

श्रुतिस्मृत्युदित्सम्यङ् निबद्धं स्वेषु कर्मसु। धर्ममूलं निषेवेत

सदाचारमतन्द्रितः ॥१५५॥ आचाराद्भ्रमते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः । आचाराद्भ्रमत्ययमाचारो हन्त्यलक्षणम् ॥१५६॥

अर्थ-वेद और स्मृति में कहा हुआ और अपने कर्मों में नियम से बांधा हुआ और धर्म का मूल जो सदाचार है, उसकी आलस्यरहित होकर रक्षण करे ॥१५५॥ आचार से आयु, इच्छित (पुत्र पीत्रादि) सन्तति तथा अक्षय धन प्राप्त होता है और आचार अशुभ लक्षण को नष्ट करता है ॥ १५६ ॥

दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः । दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥१५७॥ सर्वलक्षणहीनोऽपियः सदाचारवान्नरः । श्रद्धधानोऽनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति ॥ १५८ ॥

अर्थ-दुष्ट आचरण करने वाला पुरुष लोक में निन्दित, दुःख का भागी, निरन्तर रोगी रहता तथा अल्पायु भी होता है ॥१५७॥ साधुओं के आचार करने वाला, श्रद्धायुक्त और दूसरे के दोषों को न कहने वाला पुरुष चाहे सम्पूर्ण अन्य शुभ लक्षणों से रहित भी हो, तौ भी सौ वर्ष जीता है (तात्पर्य बड़ी आयु से है) ॥ १५८ ॥

यद्यत्परवशं कर्म तत्तद्यत्नेन वर्जयेत् । यद्यदात्मवशं तु स्यात्तत्तत्सेवेत यत्नतः ॥ १५९ ॥ सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् । एतद्विद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ १६० ॥

अर्थ-जो २ कर्म दूसरे के अधीन हैं, उन २ को यत्न से छोड़ देवे और जो २ अपने अधीन हैं, उन को यत्न से करे ॥१५९॥ दूसरे के अधीन होना ही संपूर्ण दुःख है और स्वार्थानता ही संपूर्ण सुख है । यह सुख दुःख का संक्षिप्त लक्षण जाने ॥ १६० ॥

यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात्परितोषोन्तरात्मनः । तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत् ॥१६१॥ आचार्यं च प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरुमानहिं स्याद्ब्राह्मणान्गाश्च सर्वाश्चैव तपस्विनः ॥१६२॥

अर्थ-जिस कर्म के करने से इस (कर्म करने वाले पुरुष) का अन्तरात्मा प्रसन्न होवे, वह कर्म यत्नपूर्वक करे और इस के विपरीत कर्मों को छोड़ दे

॥१६१॥ आचार्य, वेद की व्याख्या करनेवाला, पिता, माता, गुरु, ब्राह्मण, गौ और सम्पूर्ण तपस्वी; इन को न मारे (अन्य प्राणियों की अपेक्षा ये अधिक उपकारक होने से विशेष हैं) ॥ १६२ ॥

नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम् । द्वेषं दम्भं च मानं च क्रोधं तैक्षण्यं च वर्जयेत् ॥ १६३ ॥ परस्य दण्डं नोद्यच्छेत्क्रुद्धो नैव निपातयेत् । अन्यत्र पुत्राच्छिष्याद्वा शिष्यार्थं ताडयेत्तु तौ ॥ १६४ ॥

अर्थ-नास्तिकता और वेद की निन्दा तथा देवतोंकी निन्दा, वैर दम्भ, अभिमान, क्रोध और तेजी छोड़दे ॥ १६३ ॥ दूसरे के मारने को क्रोधयुक्त हुवा दरहा न उठावे और (दूसरे के ऊपर) लाठी न फेंके, परन्तु पुत्र और शिष्य को छोड़ कर, क्योंकि इनको तो शिक्षा के लिये ताड़ना करे ही ॥ १६४ ॥

ब्राह्मणायावगुर्यैव द्विजातिर्वधकाम्यया । शतं वर्षाणि तामिस्रं नरके परिवर्तते ॥ १६५ ॥ ताडयित्वा तृणेनापि संरम्भान्मति-पूर्वकम् । एकविंशतिमाजातीः पापयोनिषु जायते ॥ १६६ ॥

अर्थ-प्राणघात के विचार से ब्राह्मण को दरहादि उठाने ही से द्विजाति सौ वर्ष तामिस्र-अन्धनरक में फिराया जाता है ॥ १६५ ॥ क्रोध से वृणद्वारा भी बुद्धिपूर्वक मारने से २१ पापयोनियों में जन्मता है ॥ १६६ ॥

अयुध्यमानस्योत्पाद्य ब्राह्मणस्यासृग्दूतः । दुःखं सुमहदामोति प्रेत्याऽप्राज्ञतया नरः ॥ १६७ ॥ शोणितं यावतः पांसून्संगृह्णाति महीतलात् । तावतोऽब्दानमुत्रान्यैः शोणितोत्पादकोऽद्यते ॥ १६८ ॥

अर्थ-न लड़ने वाले ब्राह्मण के शरीर से अज्ञान से रक्त निकाल कर समुप्य मर कर जन्मान्तर में बड़ा दुःख पाता है ॥ १६७ ॥ (शस्त्रादि के मारने से निकला हुवा ब्राह्मण के शरीर का) इधिर, जितने पृथ्वी के धूल के अणुओं को शोषता है, उतने वर्ष पर्यन्त मारने वाला अन्यो (कुत्तेआदि) से मर कर जन्मान्तर में खराया जाता है ॥ १६८ ॥

न कदाचिद् द्विजेतरमाद्विद्वानवगुरेदपि । न ताडयेत्तृणेनापि न गात्रात्स्त्रावयेदसृक् ॥ १६९ ॥ अधार्मिको नरो योर्हियस्य चाप्यनृतं धनम् । हिंसारतश्च यो नित्यं नेहाऽसौ सुखमेधते ॥ १७० ॥

अर्थ—इस लिये द्विजके मारने को कभी लाठी भी न उठावे और न तृणादि से मारे और न शरीर से रक्त निकाले ॥ १६९ ॥ अधर्म करने वाला और जिस के अशक्त ही धन है और जो नित्य हिंसा करने में रत रहता है, यह इस लोक में सुखपूर्वक नहीं बढ़ता ॥ १७० ॥

न सीदन्नपि धर्मेण मनोऽधर्मं निवेशयेत् । अधार्मिकाणां पापानामाशु पश्यन्विपर्ययम् ॥१७१॥ नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव । शनैरावर्तमानस्तु कर्तुर्मूलानिकृन्तति ॥१७२॥

अर्थ—अधर्म करने वाले पापियों को शीघ्र विपर्यय अर्थात् उलटा फल देखता हुवा धर्म करने से पीड़ित होता ही तो भी मन को अधर्म में न लगावे ॥१७१॥ इस लोक में अधर्म किया हुवा उसी समय में नहीं फलता, जैसे पृथिवी वा गौ (उसी समय फल नहीं देती) परन्तु धीरे २ फलता हुवा अधर्म करने वाले की जड़ें काट देता है ॥ १७२ ॥

यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत् पुत्रेषु नपुत्रेषु नत्वेव तु कृत्वा
ऽधर्मः कर्तुर्भवति निष्फलः ॥१७३॥ अधर्मेणैधते तावत्ततो
भद्राणि पश्यति । ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥१७४॥
सत्यधर्मार्यवृत्तेषु शौचे चैवारमेत्सदा ॥ शिष्यांश्च शिष्यादुर्मेण
वाग्वाहूदरसंयतः ॥१७५॥ परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्म-
वर्जितौ । धर्मं चाप्यसुखोदकं लोकविक्रुष्टमेव च ॥ १७६ ॥

अर्थ—किया हुवा अधर्म करने वाले को निष्फल नहीं होता, किन्तु यदि तत्काल देह धनादि का नाश नहीं भी करे तो उस के पुत्र में सफल होता है । यदि पुत्र में न हो तो पौत्र में सफल होता है ॥१७३॥ अधर्म से पहिले तो बढ़ता है, फिर बुर्याओं को देखता है (अर्थात् मौकर चाकर गाय घोडा इत्यादि से सुख भी पाता है) और शत्रुओं को भी जीतता है परन्तु फिर (पाप के परिपाकसमय) मूलसहित नष्ट हो जाता है ॥ १७४ ॥ सत्य धर्म, सदाचार और शीघ्र में सर्वदा प्रीति करे और धर्म से शिष्योंको शिक्षा देवे और वाणी वाहु उदर इन का संयम करे (अर्थात् सत्यभाषण, दूसरे को पीडा न देना और न्यायीपार्जित अन्न का भोजन, ऐसे तीनों का संयम

करे) ॥ १७५ ॥ धर्मरहित जो अर्थ और काम हो उनकी त्याग दे (जैसे चोरी से द्रव्योपार्जन और पर स्त्री से गमन) और उत्तर काल में दुःख का दिन वाला और जिस में लोगों को क्लेश हो ऐसा धर्म भी न करे जैसे पुत्र पौत्रादि के रहते सर्वस्व दान और पुण्य कर्म की सहायतार्थ भी किसीको अत्यन्त सताना) ॥ १७६ ॥

नपाणिपादचपलोननेत्रचपलोऽनजुः । नस्याद्वाक्चपलश्चैव-
नपरद्रोहकर्मधीः ॥ १७७ ॥ येनास्य पितरो याता येनयाताः पि-
तामहाः । तेन यायात्सतां मार्गं तेन गच्छन् रिष्यते ॥ १७८ ॥

अर्थ—जिष्प्रयोजन हाथ पैर वाणी से चञ्चलता न करे, कुटिल न होवे और दूसरेको धुराई की बुद्धि(नियत)नकरे ॥ १७७ ॥ जिसमार्ग से इसके पिता पिता-मह चलते रहे हैं उसी सन्मार्ग को चले, उसमें चलते को धुराई नहीं होती

ऋत्विक्पुरोहिताचार्यैर्मातुलातिथिसंश्रितैः । बालवृद्धातुरैर्वैद्यै-
र्ज्ञातिसंबन्धिवान्धवैः ॥ १७९ ॥ मातापितृभ्यां यामीभिर्भ्रात्रा-
पुत्रेण भार्यया । दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत् ॥ १८० ॥

अर्थ—ऋत्विज्, पुरोहित, आचार्य, माता, अतिथि, भिक्षुकादि, बाल, वृद्ध, रोगी, वैद्य, चाचा इत्यादि, साला इत्यादि और मा के पिता=नाना नामा आदि, ॥ १७९ ॥ सा, बाप, बहन, या पुत्रबधू आदि, भ्राता पुत्र, स्त्री लड़की और नौकरों से झगडा न करे ॥ १८० ॥

एतैर्विवादान्संत्यज्य सर्वपापैः प्रमुच्यते । एभिर्जितैश्च जयति
सर्वल्लोकानि मान्गृही ॥ १८१ ॥ आचार्यो ब्रह्मलोकेशः प्राजापत्ये
पितामभुः । अतिथिस्त्विन्द्रलोकेशो देवलोकस्य च त्विजः ॥ १८२ ॥

अर्थ—ग्रहस्थ इन (ऋत्विजादि) के साथ विवाद को छोड़कर सब टंटों से छूटा रहता है और इन के जीतने से इन सब संसारस्थ लोगों को जीत लेता है (किन्तु जो घर में लड़ता है वह बाहर हारे ही गा) ॥ १८१ ॥
“आचार्य” ब्रह्म=वेदलोक का स्वामी है (उस के सन्तुष्ट होने से वेद प्राप्त होता है) ऐसे ही प्रजापति लोक का “पिता” स्वामी है और “अतिथि” इन्द्रलोक का मभु है देवलोक के मभु “ऋत्विज्” हैं । इन्हीं के अनुग्रह से

इनकी प्राप्ति होती है (पिता उत्पादक होने से प्रजा का पति है । इन्द्र तस्य सम्बन्धिनी बुद्धि का उपदेशक होने से अतिथि इन्द्रलोकेश कहा । ऋत्विज यज्ञ कराकर वायु आदि देवलोक की सदऽवस्था करते हैं) ॥१८२॥

जामयोऽप्सरसां लोके वैश्वदेवस्य बान्धवाः । सम्बन्धिनी ह्यपां लोके पृथिव्यां मातृमातृलौ ॥१८३॥ आकाशेशास्तु विज्ञेया बालवृद्धकृशातुराः । भ्राता ज्येष्ठः समः पित्रा भार्या पुत्रः स्वकातनुः ॥१८४॥

अर्थ—भगिनी और पुत्रवधू आदि अप्सरालोक की स्वामिनी हैं । और वैश्वदेवलोक के बान्धव और जललोक के सम्बन्धी लोग और भूलोक के मा और मामा स्वामी हैं (इन सबकी कृपा से इनकी प्राप्ति होती है) ॥१८३॥ और बालक, वृद्ध, कृश, आतुर ये आकाश के स्वामी (निराधार) हैं । और ज्येष्ठ भ्राता पिता के तुल्य है । भार्या और पुत्र अपने शरीर के तुल्य हैं (इस से इन से विवाद करना उचित नहीं) ॥ १८४ ॥

छायास्वोदासवर्गश्च दुहिता कृपणं परम् । तस्मादेतैरधिकक्षिप्रसहेताऽसंज्वरः सदा ॥१८५॥ प्रतिग्रहसमर्थोपि प्रसंगं तत्र वर्जयेत् । प्रतिग्रहेण ह्यस्याशु ब्राह्मं तेजः प्रशाम्यति ॥१८६॥

अर्थ—दासवर्ग अपनी छाया के तुल्य हैं और कन्या परमकृपापात्र है इस से इन से कुछ बुरा कहा गया भी सर्वदा सहलेवे, बुरा न माने (यदि इसधर्म पर चलें तो आज कल मुकद्दमेबाजी द्वारा क्यों सत्यानाश हो । पुत्रवधू आदि देववधू=उत्तमाङ्गनाओं के तुल्य होने से अप्सराओं के तुल्य घरकी शोभा है । बान्धव लोग विश्वेदेवोंके समान सर्वतः सुखदायक और सहायक हैं । साले आदि काम सुखदायक होने से जल के गुण शान्ति के दाता हैं । माता मामा आदि मातृपक्ष में पृथिवी के तुल्य उत्पत्तिकी भूमि हैं) ॥१८५॥ प्रतिग्रह लेने को समर्थ होने पर भी उसमें कंसा=आसक्त न होवे क्योंकि प्रतिग्रह लेने से वेद सम्बन्धी तेज शीघ्र नष्ट हो जाता है ॥ १८६ ॥

नद्रव्याणामभिज्ञायविधिधर्म्यं प्रतिग्रहे । प्राज्ञः प्रतिग्रहं कुर्यादवसीदन्नपिक्षुधा ॥१८७॥ हिरण्यं भूमिमः गामन्नं वासस्ति लान्घृतम् प्रतिग्रहं नऽविद्वान्स्तु भस्मी भवति दारुवत् ॥१८८॥

अर्थ—प्रतिग्रह में द्रव्यों की धर्मयुक्त विधि को जानकर, कृपा से पीड़ित हुआ भी बुद्धिमान् प्रतिग्रह न लेवे ॥१८७॥ अविद्वान्=वेदादि का न जानने वाला; सुवर्ण, भूमि, घोड़े, गाय, वस्त्र, अन्न, तिल, घृत आदि का प्रतिग्रहण करता हुआ, अग्निसंयोग से लकड़ी सा जल जाता है ॥ १८८ ॥

हिरण्यमायुरन्नं च भूर्गौश्चाप्योषतस्तनुम्। अश्वश्चक्षुस्त्वयं वासो घृतं तेजस्तिलाः प्रजाः ॥१८९॥ अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचिर्द्विजः । अम्भस्यश्मप्लवेनेव सह तेनैव मज्जति ॥१९०॥

अर्थ—सुवर्ण और अन्न आयु को जलाते हैं । भूमि और गाय शरीर को जलाती हैं । अश्व आंख को, वस्त्र त्वचा को, घृत तेज को और तिल प्रजा को जलाते हैं । (अर्थात् इन के प्रतिग्रह का मूल ले तो ये नष्ट होते हैं । सुवर्ण और भोजन का दान अज्ञानी को भोगासक्त करके आयु नष्ट करता है । भूमि और गोदान अज्ञानी के मुफ्त के आकर देह क्षीण करते हैं क्योंकि वह मिथ्याहार विहार करता है । घोड़ा और आंख दोनों इन्द्रत्व-प्रधान हैं । वस्त्र और त्वचा शरीर को ढांपते हैं । घृत कृपा दान से मिला हुआ तेज नहीं बढ़ाता, किन्तु मिथ्याप्रयुक्त हुआ तेज का नाश करता है । तिल मिथ्याप्रयुक्त हो वीर्य को बिगाड़ कर सन्तति में बाधक होते हैं) ॥१८९॥ तप से शून्य और वेदादि जिस के पठित नहीं, ऐसा प्रतिग्रह लेने की इच्छा करने वाला द्विज, पानी में पत्थर की नाव के समान उस प्रतिग्रह के साथ ही डूब जाता है ॥ १९०॥

तस्मादविद्वान्विभियाद्यस्मात्तस्मात्प्रतिग्रहात्। स्वल्पकेनाप्यऽविद्वान्हि पङ्के गौरिवसीदति ॥१९१॥ न वार्यपि प्रचच्छेत् वैडालव्रतिके द्विजे । न वक्रव्रतिके विप्रे नावेदविदि धर्मवित् ॥१९२॥

अर्थ—इस लिये मूल ऐसे जैसे प्रतिग्रह से डरे । घोड़े प्रतिग्रह में भी मूल ऐसे फंस जाता है, जैसे कीचड़ में गौ ॥१९१॥ धर्म का जानने वाला, पूर्वोक्त वैडालव्रत वाले तथा वक्रव्रत वाले और वेद के न जानने वाले विप्र या द्विज नामधारी को जल भी न देवे ॥ १९२ ॥

त्रिष्वप्येतेषु दत्तं हि विधिनाप्यर्जितं धनम्। दातुर्भवत्यनर्थाय परत्रादातुरेव च ॥ १९३ ॥ यथाप्लवेनौपलेन निमज्जत्युदके

तरन् । तथा निमज्जतोऽधस्तादज्ञौ दातृप्रतीच्छकौ ॥१९४॥

अर्थ-न्यायोपार्जित भी धन इन तीनों को दिया हुआ देने वाले और लेने वाले को परलोक में अनर्थ का हेतु होता है ॥१९३॥ जैसे पत्थर की नाब से तरता हुआ नीचे को डूबता है वैसे ही लेने और देने वाले दोनों अज्ञानी डूबते हैं ॥ (दाता को इस कारण पाप है कि मूर्खों को देकर मूर्खसंख्या की वृद्धि करता है और लेने वाला मूर्ख जगत का उपकार नहीं कर सकता, ॥१९४॥

धर्मध्वजीसदालुब्धश्छाद्विकोलोकदम्भकः । वैडालव्रतिको ज्ञेयोहिंस्रःसर्वाभिसन्धकः ॥१९५॥ अधोदृष्टिनैष्कृतिकःस्वार्थसाधनतत्परः । शठोमिथ्याविनीतश्चक्रव्रतचरोद्विजः ॥१९६॥

अर्थ-(जो लोगों में प्रसिद्धि के लिये धर्म करता है और आप भी कहता है वा दूसरों से प्रख्यात कराता है वह) धर्मध्वजी और परधन की इच्छा वाला और छली तथा लोगों में दम्भ फैलाने वाला, हिंसकस्वभाव वाला, सब को बहकाकर भड़काने वाला, बिलाव के सा व्रत धारण करने वाला ब्राह्मण क्षत्री, वैश्य-वैडालव्रतिक मनुष्य जानिये ॥ ॥ (इस से आगे चार पुस्तकों में यह श्लोक अधिक मिलता है:-

[यस्य धर्मध्वजो नित्यं सूरध्वज इवोच्छ्रितः ।

प्रच्छिन्नानि च पापानि वैडालं नाम तद्व्रतम् ॥]

जिस के धर्म का झण्डा तौ देवध्वजा सा ऊंचा फहरावे, परन्तु पाप छिपे हुवे रहें । इस व्रत को "वैडाल" कहते हैं) ॥ १९५ ॥ नीचे दृष्टि रखने वाले, कर्महीन, स्वार्थसाधन में तत्पर, शठ और झूठा विनय करने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को "वक्रव्रती" जानो ॥ १९६ ॥

येवकव्रतिनोविप्रायेचमार्जारलिङ्गिनः । तेपतन्त्यन्धतामिस्रे तेन पापेन कर्मणा ॥ १९७ ॥ न धर्मस्यापदेशेनपापं कृत्वा व्रतंचरेत् । व्रतेनपापं प्रच्छाद्य कुर्वन् स्त्रीशूद्रदम्भनम् ॥ १९८ ॥

अर्थ-जो विप्र वक्रव्रत और मार्जारव्रत वाले हैं वे उस पाप से अन्यतामिस्र में गिरते हैं ॥ १९७ ॥ पाप करके धर्म के बहाने (मिस्र) से व्रत न करे । (जैसा कि) व्रत से पाप को छिपा कर, स्त्री और शूद्रों=मूर्खों को बहकाता हुआ (लोभी रहा करता है) ॥ १९८ ॥

प्रेत्येहचेदुशा विप्रा गर्ह्यन्ते ब्रह्मवादिभिः। ब्रह्मनाथरितं चञ्च
 व्रतं रक्षांसि गच्छन्ति ॥१९९॥ अलिङ्गीलिङ्गिवेषेण यो वृत्तिसुप-
 जीवति । स लिङ्गिनां हरत्येन तिर्यग्योनी च जायते ॥२००॥

अर्थ-परलोक तथा इस लोकमें ऐसे विप्र ब्रह्मवादियोंसे निन्दित हैं । और
 ब्रह्म से किया हुआ व्रत राक्षसों को पहुंचता है ॥१९९॥ जो अब्रह्मचारी आदि
 ब्रह्मचारी आदि का वेष धारण करके भिक्षा मांगता है, वह ब्रह्मचारी आदि
 के पाप को आप लेता और तिर्यक योनि में जन्म पाता है ॥ २०० ॥

परकीयनिपानेषु न स्नायाच्च कदाचनानिपानकर्तुः स्नात्वा तु
 दुष्कृतांशेन लिप्यते ॥२०१॥ यानशय्यासनान्यस्य कूपोद्यान-
 गृहाणि च । श्रद्धत्तान्युपभुञ्जान एनसः स्यात्तुरीयभाक् ॥२०२॥

अर्थ-(यदि बनानेवाले ने परीपकारार्थ न बनाया हो ती) दूसरे के
 पोखर (हौज़) में कभी स्नान न करे । उस में स्नान करने से पोखर वाले
 का बुरा अंग लग जाता है ॥ (इस का तात्पर्य यह है कि जो किसी ने
 नित्य अपने स्नान के निमित्त पोखर (हौज़) बना रखा है, उस में कुछ
 तौ नित्य एक ही मनुष्य के स्नान योग्य थोड़े जल में उस के शारीरिक
 विकार उद्भूत रहते हैं, वे अन्य को स्नान करने से लग जाते हैं, कुछ उस के
 साथ रुग्णता, लड़ाई, टपटा होना भी संभव है । इस के आगे एक यह श्लोक
 १ पुस्तकों में अधिक भी पाया जाता है:-

[सप्तोद्धृत्य ततः पिण्डान्कामं स्नायाच्च पञ्च वा ।

उदपानात्स्वयं ग्राहोद्गृहिः स्नात्वा न दुष्यति ॥]

यदि उस पोखर में ७ वा ५ (गारे के) पिण्ड निकाल देवे ती स्वयं-
 ग्राह पोखर से बाहर बाहे स्नान करले, दोष नहीं) ॥२०१॥ सवारी, शय्या,
 आसन, कुवा, आगीचा, घा; ये बिना दिये भोग करने वाला उसके स्वामी
 के चौथाई पाप का भागी होता है ॥ २०२ ॥

नदीषु देवखातेषु तडागेषु सरसु च । स्नानं सभाचरेन्नित्यं
 गर्त्तप्रसवणेषु च ॥२०३॥ यमान्सेवेत सततं न नित्यं नित्यमान्
 बुधः । यमान्पतत्यकुर्वाणो नित्यमान्केवलान्भजन् ॥ २०४ ॥

अर्थ-सही या दैव (कुदरती) सरोवर या तालाब या खर या गड्ढे या करने में सर्वथा रुकावट किया करे ॥२०॥ विद्वान् सर्वदा यत्नों का खेवन करे न कि केवल नियमों का ॥ (हिंसा न करना, सत्यभाषण, चोरी न करना, ब्रह्मघर्ष, अपरिग्रह; ये ५ यम हैं । शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान; ये ५ नियम हैं इन में नियमों से यत्नों को प्रधानता है) जो यत्नों को न करता हुआ केवल नियमों को करता है वह गिर जाता है ॥

(इन से आगे निम्नलिखित चार श्लोकों में से १ श्लोक १४ पुस्तकों में, दूसरा ४ पुस्तकों में, तीसरा ११ पुस्तकों में और चौथा ४ पुस्तकों में अधिक पाया जाता है:-

[आनृशंस्यं क्षमा सत्यमहिंसा दममरुहा । ध्यानंप्रसादी
 माधुर्यमार्जवं च यमा दश॥१॥ अहिंसा सत्यवचनं ब्रह्मचर्य
 नकल्पता । अस्तेयमिति पञ्चैतेयमाश्रीपत्रतानि च ॥ २ ॥
 शौचमिज्यातपोदानस्वाध्यायोपस्थनिग्रहौ । प्रतीपवासौमी-
 नंच स्नानं च नियमा दश॥३॥ अक्रोधोगुरुशुश्रूषाशौचमाहार
 लाघवम् । अप्रमादश्च नियमाः पञ्चैवोपत्रतानि च ॥ ४ ॥]

आनृशंस्य, क्षमा, सत्य, अहिंसा, दम, अरुहा, ध्यान, प्रसन्नता, मधु-
 रता और सरलता, ये दश यम हैं ॥१॥ अहिंसा, सत्यवचन, ब्रह्मचर्य वना
 वट न करना, चोरीत्याग; ये ५ यम और उपत्रत भी कहते हैं ॥२॥ शौच
 यज्ञ, तप, दात, स्वाध्याय, उपस्थन्द्रिय का निग्रह, व्रत, उपवास, मीन,
 स्नान; ये १० नियम हैं ॥३॥ क्रोध न करना, गुरु की सेवा, शौच, हलका
 भोजन, प्रमाद न करना; ये ५ नियम और उपत्रत भी कहते हैं ॥ २५४ ॥

नाश्रीत्रियतते यज्ञे ग्रामयाजिकृतितथा । श्लिया क्रीडेन च हुते
 भुञ्जीत ब्राह्मणः क्वचित् ॥ २०५ ॥ अश्लीलमेतत्साधूनां यत्र
 जुहुत्यमीहविः । प्रतीपमेतद्देवानां तस्मात्तत्परिवर्जयेत् ॥ २०६ ॥

अर्थ-जिस यज्ञ में आचार्य वेदपाठी न हो और जिस में ससक्त याम
 भर (बिना विवेक) का अष्टपर्यु तथा स्त्री वा नपुंसक होता हो ऐसे यज्ञ में
 ब्राह्मण कभी भोजन न करे ॥२०५॥ जिस यज्ञ में पूर्वीक होता आदि काम

करते हैं वह सज्जनों की घुरा उगने वाला और विहाजों की अप्रिय है ।
इस से तबसे भोजन न करे ॥ २०३ ॥

मत्तक्रुद्धातुराणां च न भुञ्जीत कदाचन । केशकीटावपन्नं च
पदारपृष्ठं च कामतः ॥२०४॥ भ्रूणघ्नावेक्षितं चैव संस्पृष्टं चाप्यु
दकथया । पतत्रिणावलीढं च शुना संस्पृष्टमेव च ॥ २०५॥

अर्थ-उन्मत्त, कोधी, रोगी का अन्न तथा केश वा कीड़ों (के मिलने) से
दुष्ट हुआ और चूछा है पैर लगाया अन्न कभी भोजन न करे ॥२०४॥ भ्रूण-
हृत्पारों का देखा हुआ, रजस्वला का हुआ हुआ, कीड़ा आदि पक्षियों का
चाटा हुआ और कुत्ते का हुआ हुआ भी (अन्न भोजन न करे) ॥ २०५ ॥

गवाचान्ममुपघ्रातं युष्टान्नं च विशेषतः । गणान्नंगणिकान्नं च
विदुषां च जुगुप्सितम् ॥२०६॥ स्तेनगायकयोश्चान्नं तक्षणो-
र्वाधुषिकस्य च । दीक्षितस्य कदर्यस्य बहुस्य निगडस्य च २१०

अर्थ-गौ का सूंघा हुआ और विशेष घोटा (घिचोला) हुआ अथवा
"कोई है? जो ले और खावे" ऐसे प्रकार कर दिया हुआ और समुदाय का
अन्न तथा वैश्या का अन्न और विहाजों का निन्दित; (ऐसे अन्न का भी
भोजन न करे) ॥ २०६ ॥ चोर, गवैया, तक्षति=बड़बड़े वृद्धि-ध्याज का
उपजीवन करने वाले कपरा तथा बंधुने का (अन्न भोजन न करे) ॥२१०॥

अभिशास्तस्य षण्ढस्य च श्रुत्यादाग्भिकस्य च । शुक्तं पर्युषितं
चैव शूद्रस्योच्छिष्टमेव च ॥२११॥ चिकित्सकस्य मृगयोः क्रूरस्यो-
च्छिष्टभोजिनः । उग्रान्नसूतिकान्नं च पर्याचान्तमनिर्दशम् २१२

अर्थ-लोगों में पातकों से प्रसिद्ध हुवे का, नपुंसक का, व्यभिचारी का,
दुस्मी का और खमीर वाला सहा सड़ा दासी तथा शूद्र का भोजन करके
बचा हुआ अन्न, (भोजन न करे) ॥२११॥ वैद्य, शिकारी, क्रूर, (अधमिजाज)
जूनन खाने वाले, उग्रस्वभाव और सूतिका का, एक से अपमान से दूसरा
भोजन करे वह, और शूतकनिवृत्ति न हुवे का अन्न (न भोजन करे) ॥२१२॥

अनर्चितं वृथा मांसमवीरायाश्च योषितः । द्विशद्वन्नगर्यन्नं

पतिताम्बमवक्षुतम् ॥ २१३ ॥ पिशुनानृतिनीश्राब्जं क्रतुविक्र-
यिणस्तथा । शैलुपलुब्धवायान्नं कृतप्रस्थायमेव च ॥ २१४ ॥

अर्थ—बिना दत्तकार के दिया हुआ, वृथा, अन्न, मांस, जिद लो के पति
पुत्र न हों उस का, शत्रु का, आनाधिपति का, जाति के निकाले का और
लौका हुआ अन्न ॥ (३ पुस्तकों में नगर्भं=कदर्यान्न पाठ है । यही अच्छा भी
प्रतीत होता है) ॥ २१३ ॥ चुगलखोर, झूठी गवाही देने वाले और यज्ञ
बेचने वाले, नट, सौचिक=दर्जी और कृतप्र का अन्न (न भोजन करे) ॥ २१४ ॥

कर्मारस्य निषादस्य रद्गावतारकस्य च । सुवर्णकर्तुर्वैणस्य शस्त्र
विक्रयिणस्तथा ॥ २१५ ॥ श्रवतां शौण्डिकानां च चैलनिर्णे-
जकस्य च । रञ्जकस्य नृशंसस्य यस्य चोपपतिर्गृहे ॥ २१६ ॥

अर्थ—लोहार, निषाद, तमाशा करने वाले, सुनार, वांस का काम
बनाने वाले, शस्त्र बेचने वाले ॥ २१५ ॥ और कुत्ते पालने वाले, कलांस
धोबी, रङ्गरेज, निर्दयी और जिसके मकान में जार हो (अर्थात् जिस की
स्त्री उपनिवारिणी हो) उस का (अन्न भोजन न करे) ॥ २१६ ॥

मप्यन्ति ये चोपपतिं स्त्रीजितानां च सर्वशः । अनिर्दशं च
प्रेतान्नमतुष्टिकरमेव च ॥ २१७ ॥ राजान्नं तेजआदत्ते शूद्रान्नं
ब्रह्मवर्चसम् । आयुःसुवर्णकारान्नं यशश्चर्मावकर्तिनः ॥ २१८ ॥

अर्थ—जो (घर में) स्त्री के जार को (जानकर) सहन करते हैं उन का
और जो सब प्रकार स्त्री के आधीन हैं उन का, दशाह के भीतर जो सूत-
काष्ठ है वह, और तृप्ति का न करने वाला अन्न (भोजन न करे) ॥ २१७ ॥
राजा को अन्न तेज को और शूद्र को अन्न ब्रह्मसम्बन्धी तेज को, स्वर्णकार
का अन्न आयु को और चमार का अन्न यश को ले जाता है ॥ २१८ ॥

कारुकात्प्रजाहन्ति बलनिर्णेजकस्य च । गणान्नंगणिकानां च
लोकेभ्यः परिक्रन्तति ॥ २१९ ॥ पूयंचिकित्सकस्यान्नं पुंश्चलया
स्त्वन्नमिन्द्रियम् । विष्टावार्धुषिकस्यान्नं शस्त्रविक्रयिणीमलम्

अर्थ—बढ़ई का अन्न सत्तति का नाश करता है । धोबी का बलनाश
और समुदाय तथा गणिकाका अन्न लोको का नाश करता है (अप्रतिष्ठित है)

॥२१७॥ वैद्य का अन्न पीप के समान है और वेश्या का अन्न इन्द्रिय सम है तथा व्याजवृद्धिजीवी का अन्न विष्टा और शूल बेचने वाले का अन्न (शरीर के) मेल के समान है ॥ २१० ॥

यएतेऽन्येत्वभीज्यान्नाः क्रमशः परिकीर्त्तिताः तेषां त्वगस्थितो-
 म्नाणिवदन्त्यङ्गमनीषिणः २२१ भुक्त्वातोऽन्यतमस्थान्ममत्या
 क्षयणं उपहृमामत्या भुक्त्वा चरेत्कृच्छ्रं रेतो विण्मूत्रमेव च ॥ २२२ ॥

अर्थ—ये और दूसरे कि जिन के अन्न क्रम से भोजन करने योग्य नहीं उन के अन्न को मनीषी लोग त्वचा हड्डी रोज के समान कहते हैं ॥ (इससे आगे दो पुस्तकों में यह श्लोक अधिक पाया जाता है:—

[अमृतं ब्राह्मणस्यान्नं क्षत्रियान्नं पयः स्मृतम् ।

वैश्यान्नमन्नमित्याहुः शूद्रस्य रुधिरं स्मृतम् ॥]

ब्राह्मण का अन्न अमृत, क्षत्रिय का दूध, वैश्य का अन्न, अन्न और शूद्र का रुधिर के समान है ॥ इसी से हम को यह शङ्का होती है कि अन्य श्लोक भी जो भिन्न २ अन्नों को भिन्न २ निन्दनीय उपमा देते हैं, कदाचित् पीछे ही से निन्दार्थवाद के लिये बढ़ाये गये हों । परन्तु आशय कुछ खुरा नहीं) ॥२२१॥ इन में से किसी का अन्न बिना जाने भोजन करे तो तीन दिन उपवास प्रायश्चित्त करे और जान कर भोजन करे तो कृच्छ्र व्रत करे । ऐसे ही बिना जाने वीर्य, मूत्र के भक्षण में भी (कृच्छ्र व्रत करे) ॥ २२२ ॥

नाद्याच्छूद्रस्य पक्वान्नं विद्वानऽश्रद्धिनो द्विजः । आददीताममे
 वास्माद्वृत्तावेकरात्रिकमू२२३ श्रोत्रियस्य कदर्यस्य वदान्धस्य
 च वार्धुपेः । मीमांसित्वोभय देवाः समसन्नमकल्पयन् ॥ २२४ ॥

अर्थ—विद्वान् ब्राह्मण, अद्वा से शून्य शूद्र का पक्वान्न भोजन न करे परन्तु बिना लिये काम न चले तो कच्चा अन्न एक दिन के निर्वाह मात्र ले लेवे (नन्दन टीकाकार ने “अश्रद्धिनः” पाठ सामा है और उत्तम भी यही है । तथा सब से प्राचीन भाष्यकार मेधातिथि ने भी इस पाठान्तर का वर्णन किया है । और अगले श्लोक में अद्वा की प्रधानता का वर्णन है । सर्वज्ञ नारायण भाष्यकार भी अद्वा अर्थ करते हैं । नन्दन टीकाकार यह भी कहते हैं

कि "शुद्धारहित" शूद्र का पक्का खान खावे इस कहने से शूद्रालु शूद्र का पक्का खाद्य समझना चाहिये" ॥ इस से आगे एक श्लोक १ पुस्तक में श्रीरामचन्द्रकी टीका में, जो सब से नवीन है, पाया जाता है:-

[चन्द्रसूर्य ग्रहेणाद्यादद्यात्प्रनात्वा तु मुक्तयोः ।

अमुक्तयोरगतयोरद्याञ्चैव परेऽहनि ॥]

चन्द्र सूर्य के ग्रहण में भोजन न करे । जब ग्रहण होकर (चन्द्र और सूर्य) मुक्त होजायें स्नान करके भोजन करे ॥ यदि बिना मुक्त हुवे छिप जायें तो अगले दिन भोजन करे ॥ यह लीला ग्रहण में भोजन न करने की बात को पुष्ट करने के लिये की गई जान पड़ती है) ॥१२३॥ कृपण श्रीत्रिप और वृद्धिजीवी दाता; इन दोनों के गुण दोषों को विचार कर देवता लोग दोनों के अन्तों को समान कहते थे ॥ इस पर-[देखो संबन्ध पृ० १४४ पं० ९३]

(२०५ से २२४ तक जिन जिनके अन्न अभक्ष्य कहे हैं, उन में कारणों से दोष हैं । कहीं तो अन्न में दोष की सम्भावना है । कहीं अन्न वाले की वृत्ति वा जीविका निन्दित है । कहीं उसका अन्न खाने में अपने ऊपर उसका दुष्भाव रहना अनुचित है । कुछ कुछ अत्युक्ति भी है । कई जगह नवीन श्लोक भी मिलाये गये हैं, जो सब पुस्तकों में नहीं पाये जाते । कहीं उसका अन्न खाने से अपने शौर्य=बहुपपन का नाश है । कहीं अवेदवित्त के करारे वेदविरुद्ध यज्ञ की निन्दायें ही उस यज्ञ का अन्नवर्जित है । कहीं कच्चे अन्न में न्यून विकार और पक्के में अधिक विकार वा संसर्गदोष लगना कारण है । कहीं अपनी वृत्तना की रत्नामात्र ही तात्पर्य है । और जो २ यहाँ गिनाये हैं, उन के अतिरिक्त भी जहाँर हानि का कारण उपस्थित हो वहाँ का अन्न त्याज्य और जो त्याज्य गिनाये हैं उन में हानि की सम्भावना न हो तो प्रायः समझना चाहिये । कारण की प्रधान समझना वृद्धिमानों का काम है यह भोजन (न्योता जीमने) का बहुत प्रपञ्च उस लिये कहा है कि जो पुरुष अत्यन्त शुद्ध पवित्र धर्मात्मा आत्मा की उत्तमता का चाहने वाला द्विजीत्तम है, उसे चूदन से सूक्ष्म भी कोई बुराई न लगने पावे । राजा के अन्नत्याग का तात्पर्य अपने से अति अधिक प्रभुता रखने वाले मात्र के अन्न का त्याग है । उस के भोजन करने से अपना महत्त्व घटता है । महत्त्व और तेज के

घटने से धर्म कर्म का उत्साह भी कम हो जाता है। भूढ़ के अन्न से नीचपन आकर उत्तमता घटती है) सुवर्ण की चोरी महापातक है और सुमार प्रायः उसे कर सकते हैं, इस से उस का अन्न दुराचारप्रवर्तक होने से आयु का नाशक है। यह ही प्रायः हरे वृद्धों को भी लोभ से काटते हैं। उनके अन्न से सन्तति पर प्रभाव पड़ना सम्भव है। धोबी कपड़े के और अपने बल का घटाने वाला है। समुदाय और वैश्या से वृथाऽऽगत धन बहुत मिलना संभव है, उस से जैसे शहद की लोभिनी मक्खी लड़ती नहीं, भर रहती है, वैसे फसना सम्भव है। (चिकित्सक घोर फाड़ करने वाले वैद्य की वृत्ति निष्पन्न हो जाती है। व्याज वाला वृद्धि ही प्रतिक्षण शोचता है। शस्त्र बेचने वाला एक क्रूर जीविका करता है।) इत्यादि कारण स्वयं विचारणीय हैं ॥२२४॥

तान्प्रजापतिराहित्यमाकृध्वंविषमंसमम्। श्रद्धापूतंवदान्यस्य
हतमश्रद्धयेतरत् ॥ २२५ ॥ श्रद्धयेष्टं च पूतं च नित्यं कुर्याद-
तन्द्रितः। श्रद्धाकृते ह्यक्षये ते भवतः स्वागतैर्धनैः ॥ २२६ ॥

अर्थ-ब्रह्मा उन देवतों के पास आकर बोले कि तुम लोग विषम को सम मत करो। क्योंकि वृद्धिजीवी दाता का अन्न श्रद्धा से पवित्र होता है और रूपण श्रोत्रिय का अन्न श्रद्धा से अपवित्र (सम नहीं) होता है ॥२२५॥ श्रद्धा से यज्ञादि और कूप तडागादि को आलस्यरहित होकर सधदा बनाये। न्याया-लित धनों से श्रद्धा से किये हुये ये कर्म अक्षय फल देते हैं ॥ २२६ ॥

दानधर्मं निषेधेत नित्यमैष्टिकपौर्तिकम्। परितुष्टेन भावेन
पात्रमासाद्य शक्तितः ॥२२७॥ यत्किंचिदधिदातव्यं याचितेना-
ऽनसूयया। उत्पत्स्यते हि तत्पात्रं यत्तारयति सर्वतः ॥२२८॥

अर्थ-आनन्द से युक्त होकर योग्य पात्र को पाकर यथाशक्ति यज्ञादि और कूपतडागादि दान धर्मों को सदा करे ॥

(२२७ से आगे केवल एक पुस्तक में ये दो श्लोक अधिक पाये गये हैं:-

[पात्रभूतोहि यो विप्रः प्रतिगृह्य प्रतिग्रहम्। असत्सुविनि-
युञ्जीत तस्मै देयं न किञ्चन ॥ संचयं कुरुते यस्तु प्रतिगृह्य
समन्ततः। धर्मार्थं नोपयुङ्क्ते च न तं तस्करमर्षयेत् ॥]

जो ब्राह्मण दानपात्र बना हुआ प्रतिग्रह लेकर बुरे कामों में लगाता हो उसे कुछ न दे ॥ जो चारों ओर से प्रतिग्रह लेकर घनतन्त्रुय करे परन्तु धर्म के कामों में न लगावे उस तस्कर को न पूजे) ॥२२७॥ दोष न बनाकरकोई अपना दे-कुल मणि तो यथाशक्ति कुछ न कुछ देवे ही, क्योंकि देने वाले को वह पात्र भी कमी मिल जावेगा जो कि सब से तार देगा ॥ २२८ ॥

वारिदस्त्वसिमा प्रीति सुखमक्षयमन्नादः। तिलप्रदः प्रजामिष्टां दीपदश्वरुत्तमम् ॥२२९॥ भूमिदोभूमिमाप्नोति दीर्घमायु- हिरण्यदः। गृहदोऽत्र्याणिवेशमानिरूप्यदोरूपभुत्तमम् ॥२३०॥

अर्थ-जल देने वाला तृप्ति, अन्न का देने वाला अक्षय सुख, तिल का देने वाला यथेष्ट सन्तति और दीपक देने वाला अच्छी आरु पाता है ॥२२९॥ भूमि देने वाला भूमि, सोना देने वाला दीर्घायु, घर देने वाला अच्छे सहल और चांदी देने वाला अच्छा रूप पाता है ॥ (एक पुस्तक में भूमि- नाप्नोति=सर्वमाप्नोति पाठ है) ॥ २३० ॥

वासोदरचन्द्रसालोक्यमश्विसालोक्यमश्वदः । अनडुहुःश्रियं पुष्टां गोदोब्रध्नस्यविष्टपम् ॥२३१॥ यानशय्याप्रहोभार्यामैश्वर्य मभयप्रदः। धान्यदःशाश्वतंसौख्यं ब्रह्मदोब्रह्मसार्ष्टिताम् ॥ २३२॥

अर्थ-वस्त्र देने वाला चन्द्रसमान लोक=शरीर पाता है । घोड़े का देने वाला अश्व वालों की जगह पाता है । बैल का देने वाला बहुत सम्पत्ति और गौ देने वाला सूर्य के तुल्य प्रकाश को पाता है ॥ (एक पुस्तक में अश्विसालोक्यं=सूर्यसालोक्यं पाठ है) ॥२३१॥ सवारी और शय्या का देने वाला भार्या, अभय का देने वाला राज्य, धान्य देने वाला निरन्तर सुख और वेद देने वाला ब्रह्म को प्राप्त होता है ॥ २३२ ॥

सर्वेषामेवदानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते । वार्यन्मगोमहीवास- स्तिलकाञ्चनसर्पिषाम् ॥ २३३॥ येन येन तु भावेन यद्यद्दानं प्रयच्छति । तत्तत्तेनैव भावेन प्राप्नोति प्रतिपूजितः ॥२३४॥

अर्थ-जल, अन्न, राघ, भूमि, वस्त्र, तिल, सुवर्ण और घृत, हन सब दोनों से ब्रह्मदान (वेद का पहाना) अधिक है ॥ २३३ ॥ जिस जिस भाव से जो जो दान देता है उसी र भाव से दिया हुआ स्तकारपूर्वक पाता है ॥ २३४ ॥

योऽर्चितं प्रतिगृह्णाति ददात्यर्चितमेव च । तावुभौ गच्छतः
स्वर्गं नरकं तु विपर्यये ॥२३५॥ न विस्मयेत तपसा वदेदिष्टा च
नानृतम् । नातीऽप्यपवदेद्विप्राब्ध दत्त्वा परिकीर्तयेत् ॥२३६॥

अर्थ—जो सत्कारपूर्वक दान लेता है और जो सत्कारपूर्वक देता है, वे दोनों स्वर्ग में जाते हैं और उद्य के विपरीत करने वाले दोनों नरक में जाते हैं ॥ २३५ ॥

(२२७ से २३५ तक दान का माहात्म्य है । जल प्रत्यक्ष तृप्तिका हेतु है । अन्नभोजन से जैसा सुख मिलना प्रसिद्ध है वैसा अन्य पदार्थ से नहीं । तिलों में सन्तानोत्पादन का प्रभाव है । जब स्त्रियों का रस रुक जाता है वा सन्तानोत्पत्ति में बाधा होती है, तब वैद्य तिलप्रधान भोजन बताते हैं । जैसे गाली देने वाले गाली खाते हैं, वैसे ही जो अन्यो के लिये भलाई करेगा, वह परमात्मा की व्यवस्था से वैसे ही भलाई पावेगा । सोने के बर्फ खाने से आयु बढ़ना वैद्यक का भी मत है । जैसे पृथिवी को किसान बीज देते हैं, पृथिवी उन्हें बीज देती है । क्रुप लोगों को जल देता है तो उन का जल बढ़ता है । चन्द्रमा का रूप सौन्दर्य उपमा में भी लिया जाता है । वस्त्रकी श्वेतता प्रशंसनीय है और चन्द्रमा की भी । खेल-कृष्यादि से वैश्य की लक्ष्मी बढ़ाने वाले हैं । दान के परिमाणानुसार फल का परिमाण वा देश, काल, वस्तु, श्रद्धा आदि के अनुसार फल की न्यूनधिकता सामन्ती ही पड़ेगी) ॥२३५॥ तप करके आश्चर्य न करे (कि मेरा तप बहुत है) और यज्ञ करके असत्य न झोले (कि मैंने यह किया और वह किया) और पीड़ित होने पर भी विप्रों की निन्दा न करे और दान देकर चारों ओर (लोगों से) कहता न फिरे ॥ २३६ ॥

यज्ञोऽनृतेन क्षरति तपःक्षरति विस्मयात् । आयुर्विप्रापवादेन
दानं च परिकीर्तनात् ॥२३७॥ धर्मं शनैः संचिनुयाद्दुल्मीक-
मिव पुत्तिकाः । परलोकसहायार्थं सर्वभूतान्यऽपीडयन् ॥२३८॥

अर्थ—असत्यभाषण से यज्ञ नष्ट होता है, विस्मय से तप तथा ब्राह्मणों की निन्दा से आयु और चारों ओर कहने से दान घटता है ॥२३७ परलोक के हित के लिये सम्पूर्ण जीवों को पीड़ा न देता हुआ, धीरे धीरे धर्म को चक्षित करे, जैसे दीमक बंजी को बनाती है ॥ २३८ ॥

नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः । न पुत्रदारं न
ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठति केवलः ॥२३९॥ एकः प्रजायते जन्तुरेक एव
प्रलयते । एकोऽनुभुङ्क्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम् ॥२४०॥

अर्थ—परलोक में सहाय के लिये सा बाप नहीं रहते, न पुत्र, न स्त्री, केवल
एक धर्म रहता है ॥२३९॥ अकेला ही जीव उत्पन्न होता है और अकेला ही
मरता है । अकेला ही सुकृत को और अकेला ही दुष्कृत को भोगता है ॥२४०॥

मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलीष्टसमं क्षितौ । विमुखा बान्धवा
यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥२४१॥ तस्माद्दुर्मं सहायार्थं नित्यं
संचिनुयाच्छनैः । धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम् २४२

अर्थ—लकड़ी और ढेला सा मृतक शरीर को भूमि पर छोड़ कर बान्धव
पीछे लौट जाते हैं (उस मरे के पीछे कोई नहीं जाता) धर्म उस के पीछे
जाता है ॥२४१॥ इस कारण धर्म को सहाय के लिये सर्वदा धीरे २ छद्मितकरे,
क्योंकि धर्म ही की सहायता से अति कठिन दुःख से तरता है ॥ २४२ ॥

धर्मप्रधानं पुरुषं तपसा हतकिल्बिषम् । परलोकं नयत्याशु
भास्वन्तं स्वशरीरिणम् ॥२४३॥ उत्तमैरुत्तमैर्नित्यं संबन्धाना-
चरेत्सह । निनीषुः कुलमुत्कर्षमधमानधर्मास्त्यजेत् ॥२४४॥

अर्थ—तप से नष्ट हुआ है पाप जिस का ऐसे धर्मपरायण प्रकाशयुक्त मुक्त
स्वरूप पुरुष को (धर्म) शीघ्र मोक्षधाम को लेजाता है ॥२४३॥ कुन का उन्नत
करने की इच्छा करने वाला सर्वदा अच्छे २ पुरुषों के साथ (कन्यादानादि)
संबन्ध करे और अधम २ मनुष्यों के साथ छोड़ देवे (न करे) ॥ २४४ ॥

उत्तमानुत्तमान्गच्छन्हीनान्हीनाश्चवर्जयन् ब्राह्मणः श्रेष्ठता-
मेति प्रत्यवायेन शूद्रताम् ॥२४५॥ दूढकारी मृदुर्दान्तः क्रूराचारै-
संबसन् । अहिंसो दमदानाभ्यां जयेत्स्वर्गं तथा व्रतः ॥२४६॥

अर्थ—(क्योंकि) उत्तम पुरुषों से संबन्ध करने और हीनों के त्याग से
ब्राह्मण श्रेष्ठता को पाता है । नीचसंबन्धों से नीचता को (प्राप्त होजाता है)
॥२४५॥ दूढ़ वृत्ति वाला, निष्ठुरतारहित, शीत उष्णादि का सहन करने वाला,

करभाचरण वाल पुरुषों का सहवास छोड़ता हुआ, हिंसारहित पुरुष दम-
हृन्दिप्रसंयम और दान से स्वर्ग को जीतता है ॥ २४६ ॥

“पृथोदकंमूलफलमन्नमभ्युद्यतं च यत् । सर्वतःप्रतिगृह्णीयान्
मध्वथाऽभयदक्षिणाम् ॥ २४७ ॥ आहृताभ्युद्यतांभिक्षांपुरस्ताद-
ऽप्रचोदिताम् । सेनेप्रजापतिर्ग्राह्यामपिदुष्कृतकर्मणः ॥ २४८ ॥”

अर्थ—“इन्धन, जल, मूल, फल, अन्न और अभयदक्षिणा; ये विना साने
प्राप्त हों तो सद्य से ग्रहण करले ॥ २४७ ॥ ले आई और सामने रखी, लेने
वाले ने पूर्व न सांगी हुई भिक्षा पापकारी से भी ग्रहण करे, यह ब्रह्मा ने
माना है” ॥ २४८ ॥

“नाश्नन्ति पितरभ्य दशवर्षाणि पञ्च चान च हव्यं वहत्य-
धिर्यस्तामभ्यवमन्यते ॥ २४९ ॥ [चिकित्सककृतघ्नानां शिल्पकर्तुश्च
वार्धुषेः । आहृतस्य कुलटायाम् उद्यतामपि वर्जयेत् ॥ न विद्य-
मानमेवैवंप्रतिग्राह्यं विजानता ॥ विकल्प्याविद्यमानेतु धर्महीनः
प्रकीर्तितः ॥] शय्यां गृहान्कुशान्गन्धानपःपुष्पं मणिन्दधि।
धानामत्स्थान् पथी मांसं शाकं चैव न निर्णुदेत् ॥ २५० ॥”

“अर्थ—उस के किये आहु में पितर पन्द्रह वर्ष भोजन नहीं करते और
अग्नि उस के हवि को ग्रहण नहीं करता, जो कि अयाजित भिक्षा का
अपमान करता है ॥ २४९ ॥”

[वैद्य, कृतघ्न, शिल्पी, व्याजजीवी, नपुंसक और वैश्या का प्रतिग्रह
विना सांगे मिलने पर भी न ले । यह प्रतिग्रह जान बूझ कर, अपने पाप
होते हुवे न ले, परन्तु न होते हुवे लेनेमें विकल्प करने से धर्महीन हो जाता
है । इन दोनों श्लोकों पर सब से पिछले रामचन्द्र टीकाकार की टीका है।
मेधातिथि, आदि अन्य ५ की नहीं । इस से जतनकाल में ही इन का मिलाया
जाना पाया जाता है । पिछले और अगले श्लोकों से सम्बन्ध ऐसा निश्चय
है कि कोई जानने न पावे । एक दो में से पहला श्लोक ११ पुस्तकों में उद्धृत
जाता है और दो पुस्तकों में कुछ २ पाठान्तर से पाया जाता है तथा दूसरा
श्लोक केवल एक पुस्तक में ही मिलता है] ॥ २४९ ॥

“शय्या, घर, कुशा, गन्ध, जल, पुष्प, मणि, दधि, धाना, अस्थ, हृय,
मांस और शाक; इनका प्रत्याख्यान न करे (कोई देवे तो न लीटने) ॥ २५० ॥”

गुरुभृत्यांश्चोज्जिहीर्षन्नर्चिष्यन्देवतातिथीन्सर्वतःप्रतिगृह्णी
याकृतुत्प्येत्स्वयंततः ॥२५१॥ गुरुषुस्वभयतोतेषुविनावातैर्गृही
वसन् । आत्मनोवृत्तिमन्विच्छः गृह्णीयात्साधुतः सदा ॥२५२॥

“अर्थ— गुरु और भृत्य भायादि कुधा से पीडित हों तो इन की वृत्ति और देवता अतिथि को पूजन के लिये सब से ग्रहण करले, परन्तु आप उष से भोजन न करे ॥ २५१ ॥ किन्तु माता पिता के सरने पर वा उनके विना घर में रहता हुवा अपनी वृत्ति की इच्छा करता हुवा सदा साधु से ही ग्रहण करे” ॥ २५२ ॥

“आर्थिकः कुलमित्रं च गोपालोदासनापितौ ।

एते शूद्रेषु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्” ॥२५३॥

अर्थ— “आधी सार्फे की खेती आदि करने वाला और कुलमित्र और गोपाल तथा दास और नापित; ये शूद्रों में भोज्यान्म हैं (अर्थात् इन का अन्न भोजन योग्य है) और जो अपने को निवेदन करे (उस का भी अन्न) भोजनयोग्य है ” ॥ २५३ ॥

(सब का जल पीना विना मांगे मिलने पर भी अपेय है और इस २४७ वे में ती मूल फल अन्न सभी विना मांगे स्वयं कोई कहे कि “लीजिये” ती गृह्य करना विधान करके पिछली सारी शुद्धि पर पानी फेर दिया । २४८ वे में दुष्कृतकर्मा की भी अयाचित भिक्षा का ग्रहण अनुचित है । प्रथम ती अयाचित का नाम भिक्षा रखना ही अनर्गल है और शोक बनाने वाले को अपने हृदय में भी घिन और त्याज्य होने का खन्देह है, उसी को दवाता हुवा कहता है कि “ इस को प्रजापति ने ग्राह्य माना है” अर्थात् मरा कहना तुम न मानो ती प्रजापति की अनुमति ती माननी ही चाहिये । धन्य । २४९ में कहा है कि जो अयाचित भिक्षा का अनादर करता है, उस के पितर और अग्नि १५ वर्ष तक कठ्य हठ्य नहीं खाते हैं । मरे पितरों को दशा ती शोक बनाने वाले जाने, परन्तु जीते पितर और अग्नि ती खाते प्रत्यक्ष दीखते हैं । तथा मनु ने ही जब कि दान लेने से न लेने को उत्तम लिखा है कि (प्रापणात्सर्वकामानां परित्यागोविशिष्यते) वा (प्रतिग्रहः प्रत्यवरः) दान लेना हलका तुच्छ काम है ती न लेने वाले को ऐसा भए जानना कि उस का हठ्य अग्नि भी नहीं ग्रहण करता, कैसे अन्धेर की बात

है। २५० में पाठभेद भी है। ३ पुस्तकों में (मशीन्=फलम्) पाठ है और इस श्लोक बनाने वाले का जी मछली को ऐसा ललच गया कि प्रक्षिप्त श्लोकों में ही अध्याय ५ श्लोक १५ में मछली को खाना सर्वभक्षीपना होने से बर्ज्य बताया, उसे क्षी भूल गया। वा इन प्रक्षिप्तों का कर्ता भी एक पुरुष नहीं किन्तु अनेकों के भिन्न २ समयों में ये श्लोक मिलाये हैं और चोर को सुध भी नहीं रहती कि आगे पीछे क्या है। २५१ में सब प्रतिग्रह माता पिता आदि तथा देवता अतिथि की पूजार्थ याँच कर दिया। भला जो अपना पेट नहीं भर सकता, न आने माता पिता का, उसके अतिथि क्यों आने लगा है। अतःक विप्रकी वृत्तियों का वर्णन करते हुवे खेती याण्ड्यादि जय उसका कर्म ही नहीं तब २५३ वे का यह कहना कि आधा खाया खेती ध्यापारादि में जिन का ही इत्यादि शूद्रों का अन्न भी भक्ष्य है, असङ्गत है और खेती वैश्यकर्म है, शूद्र कर्म नहीं (२५६ के आगे जो दो श्लोक सब पुस्तकों में भी नहीं मिलते, वे भी अपने साधियों के प्रक्षिप्त होने के संशय को दूर करते हैं और २५६ वा २५४ से सम्बन्ध भी नहीं विगड़ता (इत्यादि कारणों से हमारी सम्मति में २५७ से २५३ तक ७ श्लोक प्रक्षिप्त हैं) ॥ २५३॥

यादृशोऽथ भवेदात्मा यादृशं च चिकीर्षितम् ।

यथा चोपचरेदेनं तथात्मानं निवेदयेत् ॥ २५४ ॥

अर्थ—जैसा इस का आत्मा हो और इस को करना हो और जैसे इस की कोई सेवा करे वैसा ही अपने को निवेदन करे ॥ २५४ ॥

योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथासत्सु भाषते । स पापकृत्तमो लोकेस्तेन आत्मापहारकः ॥२५५॥ वाच्यर्थानियताः सर्वेवाङ्-मूलावाग्विनिःसृताः। तांतुयःस्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयकृन्नरः २५६

अर्थ—जो अपने को और कुछ बताता है और है कुछ और, वह लोगोंमें बड़ा पाप करने वाला आत्माका घुराने वाला चोर है ॥२५५॥ सम्पूर्ण अर्थवाणी में तन्धे हैं और सब का मूल वाणी ही है और सब वाणी से निकले हैं, उस वाणी को जो घुरावे वह मनुष्य सम्पूर्ण चोरियों का करने वाला है ॥२५६॥

महर्षिपितृदेवानांगत्वाऽऽनृण्यं यथाविधि। पुत्रे सर्वं समासज्य वसेन्मध्यस्थमाश्रितः ॥२५७॥ एकाकी चिन्तयेन्नित्यं विविक्ते

हितमात्मनः। एकाकी चिन्तयानो हि परं श्रेयोधिगच्छति ॥ २५८ ॥

अर्थ—अपि पितर देवता इन को अज्ञ देकर और यथाविधि पुत्र को कुटुम्ब भार सौंप कर, समदर्शी होकर रहे ॥ २५७ ॥ निर्जन स्थान में अकेला आत्मा का हित चिन्तन करे, क्योंकि अकेला ध्यान करता हुआ परम श्रेय (मोक्ष) पाता है ॥ २५८ ॥

एषोदितागृहस्थस्य वृत्तिर्विप्रस्य शाश्वती। स्नातकव्रतकल्पश्च सत्त्ववृद्धिकरः शुभः ॥ २५९ ॥ अनेन विप्रो वृत्तेन वर्तयन्वेदशास्त्रवित् । व्यपेतकल्मषो नित्यं ब्रह्मलोके महीयते ॥ २६० ॥

इति मानवे धर्मशास्त्रे (भृगुप्रोक्तायां संहितायां)

चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

अर्थ—यह गृहस्थ ब्राह्मण की सनातन वृत्ति और स्नातक का व्रत और कल्प जो शुभ शुभा की वृद्धि करता है, कहा ॥ २५९ ॥ वेद शास्त्र का जानने वाला विप्र इस शास्त्रोक्त आचार से नित्यकर्मनुष्ठान करता हुआ पाप को नष्ट कर ब्रह्मलोक में बड़ाई को पाता है ॥ २६० ॥

इति श्री तुलसीरामस्वामिविरचिते मनुभाषानुवादे

चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

—*—

अथ पञ्चमोऽध्यायः

‘श्रुत्वैतानृषयो धर्मान् स्नातकस्य यथोदितान् । इदमूचुर्महात्मान-
सनलप्रभवं भृगुम् ॥ १ ॥ एव यथोक्तं विप्राणां स्वधर्ममनु-
तिष्ठताम् । कथं मृत्युः प्रभवति वेदशास्त्रविदां प्रभो ! ॥ २ ॥

अर्थ—ऋषि लोग स्नातक के यथोक्त धर्म सुन कर महात्मा अग्निवंशी भृगु के प्रति यह वचन बोले ॥१॥ (कि)-हे प्रभु ! जो ब्राह्मण स्वधर्म करते और वेदशास्त्र के जानने वाले हैं, ऐसे विप्रों की (अकाल) मृत्यु कैसे हो जाती है ? ॥ २ ॥ ”

“स तानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्मानवो भृगुः ।

श्रूयतां येन दोषेण मृत्युर्विप्राञ्छिघांसति ॥ ३ ॥ ”

अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात् ।

आलस्यादन्वदोषाञ्च मृत्युर्विप्राञ्छिघांसति ॥ ४ ॥

अर्थ—“मनुवंशी भृगु जी उन महर्षियों के प्रति बोले कि सुनिये- जिस दोष से मृत्यु (अकाल में) विप्रों को मारना चाहता है” (इन श्लोकों से यह स्पष्ट पाया जाता है कि इन का कर्ता मनु नहीं है, न भृगु । किन्तु किसी ने “विप्राञ्छिघांसति” इन चतुर्थ श्लोक में आये पदों की सङ्गति मिलाकर ये श्लोक बना दिये हैं) ॥३॥ वेदों के अनभ्यास और आचार के छोड़ने तथा सत्कर्मा में आलस्य करने और अन्न के दोष से (अकाल) मृत्यु विप्रों को मारना चाहता है (आगे अन्न दोष बताते हैं :-) ॥ ४ ॥

लशुनंगृज्जनं*चैव पलाण्डुकवकानि च । अभक्ष्याणि द्विजा-
तीनामभेद्यप्रभवाणि च ॥ ५ ॥ लोहितान्वृक्षानिर्यासान्वश्रुन
प्रभवांस्तथा । शैलुं गव्यं च पेयूषं प्रयत्नेन विवर्जयेत् ॥ ६ ॥

अर्थ—लहसन, * शलगन्, पियाज, कुकुरमुत्ता और जो नैले में उत्पन्न हों, द्विजातियों का अभक्ष्य है ॥

* साधारणतया गृञ्जन को ३ अर्थों में लेते हैं। १-गाजर २-शलज्जम वा शलगम ३-लहसन, परन्तु मुख्य करके गृञ्जन का अर्थ शलगम ही जान पड़ता है। जैसा कि धन्वन्तरिनिघण्टु करवीरादि ४ वर्ग अङ्क १० में-

गृञ्जनं शिखिमूलं च यवनेष्टं च वर्तुलम् ।

ग्रन्धिमूलं शिखाकन्दं कन्दं डिण्डीरमोदकम् ॥

गृञ्जनं कटुकीर्णं च दुर्गन्धं गुल्मनाशनम् ।

रुच्यं च दीपनं हृद्यं कफवातरुजापहम् ॥

गृञ्जन जिस के मूल पर शिखा है, जो यवनों का दृष्ट (पञ्चन्द) है, गोल है, जो गांठदार मूल है, शिखा कन्द, कन्द, डिण्डीरमोदक जिस के नामान्तर हैं, वह गृञ्जन कटु गर्म दुर्गन्ध है और गुल्मरोगनाशक है। रुचि, अग्नि और हृदय को बढ़ाने वाला, वात कफ रोगों का नाशक है ॥ इस से शलगम का अर्थ पाया जाता है क्योंकि ये गुण जिन में विशेष कर यवनेष्टता, कटुता, दुर्गन्ध, वात कफनाशकता, उष्णता, गोल होना, गांठ होना, ऐसे लक्षण हैं, जो गाजर से नहीं मिलते, शलगम से ही मिलते हैं ॥ गृञ्जन से लहसन के ग्रहण में प्रमाण-

महाकन्दो रसोनोऽन्यो गृञ्जनो दीर्घपत्रकः ।

धन्वन्तरि निघण्टु करवीरादि ४ वर्ग-इस में लम्बे पत्रे वाले (रसोनलहसन) को भी गृञ्जन कहा है ॥ गृञ्जन का अर्थ गाजर होने में प्रमाण-

गाजर के नाम और गुण उक्त ग्रन्थ के उक्त पत्रे पर-

गर्जरं पिङ्गलं मूलं पीतकं मूलकं तथा ।

स्वादुमूलं सुपीतं च नागरं पीतमूलकम् ।

गर्जरं मधुरं रुच्यं किञ्चित्कटु कफापहम् ॥

आध्मानकृमिशूलघ्नं दाहपित्तवृषापहम् ॥

इस में गर्जर के बदले ३ पाठ पाये जाते हैं। १ गृञ्जन २ गृञ्जर ३-गर्जर।

यही गाजर है, क्योंकि इस का पीला होना, कफकारक होना, स्वादुमूल होना, मधुर होना, दाह पित्त वृषा शान्त करने वाला होना; ऐसे गुण हैं जो गाजर में पाये जाते हैं ॥

अब गृञ्जन का अर्थ गाजर लेने में केवल १ पाठान्तर का सहारा है, अन्य कुछ नहीं, फिर कलकत्ते के छपे बड़े कोष "शब्दकल्पद्रुम" में जो राधाकान्त देव बहादुर ने प्रकाशित किया है उस में भी गृञ्जन का अर्थ शलगम है। यथा-

गृञ्जनम्-क्री० । मूलविशेषः । (विषदिग्धपशोर्मांसम्, इति मेदिनी) शलगम इति ख्यातः । यवनेष्टम् । शिखा-
कन्दम् । कन्दम् । कटुत्वम् । उष्णत्वम् । कफवातरोगगुल्म-
नाशित्वम् । रुच्यं, दीपनं, हृद्यं, दुर्गन्धम् ॥

इत्यादि से भी पाया जाता है कि स्पष्ट शलगम ही गृञ्जन है। मेदिनी कोषकार गृञ्जन का अर्थ जहर (विष) में बना पशुनांस कहते हैं। तथा अन्यत्र यह भी सुनते हैं कि-

गोलोम्यां गृञ्जनं प्रोक्तं लशुने वृत्तमूलके ।

अर्थात् गोलोमी ओषधि का नाम गृञ्जन है- और गोल आकार मूल लशुन के अर्थ में भी गृञ्जन शब्द है ॥ अमरकोष २ । ४ । १४८ में-

लशुनं गृञ्जनारिष्टमहाकन्दरसोनकाः ।

कहा है, जिस से लशुन शब्द का पर्याय गृञ्जन पाया जाता है। उसी की महेश्वरकृत अमरविवेकनाम्नी टीका में कहा है कि-

लशुनगृञ्जनयोराकृतिभेदेऽपिरसैक्यादऽभेदइतिवहवोमन्यन्ते

लशुन और गृञ्जन के आकार (सूरत-शकल) में भेद होने पर भी रस (स्वादु) एकसा होने से यहां अमरकोष में दोनों को एक (अभिन्न) कहा है। ऐसा बहुतों का मत है ॥

वैदिकनिघण्टु में गृञ्जन शब्द पाया ही नहीं जाता ॥ उणादिकोष में भी इस शब्द का पता नहीं मिलता ॥

बहुपक्ष और बहुत गुणों के मेल से गृञ्जन का अर्थ शलगम पाया जाता है। यदि यवनेष्ट आदि विशेषणों वा किन्हीं ऐतिहासिक प्रमाणों से यह भी पता-पाया जाय कि शलगम का आगमन भारतमें यवनराज्यारम्भमें हुआ, तब भी गृञ्जन का अर्थ गोलोमी हो वा अन्य हो, गाजर नहीं समझ पड़ता ॥

उक्त मनु के प्रलोक में लशुन शब्द पृथक् पठित है, अतः गृञ्जन का अर्थ लशुन भी नहीं ले सकते क्योंकि वैद्यक शास्त्र का मत है कि-

तुल्याभिधानानि तु यानि शिष्टैर्द्रव्याणियोगे विनिवेशितानि
अर्थाधिकारागमसंप्रदायैर्विभज्यतर्केण च तानियुज्यात् ॥

अर्थात् शिष्टों के प्रयुक्त अनेकार्थवाचक एक शब्द के प्रयोग में अर्थ
अधिकार=प्रकरण, शास्त्र के संप्रदाय और तर्क से विभाग करके काम में लावे ॥

सो यहां लघुन शब्द के भिन्न प्रयोग से और ब्रह्मचर्य के प्रकरण से
ब्रह्मचर्यनाशक शलगम का अर्थ ही शृङ्गन शब्द से ग्राह्य है वा गोतोमी का
किन्तु गाजर का नहीं ॥५॥ रक्तवर्ण वृद्धों के गोंद और वृद्धों के छेदने से जो
रस निकलता है वह तथा लिखोड़ा=लभेड़ा और नवीन ज्वाई हुई गाय का
दूध (पेवही) यत्र से छोड़ देवे ॥ ६ ॥

“वृथा कृसरसंयावं पायसापूपमेव च ।

अनुपाकृतमांसानि देवान्नानि हवींषि च ॥७॥”

अनिर्दशाया गोः क्षीरमौष्ट्रमैकशफं तथा ।

आविकं संधिनीक्षीरं विवत्सायाश्च गोः पयः ॥८॥

अर्थ—“ (तिल चावल मिलाकर पकाया) कृसरसंयाव, लपसी वा खीर,
तथा मालपूआ, ये सब वृथा पक्वान्न (अर्थात् विना वैश्वदेव) और बलि विना
मांस और हवन के पुरोडाशों को (न भक्षण करे) ” ॥

(जब कि बलिवैश्वदेवादि न करके भोजन मात्र ही पूर्व निषिद्ध कर आये
तब तिल, चावल, लपसी, पूड़े, मांस, हव्य आदि के गिनाने की क्या आवश्य-
कता है ? क्या अन्य वस्तु खाने पकाने में वैश्वदेवादि आवश्यक नहीं ? यह
मांसाहारियों की लीला प्रक्षिप्त है। एक पुस्तक में “पूपमेव च=पूषणकुली”
पाठभेद भी है) ॥ ७ ॥ १० दिन तक प्रसूता गौ का दूध, जंटनी का, घोड़ी
आदि एक खुवाली का और भेड़ का, ऋतुमती का तथा जिस का बच्चा
मर गया हो उस गौ का दूध (त्याग देवे ॥ इस से आगे १ पुस्तक में यह श्लोक
अधिक पाया जाता है :-

[क्षीराणि यान्यभक्ष्याणि तद्विकाराशने बुधः।

सप्तरात्रव्रतं कुर्यात्प्रयत्नेन समाहितः ॥]

जो दूध अभक्ष्य हैं उन की बनी वस्तु खा लेवे तो जानने पर एकाग्रता
से यत्र पूर्वक ७ रात्रि का व्रत करे) ॥ ८ ॥

आरण्यानां च सर्वेषां मृगाणां माहिषं विना।स्त्रीक्षीरंचैव
वज्यानि सर्वशुक्तानि चैवहि ॥९॥ दधिभक्ष्यं च शुक्तेषुसर्वं च
दधिसंभवमायानि चैवाभिषूयन्तेपुष्पमूलफलैः शुभैः ॥१०॥

अर्थ-मैत को छोड़ कर, वन में रहने वाले सब मृगों को दुग्ध और
निज स्त्री का दुग्ध तथा बहुत समय के रहने हुवे सब पदार्थ भी न खावे
पीवे ॥९॥ खड़े हुवे द्रव्योंमें दही, मट्ठा और जो दही में बने पकौड़ी
आदि तथा उत्तम पुष्प मूल फल के संधान से जो पदार्थ (अचार आदि)
बनते हैं, वे भक्षण योग्य हैं ॥

(इन भक्ष्यों में कोई दुर्गन्धितयुक्त, कोई शलगम आदि कामोत्तेजकहोकर
विषयी बना केवल वीर्यनाशक, कोई तमोगुणी बुद्धिनाशक हैं। और यदिकहीं
स्त्रेच्छादि अभक्ष्यभक्षियों की दीर्घ आयु और फलादि शुद्ध सात्विकादिखाने
वालों की भी अल्प आयु देखते हैं, वह अन्य कारणों से हो ही सकती है।

“क्रव्यादाज्जुकुनान्सर्वास्तथाग्रामनिवासिनः।अनिर्दिष्टांश्चैव
कशपांष्टिहिभं च विवर्जयेत् ॥११॥ कलविद्धंमूवंहंसंचक्राङ्गं
ग्रामकुक्कुटमासारसं रज्जुजालं च दात्यूहंशुकसारिके ॥१२॥”

“अर्थ-कच्चे मांस के खाने वाले सब जानवरों, ग्राम के रहने वालों, न
बताये हुवे एक खुरबाली तथा गर्दभ और टिड्डी को छोड़ देवे ॥११॥ चिड़िया
परेश, हंस, चकवा, ग्राम, का सुरना, सारस, बड़ी गुद्दी वाला जलकाक,
पपीहा, तोता मैना ॥ १२ ॥”

“प्रतुदाज्जालपादांश्च कोयष्टिनखविष्किरान् । निमज्जतश्च
मत्स्यादान् सौनंवल्लूरमेवच ॥१३॥ बकंचैवबलाकांचकाकीलं
खञ्जरीटकम्।मत्स्यादान्विडूवराहांश्चमत्स्यानेवचसर्वशः ॥१४॥”

“अर्थ-घोंच से फाड़ कर खाने वाले, जिन के पैरों में जाल या हो
(वाक इत्यादि), चील्ह और जो नखों से फाड़ कर खाते हैं तथा, पानीमें डूब
कर जो मछलियों को खाते हैं और सौन=मारने के स्थान का मांस और
शुष्क मांस ॥१३॥ बगुला और बत्तक, करैतवा, खज्जुन (मीमला) और मछली
के खाने वाले तथा विष्टाभक्षी सूकर और संपूर्ण मछलियों को (न खावे) ॥१४॥”

“यो यस्य मांसमश्नाति स तन्मांसात् उच्यते। मत्स्यादः सर्वमांसाद्
स्तस्मान् सत्स्यान् विवर्जयेत् ॥ १५ ॥ पाठी न रोहिता वा द्यौ नियुक्तौ
हृष्यकव्यथीः राजीवान् सिंहतुण्डाश्च सशल्काश्चैव सर्वशः ॥ १६ ॥”

“अर्थ—जो जिस का मांस खाता है वह उस मांसका खाने वाला कहलाता है (मछली सबका मांस खाती है) इस को जो खावे वह सबका खानेवाला कहलाता है, इससे मछली को न खावे ॥ १५ ॥ पाठा और रोहूये दो मछली हृष्यकव्यथी ली गई हैं, इस से भक्षण योग्य हैं और राजीव, सिंहतुण्डा और सब मोटी खाल वाली, मछली (ये भी भक्षण योग्य हैं) ॥ १६ ॥”

“न भक्षयेद्देकचरान्जातांश्च मृगद्विजान् भक्षयेज्वापि समुद्रिष्टान्
सर्वान्पञ्चनखांस्तथा १० श्वाविधंशल्यकंगोधांखड्गकूर्मशशां
स्तथा । भक्ष्यान्पञ्चनखेष्वाहुरनुष्टांश्चैकतोदतः ॥ १८ ॥”

“अर्थ—अकेले चरने वाले (सर्पादि) और मृगपक्षी जो जाने नहीं गये हैं और जो भक्ष्यों में भी कहे हों वे पञ्चनख सब भक्ष्य नहीं (जैसे वानरादि) ॥ १७ ॥ श्वाविध= सेह, शल्यक गोधा, खड्ग, कछुवा, शशा; ये पांच नख वालों में भक्षण योग्य हैं, कंट को छोड़ कर एक ओर दांत वाले भी ” ॥ १८ ॥

“छत्राकं विड्वराहं च लशुनं ग्रामकुक्कुटम्। पलाण्डुं गृज्जनं चैव
मत्या जग्ध्वापतेद्द्विजः ॥ १९ ॥ अमत्यै तानि षड्जग्ध्वाकृच्छ्रं
सान्तपनं चरेत्। यतिचान्द्रायणं वापि शेषेषूपवसेदहः २० ॥”

“अर्थ—छत्राक और ग्रामसूकर, लशुन, ग्रामका मुर्गा, पियाज, शलगमये सब बुद्धिपूर्वक जो द्विज भक्षण करे वह पतित होवे ॥ १९ ॥ इन छःको जो बुद्धिपूर्वक भक्षण करे तो (एकादशाध्यायमें कहे) सान्तपन वा यतिचान्द्रायण प्रायश्चित्त करे और इन से शेष का भक्षण करले तो एक दिन उपवास करे ॥ २० ॥

“संवत्सरस्यैकमपि चरेत्कृच्छ्रं द्विजोत्तमः। अज्ञातभुक्तशुद्ध्यर्थं
ज्ञातस्य तु विशेषतः ॥ २१ ॥ यज्ञार्थं ब्राह्मणैर्वध्याः प्रशस्ता मृग-
पक्षिणः। भत्यानां चैव वृत्त्यर्थं मगस्त्यो ह्याचरत्पुरा ॥ २२ ॥”

“अर्थ—कभी बिना जाने निषिद्ध का भक्षण कर लिया हो इसलिये द्विज १ वर्ष में १ कच्छव्रत कर लिया करे और जानबूझकर किया हो तो विशेष

करके ॥२१॥ यज्ञ और पोष्यवर्ग की तृप्ति के लिये ब्राह्मण भक्ष्य मृग पक्षियों को मारे क्योंकि पूर्व अगस्त्य मुनि ने भी किया है ॥ २२ ॥”

“बभ्रुवुर्हि पुरोडाशा भक्ष्याणां मृगपक्षिणाम् ।

पुराणेष्वपि यज्ञेषु ब्रह्मक्षत्रसवेषु च” ॥ २३ ॥

यत्किञ्चित्स्नेहसंयुक्तं भक्ष्यं भोज्यमगर्हितम् ।

तत्पर्युषितमप्याद्यं हविःशेषं च यद्भवेत् ॥२४॥

अर्थ - क्योंकि प्राचीन ऋषियों और ब्राह्मण क्षत्रियों के यज्ञों में भक्ष्य मृग पक्षियों के पुरोडाश हुआ करते थे” (११ से २३ वें तक १३ श्लोक मांसाहारियों ने अन्य मांसों की परिशेष से भक्ष्यता सिद्ध करने को निलाये हैं । इस में कुछ भी संशय नहीं है । १० वें श्लोक में बासी सड़े खटे खमीरी पदार्थों का वर्णन है, फिर २४ ~ में भी बासी रक्खे हुवे पदार्थों का ही वर्णन है । इस से उसका सम्बन्ध निर्झम है । लशुन छत्राक पलाण्डु गृध्रन का निषेध ५ में कर आये, फिर १९ में लिखना प्रमाद है” २२ वें में यह जोर लगाना कि यज्ञार्थ ब्राह्मणों को उत्तम मृग पक्षी वध्य है, पहिले अगस्त्य मुनि ने भी मारे थे, स्पष्ट बतलाया है कि यह अगस्त्य की पौराणिक कथा के भी बनने से पीछे किसीके निलाये हैं । २३ वें में प्राचीन ऋषियों के भी यज्ञों में भक्ष्य मृग पक्षियों के मांस से पुरोडाश बनाये गये थे । यह कहना सिद्ध करता है कि श्लोक बनाने वाला अपने समय में मांस को अभक्ष्य मण्डित जान कर प्राचीन साक्षी देने की कल्पना करता है और “बभ्रुवुः” इस परोक्षभूत क्रिया से जतलाता है कि यह बात बहुत पुरानी है, जो आंखों से देखा नहीं है । भला स्वायंभुव मनु से पूर्व परोक्षभूत कौन लोग ऋषि थे ? और अगस्त्य कहां था ?) ॥२३॥ जो कुछ भक्ष्य या भोज्य निर्दिष्ट नहीं है, वह बासी होने पर भी घृतादियुक्त हो तो भक्षण करले और जो शेष चरु दहन से बचा है उसे भी (अर्थात् पुरोडाश बिना घृतादि लगा भी भक्षण करले) ॥ २४ ॥

चिरस्थितमपि त्वाद्यमस्नेहात्कंद्विजातिभिः ।

यवगोधूमजं सर्वं पयसश्चैव विक्रिया ॥ २५ ॥

“एतदुक्तं द्विजातीनां भक्ष्याभक्ष्यमशेषतः ।

मांसस्यातः प्रवक्ष्यामिविधिं भक्षणवर्जने ॥२६॥

अर्थ-महुत काल की भी जी या गेहूं की घृतरहित और दूधकी (मिठाई आदि)वनी वस्तु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भक्षण करलें ॥२३॥ “यह द्विजातियों का निःशेष भक्ष्याभक्ष्य कहा, इसके उपरान्त मांस के भक्षण और त्याग की विधि कहेंगे” । (जब निःशेष भक्ष्याभक्ष्य कह चुके और मांस भी प्रक्षिप्त श्लोकों में बता चुके, फिर दुबारा उस का प्रस्ताव प्रसाद और धिगई है। अतः आगे के श्लोक भी ४२ तक प्रक्षिप्त हैं) ॥ २६ ॥

“प्रोक्षितंभक्षयेन्मांसंब्राह्मणानांचकाम्यथा।यथाविधिनियु-
क्तस्तुप्राणानामेवचात्यये॥२७॥प्राणस्यान्नमिदंसर्वंप्रजापति
रऽकल्पयत्।स्यावरंजङ्गमंचैव सर्वं प्राणस्य भोजनम्॥२८॥”

अर्थ-“ब्राह्मणों की कामना मांसभक्षण की हो तो यज्ञ में प्रोक्षणविधि से शुद्ध करके भक्षण करे और प्राणरक्षा के हेतु विधि के नियम से ॥ २७ ॥ प्राण का यह सम्पूर्ण अन्न प्रजापति ने बताया है । स्यावर और जङ्गम सम्पूर्ण प्राण का भोजन है” ॥ २८ ॥

“चराणामन्नमचरादंष्ट्रिणामप्यदंष्ट्रिणः।अहस्ताश्चसहस्तानां
शूराणां चैवभीरवः॥२९॥नात्तादुष्यत्यदन्नाद्यान्प्राणिनीऽह-
न्यहन्यपि।धात्रैवसृष्टाह्याद्याश्च प्राणिनीऽत्तारएवच॥३०॥”

“अर्थ-चर जीवों के अचर (घास आदि) और दंष्ट्रियों के अदंष्ट्र (व्याघ्रादि के हरिणादि) और हाथ वालों के बिना हाथ वाले (मनुष्यों के मछली आदि) और शूरों के डरपोक, ऐसे एक का एक भोजन बनाया है ॥२९॥ भक्षणयोग्यो को भक्षण करते हुवे खाने वाले को दोष नहीं लगता क्योंकि विधाता ने ही भोजन और भोजन करने वालों को उत्पन्न किया है” (यं तो चारों और धनों को भी विधाता ने ही बनाया है तो क्या चोरी पाप नहीं ?) ॥ ३० ॥

“यज्ञायजग्धिर्मांसस्येत्येषदैवोविधिःस्मृतः।अतोऽन्यथाप्रवृत्ति
स्तुराक्षसोविधिरुच्यते॥३१॥क्रीत्वास्वयंवाप्युत्पाद्यपरोपकृत
मेववा।देवान्पितृंश्चार्चयित्वा खादन्मांसं न दुष्यति॥३२॥”

अर्थ-“यज्ञ के निमित्त मांसभक्षण करना देवविधि है और इस के सिवाय मांसभक्षण राक्षसविधि कही है ॥३१॥ सोल लेकर अथवा आप ही

मार कर या दूसरे किसी ने लाकर दिया हो, उस को देवता और पितरों को चढ़ा कर खाने से दोष नहीं । (४ पुस्तकों में "परोपहतम्" पाठ है । मनु ती ११ वें अध्याय में इसे पिशाचादि का भक्ष्य कहेंगे) ॥ ३२ ॥

“नाद्याद्विधिनामांसंविधिज्ञोऽनापदिद्विजः।जग्ध्वा ह्यविधिना मांसं प्रेत्य तैरद्यतेऽवशः ॥३३॥ न तादृशं भवत्येनोमृगहन्तुर्धनार्थिनः।यादृशं भवति प्रेत्य वृथा मांसानि खादतः३४”

अर्थ-अनापत्ति में विधि का जानने वाला द्विज विना विधि के मांस भक्षण न करे क्योंकि विना विधि के जो मांस भक्षण करता है, उस के मरने पर जिन का मांस उस ने खाया है, उसे वे खाते हैं ॥३३॥ रोज़गार के लिये जो पशु मारते हैं, उन को वैसा पाप नहीं होता जैसा कि विना देवपितरों को चढ़ाये मांसभक्षण करने वाले को पाप होता है ॥ ३४ ॥”

“नियुक्तस्तु यथान्यायं यो मांसं नात्ति मानवः।संप्रेत्य पशुतां याति संभवानेकविंशतिम् ३५ असंस्कृतान्पशून्मन्त्रैर्नाद्याद्विप्रः कदाचन।मन्त्रैस्तु संस्कृतानद्याच्छाश्वतं विधिमास्थितः ॥३६”

“ अर्थ-भधुपर्क या श्राद्ध में विधि से नियुक्त हुवा जो मांसभक्षण न करे वह मरके दक्षीण वार पशुयोनि में जन्म लेता है (इस धिंगई को तो देखो कि खाने वाले को दोष न मानना तो एक ओर रहा, न खाये तो २१ जन्म तक पशु बने। क्या इस से भी मांसभक्षी वाममार्गियों का प्रक्षेप नहीं जान पड़ता ?) ॥ ३५ ॥ मन्त्रों से जिन का संस्कार नहीं हुवा, उन पशुओं को विप्र कभी भक्षण न करे और शाश्वत वेद की विधि से यागादिकों में संस्कृत किये हुवों को भक्षण करे (किसी वेदानुकूल यज्ञ में पशुवध विहित धर्म नहीं, श्रौतसूत्रों में जो कुछ है, वह भी इन्हीं वाममार्गियों की लीला है) ॥३६॥

“कुर्याद्घृतपशुं सङ्गं कुर्यात्पिष्टपशुं तथा । न त्वेव तु वृथा हन्तुं पशुमिच्छेत्कदाचन ॥३७॥ यावन्ति पशुरोमाणि तावत्कृत्वो ह मारणम्।वृथापशुघ्नः प्राप्नोति प्रेत्य जन्मनि जन्मनि ॥३८॥”

“ अर्थ-खाने की इच्छा ही हो तो घृत का पशु वा पिष्ट (मैदा) का पशु बनाकर यथाविधि खावे परन्तु विना देवता के उद्देश पशु मारने की इच्छा

न करे (धन्य !!! आटा वा घृत को भी पशु के आकार बना कर खचता है !!! इसी से कोई २ गुप्त वाममार्गी बाह्यभीरु यज्ञ में भी आटे वा घृत के पशु बनाया करते थे, यह प्रसिद्ध है) ॥३७॥ विष्णु देवता के उद्देश जो पशु मारता है वह मरने पर जितने पशु के रोम हैं उतने ही जन्मों तक अन्यों से नारा जाता है (हमारी सम्मति में तो देवतों का नास न लेकर खाने वाले पापी इतने बढ़िया कलङ्की नहीं हैं, जितने ये हैं । ५ पुस्तकों में “ कृत्वेह ” पाठभेद है) ॥ ३८ ॥ ”

“यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयं भुवा । यज्ञस्य भृत्यैः सर्वस्य तस्माद्यज्ञे वधोऽवधः । ३९ औषध्यः पशवो वृक्षास्तिर्यञ्चुः पक्षिणस्तथा । यज्ञार्थं निधनप्राप्ताः प्राप्नुवन्त्युत्सृतीः पुनः ॥ ४० ॥”

“ अर्थ—ब्रह्मा ने स्वयं ही सब यज्ञ की सिद्धि वृद्धि के अर्थ पशु बनाये हैं, इस लिये यज्ञ में पशुवध नहीं है (५ पुस्तकों में यज्ञोऽस्य ” पाठ है) ॥ ३९ ॥ औषधि, पशु, वृक्ष, कूर्मादि और पक्षी; यज्ञ के अर्थ मारे जावें तो उत्तम योनि को प्राप्त होते हैं ॥ ४० ॥ ”

“मधुपर्कं च यज्ञे च पितृदैवतकर्मणि । अत्रैव पशवो हिंस्या नान्यत्रेत्यब्रवीन्मनुः ॥ ४१ ॥ येष्वर्थेषु पशून् हिंसन्वेदतत्त्वार्थविद्वद्विजः । आत्मानं च पशुं चैव गमयत्युत्तमां गतिम् ॥ ४२ ॥”

“ अर्थ—मधुपर्क, यज्ञ और आहुत तथा देवकर्म; इन में ही पशुवध करे, अन्यत्र नहीं करे “ यह मनु ने कहा है ” (जो हां आप के भी हृदय में सन्देह है कि कदाचित् कोई इस को मनुवाक्य न समझे । चोर की छाडी में तिनका) ॥ ४१ ॥ वेद का तत्त्वार्थ जानने वाला द्विज इन्हीं मधुपर्कादि में पशुहिंसा करता हुआ आप और पशु दोनों को उत्तम गति प्राप्त कराता है। (तो पहले अपने पुत्रादि को भेट चढ़ाकर उत्तम गति क्यों न दिखलाई जावे? २६ से ४२ तक १७ श्लोक निकाल कर २५ वें से ४३ वें को मिला कर पहिये ती प्रकरण ठीक मिल जाता है और इस मांस की विधि को मनु में मिलाने वाले ने ऐसी अधिकता से मिलाया है कि एक ही बात (आहुतादि न करके मांस न खावे) अनेक बार पिटप्रेषण करता ही जाता है । यह मांसभक्षण किसी कर्म में मनु का संमत नहीं है, इस का निषेध मनु ने स्वयं इसी अध्याय के ४३ वें से ५५ वें तक १३ श्लोकों में बड़े बलपूर्वक किये है और

यौरेवार इसकी बुराई, घिनीनापन, दूषितता एवं पापता सब बतलाई हैं, वे बुराइयें यज्ञ में कैसे दूर हो सकती हैं। और ननु जब नांस को राजसाहि का भोजन मानते हैं, तौ देवकार्यमें कैसे आद्य हो सका है। ये श्लोक अवश्य प्रसिद्ध हैं जैसा कि महाभारत साक्ष्यसर्व्व में कहा है कि—

सर्व्वकर्मसवहिंसां हि धर्मात्मा मनुरब्रवीत् ।

कामकाराद्विहिंसन्ति वहिर्वेद्यां पशून्धराः ॥

धर्मात्मा मनु ने सब कर्म (वैश्वदेवादि) में अहिंसा ही कही थी परन्तु आपनी इच्छा से प्राज्ञवाच्य यज्ञवेदी पर लोग पशुओं को मारते हैं ॥४२॥

गृहे गुरावरण्ये वा निवसन्नात्मवान्द्विजः। नाऽवेदविहितां हिंसामापद्यपि समाचरेत् ॥४३॥ या वेदविहिताहिंसा नियता स्मिंश्चराचरे। अहिंसामेव तां विद्याद्वेदाहुर्माहिर्निर्व्वभौ ॥४४॥

अर्थ-गृहस्थाश्रम वा ब्रह्मचर्याश्रम वा वानप्रस्थाश्रम में रहता हुआ जितेन्द्रिय द्विज, अशास्त्रोक्त हिंसा आपत्काल में भी न करे ॥४३॥ इस जगत् में जो वेदविहितहिंसा चराचर में नियत है, उसको अहिंसा ही जाने, (हिंसक मनुष्यों वा सिंह सर्पादि के दण्डसे तात्पर्य है, इसी को अगले श्लोक में अहिंसकों के निषेध से स्पष्ट किया है) क्योंकि वेद से धर्म का ही प्रकाश हुवा है ॥ ४४ ॥

योऽहिंसकानिभूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया। स जीवंश्चमृतश्चैव न क्वचित्सुखमोधते ॥४५॥ यो बन्धनवधक्रीशान्प्राणिनां चिकीर्षति। स सर्वस्य हितप्रेषुः सुखमत्यन्तमश्नुते ॥४६॥

अर्थ-जो अहिंसक प्राणियों को अपने सुख की इच्छा से मारता है; वह पुरुष इस लोक में जीवता और परलोक में मरकर सुख नहीं पाता ॥४५॥ जो पुरुष प्राणियों की बान्धने वा मारने के क्लेश देना नहीं चाहता, वह सब के हित की इच्छा करने वाला अनन्त सुख को प्राप्त होता है ॥ ४६ ॥

यद्दध्यायतियत्कुरुते धृतिवध्नातियत्र च। तदवाप्नोत्यथत्वेन यो हिनस्ति न किंचन ॥४७॥ नाऽकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते क्वचित्। न च प्राणिवधः स्वर्ग्यस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत् ॥४८॥

अर्थ-वह जो कुछ शोषता है जो कुछ करता है और जिस में धृति बांधता है, वह सब उसे सहज में प्राप्त हो जाता है, जो कि किसी को नहीं मारता ॥४७॥ प्राणियों की हिंसा किये बिना मांस कभी उत्पन्न नहीं हो सक्ता और प्राणियों का वध स्वर्ग का देने वाला नहीं, अतः मांस को वर्ज देवे ॥४८॥
समुत्पत्तिं च मांसस्य वधबन्धौ च देहिनाम्। प्रसमीक्ष्य निवर्तते
सर्वमांसस्य भक्षणान् ॥४९॥ न भक्षयति यो मांसं विधिं हित्वा
पिशाचवत्। स लोके प्रियतां याति व्याधिभिश्च न पीड्यते ॥५०॥

अर्थ-मांस की (विनीने शुद्ध शोणित से) उत्पत्ति और प्राणियों के वध और बन्धन (झूरकर्मों) की देख कर सब प्रकार के मांसभक्षण से बचे ॥४९॥ जो विधि छोड़कर पिशाचवत् मांसभक्षण नहीं करता वह लोगों में प्यारा होता और रोगों से कभी पीड़ित नहीं होता (इससे मांसभक्षण रोगकारक भी समझना चाहिये और प्रत्यक्ष जख से मांसभक्षणादि दुराचार कैले हैं, तब से रोग भी अधिक देखे जाते हैं) ॥ ५० ॥

अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी ।

संस्कर्ता चोपहर्ता च स्वादकश्चेति घातकाः ॥ ५१ ॥

“स्वमांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति ।

अन्नप्रचर्य पितृन्देवांस्ततोऽन्यो नास्त्यपुण्यकृत्” ॥५२॥

अर्थ-१-जिसकी सम्मति से मारते हैं, २-जो अङ्गोंको काटकर अलग अलग करता है, ३-मारने वाला, ४-खरीदने वाला, ५-बेचने वाला, ६-पकाने वाला, ७-परोखने वाला, तथा ८-खाने वाला; ये ८ सब घातक हैं ॥ ५१ ॥

“ देव और पितरों के पूजन बिना जो पराये मांस से अपना मांस बढ़ाने की इच्छा करता है उस से बढ़कर कोई पाप करने वाला नहीं” ॥ ५२ ॥

वर्षे वर्षेऽश्वमेधेन यो यजेत शतं समाः। मांसानि च न खादे व-
स्तथोः पुण्यफलं समम् ॥५३॥ फलमूलाशनैर्मध्यैर्मुन्यन्नानां च
भोजनैः । न तत्फलमवाप्नोति यन्मांसपरिवर्जनात् ॥५४॥

अर्थ-जो सौ वर्ष तक प्रतिवर्ष अश्वमेधयज्ञ करता है और जो जन्म-पर्यन्त मांसभक्षण नहीं करता, दोनों को पुण्यफल समान है ॥ ५३ ॥

(५३ वें से आगे ३ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक देखा गया है:-

[सदा जयति यज्ञेन सदा दानानि यच्छति ।
स तपस्वी सदा विप्रो यश्च मांसं विवर्जयेत्] ॥

अर्थात् जो ब्राह्मण मांस नहीं खाता वह मानो सदा यज्ञ करता है और दान देता है, वह तपस्वी है) ॥५३॥ पवित्र फल मूल के भोजन और सुगियों के अन्न खाने से वह फल नहीं, जो मांस के छोड़ने से प्राप्त होता है ॥ ५४ ॥

मांस भक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसमिहाहम्यहम् ।
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥५५॥ ”

“न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च सैथुने ।
प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥५६॥ ”

अर्थ-इस लोक में जिसका मांस मैं खाता हूँ परलोक में (मांस सः) वह मुझे खायगा । विद्वान् लोग यह मांस का मांसत्व कहते हैं ॥ ५५ ॥ “मांसभक्षण और मद्यपान तथा सैथुन में मनुष्यों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, इस लिये इस में दोष नहीं और इनको छोड़ देवे तो बड़ा पुण्य है” ॥ (स्वाभाविक बच्चे को तो मांस से घिन होती है । तथा यह श्लोक निषेध के प्रकरण में अनुरूपत भी स्पष्ट है । कोई लोग खैरातानी से कर्ब अर्प करते हैं परन्तु वे अक्षरार्थ और ध्वन्यर्थ से बाहर हैं ॥ यद्यपि ये १३ श्लोक ५३ से ५५ तक मांसभक्षणनिषेधविषयक धर्मशास्त्र के विद्वान्तानुकूल होने से हम को सभी मान्य हैं, परन्तु इन में से ५३ । ५४ । ५५ वें श्लोकों की शैली नवीन सी है और ऐसा सन्देह होता है कि ये श्लोक तब मांसनिषेधार्थ मिलाये गये हैं जब कि मांसविधान के श्लोक मिलाये जा चुके थे) ॥ ५६ ॥

प्रेतशुद्धिं प्रवक्ष्यामि द्रव्यशुद्धिं तथैव च । चतुर्णामपि वर्णानां
यथावदनुपूर्वशः ॥ ५७ ॥ दन्तजातेऽनुजाते च कृतचूडे च
संस्थिते । अशुद्धा बान्धवाः सर्वे सूतके च तथोच्यते ॥५८॥

अर्थ-अब चारों वर्गों की यथावत् क्रम से प्रेतशुद्धि और द्रव्यशुद्धि आगे कहूँगा ॥५७॥ दांत निकलने पर ही वा दांत निकलने के अनन्तर और चूहाकर्म होने पर मरने से सब बान्धवों को अशुद्धि और सूतक लगता है ॥ ५८ ॥

दशाहं शावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते । अर्वाक्संचयनाद-
ऽस्थनां त्र्यहमेकाहमेव च ॥५९॥ सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे
विनिवर्तते । समानोदकभावस्तु जन्मनास्त्रोरवेदने ॥ ६० ॥

अर्थ-सपिण्डों में सूतक का आशौच दश दिन रहता है, किन्हीं को अस्थिसङ्घट्ट तक, किन्हीं को ३ दिन और किन्हीं को १ दिन ही (इस में ज्ञान और आचार की न्यूनताधिकता ही कारण है। जो गुणों से जितना हीन हो उतना ही उसे सूतक अधिक होता है। जैसे १।२।३ दिन बढ़ाये हैं और सर्वगुणों से रहित हो तो १० दिन आशौच होता है) ॥५९॥ सातवीं पीढ़ी में सपिण्डता का सम्बन्ध छूट जाता है और कुल में उत्पन्न हुवों के नाम जन्म भी स्मरण न रहें तब समान दकता छूट जाती है ॥ ६० ॥

यथेदं शावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते ।

जननेऽप्येवमेव स्यान्नपुणं शुद्धिमिच्छताम् ॥ ६१ ॥

अर्थ-जैसा मरने में सपिण्डों को यह आशौच कहा है, वैसे ही पुत्रादि उत्पन्न होने में भी अच्छी शुद्धता की इच्छा करने वालों को (आशौच) होता है ॥

(६१ वें से आगे ॥ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक है:-

[उभयत्र दशाहानि कुलस्थानं न भुज्यते ।

दानं प्रतिग्रहोयज्ञः स्वाध्यायश्च निवर्तते] ॥

जन्म और मृत्यु दोनों में १० दिन तक कुल का अन्न भोजन नहीं किया जाता। देना, लेना, यज्ञ और स्वाध्याय रुके रहते हैं ॥ इस प्रकरण में सपिण्ड शब्द से किसी को सूतकप्रादु का भ्रम न हो, किन्तु शरीरका नाम पिण्ड है। सात पीढ़ी तक पूर्वज के वीर्य से थोड़ा बहुत प्रभाव सन्तानों में चलता है, इस के पश्चात् श्लोक ६० के अनुसार सपिण्डता नहीं रहती। और जो जिस को जब तक जानता रहे कि असुकनामा पुरुष हमारे वंश में था, उसकी सन्तान तब तक आपस में श्लोक ६० के उत्तरार्धानुसार समानोदक होती हैं) ॥ ६१ ॥

सर्वेषां शावमाशौचं मातापित्रोस्तु सूतकम् ।

सूतकं मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः ॥ ६२ ॥

अर्ध-मृतनिमित्त आशौच सब रुपिण्डों को और जन्मनिमित्त आशौच माता पिता को ही रहता है। उस में भी पिता स्नान करने से शुद्ध हो जाता है, माता को ही सूतक रहता है ॥

(६२ वें से आगे भी ४ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक प्रक्षिप्त है—

[सत्रधर्मप्रवृत्तस्य दानधर्मफलैषिणः ।

त्रेताधर्मापरोधार्थमारण्यस्यैतदुच्यते] ॥

जो ज्ञानयज्ञ में प्रवृत्त है और दान धर्म का फल चाहता है, त्रेतायुग के धर्म (ज्ञान) के अनुरोधार्थ उस वानप्रस्थ के लिये यह विधान है। इस पर सब से अन्तिम रामचन्द्र ने भाष्य किया है। अन्य किसी ने नहीं) ॥६२॥

“निरस्य तु पुमान् शुक्रमुपस्पृश्यैव शुद्ध्यति ।

वैजिकादभिसंबन्धादनुरुन्ध्यादऽधं त्र्यहम् ॥६३॥”

अह्ना त्रैकेन रात्र्या च त्रिरात्रैरेव च त्रिभिः ।

शवस्पृशोविशुद्ध्यन्ति त्र्यहादुदकदायिनः ॥६४॥

“अर्थ—पुरुष अपने वीर्य को निकाल कर स्नानमात्र से शुद्ध होता है और पराई भार्या से पुत्र उत्पन्न करने से तीन दिन आशौच रहता है ” ॥

(६३ वां श्लोक भी प्रक्षिप्त जान पड़ता है। एक तो सूतक सूतक के बीच में वीर्य निकालने की अशुद्धि का वर्णन मनु की इस प्रतिज्ञा के विरुद्ध है जो ५१ वें श्लोक से की गई है। दूसरे परस्त्रीप्रसङ्ग वा उस के सन्तानोत्पादनरूप प्राय पर केवल ३ दिन का प्रायश्चित्तमात्र भी सब धर्मशास्त्र के प्रतिकूल और अन्याय है। किसी पुस्तक में ६३ से आगे भी यह श्लोक अधिक है—

[जननेप्येवमेव स्यान्मातापित्रोस्तु सूतकम् ।

सूतकं मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः ॥]

जन्म में भी ऐसे ही माता पिता को सूतक लगता है कि माता को ही सूतक और पिता स्नान करके शुद्ध है) ॥ ६३ ॥ सूतक के स्पर्श करने वाले १ और ३ गुणा ३=९=१० दिन रात में शुद्ध होते हैं और (मरते समय कण्ठ में) पानी देने वाले (वा अस्थिसञ्चयन में चिता पर जल छिड़कने वाले) तीसरे दिन शुद्ध होते हैं ॥ ६४ ॥

गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृभेदं समाचरन् । प्रेतहारैः समंतत्र
दशरात्रेण शुद्ध्यति ॥६५॥ रात्रिभिर्मासतुल्याभिर्गर्भस्त्रावे वि-
शुद्ध्यति । रजस्युपरते स्नाध्वी स्नानेन स्त्री रजस्वला ॥६६॥

अर्थ—सुत गुरु की अन्त्येष्टि करना हुआ शिष्य, प्रेत=सुदा उठाने वालों
के साथ दण्डे दिन शुद्ध होता है ॥६५॥ जितने मास का गर्भस्त्राव हो उतने
दिन में स्त्री शुद्ध होती है और रजस्वला स्त्री जिस दिन रज की निवृत्ति हो
उस दिन स्नान करके शुद्ध होती है ॥ ६६ ॥

नृणामकृतचूडानां विशुद्धिर्नैशिकी स्मृता ।

निर्वृत्तचूडकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ॥६७॥

अर्थ—जिन बालकों का चूडाकर्म नहीं हुआ, उन के मरने से एक दिन
में और जिन का चूडाकर्म हो गया है उन के मरने से तीन दिन में शुद्धि
होती है ॥ (६७ वें से आगे ३ श्लोक और भी १ पुस्तक में प्रतिष्ठित मिलते हैं—

[प्राक्संस्कारप्रमीतानां वर्णानामविशेषतः । त्रिरात्रात्तु भवेच्छु-
द्धिः कन्यास्वहोविधीयते । अदन्तजन्मनःसद्य आचूडान्नैशिकी
स्मृता । त्रिरात्रमात्रतादेशाद्दशरात्रमतः परम्परपूर्वासु भार्यासु
पुत्रेषु प्रकृतेषु च । मातामहे त्रिरात्रं तु एकाहं त्वऽसपिण्डतः ॥

सब वर्णों के बच्चे जो संस्कार से पूर्व मर गये हों उन की तीन दिन में
शुद्धि होती है और कन्याओं की एक दिन में ॥१॥ जिस के दांत न जमे हों
उस की तत्काल और फिर चूडाकर्म तक आयु वाले की एक रात्रि भर
और फिर उपनयन संस्कार आयु वाले की ३ रात्रि और उस के पश्चात् १०
रात्रि की अशुद्धि है ॥ २ ॥ जो स्त्री प्रथम किसी अन्य की थीं उन की और
उन में जन्मे पुत्रों की और नाना की अशुद्धि ३ रात्रि तक है । असपिण्ड-
गोत्रियों की एक दिन है ॥ ३ ॥) ॥ ६७ ॥

ऊनद्विवार्षिकं प्रेतं निदध्युर्बान्धवा बहिः ।

अलंकृत्य शुचौ भूमावस्थिसञ्जयनादृते ॥ ६८ ॥

अर्थ—जिस की आयु के पूरे दो वर्ष न हुवे हों ऐसे सुत बालक को
बान्धव लोग ग्रामादि के बाहर शुद्धभूमि में स्वच्छ करके दबा दें । बिना
अस्थिसञ्जयन के (अर्थात् दाह और अस्थिसञ्जयन बिना ही) ॥ ६८ ॥

नास्यकार्याग्निसंस्कारी न च कार्योदकक्रिया । अरण्येकाष्टव-
च्यक्त्वा क्षपेयुस्त्रयहमेव च ॥६९॥ नाऽत्रिवर्षस्य कर्तव्या बान्ध-
वैरुदकक्रिया । जातदन्तस्य वा कुर्युर्नान्निवापि कृते सति ॥७०॥

अर्थ-इस (पूर्वोक्त बच्चे) का अग्निसंस्कार न करे, इस की उदकक्रिया (अस्थिमज्जनादि) भी न करे, किन्तु जङ्गल में काष्ठवत् दवा देवे और तीन दिन आशौच रखे ॥६९॥ अथवा-जिस के तीन वर्ष पूरे न हुवे हों, उस बालक की बान्धव उदकक्रिया न करे, अथवा जिसके दांत ही उत्पन्न हुवे हों वा नामकरण ही हुवा हो उस के दाहादि संस्कार करें ती अच्छा है (यह दूसरा पक्ष है) ॥ ७० ॥

सब्रह्मचारिण्येकाहमतीते क्षपणं स्मृतम् ।

जन्मन्येकोदकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ॥ ७१ ॥

“स्त्रीणामसंस्कृतानां तु त्र्यहाच्छुद्धान्ति बान्धवाः ।

यथोक्तेन च कल्पेन शुद्धान्ति तु सनाभयः” ॥ ७२ ॥

अर्थ-सहाध्यायी के मरने में एक दिन आशौच कहा है और सनाभो दकों के पुत्रादि जन्मे ती तीन दिन में शुद्धि चाही है ॥७१॥ “जिन स्त्रियों का संस्कार नहीं हुआ उन के मरने में उन के बान्धव और उन के सनाभि भी तीसरे दिन शुद्ध होते हैं” ॥ ७२ ॥ वे से आगे एक पुस्तक में यह श्लोक अधिक है, जो कि ६७ वें के आगे दिखाये ३ अधिक श्लोकों में से तीसरे प्रक्षिप्त के सा आशय रखता है, परन्तु चतुर्थ पाद उस के ठीक विरुद्ध है-

(परपूर्वासु पुत्रेषु सूतके मृतकेषु च ।

मातामहे त्रिरात्रं स्यादेकाहं तु सपिण्डने)

पूर्वली पराई स्त्रियों में, उन के जन्म तथा मृत्यु और जाना के सूतक में ३ दिन में शुद्धि होती है परन्तु सपिण्डों में १ रात्रि में ही) ॥ ७२ ॥

“अक्षारलवणाक्ताः स्युर्निमज्जेयुश्च ते त्र्यहम् ।

मांसाशनं च नाशनीयुः शयोरंश्च पृथक् क्षित्नी ॥७३॥”

“अर्थ-क्षारलवणरहित अन्न का भोजन करें और तीन दिन स्नान करे और मांस भक्षण न करें और भूमि पर अकेले सोवें । (७२ वें से अगला श्लोक

तो एक ही पुस्तक में मिलता है, सब में नहीं। परन्तु १२ वां और १३ वां भी प्रक्षिप्त जान पड़ता है। क्योंकि असंस्कृत स्त्रियों का आशौच जब पुरुषों के सन्तान है तो पृथग्विधान व्यर्थ है। और जो लोग सगाई मात्र का अर्थ करते हैं सो धर्मशास्त्रों में सगाई कोई संस्कार १६ संस्कारों में से नहीं है। १३ वें से ३ दिन स्नानविधान कहना असङ्गत है क्योंकि आशौच १० दिन और स्नान ३ दिन कैसा? जब कि बिना मृतक मृतक भी नित्य शरीरशुद्धिकर्तव्य है। मांस का निषेध भी व्यर्थ है, जब कि सब काल में ही मांस निषिद्ध है। ५१ वें श्लोक से यह प्रेतशुद्धि का वर्णन आरम्भ हुवा है, जिस के साथ २ कहीं जन्मशुद्धि को भी कहते जाते हैं। यथार्थ में जन्म और मृत्यु दो संसार में बड़ी घटना हैं। इन से बढ़कर कोई घटना नहीं। जिन में एक हर्ष और दूसरी शोक का कारण सर्वसाधारण के लिये होती है। जन्म समय १० मास का रुका मल जिस घर में निकलता है और वायु तथा अन्य घर के पदार्थों पर अपना प्रभाव डालता है, कुटुम्बी लोग तो हाजि लाभ के साथी साकी हैं, उन्हें संसर्ग से बचना कठिन है, परन्तु अन्य वर्णों पास पड़ौसी आदि को स्वाभाविक रीति पर कुछ दिन अवश्य उस घर के पदार्थों से होती है इस लिये अपवित्रता के परिमाण से न्यूनाधिक यथासंभव मृतक लगाया गया है। ऐसे ही मृतक भी। अग्नि सूर्य काल वायु आदि पदार्थ उस अशुद्धि को क्रम से घटाते हैं (देखो १०५) और लीपने पीतने धोने मांजने आदि से भी क्रमपूर्वक शुद्धि होती है। इसलिये जितना सम्बन्ध समीप है वा जितना जिसर वर्ण आश्रम आदि के विचार से जिस को अधिक संसर्ग संभव देखा उसको अधिक मृतक मृतक का आशौच विधान किया है। मृतक आशौच में मरने वाले की आयु की न्यूनाधिकता से ब्रान्धवादिके संसर्ग में भी न्यूनाधिकता देखकर आशौच की न्यूनाधिकता कथन की गई है एक बात अधिक विचारणीय है कि दो वर्ष से न्यून आयु वाले बच्चों का गाढ़ना क्यों कहा, जब कि दाह संस्कार वेदोक्त है। इस में एक पक्ष यह भी १० वें श्लोक में किया है कि जिसका नामकरण हो गया वा जिसके दांत निकल आये, उसके दाहादि संस्कार करने चाहिये। यथार्थ में दाह करने का तात्पर्य यही है कि करने वाले देही ने संसारयात्रा में मल संसर्ग से शरीर पर बहुत बड़ी मलिनता संग्रह कर ली है। वह मलिनता अन्य जीवते प्राणियों को वायु में परिणत हो कर दीर्घकाल तक रोगादि का हेतु न हो। परन्तु संसार से सभी कार्य

आरम्भ काल में "नहीं" के समीप रहते हैं। ऐसे ही गर्भस्थिति से जास-करण तक उस मलिनता का संग्रह उस के शरीर में बहुत कम होता है। कहीं न कहीं मर्यादा रखनी ही पड़ती है। यहां से आगे दाहसंस्कार द्वारा निवारण करने योग्य मलिनता का आरम्भ है। इससे पूर्व सूक्ष्म रूप पृथिवीरूप अग्नि ही उसे भस्म करने में समर्थ समझा गया। और जन्मते वृद्धे को दाहविधान करते तब भी यह शङ्का रह ही जाती कि गर्भपात वा गर्भस्रव का दाह क्यों न करना चाहिये। इससे आगे वीर्यपात मात्र के दाह की भी आशङ्का होती। इस लिये शास्त्रकार ने दाह की योग्यता की अवधि नियत करके मर्यादा स्थापित करदी है। विशेष स्वयं बुद्धिमान् विचार सकते हैं। मृत्यु में शोक भी एक प्रकार की भीतरी मलिनता (आशौच) का कारण है ॥७३॥

सन्निधावेष वै कल्पः शावाशौचस्य कीर्तितः ।

असन्निधावयं ज्ञेयोविधिः संबन्धिवान्धवैः ॥ ७४ ॥

अर्थ—यह समीप रहने में मृतसम्बन्धी आशौच का विधान कहा और विदेश रहने में उसके सम्बन्धी बान्धव आगे कहे अनुसार आशौच विधान जानें ॥७४॥

विगतं तु विदेशस्थं शृणुयाद्योह्यनिर्दशम् ।

यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाशुचिर्भवेत् ॥ ७५ ॥

अर्थ—विदेश में मरा हो और १० दिन पूरे न हुवे हों तौ सुनने पर जितने दिन १० दिन में शेष हों उतने दिन आशौच रहे ॥

(७५ वें के आगे एक पुस्तक में यह श्लोक अधिक है:-

[मासत्रये त्रिरात्रं स्यात्पण्णसौ पक्षिणी तथा ।

अहभ्तु नवमाद्वर्गूर्ध्वं स्नानेन शुध्यति ॥)

तीन मास बीतने पर सुने तौ ३ रात्रि तक आशौच और छः मास बीतने पर १॥ दिन और ९ वें मास के भीतर १ दिन तथा इस के पश्चात् स्नान मात्र से शुद्ध होता है) ॥ ७५ ॥

अतिक्रान्ते दशाहे च त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् ।

संवत्सरे व्यतीते तु स्पृष्ट्वापो विशुद्ध्यति ॥ ७६ ॥

अर्थ—और दश दिन व्यतीत होने के अनन्तर सुने तो तीन दिन आशीच रहे, परन्तु एक वर्ष बीत गया हो तो स्नान करने से ही शुद्ध हो जाता है ॥१६॥

निर्देशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म चासवासा जलमाप्लुत्य शुद्धो भवति मानवः ॥७७॥ बाले देशान्तरस्थे च पृथक् पिण्डे च संस्थिते । सवासा जलमाप्लुत्य सद्य एव विशुद्ध्यति ॥७८॥

अर्थ—दश दिन हो जाने पर ज्ञातिमरण या पुत्र का जन्म सुनकर मनुष्य सचैल स्नान करके शुद्ध होता है ॥११॥ समीप बालक देशान्तरस्थ तथा अस-पिण्ड का मरण (सुन के) सचैल स्नान करने से उसी समय शुद्ध हो जाता है ॥१२॥

अन्तर्देशाहे स्यातांचेत्पुनर्मरणजन्मनी । तावत्स्याद्दशुचिर्विप्रो यावत्तत्स्याद्दनिर्देशम् ७९ त्रिरात्रमाहुराशौचमाचार्यसंस्थिते सति । तस्य पुत्रे च पत्न्यां च दिवारात्रमिति स्थितिः ॥८०॥

अर्थ—दशाह के बीच यदि पुनः किसी के मरने वा उत्पन्न होने से आशीच हो जावे तो विप्र तब तक शुद्ध न होगा जब तक कि उस के दश दिन पूरे न हो जावें ॥१३॥ आचार्य के मरने में शिष्य को तीन दिन आशीच रहता है और आचार्य के लड़के या स्त्री के मरने में एक दिन ॥ ८० ॥

श्रोत्रिये तूपसंपन्ने त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् । मातुले पक्षिणीं रात्रिं शिष्यत्विग्धान्धेषु च ॥८१॥ प्रेते राजनि सज्योतिर्यस्य स्याद्विषये स्थितः । अश्रोत्रिये त्वहःकृतस्नमनूचानि तथा गुरौ ॥८२॥

अर्थ—श्रोत्रिय के मरने में तीन दिन और माता, शिष्य, ऋत्विक् और बान्धवों के मरने में डेढ़ दिन आशीच रहता है ॥८१॥ जो जिसके राज्य में रहता हो उस राजा के मरने में सूर्यास्त तक आशीच रहे और जो श्रोत्रिय न हो तो सारा दिन और जिसने पूर्ण वेदाध्ययन किया हो वा गुरु हो उसका भी ॥८२॥

शुध्येद्विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः ।

वैश्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्ध्यति ॥ ८३ ॥

अर्थ—ब्राह्मण १० दिन में, क्षत्रिय १२ दिन में, वैश्य १५ दिन में और शूद्र एक मास में शुद्ध होता है ॥ (८३ से आगे दो पुस्तकों में पहले दो श्लोक और अन्य दो पुस्तकों में चार श्लोक, जो नीचे लिखे हैं, अधिक हैं:—

[क्षत्रविट्शूद्रदायादाः स्युश्चेद्विप्रस्यवान्धवाः । तेषामशौचं
विप्रस्य दशाहाच्छुद्धिरिष्यते ॥१॥ राजन्यवैश्ययोश्चैवंहीनयो-
निषु बन्धषु । स्वमेव शौचं कुर्यात् विशुद्ध्यर्थमिति स्थितिः ॥२॥
विप्र शुद्धयेद्दशाहेन जन्महानौ स्वयोनिषु । षड्भिस्त्रिभिर-
थैकेन क्षत्रविट्शूद्रयोनिषु ३ सर्वे चोत्तमवर्णास्तु शौचं कुर्यु-
रतन्द्रिताः । तद्वर्णं विधिदृष्टेन स्वं तु शौचं स्वयोनिषु ॥४॥]

हम ३ । १३ श्लोक को प्रक्षिप्त बतता आये हैं, जिसमें ब्राह्मणादि को अपने से नीचे वर्णों की कन्या लेने का विधान है। यहां इन ४ श्लोकों में उन्हीं नीचे विवाह के सम्बन्धियों का सूतक आशौच बताया जाता है। परन्तु ये श्लोक केवल चार पुस्तकों में हैं, सबमें नहीं। इस लिये यह तो स्पष्ट ही है कि ये प्रक्षिप्त हैं और यह भी निश्चय होता है कि ३। १३ भी ठीक प्रक्षिप्त था। यदि मनुप्रोक्त होता तो यहां आशौच प्रकरण में उस का आशौच विधान भी सब पुस्तकों में होता ॥

अर्थ—यदि क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण के दायाद बान्धव हों, तौ उन के आशौच में ब्राह्मण की १० दिन में शुद्धि चाही है ॥ १ ॥ इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य को भी अपने से हीन यानि सम्बन्धियों की मृत्यु में अपने वर्णानुसार शुद्धि के लिये शौच करना चाहिये, यह नियम है ॥ २ ॥ ब्राह्मण अपने वर्णस्थ सम्बन्धियों के जन्म वा मृत्यु में १० दिन में, क्षत्रिय वर्णस्थ सम्बन्धियों के जन्म वा मृत्यु में ६ दिन में, वैश्य सम्बन्धियों के ३ दिन में और शूद्र सम्बन्धियों के जन्मादि में १ दिन में शुद्ध होता है ॥ ३ ॥ सब उत्तम वर्ण निरालस्य होकर उस २ वर्णस्थ सम्बन्धियों का उस २ वर्णानुसार और स्ववर्णस्थों का स्ववर्णानुसार आशौच मानें ॥ ४ ॥ ॥ ८३ ॥

न वर्धयेद्दाहानि प्रत्यूहेन्नाग्निषु क्रियाः ।

न च तत्कर्म कुर्वाणः सनाभयोऽप्यशुचिर्भवेत् ॥८४॥

अर्थ—मरणाऽशौच के दिन न बढ़ावे और अग्निहोत्रादि क्रिया का विधान न करे। उस कर्म के करते हुये सनाभि भी अशुचि नहीं है ॥ ८४ ॥

दिवाकीर्तिसुदक्यांच पातितं सूतिकां तथा । शवंतत्स्पृष्टिनं चैव

स्पृष्टा स्नानेन शुद्ध्यति ॥६५॥ आचम्य प्रयतीनित्यं जपेदशु-
चिद्वाने। सौरमन्त्रान्यथोत्साहं पावमानीश्चशक्तितः ॥६६॥

अर्थ—बगडात, रजखडा, पतित, प्रसूना तथा शव और शव के स्पर्श करने
वाले की छूने पर स्नान से शुद्ध होता है ॥६५॥ आचमन करके शुद्ध हुआ मनुष्य
बरडाहादि के अशुचिदर्शन होनेपर सौरमन्त्र (उदुत्यं जातवेदसम्, इत्यादि) और
पञ्चमान देवता वाले मन्त्रों को शक्ति और उत्साह के अनुसार जपे ॥६६॥

नारं स्पृष्ट्वा स्थसस्नेहं स्नात्वा विप्रो विशुद्ध्यति। आचम्यैव तु
निःस्नेहं गामालभ्यार्कमीक्ष्य वा ॥६७॥ आदिष्टी नोदकंकुर्या-
दाव्रतस्य समापनात् समाप्ते तूदकं कृत्वा त्रिरात्रेणैव शुद्ध्यति ॥६८॥

अर्थ—मनुष्य की स्नेहयुक्त अस्थि छूने से विप्र स्नान करके शुद्ध हो जाता
है और जिस में चिकनाई न हो उस के स्पर्श करने से आचमन ही से वा
गौ, भूमि के स्पर्श से या सूर्य के दर्शन से पवित्र होता है ॥ (यहां दो पुस्तकों
में "गां स्पृष्ट्वा वोदय वा रविम्" पाठभेद है। और मेधातिथि आदि ज्यों
भाष्यकार "आलभन" का अर्थ "स्पर्श" करते हैं) ॥६७॥ ब्रह्मचारी व्रत
की समाप्ति पर्यन्त प्रेतोदक न करे। समाप्ति के अनन्तर प्रेतोदक करे तो
त्रिरात्र से ही शुद्ध हो जाता है ॥६८॥

दृथासंकरजातानां प्रव्रज्यासुचलिष्ठताम्। आत्मनस्त्यागिनां
चैव निवर्ततीदृकक्रिया ॥६९॥ पापण्डुमाश्रितानां च चरन्तीनां
च कामतः। गर्भभर्तृदुहां चैव सुरापीनां च योषिताम् ॥७०॥

अर्थ—सृष्टा वर्णशङ्करों, सन्यासियों और आत्मघातियों की उदकक्रिया
आवश्यक नहीं ॥६९॥ पापण्डियों, स्वेरिणियों और गर्भघात, पतिघात,
सुरापान करने वाली स्त्रियों की (उदकक्रिया न करे) ॥७०॥

आचार्यं स्वमुपाध्यायं पितरं मातरं गुरुम्। निर्हत्य तु व्रती
प्रेतान्न व्रतेन वियुज्यते ॥७१॥ दक्षिणेन मृतं शूद्रं पुरद्वारेण
निर्हरेत्। पश्चिमीत्तरपूर्वे तु यथायोगं द्विजन्मनः ॥७२॥

अर्थ—अपने आचार्य, उपाध्याय, पिता, माता तथा गुरु के प्रेतकृत्य करने से
ब्रह्मचारी का व्रत भङ्ग नहीं होता ॥७१॥ शूद्र के मुर्दे नगर के दक्षिण द्वार से

और वैश्य के पश्चिम, क्षत्रिय के उत्तर और ब्राह्मण के पूर्व से निकाले ॥९२॥
नराज्ञामघटोषोऽति व्रतिनां न च सत्रिणाम् । ऐन्द्रिस्थालमुपा-
सीना ब्रह्मभूता हि ते सदा ॥९३॥ राज्ञो माहात्मिके स्थाने सद्यः
शौचं विधीयते । प्रजानां परिरक्षार्थमासनं चात्र कारणम् ॥९४॥

अर्थ—राजा और ब्रह्मचारी व चान्द्रायणादि व्रत करने वाले और यज्ञ करने
वालों को आशीच नहीं लगता; क्योंकि ये इन्द्र के पद पर बैठे हुवे और
सदा निष्पाप हैं ॥ (इन्द्र पद शुद्ध स्थान का नाम है, जैसा कि "इन्द्र शुद्धो न
आगहि०" इत्यादि । और "इन्द्र शुद्धो हि नो रयिम०" इत्यादि सामवेद उत्त-
रार्चिक १२। ३। २। ३ में लिखा है) ॥९३॥ माहात्मिक राजपद में स्थित राजा
को उसी समय पवित्र कहा है (अर्थात् राज्य से भ्रष्ट क्षत्रियों को सद्यः शुद्धि
नहीं है) प्रजा की रक्षार्थे न्यायासन पर बैठना इस में कारण है ॥ ९४ ॥

डिम्बाहवहतानां च विद्युतापार्थिवेन च । गोब्राह्मणस्य चैवार्थे
यथ्यचेच्छतिपार्थिवः ॥९५॥ सोमाग्न्यर्कानिलेन्द्राणां वित्ताण्य-
त्योर्धमस्य च । अष्टानां लोकपालानां वपुर्धारयते नृपः ॥९६॥

अर्थ—विना शस्त्र की लड़ाई में और बिजली से तथा राजाज्ञा=फांसी से
और गो ब्राह्मण की रक्षा के लिये मरे हुवे का और जिसको राजा अपने कार्यके
लिये चाहे उसका (तत्काल शौच कहा है) ॥९५॥ चन्द्र, अग्नि, सूर्य, वायु, इन्द्र,
कुबेर, वरुण और यम, इन आठ लोकपालों का शरीर राजा धारण करता
है (अर्थात् राजा में लोकपालनार्थे ये आठ गुण रहते हैं, जो दिव्य हैं) ॥९६॥

लोकेशाधिष्ठितो राजा नास्याशौचं विधीयते । शौचाशौचं हि
मर्त्यानां लोकेशप्रभवाप्ययम् ॥९७॥ उद्यतैराहवे शस्त्रैः क्षत्र-
धर्महतस्य च । सद्यः संतिष्ठते यज्ञस्तथाशौचमिति स्थितिः ९८

अर्थ—इन्द्रादि ८ लोकपालों के स्थान पर रहता है इस लिये राजा को
आशीच नहीं कहा; क्योंकि मनुष्यों का शौच और आशीच लोकपालों से
उत्पन्न और नष्ट होता है ॥ ९७ ॥ संग्राम में उद्यत शस्त्रों से क्षत्रधर्म से (दिला
लकड़ी से नहीं किल्लु, सामने लड़ाई में मरे का यज्ञ उसी समय समाप्त होता
है और शौच भी तत्काल ही जाता है ॥ ९८ ॥

विप्र शुद्धयत्यपः स्पृष्ट्वा क्षत्रियोवाहनायुधम् । वैश्यः प्रतोदं
रश्मीन्वा यष्टिं शूद्रः कृतक्रियः ॥१९९॥ एद्वोऽभिहितं शौचं सपि-
ण्डेषु द्विजोत्तमाः असपिण्डेषु सर्वेषु प्रेतशुद्धिं निबोधत ॥१००॥

अर्थ—प्रेतक्रिया करके ब्राह्मण जलको स्पर्श कर, क्षत्रिय शस्त्र और वाह-
नादि को तथा वैश्य हाँकने के दरुई वा लगान को और शूद्र लाठी को छूके शुद्ध
होता है (अर्थात् आशौच समाप्तिके दिन इम २ को ये २ वस्तु छूनी चाहिये,
यह रीति है) ॥ ९९ ॥ द्वे द्विजश्रेष्ठो । यह सपिण्डों में आशौचविधान तुम
से कहा और असपिण्डों में प्रेतशुद्धि का विधान (आगे) सुनो ॥ १०० ॥

असपिण्डं द्विजंप्रेतं विप्रो निर्हृत्य बन्धुवत् । विशुद्ध्यति त्रिरात्रेण
मातुराप्तांश्च बान्धवान् ॥१०१॥ यद्यन्नमत्ति तेषां तु दशाहेनैव
शुद्ध्यति । अनदन्नन्नमहैव न चेत्तस्मिन्गृहे वसेत् ॥ १०२ ॥

अर्थ—यदि ब्राह्मण असपिण्ड मृत द्विज का स्नेह से बन्धु के समान अन्त्ये-
ष्ट्यादि कर्म करे और माता के सम्बन्ध वाले बान्धवों के दाहादि करे तो
तीन दिन में शुद्ध होता है ॥ १०१ ॥ जो दाहादि करने वाला विप्र मृतक के
सपिण्डों का अन्न खाता हो तो १० दिन में और जो उन का अन्न न खाता
हो और उस घर में भी न रहता हो तो एक दिन में शुद्ध हो जाता है ॥ १०२ ॥

अनुगम्येच्छया प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव चास्नात्वा सचैलः स्पृष्ट्वाग्निं
घृतं प्राश्य विशुद्ध्यति ॥१०३॥ न विप्रं स्वेषु तिष्ठत्सु मृते शूद्रेण
नाययेत् । अस्वर्ग्याह्यतिः सा स्याच्छूद्रसंस्पर्शदूषिता ॥१०४॥

अर्थ—स्वजाति वा अन्य जाति के मुर्दे के पीछे जान बूझकर जाने से सचैल
स्नान, अग्निस्पर्श और घृत को खाकर शुद्ध होता है ॥ १०३ ॥ सजातियों
के रहते हुवे ब्राह्मण के मुर्दे को शूद्र से दाहार्थ न लिवा जावे, क्योंकि शूद्र
के स्पर्श से दूषित आहुति (संसार को) सुख देने वाली न होगी । १०४ ॥

ज्ञानंतपोऽग्निराहारौ मृन्मनो वार्युपाञ्जनम् । वायुः कर्मार्ककालौ
च शुद्धेः कर्तृणि देहिनाम् ॥१०५॥ सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं
परं स्मृतम् । योऽर्थशुचिर्हिसशुचिर्नमृद्धारिशुचिः शुचिः ॥१०६॥

अर्थ-मनुष्यों को ये ज्ञानादि शुद्ध करने वाले हैं- ज्ञान, तप, अग्नि, आहार, मृत्तिका, मन पानी, लोपना, वायु, यज्ञादि, सूर्य और काल (इसी से आशीष और शौचके हेतु समझ लेने चाहियें) ॥१०॥ इन सब शौचों में अर्थशौच (अन्याय करके दूसरे का धन न लेने की इच्छा रूप शौच) सब से श्रेष्ठ कहा है। यदि अर्थशौच नहीं तो मृत्तिकादि से कुल शुद्धि नहीं होती जहाँ अर्थ में शुद्ध है वही शुद्ध है ॥ १०६ ॥

१०७ ॥ शान्त्याशुध्यन्ति विद्वांसो दानेनाकार्यकारिणः प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः ॥१०७॥ मृत्तीयैः शुध्यते शोध्यं नदी वेगेन शुध्यति रजसास्त्रीमनोदुष्टा संन्यासेन द्विजोत्तमः ॥१०८॥

अर्थ-ज्ञान से विद्वान् शुद्ध होते हैं। जो यज्ञादि क्रिया नहीं कर सकते वे दान से, गुप्त पाप वाले जप से और उत्तम वेद के जानने वाले तप से (शुद्ध होते हैं) ॥ १०७ ॥ अलयुक्त अशुद्ध वस्तु मृत्तिका और जल से शुद्ध होती है। नदी वेग से शुद्ध होती है। मन से दूषित स्त्री रजस्वला होने पर और ब्राह्मण त्याग से (शुद्ध होता है) ॥ १०८ ॥

अद्विर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति १०९ ॥ अथ शौचं त्रयवः प्रोक्तः शारीर-स्य विनिर्णयः। नानाविधानां द्रव्याणां शुद्धेः शृणुत निर्णयम् ११०

अर्थ-पानी से शरीर शुद्ध होते हैं। मन सत्य बोलने से शुद्ध होता है। सुषमलिङ्ग शरीर से युक्त जीवात्मा विद्या और तप से (शुद्ध होता है) ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है ॥ १०९ ॥ यह तुम से शरीरशुद्धि का निर्णय कहा। अब अब नानाप्रकार के द्रव्यों की शुद्धि का निर्णय सुनो ॥ ११० ॥

तैजसानां मणीनां च सर्वस्याश्ममयस्य च। भस्मना द्विर्मृदा चैव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः ॥१११॥ निर्लेपं काञ्चनं भाण्डमद्विरेव विशुद्ध्यति। अब्जमश्ममयं चैव राजतं चानुपस्कृतम् ॥११२॥

अर्थ-सुवर्णादि और हीरा आदि मणियों और संपूर्ण पाषाणमय पदार्थों की राख, मिट्टी और पानी से मनीषियों ने शुद्धि कही है ॥ १११ ॥ सीने का वर्तन जिसमें उच्छिष्ट न लगा हो और शङ्ख मोती आदि जलज और पत्थरके

वर्तन तथा चांदी के जिन पर नक़्श नहीं वे केवल जल से शुद्ध होते हैं ॥ ११२ ॥
 अपामग्नेश्चसंयोगाद्देमंरौप्यं चनिर्वभौ । तस्मात्तद्योः स्वयोन्यैव
 निर्णैको गुणवत्तरः ॥११३॥ ताम्रायःकांस्यरैत्यानां त्रपुणःसी-
 सकस्यच । शौचं यथाहं कर्त्तव्यं क्षारास्त्रोदकवारिभिः ॥११४॥

अर्थ—जल और अग्नि के संयोग से चांदी सोना उत्पन्न हुआ है, इस लिये इनका शोधन अपनी योनि=पानी और अग्नि से ही बहुत उत्तम है ॥११३॥
 तांबा, लोहा, कांसी, पीतल, लाख और सीसे के वर्तनों को खार खड़े पानी और केवल पानी से जिस में जो उचित हो उस से उस का शोधन करे ॥ ११४ ॥

द्रवाणांचैव सर्वेषां शुद्धिराप्तवन्नस्मृतम् । प्रोक्षणं संहतानां च
 दारवाणां च तक्षणम् ॥११५॥ मार्जनं यज्ञपात्राणां पाणिना
 यज्ञकर्मणि । चमसानां ग्रहाणां च शुद्धिःप्रक्षालनेन तु ॥११६॥

अर्थ—द्रवों को पिघला कर छान लेने से और जमे हुएों की प्रोक्षण से और लकड़ियों के वर्तनादिकी छीलने से शुद्धि होती है ॥११५॥ परन्तु यज्ञ-
 कर्म में यज्ञपात्रों की हाथ से मार्जन द्वारा और चमसों तथा ग्रहों=संझासी
 वा घिसटों की धोने से शुद्धि होती है ॥ ११६ ॥

चरुणांस्त्रवस्त्रुवाणां चशुद्धिरुष्णेनवारिणा । स्फ्यशूर्पशकटानां
 च मुसलोलूखलस्य च ॥११७॥ अद्भिस्तु प्रोक्षणंशौचं बहूनां धा-
 न्यवाससाम् । प्रक्षालनेनत्वल्पानामद्भिःशौचंत्रिधीयते ॥११८॥

अर्थ—यज्ञपात्र चरु, स्त्रच, स्त्रुव, स्फ्य शूर्प, शकट, ओखली और मुसल
 की शुद्धि गरम पानी से होती है ॥ ११७ ॥ बहुत धान्याँ और कपड़ों की
 शुद्धि पानी के प्रोक्षण से और थोड़े हों तो धोने से कर्ही है ॥ (इस से आगे
 दो पुस्तकों में एक श्लोक अधिक पाया जाता है:—

[त्र्यहकृतशौचानां तु त्रायसी शुद्धिरिष्यते ।

पर्युक्षणाद्द्वपनाद्वा मलिनामतिधावनात् ॥]

३ दिन में जिन की शुद्धि कर्ही है, उन मृतबालकों के वस्त्र उन की
 आयु के अनुसार शुद्ध होते हैं—किन्हीं की छिड़कने, किन्हीं की धूप देने
 और किन्हीं मैले वस्त्रों की अत्यन्त धुलाने से शुद्धि जानी ॥ ११८ ॥

चैलवज्जर्मणां शुद्धिर्वैदलानां तथैव च। शाकमूलफलानां च
धान्यवच्छुद्धिरिष्यते ॥११९॥ कौशो वा विकथोरुषैः कुत्पाना-
यरिष्टकैः । श्रीफलैरंशुपहानां क्षौभाणां गौरसर्षपैः ॥१२०॥

अर्थ-कमड़ों और चटाइयों की शुद्धि वस्त्रयत होती है और शाक मूल
फलों की शुद्धि धान्य के बनाने चाही गई है ॥११९॥ रेशमी और ऊनी कपड़ों
की (शुद्धि) रेह वा सुनहरी मिही से और मेगाल के कम्बलों की रीठों से
तथा शशादि घास के कपड़ों की बेल से और बालटी वस्त्रों की घेत सरसों
से शुद्धि होती है ॥ १२० ॥

क्षौमवच्छुद्धौ ज्ञाणामस्थिदन्तमयस्य चाशुद्धिर्विजातताकार्या
गोमूत्रेणोदकेन वा ॥१२१॥ प्रोक्षणात्तृणकाष्ठं च पलालं चैव
शुद्ध्यति । मार्जनोपाङ्गनैर्वैश्रम पुनः पाकेन मृषमथम् ॥१२२॥

अर्थ खड्ड शूद्र, हड्डी और दांत के पात्रादि की शुद्धि शास्त्र का जानने
वाला पुत्रघ पानी या गोमूत्र से करे या जैसे बालटों का होती है ॥१२१॥
घास और फूस प्रोक्षण से और घर मार्जन, तथा लीपने से और मिही का
वर्तन पुनः भाग में देने से शुद्ध होता है ॥ १२२ ॥

मद्यैर्मूत्रैः पुरीषैर्वा ष्ठीवनैः पूयशोणितैः । संस्पृष्टं नैव शुद्ध्यति
पुनः पाकेन मृषमथम् ॥१२३॥ संमार्जनोपाङ्गनेन सेकेनीले-
खनेन च । गर्वा च परिवर्षेण भूमिः शुद्ध्यति पञ्चभिः ॥१२४॥

अर्थ परन्तु मरिचा, मूत्र, मल, शूक, राव और रक्त से दूषित हुवा
मृत्तिका का पात्र पुनः अग्नि में पकाने से भी शुद्ध नहीं होता ॥ १२३ ॥
मार्जन, लीपने, छिड़कने, छीलने और गौ के घास करने; इन पांचों से मृत्ति
शुद्ध होती है ॥ १२४ ॥

पक्षिजग्धं गवां प्रातमवधूतमवक्षुतम् । दूषितं केशकीटैश्च
मृत्प्रक्षेपेण शुद्ध्यति ॥१२५॥ यावन्नापैत्यमेध्याक्ता दूग्धोलेपश्च
तत्कृतः । तावन्मृद्धारि चोदयेत् सर्वासु द्रव्यशुद्धिषु ॥१२६॥

अर्थ-पक्षी ने खाया हो और गाय ने सूंचा हो वा घैर से कुचला हो
तथा जिसके ऊपर लीप दिवा हो और जो कौड़ों तथा केशों से दूषित हुवा
हो वह (स्थान) मृत्तिका डालने से शुद्ध होता है ॥ १२५ ॥ अमेय (विष्टादि)

के लेप से समस्त द्रव्यशुद्धियां में जब तक उस का गन्ध और लेप रहे तब तक पानी और जिही से उस को धोवे ॥ १२६ ॥

त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणानामकल्पयन्। अदृष्टमद्भिर्नि-
र्णितं यच्च वाचा प्रशस्यते ॥ १२७ ॥ आपः शुद्धा भूमिगता वैतृष्ण्यं
यासु गीर्भवेत्। अव्याप्ताश्चैदमेध्येन गन्धवर्णरसान्विताः ॥ १२८ ॥

अर्थ-देवतां से ब्राह्मणों के तीन पदार्थ पवित्र कहे हैं। एक ऋषुष्ट, दूसरा जो पानी से धी लिखा हो, तीसरे (ब्राह्मण की) वाणी से जो प्रशंसित हो ॥ १२७ ॥ जिस पानी में शाय की घ्वास निक्षुप्त हो सके और अमेध्ययुक्त न हो तथा गन्ध वर्ण रस से ठीक हो, ऐसा पानी भूमि में शुद्ध है ॥ १२८ ॥

नित्यं शुद्धः कारुहस्तः पश्ये यच्च प्रसारितम् ।

ब्रह्मचारिगतं भैक्षं नित्यं मेध्यमिति स्थितिः ॥ १२९ ॥

“नित्यमास्यं शुचि स्त्रीणां शकुनिः फलपातने ।

प्रस्रवे च शुचिर्वत्सः श्वा मृगग्रहणे शुचिः ॥ १३० ॥”

अर्थ-कारीगरों का हाथ और दुकान में बेचने को जो रक्खा है वह और ब्रह्मचारी की भिक्षा; ये सर्वदा पवित्र हैं । यह शास्त्र की सर्वादा है ॥ १२९ ॥ “स्त्रियों का मुख सर्वदा पवित्र माना जाता है तथा पत्नी फल गिराने में और बल्लुके का मुख दोहन के समय और कुत्ते का मुंह शिकार पकड़ने के समय पवित्र माना जाता है” । (यह कामी, स्वार्थी और मांसभक्षियों का प्रक्षेप धर्मशास्त्र से विरुद्ध त्याज्य है) ॥ १३० ॥

“श्वभिर्हतस्य यन्मांसं शुचि तन्मनुरब्रवीत् ।

ऋव्याद्भिश्च हतस्यान्यैश्चण्डालाद्यैश्च दस्युभिः ॥ १३१ ॥”

अर्थ-“कुत्तों से मारे हुवे का जो मांस है वह पवित्र है-ऐसा मनु ने कहा है और दूसरे व्याघ्र, चील आदि, चण्डाल आदि या दस्युओं के मारे का मांस भी पवित्र है । (यह भी पूर्व श्लोक के समान प्रतिप्र है। “मनुरब्रवीत् ” से भी यही फलकता है” ॥ १३१ ॥ वे दो आगे ४ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक है और इस पर अन्तिम भाष्यकार रामचन्द्र का भाष्य है । अन्यो का नहीं:-

[शुचिरग्निः शुचिर्वायुः प्रवृत्तोहि बहिश्चरः ।
जलं शुचिं विविक्तं पन्थाः सञ्चरणे शुचिः ॥]

अग्नि शुद्ध है और वायु बाहर बहता हुआ शुद्ध है । एकान्त देश का जल और बलसे हुवे मार्ग शुद्ध है ॥ १३१ ॥

ऊर्ध्वं नाभेर्यानि खानि तानि मेध्यानि सर्वशः ।

धान्यधस्तान्यमेध्यानि देहाच्चैव मलारच्युताः ॥१३२॥

अर्थ-नाभि के ऊपर जो इन्द्रियां हैं वे पवित्र और जो नाभि से नीचे हैं वे अपवित्र हैं और देह से निकले मल अशुद्ध हैं ॥ १३२ ॥

मक्षिका विप्रुपरक्षाया गौरश्चः सूर्यरश्मयः रजोभूर्वायुरग्निश्च
स्पर्श मेध्यानि निर्दिशेत् ॥१३३॥ विण्मूत्रोत्सर्गशुद्ध्यर्थं मृदा-
यादेयमर्थवत्तद्देहिकानांमलानां च शुद्धिषु द्वादशस्वपि ॥१३४॥

अर्थ-मक्षिका और उड़ते हुवे छोटे २ जलविन्दु और छाया, गाय, घोड़ा सूर्य की किरण, धूलि, भूमि, पवन और अग्नि, इन सब को स्पर्श में पवित्र समझे ॥१३३॥ मल मूत्र के त्याग और देह के चारहों मलों की शुद्धि के लिये उतनी मृत्तिका और जल लेवे जितने से दुर्गन्धादि निकट सके ॥ १३४ ॥

वसाशुक्रमसृङ्मज्जामूत्रविड्मूत्राणकर्णजिह्वाश्लेष्माश्रुदूपिका
स्वेदोद्वादशैते नृणां मलाः ॥१३५॥ एका लिङ्गेगुदेतिस्त्रस्तथेकत्र
करे दश । उभयोःसप्त दातव्या मृदः शुद्धिमभीप्सता ॥ १३६ ॥

अर्थ-वरबी=वसा, वोर्य, रक्त, मज्जा, मूत्र, विष्टा, नाकका मैल, कान का मैल, कफ, आंसू, आंखकी कीचड़ और पसीना, ये मनुष्यों के १२ मल हैं ॥१३५॥ शुद्धि को चाहने वाला मूत्र की जगह एक बार, गुदा में तीन बार, बायें हाथ में दश बार तथा दोनों हाथों में सप्त बार मिट्टी लगावे (दो पुस्तकों में " तथा वासकरे दश * पाठ है) ॥ १३६ ॥

एतच्छौचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम् । त्रिगुणं स्याद्ब्रह्म-
स्थानां यतीनां तु चतुर्गुणम् ॥१३७॥ कृत्वामूत्रं पुच्छिषं वा खान्याचा-
न्त उपरपृशेत् । वेदमध्येष्यमाणश्च अन्नमशंश्च सर्वदा ॥१३८॥

अर्थ-यह शुद्धि गृहस्थों की है। ब्रह्मचारियों की इस से दूनी और वानप्रस्थों की त्रिगुनी तथा यतियों की चौगुनी है ॥१३७॥ सल सूत्र करने के पश्चात् शुद्ध होकर आचमन करे और चक्षुरादि का जल से स्पर्श करे। वेद पढ़ने के पूर्व सनय तथा भोजन के समय सदा आचमन करे ॥ १३८ ॥

त्रिरात्रामेदपःपूर्वद्विःप्रमृज्यात्ततोमुखम्। शारीरं शौचमिच्छु-
निहस्त्रीशूद्रस्तुसकृत्सकृत् १३९ शूद्राणां मासिकं कार्यं वपनं न्याय-
वर्तिनाम्। वैश्यवच्छौचकल्पश्च द्विजोच्छिष्टं च भोजनम् ॥ १४० ॥

अर्थ-शरीर के पवित्र करने की इच्छा बाला भोजनोत्तर तीन बार आचमन करे, फिर दो बार मुख धोवे और शूद्र तथा स्त्री एक बार ॥१३९॥ न्याय पर चलने वाले शूद्रों का सुगहन गह्वीने भर में कराना और सूतकादि में वैश्य के तुल्य शौचविधि तथा द्विजों के भोजन से श्रेष्ठ भोजन है ॥१४०॥

नोच्छिष्टं कुर्वते मुख्या विप्रुषोऽङ्गे पतन्ति याः ।

न इमश्रूणि गतान्घ्रास्यान् दन्तान्तरधिष्ठितम् ॥१४१॥

अर्थ-मुख से निकले जो थूक के छोटें शरीर पर निरते हैं वे और मुख में गई हुई मूँछे और दांत के भीतर रहने वाला अन्न झूठा नहीं कहाता ॥ १४१ ॥ (इस से आगे एक पुस्तक में दो श्लोक अधिक हैं:-

(अजाश्वं मुखतोमेधयं गावो मेध्याश्च पृष्ठतः ।

ब्राह्मणाः पादतोमेध्याः स्त्रियोमेध्याश्च सर्वतः ॥

गौरमेध्या मुखे प्रोक्ता अजा मेध्या ततः स्मृता ।

गौः पुरीषं च मूत्रं च मेध्यमित्यब्रवीन्मनुः ॥)

बकरी, घड़े मुख से पवित्र हैं। गौ पीठ से पवित्र हैं। ब्राह्मण पाँव से पवित्र हैं और स्त्रियाँ सब ओर से पवित्र हैं। गौ का मुख अपवित्र है, परन्तु बकरी का मुख पवित्र है और गौ का गोबर और मूत्र पवित्र है। यह मनु ने कहा है ॥

स्पृशन्ति विन्दवः पादौ य आचामयतः परान् ।

धौमिकैस्ते समाज्ञिया न तैरप्रयतोभवेत् ॥ १४२ ॥

अर्थ—हमारे के आचमन को जल देने वाले के पैरों पर जो बिन्दु । भूमि से उलट कर) पड़ते हैं उन को भूमि के जलबिन्दु समान जाने । उनमें अशुद्ध नहीं होता ॥ १४२ ॥ (इस से आगे भी एक पुस्तक में यह श्लोक अधिक है:-

[दन्तवदन्तलग्नेषु जिह्वास्पर्शेषु चेन्न तु ।
परिच्युतेषु तत्स्थानान्निगिरन्नेव तच्छुचिः॥]

दांतों में घुसा अन्न दांतों के तुल्य शुद्ध है, परन्तु जीभ से न लगता हो और वह अन्न दांतों से छूटने पर निगलने में ही शुद्ध है) ॥

उच्छिष्टेनतुसंस्पृष्टोद्रव्यहस्तःकथञ्चनाअनिधायैवतद्द्रव्य-
माचान्तःशुचितामियात् १४३वान्तोविरक्तःस्नात्वातुघृतमा-
शनमाचरेत्।आचामेदेवभुक्त्वान्नंस्नानंमैथुनिनःस्मृतम् १४४

अर्थ-उच्छिष्ट पुरुष से कोई द्रव्य हस्त में लिये हुवे छू गया हो तो उस द्रव्य को अलग किये बिना ही आचमन करके शुद्ध हो जाता है ॥ १४३ ॥ वसम तथा तुस्त जिसे हुवा हो वह स्नान करके (घोड़ा) घृत खावे और भोजन करके वसन किया हो तो आचमन करके ही और मैथुन वाला स्नान से शुद्ध होता है ॥ १४४ ॥ से आगे ४ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक है:-

[अनृतौ तु मृदा शौचं कार्यं मूत्रपुरीषवत् ।

ऋतौ तु गर्भशङ्कित्वात्स्नानं मैथुनिनः स्मृतम्]

ऋतु से भिन्न काल में मैथुन करने वाले को मिट्टी से शौच करना चाहिये, जैसे मल मूत्र करने से भाकर करते हैं, परन्तु ऋतु में गर्भ की शङ्कायुक्त होने से स्नान करना कहा है) ॥ १४४ ॥

सुप्त्वाक्षुत्वाचभुक्त्वाच्चनिष्ठीव्योक्तानृतानिच।पीत्वापोऽध्ये-
प्यमाणश्चआ चामेत्प्रयतोऽपिसन् १४५।एषशौचविधिःकृत्स्नी
द्रव्यशुद्धिस्तथैवचाउक्तोवःसर्ववर्णानांस्त्रीणांधर्मान्निबोधत

अर्थ-सोकर, लींक कर, भोजन करके, एक कर, (मूल से) मूँट बोल कर और पानी पीकर और पढ़ने के पूर्व समय में शुद्ध हुआ भी आचमन करे ॥ १४५ ॥ यह संपूर्ण शौचविधि और सब कर्मों की द्रव्यशुद्धि तुम से कही । अब स्त्रियों के धर्म सुनो ॥ १४६ ॥

बाल या वायुवत्या वा बृद्ध या वा पियो पिता न स्वातन्त्र्येण कर्तव्यं
किञ्चित्कार्यं गृहेष्वपि ॥१४७॥ बाल्ये पितुर्वशेतिष्ठेत्पाणिग्रा-
हस्य यौवने पुत्राणां भर्तारि प्रेतेन भजेत्स्त्री स्वतन्त्रताम् ॥१४८॥

अर्थ-बालक या बृद्ध या युवति भी स्त्री स्वतन्त्रता से कोई काम घरों
में भी न करे ॥ १४७ ॥ बाल्य अवस्था में पिता के, यौवन में पति के और
पति मरने पर पुत्रों के अधीन रहे । स्त्री कभी स्वतन्त्र न रहे । (कहीं १
“ पितुर्गृहे ” पाठ है) ॥ १४८ ॥

पित्रा भर्तासुतैर्वापिनेच्छेद्विरहमात्मनः। एषां हि विरहेण स्त्री
गर्हा कुर्यादुभे कुले ॥१४९॥ सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु
दक्षया । सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ १५० ॥

अर्थ-पिता, भर्ता, पुत्र इन से अलग होना न चाहे क्योंकि इन से
अलग होने से स्त्री दोनों कुलों को निन्दित करती है ॥१४९॥ सर्वदा प्रसन्न
चित्त और घर के कामों में, घटुर तथा घर के वर्तन भांडे ठीक करके रखे
और ठग्य करने में स्त्री सर्वदा हाथ सकाड़े रहे ॥ १० ॥

यस्मै दद्यात्पितात्वेनां भ्राता चानुमतेः पितुः। तं शुश्रूषेत जीवन्तं
संस्थितं च न लङ्घयेत् ॥१५१॥ मङ्गलार्थं स्वस्त्ययनं यज्ञश्रासां
प्रजापतेः। प्रयुज्यते विवाहेषु प्रदानं स्वाम्यकारणम् ॥ १५२॥

अर्थ-पिता या पिता की अनुमति से भाई जिस (स्वयंप्रत पति) को
इसे देवे उस की जीवते की सेवा करे और मरने पर व्यभिचारादि न करे
॥१५१॥ इन का जो स्वस्त्ययन और प्रजापत्य होम विवाह में किया जाता
है वह मङ्गलार्थ है, कन्यादान (पति के) स्वामी होने का कारण है ॥१५२॥

अनतावृतुकाले च मन्त्रसंस्कारकृत्पतिः। सुखस्य नित्यं दातेह
परलोके च योषितः ॥१५३॥ विशीलः कामवृत्तीवा गुणैर्वापरि
वर्जितः । उपचर्यः स्त्रिया साधव्या सततं देववत्पतिः ॥१५४॥

अर्थ-मन्त्र संस्कार (विवाह) करने वाला पति ऋतु और अनुमति से सदा
सुख देने वाला है, उस की सेवा से यहां और परलोक में भी सुख प्राप्त होता

हे ॥ १५३ ॥ पति शीलरहित, कामी तथा विद्यादि गुणों से हीन भी हो
तथापि अच्छी स्त्री को देववत् आराधन योग्य है ॥

(१५४ के आगे भी ३ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक है:—

[दानप्रभृति या तु स्वाद्यावदायुः पतिव्रता ।

भर्तृलोकं न त्यजति यथैवारुन्धती तथा ॥]

जो स्त्री पिता आदि ने जब कन्यादान किया उस समय से तारी आयुपति-
व्रता रहती है वह अरुन्धती (तारे)के समान भर्तृलोक को नहीं त्यागती ॥१५४॥

नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषितम् ।

पतिं शुश्रूषते येन तेन स्वर्गं महीयते ॥ १५५ ॥

अर्थ-स्त्रियों का अलग कोई यज्ञ नहीं, न व्रत, न उपवास केवल
एक पति की शुश्रूषा से स्वर्ग में पूज्या हो जाती है ॥ (इस के आगे का एक
श्लोक ३ पुस्तकों में मिलता है:—

[पत्यौ जीवति या तु स्त्री उपवासं व्रतं चरेत् ।

आयुष्यं बाधते भर्तुर्नरकं चैव गच्छति ॥]

जो स्त्री पति के जीवते भूखी रहने वाला व्रत करती है, वह पति की
आयु को बाधा पहुँचाती और नरक को जाती है ॥ १५५ ॥

पाणिग्राहस्य साध्वी स्त्री जीवतो वा मृतस्य वा ।

पतिलोकमभीप्सन्ती नावरेत्किञ्चिदप्रियम् ॥ १५६ ॥

अर्थ-पतिलोक की इच्छा करने वाली स्त्री जीवित या मृत पति को
अप्रिय कोई कर्म न करे ॥ १५६ ॥

कामं तु क्षपयेद्देहं पुष्पमूलफलैः शुभैः । नतुनामापि गृह्णीयात्

परशौमेते परस्य तु ॥१५७॥ आसीतामरणात्क्षान्तानियता ब्रह्म-

चारिणी । यो धर्म एकपत्नीनां काङ्क्षन्ती तमनुत्तमम् ॥१५८॥

अर्थ-चाहे तो स्त्री पवित्र पुष्प, मूल, फलों से देह को लुप्त करदे, परन्तु
पति के मरने पर परपुरुष का (व्यभिचार की इच्छा से) नाम भी न लेवे ॥१५७॥

(चाहे तो) क्षमायुक्त, नियम वाली और पवित्र एक पतिधर्म की इच्छा करने वाली और सैथुन की इच्छा न करती हुई मरणपर्यन्त रहे ॥ १५८ ॥

अनेकानिसहस्राणिकुमारब्रह्मचारिणाम् दिवंगतानिविप्राणा
भक्त्याकुलसंततिम् ॥१५९॥ मृतेभर्तारि साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्ये
व्यवस्थिता। स्वर्गं गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥१६०॥

(अर्थ—कुमार ब्रह्मचारी ब्राह्मणों के कई हजार समुदाय बिना पुत्रोत्पादन किये स्वर्ग को गये ॥१५९॥ इसी प्रकार साध्वी स्त्री पति के मरने पर ब्रह्मचर्य में रहे तो अपुत्रा भी स्वर्ग को जाती है, जैसे वे ब्रह्मचारी ॥१६०॥

अपत्यलोभाद्यातुस्त्री भर्तारमतिवर्तते। सेहनिन्दामवाप्नोति
पतिलोकाच्चहीयते ॥१६१॥ नान्योत्पन्नाप्रजास्तीह न चाप्यन्य-
परिग्रहे । न द्वितीयश्च साध्वीनां क्वचिद्वर्तोपदिश्यते ॥१६२॥

अर्थ—पुत्र के लोभ से जो स्त्री परपुरुष से सम्बन्ध करती है, वह यहां निन्दा को पाती है और पतिलोक से भी वञ्चित रहती है (सेधातिथिने "परलोकात्" पाठ माना है) ॥१६१॥ दूसरे पुरुष से (व्यभिचार की) उत्पन्न हुई मन्तान शास्त्र से उसकी नहीं है और न दूसरी स्त्री में उत्पन्न करने वाले की है और न कहीं साध्वी स्त्रियों का दूसरा (विवाहित) पति कहा है ॥१६२॥

पतिं हित्वापकृष्टं स्वमुत्कृष्टया निषेवते। निन्द्यैव सामभवे लोके
परपूर्वतिचोचयते ॥१६३॥ व्यभिचारात्तु भर्तुः स्त्री लोके प्राप्नोति
निन्द्यताम् । शृगालयोनिं प्राप्नोति पापरो गैश्च पीडयते ॥१६४॥

अर्थ—जो अपने न्यूनगुण पति को छोड़कर श्रेष्ठ का सेवन करती है वह लोगों में निन्दनीया होती है और उसको 'दो पति की स्त्री' है, ऐसा कहते हैं ॥१६३॥ परपुरुष के भोग से स्त्री, लोगों में निन्दा और मरने पर स्यार की शानि को प्राप्त होती है और कुशादि पापरोगों से पीड़ित होती है ॥१६४॥

पतियानाभिचरति मनोवाग्देहसंयता । सा भर्तृलोकमाप्नोति
सद्भिः साध्वीति चोचयते ॥१६५॥ अनेन नारीवृत्तेन मनोवाग्देह
संयता। इहाग्र्यां कीर्तिमाप्नोति पतिलोकं परत्र च ॥१६६॥

अर्थ—मन वाणी देह से जा पति को दुःख नहीं देती, वह पति लोक को प्राप्त होती है और अच्छे पुरुष उस को साध्वी कहते हैं ॥१६५॥ इस धर्म से मन वाणी और देह का संघर्ष करने वाली स्त्री यहां श्रेष्ठ कीर्ति और परलोक में पतिलोक को प्राप्त होती है ॥ १६६ ॥

एवंवृत्तांसवर्णास्त्रीद्विजातिःपूर्वमारिणीमादाहयेदग्निहोत्रेण यज्ञपात्रैश्च धर्मवित् ॥१६७॥भार्यायैपूर्वमारिण्यै दत्त्वाग्नीन-
न्त्यकर्मणि । पुनर्दारक्रियां कुर्यात्पुनराधानमेव च ॥१६८॥

अर्थ—ऐसी सवर्णा स्त्री (पति से) पूर्व भर जावे तौ धर्मज्ञ द्विज उसे स्मात्ताग्नि और यज्ञपात्रों के सहित दाह देवे ॥ १६७ ॥ पूर्व मरी स्त्री को अन्त्येष्टि में अग्नि देकर गृहस्थाश्रम के निमित्त पुनः विवाह करे तौ फिर अग्निहोत्र लेवे ॥ १६८ ॥

अनेन विधिना नित्यं पञ्चयज्ञान्न हापयेत् ।

द्वितीयमायुषोभागं कृतदारोगृहे वसेत् ॥१६९॥

इति मानवे धर्मशास्त्रे (भृगुप्रोक्तायां संहितायां)

पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

अर्थ—इस विधि से विवाह करने वाला पुरुष आयु का दूसरा भाग गृहस्थाश्रम में व्यतीत करे और पञ्चमहायज्ञों का त्याग न करे ॥


(यद्यपि पुरुषों के साथ ही स्त्रियों का भी सामान्यधर्म कहा गया उस करना चाहिये; परन्तु १४७ से अध्यायसमाप्ति तक स्त्री का जो विशेष धर्म है उस का वर्णन है। इस में १४७ । १४८ वें श्लोकों का तात्पर्य नवमाऽध्याय में भी आवेगा, इस लिये पुनरुक्त से हैं । १४४ वें में पुरुष का अनुचित (हिमायत) पक्षपात है । १४७ से १६१ तक स्त्री को विधवा होने पर ब्रह्मचर्य से रहने की उत्तमता का वर्णन है। नियोगादि करना उस से घटिया पक्ष है । १६३ । १६४ में भी परपुरुषसङ्ग की निन्दा है, वह व्यभिचार की निन्दा है । जिस से पाप-रोग उपदेशादि प्रत्यक्ष होते देखे जाते हैं । १६२ में अन्य से उत्पन्न सन्तान को सन्तान न मानना व्यभिचार की सन्तान के विषय में है । नियमपूर्वक

विधिवत् नियुक्तों की सन्तति तो सन्तति ही है। १६८ में स्त्री मरने पर पुन-
 विवाह का विधान आवश्यक नहीं है; किन्तु उसका भाव यह है कि यदि
 पुरुष अक्षतवीर्य होने से पुनर्विवाह का अधिकारी हो और विवाह करना
 चाहे तो कर सकता है; परन्तु फिर से अग्निहोत्र लेना होगा। इस में ऊपर
 लिखे अनुसार दो श्लोक इस प्रकार से ऐसे भी हैं जो सब युक्तियों में नहीं
 पाये जाते और यह भी संभव है कि पुनरुक्तादि उक्त दोषों वाले श्लोक भी
 स्त्रियों की अत्यन्त परतन्त्रता के पक्षपाती लोगों ने कदाचित् बढ़ाये हों
 क्योंकि १५९। १६० श्लोकों में तो बहुत ही नवीनता मिलती है। ॥१६९॥

इति श्री तुलसीरामस्वामिद्विरचिते मनुभाषानुवादे

पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

—०:❀:०—



अथ षष्ठोऽध्यायः

एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातकोद्विजः ।

वने वसेत्तु नियतोयथावद्विजितेन्द्रियः ॥ १ ॥

अर्थ—स्नातक द्विज ऐसे यथाविधि गृहस्थाश्रम में रहकर निमग्नपूर्वक जितेन्द्रियता से वन में निवास करे ॥ (एक पुस्तक और रामचन्द्र की टीका में इस से आगे यह श्लोक अधिक है:—

[अतःपरं प्रवक्ष्यामि धर्मं वैखानसाश्रमम् ।

वन्यमूलफलानां च विधिं ग्रहणसौक्ष्ण्ये]

अर्थ—इस से आगे वानप्रस्थाश्रमी का धर्म और वन के मूल तथा फलों के लेने और त्यागने का विधान कहूंगा) ॥ १ ॥

गृहस्थस्तु यदा पश्येद्वलीपलितमात्मनः ।

अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत् ॥ २ ॥

अर्थ—गृहस्थ जब अपने देह की त्वचा को ढीली, शिर के बाल श्वेत और सन्तान के भी सन्तान को देख ले तब वन का आश्रय करे ॥ २ ॥

संत्यज्यग्राम्यसाहारं सर्वं चैव परिच्छेदम् । पुत्रेषु भार्यां निक्षिप्य

वनं गच्छेत्सहैव वा ॥ ३ ॥ अग्निहोत्रं समादाय गृह्यं चाग्नि

परिच्छेदम् । ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥

अर्थ—ग्राम का भोजन (दाल चावल पकानादि, और गाय, घोड़ा, शय्या इत्यादि को त्याग, स्त्री को पुत्रों के पास छोड़ या साथ लेकर ही वन को गमन करे ॥ ३ ॥ अग्निहोत्र और उस के पात्र खुब इत्यादि का ग्रहण कर ग्राम से निकल कर इन्द्रियों को स्वाधीन करता हुआ वन में निवास करे ॥ ४ ॥

मुन्यन्तैर्विविधैर्मध्यैः शाकमूलफलेन वा एतानैव महायज्ञान्

निर्वपेद्विधिपूर्वकम् ॥ ५ ॥ वसीत चर्म चीरं वा सार्यं स्नायात्

प्रगे तथा । जटाश्च विभृयान्नित्यं शमश्रुलोमनखानि च ॥ ६ ॥

अर्थ-नाना प्रकार के मुनियों के पवित्र अन्न वा शाक मूल फलों से ही ये महायज्ञ करे ॥५॥ सृष्टियों का चर्च या वृक्षों के बल्कलों को पहिने । प्रातः सायं दोनों समय स्नान करे । जटा और श्मश्रु तथा नख और रोम सर्वदा धारण करे ॥ ६ ॥

यद्गृह्यं स्यात्ततो दद्याद् बलिं भिक्षां च शक्तितः । अम्मूलफल-
भिक्षाभिरर्चयेदाश्रमागतान् ॥७॥ स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्या-
द्दान्तो मैत्रः समाहितः । दाता नित्यमना दाता सर्वभूतानुक्रमकः ।

अर्थ-(अपने) भोजन में से यथाशक्ति बलि और भिक्षा देवे और आश्रम में आये हुओं का जल, मूल और फल की भिक्षा से सत्कार करे ॥ ७ ॥ प्रति दिन वेदाध्ययन करे, इन्द्रियों का दमन और सब का उपकार करने वाला तथा मन को स्वाधीन रखने वाला हो और नित्य देता रहे, लेवे नहीं । सम्पूर्ण जीवों पर दया करने वाला हो ॥ ८ ॥

वैतानिकं च जुहुयाद्ग्नौ होत्रं यथाविधि । दर्शमस्कन्दयन्पूर्व
पौर्णमासं च योगतः ॥९॥ ऋक्षेषु चाग्रायणं चैत्र चातुर्मास्यानि
चाहरेत् । उत्तरायणं च क्रमशो दक्षस्थायनमेव च ॥ १० ॥

अर्थ-(गार्हपत्य कुण्ड में के अग्नि को आहवनीय दक्षिणाग्नि में मिलाने का नाम वितान है) उसमें वैतानिक अग्नि होत्र यथाविधि करे और समय पर दर्श पौर्णमास इन्द्रियों को न छूटे दे ॥ ९ ॥ नक्षत्रेष्टि और आग्रायणेष्टि तथा चातुर्मास्य और उत्तरायण दक्षिणायन में भी विहित (श्रौतकर्म) करे (मेधातिथि ने- 'दर्शेषु चाग्रायणम्' पाठ माना है । तथा दो पुस्तकों में "दक्षि-
णायनमेव च" और ७ पुस्तकों में "दक्षस्थायनमेव च" । पाठ है) ॥ १० ॥

वासन्तशारदौर्मध्यैर्मुन्यन्नैः स्वयमाहृतैः । पुरोडाशांश्चरुंश्चैत्र
विधिवन्निर्वपेत्पृथक् ॥११॥ देवताभ्यस्तु तद्गुत्वा वन्यं मध्य-
तरं हविः । शेषमात्मनि युञ्जीत लवणं च स्वयंकृतम् ॥१२॥

अर्थ-अपने हाथ से लाये हुवे वसन्त और शरद में उत्पन्न हुए पवित्र मुनियों के अन्नां से पुरोडाश और चरु बनाकर विधिवत् होम करे ॥ ११ ॥ वन का उत्पन्न हुआ अतिपवित्र हवि होम करने से शेष अपना बनाया अन्न लवण मिलाकर भोजन करे ॥ १२ ॥

अमथलजौदकशाकानिपुष्पमूलफलानिच। मेध्यवृक्षोद्भवान्य-
त्स्नेहांश्च फलसंभवान् ॥ १३ ॥ वर्जयेन्मधुमांसं च भौमानि
कवकानि च । भूसृष्टांशिभुकं चैव श्लेष्मातकफलानि च ॥१४॥

अर्थ—भूमि वा जल में उत्पन्न हुवे शाकों और पवित्र वृक्षों के पुष्प मूल
फलों तथा फलों से उत्पन्न स्नेहों=तेलों का भोजन करे ॥ १३ ॥ अद्य, मांख
और भूमि के कुकुरमुत्तों और मूत्रण (नालवा में प्रसिद्ध है) तथा सहोंजना
और श्लेष्मातक फल=लिसौडों को न खावे ॥ १४ ॥

त्यजेदाश्वयुजेमासिमुन्यन्नपूर्वसंचितमाजीर्णानिचैववासांसि
शाकमूलफलानि च ॥ १५ ॥ न फालकृष्टमस्त्रीयादुत्सृष्टमपि
केनचित् । न ग्रामजातान्यातोऽपिमूलानिच फलानि च ॥१६॥

अर्थ—आश्विन के महीने में संचय किया हुआ पहिला मुन्यन्न और
पुराने कपड़े तथा बासी शाक मूल फल त्याग देवे ॥१५॥ खेतों के धान्यादि
का चाहे किसी ने छोड़ भी दिये हों, न भोजन करे और ग्राम में होने
वाले मूल और फल पीड़ित हुआ भी न खावे ॥ १६ ॥

अग्निपक्वाशनीवास्यात्कालपक्वभुगेववा । अशमकुटोभवेद्वापि
दन्तोलूखलिकोऽपि वा ॥१७॥ सद्यः प्रक्षालकोवा स्यान्माससं-
चयिकोऽपिवा । षण्मासनिचयोवा स्यात्समानिचयएववा ॥१८॥

अर्थ—अग्नि का पका या समय से पके हुए फल ही या पत्थरों से कूटा
हुवा या दांतों ही से चबाया हुवा खावे ॥१७॥ एक वार के भोजनमात्र का
संचय करने वाला वा महीने भर का, वा छः महीने का, वा वर्ष दिन के
निर्वाहयोग्य का संचय करने वाला हो ॥ १८ ॥

नक्तंवान्नसमश्नीयाद्विवावाहृत्यशक्तिः । चतुर्थकालिकोवा
स्यात्स्याद्वाप्यष्टमकालिकः १९ चान्द्रायणविधानैर्वाशुक्रकृष्णौ
च वर्तयेत् । पक्षान्तधीर्वाश्रीयाद्यवागूक्थितां सकृत् ॥२०॥

अर्थ—अपने सामर्थ्य के अनुसार रात्रि में वा दिन में अन्न लाकर एक
वार खाये वा एक दिन उगवास करके दूसरे दिन सायंकाल को भोजन करे

वा तीन दिनरात्रि उपवास करके चौथे दिन रात्रि को भोजन करे ॥ १९ ॥
वा चान्द्रायण के विधान से शुक्ल कृष्ण पक्ष में आस घटावे बढ़ावे वा पौष-
मासी अमावस्या में पकी यवागू (लपसी) का एक वार भोजन करे ॥

(२० वें से आगे एक पुस्तक में यह श्लोक अधिक मिलता है:-

[यतः पत्रं समादद्यान्न ततः पुष्पमाहरेत् ।

यतः पुष्पं समादद्यान्न ततः फलमाहरेत् ॥]

जिस (वृत्त) से पत्ते छे, उससे फूल न ले, जिस से फूल ले उससे फल न ले ॥२०॥

पुष्पमूलफलैर्वापि केवलैर्वर्तयेत्सदा । कालपक्वैः स्वयं जीर्णै-
वैखानसमते स्थितः ॥२१॥ भूमौ विपरिवर्तित तिष्ठेद्वा प्रपदै-
र्दिनम् । स्थानासनाभ्यां विहरेत्सवनेषूपयन्नापः ॥ २२ ॥

अर्थ-अथवा पुष्प, मूल, फल जो काल पाकर पके और आप ही गिरें
उन से वानप्रस्थाश्रम में रहने वाला निर्वाह करे ॥ २१ ॥ भूमि में बैठा करे
वा दिन भर खड़ा रहे । स्थान और आसन पर घूमें और सायं, प्रातः,
मध्याह्न में त्रिकाल स्नान करे ॥ २२ ॥

ग्रीष्मे पञ्चतपास्तु स्याद्वर्षास्वभावकाशिकः आर्द्रवासास्तु
हेमन्ते क्रमशोवर्धयंस्तपः ॥ २३ ॥ उपस्पृशंस्त्रिषवणं पितॄन्
देवांश्च तर्पयेत् । तपश्चरंश्चोग्रतरं शीषयेद्देहमात्मनः ॥२४॥

अर्थ-ग्रीष्म में पञ्चाग्निसाधन करे (चारों ओर अग्नि रक्खे, ऊपर से
सूर्य) और वर्षा काल में बादल का आश्रय करे और हेमन्त में भीगे कपड़ों
से रहे । इस प्रकार क्रम से (सहिष्णुता) तप को बढ़ावे ॥ २३ ॥ त्रिकाल
स्नान करके देवीं और पितरों का तर्पण करे और उग्रतर तप करके अपने
शरीर को सुखावे ॥ २४ ॥

अग्नीनात्मनिवैतानान्समारोप्यथविधिः अग्निरनिकेतः
स्यान्मुनिर्मूलफलाशनः ॥२५॥ अप्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी
धराशयः । शरणेष्वममश्चैव वृक्षमूलनिकेतनः ॥ २६ ॥

अर्थ-अग्नियों को (वैखानस शास्त्र के) विधान से आत्मा में समारो-
पित करके मुनिब्रह्मवाला फल मूल का भोजन किया करे । अग्नि और

निकेत=स्थान भी न रखे ॥ २५ ॥ सुख के लिये प्रयत्न न करे और स्त्री संभोग रहित, भूमि पर सोने वाला और निवासस्थानों में ममत्वरहित वृद्ध के नीचे वाच करे ॥ २६ ॥

तापसेष्वेव विप्रेषु यात्रिकं भैक्षमाहरेत्। गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु ॥२७॥ ग्रामादाहृत्यवास्नीयादष्टौ ग्रासान् वने वसन् । प्रतिगृह्यपुटेनैव पाणिना शकलेन वा ॥ २८ ॥

अर्थ—वानप्रस्थाश्रम वाले विप्रों से प्राण बचाने भर ही भिक्षा लेलेवे । उसके अभाव में अन्यवनवासी गृहस्थ द्विजों से लेलेवे ॥२७॥ ग्राम से लाकर वनवासी श्रम के आठ ग्राम पत्ते वा हाथ वा सकोरे पर रखकर भोजन करे ॥ २८ ॥

एताश्चान्याश्चसेवेतदीक्षाविप्रोवनेवसन्। विविधाश्चौपनि-
षदीरात्मसंसिद्धये श्रुतीः ॥२९॥ ऋषिभिर्ब्राह्मणैश्चैव गृहस्थै-
रेव सेविताः । विद्यातपोविद्वृद्ध्यर्थं शरीरस्य च शुद्धये ॥३०॥

अर्थ—इन दीक्षाओं और अन्यो (जो वानप्रस्थाश्रम में कही हैं) का वन में रहता हुआ विप्र सेवन करे और विविध उपनिषदों में आर्षे श्रुतियों का आश्मज्ञानार्थ (श्रम प्राप्त करे)—॥ २९ ॥ जो कि ऋषिब्राह्मण गृहस्थों ने ही विद्या और तप की वृद्धि तथा शरीर की शुद्धि के लिये सेवित की है ॥ ३० ॥

अपराजितां वास्थाय ब्रजोद्दिशमजिह्वगः । आनिपाताच्छरी-
रस्य युक्तो वार्यनिलाशनः ॥३१॥ आसां महर्षिचर्याणां त्यक्त्वा-
ऽन्यतमया तनुम्। वीतशोकभयो विप्रो ब्रह्मलोके महीयते ॥३२॥

अर्थ—अथवा शरीर के छुटने तक जल वायु भक्षण करता हुआ जिस का पराजय न हो ऐसी दिशा को जितेन्द्रिय और कुटिलगति से रहित होकर गमन करे ॥३१॥ इन महर्षियों के अनुष्ठानों में से कोई सा अनुष्ठान करके विप्र शरीर को छोड़ शोक भय से रहित हो, ब्रह्मलोक (मोक्ष) में महिमा को प्राप्त होता है । (यहाँ तक वानप्रस्थाश्रम का वर्णन है । इसमें १९ वें से ३२ वें तक जो शरीर का कर्षण है, यह आवश्यक विधान नहीं, किन्तु सहनशीलतादि तप की वृद्धि के लिये कथन है । जो जैसा कर सके वा करता चाहे करे) ॥३२॥

वनेषु च विहृत्येवं तृतीयं भागमायुषः । चतुर्थमायुषोभागं
त्यक्त्वा सङ्गान्परिव्रजेत् ॥३३॥ आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतहोमो
जितेन्द्रियः । भिक्षाबलिपरिश्रान्तः प्रव्रजन् प्रेत्य वर्धते ३४

अर्थ—ऐसे आयु के तीसरे भाग को वन में व्यतीत कर, चतुर्थ भाग में
(विषयादि का) सङ्ग छोड़कर, संन्यास आश्रम को धारण करे (आयु के
चार भाग चारों आश्रमों पर हैं) ॥ ३३ ॥ आश्रम से आश्रम में गमन करके
(अर्थात् ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, उस से वानप्रस्थ, उस से) हवन करके भिक्षा
और बलि से युक्त हुवा जितेन्द्रिय “ संन्यास आश्रम ” करने वाला मरने
पर बढता=मोक्ष प्राप्त करता है ॥ ३४ ॥

ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनीमोक्षे निवेशयेत् । अनपाकृत्य
मोक्षं तु सेवमानो व्रजत्यधः ॥३५॥ अधीत्य विधिवद्देवान्पुत्रांश्चो-
त्पाद्य धर्मतः । इष्ट्वा च शक्तियोज्ज्वलानो मोक्षो निवेशयेत् ॥३६॥

अर्थ—तीन ऋणों को चुका कर मन को मोक्ष में लगावे । विना ऋणों
के चुकाये मोक्ष का सेवन (चतुर्थ आश्रम का धारण) करने वाला नीचे
गिरता है ॥ ३५ ॥ विधिपूर्वक वेदों को पढ़कर, विवाहादि धर्म से पुत्रों को
उत्पन्न कर, यथाशक्ति ज्योतिषोसादि यज्ञ करके (ऋषि-ऋण, पितृऋण और
देव ऋण से निवृत्त हुआ) मोक्ष में मन लगावे ॥ ३६ ॥

अनधीत्यद्विजोवेदाननुत्पाद्य तथा सुतान् अनिष्ट्वा चैव यज्ञैश्च
मोक्षमिच्छन् व्रजत्यधः ॥३७॥ प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ववेदस-
दक्षिणाम् आत्मन्यग्नीन्समारोग्यब्राह्मणः प्रव्रजेद्गृहात् ॥३८॥

अर्थ—वेदाध्ययन किये विना और पुत्रों को उत्पन्न किये विना और यथा-
विधियज्ञों को न करके मोक्ष की इच्छा करता हुआ नीचे गिरता है ३७ सर्वस्व
दक्षिणा की प्रजापति देवता के उद्देशवाली इष्टि करके आत्मा में अग्नियों का
समारोपण करके ब्राह्मण वानप्रस्थाश्रम से संन्यास को धारण करे ॥ ३८ ॥

योदत्त्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजत्यभयं गृहात् तस्य ते जीमया लोका
भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥३९॥ यस्मादण्वपि भूतानां द्विजान्नोत्प-
द्यते भयम् । तस्य देहाद्विमुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन ॥४०॥

अर्थ—जो सब प्राणियों को अभय देकर गृह से चतुर्थ आश्रम की जाता है उस ब्रह्मज्ञानी को तेजोमय लोक (मोक्ष प्राप्त) होते हैं ॥४९॥ जिस द्विज से प्राणियों को घोड़ा भी भय उत्पन्न नहीं होता, देह छूटने पर उस को किसी से भय नहीं है (वह भी अभय हो जाता है) ॥ ४० ॥

आगारादभिनिष्क्रान्तःपवित्रोपचितोमुनिः।समुपौहृषुकामेषु
निरक्षेपःपरिव्रजेत् ॥ ४१ ॥ एकएव चरेन्नित्यं सिद्धयर्थम-
सहायवान् । सिद्धिमेकस्य संपश्यन् जहाति न हीयते ॥४२॥

अर्थ—घर से निकला हुआ, पवित्र दण्डकमण्डलुयुक्त, अच्छे प्रकार मिलते हुये कामों में भी अपेक्षारहित मुनि संन्यास धारण करे ॥ ४१ ॥ एकाकी को मोक्षप्राप्ति होती है, ऐसा जानता हुआ सदा सहायक रहित अकेला ही रहे, (तब) वह न छोड़ता है, न छूटता है (एकरस हो जाता है) ॥ ४२ ॥

अनग्निरनिकेतः स्याद् ग्राममन्त्रार्थमाश्रयेत्।उपेक्षकोऽशङ्कु-
सुकोमुनिर्भावसमाहितः ॥४३॥ कपालं वृक्षमूलानि कुचैलम-
ऽसहायता । समता चैव सर्वस्मिन्नेतन्मुक्तस्य लक्षणम् ॥४४॥

अर्थ—अग्नि तथा घर से रहित, भिक्षा के लिये ग्राम का आश्रय करे और दुःख हो तो चिन्ता न करे तथा स्थिरचित्त और मुनि धर्म से युक्त रहे ॥ ४३ ॥ (भोजनार्थ) खपरा, (स्थानार्थ) वृक्ष के नीचे की भूमि, मोटे वृक्षों की गुदही, किसी से सहायता न चाहना और सब में समानबुद्धि, यह मुक्त का लक्षण है ॥ ४४ ॥

नाभिनन्देत वरणं नाभिनन्देत जीवितम् ।

कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशं भूतकोयथा ॥ ४५ ॥

अर्थ—न जीवने में सुख माने, न मरने में माने किन्तु (मृत्यु के) समयकी प्रतीक्षा करे, जैसे नौकर आज्ञा की (प्रतीक्षा करता है)। "बहुत अच्छा" कहकर प्राण त्याग दे ॥) नीचे लिखे ३ श्लोकों में से एक पुस्तक में पहले दो और एक पुस्तक में पहला एक और ५ पुस्तकों में तीनों श्लोक अधिक पाये जाते हैं और एक पर रामयानन्द की तथा तीनों पर रामचन्द्र की टीका भी है—

[ग्रैष्म्यान्हैमन्तिकान्मासानऽष्टौ भिक्षुर्विचक्रमेत् ।

दयार्थं सर्वभूतानां वर्षास्विकत्र संवसेत् ॥ १ ॥

नाऽसूर्यं हि व्रजेन्मार्गं नाऽदृष्टां भूमिमाक्रमेत् ।
 परिभूताभिरद्विस्तु कार्यं कुर्वीत नित्यशः ॥ २ ॥
 सत्यां वाचमहिंसां च वदेदऽनपकारिणीम् ।
 कल्कापेतामऽपरुषामऽनृशंसामपैशुनाम् ॥ ३ ॥]

गरमी और जाड़े के ८ मास में संन्यासी देशाटन करे और सब जीव जन्तुओं पर दया के लिये वर्षा के ४ मास तक एक स्थान में निवास करे ॥१॥ रात्रि में जब सूर्य न हो, तब मार्ग न चले । भूमि को बिना देखे न चले । अधिक जल से नित्य कार्य करे ॥२॥ सत्य, हिंसारहित, दूसरे की हानि न करने वाली और कठोरता, क्रोध, निन्दा और धुगली से रहित वाणी बोले ॥३॥ ॥४५॥

दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिवेत् ।

सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत् ॥ ४६ ॥

अर्थ-दृष्टि से शोधित (मार्ग से) पैर रखे (देखकर चले) और वस्त्र से (छान कर) पवित्र हुआ जल पीये और सत्य से पवित्र वाणी को बोले और मन से पवित्र आचरण को करे ॥ ४६ ॥

अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कञ्चन । न चेमं देहमाश्रित्य
 वैरं कुर्वीत केनचित् ॥४७॥ क्रुद्व्यन्तं न प्रतिक्रुद्व्येदक्रुष्टः कुशलं
 वदेत् । सप्तद्वाराऽवकीर्णां च न वाचमऽनृतां वदेत् ॥ ४८ ॥

अर्थ-दूसरों के बारे कहने का सहन करे, किसी का अपमान न करे और इस देह का आश्रय कर किसी के साथ वैर न करे ॥ ४७ ॥ क्रोध करते पर बदले में क्रोध न करे और निन्दा करने वाले से आप अच्छा बोले और पञ्चेन्द्रिय, मन, बुद्धि इन ७ (अथवा १ मुख का, १ नाक के, २ कानों के, २ आंखों के, इन ७) छिद्रों में बिखरी हुई असत्य वाणी न बोले (किन्तु शास्त्रीय वचन बोले) ॥ ४८ ॥

अध्यात्मरतिरासीनोनिरपेक्षोनिरामिषः* । आत्मनैवसहायेन
 सुखार्थी विचरेदिह ॥४९॥ नचोत्पातनिमित्ताभ्यां नक्षत्राङ्ग
 विद्यया । नानशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत कर्हिचित् ॥५०॥

*यहां सब टीकाकारों ने "आमिष" का अर्थ "विषय" ही किया है ॥

अर्थ-ब्रह्मध्यान में रहने और किसी की अपेक्षा न रखने वाला और विषयों के अभिलाष से रहित तथा अपनी ही सहायता से सुख चाहने वाला होकर इस संसार में विचरे ॥४९॥ (भविष्यत्) उत्पात(भूकम्पादि) बताने वा ग्रहों की विद्या वा उपदेश वा शास्त्रार्थ के बदले भिक्षा की इच्छा न करे ॥५०॥

न तापसैर्ब्राह्मणैर्वा वयोभिरपि वा श्रमिः। आकीर्णं भिक्षुकै-
र्वान्यैरागारमुपसंत्रजेत् ॥५१॥ क्लृप्तकेशनखश्मश्रुः पात्रीदण्डी
कुसुम्भवान् । विचरेन्नियतो नित्यं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥५२॥

अर्थ-वानप्रस्थों वा अन्य ब्राह्मणों तथा पक्षियों वा कुत्तों वा अन्य मांगने वालों से घिरे मकान में भिक्षा को न जावे ॥५१॥ नख, केश, श्मश्रु जिसके मुँहे हों, पात्र, दण्ड, कमण्डलु और रंगे कपड़ों से युक्त, किसी को पीडा न देता हुआ सदा नियम से विचरे ॥ ५२ ॥

“अतैजसानिपात्राणितस्यस्युर्निर्व्रणानि चातेषामद्भिः स्मृतं
शौचं च मसानामिवाध्वरे ॥५३॥ अलाबुंदारुपात्रं च मृष्टमयं
वैदलंतथा। एतानियतिपात्राणि मनुः स्वायंभुवोऽब्रवीत् ॥५४॥”

अर्थ-“उस के पात्र तैजस अर्थात् सोना, चांदी, पीतल आदि धातुओं के न हों और छिद्ररहित हों। पानी से उन की पवित्रता कही है, जैसे यज्ञ में चत्वारों की ॥५३॥ तूषी, लकड़ी, मिट्टी वा बांस के बने हुवे, ये यतियों के भिक्षापात्र हैं। ऐसा “स्वायम्भुव मनु ने कहा है” (इसी से स्पष्ट है कि अन्यकृत हैं) ॥ ५४ ॥”

एककालं चरेद्दक्षं न प्रसज्जेत विस्तरे । भिक्षे प्रसक्तो हि यति-
र्विषयेऽपि सज्जति ॥ ५५ ॥ विधूमे सन्नमुसले व्यङ्गारे
भुक्तवज्जने। वृत्तेशरावसंपाते भिक्षां नित्यं यतिश्चरेत् ॥५६॥

अर्थ-एक बार भिक्षा करे, बहुत भिक्षा में आसक्त न हो क्योंकि बहुत भिक्षा में फंसा संन्यासी अन्य विषयों में भी आसक्त हो जाता है ॥ ५५ ॥ रसोई का घुआ निकल चुका हो, कूटना आदि बन्द हो गया हो, आग बुझा दी हो, सब भोजन कर चुके हों और रसोई के यर्जन हाल दिये हों तब (ऐसे गृह में) सदा संन्यासी भिक्षा करे ॥ ५६ ॥

अलाभेन विपादो स्याद्वाभे चैव न हर्षयेत्। प्राणयात्रिकमात्रः
स्यान्मात्रासंगाद्विनिर्गतः ॥ ५७ ॥ अभिपूजितलाभांस्तु जुगुप्से-
तैव सर्वशः। अभिपूजितलाभैश्च यतिर्मुक्तोऽपि बह्यते ॥ ५८ ॥

अर्थ—(भिक्षा) न मिले तो खेद न करे और मिले तो आनन्द न माने।
जीवनमात्र का उपाय करे। मात्रासङ्ग (शब्द रूप रस गन्ध स्पर्श) विषयों से
पृथक् रहे ॥ ५७ ॥ यति पूजापूर्वक (स्यादिति भिक्षा) लाभों की निन्दा करे
(अर्थात् ऐसी भिक्षा प्रसन्न न करे) क्योंकि ऐसी भिक्षा के लाभों से युक्त
भी यति (देने वाले के स्नेह ममत्वादि से) बन्धन को प्राप्त हो जाता है ॥ ५८ ॥

अल्पाब्जाभ्यवहारेण रहःस्थानात्सनेन चाह्वियमाणानि विषयै-
रिन्द्रियाणि निवर्तयेत् ॥ ५९ ॥ इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेष
क्षयेण च । अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते । ६० ॥

अर्थ—थोड़े भोजन, निर्जन देश और एकान्त स्थान में रहने से विषयों
से खिंची हुई इन्द्रियों को रोके ॥ ५९ ॥ इन्द्रियों को रोकने, राग द्वेष के
नाश तथा प्राणियों की हिंसा न करने से मोक्ष के योग्य होता है ॥ ६० ॥

अवेक्षेत गतीर्नृणां कर्मदोषसमुद्भवाः । निरथे चैव पतनं
यातनाश्च यमक्षये ॥ ६१ ॥ विप्रयोगं प्रियैश्चैव संयोगं च तथा-
ऽप्रियैः । जरया चाभिभवन् व्याधिभिश्चोपपीडनम् ॥ ६२ ॥

अर्थ—मनुष्यों के कर्मदोषों से उत्पन्न दशाओं और नरक में गिरने और
मृत्यु के पश्चात् नाना प्रकार की शिखाओं का चिन्तन करे ॥ ६१ ॥ और
प्यारों के वियोग तथा शत्रुओं के संयोग, वृद्धावस्था से दबाये जाने तथा
व्याधियों से पीड़ित होने पर भी (ध्यान करे) ॥ ६२ ॥

देहादुत्क्रमणं चास्मात्पुनर्गर्भं च संभवस्माद्योनिकोटिसहस्रेषु
सृतीश्चास्यान्तरात्मनः ॥ ६३ ॥ अधर्मप्रभवं चैव दुःखयोगं
शरीरिणाम् । धर्मार्थप्रभवं चैव सुखसंयोगमक्षयम् ॥ ६४ ॥

अर्थ—इस देह से निकलना, फिर गर्भ में उत्पत्ति और कोटि सहस्रों
योनियों में इस जीवात्मा का जाना ॥ ६३ ॥ देहधारियों को अधर्म से दुःख के
योग और धर्म अर्थ से उत्पन्न अक्षय सुख के योग का भी (चिन्तन करे) ॥ ६४ ॥

सूक्ष्मतां चान्ववेक्षेत योगेन परमात्मनः । देहेषु च समुत्पत्ति-
मुत्तमेष्वधमेण च ॥६५॥ दूषितोऽपि चरेद्धर्मं यत्र तत्राश्रमे
रतः । समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ्गं धर्मकारणम् ॥ ६६ ॥

अर्थ-योग से परमात्मा की सूक्ष्मता का ध्यान करे । उत्तम और अधम
योनिओं में जीवों के शुभाऽशुभ फलभोग के लिए उत्पत्तिका भी (चिन्तन
करे) ॥ ६५ ॥ दोष लगाने पर भी सम्पूर्ण जीवों में समदृष्टि करता हुआ
चाहे किसी आश्रम में रहे पर धर्म के आचरण करे क्योंकि (दण्डादि) धिक्
धर्म का कारण नहीं हैं । (एक पुस्तकमें दूषितः—गृहस्थः और ४ पुस्तकों
में—भूषितः । पाठभेद है) ॥ ६६ ॥

फलं कतकवृक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम् । न नामग्रहणादेव
तस्य वारि प्रसीदति ॥६७॥ संरक्षणार्थं जन्तूनां रात्रावहनि वा
सदा । शरीरस्यात्यये चैव समीक्ष्य वसुधां चरेत् ॥ ६८ ॥

अर्थ—(जैसा कि) निर्मली का फल यद्यपि पानी शुद्ध करने वाला है,
तथापि निर्मली के नाम लेने से ही पानी शुद्ध नहीं होता ॥ ६७ ॥ (पिपी-
लिकादि सूक्ष्म) जन्तुओं की रक्षा के लिये रात्रि में वा दिन में शरीर को
रक्षित होने पर भी भूमि को देख कर चले ॥ ६८ ॥

अह्ना रात्र्याच याज्जन्तून्निहनस्त्यऽज्ञानतोयतिः । तेषां स्नात्वा
विशुद्ध्यर्थं प्राणायामान्पडाचरेत् ॥६९॥ प्राणायामा ब्राह्मणस्य
त्रयोऽपि विधिवत्कृताः । व्याहृतिप्रणवैर्युक्ता विज्ञेयं परमं तपः

अर्थ—यति से जो जीव बिना जाने दिन या रात्रि में मर जाते हैं, उस
पाप से दूर होने को स्नान करके छः प्राणायाम करे ॥६९॥ (भूः भुवः स्वः) इन
व्याहृति और प्रणव (ओ३म्) युक्त विधि से किये हुवे ३ भी प्राणायाम
ब्राह्मण का परम तप जानिये ॥ ७० ॥

दहन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । तथेन्द्रियाणां
दहन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात् ॥१॥ प्राणायामैर्दहेदोषान्धारणा-
भिश्च किलिषणम् । प्रत्याहारेण संसर्गान्ध्यानेनानीश्वरान्गुणान्

अर्थ—जैसे (सुवर्णादि) धातुओं के मूल अग्नि में घोंकने से फुंकते हैं, वैसे ही प्राण के रोकने से इन्द्रियों के दोष जल जाते हैं ॥११॥ प्राणायामों से रोगादिदोषों को, धारणाओं से पाप को, इन्द्रियों के रोकने से विषयों के संसर्गों को और ध्यानादि से मोहादि गुणों को जलावे २ १२ ॥

उच्चावचेषु भूतेषु दुर्ज्ञेयामकृतात्मभिः । ध्यानयोगेन संपश्येद्
गतिमस्यान्तरात्मनः ॥ ७३ ॥ सम्यग्दर्शनसंपन्नः कर्मभिर्न
निबद्ध्यते । दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ ७४ ॥

अर्थ—इस जीव की उत्तम अधम योनियों में प्राप्ति को, जो अकृतात्मा पुरुषों से नहीं जानी जाती, ध्यानयोग से देखे (जाने) ॥ ७३ ॥ (ब्रह्म का) साक्षात् करने वाले कर्मों से नहीं बन्धता और साक्षात्कार से रहित संसार को प्राप्त होता है ॥ ७४ ॥

अहिंसयेन्द्रियासङ्गैर्वैदिकैश्चैव कर्मभिः । तपसश्चरणैश्चौग्रैः
साधयन्तीह तत्पदम् ॥७५॥ अस्थिरूथूणं स्नायुयुतं मांसशो-
णितलेपनम् । चर्मावनद्धं दुर्गन्धि पूर्णं मूत्रपुरीषयोः ॥७६॥

अर्थ—हिंसा न करने, इन्द्रियों को विषयों में न फंसाने और वैदिककर्मों और उग्रतप के आचरणों से इस लोक में उस पद को सिद्ध करते हैं ॥७५॥ हड्डी का स्थूणा (स्तम्भ) युक्त, स्नायुरूप जेबड़ी से बांधे, मांस, रक्त से लिपड़े, घाम से मँटे हुये, दुर्गन्धि और मलमूत्र से पूर्ण, ॥ ७६ ॥

जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम् । रजस्वलमनित्यं च
भूतावासमिमं त्यजेत् ॥७७॥ नदीकूलं यथा वृक्षोवृक्षं वा शकु-
निर्यथा । तथा त्यजन्मिमं देहं कृच्छ्राद्ग्राहाद्विमुच्यते ॥७८॥

अर्थ—जरा (बुढ़ापे) और शोक से घिरे हुये, रोग के घर, झुधा प्यास से पीड़ित, रजस्वल (मलीन), अनित्य तथा पञ्चभूतों के गृह “ शरीर ” को छोड़ देवे (अर्थात् ऐसा करे कि फिर शरीर न हो) ॥७७॥ जैसे नदी के किनारे को वृक्ष छोड़ देता है और पत्नी जैसे वृक्ष को छोड़ देता है ऐसे संन्यासी इस देह को छोड़ता हुआ कठिन (संसाररूपी) ग्राह से छूट जाता है ॥७८॥

प्रियेषु स्वेषु सुकृतमप्रियेषु च दुष्कृतम् । विसृज्य ध्यानयोगेन
ब्रह्माभ्येति सनातनम् ॥७९॥ यदा भावेन भवति सर्वभावेषु
निःस्पृहः । तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम् ॥८०॥

अर्थ—अपने प्रिय में (पूर्वजन्मार्जित) सुकृत और अप्रिय में दुष्कृत
(ज्ञान कर उस से होने वाले रागद्वेषादि) को छोड़कर ध्यानयोग से सना-
तन ब्रह्म को प्राप्त होता है ॥७९॥ जब (विषयों के दोषों के) ज्ञान से संपूर्ण
पदार्थों में निःस्पृह हो जाता है तब इस लोक और परलोक में नित्य सुख
को प्राप्त होता है ॥ ८० ॥

अनेन विधिना सर्वास्त्यक्त्वा सद्भान् शनैः शनैः । सर्वद्वन्द्ववि-
निर्मुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥८१॥ ध्यानिकं सर्वमेवैतद्यदेतद-
भिशाब्दितम् । न ह्यनध्यात्मवित्कश्चित्क्रियाफलमुपार्नुते ॥८२॥

अर्थ—इस प्रकार संपूर्ण (पुत्र कलत्रादि के) सङ्गों को धीरे-२ छोड़कर
संपूर्णद्वन्द्वों (मानाऽपमानादि) से छूटा हुआ ब्रह्म में ही स्थित हो जाता है
॥८१॥ यह जो (पुत्रादि का) समस्तवत्याग कहा है वह संपूर्ण मन से ही
होता है; क्योंकि मन से (त्याग) न करने वाला (केवल दिखावे को अलग
रहने वाला) कोई उस क्रिया के फल को नहीं प्राप्त होता ॥ ८२ ॥

अधियज्ञं ब्रह्म जपेदाधिदैविकमेव च । आध्यात्मिकं च सततं
वेदान्ताभिहितं च यत् ॥८३॥ इदं शरणमज्ञानामिदमेव विजा-
नताम् । इदमन्विच्छतां स्वर्गमिदमानन्त्यमिच्छताम् ॥८४॥

अर्थ—यज्ञ और देवतों तथा आत्मा के विषय में और वेदान्त (ब्रह्म-
ज्ञान) विषय में जो वेदवाक्य हैं उन का निरन्तर जप करे ॥ ८३ ॥ यह
(वेद-भ्यास) अज्ञानियों को और ज्ञानियों को भीहित है । यह स्वर्ग और
मोक्ष की इच्छा करने वालों का भी शरण है (अर्थात् वेदद्वारा सब की
प्राप्ति है) ॥ ८४ ॥

अनेन कर्मयोगेन परिव्रजति यो द्विजः । स विधयेह पाप्मानं
परं ब्रह्माधिगच्छति ॥८५॥ एष धर्मोऽनुशिष्टो वीर्यतीनां निय-
तात्मनाम् । वेदसंन्यासिकानां तु कर्मयोगं निबोधत ॥८६॥

अथ इस क्रम के अनुष्ठान से जो द्विज संन्यास धारण करता है, वह यहां पापों का नाश करके परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है ॥८५॥ जितेन्द्रिय यतियों का यह धर्म तुम को बताया । अब वेदसंन्यासियों (ज्ञान से ही संन्यासी, जिन्होंने बाहर से संन्यस्त चिह्न वा गृहवासत्यागादि नहीं किये) का कर्मयोग सुनो ॥ ८६ ॥

ब्रह्मचारीगृहस्थश्च वानप्रस्थोयतिस्तथा । एतेगृहस्थप्रभवा-
श्चत्वारःपृथगाश्रमाः ॥८७॥ सर्वेऽपि क्रमशस्त्वेते यथाशास्त्र
निषेविताः। यथोक्तकारिणं विप्रं नयन्ति परमां गतिम् ॥८८॥

अर्थ—ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और यति; ये पृथक् २ चार आश्रम गृहस्थ से उत्पन्न हैं ॥८७॥ ये चारों ही आश्रम क्रम से शास्त्रानुकूल सेवित किये हुये उक्तविधि से करने वाले विप्र को मोक्ष प्राप्त कराते हैं ॥ ८८ ॥

सर्वेषामपि चैतेषां वेदस्मृतिविधानतः । गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः
स त्रीनेतान् विभर्ति हि ॥८९॥ यथानदी नदाः सर्वे सागरे यान्ति
संस्थितिम् । तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम् ९०

अर्थ—इन सब आश्रमों में वेदों और स्मृतियों के विधान से गृहस्थ श्रेष्ठ कहा है; क्योंकि वह तीनों का पोषण करता है ॥ ८९ ॥ जैसे संपूर्ण नदी और नद समुद्र में जाकर ठहरते हैं, वैसे ही सब आश्रमी गृहस्थ में ठहरते हैं (आश्रय पाते हैं) ॥ ९० ॥

चतुरभिरपि चैवैतैर्नित्यमाश्रमिभिर्द्विजैः । दशलक्षणकोधर्मः
सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥ ९१ ॥ धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमि-
न्द्रियनिग्रहः । धीर्विद्यासत्यमक्रोधोदशकंधर्मलक्षणम् ९२

अर्थ—चारों आश्रमी द्विजों को दश लक्षण वाले धर्म का सेवन यत्न से करना चाहिये ॥ ९१ ॥ १-धैर्य २-दूसरे की करी हुई बुराई को सह लेना ३-मन का रोकना ४-चोरी न करना ५-शुद्ध होना ६-इन्द्रियों का रोकना ७-शास्त्र का ज्ञान ८-आत्मा का ज्ञान ९-सत्य बोलना और १०-क्रोध न करना; ये धर्म के दश लक्षण हैं (५ पुस्तकों और नन्दनरुत टीका में— धीः=हीः पाठभेद है) ॥ ९२ ॥

दश लक्षणानि धर्मास्य ये विप्राः समधीयते । अधीत्य चानु
वर्तन्ते ते यान्ति परमां गतिम् ॥ ६३ ॥ दशलक्षणकं धर्ममनुतिष्ठन्
समाहितः । वेदान्तं विधिवच्छ्रुत्वा संन्यसेद नृणो द्विजः ॥ ६४ ॥

अर्थ—जा विप्र धर्म के दश लक्षणों को पढ़ते हैं और प्रकट कर उस के अनु-
सार चलते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥ ६३ ॥ (ऋषि पितर देवों के)
ऋणों से मुक्त द्विज स्वस्थचित्त होकर दश लक्षण वाले धर्म को करता हुआ
विधि से वेदान्त का श्रवण करके संन्यास धारण करे ॥ ६४ ॥

संन्यस्य सर्वकर्माणि कर्मदोषानपानुदन् ।

नियतो वेदमभ्यस्य पुत्रैश्चर्यं सुखं वसेत् ॥ ६५ ॥

अर्थ—संपूणे (गृहस्थ के) कर्मों को छोड़कर और (विना जाने जीवों के
नाशजनित) पापों को (प्राणायामों से) नष्ट करना हुआ जितेन्द्रिय होकर वेद
का अभ्यास करके पुत्र के ऐश्वर्य में (वृत्ति की चिन्ता से रहित) सुखपूर्वक
निवास करे ॥ (६५ वें से आगे एक पुस्तक में यह श्लोक अधिक है:—

[संन्यसेत्सर्वकर्माणि वेदमेकं न संन्यसेत् ।

वेदसंन्यासतः शूद्रस्तस्माद्देदं न संन्यसेत् ॥]

सब काम छोड़ दे, परन्तु एक वेद को न छोड़े; क्योंकि वेद के छोड़ने
से शूद्र हो जाता है, इस लिये वेद को न छोड़े) ॥ इसी आशय का श्लोक
पाठभेद से अन्य दो पुस्तकों में भी मिलता है कि:—

संन्यसेत्सर्वकर्माणि वेदं तु न परित्यजेत् ।

परित्यागाद्द्वि वेदस्य शूद्रतामनुगच्छति ॥ ६५ ॥

एवं संन्यस्य कर्माणि स्वकार्यपरमोऽस्पृहः ।

संन्यासेनापहत्यैनः प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ ६६ ॥

अर्थ—इस प्रकार कर्मों को छोड़कर अपने कार्य (आत्मसाक्षात्कार)
में तत्पर हुआ तिस्रुपह संन्यास से पाप को दूर करके परगति को प्राप्त
होता है ॥ ६६ ॥

एष वीऽभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः ।
पुण्योऽक्षयफलः प्रेत्य राज्ञां धर्मं निबोधत ॥ ६७ ॥


इति मानवे धर्मशास्त्रे (भृगुप्रोक्तायां संहितायां)

षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

अर्थ—(हे ऋषियो ।) तुम से यह ब्राह्मण का चार प्रकार का धर्म जो परलोक में पुण्य तथा अक्षय फल देने वाला है, कहा । अब राजाओं का धर्म सुनो—॥ ६७ ॥

इति श्री तुलसीरामस्वामिविरचिते मनुभाषानुवादे

षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥



अथ सप्तमोऽध्यायः

राजधर्मान्प्रवक्ष्यामि यथावृत्तोभवेन्नृपः। संभवश्च यथा तस्य
सिद्धिश्च परमा यथा ॥१॥ ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथा-
विधि । सर्वस्यास्य यथान्यायं कर्तव्यं परिरक्षणम् ॥ २ ॥

अर्थ-जैसे आश्वरथ वाला राजा होना चाहिये, उस प्रकार के राजधर्माँ
और राजा की उत्पत्ति और जैसे (राजा के प्रभुत्व की) उत्तम सिद्धि हो, उस
को आगे कहूंगा ॥ १ ॥ वेदोक्त संस्कार हुवे क्षत्रिय की इस सम्पूर्ण (राज्य)
की न्यायानुसार रक्षा करनी चाहिये ॥ २ ॥

अपराजके हि लोकेऽस्मिन्सर्वतोविद्रुते भयात् । रक्षार्थमस्य
सर्वस्य राजानमसृजत्प्रभुः ॥३॥ इन्द्रानिलयमार्काणामग्नेश्च
वरुणस्य च । चन्द्रवित्तेशयोश्चैव मात्रा निहृत्य शाश्वतीः ॥४॥

अर्थ-बिना राजा के इस लोक में भय से चारों ओर घल विघल हो
जाता, इस कारण सब की रक्षा के लिये ईश्वर ने राजा की उत्पत्ति किया
॥ ३ ॥ इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, अन्न और कुबेर की शाश्वत
मात्राओं (सारभूत अंशों) को निकाल कर (राजा को बनाया अर्थात्
इन विष्णुगुणांशों से युक्त पुरुष राजा होता है) ॥ ४ ॥

यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मितो नृपः। तस्मादभिभव-
त्येष सर्वभूतानि तेजसा ॥५॥ तपत्यादित्यवच्चैषां चक्षं षि च
मनांसि च । न चैनं भुवि शक्नोति कश्चिदप्यभिधीक्षितुम् ॥६॥

अर्थ क्योंकि देवेंद्रों की मात्राओं से राजा बनाया गया है, इस लिये
यह (राजा) तेज से सब प्राणियों को दधाता है ॥ ५ ॥ (अष्ट दो श्लोकों
में यह बताते हैं कि राजा में कैसे उक्त आठ देवों का प्रभाव रहता है)
राजा अपने तेज से इन (देखने वालों) की आंखों और मनो को सूर्य सा
असक्त होता है और पृथिवी में कोई इस (राजा) के सामने होकर नहीं
देख सकता (इस से सूर्यांश कहा, इसी प्रकार-) ॥ ६ ॥

सोऽग्निर्भवति वायुश्च सोऽर्वाः सोमः स धर्मराट् । स कुबेरः स
वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥७॥ वालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य
इति भूमिपः । महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति ॥८॥

अर्थ—वह राजा प्रभाव से अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र, यम, कुबेर, वरुण
और इन्द्र है ॥ ७ ॥ मनुष्य जान कर बालक राजा भी अपमान करने योग्य
नहीं है, क्योंकि यह एक बड़ा देवता मनुष्यरूप से स्थित है ॥ ८ ॥

एकमेव दहत्यग्निर्नरं दुरूपसर्पिणम् । कुलं दहति राजाऽग्निः
सपशुद्रव्यसञ्चयम् ॥९॥ कार्यं सोऽवेक्ष्य शक्तिं च देशकालौ च
तत्त्वतः । कुरुते धर्मसिद्धयर्थं विश्वरूपं पुनः पुनः ॥ १० ॥

अर्थ—अग्नि के ऊपर कोई मनुष्य कुचाल चले तो अग्नि उसी एक
को जलाता है; परन्तु राजा (कुचाल चलने वाले के) कुल को भी पशु और
धनसहित नष्ट कर देता है ॥ ९ ॥ कार्य, शक्ति, देश और काल को तत्त्व से
देख कर धर्मसिद्धि के लिये राजा चार २ नाना प्रकार का रूप धरता है
(कभी क्षमा, कभी कोप, कभी मित्रत्व, कभी शत्रुत्व इत्यादि) ॥ १० ॥

यस्य प्रसादे पद्मा श्रीर्विजयश्च पराक्रमो मृत्युश्च वसति क्रोधे
सर्वतेजोमयो हिसः ॥११॥ तं यस्तु द्वेष्टि समोहात्स विनश्यत्य-
संशयम् । तस्य ह्याशु विनाशाय राजा प्रकुरुते मनः ॥१२॥

अर्थ—जिस की प्रसन्नता में लक्ष्मी रहती है (द्रव्यप्राप्ति होती है) और
पराक्रम में अय रहता है और क्रोध में मृत्यु वास करता है, वह (राजा)
अवश्य सर्वतेजोमय है ॥ ११ ॥ जो अज्ञानवश राजा से द्वेष करता है वह
निश्चय नाश को प्राप्त होता है, क्योंकि उस के शीघ्र नाश के लिये राजा
मन बिगाड़ता है ॥ १२ ॥

तस्माद्दुर्मयमिष्टेषु स व्यवस्येन्नराधिपः अनिष्टं चाप्यनिष्टेषु
तं धर्मं न विचारयेत् ॥ १३ ॥ तस्यार्थं सर्वभूतानां गोप्तारं
धर्ममात्मजम् । ब्रह्मतेजोमयं दण्डमसृजत्पूर्वमीश्वरः ॥१४॥

अर्थ—इस लिये राजा अपने अन्यायों में जिस धर्म=कानून का और प्रति-
कूटों में जिस अनिष्ट का निश्चय कर्त्तव्य स्थापन करे (कानून बनावे), उस धर्म

(क्रानून) को न विचलावे (न तोड़े) ॥१३॥ उस (राजा) के लिये प्राणिमात्र के रक्षक आत्मा से उत्पन्न ब्रह्मतेज से बने दण्डधर्म को ईश्वरने पूर्व बनाया है ॥१४॥ तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च। भयाद्भोगाय कल्पन्ते स्वधर्मान् च लन्ति च ॥१५॥ तं देशकालौ शक्तिं च विद्यां चावेक्ष्य तत्त्वतः। यथाहृतः संप्रणयेन्नरेष्वन्यायवर्तिषु ॥१६॥

अर्थ—उस (दण्ड) के भय से सम्पूर्ण स्थावर और जड़म भोग को प्राप्त होते हैं और अपने धर्म से नहीं विचलते ॥१५॥ देश, काल, शक्ति और विद्या के तत्त्व को शास्त्रानुसार विचार कर अपराधी मनुष्यों को यथायोग्य उस दण्ड को देवे ॥१६॥

स राजापुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः। चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥१७॥ दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति। दण्डः सुप्तेषु जागति दण्डं धर्मं विदुर्बुधाः ॥१८॥

अर्थ—वह दण्ड ही राजा है, वही पुरुष है और वही नेता तथा शासिता और चारों आश्रमों के धर्म का प्रतिभू (गामिन) है ॥ १७॥ दण्ड सम्पूर्ण प्रजा का शासन करता है, दण्ड ही रक्षा करता है, सब के सोते हुवे दण्ड ही जागता है (उसी के डर से चोर चोरी नहीं करते) विद्वान् लोग दण्ड को धर्म जानते हैं ॥ १८॥

समीक्ष्य स धृतः सम्यक् सर्वा रञ्जयति प्रजाः। असमीक्ष्य प्रणीतं तु विनाशयति सर्वतः ॥१९॥ यदि न प्रणयेद्राजा दण्डं दण्डे च प्वतन्द्रितः। शूले मत्स्यानि वापक्ष्यन्दुर्बलान् बलवत्तराः

अर्थ—वह (दण्ड) शास्त्र से अच्छे प्रकार देखकर धरा हुआ सम्पूर्ण प्रजा को प्रसन्न करता और विना देखे किया हुआ चारों ओर से नाश करता है ॥१९॥ आलस्यरहित राजा यदि अपराधियों को दण्ड न देवे तो शूल पर मछली के समान अतिबलवान् लोग निर्बलों को घूँस डालें ॥ २०॥

अद्यात्काकः पुरोडाशं श्वा च लिह्याद्भुविस्तथा। स्वाभ्यं च न स्यात्कस्मिंश्चित्प्रवर्तेताधरोत्तमम् ॥२१॥ सर्वादण्डजितो लोको दुर्लभो हि शुचिर्नरः। दण्डस्य हि भयात्सर्वं जगद्भोगाय कल्पते २२

अर्थ—(यदि राजा दण्ड न करे तो) कौवा पुरोहाराश भक्षण कर जावे और कुत्ता हवि का भक्षण करले और कोई किसी का स्वामी (मालिक) न हो सके और नीचे ऊंच और ऊंचे नीचता में प्रवृत्त हो जावें ॥ २१ ॥ सम्पूर्ण लोग दण्ड से नियमित किये हुवे ही सन्मार्ग में रहते हैं; क्योंकि (स्वभाव से सन्मार्ग में रहने वाला) शुचि मनुष्य दुर्लभ है । सम्पूर्ण जगत दण्ड के भय से ही भोग कर सकता है ॥ २२ ॥

देवदानवगन्धर्वारक्षांसिपतगोरगाःतेऽपि भोगाय कल्पन्ते
दण्डेनैवनिपीडिताः ॥२३॥ दुष्येयुःसर्ववर्णाश्च भिद्येरन्सर्व-
सेतवः । सर्वलोकप्रकोपश्च भवेद्दण्डस्य विश्रमात् ॥ २४ ॥

अर्थ—देव, दानव, गन्धर्व, राक्षस, पक्षी, सर्प, ये भी दण्ड के ही दबे हुवे भोग को पा सकते हैं ॥ २३ ॥ दण्ड के बिना सम्पूर्ण वर्ण दुष्टाचरण में प्रवृत्त हो जावें और (चतुर्वर्गरूप) सब पुल टूट जावें और सम्पूर्ण लोगों में उपद्रव हो जावे ॥ २४ ॥

यत्रश्यामोलोहिताक्षोदण्डश्चरतिपापहा॥ प्रजास्तत्रनमुह्यन्ति
नेताचेत्साधु पश्यति ॥२५॥ तस्याहुःसंप्रणेतारं राजानं सत्य-
वादिनम् । समीक्ष्यकारिणं प्राज्ञं धर्मकामार्थकोविदम् २६॥

अर्थ—जिस देश में श्यामवर्ण और लाल आंख वाला, पाप का नाशक दण्ड विचरता है, वहां प्रजा प्रसाद नहीं करती, यदि नेता (राजा) अच्छे प्रकार देखता हो ॥ २५ ॥ सत्य बोलने वाले और अच्छे प्रकार समझ कर करने वाले, बुद्धिमान् और धर्म अर्थ काम के जानने वाले राजा को उस (दण्ड) के देने का अधिकारी कहते हैं ॥ २६ ॥

तराजाप्रणयन्सम्यक्त्रिवर्गेणागिवर्धते। कामात्मा विषमः
क्षुद्रोदण्डेनैव निहन्यते ॥२७॥ दण्डो हि सुमहत्तेजोदुर्धरश्चा-
ऽकृतात्मभिः। धर्माद्धिचलितं हन्ति नृपमेव सर्वान्धवम् ॥२८॥

अर्थ—जो राजा उस (दण्ड) को अच्छे प्रकार चलाता है वह धर्म अर्थकाम से वृद्धि को प्राप्त होता है और जो विषय का अभिलाषी और उलटा चलने वाला तथा क्षुद्रता करने वाला है वह उसी दण्ड से नष्ट हो जाता है ॥ २७ ॥ बड़े तेजवाला दण्ड है और शास्त्रीक संस्काररहित राजाओं से धारण नहीं किया जा सकता किन्तु राजधर्म से विपरीत राजाही का बन्धुसहित नाश कर देता है ॥ २८ ॥

ततोदुर्गं च राष्ट्रं च लोकं च सचराचरम् । अन्तरिक्षगतांश्चैव
मुनीन्देवांश्च पीडयेत् ॥२९॥ सोऽसहायेन मूढेन लुब्धेनाकृत-
बुद्धिना । न शक्योन्यायतोनेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥ ३० ॥

अर्थ—राजा के नाश के अनन्तर किला, राज्य और स्थावर जङ्गम प्रजा
और अन्तरिक्ष के रहने वाले पक्षी और वायु आदि देवतों को (हव्यादि न
मिलने से) और सब मुनियों की (वह अधर्मी राजा का दरह) पीडित करने
लगेगा ॥ २९ ॥ (मन्त्री वा सेनापतियों के) सहाय से रहित, मूर्ख, लोभी,
निर्बुद्धि और विषयों में आसक्त राजा से वह (दरह=राजधर्म) न्यायपूर्वक
नहीं चल सकता ॥ ३० ॥

शुचिनासत्यसन्धेन यथाशास्त्रानुसारिणा । प्रणेतुं शक्यते दण्डः
सुसहायेन धीमता ॥३१॥ स्वराष्ट्रं न्यायवृत्तः स्याद् भूशदण्डश्च
शत्रुषु । सुहृत्स्वजिह्वः स्निग्धेषु ब्राह्मणेषु क्षमान्वितः ॥३२॥

अर्थ—श्रीचादियुक्त, सत्यप्रतिज्ञ, शास्त्र के अनुसार चलने वाले, अच्छे
सहायकों वाले और बुद्धिमान राजा से दण्ड चलाया जा सकता है (ऐसा
राजा शिक्षा करने को योग्य है) ॥३१॥ राजा को अपने राज्य में न्यायकारी
और शत्रुओं को सदा दण्ड देने वाला और प्यारे मित्रों से कुटिलतारहित
और ब्राह्मणों पर क्षमायुक्त होना चाहिये ॥ ३२ ॥

एवं वृत्तस्य नृपतेः शिलोज्ज्वलापि जीवतः । विस्तीर्णते यशो लोके
तैलविन्दुरिवास्मभसि ॥३३॥ अतस्तु विपरीतस्य नृपतेरजिता-
त्मनः । संक्षिप्यते यशो लोके घृतविन्दुरिवास्मभसि ॥ ३४ ॥

अर्थ—वक्त प्रकार चलने वाले शिलोज्ज्वलति से भी जीवते हुए राजा का
यश जगत में फैल जाता है, जैसे पानी में तैल की बूंद ॥३३॥ विषयासक्त
और इस से विपरीत चलने वाले राजा का यश लोकों में सङ्कोच को प्राप्त
हो जाता है, जैसे पानी में घृत की बूंद ॥ ३४ ॥

स्वैवे धर्मे निविष्टानां सर्वेषामनुपूर्वशः । वर्णानामाश्रमाणां
च राजा सृष्टोऽभिरक्षिता ॥३५॥ तेन यद्यत्सभृत्येन कर्तव्यं
रक्षता प्रजाः । तत्तद्वोऽहं प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥३६॥

अर्थ—अपने अपने धर्म में चलने वाले आनुपूर्व्य से सब वर्णों और आश्रमों की रक्षा करने वाला राजा (ईश्वर ने) उत्पन्न किया है ॥ ३५ ॥ प्रजा की रक्षा करते हुवे अमात्यों सहित उस राजा को जो जो करना चाहिये सो तुम से मैं क्रम के साथ यथावत कहूंगा ॥ ३६ ॥

ब्राह्मणान्पर्युपासीतप्रातरुत्थायपार्थिवः। त्रैविद्यवृद्धान्विदुषस्तिष्ठेत्तेषां च शासने। ३७। वृद्धांश्च नित्यं सेवेत विप्रान्वेदविदः शुचीन् । वृद्धसेवी हि सतत रक्षोभिरऽपि पूज्यते ॥ ३८ ॥

अर्थ—राजा को प्रातःकाल उठकर ऋग्, यजुः, सामवेद और धर्मशास्त्र के जानने वाले ब्राह्मणों के साथ बैठना और उन के शासन को मानना चाहिये ॥ ३७ ॥ वेद जानने वाले, पवित्र, आयु में वृद्ध ब्राह्मणों की नित्य सेवा करे; क्योंकि बड़े विद्वानों की सेवा करने वाला (राजा) दुष्ट जीवोंसे भी पूजा (सत्कार) पाता है ॥ ३८ ॥

तेभ्योऽधिगच्छेद्विनयं विनीतात्मापिनित्यशः। विनीतात्माहिनपतिर्न विनश्यतिकर्हिचित् ३९। बहवोऽविनयान्नष्टा राजानः सपरिच्छदाः। वनस्था अपिराज्यानि विनयत्प्रातिपेदिरे ॥ ४० ॥

अर्थ—शिक्षित राजा भी उन (विद्वानों) से शिक्षा का नित्य अभ्यास करे क्योंकि सुशिक्षित राजा कभी नाश को प्राप्त नहीं होता ॥ ३९ ॥ (हाथी घोड़ा खजाना इत्यादि सब) सामानों से युक्त बहुत से राजा विनयरहित नष्ट होगये और बहुत से (वे सामान) जङ्गल में रहते हुवे भी विनय से राज्य को प्राप्त हो गये ॥ ४० ॥

“वेनो विनष्टोऽविनयान्नहुषश्चैव पार्थिवः। सुदासो यवनश्चैव सुमुखो निमिरेव च ॥ ४१ ॥ पृथुस्तु विनयाद्राज्यं प्राप्सवान् मनुरेव च। कुबेरश्च धनैश्चर्यं ब्राह्मण्य चैव गाधिजः ॥ ४२ ॥”

अर्थ—वेन, नहुष, सुदास, यवन, सुमुख और निमि भी अविनय से नष्ट हो गये ॥ ४१ ॥ पृथु और मनु विनय से राज्य प्रा गये और कुबेर ने (विनय से) धनाधिपत्य पाया और गाधि के पुत्र विश्वामित्र (विनय से) ब्राह्मण हो गये ॥ (ये श्लोक मनु के नहीं, क्योंकि स्वयं मनु और यवन तक की भी इन में मृतकालस्थ वर्णन किया है) ॥ ४२ ॥”

त्रैविद्योभ्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीतिं च शाश्वतीम् । आन्वीक्षिकी
चात्मविद्यां चातीरं भांश्च लोकतः ४३ इन्द्रियाणां जययोगं समा-
तिष्ठेद्विद्वानिशम् । जितेन्द्रियो हि शक्यो तिवशे स्थापयितुं प्रजाः

अर्थ—तीनों वेदों के जानने वालों से तीनों वेद (पढ़ें) और सनातन दण्ड-
नीतिविद्या तथा वेदान्त (पढ़ें), और लोगों से व्यवहार विद्या (पढ़ें) ॥४३॥
इन्द्रियों के जय का रात दिन उद्योग करे, क्योंकि जितेन्द्रिय ही प्रजा को
वश में कर सकता है ॥ ४४ ॥

दशकामसमुत्थानितयाष्टौ क्रोधजानिच । व्यसनानिदुरन्तानि
प्रयत्नेन विवर्जयेत् ॥४५॥ कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु मही-
पतिः । वियुज्यतेऽर्थधर्माभ्यां क्रोधजेष्व्वात्मनैव तु ॥ ४६ ॥

अर्थ—काम से उत्पन्न दश और क्रोध से उत्पन्न आठ (ऐसे १८, व्यसनों
को, जिन का अन्त मिलना दुर्लभ है, यत्न से छोड़ देवे ॥४५॥ काम से उत्पन्न
(दश) व्यसनों में आसक्त हुआ राजा अर्थ और धर्म से हीन हो जाता है और
क्रोध से उत्पन्न (८) व्यसनों में आसक्त तो अपने शरीर से ही (नष्ट हो
जाता है) ॥ ४६ ॥

मृगयाक्षादिवाख्यः परिव्रादः स्त्रियो मदः । तीर्थत्रिकं वृथाट्याच
कामजो दशकी गणः ॥४७॥ वैशुन्यं साहसं मोह ईर्ष्याऽसूयार्थ-
दूषणम् । वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥४८॥

अर्थ—शिकार करना, जुवा खेलना, दिन में सोना, दूसरे के दोषों को
कहते रहना, स्त्रीसम्भोग, मद्यपान, नाचना, खाना, बजाना और विना
प्रयोजन घूमना, ये दश काम के व्यसन हैं ॥ ४७ ॥ चुगली, साहस, मोह,
ईर्ष्या, दूसरे के गुणों में दोष लगाना, द्रव्यहरण, गाली देना और कठोरता,
ये आठ क्रोध से उत्पन्न व्यसन हैं ॥ ४८ ॥

द्वयोरप्येतयोर्मूलं यं सर्वे कवयो विदुः । तं यत्नेन जयेत्सोमं
तज्जावेतावुभौ गणौ ॥४९॥ धानमक्षाः स्त्रियश्चैव मृगया च
यथाक्रमम् । एतत्कष्टतमं विद्याञ्चतुष्कं कामजं गणं ॥५०॥

अर्थ—जिस को सम्पूर्ण विद्वान् इन दोनों गणों का कारण बताते हैं उस लोभ को यत्न से छोड़ देवे। उसी से ये दोनों गण उत्पन्न हैं ॥ ४९ ॥ काम से उत्पन्न हुये गण में मद्यपान, जुवा खिलना, स्त्रीप्रसङ्ग और शिकार, इस चौकड़े को बहुत कष्ट जाने ॥ ५० ॥

दण्डस्य पातनं चैव वाक्पारुष्यार्थदूषणे । क्रोधजेऽपि गणे
विद्यात्कष्टमेतत्त्रिकंसदा ॥५१॥ सप्तकस्यास्यवर्गम्यसर्वत्रैवानु
षङ्गिणः । पूर्वं पूर्वं गुरुतरं विद्याद्वयसनमात्मवान् ॥ ५२ ॥

अर्थ—क्रोध से उत्पन्न हुये गण में कठोर वचन कहना, दण्ड से मारना और द्रव्य का हरण करना; इस त्रिक (३) को सदैव अति कष्ट जाने ॥५१॥ ये जो सब में श्राय लगे सात व्यसन हैं, इन में पहिले पहिले (व्यसन) को ज्ञानी पुरुष भारी (व्यसन) जाने ॥ ५२ ॥

व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते । व्यसन्यधोऽधोत्र जति
स्वर्धात्यव्यसनी मृतः ॥५३॥ मौलाञ्छास्त्रविदः शूरांश्च लक्षान्
कुलोद्गतान् सच्चिदान्सप्तचाष्टौवा प्रकुर्वीत परीक्षितान् ॥५४॥

अर्थ—व्यसन और मृत्यु (दोनों नाश करने वाले हैं) में मृत्यु से व्यसन कष्ट है; क्योंकि व्यसनी दिन दिन अवनति में जाता है और निर्व्यसनी मर कर स्वर्ग को जाता है ॥५३॥ मूल श्रम नौकरी किये हुये, शास्त्र के जानने वाले, शूरवीर, अच्छा निशाना लाने वाले, अच्छे कुल के और परीक्षोत्तीर्ण ७ या ८ मन्त्री रखे ॥ ५४ ॥

अपि यत्सुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम् । विशेषतोऽसहायेन
किन्तुराज्यमहोदयम् ॥५५॥ तैः सार्धं चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं
सन्धिविग्रहमास्थानं समुदयं गुप्तिं लब्धप्रशमनानि च ॥५६॥

अर्थ—जब कि सुगम काम भी एक से होजा कठिन है तो विशेष कर बड़े फल का देने वाला राज्यसम्बन्धी काम एकला कैसे कर सकता है ॥५५॥ इस लिये उन (मन्त्रियों) के साथ साधारण सन्धि विग्रह की और (दण्ड, कोश, पुर, राष्ट्र=चतुर्विध) स्थान की और द्रव्य धान्यादिकी उन्नति और सब की रक्षा और जो प्राप्त है उस की शान्ति का विचार करे ॥ ५६ ॥

तेषां स्वं स्वमभिप्रायमुपलभ्य पृथक् पृथक् । समस्तानां च
कार्येषु विद्ध्यत्तद्विदितमात्मनः ॥५७॥ सर्वेषां तु विशिष्टेन ब्राह्मणेन
विपरिचितामन्त्रयेत्परमं मन्त्रं राजा षड्गुण्यसयुतम् ॥५८॥

अर्थ उन मन्त्रियों के अलग २ और सब के मिले अभिप्राय (अलग
अलग राय और मिली हुई राय) को जान कर कार्यों में अपना हित करे
॥ ५७ ॥ उन सब (मन्त्रियों) में अधिक धर्मात्मा और बुद्धिमान् ब्राह्मण
(मन्त्री) के साथ राजा षड्गुणयुक्त परम मन्त्र (सलाह) करे ॥ ५८ ॥

नित्यं तस्मिन् समाश्रितः सर्वकार्याणि निक्षिपेत् तेन सार्धं विनि-
श्चित्य ततः कर्म समाभ्यसेत् ॥५९॥ अन्यानापि प्रकुर्वीत शुचिन्प्रा-
ज्ञानवस्थितान् सम्यग्मर्थसमाहृतं नमात्प्रांसुपरीक्षितान् ॥६०॥

अर्थ उस (ब्राह्मण मन्त्री) में अच्छा विश्वास करता हुआ सब काम
उस को सोपे और जो करना हो, उस के साथ निश्चय करके तब उस काम
को करे ॥ ५९ ॥ अन्य भी पवित्र, बुद्धिमान्, परीक्षित तथा प्रथ्य के उपार्जन
की युक्ति जानने वालों को मन्त्री बनावे ॥ ६० ॥

निर्वर्त्तेतास्य यावद्विरितिकर्त्तव्यतान् नृभिः तावतो तन्द्रितान् दक्षान्
प्रकुर्वीत विचक्षणान् ॥ ६१ ॥ तेषामर्थं नियुञ्जीत शूरान् दक्षान्
कुलोद्गतान् । शुचीनाकरकर्मान्ते भीरून् तन्निवेशने ॥ ५२ ॥

अर्थ इस (राजा) का जितने मनुष्यों से पूरा काम निकले उतने आलस्य-
रहित चतुर बुद्धिमानों को (मन्त्री) बनावे ॥६१॥ उन में शूर, चतुर, कुलीन
मन्त्रियों को धन के स्थान में और अर्थशुचियों को रत्नों की खानि खोदवाने
में तथा हरपोकों को महलों के भीतर जाने आने में नियुक्त करे ॥ ६२ ॥

दूतं चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविशारदम् । इद्धिताकारचेष्टज्ञं
शुचिं दक्षं कुलोद्गतम् ॥६३॥ अनुरक्तः शुचिर्दक्षः स्मृतिमान्
देशकालवित्पुष्पमान्वीतभीर्वाग्मी दूतोराज्ञः प्रशस्यते ॥६४॥

अर्थ और दूत उस को रखे जो बहुश्रुत, हृदय के साथ अक्षर
चेष्टाओं को जानने वाला, अन्तःकरण का शुद्ध तथा चतुर और कुलीन हो

॥ ६३ ॥ प्रीति वाला, शुद्धचित्त, चतुर, याद रखने वाला, देश काल का जानने वाला, अच्छे देह वाला, निडर और झोलने वाला, राजा का दूत प्रशस्त है (अर्थात् राजा को ऐसा दूत रखना चाहिये ॥६३॥ वें से आगे एक पुरतक में ये ५॥ श्लोक अधिक हैं:-

सन्धिविग्रहकालज्ञानसमर्थानायतिक्षमान् परैरहार्यान्शुद्धांश्च
धर्मतः कामतोऽर्थतः ॥ १ ॥ समाहर्तुं प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रवि-
पश्चितः। कुलीनान्वृत्तिसंपन्नान्निपुणान्कोशवृद्धये ॥२॥ आयव्य-
यस्यकुशलान्गणितज्ञानऽलोलुपान्। नियोजयेद्दुर्मनिष्ठान्सम्य-
क्कार्यार्थचित्तकान् ॥३॥ कर्मणिचातिकुशलान्लिपिज्ञानायतिक्ष-
मान्। सर्वविश्वासिनः सत्यान्सर्वकार्येषु निश्चितान् ॥४॥ अकृ-
ताशांस्तथा भर्तुः कालज्ञांश्च प्रसङ्गिनः। कार्यकामोपधाशुद्धान्
वाह्याभ्यन्तरचारिणः ॥५॥ कुर्यादासन्नकार्येषुगृहसंरक्षणेषु च]

कोशवृद्धि के लिये—सन्धि और विग्रह के समय को जानने वाले, समर्थ, समय पड़े को खेल सकने वाले, शत्रुओं से न मिल जाने योग्य, धर्म अर्थ काम से शुद्ध, सब शास्त्रों के ज्ञाता, कुलीन, पुष्कलजीविका वाले और चतुर पुस्तकों के इकट्ठा करने का उद्योग किया करे। आय व्यय में चतुर, हिसाब के पक्के, निर्लोभ, धर्म में अट्ठालु और कार्यों का तात्पर्य समझने वालों को नियुक्त करे। जो काम में अतिकुशल, अच्छा लिखना जानने वाले, भीड़ पड़ी के खेलने वाले, सब के विश्वासपात्र, सच्चे, सब कामों में निश्चित और स्वामी पर आशा न रखने वाले (सन्तुष्ट), समय और प्रसङ्ग (मौके) के जानने वाले हों। कार्य, काम और धनोहर में सच्चे, बाहर भीतर के भेरी (मन्त्री) लोगों को समीचीन कामों और गृह की रक्षाओं में नियुक्त करे) ॥ ६४ ॥

अप्रात्येदण्डप्रायत्तोदण्डे वैनयिकीक्रिया । नृपती कोशराष्ट्रं
च दूते सन्धिविपर्ययो ॥६५॥ दूत एव हि संधत्त भिनत्त्येव च
संहतान् । दूतस्तत्कुर्वते कर्म भिन्यन्ते येन मानवाः ॥ ६६ ॥

अर्थ—मन्त्री के अधीन दण्ड और दण्ड के अधीन बुभुक्षा और राजा के अधीन देश तथा मजाना और दूत के अधीन सेवा का विनाह है ॥६५॥ क्योंकि

दूत ही मिले करता है और दूत ही मिले हुएों को फोड़ता है । दूत वह काम करता है जिस से मनुष्यों में भेद हो जाता है । (५ पुस्तकों में-मानवः=मानधवा. । पाठ है) ॥६६॥

स विद्यादस्य * कृत्येषु निगूढेङ्गितचेष्टितैः ।

आकारमिङ्गितं चेष्टां भृत्येषु च चिकीर्षितम् ॥ ६७ ॥

इस श्लोक में राजदूत का कर्तव्य बताया गया है । अर्थ (सः) वह दूत (अस्य) इस राजा के (कृत्येषु) असन्तुष्ट विरुद्ध लोगों में (निगूढेङ्गितचेष्टितैः) छिपे इङ्गित इशारों और चेष्टाओं से (आकारम्) उन के आकार=सूरत शकल (इङ्गितम्) इशारे और (चेष्टाम्) काम या हरकत को (विद्यात्) जानने का यत्न करे (च) और (भृत्येषु) भरण पोषण योग्य पुरुषों में (चिकीर्षितम्) क्या करमा चाहते हैं, उस को जाने ॥

(इस में जो "कृत्य" शब्द है, वह राजनैतिक योगरूढि शब्द है, जिसका विवरण अमरकोष तृतीय काण्ड, नानार्थवर्ग ३, श्लोक १५८ में और उसी को अमरविवेक टीका में इस प्रकार है कि-

कृत्या क्रियादेवतयोस्त्रिषु भेदे धनादिभिः ॥

(अमरकोष ३ । ३ । १५८)

"धनस्त्रीभूम्यादिभिर्भेदनीयोयः परराष्ट्रगतपुरुषादिस्तत्र कृत्याशब्दोवाच्यलिङ्गः " टीका ॥

पराये=शत्रु के राज्या में जो कोई धन के, स्त्री के वा पृथिवी आदि के लालच से तोड़ने (अपने अनुकूल कर लेने) योग्य पुरुष इत्यादि है, उस को "कृत्य" कहते हैं और उस का वाच्य के समान लिङ्ग होता है । स्त्री=कृत्या, पुरुषः=कृत्यः, नपुंसकः=कृत्यम् ॥

ये "कृत्य" ४ प्रकार के होते हैं । १- क्रुद्धकृत्य, २- लुब्धकृत्य, ३- भीतकृत्य और ४- अवमानितकृत्य । यथा-

क्रुद्धलुब्धभीताऽवमानिताः परेषां कृत्याः ॥ कौटिल्यसूत्र

जो शत्रु राज्य पर क्रोध रखते हैं वे "क्रुद्धकृत्य", जो लोभी हैं वे "लुब्धकृत्य", जो डरे हुए हैं वे "भीतकृत्य" और जो शत्रु राजा से अवमान किये गये हैं वे "अवमानितकृत्य" कहाते हैं । इस श्लोक में राजदूत के कामों में

एक यह काम भी बताया गया है कि वह शत्रुराज्यों में द्विपी इङ्गित चेष्टाओं से गुप्त रूप से शत्रुराज्य से नाराज वेदिल असन्तुष्ट Mal content पुरुषों के आकार इङ्गित और चेष्टाओं का भेद लेवे ॥

परन्तु मेधातिथि जैसे विद्वान् टीकाकार भी "कृत्येषु=कार्येषु" लिखकर भूल कर गये । कुल्लूकभट्ट ने भी भूल में कृत्य का अर्थ "कर्तव्य" ही लिख दिया । राघवानन्द भी भूल कर "कृत्य" का अर्थ "कर्तुमिष्ट" कर गये । रामचन्द्र टीकाकार भी "कर्तव्यं कार्यं" लिखकर भूल में ही रहे ॥

हां, सर्वज्ञनारायण टीकाकार का ध्यान "कृत्य" शब्द के योगरूढ़ अर्थ पर पहुंचा, उन्होंने ने "कृत्येषु लुब्धभीतावमानितेषु" अर्थ लिखा । तथा नन्दन टीकाकार ने भी "कृत्येषु स्वराज्ञा भेद्येषु परपक्षस्थेषु पुरुषेषु" लिख कर राजनीतिज्ञान का परिचय दिया है ॥

नवीन काल के पुस्तक "सुद्वाराक्षस" में भी "कृत्य" शब्द योगरूढ़ प्रयुक्त हुआ है । यथा—

कृत-कृत्यतामापादिताश्चन्द्रगुप्तसहोत्थायिनो

भद्रभटप्रभृतयः प्रधानपुरुषाः ॥

सुद्वाराक्षस अङ्क १ पृ० ३२ । ३३ तथा उसी की टीका में लिखा है कि—

स्त्रीमद्यमृगयाशीलावित्यादि तृतीयाङ्के वक्ष्यमाणमुत्पाद्य इतोनिःसार्य मलयकेतुना सह संधाय कृतकृत्यताम् एते वयं देवकार्येऽवहिताः स्म इत्येवरूपाम् ॥

इत्यादि स्थलों पर "कृत्य" शब्द राजनैतिक योगरूढ़ पाया जाता है । ('कृत्य' शब्द भट्टी और कामन्दकीय नीतिसार आदि ग्रन्थों में भी प्रयुक्त है) ॥६५॥

बुद्ध्वा च सर्वं तत्त्वेन परराजचिकीर्षितम् ।

तथा प्रयत्नमातिष्ठेद्यथात्मानं न पीडयेत् ॥ ६८ ॥

शत्रुराजा की सब इच्छाओं को ठीक ठीक जान कर वैसा प्रयत्न कर जिस से (वह) अपने को पीड़ा न दे सके ॥ ६८ ॥

जाङ्गलं सस्यसंपन्नमार्यप्रायमनाविलम् । रम्यमानतसामन्तं
स्वाजीव्यं देशमावसेत् ॥६९॥ धनुर्दुर्गं महीदुर्गमब्दुर्गं वार्क्ष-
मेव वा । गिरिदुर्गं नृदुर्गं वा समाश्रित्य वसेत्पुरम् ॥७०॥

अर्थ—जङ्गल, जहाँ थोड़ा घास और पानी भी हो, धान्य बहुत हो, अच्छे शिष्ट आर्य पुरुष निवास करते हों और रोगादि उपद्रवों से रहित हो, देखने में मनोहर और जिस के पास अच्छे वृक्ष पत्ती खेती और बाजार हों, ऐसे देश में रहे। जहाँ धनुर्दुर्ग, महीदुर्ग, जलदुर्ग, वृक्षदुर्ग, सेनादुर्ग वा गिरिदुर्ग हों, ऐसे किसी दुर्ग का आश्रय करके पुर बसावे (जहाँ धनुषों वा भूमि की बनावट वा जल वा वृक्ष वा सेना वा पहाड़ों का ऐसा घेरा हो जिसे दुर्ग [किला] कह सकें । जहाँ शत्रु को आना कठिन हो) ॥ १० ॥

सर्वेण तु प्रयत्नेन गिरिदुर्गं समाश्रयेत् एषां हि बाहुगुण्येन गिरीदुर्गं विशिष्यते ॥७१॥ त्रीण्याद्यान्याश्रिताः स्वेषामृगगर्ताः श्रयाऽपसराः । त्रीण्युत्तराणि क्रमशः प्लवङ्गमनरामराः ॥७२॥

अर्थ—सब दुर्गों में पहाड़ी दुर्ग श्रेष्ठ है, इस लिये सब प्रयत्नों से उसका आश्रय करे, क्योंकि इस में सब से अधिक गुण हैं ॥ ७१ ॥ (इन छः प्रकार के दुर्गों से छः प्रकार के प्राणी अपने को बचा लेते हैं जैसा कि—) इन में से पहिले ३ दुर्गों में क्रम से धनुर्दुर्ग में मृग, महीदुर्ग में मूसे आदि, जलदुर्ग में अप्सर—चलचर । अगले ३ में से वृक्षदुर्ग में वानर, नदुर्ग में साधारण मनुष्य और पहाड़ीदुर्ग में पर्वतवासी देवजाति रहते (और अपनी रक्षा करते) हैं ॥७२॥

यथादुर्गाश्रितानेतान्नोपहिंसन्ति शत्रवप्रतथारयो न हिंसन्ति नृपं दुर्गसमाश्रितम् ॥७३॥ एकः शतं योधयति प्राकारस्थो धनुर्धरः । शतं दश सहस्राणि तस्माद्दुर्गं विधीयते ॥७४॥

अर्थ—जैसे इन दुर्गवासियों को शत्रु पीड़ा नहीं दे सकते, वैसे ही दुर्ग के आश्रय करने वाले राजा को शत्रु नहीं मार सकते ॥ ७३ ॥ किले के भीतर रहने वाला एक धनुर्धर सौ के साथ लड़ सकता है और सौ दश हजार के साथ लड़ सकते हैं, इस लिये किला बनाया जाता है ॥

(७४ वें से आगे दो पुस्तकों में यह श्लोक अधिक प्रक्षिप्त है:—

[मन्दरस्यापि शिखरं निर्मनुष्यं न शिष्यते ।

मनुष्यदुर्गं दुर्गाणां मनुः स्वायम्भुवोऽब्रवीत्] ॥

स्वायम्भुव मनु ने कहा है कि दुर्गों में दुर्ग मनुष्यों का दुर्ग है क्योंकि मन्दराचल (पर्वत) का शिखर भी मनुष्यों से रहित होता तो शत्रु उसे शेष न छोड़ते ॥ ७४ ॥

तत्स्थादायुधसंपन्नधनधान्येन वाहनैः ब्राह्मणैः शिल्पिभि-
र्यन्त्रैर्यवसेनोदकेन च ॥ ७५ ॥ तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेद्
गृहमात्मनः । गुप्तं सर्वतुक्तं शुभ्रं जलवृक्षसमन्वितम् ॥ ७६ ॥

अर्थ—वह दूरी आयुध (शस्त्रादि), धन, धान्य, वाहनों, ब्राह्मणों, कलों
के जानने वालों, कलों, चारा, जल और इन्धन से समृद्ध हो (९ पुस्तकों में
उदकेन च=उदकेन्धनैः । पाठ है) ॥७५॥ उस किले के भीतर पर्याप्त (खींगह,
देवागार, आयुधमन्दिर, अग्निशालादि) और शिल्पियों से रक्षित और सब
ऋतुओं के फल-पुष्पादि युक्त और सुफेदी किया हुआ तथा जल और वृक्षों
से युक्त अपना घर बनावे ॥ ७६ ॥

तदध्यास्योद्वहेद्द्वार्यासवर्णालक्षणान्विताम् कुलैर्महतिसंभूतां
हृद्यां रूपगुणान्विताम् ॥ ७७ ॥ पुरोहितं च कुर्वीत वृणुयादेव
चत्विजमृतेऽस्य गृह्याणि कर्माणिकुर्युर्वैतानिकानि च ॥ ७८ ॥

अर्थ—उस घर में रहकर अपनी संवर्णां शुभलक्षणयुक्त बड़े कुल में उत्पन्न
हुई मन प्रसन्न करने वाली तथा रूप और गुणों से युक्ताभार्या को विवाहे
॥७७॥ पुरोहित और ऋत्विज का वरण करे, वे इस के गृह्यकर्म (अग्निहोत्र)
और शान्त्यादि किया करें (इन को भी किले में रखे) ॥ ७८ ॥

यजेतराजाक्रतुभिर्विधैराप्तदक्षिणैः । धर्मार्थं चैव विप्रैर्भ्यो-
दद्याद्दोगान्धनानि च ॥ ७९ ॥ सांवत्सरिकमाप्तैश्च राष्ट्रादाहार-
येद्बलिम् । स्याच्चाम्नायपरोलोके वर्तेत पितृवन्वृषु ॥ ८० ॥

अर्थ—राजा नामा प्रकार के बहुत दक्षिणा वाले (अश्वमेधादि) यज्ञ
करे और ब्राह्मणों को भोग और सुवर्णवस्त्रादि धन धर्मार्थ देवे ॥ ७९॥ राज्य
से प्रामाणिकों द्वारा वार्षिक बलि (मालगुजारी) उगहावे और लोक में
शास्त्रानुकूल चलने में तत्पर हो, प्रजा में पिता के सा वर्ते ॥ ८० ॥

अध्यक्षान्विविधान्कुर्यात्तत्र तत्र विपरिचतः तैः स्य सर्वाणि -
वेक्षेरन्वृणां कार्याणिकुर्वताम् ॥ ८१ ॥ आवृत्तानां गुरुकुलाद्विप्राणां
पूजको भवेत्तानृपाणामक्षयो ह्येष निधिर्ब्राह्मिणोऽभिधीयते ॥ ८२ ॥

अर्थ-नाना प्रकार के कामों को देखने वाले अध्यक्ष (अफसर) उन २ कामों में नियत करे, वे राजा के सब काम करने वालों के काम को देखें ॥८१॥ गुरु-कुल से आये हुवे ब्राह्मणों का (धन धान्यों से) पूजन किया करे, राजाओं की यह ब्राह्मणनिधि अक्षय कही है (अर्थात् देने से कमी नहीं होती) ॥ ८२ ॥
न तं स्तेना न चामित्राहरति न च नश्यति । तस्माद्ब्राह्मणानिधा-
तव्यो ब्राह्मणेष्वक्षयोनिधिः ॥८३॥ न स्कन्दते न व्यथते न विन-
श्यति कर्हिचित् । वरिष्ठमग्निहोत्रेभ्यो ब्राह्मणस्य मुखे हुतम् ८४

अर्थ-उस (ब्राह्मणार्थ दिये हुवे) निधि को चोर, नहीं चुरा सकते और शत्रु नष्ट नहीं कर सकते, इस लिये राजा ब्राह्मणों में अक्षय निधि जमा करे ॥ ८३ ॥ अग्नि में जो हवन किया जाता है वह कभी गिर जाता है, कभी सूख जाता है और कभी नष्ट हो जाता है, परन्तु ब्राह्मण के मुख में जो हवन किया जाता है, उसमें ये दोष नहीं होते । इस लिये अग्निहोत्रों से (उक्त) ब्राह्मण को देना श्रेष्ठ है ॥ ८४ ॥

“सममब्राह्मणे दानं द्विगुणं ब्राह्मणब्रुवे ।

प्राधीते शतसाहस्रमनन्तं वेदपारगे ॥ ८५ ॥”

पात्रस्य हि विशेषेण श्रद्धधानतयैव च ।

अल्पं वा बहु वा प्रेत्य दानस्यावाप्यते फलम् ॥८६॥

अर्थ - दानियादि को देने में बराबर फल होता है (अर्थात् न्यूनाधिक नहीं), (जो क्रियारहित) अपने को ब्राह्मण कहता है, उस को देने में दूना और पढ़े हुवे को देने में १ लक्षगुणा और पूर्ण वेद पढ़े ब्राह्मण को देने से अनन्त फल होता है ॥” (यह नाममात्र के ब्राह्मणब्रुवों ने बनाया जान पड़ता है) ॥८५॥ वेदाध्ययनादि पात्र के विशेष से और श्रद्धा की अतिशयता के अनुसार थोड़ा वा बहुत परलोक में दान का फल मिलता है ॥

(८६ वें से आगे दो श्लोक हैं, जिनमें से पहिला ३ पुस्तकों और दूसरा १ पुस्तक और मेधातिथि के तथा राघवानन्दी टीके में पाया जाता है:-

[एष एव परोधर्मः कृत्स्नो राज्ञ उदाहृतः । जित्वा धनानि संग्रमाद् द्विजेभ्यः प्रतिपादयेत् ॥१॥ देशकालविधानेन द्रव्यं श्रद्धासमन्वितम् । पात्रे प्रदीयते यत्तु तदुर्मस्य प्रसाधनम् ॥२॥]

राजा का सार परम धर्म यही है कि संग्राम से धन जीत कर द्विजों को बांट दे ॥ १ ॥ देशकाल के विधान से अहुसहित द्रव्य जो कुछ पात्र को दिया जाता है वह धर्म का शृङ्गार है ॥ २ ॥ यह दानपात्र द्विजों ने पीछे से बड़ा दिये जान पड़ते हैं जो कि सब पुस्तकों में नहीं पाये जाते, न सब की लीका इन पर है और आश्चर्य नहीं कि ८३ । ८४ वें भी इन्हीं दानपात्रों ने बनाये हों) ॥ ८६ ॥

समोत्तमाधमैराजात्वाहूतःपालयन्प्रजाः।ननिवर्ततसंग्रामात्
क्षात्रं धर्ममनुस्मरन् ॥८७॥ संग्रामेष्वनिवर्तित्वं प्रजानां चैव
पालनम् । शुश्रूषा ब्राह्मणानां च राज्ञां श्रेयस्करं परम् ॥८८॥

अर्थ—प्रजा का पालन करता हुआ राजा, सब उत्तम वा हीन शत्रु के साथ बलाने पर क्षत्रियधर्म को स्मरण करता हुआ युद्ध से न हटे ॥ ८७ ॥ संग्राम से न भागना और प्रजा का पालन करना तथा ब्राह्मणों की सेवा; ये राजा के परम कल्याण करने वाले कर्म हैं ॥ ८८ ॥

आहवेषुमिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तोमहीक्षितः।युध्यमानाःपरं
शक्त्या स्वर्गं यान्त्यपराङ्मुखाः८९न कूटैरायुधैर्हन्याद्युध्य-
मानोरणेरिपूनाकर्णिभिर्नापिदिग्धैर्नाग्निज्वलिततेजनैः९०

अर्थ—संग्रामों में एक को एक मारने की इच्छा करते हुवे राजा लोग परम शक्ति से लड़ते हुवे पीछे न हटने वाले स्वर्ग को प्राप्त होते हैं ॥८९॥ लड़ता हुआ रण में शत्रुओं को कूट (छिपे) आयुधों से न मारे और कर्णों (बाण जो फिर निशाने कठिन हों) उन से और विष में बुझाये हुवों तथा जलतों से भी न मारे ॥ (पूर्व श्लोकों में योद्धा को स्वर्गप्राप्तिकहीयी, अब उस संग्राम के ऐसे नियमों का वर्णन है जो अदृष्टाय हैं अर्थात् जिन नियमों से लड़ने वालों को मानुषी स्वाभाविक अक्रूरता से लड़ते हुवे अदृष्ट पारलौकिक फल मिल सकता है; क्योंकि केवल राज्योभार्थ जैसे बने जैसे जीतकर लेने वाले स्वार्थी योद्धा उत्तम गति के अधिकारी नहीं हो सकते) ॥९०॥

न च हन्यात्स्थलारूढं न क्लीबं न कृताञ्जलिम्।न मुक्तकेशं ना-
सीनं न तवाग्मीतिवादिनम् ॥९१॥ न सुप्तं न विसन्नाहं न नग्नं
न निरायुधम्।नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम् ॥९२॥

अर्थ—(रथ से उतरे) भूमि पर स्थित को न मारे, न नपुंसक को, न हाथ जोड़े हुवे को, न शिर के बाल खुले हुवे को, न बैठे हुवे को और न " तुम्हारा हूं " ऐसे कहते को (मारे) ॥९१॥ न सोते को, न कबज उतारे हुवे को, न नङ्गे को, न वे हथियार को, न बेलड़ने वाले को, न (तमाशा) देखने वाले को और न दूसरे से समागन करने वाले को (मारे) ॥ ९२ ॥

नायुधव्यसनप्राप्तं नार्तनातिपरिक्षतम् । न भीतं न परावृत्तं
सतां धर्ममनुस्मरन् ॥ ९३ ॥ यस्तु भीतः परावृत्तः संग्रामे
हन्यते परैः । भर्तुर्यद्दुष्कृतं किञ्चित्तत्सर्वं प्रतिपद्यते ॥९४॥

अर्थ—न टूटे आयुध वाले को, न (पुत्रादि नरने से) आर्त को न जिस के बहुत घाव हुवे हीं उस को, न डरपीछ को और न भागने वाले को, सत्यपुरुषों के धर्म अनुस्मरण करता हुआ (मारे) ॥ ९३ ॥ जो थोड़ा युद्ध में डर कर पीछे हटा हुआ शत्रुओं से मारा जाता है, वह स्वामीका जो कुछ पाप है उस सब को पाता है ॥ ९४ ॥

यच्चास्य सुकृतं किञ्चिदमुत्रार्थमुपार्जितम् भर्ता तत्सर्वमादत्ते
परावृत्तहतस्य तु ९५ ॥ रथाश्वं हस्तिनं छत्रं धनं धान्यं पशून्
स्त्रियः । सर्वद्रव्याणि कुप्यं च योयज्जयति तस्य तत् ॥ ९६ ॥

अर्थ—पीछे हटके मरे का जो कुछ परलोक के लिये उपार्जन किया हुआ सुकृत है वह सम्पूर्ण स्वामी लेलेता है ॥ ९५ ॥ रथ, घोड़े, हाथी, छत्र, धन धान्य (बैल आदि) पशु स्त्रियों और सब द्रव्यों तथा घृत, तैलादि; (इन में से) जो जिस को जीते, वह सब का है ॥ ९६ ॥

राज्ञश्च दक्षुरुद्धारमित्येषा वैदिकी श्रुतिः ।

राज्ञा च सर्वयोधेभ्यो दातव्यमपृथग्विजितम् ॥ ९७ ॥

अर्थ—(लूट में से) उत्तम धन और वाहनादि राजा को देवे, यह वेदों से सुना है । साथ मिलकर जीती वस्तु विभागपूर्वक राजा सब योधुओं को देदेवे ॥ (९७ वें से आगे एक पुस्तक में यह श्लोक अधिक है:—

[भृत्येभ्यो विभजेदर्थान्नीकः सर्वहरो भवेत् ।

नाममात्रेण तुष्येत छत्रेण च महीपतिः ॥]

(राजा) नौकरों को धन बांट दे, अकेला ही सब न लेले; क्योंकि राजा को तो कृत्र और माममात्र ने प्रसन्न होना चाहिये) ॥ ९७ ॥

एषोऽनुपस्कृतः प्रोक्तो यो धर्मः सनातनः ।

अस्माद्गुर्मान्न च्यवेत क्षत्रियोऽन्नं रणे रिपून् ॥ ९८ ॥

अर्थ- यह सनातन मनुपस्कृत=अनिन्दित योद्धाओं का धर्म कहा । रण में शत्रुओं को मारता हुआ क्षत्रिय इस धर्म को न छोड़े ॥ ९८ ॥

अलब्धं चैव लिप्सेत् लब्धं रक्षेत्प्रयत्नतः । रक्षितं वर्धयेच्चैव वृद्ध
पात्रेषु निक्षिपेत् ॥ ९९ ॥ एतच्चतुर्विधं विद्यात्पुरुषार्थप्रयो-
जनम् । अस्य नित्यमनुष्ठानं सम्यक् हुयादितन्द्रितः ॥ १०० ॥

अर्थ- जो नहीं मिला है, उस के लेने की इच्छा करे, मिले हुवे की प्रयत्न से रक्षा करे और जो रक्षित है, उस को बढ़ावे और बड़े को अच्छे योग्य पात्रों को देवे ॥ ९९ ॥ यह चार प्रकार का पुरुषार्थ प्रयोजन जाने । आलस्यरहित होकर नित्य अच्छे प्रकार इस का अनुष्ठान करे ॥ १०० ॥

अलब्धमिच्छेद्दण्डेन लब्धं रक्षेदवेक्षया । रक्षितं वर्धयेद्दृष्ट्या
वृद्धं दानेन निक्षिपेत् ॥ १०१ ॥ नित्यमुद्यतदण्डः स्यान्नित्यं
विवृतपौरुषः । नित्यं संवृतसर्वार्थो नित्यं छिद्रानुसार्यरेः ॥ १०२ ॥

अर्थ- जो नहीं प्राप्त है, उस को दण्ड से (जीतने की) इच्छा करे और प्राप्त की देखने से रक्षा करे और रक्षित को व्यापार से बढ़ावे और बड़े को दान से जमा कर देवे ॥ १०१ ॥ सदा दण्ड को उद्यत रखे और सदा फैले पुरुषार्थ वाला रहे और सदा अपने सम्पूर्ण अर्थों को गुप्त रखे और शत्रु के छिद्रों को सदा देखे ॥ १०२ ॥

नित्यमुद्यतदण्डस्य कृत्स्नमुद्विजते जगत् । तस्मात्सर्वाणि भू-
तानि दण्डेनैव प्रसाधयेत् ॥ १०३ ॥ अमाययैव वर्त्तत न कथञ्चन
मायया । बुद्धोत्तारिप्रयुक्तां च मायां नित्यं स्वसंवृतः ॥ १०४ ॥

अर्थ- नित्य उद्यत दण्ड वाले राजा से सम्पूर्ण जगत् डरता है, इस लिये दण्ड ही से सम्पूर्ण जीवों को स्वाधीन करे ॥ १०३ ॥ कृत्र से रहित व्यवहार

करे, किसी प्रकार छत से न करे और अपनी रक्षा करता हुआ शत्रु के किये छल को जानता रहे ॥ १०४ ॥

नास्य छिद्रं परोविद्याद्विद्याच्छिद्रं परस्य तु ।

गूहेत्कूर्मइवाङ्गानि रक्षेद्विवरमात्मानः ॥ १०५ ॥

अर्थ—(ऐसा यत्न करे कि जिसमें) अपने छिद्रों को शत्रु न जाने, परन्तु शत्रु के छिद्रों को आप जाने । कछुवे के समान राजा अपने (राज्य सम्बन्धी) अङ्गों को गुप्त रखे और अपने छिद्र का संरक्षण करे ॥ (१०५ से आगे १ पुस्तक में यह श्लोक अधिक है:—

[न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत् ।

विश्वासाद्भयमुत्पन्नं मूलादपि निकृन्तति ॥]

अविश्वासी पर विश्वास न करे, विश्वासी पर अति विश्वास न करे, क्योंकि विश्वास से उत्पन्न भय जड़ से काट देता है) ॥ १०५ ॥

वक्रवच्चिन्तयेदर्थान् सिंहवच्च पराक्रमेत् ।

वृकवच्चावलुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत् ॥ १०६ ॥

अर्थ—बगला सा अर्थों (प्रयोजनों) का चिन्तन करे और सिंह सा पराक्रम करे और वृक सा मार डाले और शश सा भाग जावे ॥ १०६ ॥

एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः । तानानयेद्वशं सर्वान्सामादिभिरुपक्रमैः ॥१०७॥ यदि ते तु न तिष्ठेयुरुपायैः प्रथमैस्त्रिभिः । दण्डेनैव प्रसह्येतांश्छनकैर्वशमानयेत् ॥१०८॥

अर्थ—इस प्रकार विजय करने वाले राजा के जो विरोधी हों, उन को सामादि उपायों से वश में करे ॥१०७॥ यदि प्रथम के तीन (साम दाम भेद) उपायों से न माने तो दण्ड से ही बल करके क्रम से वश में लावे ॥ १०८ ॥

सामादीनामुपायानां चतुर्णामपि पण्डिताः।सामदण्डौ प्रशंसन्ति नित्यं राष्ट्राभिवृद्धये ॥१०९॥ यथोद्वरति निर्दाता कक्षं धान्यं च रक्षति।तथा रक्षेन्नृपीराष्ट्रं हन्याच्च परिपन्थिनः ११०

अर्थ—पवित्रत लोम सामादि चार उपायों में रुदा राज्य की वृद्धि के लिये साम और दण्ड की प्रशंसा करते हैं ॥ ११०॥ जैसे खेती नलाने वाला धान्यों की रक्षा करता है और तृण को उखेड़ डालता है, वैसे ही राजा राष्ट्र की रक्षा और विरुद्ध चलने वालों का नाश करे ॥ ११० ॥

मोहाद्राजास्वराष्ट्र्यः कर्षयत्यनवेक्षया । लोचिराद्भृशयतेरा-
ज्याज्जीविताञ्च सवान्धवः ॥१११॥ शरीरकर्षणात्प्राणाः क्षीयन्ते
प्राणिनां यथा । तथा राज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्ते राष्ट्रकर्षणात् ॥११२॥

अर्थ—जो राजा अज्ञान से बिना विचारे अपने राज्य को दुःख देता है वह शीघ्र ही राज्य तथा जीवन और आन्ध्रों से भ्रष्ट हो जाना है ॥१११॥ जैसे शरीर के शोषण से प्राणियों के प्राण क्षीण होते हैं, वैसे राजाओं के भी प्राण राष्ट्र को पीड़ा देने से क्षीण होते हैं ॥ ११२ ॥

राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं विधानमिदमाचरेत् । सुसंगृहीतराष्ट्रो हि
पार्थिवः सुखमेधते ॥११३॥ द्वयोस्त्रयाणां पञ्चानां मध्ये गुल्म-
मधिष्ठितम् । तथा ग्रामशतानां च कुर्याद्राष्ट्रस्य संग्रहम् ॥११४॥

अर्थ—राज्य के संग्रहार्थ यह उपाय (जो आगे कहते हैं) करे, क्योंकि अच्छे प्रकार सुरक्षित राष्ट्र वाला राजा सुखपूर्वक बढ़ता है ॥ ११३॥ दो, तीन, पांच तथा सौ ग्रामों के बीच में संग्रह करने वाले पुरुषों का समूह स्थापन करे अर्थात् कलकटरी इत्यादि राष्ट्र के स्थानों का स्थापन करे ॥ ११४ ॥

ग्रामस्याधिपतिं कुर्याद्दशग्रामपतिं तथा । विंशतीशं शतेशं च
सहस्रपतिमेव च ॥११५॥ ग्रामदोषान्समुत्पन्नान् ग्रामिकः श-
नकैः स्वयम् । शंसेद्ग्रामदशेशाय दशेशो विंशतीशिनम् ॥११६॥
विंशतीशस्तु तत्सर्वं शतेशाय निवेदयेत् । शंसेद्ग्रामशतेशस्तु
सहस्रपतये स्वयम् ॥११७॥ यानि राजप्रदेयानि प्रत्यहं ग्राम-
वासिभिः । अन्नपानेन्धादीनि ग्रामिकस्तान्यवाप्नुयात् ॥११८॥

अर्थ—एक गांव का अधिपति नियत करे, वैसे ही दश गांव का, और बीस का और सौ का तथा हजार का ॥ ११५ ॥ ग्रामाधीश उत्पन्न हुये

ग्रामों के दोषों को आव धीरे से जान कर (अपने योग्य न समझे) तो दश ग्राम के अधिपति को सूचित करे । उसी प्रकार दश ग्राम वाला बीस ग्राम वाले को ॥ ११६ ॥ और बीस वाला यह सब सौ वाले को और सौ वाला हजार वाले को स्वयं सूचित करे ॥ ११७ ॥ और अन्न पान इन्धनादि जो ग्रामवासियों को प्रतिदिन देने योग्य हों, उन को उस २ ग्राम पर नियत राजपुरुष ग्रहण करे ॥ ११८ ॥

दशीकुलं तु भुञ्जीतविंशीपञ्चकुलानिचाग्रामंग्रामशताध्यक्षः
सहस्राधिपतिःपुरम् ॥११९॥तेषांग्राम्याणिकार्याणिपृथक्कार्या-
णिचैवहिराज्ञोऽन्यःसञ्चिवःस्निग्धस्तानिपरयेदतन्द्रितः १२०

अर्थ—(छः बैल का एक मध्यम हल, ऐसे दो हलों से जितनी पृथिवी जाती जाय उस को "कुल" कहते हैं) दश ग्राम वाला एक "कुल" का भोग ग्रहण करे और बीस गांव वाला पांच कुल का और सौ ग्राम वाला एक मध्यम ग्राम तथा हजार गांव वाला एक मध्यम नगर का भोग ग्रहण करे (अर्थात् यह २ उन २ की जीविका हो) ॥११९॥ उन के ग्रामसम्बन्धी तथा अन्य कामों को एक प्रीति वाला राजा का प्रतिनिधि (मन्त्री) आलस्यरहित होकर देखे ॥१२०॥ नगरे नगरे चैक्रं कुर्यात्सर्वार्थचिन्तकम् । उच्चैः स्थानं घोररूपं नक्षत्राणामिवग्रहम् ॥१२१॥स ताननुपरिक्रामेत्सर्वानेव सदा स्वयम् । तेषां वृत्तं परिणयेत्सम्यग्ग्राष्ट्रेषु तच्चरैः ॥ १२२ ॥

अर्थ—प्रति नगर में एक एक बड़े कुल का प्रधान, सेना आदि से भय का दे सकने वाला और तारों में (शुक्रादि) ग्रह सा तेजस्वी, कार्य का दृष्टा नगराधिपति नियत करे ॥ १२१ ॥ वह नगराधिपति सर्वदा आप उन सब ग्रामाधिपतियों के ऊपर दौरा करे और राष्ट्र में उन के समाचारों को उस विषय में नियुक्त दूतों से जाने ॥ १२२ ॥

राज्ञोहिरक्षाधिकृताःपरस्वादायिनःशठाः । भत्याभवन्तिप्रा-
येणतेभ्योरक्षेदिमाःप्रजाः ॥१२३॥ये कार्थिकेभ्योर्थमेवगृह्णीयुः
पापचेतसः । तेषांसर्वस्वमादायराजाकुर्यात्प्रवासनम् ॥१२४॥

अर्थ—क्योंकि रक्षा के लिये नियत राजा के नीकर प्रायः दूसरों के द्रव्य को हरण करने वाले और वधक होते हैं । राजा उन से इन प्रजाओं की रक्षा करे ॥१२३॥ जो पापबुद्धि कार्यार्थियों से द्रव्य ही ग्रहण करते हैं उनका राजा सर्वस्य हरण करके देश के बाहर निकाल देवे ॥ १२४ ॥

राजा कर्मसु युक्तानां स्त्रीणां प्रेष्यजनस्य च । प्रत्यहं कल्पयेत्
वृत्तिस्थानं कर्मानुरूपतः ॥१२५॥ पणो देयोऽवकृष्टस्य षडुत्कृष्टस्य
वेतनम् । पाण्मासिकस्तथा च्छादो धान्यद्रोणस्तु मासिकः ॥१२६॥

अर्थ—राजा के काम में नियुक्त स्त्रियों और काम करने वाले पुरुषों की उन के कर्म के अनुसार पदवी और वृत्ति सदा नियत किया करे (अर्थात् वेतन में घटी वा वृद्धि आदि करे) ॥ १२५ ॥ निकृष्ट चाकर को वेतन एक पण (जो आगे कहेंगे) देवे और छः सहीने में दो कपड़े और एक सहीने में द्रोण भर धान्य देवे और उत्कृष्ट=उत्तम काम वाले को छः गुणा देवे (मध्यम को तिगुणा समझलो ॥५ पुस्तकों में वेतन=भक्तकम्, पाठ है) ॥१२६॥

क्रयविक्रयमध्वानं भक्तंच सपरिव्ययम् । योगक्षेमं च संप्रेक्ष्य
वणिजो दापयेत् करान् ॥१२७॥ यथा फलेन युज्येत राजा कर्त्ता
च कर्मणाम् । तथा वेक्ष्य नृपो राष्ट्रे कल्पयेत्संततं करान् ॥१२८॥

अर्थ—बेचना, खरीदना और रास्ते के खर्च, रक्षादि के खर्च और उरुके निर्वाह को देख कर वनियों से कर दिवावे ॥ १२७ ॥ कामों के करने वाले और राजा दोनों को फल अच्छा रहे, ऐसा विचार कर सदा राज्य में कर (टैक्स) लगावे ॥ १२८ ॥

यथाल्पाल्पमदन्त्याद्यं वार्याको वत्स षट्पदाः । तथाल्पाल्पो
ग्रहीतव्यो राष्ट्राद्राज्ञाब्दिकः करः १२९ पञ्चाशद्भागश्चादेयो राज्ञा
पशुहिरण्ययोः । धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव वा ॥१३०॥

अर्थ—जैसे जेक, बछड़ा और भौरा धीरे २ अपनी खुराक को खींचते हैं, वैसे राजा भी थोड़ा २ करके राष्ट्र से वार्षिक कर ग्रहण करे (अर्थात् थोड़ा कर लेवे उजाड़ न दे) ॥१२९॥ पशु और सुवर्ण के लाभ का पचासवां भाग और धान्यका आठवां वा छटा वा बारहवां भाग (पैदावार के अम को देख कर) राजा ग्रहण करे ॥ १३० ॥

आददीताथप्रभृभांगंदुमांसमधुसर्पिणाम्। गन्धौषधिरसानांच
पुष्पमूलफलस्यच ॥१३१॥ पत्रशाकतृणानांच चर्मणां वैदलस्य
च । मृण्मयानांचभाण्डानां सर्वस्याश्ममयस्यच ॥ १३२ ॥

अर्थ—दूध (मांस) मधु घृत मत्स्य औषधि रस पुष्प मूल फल और—॥१३१॥
पत्र शाक तृण चर्म और मिट्टी वा पत्थर की चीजों की आमदनी का बड़ा
भाग लंबे (दो पुस्तकों में दुमांस=दुमाणा, पाठ है) ॥ १३२ ॥

मिथ्यमाणोप्याददीतनराजा श्रोत्रियात्करस्मान च क्षुधाऽस्य
संसीदेच्छ्रोत्रियोविषयेवसन् १३३स्यस्यराज्ञस्तुविषयेश्रोत्रियः
सीदतिक्षुधात्स्यापितत्क्षुधा राष्ट्रमचिरेणैव सीदति ॥१३४॥

अर्थ—सरता हुआ भी राजा, श्रोत्रिय से कर ग्रहण न करे और इसके
राज्य में रहता हुआ श्रोत्रिय क्षुधासे पीड़ित न हो ॥ १३३ ॥ जिस राजा के
राज्य में श्रोत्रिय (वेदपाठी) क्षुधा से पीड़ित होता है उस की क्षुधा से
उस राजा का राज्य भी थोड़े ही दिनों में बैठ जाता है ॥ १३४ ॥

श्रुतवृत्तेविदित्वास्थवृत्तिधर्म्यां प्रकल्पयेत्संरक्षेत्सर्वतश्चैनं
पिता पुत्रमिवौरसम् ॥१३५॥ संरक्ष्यमाणो राजाऽयंकुरुतेधर्म-
मवहम् । तेनायुर्वर्धते राज्ञोद्विषं राष्ट्रमेव च ॥ १३६ ॥

अर्थ—राजा इसकावेदाध्ययनपूर्वक कर्तानुष्ठान जानकर धर्मयुक्तजीविका
नियत कर देवे और सब प्रकार इस की रक्षा करे। जैसे पिता औरस पुत्र की
(रक्षा करता है) ॥१३५॥ क्योंकि राजा से रक्षा किया हुआ यह (श्रोत्रिय) नित्य
धर्म करता है, उसे पुत्र से राजा की आयु, धन और राज्य बढ़ता है ॥१३६॥

यत्किञ्चिदपित्रर्षस्य दापयेत्करसंज्ञितम्। व्यवहारेण जीवन्तं
राजारोष्ट्रे पृथग्जनम् ॥१३७॥ कारुकाञ्छित्पिनश्चैवशूद्रांश्चा-
त्मोपजीविनः। एकैकंकारयेत्कर्ममासि मासिमहीपतिः ॥१३८॥

अर्थ—राजा अपने राज्य में ब्यापार वाले से भी कुछ वार्षिक थोड़ासा
कर दिलावे ॥ १३७ ॥ लोहार मढ़ई आदि और दासों से राजा महीने में
एक २ काम (राजकर की बदले) करावे ॥ १३८ ॥

नोच्छिन्द्यादात्मनोमूलं परेषां चातिवृष्णया। उच्छिन्द्यात्मानो
मूलमात्मानं तांश्च पीडयेत् १३६ तीक्ष्णश्चैव मृदुश्च स्यात्कार्यं
वीक्ष्य महीपतिः। तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव राजा भवति संमतः ॥ १४० ॥

अर्थ (प्रजा के स्नेह से अपना कर न लेना) अपना मूलच्छेद और
लालच से (बहुत कर ग्रहण करना) औरों का मूलच्छेद (है)। ये दोनों काम
राजा न करे, अपना मूलच्छेद करता हुवा (कोश के क्षीण होने से आप
क्षेप की प्राप्ति होगी और (अधिक कर ग्रहण करने से) प्रजा क्षेप की प्राप्ति
होगी ॥ १३९ ॥ राजा काम को देख कर न्यायानुसार तीक्ष्ण और मृदु हो
जाया करे क्योंकि इस प्रकार का राजा सब के सम्मत होता है ॥ १४० ॥

अमात्यमुख्यं धर्मज्ञं प्राज्ञं दान्तं कुलोद्भूतम्। स्थापयेदासने
तस्मिन्निखन्नः कार्येक्षणो नृणाम् ॥ १४१ ॥ एवं सर्वं विधायेदमिति
कर्त्तव्यमात्मनः। युक्तश्चैवाऽप्रमत्तश्च परिरक्षेदिमाप्रजाः ॥ १४२ ॥

अर्थ—आप मनुष्यों के कामों के देखने में निखन्न (रोगादिवश मुकदमों
को न देख सकता) हो ती मुख्य मन्त्री जो धर्म का जानने वाला बुद्धिमान्
जितेन्द्रिय और कुलीन हो, उस की उस जगह मनुष्यों के काम देखने पर
योजना करे ॥ १४१ ॥ अपने संपूर्ण कर्त्तव्य को इस प्रकार पूरा करके प्रमाद-
रहित और युक्त राजा इन प्रजाओं की सब से रक्षा करे ॥ १४२ ॥

विक्रीशन्त्योयस्यराष्ट्राद्भ्रियन्तेदस्युभिः प्रजाः संपश्यतः सभृ-
त्यस्य मृतः स न तु जीवति ॥ १४३ ॥ क्षत्रियस्य परीधर्मः प्रजाना-
मेवपालनम्। निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते ॥ १४४ ॥

अर्थ—भृत्यों के सहित जिस राजा के देखते हुवे चिन्ताती हुई प्रजा
चोरों से लूटी जाती हैं, वह राजा जीता नहीं किन्तु मरा है ॥ १४३ ॥
प्रजा का पालन ही क्षत्रिय का परम धर्म है। इस लिये अपने धर्म ही से
राजा को फलभोग करना ठीक है ॥ १४४ ॥

उत्थाय पश्चिमेयामेकृतशोचः समाहितः। हुताग्निर्ब्राह्मणांश्चा-
र्घ्यं प्रविशेत्स शुभां सभाम् १४५ तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्द्य
विसर्जयेत्। विसृज्य च प्रजाः सर्वामन्त्रयेत्सहमन्त्रिभिः ॥ १४६ ॥

अर्थ—(राजा) पहरभर के तड़के उठकर शीघ्र (मुखमार्जन स्नानादि) कर, एकाग्रचित्त हो, अग्निहोत्र और ब्राह्मण का पूजन करके सुन्दर सभा में प्रवेश करे ॥ १४५ ॥ उस सभा में स्थित संपूर्ण प्रजा को निबटेरे से प्रसन्न करके विसर्जन करे, अनन्तर मन्त्रियों से (राजधन्वन्धी सन्धिविग्रहादि) मन्त्र (सलाह) करे ॥ १४६ ॥

गिरिपृष्ठं सभारुह्य प्रासादं वा रहोगतः। अरण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेदविभावितः ॥ १४७ ॥ यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य पृथग्जनाः। स कृत्स्नां पृथिवीं भुङ्क्ते कोशहीनोऽपि पार्थिवः ॥ १४८ ॥

अर्थ—पर्वत पर चढ़ कर या एकान्त घर में वा वृक्षरहित वन में वा एकान्त में, जहां भेद लेने वाले न पहुंच सकें, मन्त्र करे ॥ १४७ ॥ जिस के मन्त्र को मिला कर अन्य मनुष्य नहीं जान पाते, वह कोशहीन राजा भी सम्पूर्ण पृथिवी को भोगता है ॥ १४८ ॥

जडमूकान्धबधिरांस्तिर्यग्यो नान्वयोतिगान्। स्त्रीस्ते च्छ्वयाधित व्यङ्गान्मन्त्रकालेऽपसारयेत् ॥ १४९ ॥ भिन्दन्त्यवमलामन्त्रंतिर्यग्योनास्तथैव चास्त्रियश्चैव विशेषेण तस्मात्तत्रादृतो भवेत् ॥ १५० ॥

अर्थ—जड़ मूक अन्ध बधिर पक्षी आदि, बृद्ध स्त्री होच्छ रोगी और विकृत अङ्ग वालों को मन्त्र के समय में (वहां से) हटा देवे ॥ १४९ ॥ पूर्वोक्त जहादि अपमान को प्राप्त हुवे मन्त्रभेद कर देते हैं। ऐसे ही शुक सारिकादि पक्षी और विशेष करके स्त्री मन्त्रभेदक हैं। इस लिये उनको (अपमान न करे) आदर पूर्वक हटा देवे ॥ १५० ॥

मध्यादिनेर्धरात्रे वा विश्रान्तविगतक्रमः। चिन्तयेद्दुर्मकामार्थान् सार्धं तैरेकएव वा ॥ १५१ ॥ परस्परविरुद्धानां तेषां च समुपार्जनम्। कन्याणां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम् ॥ १५२ ॥

अर्थ—दोपहर दिन में वा अर्धरात्रि में चित्त के खेद और शरीर के क्लेश से रहित हुवा मन्त्रियों के साथ वा अकेला धर्म अर्थ काम का चिन्तन करे ॥ १५१ ॥ यदि धर्म अर्थ काम परस्पर विरुद्ध हों तो इनके विरोधदोष के परिहार द्वारा उपार्जन और कन्याओं के दान और पुत्रों के रक्षण आदि (का चिन्तन करे) ॥ १५२ ॥

दूतसंप्रेषण चैव कार्यशीर्षतथैव च । अन्तःपुरप्रचारं च प्रणि-
धीनां च वेष्टितम् ॥१५३॥ कृत्स्नं चाष्टविधं कर्म पञ्चवर्गं च
तत्त्वतः । अनुशासनापरागौ च प्रचारं मण्डलस्य च ॥ १५४ ॥

अर्थ-परराज्य में दूत भेजने और शेष कामों तथा अन्तःपुर अर्थात् महल में जो प्रचार हो रहा है उसका और प्रतिनिधियों के काम का (विचार करे) ॥१५३॥ सम्पूर्ण अष्टविधकर्म और पञ्चवर्गका तत्त्व से विचार करे और अमात्यादि के अनुराग विराग को जाने और मण्डल के प्रचार (कौन लड़ना चाहता है और कौन झुलह करना चाहता है) को विचारे। (यहां आठ प्रकार के या पांच प्रकार के कामों की गिनती नहीं लिखी है इस लिये हम मेधातिथि के भाष्य से उद्धृत करके उग्रजःसृष्टि के श्लोकों को सार्थ लिखना उचित समझते हैं:-

[आदाने च विसर्गे च तथा प्रैषनिषेधयोः ।

पञ्चमे चार्थवचने व्यवहारस्य चक्षणे ॥

दण्ड्यशुद्धयोस्तथा युक्तरतेनाष्टगतिकोत्पः ।]

भेंट वा कर लेना, बेलन वा पारितोषिकादि देना, दुष्टों की त्यागना= पृथक् करना, अधिकारियों के मतभेद का स्वीकार न करना (वा विधि और निषेध), बुरी वृत्तियों को नहीं करना (अपील में रह करना), व्यवहार पर दृष्टि, अपराधियों को दण्ड और पराजितों की भूल के प्रायश्चित्त करना, ये आठ हैं ॥ और दूसरे प्रकार से भी मेधातिथि ने गणना की है। यथा-व्यापार, पुल बांधना, किले बनवाना, उनकी स्वच्छता का ध्यान, हाथी पकड़ना, खान खोदना, जङ्गलों को बसाना और वन कटवाना ॥८॥ अन्य भी कई प्रकार से भाष्यकारों ने गणना की है ॥ अब पांच की गणना सुनिये-कोई तो जानते है कि १ कर्मारम्भोपाय २ पुरुषसंपत्ति ३ हानि का प्रतीकार ४ देश काल का विभाग ५ कार्यसिद्धि । और कोई कहते हैं कि १ कापटिक २ उदासीन ३ वैदेह ४ गृहपति ५ तापस; ये ५ प्रकार के जनावटी साधु देव बनाये अन्य राजों की ओर से अन्य राजों का भेद जानने को फिरा करते हैं, उन के लिये वैसे ही अपने यहाँ रखे ॥ इही भाव के श्लोक नन्दनकी टीका में मिलते हैं:-

[वने वनेचराः कार्याः क्रमणाटविकादयः । परमसृष्टिज्ञानार्थं
शीघ्राचारपरंपराः ॥ परस्य चैते बोद्धव्यारतादृशैरेव तादृशाः ।
धारसंचारिणः संस्थाः शठाश्रावृढसंज्ञिताः] ॥ १५४ ॥

मध्यमस्यप्रचारश्चविजगीषोश्चोष्ठितम् । उदासीनप्रचारं च
शत्रोश्चैव प्रयत्नतः ॥१५५॥ एताःप्रकृत्योमूलं मण्डलस्य समा-
सतः । अष्टौचान्या समाख्याता द्वादशैव तुताःस्मृताः ॥१५६॥

अर्थ-१ मध्यम २ जीतने की इच्छा करने वाले, ३ उदासीन और ४ शत्रु
के प्रचार को प्रयत्न से (राजा विचारे) ॥ १५५ ॥ ये चार प्रकृतियाँ संक्षेप
से मण्डल की मूल हैं और आठ अन्य कही गई हैं (इन ४ के मित्र ४ और
४ के शत्रु ४=) ये सब बारह हैं ॥ १५६ ॥

अमात्यराष्ट्रदुर्गार्थदण्डाख्याः पञ्च चापराः । प्रत्येकं कथिता
ह्येताः संक्षेपेण द्विसप्तति ॥१५७॥ अनन्तरमरि विद्यादरिसे-
विनमेत्र च । अरेरनन्तरं मित्रमुदासीनं तयोः परम् ॥१५८॥

अर्थ-अमात्य देश दुर्ग कोश और दण्ड; ये पांच और भी (प्रकृति) हैं।
पूर्वोक्त मूल प्रकृति चार और शाखा प्रकृति आठ, ऐसे) बारह की पांच २
प्रत्येक की प्रकृति हैं (ये मिलकर साठ होती हैं और वे मूल बारह मिला
कर) संक्षेप से बहतर होती हैं ॥१५७॥ शत्रु और शत्रु के सेवियों को समीप
ही जाने । उस के अनन्तरमित्र को जाने । पश्चात् उदासीन को अर्थात् इन
पर उत्तरोत्तर दृष्टि रखे ॥ १५८ ॥

तान्सर्वानभिसंदध्यात्सामाद्विभिरुपक्रमैः । व्यस्तैश्चैवसमस्तैश्च
पौरुषेण नयेन च ॥१५९॥ सन्धिं च विग्रहं चैव यानमानसमेव
च । द्वैधीभावं संश्रयं च षड्गुणांश्चिन्तयेत्सदा ॥ १६० ॥

अर्थ-उन सब को सामादि उपायों से वश में करे । एक एक उपाय से
या सब से और पुरुषार्थ तथा नीति से (वश में करे) ॥१५९॥ १ मेल, २ लड़ाई
३ शत्रु पर चढ़ जाना, ४ उस की राह देखना, ५ अपने दो भाग कर लेना
और ६ दूसरे का आश्रय कर लेना; इन छः गुणों को सर्वदा विचारे ॥६०॥

आसनं चैव यानं च सन्धिं विग्रहमेव चाकार्ष्यं वीक्ष्य प्रयुञ्जीत
द्वैधं संश्रयमेव च ॥१६१॥ सन्धिं तु द्विविधं विद्याद्राजाविग्रह-
मेव च । उभे यानासने चैव द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥१६२॥

अर्थ—आसन यान सन्धि विग्रह द्वैध और आप्रय; इन गुणों को अवसर देखकर जब जैसा उचित हो तब वैसा करे ॥ १६१ ॥ सन्धि दो प्रकार की जाने और विग्रह भी दो प्रकार का । यान, आसन और संप्रय भी दो दो प्रकार के हैं ॥ १६२ ॥

समानयानकर्मा च विपरीतस्तथैव च । तदात्वायतिसंयुक्त
सन्धिर्ज्ञेयोद्विलक्षणः ॥१६३॥ स्वयंकृतश्च कार्यार्थमकालेकाल
एव वा । मित्रस्य चैवापकृते द्विविधोविग्रहः स्मृतः ॥१६४॥

अर्थ—तत्काल वा आगामी समयके फल लाभ के लिये जहां दूसरे राजा के साथ किसी और राजा पर चढ़ाई की जाती है उस को) “समानयान-कर्मा” सन्धि और । “इस इस पर चढ़ाई करेंगे, तुम उस पर करो ” इस प्रकार मेल करके दो मित्र २ राज्यों पर चढ़ाई करने के लिये जो मेल किया जाता है उस को) “असमानयानकर्मा” कहते हैं, इन दो को दो प्रकार की सन्धि जाने ॥ १६३ ॥ शत्रु के जयरूप कार्य के लिये (शत्रु के व्यसनादि जानकर उचित मार्गशीर्षादि) काल में वा बिना काल में स्वयं-युद्ध करना एक विग्रह और अपने मित्र के अपकार होने से (उसकी रक्षा को जो) युद्ध है सो दूसरा है, (ऐसे) दो प्रकार का विग्रह कहा है ॥ १६४ ॥

एकाकिनश्चात्यधिकेकार्येप्राप्तेयदुच्छ्रया । संहतस्यचमित्रेण
द्विविधं यानमुच्यते ॥१६५॥ क्षीणस्यचैव क्रमशोदैवात्पूर्व
कृतेन वा । मित्रस्यचानुरोधेन द्विविधस्मृतमासनम् ॥१६६॥

अर्थ—द्वैधयोग से अत्यावश्यक कार्य में अकेला शत्रु पर चढ़ाई करना या मित्र के साथ होकर शत्रु पर चढ़ाई करना, यह दो प्रकार का “यान” (धावा) है ॥ १६५ ॥ पूर्व जन्म के दुष्कृत से वा यहीं की घुराई से क्षीण राजा का घुप चाप बैठा रहना १ आसन है और मित्र के अनुरोध से घुप चाप बैठा रहना २ दूसरा, ये दो प्रकार के आसन कहे हैं ॥ १६६ ॥

बलस्यस्वामिनश्चैव स्थितिकार्यार्थसिद्धये । द्विविधंकीर्त्यते
द्वैधंषाड्गुण्यगुणवेदिभिः ॥१६७॥ अर्थसंपादनार्थं च पीड्यमा-
नस्यशत्रुभिः । साधुषुव्यपदेशार्थं द्विविधः संप्रयः स्मृतः ॥१६८॥

अर्थ—अर्थसिद्धि के लिये कुछ सेना को एक स्थान पर स्थापित करके शेष सेना के साथ राजा दुर्ग में रहे, यह दो प्रकार का द्वैध षड्गुणज्ञ लोग कहते

हैं ॥१६१॥ शत्रुओं से पीड़ित राजा को प्रयोजन की सिद्धि के लिये किसी का शरण लेना और सज्जनों के साथ व्यपदेश के लिये शरण लेना (अर्थात् बिना शत्रु पीड़ा भी किसी बड़े राजा के आश्रय रहना, जिस से अन्य राजों को उस बड़े के आश्रय का भय रहे) ऐसे दो प्रकार का संश्रय कहा है ॥ १६८ ॥

यदावगच्छेदायत्यामाधिक्यं ध्रुवमात्मनः। तदात्वेच्छाल्लिपिकां पीडां तदा सन्धिं समाश्रयेत् ॥१६९॥ यदा प्रकृष्टामन्येत सर्वास्तु प्रकृतीर्भृशमाप्रत्युच्छ्रितं तथात्मानं तदा कुर्वीत विग्रहम् ॥१७०॥

अर्थ—जब भविष्यत्काल में निश्चय अपना आधिक्य जाने और वर्तमान समय में अल्प पीड़ा देख पड़े, उस समय में सन्धि का आश्रय करे ॥ १६९ ॥ जब (अमात्यादि) सब प्रकृति अत्यन्त बड़ी हुई (उन्नत) जाने और अपने को अत्यन्त बलिष्ठ देखे तब विग्रह करे ॥ १७० ॥

यदा मन्येत भावेन हृष्टं पुष्टं बलं स्वकम्। परस्य विपरीतं च तदा यायाद्दिपुं प्रति ॥१७१॥ यदा तु स्यात्परिक्षीणो वाहनेन बलेन च। तदासीत प्रयत्नेन शनकैः सान्त्वयन्वरीन् ॥ १७२॥

अर्थ—जब अपनी सेना हर्षयुक्त और (द्रव्यादि से) पुष्ट प्रतीत हो और शत्रु की निर्बल ही, तब शत्रु के सामने जावे ॥१७१॥ परन्तु जब वाहन और बल से आप क्षीण हो, तब धीरे २ शत्रुओं को प्रयत्न से शान्त करता हुआ आसन पर ठहरा रहे ॥ १७२ ॥

मन्येतारि यदा राजा सर्वथा बलवत्तरमात्तदा द्विधा बलं कृत्वा साधयेत् कार्यमात्मनः ॥१७३॥ यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत्। तदा तु संश्रयेत् क्षिप्रं धार्मिकं बलिनं नृपम् ॥१७४॥

अर्थ—जब लड़ाई में राजा शत्रुओं की संख्या अतिबलवान् समझे तब कुछ सेना के साथ आप क़िले का आश्रय करे और कुछ सेना लड़ने को मोरची पर रखे, इन दोनों प्रकार से अपना कार्य साधे ॥१७३॥ जब शत्रु सेना की बहुत चढ़ाई हो (और आप क़िले के आश्रय से भी न बच सके) तब शीघ्र किसी धार्मिक बलवान् राजा का आश्रय (पनाह) लेवे ॥१७४॥

निग्रहं प्रकृतीनां च कुर्याद्योऽखिलस्य च । उपसेवेत तन्नित्यं
सर्वगतैर्गुरुं यथा ॥१७५॥ यदि तत्रापि संपश्येद्वीषं सम्प्रयका-
रितम् । सुयुद्धमेव तत्रापि निर्विशङ्कः समाचरेत् ॥ १७६ ॥

अर्थ—जो मित्र, प्रकृतियों का और अपने-शत्रुओं के बल का निग्रह करे,
उस का नदा सम्पूर्ण यत्नों से गुरुवत् सेवन करे ॥१७५॥ परन्तु यदि आश्रय
किये जाने से भी दोष देखे (अर्थात् उस में भी कुछ धोका समझे) तब
उस के साथ भी निःशङ्क होकर युद्ध करे ॥ १७६ ॥

सर्वोपायैस्तथा कुर्यान्नीतिज्ञः पृथिवीपतिः । यथास्याभ्यधिका
नभ्युर्मित्रोदासीनशत्रवः ॥१७७॥ आयति सर्वकार्याणां तदात्वं
च विचारयेत् अतीतानां च सर्वेषां गुणदोषौ च तत्त्वतः ॥१७८॥

अर्थ—नीति का जानने वाला राजा सामादि सब उपायों से ऐसा करे
कि जिस में उस के मित्र उदासीन और शत्रु बहुत न हों ॥१७७॥ सम्पूर्ण
भावी गुण दोष और वर्तमान समय के कर्तव्य और सब ठयतीत हुवों को
भी विचारे कि ठीक २ किस २ में क्या २ गुण दोष निकले ॥ १७८ ॥

आयत्यां गुणदोषज्ञस्तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः । अतीते कार्यशेषज्ञः
शत्रुभिर्नाभिभूयते ॥१७९॥ यथैनं नाभिसंदध्युर्मित्रोदासीन
शत्रवः । तथा सर्वं संविदध्यादेश सामासिको नयः ॥१८०॥

अर्थ—जो होने वाले कार्यों के गुण दोष को जानने वाला (अच्छे का
प्रारम्भ करता है और बुरे को छोड़ देता है) और उस समय के गुण दोषों
को शीघ्र निश्चय करके काम करता है और हुवे कार्यों के शेष कर्तव्य का जानने
वाला है, वह शत्रु से नहीं दबता ॥१७९॥ जिस में मित्र उदासीन और शत्रु
अपने को दबाने न पावें, वैसे सब विधान करे । यह संक्षेप से नीति है ॥१८०॥

यदा तु यानमातिष्ठेदरिराष्ट्रं प्रति प्रभुः । तदाऽनेन विधानेन
याथादरिपुरंशनैः ॥१८१॥ मार्गशीर्षे शुभे मासि याथाद्यात्वा
महीपतिः । फाल्गुनं वाऽथ चैत्रं वा मासौ प्रति यथा बलम् ॥१८२॥

अर्थ-जब राजा शत्रु के राज्य में जाने की यात्रा (बहाई) करे तब इस विधि से धीरे २ शत्रु के राज्य में गमन करे (कि-) ॥ १८१ ॥ जैसी अपनी सेना वा अन्य बल हो, तदनुसार शुभ मार्गशीर्ष अथवा फाल्गुन वा चैत्र के महीने में राजा यात्रा करे ॥ १८२ ॥

अन्येष्वपितुकालेषु यदापश्येद्भ्रुवजयमातदायायाद्विगृह्यैव व्यसने चोत्थिते रिपोः ॥ १८३ ॥ कृत्वा विधानं मूले तु यात्रिकं च यथाविधौ उपगृह्यात्स्पदं चैव चारान्सम्यग्विधाय च ॥ १८४ ॥

अर्थ-और दूसरे कालों में भी जब निश्चय जय समझे तब यात्रा करे, चाहे तौ अपनी ओरसे ही युद्ध ठानकर अथवा जब शत्रु की ओर से उपद्रव उठे ॥ १८३ ॥ अपने राज्य और दुर्ग की रक्षा करके और यात्रासम्बन्धी ठीक ठीक विधान करके डेरा तम्बू आदि लेकर और दूतों को भले प्रकार नियत कर (यात्रा करे) ॥ १८४ ॥

संशोध्य त्रिविधं मार्गं षड्विधं च बलं स्वकम् । सांपरायिक कल्पेन यायादरिपुरं शनैः ॥ १८५ ॥ शत्रुसेविनि मित्रे च गूढे युक्ततरो भवेत् । गतप्रत्यागते चैव स हि कष्टतरो रिपुः ॥ १८६ ॥

अर्थ-(जल, स्थल, आकाश; वा ऊँचे, नीचे, सम) तीन प्रकार के मार्गों का शोधन करके और छः प्रकार का अपना बल लेकर संग्रामकल्प की विधि से धीरे २ शत्रु के नगर को यात्रा करे । (६ प्रकार का बल यह है-१ मार्ग रोकने वाले वृक्षादि कटवाना, २ गढ़ों को बराबर करना, ३ नदी वा झीलों के पुल बांधना वा नौकादि रखना, ४ मार्ग रोकने वालों को नष्ट करना, ५ जिन से शत्रु को सहारा मिलना सम्भव हो उन्हें अपना बनाना, ६ रसद और सेनादि तैयार रखना अथवा १ हस्त्यारोही, २ अश्वारोही, ३ रथारोही, ४ पैदल सेना, ५ फौज और ६ नौकर चाकर) ॥ १८५ ॥ जो मित्र छिपकर शत्रु से मिला हुआ हो और जो पहिले छुड़ाया फिर आया हुआ (नौकर) हो, इन से सचेत रहे क्योंकि ये (दोनों शत्रुता करें तौ) बड़ा दुःख दे सकते हैं ॥ १८६ ॥

दण्डव्यूहेन तन्मार्गं यायात्तु शकटेन वा । वराहमकराभ्यां वा सूच्यावा गरुडेन वा ॥ १८७ ॥ यतश्च भयमाशङ्केत्ततो विस्तारयेद्

बलम् । पद्मोन्मैव व्यूहेन निविशेत् सदा स्वयम् ॥ १८८ ॥

अर्थ—(दण्ड के आकार व्यूह की रचना दण्डव्यूह कहलाती है । ऐसे ही शकटादि व्यूह भी जानिये । उस में आगे सेना के अफसर, बीच में राजा, पीछे सेनापति, दोनों बगल हाथी, उन के पास छोड़े और उन के आसपास पैदल । इस प्रकार लम्बी रचना दण्डव्यूह कहती है । ऐसे) दण्डव्यूह से मार्ग चले अथवा शकट, वराह, मकर, सूची और गरुड के तुल्य आकृति वाले व्यूह से (जहां जैसा उचित समझे वहां वैसे यात्रा करे) ॥ १८७ ॥ जिस ओर डर समझे उस ओर सेना बढ़ावे । सर्वदा आप (कमलाकार) पद्मव्यूह में रहे ॥ १८८ ॥

सेनापतिबलाध्यक्षी सर्वदिक्षु निवेशयेत् । यत्तश्च भयमाशङ्केत्
प्राचीं तां कल्पयेद्दिशम् ॥ १८९ ॥ गुल्मांश्च स्थापयेद्दामान् कृत
संज्ञानसमन्ततः । स्थानेषु दुष्टेषु कुशलानभीरुन विकारिणः ॥ १९० ॥

अर्थ—सेनापति और सेनानायकों को सब दिशाओं में नियुक्त करे और जिस दिशा में भय समझे उसे पहली (पूर्व) दिशा कल्पना करे ॥ १८९ ॥ सेना के कर्तव्य के समान दुष्ट आस पुरुषों को भिन्न २ संज्ञा धरकर सब ओर स्थापित करे जो स्थान और युद्ध में प्रवीण तथा निर्भय हों और बिगड़ने वाले न हों ॥ १९० ॥

संहतान्यो धयेद्दल्पान्कामं विस्तारयेद्बहून् । सूचया वज्रेण चै-
वैतान् व्यूहेन व्यूह्य योधयेत् ॥ १९१ ॥ स्यन्दनाश्रैः समे युद्धे दनूपे
नीद्विषैस्तथा । वृक्षगुल्मावृते चापैरसिचर्मायुधैः स्थले ॥ १९२ ॥

अर्थ—जहां यद्वा हों तो उन को इकट्ठा करके युद्ध करावे और बहुतों को चाहे कैलाकर लड़ावे । पूर्वोक्त सूचयाकार वा वज्राकार व्यूह से रचना करके इन से युद्ध करावे ॥ १९१ ॥ वराह की पृथिवी पर रथों और अर्धों से युद्ध करे पानी की जगह हाथी और नावों से, वृक्ष लताओं से घिरी पृथिवी पर धनुषों और कण्टकादिरहित स्थल में खड्गचर्मादि आयुधों से (लड़े) ॥ १९२ ॥

कुरुक्षेत्रांश्च मत्स्यांश्च पञ्चालान्शूरसेनजानादीर्घाल्पघ्नंश्चैव
नरानग्रानीकेषु योजयेत् ॥ १९३ ॥ प्रहर्षयेद्दलं व्यूह्य तांश्च सम्यक्
परीक्षयेत् । चेष्टाश्चैव विजानीयादरीन्यो धयतामपि ॥ १९४ ॥

अर्थ-कुलक्षेत्रनिवासी और मत्स्यदेश के निवासी तथा पाञ्चाल और
जूरसेनदेशनिवासी नाटे और ऊंचे मनुष्यों को सेना के आगे करे (क्योंकि
ये रणकर्मक्षीर होते हैं) ॥ १८३ ॥ व्यूह की रचना करके उन को उत्सा-
हित करे और उन की परीक्षा करे । शत्रुओं से लड़ते हुवे भी उन की
चेष्टाओं को जाने (कि कैसे लड़ते हैं) ॥ १८४ ॥

उपरुध्वारिमासीतराष्ट्रं चास्थोपपीडयेत् । दूषयेच्च्चास्यसततं
यवसान्नीदकेन्धनम् ॥ १८५ ॥ भिन्ध्याच्चैवतडागानि प्राकारप-
रिखास्तथा ॥ समवस्कन्दयेच्चैनं रात्रौ वित्रासयेत्तथा ॥ १८६ ॥

अर्थ-शत्रुओं को घेर कर देश को उच्छिन्न करे और निरन्तर घास, अन्न
जल और इन्धन को नष्ट करे ॥ १८५ ॥ तालाब और शहरपनाह और घरे
भी तोड़ डाले और शत्रु को निर्बल करे और रात्रि में कष्ट देवे ॥ १८६ ॥

उपजप्यानुपजपेद्बुध्येतैवच तत्कृतम् । युक्ते च द्वैवेयुध्येत
जयप्रप्सुरपेतभीः ॥ १८७ ॥ साम्ना दानेन भेदेन समस्तैरथवा
पृथक् । विजेतुं प्रयतेतारोन्न युद्धेन कदाचन ॥ १८८ ॥

अर्थ-शत्रु के मन्त्री आदि को तोड़ कर भेद लेवे । और उस को इसी
काम का भेद जाने । यदि द्वैव सहायक हो तो निहर होकर जय की इच्छा
करने वाला ऐसा युद्ध करे ॥ १८७ ॥ (हो सकेती) साम, दान, भेद, इनमें से एक करके वा
तीनों से शत्रु को जय करने का प्रयत्न करे, (पहिले) युद्ध से कभी नहीं ॥ १८८ ॥

अनित्योविजयोस्माद्दृश्यते युद्धमानयोः । पराजयश्चसं-
ग्रामेत्स्माद्बुद्धुं विवर्जयेत् ॥ १८९ ॥ त्रयाणामप्युपायानां पूर्वी-
क्तानामसम्भवेत्तथायुध्येतसंपन्नोविजयेत् रिपून्वथाम् ॥ २०० ॥

अर्थ- (संग्राम में) लड़ने वालों के जय पराजय अनित्य देखे जाते हैं ।
इस लिये (अन्यउपायों के होते) युद्ध न करे ॥ १८९ ॥ पूर्वोक्ततीनों उपायों
से जय संभव न हो तो संपन्न (हस्ती अश्वदि से युक्त) जिस प्रकार शत्रुओं
को जीते, उस प्रकार लड़े ॥ २०० ॥

जित्वासंपूजयेद्देवान्ब्राह्मणांश्चैवधार्मिकान् । प्रदद्यात्परिहा-
रांश्चख्यापयेदभयानिचाम् ॥ २०१ ॥ सर्वेषांतुविदित्वैषां समासेन

चिकीर्षितम्। स्थापयेत्तत्र तद्वंशं कुर्याच्च समयक्रियाम् ॥२०२॥

अर्थ—परराज्य को जीत कर वहां देवता और धार्मिक ब्राह्मणों का पूजन करे और उस देश वालों को परिहार (लड़ाई के समय जिन दीन पुरुषों की हानि हुई हो, उन के निर्वाहार्थ) देवे और अज्ञय की प्रसिद्धि करे ॥२०१॥ (शत्रु राजा और) उन सब के (मन्त्रादिके) अभिप्राय को संक्षेप से जान कर उस (शत्रु) राजाके वंशमें हुवे पुत्रादि को उस गद्दी पर बैठावे और “ यह करो, “ यह न करो” तथा उसके अन्य विषयों के नियम (अहद) स्वीकार करावे ॥२०२॥

प्रमाणानिचक्रुर्वीततेषां धर्मान्यथोदितान्। रत्नैश्च पूजयेदेनं प्रधानपुरुषैः सह ॥२०३॥ आदानमप्रियकरं दानं च प्रियकारकम्। अभीक्ष्णानामर्थानां काले युक्तं प्रशस्यते ॥२०४॥

अर्थ—उन के यथोदित धर्मों (रिवाजों) को प्रमाण करे और रत्नों से प्रधान पुरुषों के साथ उस का पूजन करे (अर्थात् मये वज्रीरों के उस गद्दी पर बैठाये राजा को खिलत देवे) ॥ २०३ ॥ यद्यपि अभिक्षिप्त पदार्थों का लेना अप्रिय और देना (सब को) प्रिय है । तथापि समय विशेष में लेना और देना दोनों अच्छे हैं ॥ २०४ ॥

सर्वं कर्मदयायत्तं विधाने दैवमानुषे ।

तयोर्दैवमचिन्त्यं तु मानुषे विद्यते क्रिया ॥२०५॥

अर्थ—यह सम्पूर्ण कर्म दैव तथा मनुष्य के आधीन है । परन्तु उन दोनों में दैव अचिन्त्य है (उस की चिन्ता व्यर्थ है) इस लिये मनुष्य के आधीन अंश में कार्य किया जाता है ॥ २०५ ॥

(२०५ से आगे छहों भाष्यों में प्राचीन भाष्यकार मेधातिथि का भाष्य इन ३ श्लोकों पर अधिक है जो कि अब अन्य भाष्यों वा मूल पुस्तकों में नहीं पाये जाते । प्रतीत होता है कि ये श्लोक पीछे से नष्ट होगये वा किये गये:—

[दैवेन विधिनाऽयुक्तं मानुष्यं यत्प्रवर्तते । परिक्रेशेन महता तदर्थस्य समाधकम् ॥१॥ संयुक्तस्यापि दैवेन पुरुषकारेण वर्जितम् । विना पुरुषकारेण फलं क्षेत्रं प्रयच्छति ॥ २ ॥

चन्द्रार्काद्यां ग्रहा वायुरग्निरापस्तथैव च । इह दैवेन साध्यन्ते पौरुषेण प्रयत्नतः ॥ ३ ॥

जब कभी दैव की विमुखता में पुस्तुषार्थ किया जाता है, तब भी अधिक कष्ट उठाने से काम बन ही जाता है ॥१॥ और दैव की अनुकूलता में पुस्तुषार्थ न किया जाय तब जैसे खोया हुआ ही बीज खेती में मिलता है, (वैसे पूर्व पुस्तुषार्थ का ही फल होता है) ॥२॥ चन्द्र सूर्य आदि ग्रह, वायु और अग्नि तथा बादल सब संसार में यज्ञपूर्वक ईश्वरीय पुस्तुषार्थ से ही सध रहे हैं ॥३॥) ॥२६५॥

सह वापि व्रजेद्युक्तः सन्धिं कृत्वा प्रयत्नतः ।

मित्रं भूमिं हिरण्यं वा संपश्यंस्त्रिविधं फलम् ॥ २०६ ॥

अर्थ—अथवा मित्रता, सुवर्ण भूमि; यह तीन प्रकार का यात्रा का फल देखते हुबे उस के साथ सन्धि करके वहाँ से गमन करे (अर्थात् मित्रता या कुछ रूपया या भूमि लेकर उसके साथ प्रयत्न से सुलह कर चला आवे ॥ २०६ ॥

पाष्णिग्राहं च सप्रेक्ष्य तथा क्रन्दं च मण्डले मित्रादथाप्यमित्रा-
द्वा यात्राफलमवाप्नुयात् २०७ हिरण्यभूमिसंप्राप्त्या पार्थिवो
न तथैधते। यथा मित्रं ध्रुवं लब्ध्वा कृशमप्यायति क्षमम् ॥ २०८ ॥

अर्थ—(जो पराये राज्य का जय करते राजा के पीछे राज्य दबाता हुआ राजा आवे उस को) मण्डल में "पाष्णिग्राह" (कहते हैं) और (जो उस को ऐसा करने से रोके उस को) "क्रन्द" (कहते हैं) दोनों को देख कर मित्र से वा अमित्र से यात्रा का फल ग्रहण करे (ऐसा न करे जिस से पाष्णिग्राह वा क्रन्द अपने से बिगड़ जावें) ॥ २०७ ॥ राजा सुवर्ण और भूमि को पाकर वैसे नहीं बढ़ता, जैसा (वर्तमान) दुर्बल भी आगामी काल में काम देने योग्य स्थिर मित्र को पाकर बढ़ता है ॥ २०८ ॥

धर्मज्ञं च कृतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेव चाप्रनुरक्तस्थिरारम्भं लघु
मित्रं प्रशस्यते ॥ २०९ ॥ प्राज्ञं कुलीनं शूरं च दक्षं दातारमेव
च । कृतज्ञं धृतिमन्तं च कष्टमाहुररिं बुधाः ॥ २१० ॥

अर्थ—धर्मज्ञ, कृतज्ञ, प्रसन्नचित्त, प्रीति करने वाला, स्थिर कार्य का आरम्भ करने वाला, छोटा मित्र अच्छा होता है ॥ २०९ ॥ बुद्धिमान्, कुलीन, शूर, चतुर, दाता, कृतज्ञ और धैर्य वाले शत्रु को विद्वान् लोग कठिन कहते हैं ॥ २१० ॥

आर्धता पुरुषज्ञानं शौर्धं कुरुषवेदिता । स्थौललक्ष्यं च सतत-
मुदासीनगुणोदयः ॥२११॥ क्षीण्यां सस्यग्रदां नित्यं पशुवृद्धि-
करीमपि । परित्यजेत्क्षुपोभूमिमात्मार्यमविचारयन् ॥ २१२ ॥

अर्थ—सभ्यता, मनुष्यों की पहचान, शूरता, रूपालुता और मोटी रबतों पर ऊपरी लक्ष्य रखना; यह उदासीन गुणों का उदय है ॥ २११ ॥ कल्याण करने वाली, संपूर्ण धान्यों को देने वाली और पशुवृद्धि करने वाली भूमि को भी राजा अपनी रक्षा के लिये विचार न करता हुआ छोड़ देवे ॥२१२॥

आपदर्थं धनं रक्षेद्वारान्क्षेदुनैरपिआत्मानं सततं रक्षेद्वारै-
रपि धनैरपि ॥२१३॥ सह सर्वाः समुत्पन्नाः प्रसमीक्ष्यापदो
भृशमासंयुक्तांश्च वियुक्तांश्च सर्वापायान्सृजेद् बुधः ॥२१४॥

अर्थ—आपत्ति(की निवृत्ति) के लिये धन की रक्षा करे और धनों से द्वियों की रक्षा करे और अपने को खी और धनों से भी निरन्तर रक्षित करे ॥२१३॥ बहुत सी आपत्ति एक साथ उत्पन्न होती देखे तो (उन के हटाने को) बुद्धिमान् (सामादि) सब ही उपाय अलग-अलग रखा मिलकर करे ॥ २१४ ॥

उपेतारमुपेयं च सर्वापायांश्चकृत्स्नशः । एतत्त्रयं समाश्रित्य
प्रयतेतार्थसिद्धये ॥ ११५ ॥ एवं सर्वमिदं राजा सह संमत्र्य
मन्त्रिभिः । व्यायम्याप्त्य सध्यान्हे भोक्तुमन्तःपुरं विशेत् २१६

अर्थ—उपाय करने वाले और उपाय के योग्य साध्य और उपाय इन तीनों का ठीक-ठीक आश्रय करके अर्थसिद्धि के लिये प्रयत्न करे ॥ २१५ ॥ उक्त प्रकार से सन्पूर्ण वृत्त को राजा मन्त्रियों के साथ विचार कर स्नान तथा (शस्त्र के अभ्यास द्वारा) व्यायाम (कसरत) करके मध्याह्न में भोजन को अन्तःपुर में प्रवेश करे ॥ २१६ ॥

तत्रात्मभूतैःकालज्ञैरहार्यैः परिचारकैः । सुपरीक्षितमन्त्राद्य-
मद्यान्मन्त्रैर्विषापहैः ॥२१७॥ विषघ्नैरगद्वैश्चारय्य सर्वद्रव्याणि
योजयेत् । विषघ्नानि च रत्नानि नियतोधारयेत्सदा ॥२१८॥

अर्थ—उस अन्तःपुर में भोजनकाल के भेद जानने वाले, टूट कर शत्रुपक्ष में न मिल जाने योग्य, अपने सेवकों के द्वारा सिद्ध कराया हुआ और (चकी-

रादि पत्नियों से) परीक्षित और विष के दूर करने वाले मन्त्रों (गुप्त विचारों) से शुद्ध हुवे अन्न का भोजन करे ॥ २१७ ॥ राजा के सब भोज्यद्रव्यों में विष का नाश करने वाली दवा डाले और विष के दूर करने वाले रत्नों का नियम से सदा (राजा) धारण करे ॥ २१८ ॥

परीक्षिताः स्त्रियश्चैनं व्यजनीदकधूपनैः । वेषाभरणसंशुद्धाः
स्पृशेद्युःसुसमाहिताः ॥२१९॥ एवं प्रयत्नं कुर्वीत यानशय्या-
सनाशने । स्नाने प्रसाधने चैव सर्वालङ्कारकेषु च ॥२२० ॥

अर्थ-परीक्षा की हुई, वेष आभूषणों से शुद्ध, एकाग्रचित्त स्त्रियाँ पङ्खा, पानी, धूप, गन्ध से राजा की सेवा करें ॥२१९॥ इसी प्रकार का (परीक्षादि) प्रयत्न वाहन, शय्या, आसन, भोजन, स्नान, अनुलेपन और सब अलङ्कारों में भी करे ॥ २२० ॥

भुक्तवान् विहरेच्चैव स्त्रीभिरन्तःपुरे सह । विहृत्य तु यथाकालं
पुनःकार्याणि चिन्तयेत् ॥२२१॥ अलङ्कृतश्च संपश्येद्वायुधीघं पुन-
र्जनम् । वाहनानि च सर्वाणि शस्त्राण्याभरणानि च ॥२२२॥

अर्थ-भोजन करके इसी अन्तःपुर में स्त्रियों के साथ कुछ देर टहले, फिर (राजसम्बन्धी) कामों का विचार करे ॥ २२१ ॥ शस्त्राभूषणादि अलङ्कार धारण किये हुवे, आयुध से जीने वालों (सवार सिपाही आदि) और संपूर्ण वाहनों तथा शस्त्रों और आभूषणों को देखे ॥ २२२ ॥

सन्ध्यांचोपास्यशृणुयादन्तर्वैशमनिशस्त्रभृत्तारहस्याख्यायिनां
चैव प्रणिधीनां च चेष्टितम् ॥२२३॥ गत्वा कक्षान्तरं त्वन्यत्समनु-
ज्ञाप्य तं जनम् । प्रविशेद्द्वीजनार्थं च स्त्रीवृत्तीऽन्तःपुरं पुनः ॥२२४॥

अर्थ-फिर सन्ध्यापासन करके निवासगृह के एकान्त स्थान में शस्त्र धारण किये हुवे, गुप्तसमाचर कहने वाले दूतों और प्रतिनिधियों के समा-चार और कामों को सुने ॥२२३॥ अन्य कमरे में उन का विसर्जन कर अन्तःपुर की स्त्रियों के साथ फिर से भोजन के लिये अन्तःपुर में जावे ॥ २२४ ॥

तत्रभुक्त्वापुनःकिंचित्तूर्यघोषैःप्रहर्षितः।संविशेत्तुयथाकाल-
मुत्तिष्ठेच्चगतक्रमः ॥२२५॥ एतद्विधानमातिष्ठेद्दरोगःपृथिवी-
पतिः । अस्वस्थः सर्वमेतत्तु भृत्येषु विनियोजयेत् ॥ २२६॥
इति मानवे धर्मशास्त्रे (भृगुप्रोक्तायां संहितायां)

राजधर्मीनाम सप्तमोध्यायः ॥ ७ ॥

अर्थ-वहां भोजन करके फिर घोड़े गाने बजाने से प्रसन्न किया हुआ उचित काल में शयन करे, पुनः (४घड़ी के तड़के) विश्रान्त होकर उठे ॥ २२५ ॥
रोगरहित राजा यह सब इस प्रकार से (आप ही) करे और यदि अस्वस्थ हो तो भृत्यों से यह सब कार्य करावे ॥ २२६ ॥

इति श्री तुलसीराम स्वामिद्विरचिते मनुभरणुवादे
सप्तमोध्यायः ॥ ७ ॥



अथाष्टमोऽध्यायः

व्यवहारादिदृक्षुस्तुब्राह्मणैःसहपार्थिवः।मन्त्रज्ञैर्मन्त्रिभिश्चैव
विनीतःप्रविशेत्सभाम् ॥१॥ तत्रासीनःस्थितोवापिपाणिमुद्यम्य
दक्षिणम् । विनीतवेषाभरणःपश्येत्कार्याणि कार्याणाम् ॥२॥

अर्थ-विशेष फरके नीति से सुशिक्षित राजा व्यवहारों के देखने को ब्राह्मणों और मन्त्र (सहाह) के जानने वाले मन्त्रियों के साथ सभा में प्रवेश करे ॥ १ ॥ दिनययुक्त, वेष आभूषण धारण करके उस (सभा) में बैठा या खड़ा हुवा दाहिने हाथ को उठा कर काम वालों के कामों को देखे ॥ २ ॥

प्रत्यहं देशदृष्टैश्च शास्त्रदृष्टैश्च हेतुभिः ।

अष्टादशसु मार्गेषु निवहानि पृथक् पृथक् ॥३॥

अर्थ (जो कि) अष्टादश १८ व्यवहार के मार्गों में नियत कार्य हैं, उनको देशव्यवहार और शास्त्रद्वारा समझे हुवे हेतुओं से पृथक् २ नित्य (विचारे) वे अठारह प्रागे कहे हैं । इस में " निवहानि=विविधानि " यह पाठभेद श्वेतातिथि ने व्याख्यात किया है । तथा एक पुस्तक में इस तीसरे श्लोक से प्रागे एक श्लोक यह अधिक पाया जाता है:-

[हिंसां यः कुरुते कश्चिद्देयं वा न प्रयच्छति ।

स्थाने ते द्वे विवादस्य भिन्नोऽष्टादशधा पुनः] ॥

कोई किसी की हिंसा करे वा देने योग्य न देवे, ये दो [कौजदारी व दीवानी] विवाद के मुख्य स्थान हैं । फिर अष्टादश १८ प्रकार का विवाद है ॥३॥
तेषामाद्यभूणादानं निक्षेपोऽस्वामिविक्रयः । संभूय च समु-
त्थानं दत्तस्थानपकर्म च ॥ ४ ॥ वेतनस्यैव चादानं सविदश्च
व्यतिक्रमः । क्रयविक्रयानुशयोविवादः स्वामिपालयोः ॥५॥
सीमाविवादधर्मश्च पारुष्यं दण्डवाचिके । स्तेयं च साहसं चैव

स्त्रीसंग्रहणमेव च ॥ ६ ॥ स्त्रीपुंघमौविभागश्च द्यूतमाहूयएवच।
पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारस्थिताविह०एषु स्थानेषुभूयिष्ठंवि-
वादंचरतां नृणाम् । धर्मशास्त्रतमाश्रित्यकुर्यात्कार्यविनिर्णयम्

अर्थ-उन में पहिला १ ऋणाऽदान है कि ऋण लेकर न देना वा बिना दिये मांगना, २ निक्षेप=धरोहर, ३ घिना स्वामी होने के बेचना, ४ राशेका व्यापार, ५ दान दिये को फिर लेलेना ॥४॥ ६ नौकरी का न देना, ७ इकरारनामे के विरुद्ध चलना, ८ खरीदने बेचने का झगडा, ९ पशु स्वामी और पशुपाल का झगडा ॥५॥, १० सरहद की लड़ाई, ११ कड़ी बात कहना, १२ मारपीट, १३ चोरी, १४ जबरदस्ती घनादि का हरण करना, १५ परस्त्री का लेलेना ॥ ६ ॥ १६ स्त्री और पुरुष के धर्म की व्यवस्था, १७ धन का भाग, १८ जुवा और जानवरों की लड़ाई में हार जीत का दाव लगाना । संसार में ये अठारह व्यवहार प्रवृत्ति के स्थान हैं ॥७॥ (इन ऋणाऽदानादि) व्यवहारों में बहुत झगड़ने वाले पुरुषों का सनातनधर्म के अनुसार कार्यनिर्णय करे ॥८॥

यदा स्वयं न कुर्यात्तु नृपतिः कार्यदर्शनमात्तदानियुज्जयाद्विद्वांसं
ब्राह्मणं कार्यदर्शने ॥९॥ सोऽस्य कार्याणि संपश्येत्सभ्यैरेव त्रि-
भिवृतः । सभामेव प्रविश्याग्रचामासीनः स्थितएव वा ॥१०॥

अर्थ-जब राजा आप (किसी कारण) कार्यदर्शन न कर सके (अर्थात् कार्याधिक्यादि में आप सब मुकद्दमों को न देख सके) तब विद्वान् (नीतिज्ञ) ब्राह्मण को कार्य देखने में नियुक्त करे, ॥९॥ वह ब्राह्मण तीन सभ्य पुरुषों के ही साथ, सभा में ही प्रवेश करके, एकाग्र खड़े हुवे वा बैठ कर राजा के देखने के सब कामों को देखे ॥ १० ॥

यस्मिन्देशे निषीदन्ति विप्रावेदविदस्त्रयः । राज्ञश्चाधिकृतो वि-
द्वान् ब्राह्मणस्तां सभां विदुः ॥११॥ धर्मो विदुस्त्वधर्म्येण सभां यत्रो-
पतिष्ठते । शल्यं चास्य न कृन्तन्ति विदुस्तत्र सभासदः ॥१२॥

अर्थ जिस देश में वेदों के जानने वाले ३ ब्राह्मण (राजद्वार में) रहते हैं और राजा के अधिकार को पाया हुआ १ विद्वान् ब्राह्मण रहता है, उस को ब्रह्मा की सभा जानते हैं ॥ ११ ॥ जिस सभा में अधर्म से धर्म को

बीधा जाता है (उस सत्य को क्लेश देने वाले) शल्य (कांटे) को जो सभासद् नहीं निकालते, तब उसी अधर्मरूप कांटे से वे सभासद् बिधते हैं (अर्थात् सभासद् लोग मुकद्दमे की पेचीदगी को न निकालें तो पापभागी होते हैं। एक पुस्तक में यह पाठभेद है कि "निकृन्तन्ति विद्वांसोऽत्रसभासद्ः" इस पत्र में यह अर्थ है कि उस कांटे को विद्वान् सभासद् निकालते हैं) ॥ १२ ॥

सभांवा न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समञ्जसम्। अत्रुवन्विब्रुवन्वापि नरोभवति कित्त्विषी ॥ १३ ॥ यत्र धर्मोऽधर्मेण सत्यं यत्राऽनृतेन चाहन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥ १४ ॥

अर्थ—या तो सभा (कचहरी) न जाना, जावे तो सच कहना। कुछ न बोले या झूठ तो अनुष्य पापी होता है। (८ पुस्तकों में "सभा वा न प्रवेष्टव्या" पाठभेद है और एक में "सभायां न प्रवेष्टव्यम्" पाठभेद भी देखा जाता है) ॥ १३ ॥ जिस सभा में सत्त्यों के देखते हुवे धर्म, अधर्म से और सच, झूठ से नष्ट होता है, वहां के सभासद् (उस पाप से) नष्ट होते हैं ॥ १४ ॥

धर्मएव हतोहन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। तस्माद्दुर्मो न हन्तव्यो मा नोधर्मो हतोऽश्रथीत् ॥ १५ ॥ वृषो हि भगवान्धर्मस्तस्य यः कुरुते ह्यलम्। वृषलं तं विदुर्देवास्तस्माद्दुर्मं न लोपयेत् ॥ १६ ॥

अर्थ—नष्ट हुवा धर्म ही नाश करता है और रक्षित हुवा धर्म रक्षा करता है। इसलिये धर्म को नष्ट न करना चाहिये, जिस से नष्ट हुवा धर्म हमारा नाश न करे ॥ १५ ॥ भगवान् धर्म को "वृष" कहते हैं, उस को जो नष्ट करता है उस को देवता "वृषल" जानते हैं। इसलिये धर्म का लोप न करे ॥ १६ ॥

एकएव सुहृद्दुर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः। शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्भि गच्छति ॥ १७ ॥ पादोऽधर्मस्य कर्तारं पादः साक्षिणमृच्छति। पादः सभासदः सर्वान् पादो राजानमृच्छति ॥ १८ ॥

अर्थ—एक धर्म ही मित्र है, जो मरने पर भी साथ चलता है, अन्य सब शरीर के साथ ही नाश को प्राप्त हो जाता है ॥ १७ ॥ (दुर्व्यवहार के करने से, अधर्म के चार भाग हैं, उन में) एक भाग अधर्म करने वाले की लगता है, दूसरा भाग झूठा साक्ष्य देने वाले की, तीसरा सभासदों को और चौथा राजा की लगता है ॥ १८ ॥

राजा भवत्यनेना तु मुच्यन्ते च सभासदः । एनोगच्छति
कर्त्तारं निन्दाहीयन्न निन्दते ॥ १८ ॥ जातिमात्रोपजीवी वा कासं
स्थाद्ब्राह्मणब्रुवः । धर्मप्रवक्ता नृपतेर्न तु शूद्रः कथञ्चन ॥२०॥

अर्थ—जिस सभा में असत्यवादी वा पापकर्ता की ठीक ठीक बुराई
(निन्दा) की जाती है, वहां राजा और सभासद निष्पाप हो जाते हैं
और (उस अधर्म) करने वाले को ही पाप पहुंचता है ॥ १९ ॥ जिस की
जातिमात्र से जीविका है (किन्तु वेदादि का पूर्ण ज्ञान नहीं) ऐसा अपने
को ब्राह्मण कहने वाला पुरुष चाहे (अभाव में) धर्म का प्रवक्ता हो, परन्तु
शूद्र कभी नहीं ॥ (इस का यह तात्पर्य नहीं है कि ब्राह्मणकुलोत्पन्न कुपद
लोग धर्मप्रवक्ता हों, किन्तु एक तो ऐसा पुरुष हो जो ब्राह्मणकुल में उत्पन्न
मात्र हुवा है, वेदाध्ययनादि विशेष विद्या नहीं रखता; दूसरा शूद्रकुलोत्पन्न
हो और वह भी विशेषविद्या से हीन हो तो इन दोनों में वह उत्तम है
जो कि ब्राह्मणकुल में उत्पन्न है) ॥ २० ॥

यस्य शूद्रस्तु कुरुते राज्ञो धर्मविवेचनम् । तस्य सीदति तद्ग्राष्टं
पङ्के गौरिव पश्यतः ॥२१॥ यद्ग्राष्टं शूद्रभूयिष्ठं नास्तिकाक्रान्त-
मद्विजम् । विनश्यत्याशु तत्कृत्स्नं दुर्भिक्षव्याधिपीडितम् २२

अर्थ—जिस राजा के यहां धर्म का निर्णय शूद्र करता है, उस का वह राज्य,
देखते हुवे कीचड़ में गौ सा (कंस) पीड़ा को प्राप्त हो जाता है ॥२१॥ जिस
राज्य में शूद्र और नास्तिक अधिक हों और द्विज न हों, वह सम्पूर्ण राज्य
दुर्भिक्ष और व्याधि से पीडित हुवा शीघ्र नाश को प्राप्त हो जाता है ॥२२॥

धर्मासनमधिष्ठाय संवीताद्गः समाहितः । प्रणम्य लोकापालेभ्यः
कार्यदर्शनमारभेत ॥२३॥ अर्थात्तर्थावुभौ बुद्धव्रा धर्माधर्मौ च
केवलौ । वर्णाक्रमेण सर्वाणि पश्येत्कार्याणि कारिणाम् ॥२४॥

अर्थ—(राजा) धर्मासन (गद्दी) पर बैठ कर, औरर डके, स्वस्थचित्त,
लोकपालों (जिन ८ दिव्यगुणों से राजा को युक्त होना चाहिये) को नम-
स्कार (आदर) करके कान देखना आरम्भ करे (अर्थात् अच्छी तरह इज-
लास पर बैठकर सुकहनों को देखे) ॥२३॥ अर्थ, अनर्थ दोनों को तथा केवल

धर्म और अधर्म का जानकर वर्णक्रम से (अर्थात् प्रथम ब्राह्मण का, फिर क्षत्रिय का-इस क्रम से) कार्य वालों के सम्पूर्ण कार्यों को देखे ॥ २४ ॥

वाह्यैर्विभावयेल्लिङ्गैर्भावमन्तर्गतं नृणाम्।स्वरवर्णैर्द्विताकारैश्चक्षुषा चेष्टितेन च॥२५॥आकारैरिङ्गितैर्गत्या चेष्टया भाषितेन च । नेत्रवक्षत्रविकारैश्च गृह्यतेऽन्तर्गतं मनः ॥ २६ ॥

अर्थ-मनुष्यों के बाहर के लक्षण-स्वर(आवाज़)और(शरीर) का वर्ण और नीचे ऊपर देखना, आकार (पसीना रोमाञ्च आदि) और चक्षु तथा चेष्टा से भीतरी अभिप्राय को समझे ॥२५॥ आकार, इशारे, गति, चेष्टा, भाषण और नेत्र तथा मुख के विकारों से मन का भेद जाना जाता है ॥ २६ ॥

बालदायादिकं रिक्थंतावद्वाजानुपालयेत्।यावत्सस्यासमावृत्तौयावच्च्यतीतशैशवः ॥२७॥ वशाऽपुत्रासु चैवं स्याद्रक्षणं निष्कुलासु च पतिव्रतासु चस्त्रीषु विधवास्वातुरासु च ॥२८॥

अर्थ-बालक के दायभाग का द्रव्य, राजा तब तक (जैसे कोर्ट आफ़ वार्ड्स में) पालन करे, जब तक वह समावर्त्तन वाला (पढ़ लिखकर होशियार) हो और जब तक लड़कपन जातक रहे-(अर्थात् जब तक बालिग हो) ॥२७॥ बन्ध्या, अपुत्रा, सपिण्डरहिता, पतिव्रता और विधवा तथा स्थिररोगिणी स्त्री में भी ऐसा ही हो (उनके द्रव्य की भी राजा रक्षा करे ॥

२८ वें से आगे मेधातिथि के भाष्यानुसार एक यह श्लोक अधिक है:-

[एवमेव विधिं कुर्याद्योपित्सु पतितास्वपि ।

वस्त्रान्नपानं दधे च वसेयुश्च गृहान्तिके] ॥

यही विधि पतित स्त्रियों में करे कि वस्त्र अन्न पान और घर के समीप रहने की जगह दी जावे) ॥ २८ ॥

जीवन्तीनांतुलासांयेतद्दुरेयुःस्ववान्धवाःताञ्छिष्याञ्चौरदण्डेन धार्मिकःपृथिवीपतिः॥२९॥ प्रणष्टस्वामिकंरिक्थंराजात्र्यब्दं निधापयेत्।अर्वाक्त्र्यब्दाद्दुरेत्स्वामीपरेणनृपतिर्हरेत् ॥३०॥

अर्थ-उन जीवती हुई स्त्रियों का वह धन, जो बान्धव हरण करें उनको चौरदण्ड के समान धार्मिक राजा दण्ड देवे ॥२९॥ जिस का स्वामी न हो

उस (लावारिस) धन को राजा तीन वर्ष तक रखे, तीन वर्ष के भीतर (उस के स्वामी (का पता लगे तौ वह) लेलेवे, अनन्तर राजा ग्रहण (जप्त) करे (अर्थात् ढंडोरा पीटने से कि " जिस की ही ले जाओ " ३ वर्ष तक कोई लेने वाला न मिले तौ वह धन राजा का ही जावे) ॥ ३० ॥

ममेदमितियोब्रूयात्सीऽनुयोज्योयथाविधिसंवाद्यरूपसंख्या
दीन्स्वामीतद्द्रव्यमर्हति ॥३१॥ अबेदयानोनष्टस्य देशंकालं
च तत्त्वतः । वर्णं रूपं प्रमाणं च तत्समं दण्डमर्हति ॥ ३२ ॥

अर्थ—जो कहे कि यह धन मेरा है, तब उस से राजा यथाविधि पूछे कि क्या स्वरूप है और कितना है, वा कैसा है इत्यादि । जब यह सब सही कहे, तब उस धन को उस का स्वामी पावे ॥३१॥ नष्ट द्रव्य का देश काल वर्ण रूप प्रमाण (अर्थात् कहां, कब, कौनसा रङ्ग, कैसा आकार, कितना यह सब अच्छे प्रकार न जानता हो तौ उसी के बराबर दण्ड पाने योग्य है (अर्थात् झूठा दावा करने वाले को उस धन के बराबर दण्ड दिया जाये, जिस धन पर उसने दावा किया हो) ॥ ३२ ॥

आददीताथ षड्भागंप्रणष्टाधिगतान्द्रुपः दशमं द्वादशं वापि
सतां धर्ममनुस्मरन् ॥३३॥ प्रणष्टाधिगतं द्रव्यं तिष्ठेद्द्रुयुक्तैरधि
ष्ठितम् । यांस्तत्र चौरान्गृह्णीयात्तान् राजेभ्येन घातयेत् ॥३४॥

अर्थ—नष्ट द्रव्य फिर पावे तो उस में उस द्रव्य का छठा भाग वा दशवां वा बाहरवां, सप्तपुरुषों के धर्म का अनुस्मरण करता हुआ राजा ग्रहण करे ॥ ३३ ॥ जो द्रव्य किसी का गिरा, राजपुरुषों को पाया, पहरे में रक्खा हो, उस को जो चोर चुरावे, उन को राजा हाथी से मरवा डाले ॥ ३४ ॥

ममायमितियोब्रूयान्निधिं सत्येनमानवः । तस्याददीतषड्भागं
राजाद्वादशमेव वा ॥३५॥ अनृतंतुवदन्दण्डयः स्ववित्तस्यांश-
मष्टममातस्यैव वा निधानस्य संख्यायात्पीयसीकलाम् ॥३६॥

अर्थ—जो पुरुष सचाई से कहे कि " यह निधि मेरा है " उस के निधि से राजा छठा वा बारवां भाग ग्रहण करे, (शेष उस को देदेवे) ॥३५॥ (यदि वह पराये को " मेरा है " ऐसा) असत्य कहे तौ अपने धन का आठवां भाग दण्ड के योग्य है वा गिनकर उसी धन के अल्प भाग पर दण्ड के योग्य

हे (निधि उस को कहते हैं जो पुराना बहुत काल का धन पृथिवी में दबा हुआ रक्खा हो। दैवयोग से वह कभी किसी को मिलजावे, तो वह राजा का धन है और यदि उस पर कोई अपनेपन का दावा करे और सत्य र सिद्ध हो जावे तो छठा भाग राजा ले; शेष उसे देदेवे। यदि झूठा दावा हो तो दावा करने वाले को जितनी हैसियत हो उस का अष्टमांश वा उस निधि का कुछ अंश दावा करने वाले पर दण्ड किया जावे) ॥ ३६ ॥

विद्वांस्तु ब्राह्मणोदृष्ट्वा पूर्वोपनिहितं निधिम् ।

अशेषतोऽप्याददीत सर्वस्याधिपतिर्हि सः ॥ ३७ ॥

अर्थ—यदि विद्वान् ब्राह्मण, पूर्वकालस्थापित निधि को पावे तो वह सब लेले, क्योंकि वह सब का स्वामी है (अर्थात् उस में से छठा भाग राजा न लेवे॥

३९ वें से आगे ४ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक पाया जाता है:—

[ब्राह्मणस्तु निधिं लब्ध्वा क्षिप्रं राज्ञे निवेदयेत् ।

तेन दत्तं तु भुञ्जीत स्तेनः स्यादऽनिवेदयन्]

यदि ब्राह्मण भी निधि को पावे तो शीघ्र राजा को विदित करदे। फिर जब राजा उसे देदेवे तो भोग लगावे और राजा को निवेदन न करता हुआ [किन्तु चुपचाप भोगता हुआ] चोर समझा जावे) ॥ ३९ ॥

यं तु पश्येन्निधिं राजा पुराणं निहितं क्षितौ ।

तस्माद् द्विजेभ्योदत्त्वार्धमर्धं कोशे प्रवेशयेत् ॥३८ ॥

अर्थ—राजा पही हुई भूमि में जो पुरानी निधि को (स्वयं) पावे तो उस में से आधा द्विजों को दान देकर आधा कोश में रखे ॥ ३८ ॥

**निधीनांतुपुराणानां धातूनामेव च क्षितौ। अर्धभागक्षणा-
द्राजाभूमेरधिपतिर्हि सः॥३९॥ दातव्यं सर्ववर्णभ्यो राज्ञा चौरै-
र्हतं धनम्। राजा तदुपयुञ्जानश्चौरस्याप्नोति किल्बिषम्॥४०॥**

अर्थ—पुरानी निधि (ब्राह्मण से भिन्न को पाई हुई) (और सुवर्णादि के उत्पत्तिस्थानों का, राजा आर्ध का भागी है। क्योंकि भूमि की रक्षा करने से वह उस का स्वामी है ॥३९॥ जो धन चोरों ने हरण किया है, उस को राजा पाकर धन के स्वामी को, चाहे वह किसी वर्ण का हो, देदेवे उस धन का यदि राजा स्वयं भोग करे तो चोर के पाप को पाता है ॥ ४० ॥

जातिजानपदान्धर्मान्श्रेणीधर्मांश्चधर्मत्रितासमीक्ष्यकुलधर्मा-
श्चस्वधर्मप्रतिपादयेत् ॥४१॥ स्वानिकर्माणिकुर्वाणादूरे सन्तो
ऽपिमानवाः प्रियाभवन्तिलोकस्यस्वेस्वे कर्मण्यवस्थिताः ॥४२॥

अर्थ-धर्म का जानने वाला (राजा) जातिधर्म देशधर्म और श्रेणीधर्म
(वशिष्ठवृत्त्यादि) और कुलधर्म, इन को अच्छे प्रकार देख कर, (इनके विरुद्ध
न ही) राजधर्म को प्रचरित करे (यहां धर्म शब्द रिवाजों का वाचक है, जो
रिवाज वैदिक धर्म के विरुद्ध न हों) ॥४१॥ जाति, देश और कुल के धर्मों
और अपने कर्मों को करते हुवे अपने अपने कर्म में वर्तमान दूर रहते हुवे
लोग भी, लोक (सोसाइटी) के प्रिय होते हैं (अर्थात् मनुष्य कहीं किसी
विलायत में भी रहता हुआ, अपने देशादि धर्म कर्म करता रहे तो सोसा-
इटी का प्रिय रहता है । इसलिये इस को न छोड़े, न छुड़ावे) ॥ ४२ ॥

नोत्पादयेत्स्वयंकार्यं राजानाप्यस्य पुरुषः । न च प्रापितमन्येन
ग्रसेदर्थं कथञ्चन ॥४३॥ यथा नयत्यसृक्पतैर्मृगस्य मृगयुः
पद्मम् । नयेत्तथाऽनुमानेन धर्मस्य नृपतिः पद्मम् ॥ ४४ ॥

अर्थ-राजा और राजपुरुष (कामदार) भीष्मणाऽदानादि का ऋणदास्वयं
उत्पन्न न करावे और यदि कोई पुरुष विवाद को प्रस्तुत (पेश) करे तो
राजा और राजपुरुष उस की उपेक्षा (हज़म) न करें । (वारिश्वत लेकर
खारिज न कर दें) ॥४३॥ जैसे मृग के रुधिरघात के मार्ग से खोजता हुआ
ठ्याघ ठिकोने को प्राप्त होता है, वैसे ही राजा अनुमान से धर्म के पद
(मुआमले की असलियत) को प्राप्त होवे ॥ ४४ ॥

सत्यमर्थं च संपश्येदात्मानमथ साक्षिणः । देशंरूपं च कालं च
व्यवहारविधौस्थितः ॥४५॥ सद्भिराचरितं यत्स्याद्दुर्भारिकैश्च
द्विजातिभिः । तद्देशकुलजातीनामविरुद्धं प्रकल्पयेत् ॥ ४६ ॥

अर्थ-व्यवहार (मुआमला, मुकद्दमा) के देखने में प्रवृत्त (राजा वा
राजपुरुष) सत्य अर्थ (गोहिरण्यादि) तथा आपे और साक्षियों तथा देश
रूप और काल को देखे (विचारे) ॥४५॥ जो धार्मिक उतपुरुष द्विजातियों
से आचरण किया हुआ हो और कुल जाति तथा देश के विरुद्ध न हो ऐसा
व्यवहार का निर्णय करे ॥ ४६ ॥

अधमर्णार्थं सिद्धयर्थमुत्तमर्णेन चोदितः । दापयेदुनिकस्यार्थ-
मधमर्णादिभावितम् ॥४७॥ चैयैरुपायैरर्थं स्वंप्राप्तुयादुत्तम-
र्णिकः । तैस्तैरुपायैः संगृह्य दापयेदधमर्णिकम् ॥ ४८ ॥
धर्मेण व्यवहारेण छलेनाचरितेन च । प्रयुक्तं साधयेदर्थं पञ्च-
मेन बलेन च ॥ ४९ ॥ यः स्वयं साधयेदर्थमुत्तमर्णाधमर्णि-
कात् । न स राज्ञाभियोक्तव्यः स्वकं संसाधयन्धनम् ॥ ५० ॥

अर्थ-अधमर्ण (करजदार) से ऋण=करों का धन मिलाने के लिये उत्तमर्ण=महाजन के करजदार से महाजन का निश्चित धन दिलावे ॥ ४७ ॥
जिन २ उपायों से महाजन अपना रूपया पा सके उन उन उपायों से ऋण संग्रह करके दिवावे ॥ ४८ ॥ या ती धर्म से या व्यवहार=राजद्वार या छल की चाल से या आचरित (लेन देन के दबाव) से या पांचवें बलात्कार से यथार्थ धन का साधन करे (अदा करादे) ॥ ४९ ॥ जो महाजन आप करजदार से रूपया निकाल ले ती उस पर राजा अभियोग (मुकदमा कायम) न करे; जब कि वह ठीक २ अपना धन निकाल रहा हो ॥ ५० ॥

अर्थोपव्ययमानं तु करणेन विभावितम् । दापयेदुनिकस्यार्थं
दण्डलेशं च शक्तितः ॥५१॥ अपन्हवेऽधमर्णस्य देहीत्युक्तस्य
संसदि । अभियोक्ता दिशेद्देश्यं करणं बान्धुदुहिशेत् ॥ ५२ ॥

अर्थ-धन के विषय में नकार करने वाले से लेख साक्ष्यादि द्वारा प्रमाणित कर महाजन का रूपया और यथाशक्ति थोड़ा दण्ड भी (राजा) दिलावे ॥ ५१ ॥
प्रथम सभा में अभियोक्ता (धर्मासनस्थ) करज लेने वाले से कहे कि महाजन का रूपया दे । उस पर जब वह कहे कि मैं नहीं जानता, तब राजा चाची (गवाह) वा अन्य कुछ साधन (तनखुक आदि) के प्रस्तुत करने की उत्तमर्ण को आज्ञा देवे ॥ ५२ ॥

अदेश्यं यश्च दिशति निर्दिश्यापन्हुते च यः । यश्चाधरोत्तरान-
र्थान्विगीतान्नावबुध्यते ॥५३॥ अपदिश्यापदेश्यं च पुनर्यस्त्व-
पधावति । सम्यक्प्रहिणितं चार्थं पृष्टः सन्नाभिनन्दति ॥५४॥

असंभाष्ये साक्षिभिश्च देशे संभाषते मिथः। निरुच्यमानं प्रश्नं च
नेच्छेद्यश्चापि निष्पतेत् ॥५५॥ ब्रूहीत्युक्तश्च न ब्रूयादुक्तं च न
विभावयेत्। न च पूर्वापरं विद्यात्तस्मादर्थान्स्वहीयते ॥५६॥

अर्थ—जो झूठ गवाह या कागज़ पत्र को निर्देश (पेश) करता है और
जो निर्देश करके नकार करता है और जो कि आगे पीछे कहे का ध्यान नहीं
रखता, ॥५५॥ और जो बात को उलटता है, अपने प्रतिज्ञात किये हुं तात्पर्य
को धर्मासनस्थ के पूछने से फिर नकार करता है ॥ ५४ ॥ और जो एकान्त में
गवाहों के साथ बात चीत करता है, जो बात के सत्य होने की जांच के
लिये अभियोक्ता (अदालत) के पूछने को अच्छा न समझे और जो इधर
उधर बिना प्रयोजन बात को न जानता हुआ घूमे ॥ ५५ ॥ और पूछने पर
कुछ न कहे और जो कहे तो दृढ़ता के साथ न कहे और जो पूर्वा पर बात
को न जाने, वह अपने अर्थ (धन) को हार जाता है ॥ ५६ ॥

साक्षिणः सन्ति मेत्युक्त्वा दिशेत्युक्तो दिशेन्न यः। धर्मस्थः कार-
णैरेतैर्हीनं तमपि निर्दिशेत् ॥५७॥ अभियोक्तान्चेद्ब्रूयाद्बध्योद-
पद्यश्च धर्मतः। न चेत्त्रिपक्षात्प्रब्रूयाद्दुर्मं प्रति पराजितः ॥५८॥

अर्थ—मेरे साक्षी (हाज़िर) हैं, ऐसा कहकर जब (धर्माधिकारी) कहे कि
लावो, तब (उन को) न लावे तो धर्मस्थ (अदालत) इन कारणों से उसको
भी पराजित (हारा) कहदे ॥ ५७ ॥ जो अभियोक्ता (मुद्दे) राजद्वार में
निवेदन करके न बोले (अर्थात् नालिश करके जबानी न बोले) तब (छोटे
बड़े मुकद्दमे के अनुसार) बन्ध वा जुर्माने के योग्य हो और यदि उस पर
मुद्दा—इलह डेहं महीने के भीतर झूठे दावे से हुई हानि की नालिश न
करे तो धर्मतः (कानून से) हार जावे ॥ ५८ ॥

शोयावन्निह्वीतार्थं मिथ्यायावतिवावदेत्। तौ नृपेण ह्यधर्मज्ञौ
दाप्यौ तद्द्विगुणं दमम् ॥५९॥ पृष्ठोऽपव्ययमानस्तु कृतावस्थो
धनैषिणा। त्र्यवरैः साक्षिभिर्भाव्यो नृपब्राह्मणसन्निधौ ॥६०॥

अर्थ—जो (मुद्दा—इलह असल धन में से) जितने धन को न दे और जो
(मुद्दे असल धन से) जितना बढ़ाकर दावा करे, उस (घटायें बढ़ाये) धन का

दूना (अर्थात् घटाने वाले से घटाने का दूना और बढ़ाने वाले से बढ़ाने का दूना) दण्ड उन दोनों अधर्मियों से राजा दिलावे ॥ ५९ ॥ राजा और ब्राह्मण के सामने पूछा जावे और नकार करे तौ महाजन कम से कम तीन गवाहों से सिद्ध करे ॥ ६० ॥

यादृशा धनिभिः कार्या व्यवहारेषु साक्षिणः। तादृशान्संप्रव-
क्ष्यामि यथावाच्यमृतंचतैः ॥६१॥ गृहिणः पुत्रिणीमौलाः क्षत्र-
विदूशूद्रयो नयः। अर्थ्युक्ताः साक्ष्यमर्हन्ति नयेकेचिदनापदि ६२

अर्थ—सुकदमों में महाजनों को जैसे गवाह करने चाहिये और उन (गवाहों) को जैसे सूच बोलना चाहिये सो भी आगे कहता हूँ ॥ ६१ ॥ कुटुम्बी, पुत्र वाले, उसी देश के रहने वाले, क्षत्रिय वैश्य शूद्र वण वाले; ये लोग जब कि अर्थी (मुद्दई) कहे कि मेरे साक्षी हैं, तब साक्ष्य के योग्य होते हैं, हर कोई नहीं, जब तक कि कुछ आपत्ति न हो । (यहाँ ब्राह्मण को गवाही में इस लिये नहीं कहा है कि सांसारिक कार्यों में पढ़ने से उस के पारमार्थिक कामों में बाधा न पड़े और यदि अन्य साक्षी न मिल सकें तौ ब्राह्मण साक्षी जैसे तौ सर्वोत्तम है, इस लिये आगे “ ब्रूहीत ब्राह्मण पृच्छेत ” कहेंगे) ॥ ६२ ॥

आप्ताः सर्वेषु वर्णेषु कार्याः कार्येषु साक्षिणः। सर्वधर्मविदोऽलुब्धा-
विपरीतास्तु वर्जयेत् ॥६३॥ नार्थसंबन्धिनोऽनाप्ता न सहाया न
वैरिणः। न दृष्टदोषाः कर्तव्या न व्याध्याती न दूषिताः ॥ ६४ ॥

अर्थ—सब वर्णों में जो यथार्थ कहने वाले और सम्पूर्ण धर्म के जानने वाले हों, उन को कामों में साक्षी करना चाहिये और इन से विपरीतों को नहीं ॥ ६३ ॥ धन के सम्बन्धी, असत्यवादी, नीकर आदि सहायक, शत्रु, दूसरी जगह जानकर झूठी गवाही देने वाले, रोगी और (महाप्रातकादि से) दूषितों को (गवाह) न करे ॥ ६४ ॥

न साक्षी नृपतिः कार्याचकारुककुशीलवौ। न प्रोत्रियो न लिङ्ग-
स्थोनसंगेभ्यो विनिर्गतः ॥६५॥ नाध्यधीनो न वक्तव्यो न दस्युर्न
विकर्मकृतान वृद्धो न शिशुर्न कोनान्त्यो न विकलेन्द्रियः ॥६६॥

अर्थ—राजा, कारीगर, नट, आंत्रिय, ब्रह्मचारी और संन्यासी को भी साक्षी न बनाये ॥६५॥ परतन्त्र, बदनाम, दस्यु, निषिद्धकर्म करने वाला, वृद्ध, बालक और एक ही और चण्डाल और शिशु की इन्द्रिये स्वस्थ न हों उसे (साक्षी) न करे ॥ ६६ ॥

नातीनमतीनोन्मतीनक्षुत्तृष्णोपपीडितः। नभ्रमातीनकामा-
ती न क्रुद्धोनापि तस्करः ॥६७॥ स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः कुर्युर्द्विजानां
सदृशाद्विजाः शूद्राश्च सन्तः शूद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनयः ६८

अर्थ—दुःखी, मद्यादिमत्त, पागल, जुधा तृषा से पीडित, थका, काम-
पीडित, क्रोध वाला और धीर; (ये भी साक्षी योग्य नहीं हैं) ॥६७॥ स्त्रियों का
साक्ष्य स्त्री करें । द्विजों का (साक्ष्य) उन के सदृश द्विज करें । शूद्रों का
(साक्ष्य) सज्जन शूद्र करें और चण्डालों का (साक्ष्य) चण्डाल करें ॥६८॥

अनुभावीतुयः कश्चित्कुर्यात्साक्ष्यं विवादिनाम् । अन्तर्वेश्मन्य-
रूप्येवा शरीरस्यापि चात्यये ॥६९॥ स्त्रियाण्यसंभवे कार्यं बालेन
स्थविरेण वा । शिष्येण बन्धुना वापि दासेन भृतकेन वा ॥७०॥

अर्थ—घर के भीतर, वन में शरीर के अन्त (खून) में, इन अंगों में
जो कोई भी अनुभव करने वाला हो, वही साक्षी किया जा सकता है ॥ ६९ ॥
(मकान के भीतर आदि स्थानों में ऊपर लिखे साक्ष्य के) न होने पर स्त्री,
बालक, वृद्ध, शिष्य, बन्धु और नौकर चाकर भी साक्ष्य करें ॥ ७० ॥

बालवृद्धातुराणां च साक्ष्येषु वदतां मृषा । जानीयादस्थिरां
वाचमुत्सक्तमनसां तथा ॥७१॥ साहस्येषु च सर्वेषु स्तेयसंग्रह-
णेषु च । वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ॥७२॥

अर्थ—बाल, वृद्ध, आतुर और अलचित्त लोग साक्ष्य में झूठ बोलें ती
इन की वाणी को स्थिर न जाने ॥ ७१ ॥ सम्पूर्णा साहसों (डाका, मकान
जलाना इत्यादि) में, चोरी परस्त्रीसङ्ग, गाली और मारपीट में साक्षियों
की परीक्षा न करे (अर्थात् ६१ से ६८ श्लोक तक जिस प्रकार के साक्षी कहे
हैं, वैधों ही का नियम नहीं) ॥ ७२ ॥

बहुत्वंपरिगृह्णीयात्साक्षिद्वैधेनराधिपः । समेषुतुगुणोत्कृष्टान्
गुणिद्वैधे द्विजोत्तमान् ॥७३॥ समक्षदर्शनात्साक्ष्यं श्रवणाच्चैव
सिद्धयति। तत्र सत्यं ब्रुवन्साक्षी धर्मार्थाभ्यां न हीयते ॥७४॥

अर्थ-परस्परविरुद्ध साक्षियों में जिस बात को बहुत कहे उसको राजा
ग्रहण करे और विरुद्ध कहने वाले साक्षी जहां संख्या में समान हों वहां
अधिक गुण वालों का और यदि गुण वाले विरुद्ध कहे तो वहां द्विजोत्तमों
(ब्राह्मणों) का प्रमाण करे ॥७३॥ सामने देखने से और सुनने से भी साक्ष्य
सिद्ध होता है, उस में सच बोलने वाला साक्षी धर्म अर्थ से नहीं हारता ॥७४॥

साक्षी दृष्टश्रुतादन्यद्विब्रुवन्नार्थसंसदि । अत्राङ्गनरकमभ्येति
प्रेत्यस्वर्गाच्च हीयते ॥७५॥ यत्रानिबद्धोऽपीक्षेत शृणुयाद्वापि
क्लिञ्चन । पृष्ठतत्रापि तद्ब्रूयाद्यथादृष्टं यथाश्रुतम् ॥७६॥

अर्थ-आर्यों की उभा में देखे सुने से विरुद्ध कहने वाला साक्षी अधोमुख
नरक में जाता और मर कर भी स्वर्ग से हीन हो जाता है ॥ ७५ ॥ जिस
(मुकद्दमें) में न भी कहा हुआ ही (कि तुम इस में साक्षी हो) उसमें भी
जा देखे और सुने, उस को पूछने पर जैसा देखे सुने, वैसा ही कहे ॥ ७६ ॥

एकोऽलुब्धस्तुसाक्षीस्याद्ब्रूयःशुचयोपिन स्त्रियः । स्त्रीबुद्धेर-
ऽस्थिरत्वात्तुदोषैश्चान्येऽपियेवृताः ७७स्वभावेनैवयद्ब्रूयुरतद्
ग्राह्यंव्यावहारिकम्। अतोयदन्यद्विब्रूयुर्धर्मार्थितदपार्थकम् ७८

अर्थ-एक ही साक्षी लोभादिरहित हो तो पर्याप्त है परन्तु स्त्रियां बहुत
और पवित्र भी होवें तो भी नहीं, क्योंकि स्त्री की बुद्धि स्थिर नहीं होती।
और दोषों से युक्त अन्य लोगों को भी साक्षी न करे ॥ ७७ ॥ साक्षी स्वभाव
से (अर्थात् भयादि से रहित होकर) जो कहे, वह व्यवहार के निर्णय में
ग्राह्य है और इस से विपरीत (भय लोभादि से) जो विरुद्ध वाद कहे सो
व्यवहार के निर्णयार्थ निरर्थक है ॥ ७८ ॥

सभान्तःसाक्षिणःप्राप्तानर्थिप्रत्यर्थिसन्निधौ। प्राह्विवाकोऽनु-
युञ्जीतविधिनानेनसान्त्वयन् ७९यद्द्वयोरनयोर्वैत्यकार्येऽस्मिं-
श्रेष्ठितमिथः। तद्भूतं सर्वं सत्येन युष्माकं ह्यत्रसाक्षिता ॥८०॥

अर्थ—सभा के बीच प्राप्त हुवे साक्षियों से अर्थी और प्रत्यर्थी के सामने प्राप्त विवाक (वकील आदि) धैर्य देकर आगे कहे प्रकार से पूछे कि ॥१९॥ इन दोनों (मुद्दे मुद्दे आइलह) ने आपस में इस काम में जो कुछ किया हो उस को तुम जो कुछ जानते हो सो सब सचार्थ से कहो क्योंकि तुम्हारी इस में गवाही है ॥ ८० ॥

सत्यंसाक्ष्यैर्ब्रुवन्साक्षीलोकानाम्प्रोति पुष्पकलान् । इह चानुत्तमां
कीर्त्तिं वागेषा ब्रह्मपूजिता ॥८१॥ साक्ष्यैऽनृतं वदन्पाशैर्बद्ध्यते
वारुणैर्भृशम् । विवशः शतमाजातीस्तस्मात्साक्ष्यं वदेद्वृतम् ॥८२॥

अर्थ—साक्ष्य कर्म में सच बोलता हुवा साक्षी उत्कृष्ट (ब्रह्मादि) लोकों और इस लोक में उत्तम कीर्त्ति को प्राप्त होता है क्योंकि यह सत्य वाणी ब्रह्म=वेद से पूजी हुई है ॥ ८१ ॥ क्योंकि साक्ष्य में असत्य कहने वाला वरुण के पाशों से परतन्त्र हुवा शतजन्मपर्यन्त अत्यन्त पीड़ित होता है (अर्थात् जलोदरादि से पीड़ित होता है) इस कारण सच्चा साक्ष्य (गवाही) दे ॥

(८२ वें से आगे ३ श्लोक अधिक भी पाये जाते हैं । जिन में से पहिला और तीसरा एक एक पुस्तक में और दूसरा तीन पुस्तकों में मिलता है:—

[ब्राह्मणो वै मनुष्याणामादित्यस्तेजसां दिवि । शिरो वा
सर्वगात्राणां धर्माणां सत्यमुत्तमम् ॥१॥ नास्ति सत्यात्परो
धर्मो नानृतात्पातकं परम् । साक्षिधर्मविशेषेण तस्मात्
सत्यं विशिष्यते ॥२॥ एकमेवाऽद्वितीयं तु प्रब्रुवन्नाव
बुध्यते । सत्यं स्वर्गस्य सोपानं पारावारस्य नौरिव ॥३॥]

जैसे मनुष्यों में ब्राह्मण, आकाश के तारागणों में सूर्य और अन्य सब अङ्गों में शिर, (ऐसा ही) धर्मों में सत्य उत्तम है ॥१॥ सत्य से बढ़ कर धर्म नहीं है असत्य से बढ़ कर पाप नहीं । विशेष कर साक्षी के धर्म में । इस कारण सत्य उत्तम है ॥२॥ जो एक सत्य ही कहता है, दूसरी बात नहीं कहता वह भूलता नहीं । सत्य स्वर्ग की सीढ़ी है, जैसे समुद्र में मौका ॥३॥) ॥८२॥

सत्येन पूयते साक्षी धर्मः सत्येन वर्धते । तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं
सर्ववर्णेषु साक्षिभिः ॥८३॥ आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा
तथात्मना । मावसंस्थाः श्वमात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम् ८४

अर्थ—सत्य से साक्षी पवित्र हो जाता है और सत्यभाषण से धर्म बढ़ता है। इस लिये सब वणों के साक्षियों को सत्य ही बोलना चाहिये ॥ ८३ ॥ (शुभ और अशुभ कर्मों में) आत्मा ही अपना साक्षी है और आप ही अपनी गति (शरण) है। इस लिये इस मनुष्यों के उत्तम साक्षी अपने आत्मा का (भूठ साक्ष्य से) अपमान मत कर ॥ ८४ ॥

मन्यन्ते वै पापकृतो न कश्चित्पश्यतीतिनः।तांस्तुदेवाःप्रपश्यन्ति स्वस्यैवान्तरपुरुषः ॥८५॥ द्यौर्भूमिरापोहृदयं चन्द्रर्काग्नि यमानिलाः। रात्रिः संध्ये च धर्मश्च वृत्तजाः सर्वदेहिनाम् ॥८६॥

अर्थ—पाप करने वाले जानते हैं कि हमको कोई देखता नहीं, परन्तु उन को देवता (जो अगले श्लोक में गिनाये हैं) देखते हैं और अपने ही शरीर का भीतर वाला पुरुष देखता है ॥ ८५ ॥ आकाश, भूमि, जल, हृदय, चन्द्र, सूर्य, अग्नि, यम, वायु, रात्रि, दोनों सन्ध्या और धर्म; ये सब प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों को जानते हैं ॥ (इस लिये साक्षी असत्य न बोले ॥ इन जड़ पदार्थों का अधिष्ठातृदेव (परमात्मा) ज्ञाता समझो। प्रपश्यपूर्वक कथन प्रभावार्थ है ॥ ८६ ॥

देवब्राह्मणसान्निध्ये साक्ष्यं पृच्छेदृतं द्विजान्।उदङ्मुखान्प्राङ्मुखान्वा पूर्वाह्ने वैशुचिःशुचीन् ८७ ब्रूहीति ब्राह्मणं पृच्छेत्सत्यं ब्रूहीतिपार्थिवम्।गोबीजकाञ्चनैर्वैश्यं शूद्रं सर्वैस्तुपातकैः ॥८८॥

अर्थ—देवता और ब्राह्मण के समीप में पवित्र द्विजातियों को पूर्वमुख वा उत्तरमुख कराके आप शुद्ध स्वस्थचित्त हुआ अभिषोक्ता, सबेरे के समय सब सघ वृत्तान्त पूछे ॥ ८७ ॥ “ कही ” ऐसा ब्राह्मण से पूछे और “ सच बोलो ” ऐसा क्षत्रिय से पूछे। और “ गाय, बीज, सुवर्ण के चुराने का पातक तुम को होगा जो भूठ बोलोगे तो ” ऐसा कह कर वैश्य से पूछे। “ सब पातक तुमको लगेंगे जो भूठ बोलोगे तो ” ऐसा कह कर शूद्र से पूछे ॥ ८८ ॥

ब्रह्मघ्नोयेऽमृतालोका ये च स्त्रीबालघातिनः।मित्रद्रुहःकृतघ्नस्य ते ते स्युर्ब्रुवतोमृषा ॥ ८९ ॥ जन्मप्रभृति यत्किञ्चित्पुण्यं भद्र त्वया कृतम्।तत्ते सर्वं शूनोगच्छेद्यदि ब्रूयास्त्वमन्यथा ॥ ९० ॥

अर्थ—ब्राह्मण के नारने वाले और स्त्री घाती तथा बालघाती और मित्र द्रोही और कृतघ्न को जो २ लोक प्राप्त होने कहे हैं, वे ही झूठ बोलने वाले को हों ॥९९॥ हे भद्र । तू ने आयु भर जो कुछ पुण्य किया है, वह सब तेरा पुण्य कुत्ते पार्वे, जो तू इस विषय में अन्यथा कहे ॥ ९७ ॥

एकोऽहमस्मीत्यात्मानं यत्त्वं कल्याण मन्यसे । नित्यं स्थितस्ते
हृदये पुण्यपापेक्षिता मुनिः ॥९९॥ यस्मि वैवस्वतो देवीयस्तवैष
हृदि स्थितः तेन चेदविवादस्ते मा गङ्गां मा कुरुन् गमः ॥९९॥

अर्थ—हे भद्रपुरुष । 'मैं एकला ही हूँ' ऐसा यदि अपने को मानता है, तो तेरे हृदय में नित्य पाप पुण्यों का देखने वाला मुनि (परमात्मा) तौ स्थित है ॥९९॥ वैवस्वत यम (परमात्मा) जो यह तेरे हृदय में स्थित है, उस के साथ यदि विवाद नहीं है, तो (पाप के प्रायश्चित्त वा दण्डभोगार्थ) गङ्गा और कुरुदेशों को मत जा । (ऐसा जान पड़ता है कि आर्य राजों ने गङ्गातट और कुरुदेशों में विकर्मफल भोगने के स्थान विशेष नियत कर रखे थे ॥ और एक प्रकार से तौ यह श्लोक पीछे का ही जान पड़ता है क्योंकि गङ्गा को भगीरथ ने प्रकट किया, मनु के समय में तौ यह गङ्गा का प्रवाह ही न था) ॥९९॥

नग्नीमुण्डः कपालेन भिक्षार्थी क्षत्विपासितः । अन्धः शत्रुकुलं
गच्छेद्य साक्ष्यमनृतं वदेत् ॥९९॥ अवाविशरास्तमस्यन्धे किलिब्र
षी तरकं व्रजेत् । यः प्रश्नं वितथं ब्रूयात्पृष्टः सन्धर्मनिश्चये ॥९९॥

अर्थ—जो झूठ गवाही देवे वह कपड़े से नङ्गा, सिर मुंडा, कपाल हाथ में लिये, भिक्षमंगा, झुधा पिपासा से पीड़ित और अन्धा होकर शत्रुकुल में गमन करे ॥९९॥ जो धर्म निर्णय के लिये पूछा हुआ असत्य बोले, वह पापी अधोमुख बड़े अन्धकाररूप नरक में जावे ॥ ९९ ॥

अन्धो मत्स्यानिवाशाति स नरः कण्ठकैः सह । यो भाषतेऽर्थवै-
कल्यमप्रत्यक्षं सभां गतः ॥९९॥ यस्य विद्वान् हि वदतः क्षेत्रज्ञो
नाभिशङ्कते । तस्मान्न देवाः श्रेयासं लोकेऽन्य पुरुषं विदुः ॥९९॥

अर्थ—जो सभा में जाकर विना देखी बात को झूठी बना कर बोलता है, वह अन्धा होकर कांठों सहित मछली सी खाता है ॥ ९९ ॥ जिस के

बोलते हुवे चेतन जीवात्मा शङ्का नहीं करता, उस से बड़ कर देवता लोग
दूधरे की अच्छा नहीं मानते । ९६ ॥

यावतीवान्धवान् यस्मिन् हन्ति साक्ष्येऽनृतं वदन् । तावतः
संख्यया तस्मिन् शृणुसौम्यानुपूर्वशः ॥९७॥ पञ्च पशवन्वृते हन्ति
दशहन्ति गवान् वृते शतमश्वान् वृते हन्ति सहस्रं पुरुषान् वृते ॥९८॥

अर्थ—हे सौम्य । (साक्षिन्) जिस साक्ष्य में फाट बोलने वाला जितने
घान्धवों को मारने का फल पाता है, उतने क्रमशः उतनों को गिनती से सुन।
(देखिये वहाँ से भी भूल होती हैं) । इस श्लोक में "सौम्य" यह सम्बोधन
स्वप्न प्रकरणानुसार गवाह (साक्षी) के लिये है, परन्तु प्राचीन भाष्यकार
मेधातिथि कहते हैं कि यह सम्बोधन मनु से भृगु को दिया है। एक पुस्तक
में इस से आगे १ प्रक्षिप्त श्लोक भी मिलता है, परन्तु हमने ठयर्थ का समझ
कर उद्धृत नहीं किया) ॥९७॥ पशु के विषय में झूठ बोलने से पांच बान्धवों
के मारने का फल पाता है । गौ के विषय में दश। घोड़े के विषय में सौ।
और पुरुष के विषय में सहस्र (बान्धवों के हनन का पातक प्राप्त होता है) ॥९८॥

हन्ति जातान्जातांश्च हिरण्यार्थेऽनृतं वदन् ।

सर्वं भूष्यऽनृते हन्ति सा रश्म भूष्यऽनृतं वदीः ॥९९॥

अर्थ—सुवर्ण के लिये असत्य बोलने वाला, उत्पन्न हुवों और मर हुवों
(होने वाले पुत्रादि) के मारने के फल को पाता है और भूमि के लिये असत्य
बोलने वाला संपूर्ण प्राणियों के हनन का फल पाता है, इसलिये तू भूमि
के लिये भी झूठ मत बोल । (९९ वें से आगे मन्दन के ठीके वाले पुस्तक में
डेढ़ श्लोक यह अधिक प्रक्षिप्त हुवा है:—

[पशुवत्क्षौद्रघृतयोर्धनान्यत्पशुसंभवमागोवह्वत्सहिरण्येषु
धान्यपुष्पफलेषु च । अश्ववत्सर्वधानेषु खरोष्ठवतरादिषु]

शहद और घृत के विषय में झूठी गवाही देने वाले को पशु विषयक
पातक के समान पातक लगता है । और अन्य भी जो कुछ पशु से उत्पन्न
(दुग्धादि) पदार्थ हैं, उन में भी । बड़ड़ों वा सुवर्ण के विषय में गौ के
तुल्य; धान्य, पुष्प और फलों के विषय में भी । गधा, ऊँट, बतरादि सब
सवारियों के विषय में झूठे गवाह को घोड़े के विषय में कहे असत्यजनित
पातक के तुल्य पातक लगता है) ॥ ९९ ॥

अप्यु भूमिवदित्याहुः स्त्रीणां भोगे च मैथुने ।

अब्जेषु चैव रत्नेषु सर्वेष्वरमभयेषु च ॥ १००॥

अर्थ—(तालाब, बावड़ी इत्यादि) जलाशय के विषय में और स्त्रियों के भोग मैथुन में और (मौक्तिकादि) जलोत्पन्न रत्नों के विषय में तथा हीरा आदि पत्थरों के विषय में (भूँट बोलने का भूमि के पातकसमान (पातक) है) १०० वें के आगे भी १ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक मिलता है:-

[पशुवत्क्षौद्रघृतयोर्यानिषु च तथाऽश्ववत् ।

गोवद्गतवस्त्रेषु धान्ये ब्राह्मणवद्विधिः] ॥

शहद और घृत में पशु के तुल्य, सवारियों में घोड़े के तुल्य, चांदी और वस्त्रों में गौ के तुल्य और धान्य के विषय में असत्य गवाही देने वाले को ब्राह्मणविषयक पाप के समान पाप होता है) ॥ १०० ॥

एतान्दीषानऽवेक्ष्य त्वं सर्वाननृतभाषणो यथाश्रुतं यथादृष्टं
सर्वमेवाज्जसावद ॥ १०१ ॥ गौरक्षकान्वाणिजिकांस्तथाकारुकु-
शीलवान्प्राैष्यान्वार्धुषिकांश्चैव विप्रान् शूद्रवदाचरेत् ॥ १०२ ॥

अर्थ—इन सब भूँट बोलने में पातकों को समझ कर, जैसा देखा और सुना है वही सब शीघ्र कह ॥ १०१ ॥ गौरखाने वाले, बनिये, लुहार, बढई आदि के काम वा रसोई करने वाले, गाने बजाने वाले, हलकारे की नौकरी करने वाले और व्याज से जीने वाले ब्राह्मणों से भी (राजा) शूद्र के समान प्रश्न करे (१०२ वें से आगे भी एक पुस्तक में यह श्लोक अधिक है:-

[येप्यतीताः स्वधर्मैभ्यः परापिण्डोपजीविनः ।

द्विजत्वमभिकाङ्क्षति तांश्च शूद्रानिवाचरेत्] ॥

जो लोग अपने वर्णधर्मों को छोड़ कर पराई जीविका करने लगे हों और द्विज होने की इच्छा करें उन को राजा शूद्र के तुल्य संबोधन करे । इसी तात्पर्य का श्लोक एक अन्य पुस्तक में इसी जगह मिलता है । यथा—

[येऽप्यपेताः स्वकर्मभ्यः परकर्मोपजीविनः ।

द्विजा धर्मं विजानन्तस्तांश्च शूद्रवदाचरेत् ॥ १०२ ॥

“तद्वदन्धर्मतोऽर्थेषु जानन्नप्यन्यथा नरः । न स्वर्गाच्चयवते
लोकाद्देवीं वाचं वदन्ति ताम् ॥१०३॥ शूद्रविद्वत्क्षत्रविप्राणां
यत्रतीक्ष्णो भवेद्धृधः । तत्र वक्तव्यमनतंतद्वि सत्याद्विशिष्यते १०४”

“अर्थ—जो पुरुष जानता हुआ भी धर्म के व्यवहारों में अन्यथा कहने वाला है, वह स्वर्ग लोक से अप्र नही होता क्योंकि उस (असत्य) को देवाणी कहते हैं ॥१०३॥ जिस मुकदमे में शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणों का सच बोलने से बंध हो, वहां झूठ बोलना चाहिये, क्योंकि वह सच से अधिक है ॥१०४॥”

“वाग्देवत्यैश्च चरुभिर्यजेरंस्ते सरस्वतीम् । अनूतर्यैनस तस्य
कुर्वाणानिष्कृतिं पराम् ॥१०५॥ कूपमाण्डैर्वापि जुहुयाद् घृतम-
ग्नौ यथाविधि । उदित्युचा वारुण्या तृचेनाब्देवलेखना १०६”

“ अर्थ—उस झूठ बोलने के पाप का अत्यन्त प्रायश्चित्त करते हुवे (वैसाही) वाग्देवतासम्बन्धी चरु से सरस्वती का यजन करें ॥ १०५ ॥ अथवा कूपमाण्डों (यद्देवादेवहेडनम् इत्यादि यजु० २० । १४ मन्त्रों) से यथाविधि घृत को अग्नि में हवन करे । वा “ उदित्युचा वरुणपाशम० ” यजु० १२ । १२ इस वरुण देवता वाले मन्त्र से, वा (आपोहिष्ठा० यजुः ११ । ५०) इन जल देवता की ३ ऋचाओं से (पूर्वोक्त आहुति करें) ॥ ”

(१०३ से १०६ तक ४ श्लोक ठीक नहीं जान पड़ते । १०३ में असत्य साहय से भी धर्मनिमित्त बोलने में दोष नहीं बताया, फिर १०४ में उस धर्मनिमित्त को स्पष्ट किया है कि ब्राह्मणादि चारों वर्णों को सत्य साहय देने से बंध दबड़ होता देखे तो झूठ बोल दे । वह झूठ, सच से बड़ कर है । १०५ । १०६ में उस झूठ बोलने के पाप का प्रायश्चित्त है । धर्मशास्त्र का सिद्धान्त है कि अन्यायोपार्जित धनदि के व्यय से पुण्यकार्य करने में पुण्य नहीं है, जैसा कि पूर्व मनु ही कहते आये हैं । फिर चारों वर्ण किसी को मार डालें और राजा के सामने कोई सच्ची गवाही न दे तो कदाचित्त चख्खालादि ही श्रेय भरे बधदण्ड पा सकें, अन्य तो ४ वर्ण छूट ही गये । फिर यह भी विचारना चाहिये कि यदि यह झूठ सच से बड़ कर है तो पाप के होते हुवे प्रायश्चित्त किस बात का कहा है ? इस विषय में मेधातिथि ने १०० श्लोकों के बराबर इन्हीं चार श्लोकों पर भाष्य बढ़ा कर समाधान का उद्योग किया है, परन्तु उस समाधान से सन्तोष नहीं होता) ॥ १०६ ॥

त्रिपक्षाद्भ्रुवन्साक्षप्रमृणादिषु नरोऽगदः। तद्गुणं प्रामुखात्सर्वं
दशाबन्धं च सर्वतः ॥१०७॥ अथ दृश्येत सप्ताहादुक्तवाक्यस्य
साक्षिणः। रोगोऽग्निज्ञीतिमरणमृणं दाप्योदमं च सः ॥१०८॥

अर्थ-व्याधि आदि विघ्नरहित सलुप्य लेन देन के विषय में डेढ़ महीने तक गवाही न देवे तो महाजन का कुल ऋण (रूपया) देवे और उस सब रूपये का दशवां भाग राजा को दण्ड देवे ॥ १०७ ॥ जिस गवाही देकर गये हुवे साक्षी के सात दिन के भीतर रोग, अग्नि और पुत्रादि का मरण होजाय तो वह महाजन को रूपया और राजा को दण्ड देने योग्य है ॥

(सब भाष्यकारों ने ऐसे साक्षी को इस हेतु से झूठा माना है कि देवी आपत्तियां उसकी झूठी गवाही का प्रमाण हैं। सर्वज्ञ नारायण भाष्यकार ने इतना अधिक लिखा है कि (तत्प्रागनुपजातनिमित्तकृतं प्राक्ष्यम्) अर्थात् "जब कि रोगोत्पत्ति, गृहादि में अग्नि लगाने और पुत्रादि की सृष्ट्यु का हेतु गवाही देने से पहला न हो तब उसे झूठा गवाह समझना चाहिये" परन्तु यह भी युक्ति दुर्बल जान पड़ती है और प्रायः रोगादिके हेतु बहुत प्राचीन होते हैं और जाने नहीं जा सकते, उस दशा में बड़ा अन्याय होगा। तथा वैद्यादि के भरीसे बड़ा कार्य जा पड़ेगा और अग्नि लगाने के हेतु जानने में तथा पुत्रादि की सृष्ट्यु का हेतु जानने में भी असंख्य कठिनाई हैं और फिर भी पूरा निश्चय होना कठिन ही है। इत्यादि कारणों से हमारी सम्मति में तो राजद्वारादि लौकिक निर्णयों में दैवानुमान उचित नहीं है) ॥ १०८ ॥

असाक्ष्यकेषु त्वर्थेण मिथोविवदमानयोः ।

अविन्दंस्तत्त्वतः सत्यं शपथेनापि लम्भयेत् ॥१०९॥

“ महर्षिभिश्चि देवैश्च कार्यार्थं शपथाः कृताः ।

वसिष्ठाश्चापि शपथं शेषे वै यवने नृपे ॥११०॥”

अर्थ-विना गवाह के मुकद्दमों में आपस में झगड़े वाले दोनों के सत्य वृत्तान्त ज्ञात न होने पर शपथ (हलफ) से भी निर्णय कर लेवे ॥ १०९ ॥

“ क्योंकि महर्षि और देवतों ने कार्य के लिये शपथें कीं, वसिष्ठ जी ने भी यवन राजा के सामने शपथ किया था ॥ ” (कहाँ वसिष्ठ । कहाँ यवन । और कहाँ मनु । यह सब पश्चात् की रचना स्पष्ट है) ॥ ११० ॥

न वृथा शपथं कुर्यात्स्वल्पेऽप्यर्थे नरोबुधः ।

वृथा हि शपथं कुर्यात्प्रेत्य चेह च नश्यति ॥ १११ ॥

“कामिनीषु विवाहेषु गवां भक्ष्ये तथेन्धने ।

ब्राह्मणाभ्युपपत्तौ च शपथे नास्ति पातकम् ॥ ११२ ॥

अर्थ- एोहे अर्थ में भी परिहित मिथ्या शपथ न करे क्योंकि वृथा शपथ करने वाला इस लोक तथा परलोक में नाश को प्राप्त होता है ॥ १११ ॥

“सुरत लाभ को कामिनी के विषय में, विवाहों में, गीवों के चारे, इन्धन और ब्राह्मण की रक्षा के लिये (वृथा) शपथ करने में पातक नहीं है ॥”

(यह अपवाद भी अन्यायप्रवर्तक, असत्यपोषक तथा धर्मशास्त्र के सत्य सिद्धान्त का बाधक है और “ब्राह्मणाभ्युपपत्तौ, ब्राह्मणस्य विपत्तौ, ब्राह्मणा-वपत्तौ” । ये तीन पाठ भी भिन्न २ प्रकार से मिलते हैं) ॥ ११२ ॥

सत्येन शापयेद्विप्रं क्षत्रियं वाहनायुधैः ।

गोबीजकाञ्चनैवैश्यं शूद्रं सर्वैस्तु पातकैः ॥ ११३ ॥

“अग्निं वाहारयेदेनमस्तु चैनं निमज्जयेत् ।

पुत्रदारस्य वाण्येनं शिरांसि स्पर्शयेत्पृथक् ॥ ११४ ॥”

अर्थ-ब्राह्मण को सत्य की शपथ (कसम) करावे । क्षत्रिय की वाहन तथा आयुध (हथियार) की, वैश्य को गाय या बैल, बीज और सीने की और शूद्र को सम्पूर्ण पातकों से [शपथ (कसम) करावे] ॥ ११३ ॥ “जलते अग्नि को इस (शूद्र वाक्षी) से उठवावे और पानी में इस को डुबावे और पुत्र स्त्री के शिर पर अलग २ इस से हाथ धरावे ॥ ११४ ॥”

“यसिद्धो न दहत्यग्निरापो नोन्मज्जयन्ति च । न चार्तिमृच्छति क्षिप्रं स ज्ञेयः शपथे शुचिः ॥ ११५ ॥ वत्सस्य ह्यभि शरतस्य पुरा भ्रात्राय वीयसा । नाग्निर्ददाहरोमापि सत्येन जगतः स्पृशः ११६”

अर्थ- जिस को जलती आग नहीं जलाती और पानी जिस को नहीं डुबाते और जिस को पुत्रादि के वियोगजनित बड़ी पीड़ा जल्दी नहीं प्राप्त होती वह (शूद्र) शपथ में सच्चा जानना चाहिये ॥ ११५ ॥ क्योंकि पूर्वकाल में वत्स ऋषि को छोटे भ्राता ने कहा कि (तू शूद्र का लड़का है, ब्राह्मण का

नहीं, इस कहने से उस ने जगत के शुभाशुभ जानने वाले अग्नि में प्रवेश किया, सो सत्य के कारण) अग्नि ने उस का एक रोम भी नहीं जलाया ॥

(११४ । ११५ । ११६ भी असंभवादि दोषों से चिन्त्य होने के अतिरिक्त वत्स ऋषि के इतिहास से अत्यन्त स्पष्ट है कि पीछे से मिलाये गये । इस प्रकरण में ८२ से आगे ३, ८० से आगे १॥, १०० वें से आगे १, १०२ से आगे १, और दूसरे पुस्तक में १, सब ७॥ श्लोक तौ स्पष्ट ही सब पुस्तकों में नहीं पाये जाते, इस पर इन इतिहासों से और भी निश्चित होता है कि हमारे प्रतिष्ठित बताये हुवे श्लोक जो सब पुस्तकों में अब मिल रहे हैं, वे भी अवश्य पीछे से ही मिले हैं) ॥ ११६ ॥

यस्मिन् यस्मिन् विवादे तु कौटसाक्ष्यं कृतं भवेत् । तत्तत्कार्यं निवर्तत कृतं चाप्यकृतं भवेत् ॥ ११७ ॥ लोभान्मोहाद्भयान्मैत्र्यात्क्रामात्

क्रोधात्तथैव च । अज्ञानाद्दालभावाच्च साक्ष्यं वितथमुच्यते ११८

अर्थ—जिस मुकद्दमे में गवाहों ने झूठी गवाही दी, ऐसा निश्चय हो, उस मुकद्दमे को फिर से दौहरावे और जो दण्डादि कर चुका हो उसे नहीं किया ससक्रे (फिर से विचार हो,) ॥ ११७ ॥ लोभ, मोह, भय, मित्रता, काम, क्रोध, अज्ञान तथा लड़कपन से गवाही झूठी कही जाती है ॥ ११८ ॥

एषामन्यतमे स्थानेयः साक्ष्यमनृतं वदेत् । तस्य दण्डविशेषांस्तु

प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः ॥ ११९ ॥ लोभात्सहस्रं दण्डस्तु मोहात्पूर्वं तु

साहसम् । भयाद् द्वौ मध्यमौ दण्डौ मैत्र्यात्पूर्वं चतुर्गुणम् १२०

अर्थ—इन लोभादि में से किसी कारण मुकद्दमे में जो झूठी गवाही दे, उस के दण्ड विशेष क्रम ये आगे कहता हूँ ॥ ११९ ॥ लोभ से (सिंध्या गवाही देने वाले पर) “हज़ार” दण्ड [१५॥=] दण्ड हो और मोह से कहने वाले को “प्रथम साहस” [३०॥=] दण्ड देवे और भय से कहने वाले को “दो मध्यम साहस” [१५॥=] दण्ड और मैत्री से (झूठ कहने वाले को) “प्रथम साहस का चतुर्गुण” [१५॥=] दण्ड देवे (“ ” चिन्हित परिमाण संज्ञा आगे १३१ से १३८ तक संज्ञाप्रकरण में कहे अनुत्तर जानिये) ॥ १२० ॥ ॥

क्रामाद्दशगुणं पूर्वक्रोधात्तु त्रिगुणं परम् । अज्ञानाद्द्वेशते पूर्णं

वालिश्याच्छतमेवतु १२१ एतानाहुः कौटसाक्ष्ये प्रोक्तान्दण्डान्
मनीषिभिः । धर्मस्याव्यभिचारार्थमधर्मनियमाय च ॥१२२॥

अर्थ- कामनिमित्त(असत्य गवाही दे ती) "प्रथम साहस दशगुण" [३९-]
और क्रोध से (झूठी गवाही दे ती) "तिगुना उत्तम साहस" [४६॥=] और
अज्ञान से (झूठी गवाही दे ती) सौ पण [१॥-] दण्ड पावे ॥ (हमने पण
को एक पैसा कल्पित करके ये रकम लिखी है परन्तु इसमें कुछ अन्तर है ।
आज कल का सिक्का उस में ठीक नहीं मिलता) ॥ १२१ ॥ सत्यरूप धर्म को
लोप न होने और असत्यरूपी अधर्म को दूर होने के लिये झूठे साक्षी को
ये दण्ड विद्वानों ने कहे हैं ॥ १२२ ॥

कौटसाक्ष्यंतुकुर्वाणांस्त्रीन्वर्णान्धार्मिकीनृपः । प्रवासयेद्दण्डयि-
त्वा ब्राह्मणंतु विवासयेत् ॥१२३॥ दशस्थानानि दण्डस्य मनुः स्वा-
यंभुवोऽब्रवीत् । त्रिषु वर्णेषु यानि स्युरक्षती ब्राह्मणो ब्रजेत् ॥१२४॥

अर्थ- धार्मिक राजा झूठी गवाही देने वाले तीनों वर्णों को दण्ड देकर
देश से बाहर निकाल देवे और ब्राह्मण को (केवल) निकाल दे ॥१२३॥ जो
दण्ड के १० स्थान स्वायंभुव मनु ने कहे हैं, वे क्षत्रियादि तीन वर्णों को
हैं । और ब्राह्मण को बिना छोट के (केवल) निकाल देवे ॥ (मनु ब्रवीत्
से संदेह तो स्पष्ट है कि यह अन्यकृत है) ॥ १२४ ॥

उपस्थमुदरं जिह्वाहस्तौ पादौ च पञ्चमं चक्षुर्नासा च कर्णौ च
धनदेहस्तथैव च ॥ १२५ ॥ अनुबन्धं परिज्ञाय देशकालौ च
तत्त्वतः । साराचराधौ चालोक्य दण्डं दण्डेषु पातयेत् ॥१२६॥

अर्थ- जिह्वा, उदर, जीभ, हाथ, पांचवें पैर और आंख, नाक, कान, धन
और देह (ये १० दण्ड के स्थान हैं) ॥१२५॥ प्रकरण (सिलसिले) को समझ
कर, देशकाल को ठीक २ जान कर और (धन शरीरादि) सामर्थ्य तथा
अपराध को देख कर, दण्ड के योग्यों को दण्ड देवे ॥ १२६ ॥

अधर्मदण्डनं लोके यशो ब्रह्मीर्त्तिनाशनम् । अस्वर्ग्यं च परत्रापि
तस्मात्तत्परिवर्जयेत् ॥१२७॥ अदृष्टान्दण्डयन् राजा दण्ड्यां
श्रैवाप्यदण्डयन् । अयशो महदामोति नरकंचैव गच्छति ॥१२८॥

अर्थ—क्योंकि अधर्म से दण्ड देना लोगों में इस जन्म में यश और (आगे को) कीर्ति का नाश करने वाला है और परलोक में स्वर्ग का अहित करने वाला है। इस कारण उसे न करे (अर्थात् बेइन्साफ़ी से सज़ा न देवे) ॥१२७॥ अदण्डनीयों को दण्ड देता हुआ और दण्डनीयों को छोड़ देने वाला राजा बड़े अपयश को पाता और नरक में भी जाता है ॥ १२८ ॥

वाग्दण्डं प्रथमंकुर्याद्दिग्दण्डं तदनन्तरम् । तृतीयं धनदण्डं तु
बधदण्डमतःपरम् ॥१२९॥ बधेनापि यदा त्वैवाग्निग्रहीतुं न
शक्नुयात् । तदैषु सर्वमप्येतत्प्रयुञ्जीत चतुष्टयम् ॥ १३० ॥

अर्थ—प्रथम वाग्दण्ड देवे (अर्थात् यह कहे कि तूने यह बुरा किया, इस कहने पर न माने तो) दूसरी वार धिक्कार दण्ड देवे। तीसरी वार धनदण्ड (जुर्माना) करे। चौथी वार बधदण्ड= अपराधानुसार) देह-दण्ड देवे ॥१२९॥ यदि देहदण्ड से भी इन को वश में न कर सके तो इन पर वाग्दण्डादि सब चारों दण्ड करे ॥ १३० ॥

लोकसंव्यवहारार्थं याः संज्ञाःप्रथिताभुविताम्ररूप्यसुवर्णानां
ताःप्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ १३१ ॥ जालान्तरगते भानौ यत्सूक्ष्मं
दृश्यते रजः । प्रथमं तत्प्रमाणानां त्रसरेणुं प्रचक्षते ॥१३२॥

अर्थ ताँबा, चाँदी और सोने की जो (पखादि) संज्ञा लोगोंके व्यवहार के लिये पृथिवी में प्रसिद्ध हैं, उन सब को (दण्डप्रकरणोपयोगी होने से) आगे कहता हूँ ॥१३१॥ अकानके रोशनदान में सूर्य की धूप में जो बारीक २ छोटे रज (जरे) दीखते हैं, इस मापे को प्रमाणों में पहिला (परिमाण) “त्रसरेणु” कहते हैं ॥ १३२ ॥

त्रसरेणवोष्टौ विज्ञेया लिक्षैका परिमाणतः । ता राजसर्षप-
स्तिलस्तु त्रयोगौरसर्षपः ॥१३३॥ सर्षपाःषड्यवोमध्यस्त्रियवं
त्वेककृष्णलम् । पञ्चकृष्णलकोमाशस्तेसुवर्णं स्तुषोडश ॥१३४॥

अर्थ—आठ त्रसरेणु की एक “लिखा” और तीन लिखाकी एक “राजसर्षप”= राई और तीन राई का एक “श्वेत मरसों” जानिये ॥१३३॥ और छः सरसों

का एक मकला 'यव' और तीन यव का एक "कृष्णल" और पांच कृष्णल का एक "माप" और सोलह मापों का एक "सुवर्ण" होता है ॥ १३४ ॥

पलं सुवर्णांश्चत्वारः पलानि धरणं दश । द्वे कृष्णले समधृते
विज्ञेयोरौष्यमापकः ॥१३५॥ ते षोडशस्यदुरणं पुराणश्चैव
राजतः । कार्षापणं तु विज्ञेयस्ताम्रिकः कार्षिकः पणः ॥१३६॥

अर्थ-चार सुवर्ण का एक "पल" । दश पल का १ "धरण" । बराबर के दो कृष्णलों को १ "रौष्यमापक" (चांदी का मापक) जाने ॥१३५॥ सोलह मापक का १ "रौष्यधरण" और चांदी का "पुराण" भी होता है । तांबे के कर्ष भर के पण (पैसे) "कार्षापण" को "ताम्रिक, कार्षिक, पण" जाने ॥ १३६ ॥

धरणानिदशज्ञेयःशतमानस्तुराजतः । चतुःसौवर्णिकोनिष्को
विज्ञेयस्तु प्रमाणतः ॥१३७॥ पणानां द्वे शते सार्धे प्रथमःसाहसः
स्मृतः । मध्यमः पञ्च विज्ञेयः सहस्रं त्वेव चोत्तमः ॥ १३८ ॥

अर्थ-दश धरण का १ चांदी का "शतमान"जाने और प्रमाण से चार सुवर्ण को १ "निष्क" जाने ॥ १३७ ॥ दो सौ पञ्चास पणों का "प्रथम साहस" कहा है और पांच सौ पणों का "मध्यमसाहस" तथा १ सहस्र पणों का "उत्तम साहस" जाने ॥ १३८ ॥

ऋणेदेष प्रतिज्ञाते पञ्चकंशतमर्हति । अपहूवे तद्द्विगुणं तन्म-
नोरनुशासनम् ॥१३९॥ वसिष्ठविहितां वृद्धिं सृजेद्वित्तविवर्ध-
नीम् । अशीतिभागं गृह्णीयान्मासाद्धार्युषिकः शते ॥१४०॥

अर्थ-यदि ऋणदार सभा में कहदे कि मुझे महाजन का रुपया देना है तो पांच प्रति सैकड़ा दण्ड योग्य है और नकार करे (परन्तु सभा में फिर प्रमाणित हो) तो दश प्रति सैकड़ा दण्ड देने योग्य है । इस प्रकार (मुक्त) मनु की आज्ञा है ॥ १३९ ॥ धन को बढ़ाने वाली वसिष्ठोक्त वृद्धि (चूद) अरुसीवां भाग सौ पर व्याज खाने वाला मासिक ग्रहण करे (अर्थात् सवा रुपया सैकड़ा व्याज ले ॥ १३९ व १४० में भी नवीनता की झलक तौ है क्योंकि "मनु की आज्ञा" और "वसिष्ठ" का नाम आया है) ॥ १४० ॥

द्विकंशतंवागृह्णीयात्सतां धर्ममनुस्मरन्। द्विकं शतंहि गृह्णामी
न भवत्यर्थकिल्विषी ॥१४१॥ द्विकं त्रिकं चतुष्कं च पञ्चकं च
शतं सप्तम् । मासस्य वृद्धिं गृह्णीयाद्दुर्णानामनुपूर्वशः ॥ १४२ ॥

अर्थ—सप्तपुत्रों के धर्म का स्मरण कर (बड़ों का नाम ले) दो रुपया
सैकड़ा व्याज ग्रहण करे । दो रुपया सैकड़ा व्याज ग्रहण करने वाला उस धन
से पापी नहीं होता ॥१४१॥ ब्राह्मणादि वर्णों से क्रम से दो, तीन, चार और
पांच रुपये सैकड़ा माहवारी व्याज ग्रहण करे ॥ १४२ ॥

नत्वेवाधौसोपकारे कौसीदीं वृद्धिमाप्नुयात् । नचाधेःकालसं-
रोधात्त्रिसर्गीऽन्वितनविक्रयः १४३नभोक्तव्योबलादाधिर्भुञ्जानो
वृद्धिसुत्सृजेत्। मूल्येनतीषयेत्त्रैतमाधिस्तेनोन्यथाभवेत् ॥१४४॥

अर्थ—(भूमि गौ धन आदि) भोगयुक्तपदार्थ बन्धक गिरवी रखे तो पूर्वक
व्याज न ग्रहण करे और बहुत दिन होने पर भी उस के अन्य को दे देने या
बेचने का (धनी को) अधिकार नहीं है ॥१४३॥ आधि (गिरवी की चीज़) को
जबरदस्ती भोग न करे । यदि भोग करे तो व्याज छोड़ देवे या मूल्य से उस
(वस्तुस्वामी) को (उन वस्त्रालङ्कारादि को भोगने से जो घाटा हो गया है,
उस का मूल्य देकर) प्रसन्न करे, नहीं तो बन्धकचोर कहलावे ॥ १४४ ॥

आधिश्चोपनिधिश्चोभौनकालात्थयमर्हतः । अवहार्यौभवेतांतौ
दीर्घकालमवस्थितौ ॥१४५॥संप्रीत्याभुज्यमानानि न नश्यन्ति
कदाचन । धेनुरुष्टीवहन्नश्वायश्च दम्यः प्रयुज्यते ॥ १४६ ॥

अर्थ—आधि=बन्धक (गिरवी) और उपनिधि (अमानत=प्रीतिपूर्वक
उपयोग के लिये दी हुई वस्तु) इन दोनों में काल बीतने से स्वत्व नष्ट नहीं
होता । बहुत दिन की भी रखी को जब स्वामी चाहे तब ले सकता है ॥१४५॥
प्रीतिपूर्वक (अन्यो से) उपभोग किये जाते गाय, ऊँट, घोड़ा, बैल आदि
कामों से लाये जावें तो इन पर का स्वामित्व नहीं जाता रहता ॥ १४६ ॥

यत्किञ्चिद्दशवर्षाणिसन्निधौप्रेक्षतेधनी।भुज्यमानं परैस्तूष्णीं
न स तल्लब्धुमर्हति ॥१४७॥ अजडश्चेदपौगण्डोविषये चास्य
भुज्यते । भग्नं तद्व्यवहारेण भोक्ता तद्द्रव्यमर्हति ॥१४८॥

अर्थ—यदि किसी वस्तु को अन्य लोग दश वर्ष तक चुराते रहें और उस का स्वामी चुपचाप देखता रहे तो फिर वह उसे नहीं पा सकता ॥ १४७ ॥ जो (वस्तुस्वामी) पागल न हो और न पीगण्ड (बालक) हो और उसी के सामने वस्तु को परपुरुष भोगता रहे, तो अदालत से उस का अधिकार नहीं रहता किन्तु भोक्ता ही उस को पाने योग्य है ॥ १४८ ॥

आधिःसीमा बालधनं निक्षेपोपनिधी स्त्रियः। राजस्वं श्रोत्रियस्वं च न भोगेन प्रणश्यति १४९ यः स्वामीनाऽननुज्ञातमाधिभुङ्क्ते विचक्षणः। तेनार्धवृद्धिर्भोक्तव्या तस्य भोगस्य निष्कृतिः १५०

अर्थ—बन्धक (गिरवी), सीमा, बालधन, धरोहर, प्रीतिपूर्वक भोगार्थ दिया धन, स्त्री और राजा का धन तथा श्रोत्रिय का धन, इनको (दश वर्ष) भोगने से भी भोग करने वाला नहीं पा सकता । इससे आगे १ पुस्तक में एक श्लोक अधिक है ॥ १४९ ॥ जो बालक मनुष्य आधि (गिरवी) को बिना स्वामी के कहे भोगता है, उसे उस भोग के बदले आधा सूद लेना चाहिये ॥ १५० ॥

कुसीदवृद्धिद्वैगुण्यं नात्येति सकृदाहता । धान्ये सदेतवे श्राहो नातिक्रामति पञ्चताम् ॥ १५१ ॥ कृतानुसारादधिका व्यतिरिक्ता न सिद्ध्यति । कुसीदपथमाहुस्तं पञ्चकं शतमर्हति ॥ १५२ ॥

अर्थ—(रूपयों का) सूद एक वार लेने पर मूल धन से दूने से अधिक नहीं हो सकता और धान्य, वृक्ष के मूल और फल, ज्वन और वाहन, पांच गुने से अधिक नहीं हो सकते ॥ १५१ ॥ ठहराये से अधिक व्याज शास्त्र के विपरीत नहीं मिल सकता । व्याज का मार्ग इसी को कहा है कि (अधिक से अधिक) पांच रूपये सैकड़ा लिया जा सकता है ॥ १५२ ॥

नातिसांवत्सरीवृद्धी न चादृष्टां पुनर्हरेत् । चक्रवृद्धिः कालवृद्धिः कारिताकायिका च या ॥ १५३ ॥ ऋणां दातुमशक्तीयः कर्तुमिच्छेत् पुनः क्रियाम् । सदत्वा निर्जितावृद्धिं कर्षणां परिवर्तयेत् ॥ १५४ ॥

अर्थ—एक वर्ष हो जाने पर (जो माहवारी सूद ठहरा हो, ग्रहण करले) अधिक समय न बढ़ावे, और सूद पर सूद और माहवारी सूद और सूद के दबाव से ऋण कराके उस पर सूद और शरीर से कोई काम सूदमें न ले ॥ १५३ ॥

जो ऋण देने को असमर्थ है और फिर से हिस्ताब करता चाहे, वह चढ़ा हुआ सूद, देकर दूसरा करण (काणज=तमस्तुक) बदल देवे ॥१५४॥

अदृशयित्वा तत्रैव हिरण्यं परिवर्तयेत्। यावती संभवेद्बृद्धि-
स्तावती दातुमर्हति ॥१५५॥ चक्रवृद्धिं समाह्वोदेशकालव्यव-
स्थितः । अतिक्रामन्देशकालौ न तत्फलमवाप्नुयात् ॥१५६॥

अर्थ—यदि सूद भी न दे सके तो सूद के धन को मूल में जोड़ देवे और फिर जितनी सख्या व्याज सहित हो उतनी देने योग्य है ॥१५५॥ चक्रवृद्धि का आश्रय करने वाला महाजन देश काल से नियमित हुआ ही फल पावे, किन्तु नियत देश वा काल को उल्लङ्घित करने वाले फल को नहीं प्राप्त हो, (मियाद गुजरने पर हकदार न रहे) ॥ १५६ ॥

समुद्रयानकुशला देशकालार्थदर्शिनः। स्थापयन्ति तु यां वृद्धिं
सा तत्राधिगमं प्रति ॥ १५७॥ यो यस्य प्रतिभूस्तिष्ठेद्दर्शनायेह
मानवः । अदृशयन् स तं तस्य प्रयच्छेत्स्वधनादृणम् ॥१५८॥

अर्थ—समुद्रपथ के यान में कुशल और देश काल अर्थ के जानने वाले (अर्थात् इतनी दूर, इतने दिन तक, इस काम के करने में, यह लाभ होता है, इसको जानने वाले महाजन) जिस वृद्धि का स्थापन करते हैं, वही उसमें प्रमाण है ॥१५७॥ जो मनुष्य जिसका हाजिर करने के लिये प्रतिभू (जासिन) हो, वह उस को सामने न करे तो अपने पास से उस का ऋण दे ॥ १५८ ॥

प्रातिभाष्यं वृथादानमाक्षिकं सौरिकंचयत्। दण्डशुल्कावशेष
च न पुत्रीदातुमर्हति ॥१५९॥ दर्शनप्रातिभाष्ये तु विधिः स्यात्
पूर्वचोदितः । दानप्रतिभुविप्रेते दायादानपि दापयेत् ॥१६०॥

अर्थ—प्रतिभू होने (जमानत) का धन और वृथा दान तथा जुवे का रुपया मद्य का रुपया और दण्ड शुल्क का शेष, (ये सब पिता के मरने पर उसके बदले) पुत्र देने योग्य नहीं है ॥१५९॥ सामने कर देने के प्रातिभाष्य (जमानत) में ही पूर्वोक्त विधि है (अर्थात् पिता की जमानत पिता ही देवे) और धन देने का प्रतिभू (जासिन) नर जावे तो उस के वारिसों से भी दिलावे ॥ १६० ॥

अदात्तरि पुनर्दाताविज्ञातप्रकृतावृणम्। पश्चात्प्रतिभुविप्रैते
परीक्षितकेनहेतुना ॥१६१॥ निरादिष्टधनश्चेत्प्रतिभूः स्याद-
लंधनः । स्वधनादेव तद्दद्यान्निरादिष्ट इति स्थितिः ॥१६२॥

अर्थ—अदाता प्रतिभू (जिस ने देने की जमानत न की हो किन्तु अधमर्ण
को सामने कर देना मात्र स्वीकार किया हो । जिस की प्रतिज्ञा दाता ने
जान भी रखी है (कि वह देने का प्रतिभू नहीं बना था) उस के मर जाने
पश्चात् (उस के पुत्रादि दायादों से) दाता अधना ऋण किस हेतु से पाना
चाहे ? (किसी से भी नहीं) ॥१६१॥ यदि [प्रतिभू] (जामिन) को अधमर्ण
रुपया सौंप गया हो इमलिये प्रतिभू के पास वह रुपया हो, पर अधमर्ण ने
आज्ञा न दी हो [कि तुम उत्तमर्ण को दे देना, तौ वह] निरादिष्ट प्रतिभू
(जामिन) अपने पास से अवश्य उत्तमर्ण का ऋण देवे । यह निर्णय है ॥१६२॥
मत्तान्मत्तार्त्ताध्यधीनैर्बालेनस्थविरेणवा । असंबद्धकृतश्चैव
व्यवहारो न सिद्ध्यति ॥१६३॥ सत्यान भाषाभवतियद्यपि स्यात्
प्रतिष्ठिता ॥ बहिश्चेद्भाष्यते धर्मान्नियताद्वयावहारिकात् ॥१६४॥

अर्थ—मत्त, उन्मत्त, अर्त्त, परतन्त्र, बाल और बूढ़ों का तथा पूर्वापर बिरुद्ध
किया हुवा व्यवहार सिद्ध नहीं होता ॥१६३॥ आपस की भाषा (शत वा इक-
रार) चाहे लिखा पढ़ी से वा जबानी ठहरी भी हो ती भी यदि धर्म (कानून)
या परस्पर के रिवाज के बिरुद्ध ठहरी हो तौ सच्ची नहीं मानी जाती ॥१६४॥

योगाधमनविक्रीतयोगदानप्रतिग्रहम्। यत्रवाप्युपधिंपश्ये-
त्तत्सर्वं विनिवर्तयेत् ॥१६५॥ ग्रहीतायदिनष्टः स्यात्कुटुम्बार्थं
कृतो व्ययः । दातव्यं बान्धवैस्तत्स्यात्प्रतिभक्तैरपि स्वतः ॥१६६॥

अ—उल से किये हुवे बन्धक (गिरवी), विक्रय, दान, प्रतिग्रह और
निक्षेप=धरोहर भी लौटा देवे ॥१६५॥ कुटुम्ब के लिये ऋण लेकर व्यय करने
वाला यदि मरजावे तौ उस के बान्धव विभाग किये हुवे वा न विभाग
किये हुवे हौं अपने धन में से उस के बदले ऋण देवे ॥ १६६ ॥

कुटुम्बार्थं व्यधीनोपिव्यवहारयमचारेत्स्वदेशे वा विदेशे वा
तं ज्यायान्नविचालयेत् ॥१६७॥ बलाद्दत्तबलाद्बलाद्दत्तव्यापि
लेखितम् । सर्वान्वलकृतानर्थान्कृतान्मनुरब्रवीत् ॥ १६८ ॥

अर्थ—जो कोई अधीन (पुत्रादि) भी कुटुम्ब के लिए स्वदेश वा विदेश में कुछ व्यवहार=लेन देन करले तो उस का बड़ा (अधिष्ठाता) उसे विचलित न करे (कबूल ही करे) ॥ १६७ ॥ बलात्कार से दिया, बलात्कार से भोग किया और बलात्कार से जो कुछ लिखाया तथा बलात्कार से कराये सब काम नहीं किये के समान (सुक) मनु ने कहे हैं ॥ १६८ ॥

त्रयःपरार्थेऽक्रियन्ति साक्षिणः प्रतिभूः कुलम् चत्वारस्तूपची-
यन्ते विप्र आढ्यो वणिङ् नृपः ॥ १६९ ॥ अनादेयं नाददीत परिक्षी-
णोऽपि पार्थिवः न चादेयं समृद्धोऽपि सूक्ष्ममप्यर्थमुत्सृजेत् ॥ १७० ॥

अर्थ—तीन दूसरे के लिये क्लेश पाते हैं साक्षी, प्रतिभू तथा कुल। और चार दूसरे के कारण बढ़ते हैं ब्राह्मण, धनी, वनिया और राजा ॥ १६९ ॥ क्षीण धन वाला भी राजा लेने के अयोग्य धन को न ग्रहण करे और समृद्ध भी (राजा) उचित थोड़े धन को भी न छोड़े ॥ १७० ॥

अनादेयस्य चादानादादेयस्य च वर्जनात् दौर्बल्यं ख्याप्यते
राज्ञः स प्रेत्येह च नश्यति ॥ १७१ ॥ स्वादानाद्दुर्णसंसर्गात्त्वबलानां
च रक्षणात् । बलं संजायते राज्ञः स प्रेत्येह च वर्धते ॥ १७२ ॥

अर्थ—अग्राह्य के ग्रहण तथा ग्राह्य के त्याग से राजा की दुर्बलता (हील) प्रसिद्ध हो जाती है। इस कारण वह इस लोक और परलोक में नष्ट होता है ॥ १७१ ॥ (न्यायोचित) धन के ग्रहण करने और वशों के नियम में रखने और निर्बलों के संरक्षण से राजा की बल होता है। इस से वह (राजा) इस लोक तथा परलोक में बृद्धि पाता है ॥ १७२ ॥

तस्माद्यमद्वेषस्वामी स्वयंहित्वा प्रिया प्रिये वर्तत याम्यथा वृत्त्या
जितक्रोधो जितेन्द्रियः ॥ १७३ ॥ यस्त्वधर्मैर्णकार्याणि मोहात्कुर्यान्न
राधिपः अचिरात्तदुरात्मानं वशे कुर्वन्ति शत्रवः ॥ १७४ ॥

अर्थ—इस लिये यमराज के तुल्य राजा जितक्रोध और जितेन्द्रिय होकर अपने प्रिय अप्रिय को छोड़कर यमराज (न्यायी ईश्वर) के सी (सब में सम) वृत्ति से वर्तते ॥ १७३ ॥ जो राजा अज्ञानवश अधर्म से व्यावहारिक कार्य करता है, उस दुष्टात्मा को थोड़े ही दिनों में शत्रु वश में कर लेते हैं ॥ १७४ ॥

कामक्रोधौ तु संयम्य योऽर्थान् धर्मेण वश्यति । प्रजास्तमनु-
वर्तन्ते समुद्रमिव सिन्धवः ॥१७५॥ साधयन्तं छन्देन वेदयेद्दुनिकं
नृपे । स राज्ञा तच्चतुर्भागं दाप्यस्तस्य च तद्वनम् ॥ १७६ ॥

अर्थ-जो (राजा) काम क्रोधों को छोड़ कर धर्म के कार्यों को देखता है, प्रजा उसके अनुकूल रहती है, जैसे समुद्र के नदियाँ ॥१७५॥ जो अधमर्ण स्वतन्त्रता से अपना रूपया वसूल करते हुवे उत्तमर्ण की राजा से सूचना (शिकायत) करे, उस अधमर्ण से राजा वह रूपया और उसका चतुर्थांश दसह अधिक दिलावे ॥१७६॥

कर्मणापि समं कुर्याद्दुनिकायाधमर्णिकः । समो वकृष्टजातिस्तु
दद्याच्छूरेयांस्तुतच्छनैः ॥१७७॥ अनेन विधिनाराजा मिथो विव-
दत्तां नृणाम् साक्षिप्रत्ययसिद्धानि कार्याणि समतां नयेत् ॥१७८॥

अर्थ-समान जाति वा हीन जाति (करजदार, महाजन का रूपया न देसके तौ) काम कस्के पूरा कर देवे और उत्तम जाति धीरे २ रूपया दे देवे ॥१७७॥ राजा परस्पर झगड़ा करने वाले मनुष्यों के मुकद्दमे कागज आदि और गवाहों से ऐसे बराबर न्याय को प्राप्त करे ॥ १७८ ॥

कुलजे वृत्तसंपन्ने धर्मज्ञे सत्यवादिनि । महापक्षे धनिन्यार्ये
निक्षेपं निक्षिपेद्बुधः ॥१७९॥ अथथा निक्षिपेद्बुधस्ते यमर्थं यस्य
मानवः । स तथैव ग्रहीतव्यो यथा दायस्तथाग्रहः ॥ १८० ॥

अर्थ-सत्कुल में उत्पन्न हुवे, सदाचारी, धर्मात्मा, सत्यभाषण करनेवाले, बड़े पक्ष वाले, धनवान्, आर्य के पास बुद्धिमान् पुरुष धरोहर रखे ॥१७९॥ जो मनुष्य जिस प्रकार जिस द्रव्य को जिस के हाथ रखे, उस को उसी प्रकार ग्रहण करना योग्य है । जैसा देना, वैसा लेना, ॥ १८० ॥

यो निक्षेपं वाच्यमानो निक्षेप्तुर्न प्रयच्छति । स याच्यः प्राड्वि-
वाकेन तन्निक्षेप्तुरसन्निधौ ॥१८१॥ साह्यऽभावे प्रणिधिभिर्वयो-
रूपसमन्वितैः । अपदेशैश्च संन्यस्य हिरण्यं तस्य तत्त्वतः ॥१८२॥

अर्थ-जो धरोहर रखने वाले की धरोहर सांगने पर नहीं देता, उस से न्यायकर्ता राजपुरुष धरोहर रखने वाले के पीछे (सामने नहीं) सांगे ॥१८१॥

यदि धरोहर रखने वाले का कोई साक्षी न हो तो राजा अपने नौकरों से जो कि अवस्था और स्वरूप से भले मानुष अतीत हों, उनके हाथ बहाने बनवा कर (कि हमारे धन की धरोहर रख लीजिये, हमारे यहाँ इस की रक्षा नहीं हो सकती इत्यादि) अपना धन उस धरोहर न देने वाले के यहाँ रखवावे जैसे कि ठीक २ धरोहर रखी जाती हैं ॥ १८२ ॥

सद्यदिप्रतिपद्येत यथान्यस्तयथाकृतम् । न तत्र त्रिविधे किञ्चि-
द्यत्परैरभियुज्यते ॥१८३॥ तेषां न दद्याद्यदि तु तद्द्विरण्यं यथा-
विधि । उभौनिगृह्य द्वाप्यः स्यादिति धर्मस्य धारणा ॥१८४॥

अर्थ-यदि वह (राजा का भेजा हुआ पुरुष ज्यों का त्यों अपनी धरोहर मांगने से पा जावे तो राजा जान ले कि और लोगों ने जो धरोहर न देने की नालिश (अभियोग) की है, उन का उस पर कुछ नहीं चाहिये ॥१८३॥ और यदि उन (राजपुरुषों) का यथाविधि धरोहर न देवे तो राजा पकड़वा कर उस से दोनों को दिलावे (अर्थात् पहिली भी नालिश सब समझे) यह धर्म का निर्णय है ॥ १८४ ॥

निक्षेपोपनिधी नित्यं न देयौप्रत्यनन्तरे। नश्यतो विनिपातिता-
वनिपाते त्वनाशिनौ ॥१८५॥ स्वयमेव तु यो दद्यान्मृतस्य प्रत्यन-
न्तरे । न स राज्ञा नियोक्तव्यो न निक्षेप्तुश्च बन्धुभिः ॥१८६॥

अर्थ-धरोहर और मँगनी धरने और देने वाले के वारिसों को न दे और यदि धरने वाला और मँगनी देने वाला विना अपने वारिसों को कहे मर जावे तो वे धरोहर और मँगनी नष्ट हो जाती है, परन्तु जीवते हुवे अविनाशी हैं ॥१८५॥ जो स्वयं ही मरे हुवे के वारिसों को रखने वाला उस का धरोहर या मँगनी का धन दे देवे तो राजा और धरोहर वाले वारिसों को कुछ रोक टोक (सदाखत) करनी योग्य नहीं है ॥ १८६ ॥

अच्छलेनैव चान्विच्छेत्तमर्थं प्रीतिपूर्वकम् । विचार्य तस्य वा-
वृत्तं साम्नैव परिसाधयेत् ॥१८७॥ निक्षेपेष्वेषु सर्वेषु विधिः स्यात्त्व-
रिसाधने । समुद्रेनाप्युयात्किञ्चिद्यदि तस्मान्न संहरेत् ॥१८८॥

अर्थ—यदि उस के पास द्रव्य हो तो छल रहित प्रीतिपूर्वक ही लेना चाहे वा इस का घृतान्त समझ कर सीधेपन से ही उस से प्राप्त (बरामद) करे ॥१८९॥ इन सब धरोहरों में सही करने की यह विधि है । और (सुहर) चिन्हसहित दिये हुवे में यदि कुछ सुहर (चिन्ह) को हरण न करे तो कुछ शङ्का नहीं पाई जाती ॥ १८८ ॥

चौरैर्हतं जलेनोढमग्निना दग्धमेव वा । न दद्याद्यदि तस्मात्स
न संहरति किञ्चन ॥ १८९ ॥ निक्षेपस्यापहर्तारमऽनिक्षेपार-
मेव च । सर्वैरुपायैरऽन्विच्छेच्छुपथैश्चैव वैदिकैः ॥ १९० ॥

अर्थ—जो चोरों ने चुराया और जो पानी में डूब गया तथा आग में जल गया, वह द्रव्य धरने वाला न देवे, यदि उस में उस ने स्वयं कुछ नहीं लिया है तो ॥१८९॥ धरोहर के हरण करने वाले और धर हर विना रखे मांगने वाले को राजा सम्पूर्ण (सामादि) उपायों और वैदिक उपथों (हलकों) से पता लगाने का उद्योग करे ॥ १९० ॥

योनिक्षेपनार्पयति यश्चानिक्षिप्ययाचते । तावुभौचौरवच्छा-
स्यौ दाप्यौ वा तत्समं दमम् ॥१९१॥ निक्षेपस्यापहर्तारं तत्समं
दापयेद्दमम् । तथोपनिधिहर्तारमविशेषेण पार्थिवः ॥१९२॥

अर्थ—जो धरोहर नहीं देता और जो विना रखे जाल करता है वे दोनों चोर के समान दण्ड देने योग्य हैं वा उस धन के समान जुमाना देने योग्य हैं ॥ १९१ ॥ धरोहर (अज्ञानत) हरण करने वाले को राजा उसी के समान दण्ड देवे तथा पूर्वोक्त उपनिधि के हरण करने वाले को भी यह दण्ड देवे ॥१९२॥

उपधाभिश्चयःकश्चित्परद्रव्यं हरेत्क्षरः । ससहायः स हन्तव्यः
प्रकाशांविधिर्धैः ॥१९३॥ निक्षेपोयः कृतो येन यावांश्चकुल
सन्निधौ । तावानेव स विज्ञेयीविब्रुवन्दएडमर्हति ॥ १९४ ॥

अर्थ—(“तुम धर राजा अपस्तब्ध है, उससे हम तुमको बघाते हैं, हम को धन दो” इत्यादि घोखा वा दवाब) उपधा देकर दूसरे का धन जो कोई लेता है वह सहायकों सहित जाना प्रकार की ताड़ना देकर प्रत्यक्ष मारने योग्य है ॥ १९३ ॥ जो सुवर्णोदि जितना जितने साक्षियों के सरसने धरोहर रक्खा ही

उस में (तौल का बखेड़ा होने पर) साक्षी जितना कहे, उतना ही जानना चाहिये (उस में) तकरार करने वाला दण्ड पाने योग्य है ॥ १९४ ॥

मिथोदायःकृतोथेन गृहीतोमिथएव वा । मिथएव प्रदातव्यो
यथादायस्तथा ग्रहः॥१९५॥निक्षिप्तस्यधनस्यैवं प्रीत्योपनिहि-
तस्य च । राजा विनिर्णयं कुर्यादक्षिण्वन्न्यासधारिणम्॥१९६॥

अर्थ—जिस ने एकान्त में धरोहर रक्खी और लेने वाले ने भी एकान्त में ली हो, वह एकान्त ही में देने योग्य है । जैसे लेवे वैसे देवे ॥१९५॥ धरो-
हर का धन और प्रीति से उपभोग के लिये रक्खे धन का राजा धरोहर-
धारी को पीड़ा न देता हुआ ऐसे निर्णय करे ॥ १९६ ॥

विक्रीणीते परस्य स्वयं योऽस्वामीस्वाम्यसंमतः । न तं नयेत सा-
क्ष्यंतु स्तेनमस्तेनमानिनम् ॥१९७॥ अयहार्योभवेच्चैव सान्वयः
षट्शतं दमम् । निरन्वयोऽनपसरः प्राप्तः स्याच्चौरकिल्बिषम् ॥१९८॥

अर्थ—दूसरे की वस्तु जिसने बिना स्वामी की आज्ञा के बेची हो, अपने
को साहु मानने वाले उस चोर की साक्षी न करे ॥ १९७ ॥ दूसरे की वस्तु
का बेचने वाला यदि धनस्वामी के वंश में हो तो उसे छः सौ पण दण्ड दे
और यदि सम्बन्धी न हो तथा बेचने को प्रतिनिधि (सुहृद्धार) न हो तो
चोर के समान अपराधी है ॥ १९८ ॥

अस्वामिना कृतोयस्तु दायोविक्रयएव वा ।

अकृतः स तु विज्ञेयोव्यवहारे यथा स्थितिः ॥ १९९ ॥

अर्थ—बिना स्वामी जा दिया तथा बेचा, वह सब व्यवहार की जैसी
सर्थादा है तदनुसार दिया वा बेचा नहीं समझा जावे ॥

(१९९ से आगे १३ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक है:—

[अनेन विधिना शास्ता कुर्वन्नस्वामिविक्रयम् ।

अज्ञानाज्ज्ञानपूर्वं तु चौरवदृण्डमर्हति] ॥

उक्त विधि से राजा अस्वामिविक्रयकर्ता को शासन करे यदि बिना
जाने किसी ने अस्वामिविक्रय किया हो, परन्तु जान बूझ कर करने वाला
चोर के तुल्य दण्ड योग्य है ॥१९९॥ में "दायोविक्रयएववा=क्रयोविक्रयएववा
१ पाठभेद भी चार पुस्तकों में देखा जाता है) ॥ १९९ ॥

संभोगोद्भूयते यत्र न दृश्येतागमः क्वचित् ।

आगमः कारणं तत्र न संभोग इति स्थितिः ॥२००॥

अर्थ-जिस वस्तु का संभोग तो देखा जाता हो और क्रयादि आगम नहीं, वहाँ आगम प्रमाण है, संभोग नहीं। यह शास्त्र की मर्यादा है (अर्थात् जिस ने जिस वस्तु को खरीदने आदि के उचित [जाइज़] द्वार से नहीं पाया, केवल भोग रद्दा है, उसमें खरीदने आदि से प्राप्त करने वाला ठीक सुरक्षा जायगा। भोक्ता नहीं) ॥ २०० ॥

विक्रयाद्योधनं किञ्चिद् गृह्णीयात्कुलसन्निधौ। क्रयेण स विशुद्धं
हि न्यायतोलभते धनम् ॥२०१॥ अथ मूलभनाहार्यं प्रकाशक्रय-

शोधितः। अदण्ड्यो मुच्यते राज्ञा नाष्टिकोलभते धनम् ॥२०२॥

अर्थ-जो कुल के सामने बेचने से खरीद कर कुछ धन ग्रहण करे, वह खरीदारी को सिद्ध करके राजा के न्याय से उस धन को पाता है ॥२०१॥ बिना स्वामी बेचने वाले से प्रत्यक्ष खरीद करने वाला शुद्ध पुरुष यदि बेचने वाले को न भी ला सके तो भी राजा का अदण्ड्य है। परन्तु नष्ट धन का स्वामी उस धन को (खरीदने वाले से) पाता है ॥ २०२ ॥

नान्यदन्येन संसृष्ट रूपं विक्रयमर्हति ।

न चासारं न च न्यूनं न दूरेण तिरोहितम् ॥ २०३ ॥

“अन्यां चैदृशयित्वाऽन्यवोदुः कन्या प्रदीयते ।

उभे ते एकशुक्लेन वहैदित्यब्रवीन्मनुः ॥ २०४ ॥

अर्थ-एक बात दूसरी के रूप में मिलती हो तो भी उसको उसके धोके से बेचना योग्य नहीं है और न सड़ी हुई, न तोल में कम और न बिना दिखाये ढकी को बेचना योग्य है ॥२०३॥ “ठहराव में किसी और कन्याको दिखलावे और विवाह समय वर को अन्य कन्या देदे तो वे दोनों कन्याएँ एक ही ठहरावे मूल्य पर विवाह ले, ऐसा मनु ने कहा था (मनु ने कन्या विक्रय वर्जित किया है, इस लिये भी यह वचन मनु का नहीं माना जा सकता) ॥२०४॥

नोन्मत्ताया न कुष्ठिन्या न च या स्पृष्टमैथुना। पूर्वं दोषानभि-
स्थाप्य प्रदातादण्डमर्हति ॥२०५॥ ऋत्विभ्यदिवृत्तोयज्ञो स्वकर्म
परिहापयेत्। तस्य कर्मानुरूपेण देयोऽशः सह कर्तृभिः ॥२०६॥

अर्थ—पगली, कोढ़िन और योनिबिद्धा कन्या के दोषों को प्रथम नवता कर कन्या का दाता दण्ड के योग्य है ॥ २०५ ॥ यज्ञ में वरण किया हुआ ऋत्विक् (बीनारी आदि से) कुछ कर्म करके छोड़ दे तो उस को काम किये के अनुसार कर्त्ताओं के साथ दक्षिणा का अंश देना योग्य है ॥ २०६ ॥

दक्षिणासुचदत्तासुस्वकर्मपरिहापयन् । कृत्स्नमेव लभेतांश-
मन्येनैव च कारयेत् ॥२०७॥ यस्मिन् कर्मणि यास्तु श्युरुक्ताः
प्रत्यङ्गदक्षिणाः स एवता आदहीत भजरेन्सर्व एव वा ॥ २०८ ॥

अर्थ—दक्षिणा दे देने पर (याजक व्याधि आदि से पीड़ित होने के कारण अपने कर्म को समाप्त न करे तो सम्पूर्ण दक्षिणा पावे और शेष कर्म को दूसरे से करा देवे ॥ २०७ ॥ जिस कर्म में जो प्रत्यङ्ग दक्षिणा कहीं हैं, उन को वही दण्ड कर्म का कर्त्ता लेवे, अथवा बांट कर ग्रहण करले ॥ २०८ ॥

रथं हरेत्वाध्वर्युर्ब्रह्माधाने च वाजिनमूहोता वापि हरेदश्व-
मुद्गाता चाप्यनः क्रये ॥२०९॥ सर्वेषामर्धिनो मुख्या रतथार्धेना-
र्धिनोऽपरे । तृतीयिनस्तृतीयांशाश्चतुर्थींशाश्चपादिनः ॥२१०॥

अर्थ—आधान में रथ को अध्वर्यु ग्रहण करे और ब्रह्मा अश्व को और होता भी अश्व को और उद्गाता सोलह धारण करने के लिये एकट (गाड़ी) को ग्रहण करे ॥ २०९ ॥ संपूर्ण में दक्षिणा का आधा-भाग लेने वाले (चार) मुख्य ऋत्विज् होते हैं और उस से आधी दक्षिणा ग्रहण करने वाले दूसरे (चार) ऋत्विज् होते हैं । ऐसे ही तीसरे भाग को ग्रहण करने वाले (चार) और चतुर्थ को ग्रहण करने वाले (चार, ऐसे सोलह ऋत्विक् होते हैं) ॥ २१० ॥

संभूय स्वानि कर्माणि कुर्वद्भिरिह मानवैः । अनेन विधियो-
गेन कर्त्तव्यांशप्रकल्पना ॥२११॥ धर्मार्थेन दत्तं स्यात्कस्मैचि-
द्वाचक्षते धनमपश्याच्च न तथा तत्स्यान्न देयं तस्य तद्भवेत् ॥२१२॥

अर्थ—मिलकर काम करने वाले मनुष्यों को यहां इस विधि से बांट करना योग्य है ॥ २११ ॥ जिस ने किसी मांगने वाले को धर्मार्थे जो धन दे दिया, फिर वह उस का दुबारा दान नहीं कर सकता क्योंकि वह दिया हुआ धन उस का नहीं रहता ॥ २१२ ॥

यदिसंसाधयेत्तत्तुदर्पाहोभिर्नवापुनः। राज्ञादाप्यः सुवर्णं स्या-
त्तस्यस्तेयस्य निष्कृतिः ॥२१३॥ दत्तस्यैषोदिताधर्म्याथथाव-
दनपक्रिया। अतजर्ध्वं प्रवक्ष्यामि वेतनस्थानपक्रियाम् ॥२१४॥

अर्थ—यदि दान किये हुवे धन को लोभ से वा अहङ्कार से छीने तौ राजा उस चीरी की निष्कृति को "सुवर्ण" का दण्ड दे ॥२१३॥ यह दिये हुवे के उलट फेर करने का ठीक २ घमानुकूल निर्णय कहा। इस के उपरान्त वेतन (तन्खाह) न देने का निर्णय करता हूँ ॥ २१४ ॥

भृतीनात्तीन कुर्याद्योदर्पात्कर्म यथोदितम्। स इण्ड्यः कृष्णला-
न्यष्टौ न देयं चास्यवेतनम् ॥२१५॥ अतस्तुकुर्यात्स्वस्थः सन्यथा-
भाषितमादितः। स दीर्घस्यापिकालस्य तल्लभतैववेतनम् ॥२१६॥

अर्थ—जो नौकर बिना बीमारी के अहङ्कार से कहे हुवे काम को न करे, वह आठ "कृष्णल" दण्ड के योग्य है। और वेतन भी उस को न देवे ॥२१५॥ यदि व्याध्यादि पीड़ारहित नौकर जैसा काम कहा वैसा ठीक ठीक करता रहे तौ बीमार होने पर बहुत दिन का भी वेतन पावे ॥२१६॥

यथोक्तमार्तः सुस्थोवा यस्तत्कर्म न कारयेत्। न तस्य वेतनं देय-
मल्पोनस्यापि कर्मणः ॥२१७॥ एषधर्मोऽखिलेनोक्तो वेतनाऽदान
कर्मणः। अतजर्ध्वं प्रवक्ष्यामि धर्मं समयभेदिनाम् ॥ २१८ ॥

अर्थ— जो काम जैसा ठहरा हो वैसा स्वयं बीमार हो और दूसरे से भी न करावे या स्वस्थ (तन्दुरुस्त) हुवा आप न करे तौ उस के छोड़े ही काम शेष रहने पर भी सब काम का वेतन न देना चाहिये ॥२१७॥ वेतन के न देने का यह सम्पूर्ण धर्म कहा, अब इस के आगे प्रतिज्ञाभेदियों का धर्म कहता हूँ— ॥२१८॥

योग्राभदेशसंघानां कृत्वा सत्येनसंविदम्। विसंवदेन्नरोलोभा-
त्तराष्ट्राद्विप्रवासयेत् ॥२१९॥ निगृह्यदापयेन्नैनं समयव्यभि-
चारिणम्। चतुःसुवर्णान्घणिनष्काञ्छतमानं च राजतम् ॥२२०॥

अर्थ—जो मनुष्य ग्राम वा देश के समूहों का सत्य से समय (इकरार, प्रतिष्ठा, ठेका वा पहा) करके लोभ के कारण उस को छोड़ देवे तौ उस को राजा राज्य से निकाल दे ॥२१९॥ और उक्त समयव्यभिचारी को पकड़वा कर राजा चार सुवर्ण और छः निष्क और १ चांदी का शतमान दण्ड दे ॥२२०॥

एतद्दण्डविधिं कुर्याद्दामिकः पृथिवीपतिः । ग्रामजातिसमूहेषु
समयव्यभिचारिणाम् २२१ क्रीत्वा विक्रीय वा किञ्चिद्यस्येहा-
नुशयोभवेत् । सोऽन्तर्दशाहात्तद्दण्डं दद्यात् । अत्रैवाद्दीत चा ॥२२२॥

अर्थ-धार्मिक राजा ग्राम और जाति के समूहों में प्रतिज्ञा के व्यभिचार करने वालों को ऐसे दण्ड देवे ॥२२१॥ कोई द्रव्य खरीद कर वा बेच कर दश दिन के बीच में पसन्द न हो तो वापिस करदे और ले सकता है ॥२२२॥

परेण तु दशाहस्य न दद्यान्नापि दापयेत् । आददानोददञ्चैव
राज्ञादण्डः शतानिषट् ॥२२३॥ यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्याय
प्रयच्छति । तस्य कुर्यान्नपोदण्डं स्वयं पणत्रतिं पणान् ॥२२३॥

अर्थ-दश दिन के ऊपर न देवे न दिलावे, नहीं तो देने और लेने वाले दोनों राजा से ६०० पण के दण्ड योग्य हैं । (२२३ से आगे दो पुस्तकों में ३ श्लोक तथा एक पुस्तक में पहला एक ही श्लोक अधिक है । परन्तु कुछ विशेष प्रयोजनीय नहीं होने से हमने उद्धृत नहीं किये) ॥२२३॥ जो दोष वाली कन्या का विना कहे विवाह करता है, उस पर राजा आप ९६ पण दण्ड करे ॥२२४॥

अकन्येतितु यः कन्यां ब्रूयाद्द्वेषेण मानवः । स शतं प्राप्नुयाद्दण्डं
तस्यादोषमदर्शयन् ॥२२५॥ पाणिग्रहणिकामन्त्राः कन्यास्वेत्र
प्रतिष्ठिताः । ना कन्यासुकचिन्तूणां लुप्तधर्मक्रिया हि ताः ॥२२६॥

अर्थ-जो मनुष्य द्वेष से कन्या को अकन्या (दुष्टा) कहे, वह सौ पण दण्ड पावे, यदि उस के कन्यात्वभङ्ग के दोष को न सिद्ध करे ॥२२५॥ क्योंकि मनुष्यों के पाणिग्रहण सम्बन्धी वैदिक मन्त्र कन्या के ही विषय में कहे हैं, अकन्या के विषय में कहीं नहीं । क्योंकि विवाह के पूर्व दूषित कन्याओं की धर्मक्रिया लुप्त हो जाती है ॥ २२६ ॥

पाणिग्रहणिकामन्त्रा नियतदारलक्षणमृतेषां निष्ठातुविज्ञेया
विद्वद्धिः सप्तमे पदे ॥२२७॥ यस्मिन् यस्मिन्कृते कार्ये यस्येहानु-
शयोभवेत् । तमनेन विधानेन धर्मं पथि निवेशयेत् ॥ २२८ ॥

अर्थ-पाणिग्रहण के मन्त्र निश्चयदार (स्त्री) हो जाने के लक्षण हैं । उन मन्त्रों की समाप्ति सप्तपदी के ७वें पद में विद्वानों को जाननी चाहिये

॥ २२७ ॥ जिस जिस किये काम में पीले पसन्द न हो उस को राजा इस (उक्त) विधि से धर्मनगर में स्थापन करे ॥ २२८ ॥

पशुषु स्वामिनां चैव पालानां च व्यतिक्रमे । विवादं संप्रवक्ष्यामि यथावदुर्मतत्त्वतः २२९ दिवा वक्तव्यता पाले रात्रौ स्वामिनि तद्गृहे । योगक्षेमेऽन्यथा चेत्तु पालो वक्तव्यतामियात् ॥ २३० ॥

अर्थ—पशुओं के विषय में पशुस्वामी और पशुपालों के बिगाड़ में यथावत् धर्मतरु के विवाद कहता हूँ—॥ २२९ ॥ दिन में चरवाहे पर और रात्रि में स्वामी के घर में स्वामी पर जवाबदेही है । और कुछ चारे की कमी आदि हो ती भी जवाबदेह चरवाहा हो ॥ २३० ॥

गोपः क्षीरभृतो यस्तु सदुह्याद्दशतो वराम् । गोस्वाम्यनुमते भृत्यः सा स्यात्पालेऽभृते भृतिः ॥ २३१ ॥ नष्टं विनष्टं कृमिभिः श्वहतं विषमे मृतम् । हीनं पुरुषकारेण प्रदुह्यात्पाल एव तु ॥ २३२ ॥

अर्थ—जो गोपाल दूध पर ही भृत्य हो, वह स्वामी को अनुमति से १० गौओं में श्रेष्ठ १ गौ को भृति (तनखाह) के लिये दोहन करले, वही उस का वेतन है । (उसी एक गौ के दोहन से दश गाय का पालन करे) ॥ २३१ ॥ जो पशु खोया जावे या कीड़े पड़कर खराब हो जावे, कुत्तों से मारा जावे या पांव ऊपर नीचे पड़ने से मर जावे, या पुरुषार्थहीन हो जावे तो (स्वामी को) गोपाल ही पशु देवे ॥ २३२ ॥

विद्युष्य तु हतं चौरैर्न पालोऽज्ञातुमर्हति । यदि देशे च काले च स्वामिनः स्वयं शंसति २३३ कर्णौ चर्मचवालांश्च बस्तिं स्नायुं च रोत्रनाम् । पशुषु स्वामिनां दद्यान्मृतेष्वङ्गानि दर्शयेत् ॥ २३४ ॥

अर्थ—यदि चोर जबरदस्ती छीन लें तो गोपाल को (पशुदेना) योग्य नहीं है, यदि अपने स्वामी से उस का वृत्तान्त उचित देश काल में कह दे ॥ २३३ ॥ और यदि स्वयं पशु मर जावे तो उन के अङ्ग स्वामी को गोपाल दिखला दे और कान, लवचा, बाल, दाँत, स्नायु और रोचना; स्वामी को दे देवे ॥ २३४ ॥

अजाविकेतु संरुद्धे वृकैः पाले त्वनायति । यां प्रसह्य वृकोहन्यात् पाले तत्किल्बिषं भवेत् ॥ २३५ ॥ तासां चेद्वरुद्धानां चरन्तीनां मिथो वने । यामुत्प्लुत्य वृकोहन्यान् न पालसत्रकिल्बिषी ॥ २३६ ॥

अर्थ—बकरी और भेड़ को भेड़िये रोकलें और चरवाहा छुड़ाने को न जावे, इस पर जिन की भेड़िया मार डाले, उन का पातक चरवाहे को ही ॥ २३५ ॥ परन्तु यदि उन (चरवाहे से) घेरी हुई बकरी भेड़ों को एकाएक आकर भेड़िया मार डाले तो उस का पातकी चरवाहा न हो ॥ २३६ ॥

धनुशतंपरीहारोग्राभस्य स्यात्समन्ततः । शम्यापातास्त्रयो
वाऽपित्रिगुणोनगरस्यतु ॥ २३७ ॥ तत्राऽपरिवृतंधान्यंविहिंस्युः
पशवो यदि । न तत्र प्रणयेदृण्डं नृपतिः पशुरक्षिणाम् ॥ २३८ ॥

अर्थ—ग्राम के आस पास चार सौ हाथ वा ३ बार लाठी फैकने की दूरी तक छुटी भूमि (परिहार) और नगर के आस पास उस की तिगुनी रखनी उचित है ॥ २३७ ॥ उस परिहार स्थान में बाहरहित धान्य को यदि पशु नष्ट करें तो राजा चरवाहों को दण्ड न करे ॥ २३८ ॥

वृत्तिं तत्र प्रकुर्वीत यामुष्ट्रोन त्रिलोकयेत् । छिद्रं च वारयेत्सर्वं
श्वसूकरमुखानुगम् ॥ २३९ ॥ पथिक्षेत्रे परिवृते ग्रामान्तीयेऽथवा
पुनः । सपालः शतदण्डाहो विपालांश्चारयेत्पशून् ॥ २४० ॥

अर्थ—उस खेत के बसाने को इतनी ऊंची (कांटे की) बाड़ करे जिस में ऊंट न देख सके और बीच के छिद्र रोके, जिन में कुत्ते और छुवर का सुख न जा सके ॥ २३९ ॥ बाड़ दिये हुवे मार्ग के पास के क्षेत्र में वा यावसमीपवर्ती क्षेत्र में यदि चरवाहा साथ होने पर पशु खेत चरे तो चरवाहा १०० पण दण्ड के योग्य है और बिना चरवाहे पशुओं को खेत का रखवाला हानकदे ॥ २४० ॥

क्षेत्रेष्वन्येषु तु पशुः सपादंपणमर्हति । सर्वत्र तु सदीदेयः क्षेत्रि-
कस्येति धारणा ॥ २४१ ॥ अनिर्दशाहां गां सूतां वृषान् देवपशूं
स्तथा ॥ सपालान्वाविपालान्वा न दण्ड्यान्मनुरब्रवीत् ॥ २४२ ॥

अर्थ—अन्य खेतों को पशु भक्षण करे तो चरवाहा सपाद (सवा) पण दण्ड के योग्य है और सब जगह जितनी हानि हुई हो उतनी खेत वाले को दे, यह निश्चय है ॥ २४१ ॥ दश दिन के भीतर की बिघाई हुई गाय, बांड, देवतासंबन्धी पशु (जो देवकार्य हवनार्थ घृतादि सम्पादनार्थ गौ आदि पाले रहते हों) के रखवाले के साथ वा बिना पशुपाल के किसी का खेत खाने पर (सुक) मनु ने दण्ड नहीं कहा ॥ २४२ ॥

क्षेत्रियस्यात्यये दण्डोभागाद्दशगुणो भवेत्। ततोऽर्धदण्डोभू-
त्यानामज्ञानात्क्षेत्रियस्य तु ॥ २४३ ॥ एतद्विधानमातिष्ठेद्वार्षिकः
पृथिवीपतिः। स्वामिनां च पशूनां च पालानां च व्यतिक्रमे । २४४।

अर्थ—यदि खेत वाले के अपने पशु खेत परे तो उस को राजभाग से दशगुणा दण्ड ही और खेती वाले के अज्ञान से नौकरों की रक्षा में पशु भक्षण करें तो उस से आधा दण्ड ही ॥ २४३ ॥ स्वामी और पशु तथा चर-वाहे के अपराध में धार्मिक राजा इस प्रकार विधान करे ॥ २४४ ॥

सीमां प्रति समुत्पन्ने विवादे ग्राह्योर्द्वयोः। ज्येष्ठे मासि नयेत्सीमां
सुप्रकाशेषु सेतुषु ॥ २४५ ॥ सीमावृक्षांश्च कुर्वीत न्यग्रोधाश्च तथा
किंशुकान्। शाल्मलीन्शालतालांश्च क्षीरिणश्चैव पादपान् २४६

अर्थ—दो ग्रामों की सरहद के ऊगड़े उत्पन्न होने पर ज्येष्ठ मास में जन्म तथादि शुक्ल होने से सरहद के चिह्न सुप्रकाशित हों तब उस का निश्चय करे ॥ २४५ ॥ सीमा (सरहद) का चिह्न बट, पीपल, पलाश, खैर, साल और ताल तथा अन्य दूध वाले वृक्ष स्थापित करे ॥ २४६ ॥

गुल्मान्वेणुंश्च विविधाज्जमीवल्लीस्थलालिनचाशरान्कुब्जकगु-
ल्मान्श्च तथा सीमानंश्रयति ॥ २४७ ॥ तडागान्युदपानानि वाप्यः
प्रस्रवणानि च। सीमासन्धिषु कार्याणि देवतायतनानि च । २४८।

अर्थ—गुल्म, नाना प्रकार के बरस, जमी, बलीस्थल, शर और कुब्जकगुल्म स्थापित करे, जिस से सीमा स्पष्ट हो ॥ २४७ ॥ तडाग, कुप, बावड़ी, झरना और यज्ञमन्दिर सीमा के जोड़ों पर बनावे (जिस से कि बहुत से समुप्य जलपानादि करने तथा यज्ञार्थ परस्पर से जुग के आते रहें, इसी से वे सब साक्षी हों) ॥ २४८ ॥

उपसहस्रानि चान्यानिसीमालिङ्गानिकारयेत्। सीमाज्ञानेनृणां
वीक्ष्य नित्यं लोके विपर्ययम् ॥ २४९ ॥ अश्मनोऽस्थीनि गोवालांस्तु
पान्भस्मकपालिकाः। करीषमिष्टकाङ्गारांश्च कर्वावा लुकास्तथा
॥ २५० ॥ यानि चैव प्रकाराणिकालाद्भूमिर्न भक्षयेत्। तानिसन्धिषु
सीमायामप्रकाशानिकारयेत् ॥ २५१ ॥ एतैर्लिङ्गैर्नयेत्सीमां राजा

विवदमानयोः । पूर्वभुक्त्या च सततमुदकस्यागमेन च ॥२५२॥

अर्थ—सीमा निर्णय में सर्वदा इस लोक में मनुष्यों को अम देख कर अन्य गूढ सीमाचिह्न भी स्थापित करावे ॥२५२॥ पत्थर, हड्डी, गोबाल, लुप, भस्म, खपड़ा, आरना, ईंट, कोयला, शर्करा और बालु ॥२५३॥ और जोकि इस प्रकार की वस्तु हों, जिन्हें बहुत दिनों में भी भूमि न खा जावे, उनको सीमा की स्तम्भियों में गुप्त करावे, ॥२५३॥ राजा इन चिह्नों और पूर्वभोग तथा नदी आदि से जल के मार्ग इत्यादि चिह्नों से लड़ने वालों की सीमा का निर्णय करे ॥२५३॥

यदिसंशयएवस्याल्लिङ्गानामपिदर्शने । साक्षिप्रत्ययएवस्यात् सीमावाहविनिर्णयः ॥२५३॥ ग्रामीयककुलानां च समक्षं सीम्नि साक्षिणः । प्रष्टव्याः सीमलिङ्गानितयोश्चैव विवादिनोः ॥२५४॥

अर्थ—जिन्होंने के देखनेपर भी संशयरहेतीसाक्षी के प्रमाण से सीमाविवाद का निश्चय करे ॥२५३॥ ग्राम के कुलों और वादि प्रतिवादियों (मुद्दे मुद्दे भाई-लह) के समक्ष सीमा में साक्षियों से सीमा के चिह्न पूछने योग्य हैं ॥ २५४ ॥

तेपृष्ठास्तुयथा ब्रूयुःसमस्ताःसीम्निनिश्चयम् । निवध्नीयात्तथा सीमां सर्वान्स्तांश्चैवनामतः २५५ शिरोभिस्ते गृहीत्वोर्वींस्त्रिग्विणो रक्तवाससः । सुकृतैःशापिताःस्वैःस्वैर्नयेयुस्तेसमञ्जसम् ॥२५६॥

अर्थ—सीमा के विषय में निश्चय के लिये वे पूछे हुवे लोग जैसा कहें वैसे ही सब सीमा को बांधे और उन सब साक्षियों के नाम लिखले ॥ २५५ ॥ वे साक्षी कुलों की माला और लाल कपड़ा पहिर कर शिर पर मिट्टी के ढेले उठाकर कहें कि जो हमारा वृत्त है वो निष्फल हो जो हम असत्य कहें ॥२५६॥

यथोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यसाक्षिणः । विपरीतं नयन्तस्तु दाप्याःस्थुर्द्विशतं दमम् २५७ साक्ष्यभावेतु चत्वारो ग्रामाः सामन्तवासिनः । सीमाविनिर्णयं कुर्युः प्रयताराजसन्निधौ ॥२५८॥

अर्थ—वे सत्यप्रधान साक्षी शास्त्रोक्त विधि से निर्णय में सहायक रहकर निष्पाप होते हैं । और असत्य से निश्चय कराने वालों को दो सौ पण दण्ड दिलावे ॥ २५७ ॥ साक्षी के अभाव में आस पास के जमींदार ४ ग्राम के निवासी धर्म से राजा के सामने सीमा का निर्णय करें ॥ २५८ ॥

सामन्तानामभावे तु मौलानां सीम्नि साक्षिणाम् । इमानप्यनु-
पुञ्जीतपुरुषान्वनगोचरान् २५९ व्याधांश्चाकुनिकाङ्गीपान्कैव-
र्तान्मूलखानकान् । व्यालग्राहानुच्छ्वृत्तीनन्यांश्च वनचारिणः २६०

अर्थ—सामन्त=आस पास के जड़ साक्षियों के अभाव में इन वनचर-
पुरुषों को भी साक्षी करले:—॥ २५९ ॥ व्याघ, शाकुनिक, गोप, कैवर्तक, मूल
खोदने वाले और सपेरे तथा उच्छ्वृत्ति और दूसरे वनचारियों को ॥ २६० ॥

ते पृष्ठास्तु यथा ब्रूयुः सीमां सन्धिपुलक्षणमातत्तथा स्थापयेद्वाजा-
धर्मेण ग्रामयोर्द्वयोः ॥ २६१ ॥ क्षेत्रकूपतडागानामाशमस्य
गृहरथ च । सामन्तप्रत्ययो ज्ञेयः सीमासेतुविनिर्णयः ॥ २६२ ॥

अर्थ— वे पूछे हुये लोग जैसे सीमासन्धि का लक्षण बतावे, राजा धर्म से
दोनों ग्रामों के बीच से सीमा का वैसे ही स्थापन करे ॥ २६१ ॥ क्षेत्र, कूप,
तडाग, बाग और गृहों के सीमासेतु के निर्णय में सामन्त=समीपवासियों
की प्रतीति करे ॥ २६२ ॥

सामन्ताश्चेन्मृषा ब्रूयुः सेतौ विवदतां नृणाम् । सर्वे पृथक्पृथक्
दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम् ॥ २६३ ॥ गृहं तडागमाशमं क्षेत्रं वा
भीषया हरन् शतानि पञ्चदण्ड्य श्यादज्ञानाद्द्विशतीदमः ॥ २६४ ॥

अर्थ—विवाद करने वाले मनुष्यों के सेतु निर्णय में यदि सामन्त झूठ
कोलें तो राजा सब को " मध्यमसाहस " ॥ २६३ ॥ अलग-अलग दण्ड दे ॥ २६३ ॥
पर तडाग बाग वा क्षेत्र को मय देके जो हरण करे उस को पाँच सौ पण
दण्ड दे और अज्ञान से हरण करने में दो सौ पण दण्ड दे ॥ २६४ ॥

सीमायामविषयायां स्वयं राजैव धर्मवित् ।

प्रदिशेद्भूमिमेतेषामुपकारादिति स्थितिः ॥ २६५ ॥

अर्थ—सीमा का कोई पर्याप्त प्रमाण न मिलने पर धर्म का जानने वाला
राजा स्वयं ही उपकार से इन की भूमि बाँट दे । यह मर्यादा है ॥

(२६५ से आगे यह श्लोक दो पुस्तकों में अधिक है :-

[ध्वजिनी मत्सिनी चैव निधानीः भयवर्जिता ।

राजशासननीता च सीमापञ्चविधा स्मृतः] ॥ २६५ ॥

एषोऽखिलेनाभिहितो धर्मः सीमानिर्णये ।

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि दास्यणारुष्यत्रिनिर्णयम् ॥२६६॥

अर्थ—यह संपूर्ण सीमानिश्चय का धर्म कथा, अब दासी की क्रूरता (गाली) का निर्णय कहता हूँ ॥ २६६ ॥

शतं ब्राह्मणमाक्रुशय क्षत्रियोदण्डमर्हति । वैश्योऽप्यर्धशतं द्वे वा
शूद्रस्तु बधमर्हति ॥ २६७ ॥ पञ्चाशद्ब्राह्मणोदण्ड्यः क्षत्रियस्या-
भिशांसने । वैश्ये रुयादर्थपञ्चाशच्छूद्रे द्वादशकोदमः ॥२६८॥

अर्थ—ब्राह्मण को गाली देने से क्षत्रिय सी पण दण्डयोग्य है । और वैश्य भी डेढ़ सौ या दो सौ पण दण्ड, और शूद्र तो (अंत आदि से) पीटने योग्य है ॥२६७॥ और ब्राह्मण क्षत्रिय को गाली दे तो पञ्चास पण, वैश्य को गाली दे तो पच्चीस पण और शूद्र को गाली दे तो बारह पण दण्ड योग्य है ॥२६८॥

समवर्णै द्विजातीनां द्वादशैव व्यतिक्रमे ।

वादेष्ववचनीयेषु तदेव द्विगुणं भवेत् ॥ २६९ ॥

अर्थ—द्विजातियों को अपने समान वर्ण में गाली आदि देने पर बारह पण दण्ड दे (सा बहिन की गाली आदि) न कहने योग्य गाली प्रदानादि में उस का दूना (३४पण देखदे) ॥ इससे आगे ३ पुस्तकों में ये दो श्लोक अधिक पाये जाते हैं—

[विप्रक्षत्रियवत्कार्योः दण्डो राजन्यवैश्ययोः । वैश्यक्षत्रिययोः
शूद्रे विप्रेयः क्षत्रशूद्रयोः । समुत्कर्षापकर्षास्तु विप्रदण्डस्य
कल्पना । राजन्यवैश्यशूद्राणां धनवर्जमिति स्थितिः] ॥२६९॥

“एकजातिद्विजातीस्तु वाचा दारुणया क्षिपन् ।

जिह्वायाः प्राप्नुयाच्छेदं जघन्यप्रभवो हि सः ॥२७०॥”

अर्थ—“यदि शूद्र द्विजातियों को गाली दे तो जीभ के छेदन का दण्ड प्राप्त हो क्योंकि वह निकृष्ट से उत्पन्न है” (यह दो सौ ६० के विरुद्ध है) ॥२७०॥

“नामजातिग्रहं त्वेषामभिद्रीहेण कुर्वतः । निक्षेप्योयोमयः
शङ्खज्वलनास्येदशाङ्गुलः ॥२७१॥ धर्मोपदेशं दर्पेण विप्राणामस्य
कुर्वतः तप्तमासे च ये तैलं वक्तुं श्रोत्रे च पार्थिवः ॥२७२॥”

अर्थ—“जो शूद्र द्विजातियों के नाम और जाति का उच्चारण करे उसके मुखमें जलती हुई दश अंगुल की लोहे की कील ठोकनी चाहिये ॥२७१॥ जो शूद्र अङ्गार से ब्राह्मणों को धर्म का उद्देश करे, उस के मुख और कान में राजा गरम तेल डलवावे ॥ (ये दोनों श्लोक भी २७० के तुल्य उसी शैली के हैं) ॥ २७२ ॥”

श्रुतं देशं च जातिं च कर्म शारीरमेव चावितथेन ब्रुवन्द्वापि द्वाप्यः
स्याद्द्विशतं दमम् ॥२७३॥ काणं वाप्यथवा खञ्जमन्यं वापि
तथाविधम्। तथ्येनापि ब्रुवन्दाप्योदण्डं कार्षापणावरम् ॥२७४॥

अर्थ—श्रुत=पढ़ाई=और देश तथा जाति और शारीरक कर्म झूठ बतलाने वाले को राजा दो सी पण दण्ड दे ॥ २७३ ॥ काणा तथा लङ्गड़ा और अन्य कोई इसी प्रकार का अङ्गहीन हो, उस को खज भी उसी दोष से पुकारने वाला एक “ कार्षापण ” तक दण्ड के योग्य है ॥ २७४ ॥

मातरं पितरं जायां भ्रातरं तनयं गुरुम्। आक्षारयञ्छतं द्वाप्यः
पन्थानं चाददद्गुरोः ॥२७५॥ ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां तु दण्डः कार्यो
विजानता। ब्राह्मणे साहसः पूर्वः क्षत्रिये त्वेव मध्यमः ॥२७६॥

अर्थ—माता, पिता, स्त्री, भाई, पुत्र और गुरु को अभिशाप=गाली देने तथा गुरु को मार्ग न छोड़ने वाला सी पण दण्ड के योग्य है ॥२७५॥ ब्राह्मण क्षत्रियों के भाषण में गाली गलौज करने में धर्म का जानने वाला राजा दण्ड करे तो उस में (ब्राह्मण का अपराध हो तो) ब्राह्मण को “ प्रथम साहस ” तथा क्षत्रिय को “ मध्यम साहस ” दण्ड दे ॥ २७६ ॥

“ विट्शूद्रयोरेवमेव स्वजातिं प्रति तत्त्वतः ।

खेदवर्जं प्रणयनं दण्डस्येति विनिश्चयः ॥२७७॥ ”

अर्थ—वैश्य शूद्रों को आपस में इसी प्रकार गाली गलौज करने में अपनी २ जाति के प्रति ठीक २ खेदरहित दण्ड का प्रयोग करे। इस प्रकार निर्णय है ॥ ”

(२७७ का कथन बड़ा अस्तव्यस्त है। प्रथम तो वैश्य शूद्रों को गाली देने का कथन है, फिर स्वजाति का वर्णन है। परन्तु स्वजाति में शूद्र को जिह्वा-खेद दण्ड का विधान प्रक्षिप्त २७० में भी नहीं है। इस लिये स्वजाति में जिह्वा-खेद कथना व्यर्थ है। तथा दण्ड का व्यौरा भी इस श्लोक में नहीं है ॥

इन कारणों से यह श्लोक २९० के तुल्य प्रसिद्ध प्राप्त है । इस के आगे भी एक श्लोक है जो कि केवल दो पुस्तकों में पाया जाता है । यथा—

[पतितं पतितेत्युक्त्वा चौरं चौरिति वा पुनः ।

वधनात्तुल्यदोषः स्यान्मिथ्या द्विदोषतां व्रजेत् ॥]

(व्यवहारमयूस में इस को मारद का वधन बताया है) ॥ २९९ ॥

एष दण्डविधिः प्रोक्तोवाक्यापरुष्यस्य तत्त्वतः ।

अतऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि दण्डपारुष्यनिर्णयम् ॥२७८॥

अर्थ—यह वाक्यावयव की ठीक २ दण्डविधि कही (अब दण्डपारुष्य विधि (मार पीट का निर्णय) कहता हूँ ॥ २९८ ॥

येन केनचिदङ्गेन हिंस्याञ्छेच्छुष्टमन्त्यजः । छेत्तव्यं तत्तदेवास्य
तन्मनोरनुशासनम् ॥२७९॥ पाणिमुद्यम्य दण्डं वा पाणिच्छे-
दनमर्हति । पादेन प्रहरन्कोपात्पादच्छेदनमर्हति ॥ २८० ॥

अर्थ—अन्त्यज लोग जिस किसी अङ्ग से द्विजातियों को मारें, उन का वही अङ्ग कटवाना चाहिये । यह (मुक्त) मनु का अनुशासन है ॥ २९९ ॥ हाथ वा लाठी उठा कर मारें तो हाथ काटना योग्य है (न कि लाठी, काटी जावे) और क्रोध से लात मारें तो पैर काटना योग्य है ॥ २८० ॥

सहासनमभिप्रेप्सुरुत्कृष्टरयापकृष्टजः । अत्याकृताङ्गो निर्वास्यः
स्फिचं वाऽस्यावकर्तयेत् ॥२८१॥ अवनिष्ठीवतो दर्पाद्द्वौघौघौ
छेदयेन्नृपः । अवमूत्रयतो मेढ्रमवशर्धयतो गुदम् ॥ २८२ ॥

अर्थ—उच्च के साथ बैठने की इच्छा करने वाले नीच की कटी (कमर) में (दाग) चिन्ह करके निकाल दे वा उस के चूतड़ को थोड़ा कटवा देवे (जिसमें न मरे) ॥२८१॥ अहङ्कार से नीच—उच्च के ऊपर थूके तो राजा उसके दोनों होठ काटे और उस पर मूत्र डाले तो लिङ्ग और पादे तो उसकी गुदा का छेदन करे ॥२८२॥

केशेषु गृह्णतो हस्तौ छेदयेदऽविचारयनापादयोर्दाहिकायां च
ग्रीवायां वृषणेषु च ॥२८३॥ त्वग्भेदकः शतं दण्डो लोहितस्य च
दर्शकः । मां सभेत्ता तु षणिष्कान्प्रवास्यस्त्वथिभेदकः ॥२८४॥

अर्थ-अहङ्कार से (मार डालने का) बाल पकड़ने वाले के दोनों हाथों को बिना विचारे (शीघ्र) कटवा दे और पैर, हाड़ी, घीवा तथा अण्डकोश को (मार डालने के विचार से) पकड़ने वाले के भी (हाथ कटवा दे) ॥२८३॥ त्वचा का भेद करने वाले पर सौ पण दण्ड करना चाहिये और रक्त निकालने वाले को भी सौ पण दण्ड दे तथा मांस के भेदन करने वाले को छः "निष्क" दण्ड दे और अस्थिभेदक को देश से निकाल दे ॥ २८४ ॥

वनस्पतीनां सर्वेषामुपभोगं यथा यथा । तथातथा दमःकार्यो हिंसायामिति धारणा ॥२८५॥ मनुष्याणां पशूनां च दुःखाय प्रहृते सति । यथा यथा महद्दुःखं दण्डं कुर्यात्तथा तथा ॥२८६॥

अर्थ-सम्पूर्ण वनस्पतियों का जैसा २ उपभोग करे वैसा २ हिंसा (हानि) में दण्ड दिया जावे । यह मर्यादा है ॥२८५॥ मनुष्यों और पशुओं को पीडाके लिये महार करने पर जैसे २ पीडा अधिक हो जैसे २ दण्ड भी अधिक करे २८६ ॥

अङ्गावपीडनायांचक्षणशोणितयोस्तथा । समुत्थानव्ययंदाप्यः सर्वदण्डमथापिवा ॥२८७॥ द्रव्याणि हिंस्याद्योयस्य ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपिवा । सतस्योत्पादयेत्तुष्टिं राज्ञोदद्याच्च तत्समम् ॥२८८॥

अर्थ-अङ्गों (अरणादि) और अणु तथा रक्त की पीडा होने पर चोट करने वाला स्वस्थ होने का सम्पूर्ण स्वर्ण दे अथवा पूर्ण दण्ड दे ॥ २८७ ॥ जो जिस की वस्तु का जान कर वा बेजाने नुकसान करे, वह उस को प्रसन्न करे और राजा को उसी के बराबर दण्ड दे ॥ २८८ ॥

चर्मचार्मिकभाण्डेषु काष्ठलोष्ठमयेषु च । मूल्यात्पञ्चगुणोदण्डः पुष्पमूलफलेषु च ॥२८९॥ यानस्य चैव यातुश्च यानस्वामिन एव च । दशातिवर्तनान्याहुः शेषे दण्डो विधीयते ॥ २९० ॥

अर्थ-चास और चमड़े के बने मशकादि वर्तन तथा मही और लकड़ी की बनी वस्तुओं के सोल से पांच गुणा दण्ड ले । और पुष्पमूल फलों में भी (ऐसा ही करे) ॥२८९॥ सवारी के चलाने वाले तथा स्वामी को दश अवस्थायें (देखो अगला श्लोक) छोड़ कर शेष अवस्थाओं में दण्ड कहा है ॥ २९० ॥

छिन्नानाम्ये भग्नयुगे तिर्यक् प्रतिमुखागते । अक्षभङ्गे च यानस्य चक्रभङ्गे तथैव च ॥२९१॥ छेदने चैव यन्त्राणां योक्तूरश्मयोस्त-

थैव च । आक्रन्दे चाप्यपैहीति न दण्डं मनुरब्रवीत् ॥ २९२ ॥

अर्थ—नाथ के टूटने, जड़े के टूटने, पीचे ऊँचे के कारण टेढ़े वा अड़ कर चलने, रथ के घुरे टूटने और पक्षियों के टूटने—॥२९१॥ और अन्धनादि यन्त्र टूटने और गले की रस्सी टूटने, लगाम टूटने पर और “घटो बघो” ऐसा कहते हुवे (सारथि) से कोई किसी का नुक़सान होने पर (सुक) मनु ने दण्ड नहीं कहा ॥ २९२ ॥

यत्रापवर्ततेयुग्यं वैगुण्याप्राजकस्यतु । तत्रस्वामीभवेदृण्ड्यो
हिंसायां द्विशतं दण्डम् ॥२९३॥ प्राजकश्चेद्वेदाप्तः प्राजकोदण्ड-
मर्हति युग्यस्था प्राजकेऽनाप्ते सर्वे दण्ड्याः शतं शतम् ॥२९४॥

अर्थ—जहाँ सारथि के कुशल (होशियार) न होने से रथ इधर उधर चलता है, उस में हिंसा (नुक़सान) होने पर, स्वामी दो सौ पण दण्ड के योग्य है ॥ २९३ ॥ और यदि सारथि कुशल हो तो घड़ी (सारथि) दो सौ पण दण्ड योग्य है और सारथि कुशल न होते हुवे, यान पर सवार होने वाले सब सौ २ पण दण्ड योग्य हैं ॥ २९४ ॥

स चेत्तु पथिसंरुद्धः पशुभिर्वारथेन वा । प्रभापयेत्प्राणभृत्तत्र
दण्डोऽविचारितः ॥२९५॥ मनुष्यमारणे क्षिप्रं चौरवत्किल्बिषं
भवेत् । प्राणभृत्सु महत्स्वर्थं गोगजोष्ठहयादिषु ॥ २९६ ॥

अर्थ—वह सारथि यदि पशुओं से वा अन्य रथ से रुके हुवे भी रथ को चलावे उस से जीव मरजावे तो उसको बिना विचारे दण्ड दे ॥२९५॥ (सारथि के रथ चलाने से) मनुष्य के मरजाने में चौर का (उत्तर साहस) दण्ड दे और बड़े पशु बैल हाथी ऊँट घोड़ों के मरजाने पर अर्ध (पाँच सौ पण) दण्ड दे ॥२९६॥

सुद्रकाणां पशूनां तु हिंसायां द्विशती दण्डः । पञ्चाशत्तु भवेदृण्डः
शुभेषु मृगयक्षिषु ॥२९७॥ गर्दभाजाविकानां तु दण्डः स्यात्पञ्च-
माषिकः । माषकरस्तु भवेदृण्डः श्वसूकरनिपातिते ॥ २९८ ॥

अर्थ—सुद्र पशुओं की हिंसा में दो सौ (पण) दण्ड हो और अच्छे मृग पक्षियों (की हिंसा) में पचास (पण) दण्ड हो ॥ २९७ ॥ गधा, बकरी, भेड़ के मरजाने में पाँच “माषक” दण्ड और कुत्ते वा सुवर के मरजाने में एक “माषक” दण्ड देवे ॥ २९८ ॥

भार्यापुत्रश्चदासश्चप्रेष्योभ्राताचसोदरः। प्राप्तापराधास्ताद्याः
स्यूरज्ज्वा वेणुदलेनवा ॥२९९॥ पृष्टतस्तु शरीरस्य नोत्तमाङ्गे
कथञ्चन। अतोऽन्यथातु प्रहरन्प्राप्तः स्याच्चौरकिलिबणम् ३००

अर्थ—भार्या, पुत्र, दास, इलकारा और छोटा सहोदर भाई अपराध करने पर रस्सी वा बाँस की छड़ी से ताड़नीय हैं ॥२९९॥ (परन्तु इनको) शरीर की पीठ की ओर मारे, शिर में कभी न मारे। इस से विपरीत मारने वाला चोर का दण्ड पावेगा ॥ ३०० ॥

एषोखिलेनाभिहितोदण्डपारुष्यनिर्णयः। स्तेनस्यातःप्रत्रक्षयात्सि
शिधिं दण्डविनिर्णये ॥६०१॥ परमंयत्नमातिष्ठेत्स्तेनानां निग्रहे
नृपः। स्तेनानां निग्रहोऽस्य यशोराष्ट्रं च वर्धते ॥ ३०१ ॥

अर्थ—यह सम्पूर्ण मार पीठ का निर्णय कहा। अब चोर के दण्ड का निर्णय कहता हूँ ॥ ३०१ ॥ राजा चोरों के निग्रह के लिये बड़ा यत्न करे। चोरों के निग्रह से इस का यश और राज्य बढ़ता है ॥ ३०२ ॥

अभयस्य हि शोदाता स पूज्यः सततं नृपः। सत्रहिवर्धते तस्य
सदैवाऽभयदक्षिणम् ॥३०३॥ सर्वतो धर्मषड्भागो राज्ञो भवति
रक्षतः। अधर्मादपि षड्भागो भ्रत्यस्य ह्यरक्षतः ॥ ३०४ ॥

अर्थ—जो अभय का देने वाला राजा है, वह सदा पूज्य है। उस का यह सत्र (यज्ञ) अभय रूपी दक्षिणा से वहि को प्राप्त होता है ॥ ३०३ ॥ रक्षा करने वाले राजा को सत्र से धर्म का छठा भाग और रक्षा न करने वाले राजा को सत्र से अधर्म का छठा भाग मिलता है ॥ ३०४ ॥

यदधीते यद्यजते यद्वृदाति यद्वर्धति तस्य षड्भागभायाजा
सस्य भवति रक्षणात् ॥ ३०५ ॥ रक्षन्धर्मैर्ण भूतानि राजा
वध्यांश्च घातयन्। यजतेऽहरहर्षज्ञैः सहस्रशतदक्षिणैः ॥३०६॥

अर्थ—जो कोई वेदपाठ, यज्ञ, दान, गुरुपूजनादि करता है, उस का छठा भाग अच्छे प्रकार रक्षा करने से राजा पाता है ॥३०५॥ प्राणियों की धर्म से रक्षा करता हुआ और वध्यों को दण्ड देता हुआ राजा सानो प्रतिदिन लक्षदक्षिणायुक्त यज्ञों की करता है ॥ ३०६ ॥

योऽरक्षन्बलिमादत्ते करं शुल्कं च पार्थिवः। प्रतिभागं च दण्डं च
स सद्यो नरकं प्रजैत ३०७॥ अरक्षितारं राजानं बलिषड् भाग
हारिणम् । तमाहुः सर्वलोकस्य समग्रमलहारकम् ॥३०८॥

अर्थ—जो रक्षा न करता हुआ राजा धान्य का छटा भाग, चुट्टी कर तथा दण्ड का भाग लेता है, वह शीघ्र नरक में जावेगा (४ पुस्तकों में—“प्रति भागम्” पाठ है) ॥३०७॥ जो राजा रक्षा नहीं करता और धान्य का छटा भाग लेता है, उस को सब लोगों का सम्पूर्ण पाप होने वाला कहते हैं ॥३०८॥

अनपेक्षितमर्यादं नास्तिकं विप्रलुम्पकम्। अरक्षितारमऽत्तारं
नृपं विद्यादधोगतिम् ॥३०९॥ अधार्मिकं त्रिभिर्न्यायैर्निगृह्णी-
यात्प्रयत्नतः । निरोधनेन बन्धेन विविधेन वधेन च ॥३१०॥

अर्थ—(शास्त्र की) मर्यादा को उल्लङ्घन करने वाले, नास्तिक, अनुचित दण्डादि धन को ग्रहण करने वाले, रक्षा न करने वाले, (कर आदि) भक्षण करने वाले राजा को अधोगामी जाने ॥ ३०९ ॥ अधार्मिक पुरुष का तीन उपायों से यत्नपूर्वक निग्रह करे । एक कारागार (हवालात), दूसरा बन्धन, और तीसरा विविध प्रकार वध (बेत आदि लगवाना) ॥ ३१० ॥

निग्रहेण हि पापानां साधूनां संग्रहेण च। द्विजातय इवेज्याभिः
पूयन्ते सततं नृपाः ३११ क्षन्तव्यं प्रभुणानित्यं क्षिपतां कार्थिणां
नृणाम् । बालवृद्धातुराणां च कुर्वता हितमात्मनः ॥३१२॥

अर्थ—पापियों के निग्रह और साधुओं के संग्रह से राजा सदा पवित्र होते हैं । जैसे यज्ञ करने से द्विजा ॥३११॥ (दुःखसे) आक्षेप करने वाले कार्यार्थी तथा बाल वृद्ध आतुरों को अपने हित की इच्छा करने वाला राजा क्षमा करे ॥३१२॥
यः क्षिप्रो मर्षयत्यातैस्तेन स्वर्गं महीयते। यस्त्वैश्वर्यान्नक्षमते
नरकं तेन गच्छति ॥३१३॥ राजा स्तेनेन गन्तव्यो मुक्तकेशेन
धावता। आचक्ष्णो न तस्ते यमेवं कर्माऽस्मिशाधिमां ॥३१४॥

अर्थ—जो राजा दुःखियों से आक्षेप किया हुआ सहता है वह स्वर्ग में पूजा जाता है और जो ऐश्वर्य के मद से क्षमा नहीं करता, उस से वह नरक को

जाता है ॥ ३१३ ॥ चोरी करने वाला सिर के बाल खोले हुवे और दौड़ता हुवा राजा के पास जाकर उस चोरी को कहता हुवा यह कहे कि मुझे दण्ड दो, मैं इस काम का करने वाला हूँ ॥ ३१४ ॥

स्कन्धेनादाय मुसलं लगुडं वापि खादिरम् ।

शक्तिं चोभयतस्तीक्ष्णामायसं दण्डमेव वा ॥ ३१५ ॥

अर्थ—खैर की लकड़ी के वृक्षल वा लट्ट, वा जिस में दोनों ओर धार हो ऐसी बरखी वा लोहे का दण्डा कन्धे पर उठा कर (कहे कि इस से मुझे मारो।

३१५ से आगे एक पुस्तक में एक श्लोक अधिक मिलता है । यथा—

[गृहीत्वा मुसलं राजा सकृद्गुन्यात्तु तं स्वयम् ।

वधेन शुध्यते स्तेनोब्राह्मणस्तपसैव वा] ॥ ३१५ ॥

शासनाद्वा विमोक्षाद्वा स्तेनः स्तेयाद्विमुच्यते ।

अशासित्वात्तुतराजास्तेनस्याप्रोति किल्बिषम् ॥ ३१६ ॥

अर्थ—तब चोर शासन से वा छोड़ देने से चोरी के अपराध से छूट जाता है और यदि राजा उस को दण्ड न दे तो उस चोर के पाप को पाता है ॥ ३१६ ॥

अन्नादेभूणहामार्ष्टिपत्यौभार्यापचारिणी।गरौशिष्यश्च याज्यश्च

स्तेनोराजनि किल्बिषम् ३१७ राजनिर्धूतदण्डास्तुकृत्वापापानि

मानवाः । निर्मलास्वर्गमायान्तिसन्तःसुकृतिनीयथा ॥ ३१८ ॥

अर्थ—भूणहत्या वाले का पाप उस के अन्न खाने वाले को और व्यभिचारिणी स्त्री का पाप पति को और शिष्य का पाप गुरु को तथा यज्ञ करने वाले का कराने वाले को (उपेक्षा करने से) लगता है । जैसे ही चोर का पाप (छोड़ने से) राजा को होता है ॥ ३१७ ॥ पाप करके भी राजा से उचित दण्ड पद्येहुवे मनुष्य, निष्पाप होकर स्वर्ग को जाते हैं । जैसे पुण्य करने से सन्त ॥ ३१८ ॥

यस्तुरज्जुघटकूपादुरेद्विन्द्याच्चयःप्रपाम्।सदण्डंप्राप्नुयान्माषं

तच्च तरिभन्समाहरेत् ॥ ३१९ ॥ धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्योहरस्ती

भ्यधिकं वधः । शेषेण्येकादशगुणंदाप्यरत्नस्यचतद्वनसू३२०

अर्थ—जो कुवे पर से रस्सी और घड़े को चुरावे और जो प्याऊकीलोहे उस को सीने का एक "माप" दण्ड हो और उस रज्जु और घड़े को उसी

से रखवावे और ट्याऊ को भी वही बनवावे ॥३१९॥ (बीस द्रोण का एक कुम्भ, ऐसे) दश कुम्भों से अधिक धान्य का चुराने वाला अधिक बंध (पीटने) के योग्य है और शेष में उस का ११ गुणा धन दिलवावे ॥ ३२०॥

तथा धरिसमियानांशतादभ्यधिके बधः। सुवर्णरजतादीना-
मुत्तमानांचवाससाम् ॥३२१॥ पञ्चाशतरत्नभ्यधिकेहरतच्छेदन-
मिष्यते। शेषे त्वेकादशगुणं मूल्याद्गुण्डं प्रकल्पयेत् ॥३२२॥

अर्थ—जैसे धान्य में बंध कहा है, वैसे ही (तराजूवाकांटा) तुलादि से तोलनेयोग्यसुवर्ण चांदी आदि और उससबसे चुराने पर भी १०० से अधिकपर दण्ड जानी ॥३२१॥ और पचास (पल) से ऊपर चुराने से दण्ड काटने चाहिये। शेष (एक से उनंचाल तक) चुराने में उस के मूल्य से ११ गुणा दण्डदेवे ॥३२२॥

पुरुषाणांकुलीनानां नारीणांचविशेषतः। मुख्यानांचैव रत्नानां
हरणो बधमर्हति ॥ ३२३ ॥ महापशूनांहरणो शस्त्राणामौष-
धस्यच। कालमासाद्यकार्यं च दण्डं राजा प्रकल्पयेत् ॥३२४॥

अर्थ—बड़े कुल के पुरुषों और विशेष कर स्त्रियों और अधिकमूल्य के रत्नों के चुराने में बंध (दण्डदण्ड) योग्य है ॥ ३२३ ॥ बड़े पशुओं और शस्त्र तथा औषधि के चुराने में काल और कार्य को देख कर राजा दण्ड देवे ॥३२४॥

गोषु ब्राह्मणसंस्थासु स्त्रियांश्च भेदने। पशूनांहरणे चैव
सद्यः कार्योर्धपादिक ३२५॥ सूत्रकापांसकिण्वानां गोमयस्य
गुहस्य च। दध्नः क्षीरस्य तक्रस्य पानीयस्य तृणस्य च ॥३२६॥

अर्थ—ब्राह्मण की गौवों के हरण और नाक काटने और पशुओं के हरण में शीघ्र अर्धपाद के छेदने का दण्ड करे ॥ ३२५ ॥ सूत, कपास, मदिरा की गाद, गोबर, गुड़, दही, दूध, मठा, जल, तृण ॥ ३२६ ॥

वेणुवैदलभाण्डानां लवणानां तथैव च। मूषमयानां च हरणे
मृदोभस्मन एव च ॥३२७॥ मत्स्यानां पक्षिणांचैव तैलस्य च
घृतस्य च। मांसस्य मधुनश्चैव यच्चान्यत्पशुसंभवम् ॥३२८॥

अर्थ—वास की नली और बरतनों, नमक, मही के बरतनों की चोरी और मही, राल—॥३२७॥ मल्लो पत्ती, तेल, घृत, मांस मधु और जो कुछ पशु के उत्पन्न होता है—(चाम सींग आदि) ॥ ३२८ ॥

अन्येषां चैव प्रादीनामाद्यानामोदनस्य चापक्वान्नानां च सर्वेषां
तन्मूल्याद्द्विगुणोदमः ३२९॥ पुष्पेषु हरिते धान्ये गुल्मवल्ली
लगेषु च । अन्येष्वपरिपूतेषु दण्डः स्यात्पञ्चकृष्णलः ॥३३०॥

अर्थ—और भी वृक्षी प्रकार की खाने की चीजों, चावलों के भात और
सम्पूर्ण पकाओं की भी घोरी में इन के मूल्य से दूना दण्ड होना चाहिये
॥ ३३० ॥ पुष्पों और हरे धान्य तथा गुल्म वल्ली वृत्तों और अन्य जिन के
तुपादि हूर करके अमनियां नहीं किये गये (उन की घोरी करने वाले को)
पांच "कृष्णल" दण्ड हो ॥ ३३० ॥

परिपूतेषु धान्येषु शाकमूलफलेषु च । निरन्वये शतं दण्डः
साऽन्वयेऽर्धशतं दमः ॥३३१॥ स्यात्साहसं त्वन्वयवत्प्रसभं कर्म
यत्कृतम् । निरन्वयं भवेत्स्तेयं हत्वाऽपव्ययते च यत् ॥३३१॥

अर्थ—पवित्र-शोधित धान्य और शाक मूल फल के चुराने में, वंशसम्बन्ध-
रहितों को शत १०० दण्ड और वंश में घोर हों तो पचास ५० दण्ड हो ॥३३१॥
जो धान्यादि को भानने बल से कुटुम्बियों के समान छीन लेवे, वह "साहस"
है । और (स्वामी के पीछे) ऊपरियों के समान लेवे, वह चोरी है तथा
लेकर जो नकार करे वह भी चोरी ही है ॥ ३३२ ॥

यस्त्वेतान्युपकृतानि द्रव्याणि स्तेनयेन्नरः । तमाद्यं दण्डये-
द्राजा यश्चाग्निचोरयेद्गृहात् ॥३३३॥ येन येन यथाङ्गेन स्तेनो
नृषु विचेष्टते । तत्तदेव हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥३३४॥

अर्थ—जो मनुष्य इन बनाई हुई चीजों और अग्नि को चुरावे उसको राजा
"प्रथम साहस" दण्ड दे ॥३३३॥ जिस २ अङ्ग से जिस २ प्रकार चोर चोरी करता
है, राजा उसका आगे को प्रसङ्गनिवारण के लिये वही अङ्ग छिन करे ॥३३४॥

पिताचार्यः सुहृन्माता भार्या पुत्रः पुरोहितः । नाऽदंड्यो नाम
राज्ञोऽस्तियः स्वधर्मेन तिष्ठति ३३५ काषांपणं भवेदंड्यो यत्रान्यः
प्राकृतोजनः । तत्र राजा भवेदंड्यः सहस्रमिति धारणा ॥३३६॥

अर्थ—पिता आचार्य मित्र माता भार्या पुत्र और पुरोहित; इन में जो
स्वधर्म से न रहे, वह राजा को अदण्ड्य नहीं है (दण्डयोग्य है) ॥ ३३५ ॥

जिस अपराध में अन्य लोग "कार्षापण" दण्ड के योग्य हैं, उसी अपराध में राजा को "सहस्र पण दण्ड हो" यह मर्यादा है ॥ ३३६ ॥

अष्टापदं तु शूद्रस्य स्तेये भवति किल्बिषम् । षोडशैव तु वैश्यस्य
द्वात्रिंशत्क्षत्रियस्य च ॥ ३३७ ॥ ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्णं वापि
शतं भवेत् । द्विगुणा वा चतुःषष्टिस्तद्विगुणविहितः ॥ ३३८ ॥

अर्थ-शूद्र को चोरी में अठगुणा पाप होता है, वैश्य को सोलहगुणा, क्षत्रिय को बत्तीस गुणा ॥ ३३७ ॥ ब्राह्मण को चौंसठ गुणा, वा पूरा सौ गुणा, वा एक सौ अट्ठाइस गुणा पाप होता है, क्योंकि वह चोरी के दोष गुण जानने वाला है ॥ ३३८ ॥

“दानस्पत्यं मूलफलं दार्वान्यर्थं तथैव च ।

तृणं च गोभ्यो ग्रासार्थमस्तेयं मनुरब्रवीत्” ॥ ३३९ ॥

योऽदत्तादायिनो हस्ताल्लिप्सेत् ब्राह्मणो धनम् ।

याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनस्तथैव सः ॥ ३४० ॥

अर्थ-दानस्पतिसम्बन्धी मूल फल और जलाने को काष्ठ और गाधों के लिये घास, यह चोरी नहीं है, ऐसा मनु ने कहा है ॥ ३३९ ॥ जो ब्राह्मण चोर के हाथ से यज्ञ कराने और पढ़ाने से भी धन लेने की इच्छा करे, तो जैसा चोर है वैसा ही वह है ॥ ३४० ॥

द्विजो ध्वजः क्षीणवृत्तिर्द्वा विक्षुब्धे च मूलके । आददानः परक्षेत्रा-
न्मदं दंदा तुमर्हति ॥ ३४१ ॥ असन्धितानां सन्धाता सन्धितानां च
मोक्षकः । दासाश्चरथहर्ता च प्राप्तः स्याच्चौरकिल्बिषम् ॥ ३४२ ॥

अर्थ-सर्व से तङ्ग मार्ग का चलने वाला द्विज दूसरे के खेत से दो गन्ने और दो मूली ग्रहण कर लेने वाला दण्ड देने योग्य नहीं है ॥ ३४१ ॥ खुले हुवे दूसरे के पशुवादि का बांधने वाला और बंधों को खोल देने वाला और दास अश्व और रथ का हरण करने वाला चोर के दण्ड को प्राप्त हो ॥ ३४२ ॥

अनेन विधिनाराजा कुर्वाणः स्तेननिग्रहमायशोऽस्मिन्प्राप्तुया-
ल्लोके प्रेत्य चानुत्तमं सुखम् ॥ ३४३ ॥ ऐन्द्रं स्थानमभिप्रेत्सुर्यशश्चा-
क्षयमव्ययम् । नोपेक्षेतक्षणमपि राजा साहसिकं नरम् ॥ ३४४ ॥

अर्थ-इस प्रकार धीरों का निग्रह करने वाला राजा इस लोक में यश और परलोक में अनुत्तम सुख को पावेगा ॥ ३४३ ॥ इन्द्र के स्थान की इच्छा करने वाला और अक्षय यश का चाहने वाला राजा साहस करने वाले मनुष्य की क्षमता भर भी उपेक्षा न करे (तुरन्त दण्ड दे) ॥ ३४४ ॥

वाग्दुष्टान्तस्कराच्चैव दण्डेनैव च हिंसतः। साहसस्य नरः कर्त्ता विज्ञेयः पापकृत्तमः ॥ ३४५ ॥ साहसे वर्त्तमानं तु यो मर्षयति पार्थिवः। स विनाशं ब्रजत्याशु विद्वेषं चाधिगच्छति ॥ ३४६ ॥

अर्थ-वाक्पाठ्य (गाली गलीज) करने वाले, धीर तथा दण्ड द्वारा मारने वाले से " साहस " (जबरदस्ती) करने वाले मनुष्य को अधिक पापकारी जाने ॥ ३४५ ॥ साहस करने वाले को जो राजा क्षमा करता है वह शीघ्र विनाश और लोगों में द्वेष को प्राप्त होता है ॥ ३४६ ॥

नमित्रकारणाद्राजा विपुलाद्वाधनागमात्। समुत्सृजेत्साहसिकान्सर्वभूतभयावहान् ॥ ३४७ ॥ शस्त्रं द्विजातिभिर्ग्राह्यं धर्मो यत्रोपरुध्यते। द्विजातीनां च वर्णानां विप्लवे कालकारिते ॥ ३४८ ॥ आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च सङ्घे स्त्रीविप्राभ्युपपत्तौ च घ्नन्धर्मेण न दुष्यति ॥ ३४९ ॥ गुरुं वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्। आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् ॥ ३५० ॥

अर्थ-मित्र के कारण वा बहुत धन की प्राप्ति से भी राजा सब लोगों को भय देने वाले साहसी मनुष्यों को न छोड़े ॥ ३४७ ॥ ब्राह्मणादि तीन वर्णों का शस्त्र ग्रहण करना वाञ्छित है, जिस समय कि वर्णाश्रमियों का धर्म रोक जाता हो और त्रैवर्णिकों के मध्य विस्रव (खलवे) में ॥ ३४८ ॥ और अपनी रक्षा के लिये, दक्षिणा के छीनने पर, स्त्रियों और ब्राह्मणों की विपत्ति में धर्मानुसार शत्रुओं की हिंसा करने वाला दीपभागी नहीं होता ॥ ३४९ ॥ गुरु वा बालक वा वृद्ध वा बहुश्रुत ब्राह्मण, इन में कोई हो, जो अततायी होकर आवे, उस को राजा बिना विचारे (शीघ्र) मारे ॥

(३५० से आगे दो पुस्तकों में यह श्लोक अधिक पाया जाता है:-

[अग्निदीगरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापहः।
क्षेत्रदारहरश्चैव षडेते ह्याततायिनः ॥]

अग्नि से स्थानादि जलाने वाला, विष देने वाला, (सारने को) शस्त्र हाथ में लिये हुवे, धन छीनने वाला, खेत और स्त्री का हरने वाला, ये छः "आततायी" हैं ॥ इसमें छः को आततायी कहने से जान पड़ता है कि वस ये ही आततायी हैं, विशेष नहीं । परन्तु किसी ने दो नीचे लिखे श्लोक आततायी के उल्लेख को और भी बढ़ा दिये हैं जिनमें से पहला ३ और दूसरा २ पुस्तकों में पाया जाता है:-

[उद्यतासिर्विषाग्निभ्यां शापोद्यतकरस्तथा । अथर्वणेन हन्ताद्यपिशुनश्चापिराजनिः॥भार्याखियापहारी चरन्ध्रान्वेषणतत्परः । एवमाद्यान्विजानीयात्सर्वानिवाततायिनः ॥]

अर्थात्-प्रहारार्थ खड्ग उठाने वाला, विष और अग्नि से सारने वाला, शाप के लिये हाथ उठाता हुवा, अथर्ववेद के मन्त्र से सारने वाला, राजा से झूठी चुगली करने वाला ॥ स्त्रीधन का छीनने वाला, छिद्र ढूढने में तत्पर इत्यादि सभी आततायी संस्रभने चाहिये) ॥ ३५० ॥

नाततायिवधे दोषोहन्तुर्भवति कश्चनाप्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युमृच्छति ॥ ३५१ ॥ परदारामिमर्शेषु प्रवृत्तान्बृन्महीपतिः । उद्वेजनकरैर्दण्डैरिच्छन्नयित्वा प्रवासयेत् ॥ ३५२ ॥

अर्थ-लोगों के सामने वा एकान्त में सारने को तैयार हुवे के सारने में सारने वाले को कुछ भी दोष नहीं होता, क्योंकि वह क्रोध उस क्रोध को प्राप्त होता है ॥ ३५१ ॥ परस्त्रीसंभोग में प्रवृत्त पुरुषों को डराने वाले दण्ड देकर और अङ्ग भङ्ग करके राजा देश से निकालदे ॥ ३५२ ॥

तत्समुत्थोहि लोकस्य जायते वर्णसंकरः । येन मूलहरोऽधर्मः सर्वनाशाय कल्पते ॥ ३५३ ॥ परस्य पत्न्या पुरुषः संभाषां योजयन्नरहः । पूर्वमाक्षारितोदोषैः प्राप्नुयात्पूर्वसाहसम् ॥ ३५४ ॥

अर्थ-उत्ती (परस्त्रीगमन) से लोगों में वर्णसङ्कर उत्पन्न होते हैं क्योंकि मूल का नाश करने वाला अधर्म सब के नाश करने में समर्थ है ॥ ३५३ ॥ पहले बदनाम हुवा पुरुष एकान्त में दूसरे की स्त्री के साथ वात्त चीत करे तो " प्रथम साहस " दण्ड पावे ॥ ३५४ ॥

यस्त्वनाक्षारितः पूर्वमभिभाषेत कारणात् । न दोषं प्राप्नुयात्कि-
ञ्चिन्नहि तस्य व्यतिक्रमः ॥३५५॥ परस्त्रियं योऽभिवदेत्तीर्थेऽरण्ये
वनेऽपि वा । नदीनां वापि संभेदे स संग्रहणमाप्नुयात् ॥३५६॥

अर्थ—जो पहले से बहनाम नहीं है और किसी कार्य से लोगों के सामने
(परस्त्री से) बोले, वह दोष को प्राप्त न हो, क्योंकि उस का कोई अपराध
नहीं है ॥३५५॥ जो पराई स्त्री से तीर्थ वा अरण्य (जङ्गल) वा वन वा नदी
के सङ्गम में संभाषण करे उस को पर स्त्री हरण का अपराध हो ॥ ३५६ ॥

उपचारक्रियाकेलिः स्पर्शोभूषणवाससाम् । सहस्रद्ववासनं
चैव सर्वसंग्रहणं स्मृतम् ॥३५७॥ स्त्रियं स्पृशेद्देशे यः स्पृष्टो वा
मर्षयेत्तथा । परस्परस्यानुमते सर्वं संग्रहणं स्मृतम् ॥३५८॥

अर्थ—साछा चन्दनादि का भोजन, परिहास, आलिङ्गनादि करना, वस्त्र
आभूषण का स्पर्श करना, आसन तथा शय्या पर साथ रहना; इन सब
कामों को भी परस्त्रीसंग्रहण के समान कहा है ॥३५७॥ जो परस्त्री को शुद्ध
स्थान में स्पर्श करे और जो परस्त्री से चुम्बा हुवा आपस की
प्रसन्नता में सहन करे, यह सब परस्त्रीसंग्रहण कहा है ॥

३५८ से आगे १ श्लोक दो पुस्तकों में अधिक पाया जाता है:—

[कामाभिपातिनी या तु नरं स्वयमुपव्रजेत् ।

राज्ञा दास्ये नियोज्या सा कृत्वा तद्दोषघोषणम्]

जो स्त्री काम के वश स्वयं पर पुनप के समीप जावे तो राजा उस के
दोष की मनादी=डिंडमा पिटवाकर दासियों में नीकर रखे) ॥३५८॥

“अब्राह्मणः संग्रहणे प्राणान्तं दण्डमर्हति ।

चतुर्णांमपि वर्णानां दारा रक्षयत्तमाः सदा ॥५६॥”

भिक्षुका वन्दिनश्चैव दीक्षिताः कारवस्तथा ।

संभाषणं सह स्त्रीभिः कुर्युरप्रतिवारिताः ॥३६०॥

अर्थ—“ब्राह्मण को लोड कर अन्य जो कोई परस्त्री संग्रहण करे वह प्राणान्त
दण्डयोग्य है क्योंकि चारों वर्णों की स्त्री सर्वदा बहुत कंके रक्षा के योग्य हैं

(यह ३३० के विकृत है) ॥३३५॥ अशुभ, बन्दी, दीक्षित और रसोई करने वाले परस्त्री के साथ निवाश न करने पर संभाषण कर सकते हैं ॥ ३३० ॥

न संभाषां परस्त्रीभिः प्रतिषिद्धः समाचरेत् । निषिद्धोभाषमा-
णस्तु सुवर्णं दण्डमर्हति ॥३३६॥ नैष चारणदारेषु विधिर्नात्मो-
पजीविषु । सज्जयन्ति हि ते नारीर्निगूहाश्रायन्ति च ॥३३७॥

अर्थ—पराई स्त्री के साथ निषेध करने पर बात न करे और करे तो एक "सुवर्ण" दण्डयोग्य है ॥३३६॥ यह विधि चारण=नट गायकादि की स्त्रियों में नहीं है (अर्थात् इन से बोलने का निषेध नहीं है) तथा (पुत्रादि) जो अपने अधीन जो बका वाले हैं, उन में भी नहीं है । क्योंकि ये (चारणादि) छिपे हुये आप ही स्त्रियों को सज्जित करके पर पुरुषों के साथ मिलाते हैं ॥३३७॥

किञ्चिदेव तु नाप्यः स्यात्संभाषां ताभिराचरन् । प्रीण्यासु चैक-
भक्तासु रहःप्रव्रजितासु च ३३३ योऽकामां दूषयेत्कन्यां स सखी
वधमर्हति । सकामां दूषयस्तुल्यो न वधं प्राप्नुयान्नरः ॥३३४॥

अर्थ—परन्तु उन के साथ भी निर्जन देश में संभाषण करता हुआ कुछ योषा दण्ड देने योग्य है । और एकभक्ता तथा विरक्ता के साथ भी संभाषण करने से थोड़ा दण्ड दे ॥३३३॥ जो (हीनजाति) इच्छा न करने वाली कन्या से गमन करे वह उसी समय वध के योग्य है और कन्या की इच्छा से गमन करने वाला सजातीय पुरुष वध के योग्य नहीं है (किन्तु अन्य दण्डके योग्य है) ॥३३४॥

“कन्यां भजन्तीमुत्कृष्टं न किञ्चिदपि द्वापयेत् । जघन्यं सेवमानां
तु संघतां वासयेद्गृहे ॥३३५॥ उत्तमां सेवमानस्तु जघन्यो वध-
मर्हति । शुल्कं दद्यात्सेवमानः समाभिच्छेतिपता यदि ॥३३६॥”

अर्थ—ब्राह्मणादि उत्तम के साथ सङ्गम करने वाली कन्या को थोड़ा भी दण्ड न देवे और हीनजाति से सम्बन्ध करने वाली को रक्षा से घर में रखे ॥३३५॥ उत्कृष्टजातिवाली कन्या के साथ सङ्गम करने वाला हीनजाति पुरुष वध के योग्य है । और समान जाति में हो तो सेवन करने वाला, यदि उस कन्या का पिता स्वीकार करे तो शुल्क (मूल्य) दे ॥ यह व्यभिचारप्रवर्तक है । यदि विवाहविषयक माना जावे तो दण्ड की आशङ्का भी व्यर्थ है) ॥३३६॥

अभिपद्यतु यः कन्यां कुर्याद्दुर्पेण मानवः । तस्याशु कर्त्ये अङ्गुली
दण्डं चाहर्ति पट्शतम् ॥ ३६७ ॥ सकामां दूषयंस्तुल्यो नाङ्गुलि-
च्छेदमाप्नुयात् । विशतं तु दमं दाप्यः प्रसङ्गविनिवृत्तये ॥ ३६८ ॥

अर्थ—जो मनुष्य बलात्कार से कन्या को घमंड से बिगाड़े, उस की दो
अङ्गुली शीघ्र काट ली जावे और छः सौ पण दण्ड योग्य है ॥ ३६७ ॥ परन्तु
कन्या की इच्छा के साथ विगडने वाले सजातीय की अङ्गुलियों का छेदन न
हो, किन्तु प्रसङ्ग की निवृत्ति के लिये दो सौ पण दण्ड दिलाना चाहिये ॥ ३६८ ॥

कन्यैव कन्यां या कुर्यात्तस्या स्याद्द्विशतोदमः । शुल्कं च द्विगुणं
दद्याच्चिच्छाश्रीवामुयादृश ॥ ३६९ ॥ या तु कन्यां प्रकुर्यात्स्त्री सा
सद्योमौष्यमहर्ति । अङ्गुल्योरेव वा छेदं स्वरेणोद्वहनं तथा ॥ ३७० ॥

अर्थ—और कोई कन्या ही कन्या को (अङ्गुलियों से) बिगाड़े तो उस को
दो सौ पण दण्ड होना चाहिये, और कन्या के पिता को (जितना दहेज देना
पड़ता, भव जतयोनित्व की श्रद्धा से कदाचित् कोई न विवाहे, इस की
कनौड में देने के लिये) द्विगुण धन दण्डरूप शुल्क देवे और दण्ड बेल खावे
॥ ३६९ ॥ और जो स्त्री कन्या को (उङ्गुली) से बिगाड़े वह उसी समय शिर
मुंडाने योग्य है, वा उङ्गुलियों के कटवाने का दण्ड पावे और नधे पर चढ़ा
कर घुमानी योग्य है ॥ ३७० ॥

भर्तारं लङ्घयेद्यात् स्त्रीज्ञातिगुणदर्पिता । तांश्चाभिः स्वादयेद्वाजा
संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ ३७१ ॥ पुमांसं दाहयेत्पापं शयने तप्तआ-
यसे । अभ्यादध्युश्च काष्ठानि तत्र दह्यात् पापकृत् ॥ ३७२ ॥

अर्थ—जो स्त्री प्रकृत पिता बान्धव धनादि के अभिमान से पति को छोड़
कर दूसरे से सम्बन्ध करे उसको रात्रा बहुत आदमियों के बीच में कुत्तों से
नुचवावे ॥ ३७१ ॥ व्यभिचारी पापी मनुष्य को जलते लोहे की चारपाई पर
जलावे, सब लोग उस पर लकड़ियाँ डालें, जल में पाप करने वाला जले ॥ ३७२ ॥

संवत्सराभिशास्तस्य दुष्टस्य द्विगुणोदमः । व्रात्यया सह संवासे
चण्डाल्या तावदेव तु ॥ ३७३ ॥ शूद्रो गुणमङ्गुलं वा द्वैजातं
वर्णमावसन् । अगुणमङ्गुलं सर्वैर्गुणं सर्वेण हीयते ॥ ३७४ ॥

अर्थ—परस्त्रीगमन करने र दुष्टपुरुष को एक वर्ष हो जावे तो उस पुरुष को पूर्वाक्त दण्ड से दूना दंड होना चाहिये और ब्राह्म्या तथा चंडाली के साथ रहने में भी दूना दंड होना चाहिये ॥ ३९३ ॥ रक्षिता वा अरक्षिता द्विजाति वर्ण की स्त्री के साथ यदि शूद्र गमन करे, तो उसको अरक्षिता में अङ्गुष्ठेदन तथा सर्वस्वहरण दंड हां और रक्षिता में सब (शरीर तथा धनादि) से हीन कर दे ॥ ३९४ ॥

वैश्यःसर्वस्वदण्डःस्यात्संवत्सरनिरोधतः। सहस्रंक्षत्रियोदण्डो मीण्डयं मन्त्रेण चार्हति ॥३९५॥ ब्राह्मणीं यद्यगुप्तां तु गच्छेतां वैश्यपार्थिवी। वैश्यं पञ्चशतं कुर्यात्क्षत्रियं तु सहस्रिणम् ॥३९६॥

अर्थ—वैश्य यदि एक वर्ष तक परस्त्री को घर में डाले रहे तो सर्वस्व हरणरूप दंड करना चाहिये । और क्षत्रिय सहस्र दंड और मन्त्र से शिर मुंडाने योग्य है ॥ ३९५ ॥ और यदि अरक्षिता ब्राह्मणी से वैश्य क्षत्रिय गमन करे तो क्षत्रिय को सहस्र और वैश्य को पांच सौ दंड चाहिये ॥ ३९६ ॥

उभावपितृतावेव ब्राह्मण्यागुप्तयासह । विप्रतौ शूद्रवद्दण्डयो दग्धव्यौवाकटाग्निना ॥३९७॥ सहस्रंब्राह्मणोदण्डयोगुप्तां विप्रां बलाद्ब्रजन्। शतानिपञ्चदशद्वयः स्यादिच्छन्त्यासहसंगतः ॥३९८॥

अर्थ—वे दोनों (क्षत्रिय वैश्य) रक्षिता ब्राह्मणी के साथ डूबें तो शूद्रवत् दंड योग्य हैं ॥ अथवा उन्हें घटाई में लपेट कर जला देवे ॥३९७॥ रक्षिता ब्राह्मणी से यदि ब्राह्मण बलात्कार से शैथुन करे तो सहस्रपण और चाहती हुई से करे तो पांचसौ पण दंड योग्य है ॥ ३९८ ॥

“मीण्डयं प्राणान्तिकोदण्डो ब्राह्मणस्य विधीयते । इतरेषां तु वर्णानां दण्डप्राणान्तिको भवेत् ॥३९९॥ न जातु ब्राह्मणं हन्यात्सर्वपापेष्वपि स्थितमाराष्ट्रादेनं बहिः कुर्यात्ससमग्रधनमक्षतम् ॥४००॥

“अर्थ ब्राह्मण का शिर मुंडाना ही प्राणान्तिक दंड कहा है । अन्य वर्णों का प्राणदंड प्राणान्तिक ही है ॥३९९॥ सम्पूर्ण पापों से भी स्थित ब्राह्मण को कभी न मारे । किन्तु सम्पूर्ण धन के साथ बिना मारे पीटे राज्य से निकाल दे ॥ ” (ये दोनों ३९७ से विरुद्ध हैं । तथा ३-९ में भी यही दशा है) ॥ ३९९ ॥

“ न ब्राह्मणवधाद्भूयानऽधर्मा विद्यते भुवि । तस्मादप्यवधं राजा मनसापि न चिन्तयेत् ॥४०१॥

वैश्यश्चेत्क्षत्रियां गुप्तां वैश्यां वा क्षत्रियो ब्रजेत् ।

यो ब्राह्मणायामगुप्तायां तावुभौ दण्डमर्हतः ॥२८२॥

अर्थ—“ब्राह्मण के वध से बड़ा कोई पाप पृथिवी में नहीं है, इस से राजा इस के वध का मन से भी चिन्तन न करे ॥२८१॥” रक्षिता क्षत्रिया से यदि वैश्य गमन करे वा वैश्या से क्षत्रिय गमन करे तो जो अरक्षिता ब्राह्मणी से गमन में दण्ड कहा है, वही (३१६ के अनुसार) दोनों को ही ॥

(३८२ से आगे ११ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक है—

[क्षत्रियां चैव वैश्यां च गुप्तां तु ब्राह्मणो ब्रजन् ।

न मूत्रमुण्डः कर्त्तव्यो दाप्यत्तूत्तमसाहसम्] ॥

अर्थ—यदि ब्राह्मण, रक्षिता क्षत्रिया या वैश्या से गमन करे तो मूत्र से मुण्डित न कराया जावे, किन्तु “उत्तमसाहस” (१००० पण) दण्ड दिलाया जावे ॥३८२॥

सहस्रं ब्राह्मणो दण्डं दाप्यो गुप्ते तु ते ब्रजन् । शूद्रायां क्षत्रियविशो साहसो वै भवेद्दमः ॥ ३८३ ॥

क्षत्रियायामगुप्तायां वैश्ये पञ्चशतं दमः । सूत्रेण मूत्रमुण्डमिच्छेत् क्षत्रियो दण्डमेव वा ॥ ३८४ ॥

अर्थ—रक्षिता क्षत्रिया और वैश्या से जो ब्राह्मण गमन करे तो सहस्र पण दण्ड होना चाहिये और रक्षिता शूद्रा से क्षत्रिय वैश्य गमन करे तो भी सहस्र दण्ड देना चाहिये ॥ ३८३ ॥ अरक्षिता क्षत्रिया के गमन से वैश्य को पांचसौ पण दण्ड और क्षत्रिय को पांच सौ पण धन दण्ड दे अथवा चाहे तो मूत्र से मुण्डन करावे ॥

(३८४ से आगे भी २॥ श्लोक २ पुस्तकों में अधिक हैं—

[शूद्रोत्पन्नां शपापीयान् वै मुच्येत किल्बिषात् । तेभ्यो

दण्डाहृतं द्रव्यं नकोशे संग्रहेशयेत् ॥ अथाजिकंतु तद्राजा

दद्याद्भृतकवेतनम् । यथा दण्डगतं वित्तं ब्राह्मणेभ्यस्तु

लभ्येत ॥ भार्यापुरोहितस्तेना ये चान्ये तद्विधाजनाः] ॥ ३८४ ॥

अगुप्ते क्षत्रिया वैश्ये शूद्रां वा ब्राह्मणो ब्रजन् । शतानि पञ्चमुण्डद्वयः

स्यात्सहस्रं त्वन्त्यजस्त्रियम् ॥ ३८५ ॥ यस्मिन् पुरेनास्ति नान्य

स्त्रीगोन दुष्टवाक् न साहसिकदण्डो स राजा शक्रलोकभाक् ॥

अर्थ—अरक्षिता वत्रिया वैश्या वा शूद्रा से ब्राह्मण गमन करे तो पांच सौ पण दण्ड और अन्त्यजा के साथ गमन में सहस्रपण दण्ड होना चाहिये ॥३५५॥ जिस राजा के राज्य में चोरी, परस्त्री गमन, गाली देने, साहस करने और मार पीट करने वाले पुत्र न हों हैं, वह राजा स्वर्ग वा सत्यलोक का भागी होता है (एक पुस्तक में “ सत्यलोक ” पाठभेद है) ॥ ३५६ ॥

एतेषां निग्रहो राज्ञः पञ्चानां विषये स्वको साम्राज्यकृतसजात्येषु लोके चैव यशस्करः ॥३५७॥ ऋत्विजं यस्त्यजेद्याज्यो याज्यं च-
त्विक्त्यजेद्यदि शक्तं कर्मण्यदुष्टं च तयो दण्डः शतं शतम् ॥ ३५८ ॥

अर्थ—इन पांचों का अपने राज्य में निग्रह करना राजा को अपने हाथी राजाओं से साम्राज्य कराने वाला और लोगों से यश करने वाला है ॥३५७॥ जो यजमान ऋत्विज को छोड़े जो कि कर्म करने में समर्थ और दुष्ट न हो और जो ऋत्विज यजमान को छोड़े, उन दोनों को सौ २ पण दण्ड होना चाहिये ॥३५८॥

न मातान् पितान् स्त्री न पुत्रस्त्यागमर्हति। त्यजन्नपतिताने तान् राज्ञा दण्ड्यः शतानि षट् ॥३५९॥ आश्रमेषु द्विजातीनां कार्यविव-
दतां मिथः । न विब्रूयान्नृपो धर्मचिकीर्षन् हितमात्मनः ॥३६०॥

अर्थ—माता पिता पुत्र और स्त्री त्याग करने के योग्य नहीं हैं । जो इन विना पतित हुओं का त्याग करे, उस को राजा दण्डः सौ पण दण्ड दे ॥३५९॥ वानप्रस्थाश्रमी कार्य में परस्पर झगडा करने वाले द्विजों के बीच में, अपना हित करना चाहने वाला राजा धर्म (न्याय) न करे (अर्थात् ऐसे कामों में बलपूर्वक राजा का हस्तक्षेप न हो) ॥ ३६० ॥

यथार्हमेतान् भ्यर्च्य ब्राह्मणैः सह पार्थिवः । सान्त्वेन प्रशमयद्वादी

स्वधर्मं प्रतिपादयेत् ॥३६१॥ प्रतिवेश्यानुवेश्यै च कल्याणो विं-
शतिद्विजे । अर्हा विभोजयन् विप्रो दंडमर्हति भाषकम् ॥३६२॥

अर्थ—जो जैसा पूजा के योग्य है उस की वैसी पूजा करके ब्राह्मणों के साथ प्रथम उनकी सत्कावे, उस के अन्तर स्वधर्म बता देवे ॥ ३६१ ॥ निरन्तर अपने मकान में रहने वाले, और कभी २ आने जाने वाले; इन दोनों योग्यों को उत्सव में बीस ब्राह्मणों के भोजनावसर में जो ब्राह्मण, भोजन न करावे तो उसे १ सौ पण साक्षक दण्ड देना योग्य है ॥ ३६२ ॥

श्रोत्रियः श्रोत्रियं साधुं भूतिकृत्ये प्वभीजयन् तदन्नं द्विगुणं दाप्या
हिरण्यं चैव मापकम् ॥३३॥ अन्धोजदः पीठसर्पासप्तत्यास्थ-
विरश्च यः। श्रोत्रियेषूपकुर्वंश्च न दाप्याः केनचित्करम् ॥३४॥

अर्थ-यदि श्रोत्रिय विभवकार्य में एक साधु श्रोत्रिय को भोजन न करावे
तो उस अन्न से दूना अन्न और "हिरण्यमापक" दण्ड दिलाना योग्य है
॥३३॥ अन्ध, बधिर, पटु और सत्तर वर्ष का वृद्ध तथा श्रोत्रियों के उपकार
करने वाला, इन से किसी को कर दिलाना योग्य नहीं है ॥ ३४ ॥

श्रोत्रियव्याधितात्तौ च बालवृद्धावकिञ्चनम्। महाकुलीनमार्यं च
राजा संपूजयेत्सदा ॥३५॥ शाल्मलीफलकेश्मणनेनिज्यान्ने-
जकः शनैः। न च वासांसि वासोभिर्निर्हरेन्न च वासयेत् ॥३६॥

अर्थ-श्रोत्रिय, रोगी, दुःखी, बालक, वृद्ध, दरिद्र और बड़े कुल वाले
आर्य का राजा सदा सम्मान करे ॥ ३५ ॥ सेसर की चिकनी पटिया पर
धोबी धीरे धीरे कपड़ों को धोवे और दूसरे के कपड़ों से औरों के कपड़े न
बदले जावें और न बहुत दिन पड़े रखे ॥ ३६ ॥

तन्तुवायोदशपलं दद्यादेकपलाधिकम्। अतोऽन्यथावर्तमानो
दाप्योद्वादशकं दमम् ॥३७॥ शुल्कस्थानेषु कुशलाः सर्वपण्य
विचक्षणाः। कुर्युर्धन्यथापण्यं ततोविशं नृपो हरेत् ॥ ३८ ॥

अर्थ-जुलाहा दश १० पल सूत लेके एकादश ११ पल (सांठी से बढ़ने
के कारण) बरत तोल देवे, इस से विपरीत करे तो (राजा) बारह पण
दण्ड दिलावे ॥३७॥ जो खुद्वी आदि के विषय में कुशल और हर एक प्रकार
के लेने देने में चतुर हों उन सौदागरों को जो लाभ हो उस का बीसवां
भाग राजा ले ॥ ३८ ॥

राज्ञः प्रख्यातभाण्डानि प्रतिपिडुानियानि च। तानि निर्हरतो
लोभात्सर्वहारं हरेन्नृपः ॥३९॥ शुल्कस्थानं परिहरन्न काले क्रय-
विक्रयो मिथ्यावादी च संस्थाने दाप्योऽष्टगुणमत्ययम् ॥४०॥

अर्थ-राजा के जो प्रसिद्ध निजविक्रय द्रव्य और जो राजा ने बेचने से
निषेध किये हुवे द्रव्य हैं, उनको लोभ के कारण और जगह लेजाकर बेचने

वाले का सर्वस्व राजा हरण करले । ३९९॥ चुङ्गी की जगह से हट कर (चोरी से) और जगह माल ले जाने वाला, बेसमय बेचने खरीदने वाला और गिनती व तौल में झूठ बोलने वाला उचित राजकर का ८ गुणा वा जितने का झूठ बोला हो उस का आठ गुणा दण्ड दे ॥ ४०० ॥

आगमं निर्गमं स्थानं तथा वृद्धिक्षयावुभौ । विचार्य सर्व
पण्यानां कारयेत्क्रयविक्रयौ ॥ ४०१ ॥ पञ्चरात्रेपञ्चरात्रेपक्षे
पक्षेऽथवागते । कुर्वीतचैषांप्रत्यक्षमर्घसंस्थापनंनृपः ॥४०२॥

अर्थ-आने और जाने का खर्च, स्थान तथा वृद्धि और क्षय दोनों; इनको विचार कर सब वस्तुओं को खरीदने बेचने का भाव करावे ॥४०१॥ पांच पांच दिन वा पक्ष (१५वें) दिन के भाव को राजा प्रत्यक्ष नियत करावे ॥ ४०२ ॥

तुलामानं प्रतिमानं सर्वं च स्यात्सुरक्षितम्।षट्सु षट्सु च
मासेषुपुनरेव परीक्षयेत्॥४०३॥पणंयानंतरे दाप्यं पौरुषोऽर्धं
पणंतरे । पादं पशुश्रयोपिञ्चपादार्धं रिक्तकःपुमान् ॥४०४॥

अर्थ-तुला की तौल और नापों को अच्छे प्रकार देखे और छः छः महीने में फिर से दिखावे ॥४०३॥ पुल पर गाड़ी का महसूल १ पण दे और एक आदमी के बोझ का आधा पण और गाय, बैल आदि पशु तथा स्त्री चौथाई पण और खरली आदमी १ पण का ८ वां भाग दे ॥ ४०४ ॥

भागडपूर्णानि यानानितार्थं दाप्यानिसारतः।रिक्तभाण्डानि
यत्किञ्चित्पुमांसश्चपरिच्छदाः ४०५दीर्घाध्वनियथादेशं यथा
कालंतरीभवेत्।नदीतीरेषु तद्विद्यात्समुद्रेनास्तिलक्षणम् ४०६

अर्थ-पुल पर आलभरी गाड़ी का महसूल बोझ के अनुसार दे और खाली सवारी और इरिद्रपुरुषों से महसूल कुछ थोड़ा लेलेवे ॥४०५॥ लम्बी उत्तरार्द्ध का महसूल देशकालानुसार हो । उस को नदी तीर में ही जाने । समुद्र में यह लक्षण नहीं है ॥ ४०६ ॥

गर्भिणीतुद्विमासादिस्तथा प्रब्रजितोमुनिः।ब्राह्मणालिङ्गिन-
श्चैव न दाप्यास्तारिकंतरे॥४०७॥यन्नाविकिञ्चिद्दासानां विशी-
र्यतापराधतः।तद्दासैरेवदातव्यं समागम्यस्वतोऽशतः॥४०८॥

अर्थ-हो नहीने ऊपर की गर्भिणी, संन्यासी, धानप्रस्थ, ब्रह्मचारी और ब्राह्मण खेवट की खेवाह न हें ॥४०७॥ नाव पर बैठने वालों की खेवने वालों के अपराध से जो कुछ हानि हो वह अपने भाग में से सब खेवने वालों को मिल कर देनी चाहिये ॥ ४०८ ॥

एष नौयायिनामुक्तोव्यवहारस्य निर्णयः । दासापराधतस्तोये
दैविके नास्ति निग्रहः ॥ ४०९ ॥ वाणिज्यं कारयेद्वैश्यं कुसीदं
कृषिमेव च । पशूनां रक्षणं चैव दास्यं शूद्रं द्विजन्मनाम् ॥४१०॥

अर्थ-सच्चाहों के अपराध से पानी में हानि हो तो वे देवें । यह नाव से उतरने वालों के व्यवहार का निर्णय कहा । परन्तु देवी तूफान में सच्चाहों की दण्ड नहीं है ॥ ४०९ ॥ वाणिज्य, गिरवी बहा, खेती और पशुओं की रक्षा वैश्यों से और शूद्र से द्विजों की सेवा (राजा) करावे ॥ ४१० ॥

क्षत्रियं चैव वैश्यं च ब्राह्मणोवृत्तिकर्षितौ । विभृयादानृशंस्येन
स्वानिकर्माणिकारयन् ४११ दास्यं तु कारयन् लोभाद्ब्राह्मणः संस्कृता
न्द्विजान् अनिच्छतः प्राभवत्याद्राज्ञादण्ड्यः शतानिषट् ॥४१२॥

अर्थ-क्षत्रिय और वैश्य वृत्ति के अभाव से पीड़ित हों तो दया से अपने अपने कर्मों को करता हुआ ब्राह्मण उन का प्रोषण करे ॥ ४११ ॥ ब्राह्मण, प्रभुता से वा लोभ से, संस्कार किये हुवे द्विजों से बिना इच्छा के दासकर्म करावे तो राजा छः सौ पण दण्ड दिलावे ॥ ४१२ ॥

शूद्रं तु कारयेद्दास्यं क्रीतमक्रातमेव वा । दास्याथैव हि सृष्टोसी
ब्राह्मणस्य स्वयंभुवा ॥४१३॥ न स्वामिना निसृष्टोऽपि शूद्रोदा-
स्याद्विमुच्यते । निसर्गजं हि तत्तस्य कस्तस्मात्तदपोहति ॥४१४॥

अर्थ-शूद्र से तो सेवा ही करावे, वह शूद्र खरीदा हो वा न खरीदा हुआ हो । क्योंकि ब्राह्मणादि की सेवा के लिये ही ब्रह्मा ने इसे उत्पन्न किया है ॥४१३॥ स्वामी से छुटाया हुआ भी शूद्र दास्य से नहीं छूट सकता । क्योंकि वह उस का स्वाभाविक धर्म है । उस से उस को कौन हटा सकता है ॥ ४१४ ॥

ध्वजाहतोभक्तदासी गृहजः क्रीतदक्षिणौ । पैत्रिकोदंडदासश्च
सप्तैते दासयोनयः ॥४१५॥ भार्यापुत्रश्च दासश्च त्रय एवाऽधनाः
स्मृताः । यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तदुनम् ॥४१६॥

अर्थ-१-युद्ध में जीतकर लाया हुआ २-ऋतदास ३-दासीपुत्र ४-खरीदा हुआ ५-दान में दिया हुआ ६-जो बड़ों से चला आता हो और ७ दण्ड की गुद्दि के लिये जिस ने दासभाव स्वीकृत किया हो, ये सात प्रकार के दास होते हैं ॥४१५॥ भार्या, पुत्र और दास; ये तीन निर्धन कहे हैं क्योंकि जो कुछ ये कमाते हैं, वह उस का है, जिस के कि ये हैं ॥ ४१६ ॥

विस्रब्धं ब्राह्मणः शूद्राद् द्रव्योपादानमाचरेत् । न हि तस्यास्ति किञ्चित्त्वं भर्तृहार्यधनो हि सः ॥४१७॥ वैश्यशूद्रौ प्रयत्नेन स्वानि कर्माणि कारयेत् । तौ हि च्युतौ स्वकर्मभ्यः क्षोभयेतामिदं जगत्

अर्थ-भरोसे से शूद्र=दास से ब्राह्मण धन ग्रहण करले क्योंकि उस का कुछ भी अपना नहीं है, किन्तु उस का धन भर्तृघ्न है ॥४१७॥ वैश्य और शूद्रों से प्रयत्न से राजा अपने २ कर्म करावे, नहीं तो वे अपने ३ कामों से अलग होकर सम्पूर्ण जगत् को क्षोभ करा देंगे ॥ ४१८ ॥

अहन्यहन्यवेक्षित कर्मन्तान्वाहनानि चा आयव्ययौ च नियता-
वाकरान्कोशमेव च ॥४१९॥ एवं सर्वानिमान् राजा व्यवहारान्
समापयन् व्यपोह्य किल्बिषं सर्वं प्राप्नोति परमां गतिम् ४२०

अर्थ-राजा कर्मों की निष्पत्ति (फल) और वाहनों तथा आय व्यय और स्वानि तथा कोष की प्रतिदिन देखे ॥ ४१९ ॥ इस उक्त प्रकार से इन (ऋणादानादि) व्यवहारों को ठीकर निर्णय को पहुंचाता हुआ राजा सम्पूर्ण पाप को दूर करके परमगति पाता है ॥ ४२० ॥

इति मानवे धर्मशास्त्रे (भृगुप्रोक्तायां) संहितायाम्

अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

—*o*—

इति श्री तुलसीरामस्वामिविरचिते मनुभाषानुवादेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

अथ नवमोऽध्यायः

पुरुषस्य स्त्रियाश्चैव धर्म्ये वर्त्मनि तिष्ठताः।संयोगे विप्रयोगे च
धर्मान्वक्ष्यामि शाश्वतान्॥१॥अस्वतन्त्राः स्त्रियःकार्याःपुरुषैः
स्वैर्दिवानिशाम्।विषयेषु च सज्जन्त्यःसंस्थाप्याआत्मनोवशैर

अर्थ-धर्ममार्ग पर चलने वाले स्त्री पुरुषों के साथ रहने और अलग रहने के सनातनधर्मों की मैं आगे कहता हूँ । (सुनी) ॥१॥ पतियों को अपनी स्त्रियें सदा स्वाधीन रखनी चाहियें और विषयों में आसक्त होती हुईयों को अपने वश में रखना चाहिये ॥ २ ॥

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने।रक्षन्ति स्थावरे पुत्रा
न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति॥३॥कालेऽदातापितावाच्यो वाच्यश्चा-
नुपयःपतिः। मृते भर्तारि पुत्रस्तु वाच्योऽमातुररक्षिता ॥ ४ ॥

अर्थ बाल्यावस्था में पिता रक्षा करता है। यौवन में पति रक्षा करता है। बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करते हैं। स्त्री स्वतन्त्रता के योग्य नहीं है ॥ ३ ॥ विवाहकाल (१६ वें वर्ष) में कन्यादान न करने वाला पिता और ऋतुकाल में स्त्री के पास गमन न करने वाला पति और पति मरने पर सात की रक्षा न करने वाला पुत्र निन्दनीय है ॥ ४ ॥

सूक्ष्मेभ्योपि प्रसङ्गेभ्यःस्त्रियोरक्ष्याविशेषतः।द्वयोर्हि कुलयोः
शोकमावहेयुररक्षिताः ॥५॥ इमं हि सर्ववर्णानां पश्यन्तीधर्म-
मुत्तमम् । यतन्ते रक्षितुं भार्या भर्तारोर्दुर्बला अपि ॥ ६ ॥

अर्थ-घोड़े से भी कुसंग से स्त्रियों की विशेषतः रक्षा करनी चाहिये क्योंकि अरक्षित स्त्रियें दोनों कुलों को शोक देने वाली होंगी॥५॥ हम सब वर्णों के उत्तम धर्म को जानने वाले दुर्बल भी पति अपनी स्त्री रक्षा का यत्न करते हैं ॥ ६ ॥

स्वां प्रसूतिं चरित्रं च कुलमात्मानमेव च । स्वं च धर्मं प्रयत्नेन

जायां रक्षन् हि रक्षति ॥७॥ पतिर्भार्यां संप्रविश्य गर्भोभूत्वेह
जायते । जायायास्तद्वि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः ॥८॥

अर्थ—अपनी सन्तान और चरित्र तथा कुल और धर्म; इन सब को यत्न से स्त्री की रक्षा करने वाला ही रक्षित करता है ॥ ७ ॥ एक प्रकार से पति ही स्त्री में प्रवेश करके गर्भरूप होकर संसार में उत्पन्न होता है । जाया का जायात्व यही है जो कि इस में फिर से जन्मता है ॥ ८ ॥

यादृशं भजते हि स्त्री सुतं सूते तथा विधमात्स्मात्प्रजाविशुद्धार्थं
स्त्रियं रक्षेत्प्रयत्नतः ॥९॥ न कश्चिद्विषीषितः शक्तः प्रसह्य परि-
रक्षितुम् । एतैरुपाययोगैस्तु शक्यास्ताः परिरक्षितुम् ॥ १० ॥

अर्थ—जिस प्रकार के पुरुष को स्त्री सेवन करे, उसी प्रकार का पुत्र जनती है । इस कारण प्रजा की शुद्धि के लिये भी प्रयत्न से स्त्री की रक्षा करे ॥ ९ ॥ कोई बलात्कार से स्त्रियों की रक्षा नहीं कर सकता, किन्तु इन उपायों से उन की रक्षा कर सकता है (कि—) ॥ १० ॥

अर्थस्य संग्रहे चैतां व्यये चैव नियोजयेत् । शौचे धर्मे च पत्न्यां च
पारिणाह्यस्य चेक्षणे ॥११॥ अरक्षिता गृहे रुद्धाः पुरुषैराप्त-
कारिभिः । आत्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुः ता सुरक्षिताः ॥१२॥

अर्थ—धन के संग्रह, व्यय, शौच, धर्म, रसोई पकाने और घर की वस्तुओं के देखने में इस (स्त्री) की योजना करे ॥११॥ आत्मकारी पुरुषों से घर के परदे में रोको भी स्त्रियों सुरक्षित हैं, किन्तु जो अपने आप ही रक्षा करती हैं वे सुरक्षिता हैं ॥ १२ ॥

पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम् ।

स्वप्नोऽन्यगैहवासश्च नाशनां हूषणानि षट् ॥१३॥

“नैता रूपं परीक्षन्ते नाशां वयसि संस्थितिः ।

सुरूपं वा विरूपं वा पुमानित्येव भुञ्जते ॥ १४ ॥”

अर्थ—मद्यपान और दुर्जनसंसर्ग तथा पति से अलग रहना और इधर उधर घूमना तथा वे संसर्ग होना और दूसरे के घरमें रहना; ये स्त्रियों के

कः दूषण हैं ॥ १३ ॥ “ ये न तौ रूप का विचार करती हैं, न इन को आयु का ठिकाना है, सुरूप अथवा कुरूप पुरुष मात्र ही, उसे ही भोगती हैं ॥१४॥”

“पौश्रलयाञ्चलचित्ताञ्चनैस्त्रैह्याञ्च स्वभावतः। रक्षिता यत्नतो-
ऽपीह भर्तृष्वेता विकुर्वते ॥१५॥ एवं स्वभावं ज्ञात्वाऽऽसां प्रजा-
पतिनिसर्गजम्। परमं यत्नमातिष्ठेत्पुरुषोरक्षणं प्रति ॥१६॥”

“अर्थ—पुरुष पर चलने वाली होने और चित्त की चञ्चल तथा स्वभाव से ही स्नेहरहिता होने से यत्न पूर्वक रक्षित स्त्रियों भी, पति में विकार कर बैठती हैं ॥ १५ ॥ ब्रह्मा के सृष्टिकाल से साथ रहने वाला इस प्रकार इन का स्वभाव जान कर पुरुष इन की रक्षा का परम यत्न करे ॥ १६ ॥”

“शय्यासनमलङ्कारं कामं क्रोधमनार्जवम्। द्रोहभावं कुचर्यां
च स्त्रीभ्योऽमनुरकल्पयत् ॥१७॥ नास्ति स्त्रीणां क्रियामन्त्रैरिति धर्म-
व्यवस्थितिः। निरिन्द्रियाह्यमन्त्राश्च स्त्रियोऽनृतमिति स्थितिः” १८

“अर्थ—शय्या आसन अलङ्कार काम क्रोध अनार्जव द्रोहभाव और कुचर्या मनु ने स्त्रियों के लिये उत्पन्न किये हैं ॥१७॥ जातकर्मोदि क्रिया स्त्रियों की मन्त्रों से नहीं हैं। इस प्रकार धर्मशास्त्र की मर्यादा है। स्त्रियां निरिन्द्रिया और अमन्त्रा हैं और इन की स्थिति असत्य है ॥ १८ ॥”

‘तथा च श्रुतयो बहूचो निगीतानि गमेष्वपि। स्वालक्षण्यपरी-
क्षार्थं तासां शृणुत निष्कृतीः १९ यन्मे माता प्रलुलुभे विचरन्त्य-
ऽपतिव्रता। तन्मे रेतः पिता वृत्तामित्यथैतन्निदर्शनम् ॥२०॥’

“अर्थ—व्यभिचारशीला स्त्रियों के स्वभाव की परीक्षार्थ वेदों में बहुत श्रुतियाँ पठित हैं, उन श्रुतियों में जो व्यभिचार के प्रायश्चित्तभूत हैं, उन को सुनो ॥ १९ ॥ (कोई पुत्र माता का मागस व्यभिचार जान कर कहता है कि—) “जो कि मेरी माता अपतिव्रता हुई परपुरुष को चाहने वाली थी उस दुष्टता को मेरा पिता शुद्धीर्य से शाधन करे, यह उन श्रुतियों में से समूना दिखाया गया ॥ २० ॥”

“ध्यायत्यनिष्टं यत्किञ्चित्पाणिग्राहस्य चेतसा। तस्यैष व्यभि-
चारस्य निन्हवः सम्यगुच्यते ॥२१॥ याहृग्गुणेन भर्त्रा स्त्री संयुज्येत
यथाविधि। ताहृग्गुणा सा भवति समुद्रेणैव निम्नगा ॥२२॥”

अर्थ—भर्ता के विपरीत जो कुछ स्त्री दूररे पुरुष के साथ गमन चाहती है उस के इस मानस व्यभिचार को यह अच्छे प्रकार शोधनमन्त्र कहा है ॥ २१ ॥ जिन गुणों वाले पति के साथ स्त्री रीति से विवाह करके रहे, वैसे ही गुण वाली वह (स्त्री) हो जाती है । जैसे समुद्र के साथ नदी ॥२२॥

“अक्षमाला वसिष्ठेन संयुक्ताऽधमयोनिजा। शारङ्गी मन्दपालेन
जगामाभ्यर्हणीयताम् ॥२३॥ एताश्चान्याश्च लोकेऽस्मिन्नपकृष्ट
प्रसूतयः। उत्कर्षं योषितः प्राप्ताः स्वैस्वैर्भर्तृगुणैः शुभैः” ॥२४॥

अर्थ—अक्षमाला नाम की निकृष्टयोनि स्त्री वसिष्ठ से युक्त हो पूज्यता को प्राप्त हुई, ऐसे ही शारङ्गी मन्दपाल से युक्त होकर (पूज्यता को प्राप्त हुई) ॥ २३ ॥ इस लोक में ये और अन्य अधम योनियों में उत्पन्न हुई स्त्रियों अपने अपने शुभ पतिगुणों से उच्चता को प्राप्त हुईं ” ॥

(१४ वें से २४ वें तक ११ श्लोकों में ऐसी कलक है, जैसी कि चाणक्य आदि के समय स्त्रियों की अत्यन्त अविश्वस्तता की दशा थी। १४ वें में स्त्रियों को युवा आदि अवस्था और सुरूपपुरुष की आवश्यकता का अभाव लिखा है, जो इ काल में कभी नहीं हो सकता कि स्त्रियें युवा और सुरूपपुरुष की इच्छा न करें केवल पुरुषमात्र जिसे देखें उसे ही भोगने लगे। यदि कहीं अत्यन्त कामासक्ता स्त्री की यह दशा देखी भी जावे, तो पुरुषों की इस से भी दुरी अवस्थायें प्रायः होती हैं। इस लिये स्त्रियों की यह निन्दा अनुचित है। १५ वें में स्त्रियों में यह दोष बतलाया है कि उनका चित्त चञ्चल है और पुरुष पर चलता है, उन में स्नेह वा प्रीति नहीं होती। चलचित्तता तो पुरुषों में भी कम नहीं होती। हां, स्नेह तो पुरुषों से स्त्रियों में अधिक होता है। १६ वें में इनके इस दोष को ब्रह्मा का बन्नाया हुआ स्वाभाविक बतलाया है। जिस से मानी यह कहा है कि उन का स्वभाव कभी धर्मानुकूल सुधर ही नहीं सकता। इस कथन ने ऐसा कलङ्क स्त्रियों पर लगाया है कि जो प्राचीन काल की सच्चरिता देवियों की निन्दा का तो कहना ही क्या है, वर्तमान घोर समय में भी पुरुष चाहे केश ही घृणिताचार हों किन्तु स्त्रियों में अब भी अधिकांश सती वर्तमान हैं, उन की भी नितान्त असत्य निन्दा इस से होती है। १७ वें में जो शय्यासनादि दोष बताये हैं, वे पुरुषों में भी कम नहीं होते। और इस श्लोक में यह जो कहा है कि (स्त्रीभयोमनुरकल्पयत्) ये दोष

स्त्रियों के लिये मनु ने रचे ॥ इस से इस प्रकरणगत स्त्रीनिन्दा का अन्यकृत होना ली संशयित हुआ ही, किन्तु यह असत्य भी है कि ये दोष जिन में काम क्रोध अनाजव और द्रोह भी गिमाये हैं, स्त्रियों के लिये ही मनु ने रचे । क्या ये दोष पुरुषों में नहीं होते ? क्या मनु धर्मव्यवस्थापक होने के अतिरिक्त दोषयुक्त स्त्रीजाति के स्वप्ता भी थे ? १८ वें का यह कहना कि उन के इन्द्रियां नहीं होतीं, कैव श्वेत झूठ है, जब कि उन के प्रत्यक्ष हस्त पादादि इन्द्रियों की सत्ता सबजगद्गोचरीभूत है । वस इसी से उन की अमन्त्रक क्रिया के पक्षपात और अज्ञान को भी समझ सकते हैं । १९ वें में कहा है कि इस विषय में वेद की श्रुतियाँ भी प्रमाण हैं, २० वें में भा "किसी पुत्र का अपनी माता के मानस व्यभिचार को वर्णन करना" वेद की श्रुति का नमूना बताया है । परन्तु यह श्रुति वेद में कहीं नहीं, सर्वथा असत्य है । २१ वें में इस असत्यकल्पित श्रुति को मानसी व्यभिचाररूप पाप का प्रायश्चित्त बताया है ॥ २२-२४ तक में इतिहास से वसिष्ठ और मन्दपाल की स्त्री अक्षमाला और शारङ्गी नीचयोनि के उदाहरणों से इस बात को पुष्ट किया है कि पुरुष चाहे जैसी नीच स्त्री को विवाह सकते हैं, वह उन पुरुषों के सङ्ग से पवित्र हो जाती हैं । धन्य ! पुरुष बड़े स्वतन्त्र रहे और पारस की पथरी हो गयी ॥ और पूर्व जो द्विजों को सर्वर्णा स्त्री से ही विवाह करना कहा था, उस के विरोध का भी इस रचना करने वाले ने कुछ भय न किया, तथा मन्दपाल के वर्णन को जो मनु जी से बहुत पीछ हुआ है, मनुवाक्य (वा भृगुवाक्य ही सही, यदि मनु और भृगु एक काल में वर्तमान थे तो) में "जगाम" इस परीक्षभूतार्थ लिट् लकार से अत्यन्त प्राचीन वर्णन करने से भी यह असम्भव है । इत्यादि कारणों से हमारी सम्मति में यह रचना पञ्चाक्ष की है और १३ वें का २१ वें से सम्बन्ध भी ठीक मिलता है) ॥ २४ ॥

एषीदितालीकयात्रानित्यंस्त्रीपुंसयोःशुभा । प्रेत्येहचसुखोद-
 कान्प्रजाधमांस्त्रिवोधत ॥२५॥ प्रजनार्थमहाभागाः पूजार्हा
 गृहदीपयः । स्त्रियःश्रियश्चगेहेषुनविशेषोऽस्ति कश्चन ॥२६॥

अर्थ—यह स्त्रीपुरुषसम्बन्धी सदा शुभ लोकाचार कहा । अब इस लोक तथा परलोक में शुभ सुख के वर्धक सन्तानधर्मों को सुनो ॥२५॥ ये स्त्रियां बड़ी भार्यवती, सन्तान की हेतु, सत्कार (पूजन) योग्य, घर की शोभा हैं और घरों में स्त्री तथा लक्ष्मी=श्री में कुछ भेद नहीं है (अर्थात् दोनों समान हैं) ॥२६॥

उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्। प्रत्यहं लोकयात्रायाः
प्रत्यक्षं स्त्री निवन्धनम् ॥२७॥ अपत्यं धर्मकार्याणि शुश्रूषा
रतिरुत्तमा। दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च ह ॥२८॥

अर्थ—सन्तान का उत्पन्न करना और हुवे का पालन करना तथा प्रति-
दिन (अतिथि तथा मित्रों के) भोजनादि लोकाचार का प्रत्यक्ष आधारस्त्री
ही है ॥२७॥ सन्तानोत्पादन, धर्मकार्य (अग्निहोत्रादि), शुश्रूषा, उत्तम रति
तथा पितरों का और अपना स्वर्ग (सुख), ये सब भारों के अधीन हैं ॥२८॥

“पतिं या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता। सा भर्तृलोकानाम्प्रोति
सद्भिः साध्वीति चोच्यते रक्ष्यभिचारात्तु भर्तुः स्त्री लोके प्राप्नोति
निन्द्यताम्। शृगालयोनिं चाप्नोति पापरी गैश्च पीड्यते ॥३०॥

“अर्थ—जो स्त्री मन वाणी और देह से संयतवाली पति से भिन्न व्यभिचार
नहीं करती वह पतिलोकों को प्राप्त होती और शिष्ट लोगों से साध्वी कही
जाती है ॥२९॥ पुरुषान्तरसंपर्क से स्त्री, लोगों में निन्दा और जन्मान्तर में
शृगालयोनि को पाती तथा पाप के रोगों से पीड़ित होती है ॥” (५ अध्याय
के १६४। १६५ से पुनरुक्त हैं। ठीक यही पाठ और अर्थ वहाँ है) ॥ ३० ॥

पुत्रं प्रत्युदितं सद्भिः पूर्वजैश्च महिर्षिभिः। विश्वजन्यमिमं
पुण्यमुपन्यासं निबोधत ॥३१॥ भर्तुः पुत्रं विजानन्ति श्रुति-
द्वैधं तु भर्तारि। आहुस्तपादकं केचिदपरे क्षेत्रिणं विदुः ॥३२॥

अर्थ—पुत्र के विषय में पहले शिष्ट महर्षियों का कहा हुआ यह वदयमाण
पवित्र सर्वजनहितकारी विचार सुनो ॥ ३१ ॥ भर्तार का पुत्र होता है। ऐसा
लोग जानते हैं। परन्तु भर्तार के विषय में दो प्रकार की बात सुनते हैं। कोई
उत्पन्न करने वाले को लड़के वाला कहते हैं और दूसरे क्षेत्र के स्वामी=रति
को लड़के वाला लहते हैं ॥ ३२ ॥ (आगे इस विवाद का निर्णय है:—)

क्षेत्रभूता स्मृतानारी बीजभूतः स्मृतः पुमान्। क्षेत्रबीजसमा-
योगात्संभवः सर्वदेहिनाम् ॥३३॥ विशिष्टं कुत्रचिद्बीजं स्त्रीयोनि-
स्त्वेव कुत्रचित्। उभयं तु समं यत्र सा प्रसूतिः प्रशस्यते ॥३४॥

अर्थ—खेत रूप स्त्री और बीज रूप पुरुष होता है। इस कारण खेत और बीज के मिलने से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है ॥३३॥ कहीं बीज प्रधान है और कहीं धान । परन्तु जहां दोनों समान हैं, वह उत्पत्ति श्रेष्ठ है ॥३४॥ बीजम्य चैव योन्याश्च बीजमुत्कृष्टमुच्यते । सर्वभूतप्रसूतिर्हि बीजलक्षणलक्षिता ॥३५॥ यादृशं तूप्यते बीजं क्षेत्रे कालीप-पादिते । तादृग्रीहति तत्तस्मिन्बीज स्वैर्व्यञ्जितं गुणैः ॥३६॥

अर्थ—बीज और खेत इन दोनों में बीज प्रधान है, क्योंकि संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति बीजों ही के लक्षण से जानी जाती है ॥३५॥ जिस प्रकार का बीज उचित समय (वर्षादि ऋतु) में संस्कृत खेत में बोया जाता है, उस प्रकार का ही बीज अपने रङ्गरूपादि गुणों से युक्त उस खेत में उत्पन्न होता है ॥३६॥

इयं भूमिर्हि भूतानां शाश्वती योनिरुच्यते । न च योनिगुणान् कांश्चिद्बीजं पुष्यति पुष्टिषु ॥३७॥ भूमावप्येककेदारै कालीपानि कृषीबलैः । नानारूपाणि जायन्ते बीजानीह स्वभावतः ॥३८॥

अर्थ—यह भूमि प्राणियों की सनातन योनि कही जाती है, परन्तु बीज भूमि के किन्हीं गुणों को पुष्ट नहीं करता, (किन्तु अपने ही गुणों को बढ़ाता है) ॥ ३७ ॥ एक प्रकार की भूमि के खेत में भी किसान लोग समय पर अनेक बीज (यवधान्यादि) बोते हैं, परन्तु अपने स्वभाव से वे नानारूप उत्पन्न होते हैं (अर्थात् एक भूमि होने से एक रूप नहीं होता, किन्तु बीजों ही के अनुरूप भिन्न २ वृक्षादि होते हैं) ॥ ३८ ॥

ब्रीहयःशालयोमुद्गगास्तिला माषास्तथा यवाः । यथाबीजं प्ररीहन्ति लशुनानोक्षवस्तथा ॥३९॥ अन्यदुप्तं जातमन्यदित्ये-तन्नोपपद्यते । उप्यते यद्वि यद्बीजं तत्तदेव प्ररीहति ॥ ४० ॥

अर्थ—चाठी धान मूंग तिल उड़द यव लहसन और गन्ने सब जैसे २ बीज हों, वैसे ही उत्पन्न होते हैं ॥३९॥ बोया कुछ हो और उत्पन्न कुछ हो, ऐसा नहीं होता, जो २ बीज बोया जाता है, वही २ उत्पन्न होता है ॥ ४० ॥

तत्प्राज्ञेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिना ।

आयुष्कामेन वपतव्यं न जातु परयोपिति ॥ ४१ ॥

“अत्र गाथा वायुगीताः कीर्तयन्ति पुराविदुः ।
यथा बीजं न वपुष्यं पुंसां परपरिग्रहे ॥ ४२ ॥”

अर्थ—वह बीज बुद्धिमान् और शिष्ट तथा ज्ञान विज्ञान के जानने वाले और आयु की इच्छा करने वाले को दूसरे की स्त्री में कभी न बोना चाहिये ॥ ४१ ॥ “भूत काल के जानने वाले इस विषय में आयु की कहीं गाथा (छन्दोविशेषयुक्त वाक्यों) को कहते हैं । यथा—पुरुष को पराई स्त्री में बीज न बोना चाहिये ॥ ४२ ॥”

“नश्यतीषुर्षथाविदुः खेविदुमनुविदुध्यतः । तथा नश्यतिवैक्षिप्रं
बीजं परपरिग्रहे ॥ ४३ ॥ पृथ्वीरपीमां पृथिवीं भार्यां पूर्वविदो-
विदुः । स्थानुच्छेदस्य केदारमाहुः शल्यवतीमृगम् ॥ ४४ ॥

“अर्थ—जैसे दूसरे के बीचे मृग को फिर से मारने से बाध निष्फल होता है । ऐसे ही दूसरे की स्त्री में बीज का बोना शीघ्र निष्फल होता है ॥ ४३ ॥ इस पृथिवी को जो पहिले राजा पृथु की भार्या थी, (अनेक राजाओं के संबन्ध होते भी) पुराने लोग पृथु की भार्या ही जानते हैं । ऐसे ही लकड़ी आदि काट कर प्रथम खेत बनाने वाले का खेत और जिस ने पहिले शिकार किया उसी का मृग है । ऐसे ही पहिले विवाह करने वाले का पुत्र होता है । पश्चात् केवल उत्पन्न करने वाले का नहीं ॥” स्पष्ट है कि यह वायुगीता पृथु राजा से पीछे मनु में मिलाई गई) ॥ ४४ ॥

एतावानेवपुरुषो यज्जायात्माप्रजैतिह । विप्राः प्राहुस्तथा चैत-
द्योमर्त्ता सा स्मृताङ्गना ॥ ४५ ॥ न विक्रयविसर्गाभ्यां भर्तुर्भार्या
विमुच्यते । एवं धर्मं विजानीमः प्राक्प्रजापतिनिर्मितम् ॥ ४६ ॥

अर्थ—स्त्री और आपा तथा सन्तान ये तीनों मिलकर एक पुरुष कहाता है । तथा वेद के जानने वाले विप्र कहते हैं कि जो पति है, वही भार्या है (जैसा कि कुल्लुक ने श्रौतपथ का प्रमाण दिया है कि “अर्थां ह वा एष आत्म-
नस्तस्माद्यज्जायां न विन्दते०” इत्यादि) ॥ ४५ ॥ विक्रय वा त्याग से स्त्री, पति से नहीं छूट सकती, ऐसा पूर्व से प्रजापति का रचा हुआ नित्यधर्म हम जानते हैं ॥ ४६ ॥

सकृदंशोनिपतति सकृत्कन्या प्रदीयते । सकृदाह ददानीति
त्रीण्येतानि सतां सकृत्४७ यथागोश्रोष्ठदासीषुमहिष्यजावि-
कासु च । नीत्पादकः प्रजाभागी तथैवान्याङ्गनास्वपि ॥४८॥

अर्थ-विभाग एक बार ही किया जाता है और एक ही बार कन्यादान
होता है और एक ही बार वचन दिया जाता है । रुज्जनों की ये तीन
घातें एक ही बार होती हैं (लौट फेर नहीं होता) ॥ ४७ ॥ जैसे गाय,
घोड़ा, ऊंट, दासी, भैंस और भेड़ इनमें सन्तान उत्पन्न करने वाला, उस
का भागी नहीं होता, वैसे ही दूसरे की स्त्री में भी (जानो) ॥ ४८ ॥

येऽक्षेत्रिणोबीजवन्तः परक्षेत्रप्रवापिणः।ते वै सत्यस्य जातस्य
न लभन्ते फलं क्वचित् ॥४९॥ यदव्यगोषु वृषभो वत्सा नां जनये-
च्छतम् । गोमिनामेव ते वत्सा मोघं स्कन्दितमार्षभम् ॥५०॥

अर्थ-जो बिना खेत के बीज वाले (अपने बीज को) दूसरे के खेत में
बोते हैं, वे उत्पन्न हुवे अनाज के भागी कभी नहीं होते ॥ ४९ ॥ दूसरे की
गायों में सांड खी १०० बछड़े भी पैदा करे, तो भी वे बछड़े गाय वालों के
ही होते हैं, सांड का शुक्रसेचन निष्फल होता है ॥ ५० ॥

तथैवाऽक्षेत्रिणोबीजं परक्षेत्रप्रवापिणः।कुर्वन्ति क्षेत्रिणामर्थं
न बीजिलभते फलम् ५१ फलं त्वनभिसंधाय क्षेत्रिणां बीजिनां
तथा । प्रत्यक्षं क्षेत्रिणामर्थी बीजाद्योनिर्गरीयसी ॥ ५२ ॥

अर्थ-उसी प्रकार बिना खेत वाले, बीज को दूसरे के खेत में बोवें तो
खेत वाले ही का प्रयोजन सिद्ध करते हैं । बीज वाला फल नहीं पाता ॥५१॥
जहां पर खेत वाले और बीज वाले इन दोनों के फल के बांट का नियम
कुछ न हुवा हो, वहां प्रत्यक्ष में खेत वाले का प्रयोजन सिद्ध होता है । इस-
लिये बीज से योनि बहुत बलवती है ॥ ५२ ॥

क्रियाभ्युपगमात्त्वेतद्वीजार्थं यत्प्रदीयते।तस्यैह भागिनौ वृष्टौ
बीजी क्षेत्रिकएव च ॥५३॥ ओधवाताहतं बीजं यस्य क्षेत्री
प्ररोहति । क्षेत्रिकस्यैव तद्वीजं न वप्ता लभते फलम् ॥५४॥

अर्थ—वेरन्तु जो इस खेत में उत्पन्न होगा वह हमारा तुम्हारा दोनों का होगा। इस नियम पर खेत-वाला बीने के लिये बीज वाले को देता है तो उस के बीनों लोग भागी होते देखे गये हैं ॥ ५३ ॥ जो बीज जल के वेग वा वायु से उड़ कर दूसरे के खेत में गिर कर उत्पन्न हो, उस के फल का भागी खेत वाला ही होता है, न कि बीने वाला ॥ ५४ ॥

एषधर्मी गवाश्वस्य दास्युष्ट्राजाविकस्य चाविहङ्गमहिषीणां च
विज्ञेयः प्रसवं प्रति ॥ ५५ ॥ एतद्दुःसारफल्गुत्वं बीजयोन्वोः
प्रकीर्तितम् । अतः परं प्रवक्ष्यामि योषितां धर्ममापदि ॥ ५६ ॥

अर्थ—यद् (५६ से ५४ तक) व्यवस्था गाय, घोड़ा, दाही, जंत, बकरी, भेड़, पक्षी और भैंस की सन्तति में जाननी चाहिये ॥ ५५ ॥ यह बीज और योनि के प्राधान्य और अप्राधान्य तुम लोगों से कहे। अब स्त्रियों के आपत्काल का धर्म (अर्थात् सन्तान न होने में क्या होना चाहिये सो) कहता हूँ ॥ ५६ ॥

भ्रातुर्ज्येष्ठस्य भार्यायागुरुपत्न्यनुजस्य सा। यवीयसस्तुयाभार्या
स्तुषा ज्येष्ठस्य सा स्मृतम् ॥ ५७ ॥ ज्येष्ठोयवीयसीभार्यां यवीयान्
वाग्रजस्त्रियम् । पतितौ भवतीगत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥ ५८ ॥

अर्थ—बड़े भाई की स्त्री छोटे भाई को गुरुपत्नी के समान है और छोटे की स्त्री बड़े को पुत्रवधू के समान कही है ॥ ५७ ॥ बड़ा भाई छोटे भाई की स्त्री के साथ वा छोटा भाई बड़े भाई की स्त्री के साथ विना आपत्काल के (सन्तान रहते हुवे) नियोगविधि से भी गमन करने से (दोनों) पतित होते हैं (किन्तु-) ॥ ५८ ॥

देवराह्वा तपिरुडाह्वा स्त्रिया सम्यङ् नियुक्तया । प्रजेप्सिताधि
गन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ ५९ ॥ विधवायां नियुक्तस्तु घृता-
क्तोवाग्र्यतीनिशि। एकमुत्पादयेत्पुत्रं न द्वितीयं कथञ्चन ॥ ६० ॥

अर्थ—सन्तान न हो तो, पुत्र की इच्छा से भले प्रकार नियोग की हुई स्त्री को देवर या अन्य अपिरुह से यथेष्ट सन्तान उत्पन्न कर लेनी चाहिये ॥ ५९ ॥ विधवा के साथ नियोग करने वाला शरीर में घृत लगा, मौन होकर रात्रि में (भोग करे, इस प्रकार) एक पुत्र उत्पन्न करे, दूसरा कभी नहीं ॥ ६० ॥

द्वितीयमेके प्रजनंमन्यन्तेस्त्रीपुतद्विदः । अनिर्वृत्तनिष्ठागार्थं
पश्यन्तो धर्मतस्तयोः ॥ ६१ ॥ विधवायांनियोगार्थंनिर्वृत्ते तु
यथाविधि । गुरुवच्च स्नुषावच्च वर्त्तयातां परस्परम् ॥ ६२ ॥

अर्थ—दूसरे आचार्य जो नियोग से पुत्रोत्पादन की विधि को जानने वाले हैं; उन दोनों स्त्री पुरुषों के नियोग के तात्पर्य को (१ पुत्र से) सिद्ध न होता देखने हुवे स्त्रियों में दूसरा पुत्र उत्पन्न करना भी धर्म से मानते हैं ॥ ६१ ॥ विधवा में नियोग के प्रयोजन (गर्भधारण) की विधि से सिद्ध होजाने पर बड़े और छोटे भाई की स्त्रियों से दोनों आपस में गुरुपत्नी और पुत्रवधू के सा व्यवहार करें ॥ ६२ ॥

नियुक्तौयौविधिंहित्वावर्त्तयातांतुकामतः । तावुभौपतितौ स्या-
तां स्नुषागगुरुतल्पगौक्षनान्यस्मिन्विधवानारीनियोक्तव्या
द्विजातिभिः । अन्यस्मिन्निहिनियुञ्जाना धर्महन्युः सनातनम् ६४

अर्थ—जो छोटे और बड़े भाई अपनी भौजाइयों के साथ नियोग किये हुवे भी विधि को छोड़ कर कानवश भोग करें वे दोनों पतित गुरु की स्त्री और पुत्रवधू से गमन करने वाले हों ॥ ६३ ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को विधवा स्त्री का दूसरे (वर्ण) के साथ नियोग न करना चाहिये । दूसरे के साथ नियोग की हुई (स्त्रियों) सनातनधर्म का नाश करती हैं ॥ ६४ ॥

“नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीर्त्यते क्वचित् । न विवाहविधा-
वुक्तं विधवावेदनं पुनः ॥ ६५ ॥ अयं द्विजैर्हि विद्वद्भिः पशुधर्मो
विगर्हितः । मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासति ॥ ६६ ॥”

“अर्थ—विवाहसम्बन्धी मन्त्रों में कहीं नियोग नहीं कहा है और न विवाह की विधि में विधवा का पुनर्विवाह कहा है ॥ ६५ ॥ यह प्रोक्त=विधान किया हुआ भी मनुष्यों का नियोग, राजा वेत्त श्रावणकाल में विद्वान् द्विजों द्वारा पशुधर्म और निन्दायुक्त कहा गया (क्योंकि—) ॥ ६६ ॥”

“स महीमखिलांभुञ्जन् राजर्षिप्रवरः पुरा । वर्णानां संकरं चक्रे
कामोहतचेतनः ॥ ६७ ॥ ततः प्रभृति यो मोहात्प्रमीतपतिकां
स्त्रियम् । नियोजयत्यपत्यार्थं तं विगर्हति साधवः ॥ ६८ ॥”

“ अर्थ—वह वेन राजा जो राजर्षियों में बड़ा और पूर्वकाल में संपूर्ण पृथिवी को भोगता था, काम से नष्टबुद्धि होकर वर्णसङ्कर करने लगा था ॥ ६७ ॥ उस (वेन राजा के) समय से जो कोई मोह के कारण सन्तान के लिये विधवा स्त्री का नियोग करता है उस की खाधु लोग निन्दा करते हैं (किन्तु वेन से पूर्व इस की निन्दा न थी) ॥ ”

यद्यपि ६५ से ६८ तक ४ श्लोक मनु वा ऋगु के बनावे भी नहीं हैं। क्योंकि स्वायंभुव मनु सृष्टि के आरम्भ में हुवे और वेन राजा वह था जिस से पृथु हुवा, तो वेन के वैवस्वत मन्वन्तर में होने वाले जन्म को स्वायंभुव मनु अपने से पूर्व की भांति कैसे कह सकते कि भूतकाल में राजा वेन के राज्यसमय से नियोग की परिपाटी निन्दित होगई। इसलिये निम्नय ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं। परन्तु तथापि इन से नियोग की बुराई वा पूर्व मनुप्रोक्त नियोग से परस्पर विरोध नहीं आता। किन्तु यह आशय निकलता है कि वेन राजा ने कामवश नियोग की स्ववर्णानुसारिणी परिपाटी को तोड़ कर एक वर्ण का दूसरे वर्ण में नियोग प्रचरित कर वर्णसङ्कर कर दिया, तब से सज्जनों में नियोग निन्दित समझा जाने लगा। ६५ का आशय नियोग के निषेध में नहीं है, किन्तु यह है कि विवाह और नियोग भिन्न २ हैं, एक बात नहीं है, क्योंकि विवाह के मन्त्रों में नियोग नहीं कहा है। किन्तु वह विवाह से भिन्न प्रकरण के मन्त्रों (अथर्व ९।५।२७ २८ ॥ ५।१७।८ ॥ १८।३।१, ऋ० १०।१८।८ इत्यादि) में तो नियोगविधान है। विधवा का पुनर्विवाह विहित नहीं है, इस से नियोग का निषेध नहीं आता, किन्तु पुनर्विवाह का निषेध है। ६६ का तात्पर्य भी यही है कि पहिले द्विजों का स्वर्णों में ५९ के अनुसार नियोग चला आता था, परन्तु जब राजा वेन ने एक वर्ण का दूसरे वर्ण से भी प्रचरित कर दिया, तब से यह निन्दित और पशुधर्म कहाने लगा। इसमें भी सब से पुराने भाष्यकार मेधातिथि ने (द्विजैर्हि विद्वद्भिः) के स्थान में (द्विजैर्ऽविद्वद्भिः) पाठ माना है और यह भाष्य किया है कि (येऽविद्वांसः सम्यक् शास्त्रं न जानन्ति) जो शास्त्र के न जानने वाले थे उन्हों ने पशुधर्म और निन्दित कहना आरम्भ कर दिया। ६७ वें से उस का कारण भी स्पष्ट बताया है कि क्यों यह कर्म निन्दित माना जाने लगा कि उस ने वर्णों का सङ्कर (घोल मेल) कर दिया। ६८ वें में स्पष्ट कथन है कि तब से नियोग करने वालों की निन्दा होने लगी है। अर्थात् वेन से पूर्व द्विजों का द्विजों में स्वर्ण स्त्री पुरुषों का नियोग निन्दित न था) ॥ ६८ ॥

यस्याधि श्रेतकन्याया वाचा सत्येकृतैपतिः।तामनेनविधानेन
निजोविन्देत देवरः ॥६९॥ यथाविध्यधिगम्यैनां शुक्रवस्त्रां
शुचिब्रताम् । मिथोभजेताप्रसवात्सकृत्सकृद्दृतावृतौ ॥७०॥

अर्थ-जिस कन्या (पतिसंभोगरहिता) का सत्य वाग्दान (कन्यादान
सङ्कल्प) करने के पश्चात् पति मर जावे उस को इस विधान से निज देवर
प्राप्त ही (कि-) ॥६९॥ (वह देवर) नियोग विधि से इस के पाप जाकर
श्रेत वस्त्र धारण किये हुई और कायमन वाणी से पवित्र हुई के साथ सजा-
नोत्पत्तिपर्यन्त गर्भाधानकाल में एक एक बार परस्पर गमन करे (गर्भा-
धान हो जावे तक सैषुन त्याग दे) ॥ ७० ॥

नदत्त्वाकस्यचित्कन्यां पुनर्दद्याद्विचक्षणः।दत्त्वापुनःप्रयच्छन्
हि प्राप्नोतिपुरषानृतम्॥७१॥विधिवत्प्रगृह्यापित्यजेत्कन्यां
विगर्हिताम्।व्याधितांविप्रदुष्टावाछद्मनाचोपपादित्ताम् ७२

अर्थ-ज्ञानी पुरुष किसी को कन्यादान देकर फिर दूसरे को न देवे ।
क्योंकि एक को देकर दूसरे को देने वाला मनुष्य की चोरी के दाप को प्राप्त
होता है ॥७१॥ विधिपूर्वक ग्रहण की हुई भी निन्दित कन्या का त्याग करदे
जो कि दुष्ट वा रोगिणी और छल से दी गई हो ॥ ७२ ॥

यस्तुदोषवतींकन्यामनाख्यायोपपादयेत्।तस्यतद्वितथंकुर्यात्
कन्यादातुर्दुरात्मनः ॥७३॥ विधाय वृत्तिं भार्यायाः प्रवसेत्
कार्यवान्नरः।अप्रवृत्तिकर्षिताहि स्त्री प्रदुष्येतिस्थितिमत्यपि७४

अर्थ-जो दोषवाली कन्या का बिना दोष प्रकट किये विवाह करदे उस कन्या
के देनेवाले दुष्टके कन्यादान को निष्फल करदेवे (अर्थात् उसका त्याग करदे) ॥७३॥
कार्यवाला पुरुष स्त्री के भोजन कपड़े आदि का विधान करके परदेश जावे,
क्योंकि भोजन आदि से पीड़ित शीलवती भी स्त्री विगड़ सकती हैं ॥७४॥

विधायप्रोषितेवृत्तिं जीवेन्नियममास्थिता प्रोषितेत्वविधा-
यैव जीवेच्छिलपैरगर्हितैः॥७५॥प्रोषितोधर्मकार्यार्थं प्रतीक्ष्यो
ऽष्टौनरःसमाः।विद्यार्थंपुत्र्यशौर्यवाकामार्थं त्रींस्तुवत्सरान् ७६

अर्थ-भोजन आच्छादनादि देकर पति के देशान्तर जाने पर स्त्री शरीर के शङ्कारत्यागादि नियम से निर्वाह करे और विना प्रबन्ध किये जावे तो अनिन्दित शिल्पों से (निर्वाह करे) ॥ ७५ ॥ धर्मकार्य के लिये परदेश गये नर की स्त्री आठ = वर्ष पर्यन्त, यश और विद्या के लिये गया हो तो छः ६ वर्ष, और काम को गया हो तो ३ तीन वर्ष प्रतीक्षा करे ॥ ७६ ॥

संवत्सरं प्रतीक्षेत द्विषन्तीथोपितं पतिः। ऊर्ध्वं संवत्सरात्त्वेनां
दायं हत्वा न संवसेत् ॥७७॥ अतिक्रामेत्प्रमत्तया मत्तं रोगार्त्त-
मेव वा सा त्रीन्मासान्प्ररित्याज्या विभूषणपरिच्छेदात् ॥७८॥

अर्थ-द्वेष करने वाली स्त्री की एकवर्षपर्यन्त पति प्रतीक्षा करे। फिर उस के अलङ्कारादि सब छीन ले और उसके साथ न रहे (केवल अन्न वस्त्र मात्र दे) ॥ ७७ ॥ जो स्त्री प्रमादी वा मदमत्त वा उन्मादी वा रोगी पति की आज्ञा भङ्ग करे वह वस्त्र भूषण उतार कर तीन महीने तक त्यागने योग्य है ॥ ७८ ॥

उन्मत्तं पतितं क्लीवमबीजं पापरो गिणम्। न त्यागोऽस्ति द्विष-
न्त्याश्च न च दाय्यापवर्त्तनम् ॥७९॥ मद्यपाऽसाधुवृत्ताश्च प्रतिकूला
च या भवेत् व्याधिता वा धिवेत्तव्या हिंसा र्थं धी च सर्वदा ॥८०॥

अर्थ-पागल और पतित तथा नपुंसक और बीजरहित और पापरोगी, इन से द्वेष करने वाली का त्याग नहीं है और न उसका धम छीनना उचित है ॥७९॥ मद्य पीने वाली और बुरे चलने वाली तथा पति के विरुद्ध चलने वाली और सदा बीमार और मारने वाली और सदा धन का नाश करने वाली स्त्री हो तो उस के रहते हुवे भी दूसरी स्त्री करनी उचित है ॥ ८० ॥

वन्ध्याऽष्टमे धिवेद्याब्दे दशमे तु मृतप्रजा। एकादशे स्त्रीजननी
सद्यस्त्वप्रियवदिनी ॥८१॥ यारोगिणी स्यात्तुहिता संपन्ना चैव
शीलतः। सानुज्ञाण्या धिवेत्तव्या नावमान्या च कर्हिचित् ॥८२॥

अर्थ-आठ वर्ष तक कोई सन्तान न होतो दूसरी स्त्री करले और सन्तान होकर मरते ही रहें तो दशवर्ष में और लड़की ही होती हों तो ग्यारह वर्ष के पश्चात्, तथा अप्रिय बोलने वाली हो तो उसी समय (दूसरी करले) ॥८१॥ जो सदा बीमार रहे, परन्तु पति के अनुकूल और शीलवती हो तो उस से आज्ञा लेकर दूसरी स्त्री करले और पहली का अपमान करना कभी उचित नहीं है ॥८२॥

अधिविद्वान्तु यानारी निर्गच्छेद्दुरुषिता गृहात् सा सद्यः सन्नि-
रोद्धव्या त्याज्या वा कुलसन्निधौ ॥२३॥ प्रतिपिद्वा पिचेद्या तु मद्य-
सम्पुदयेष्वपि प्रेक्षा समाजंगच्छेद्वा सा दण्ड्या कृष्णलानिषट् ॥२४॥

अर्थ—दूसरी स्त्री आने से कठिनी हुई पूर्व स्त्री घर से निकल जावे तो वह उसी समय रोक कर रखनी चाहिये या मायाप के घर पहुँचा देवे ॥२३॥ जो स्त्री विवाहादि उत्सवों में निषेध करने पर भी मद्य पीवे या नाच तमाशे में जावे तो पूर्वोक्त छः ६ “ कृष्णल ” राजदण्ड योग्य है ॥ २४ ॥

“यदि स्वाशापराक्षैव निन्देरन्योपितो द्विजाः । तासां वर्णक्रमेण
स्वाश्वयैह्यं पूजा च वैशम च ॥२५॥ भर्तुः शरीरशुश्रूषां धर्मकार्यं च
नैत्यकम् । स्वा चैव कुर्यात्सर्वेषां नोऽस्वजातिः कथंचन ॥ २६ ॥ ”

अर्थ—“यदि द्विजादि (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) अपनी जाति वाली वा दूसरी जातिवालों से विवाह करें तो उन की बड़ाई और खान तथा घर वर्णक्रम से हो (२ पुस्तकों में “वेदव्रतः” पाठ है) ॥ २५ ॥ पति के शरीर की सेवा और नैतिक धर्मकार्य को सब की स्वजातीय स्त्रियाँ ही करें, अन्य जाति की कभी न (करें) ॥ २६ ॥ ”

“ यस्तु तत्कारयेन्सोहातमजात्या स्थितयान्यथा ।

यथा ब्राह्मणचण्डालः पूर्वदृष्टस्तथैव सः ॥ २७ ॥ ”

अर्थ—“जो स्वजातीय के रहते हुवे दूसरी से पूर्वोक्त कर्म सोहबस्य करावे वह जैसा ब्राह्मण चण्डाल पुरातन मुनियों ने कहा है वैसा ही है ॥ ” (२५ । २६ । २७वें श्लोक इसलिये माननीय नहीं कि ये द्विजोंके लिये अध्याय ३ के श्लोक १५ । १६ के अनुसार पतित कराने वाले और सवर्णों के साथ विवाह की विवाह-मकरणीक “ सवर्णा लक्षणा ” इत्यादि मनु की पूर्वाज्ञा के विरुद्ध हैं) ॥२७॥

उत्कृष्टायाभिहपाय वराय सहुशाय च ।

अप्राप्तानपि तां तस्मै कन्या दद्याद्यथाविधि ॥२८॥

अर्थ—कुल आचारादि से उच्च और सुन्दर तथा गुणों में बराबर वर के लिये कुछ कम आयुवाली भी कन्या यथाविधि दे देवे । २८ वें से आगे ४ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक प्रसिद्ध है—

[प्रयच्छेन्नग्निकां कन्यासृतुकालभयान्वितः ।

ऋतुमत्यां हि तिष्ठन्त्यामेनो दातारसृच्छति]

ऋतुकाल के भय से अऋतुमती कन्या का ही दान करदे । (क्योंकि ऋतु-
मती के बैठे रहने से दाता को पाप चढ़ता है) ॥

कामसामरणात्तिष्ठेद्गृहे कन्यार्तुमत्यपि न चैवैनां प्रयच्छेत्तु
गुणहीनाय कर्हि चित् ॥८९॥ त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत् कुमार्यृतुमती
सती । ऊर्ध्वं तु कालादेतस्माद्धिन्देत् सदृशं पतिम् ॥ ९० ॥

अर्थ—चाहे कन्या ऋतुवाली होकर मरने तक घर में बैठी रहे परन्तु
गुणहीन के लिये इस का कभी दान न करे ॥८९॥ रजस्वला कन्यर तीन वर्ष
तक प्रतीक्षा करे, फिर अपने बराबर गुणवाले पति को विवाह ले ॥ ९० ॥

अदीयमानाभर्तारमधिगच्छेद्यदि स्वयम् । नैनः किञ्चिदवाप्नोति
न च यं साऽधिगच्छति ॥९१॥ अलङ्कारं नाददीत् पित्र्यं कन्या
स्वयं वरा । मातृकं भ्रातृदत्तं वा स्तेना स्याद्यदि तं हरेत् ॥९२॥

अर्थ—(यदि पिता आदि की) न दी हुई कन्या आप ही पति को वर
ले तो कन्या को कुछ पाप नहीं और न जिस (पति) को वह व्याही जाती
है (उसे कुछ पाप होता है) ॥९१॥ परन्तु स्वयं विवाह करने वाली कन्या, पिता
और माता या भाई का दिया हुआ आभूषण न ले, यदि उसे लेती चोर हो ॥९२॥

“ पित्रे न दद्याच्छुल्कं तु कन्यासृतुमतीं हरन् । स हि स्वाश्यादति-

क्रामे हूतनां प्रतिरोधनात् ॥९३॥ त्रिंशद्वर्षाद्ब्रह्मेत्कन्यां हृद्यां द्वादश

वार्षिकीम् । त्र्यष्टवर्षां षष्टवर्षां वा धर्मं सीदति सत्वरः ॥ ९४ ॥ ”

अर्थ—“ऋतुवाली कन्या को हरण करता हुआ उस के पिता को शुल्क
न दे । क्योंकि रजों के रोकने से वह स्वामित्व से हीन हो जाता है । (धन्य !
क्या विना ऋतुमती का पिता “स्वामी” था !!!) ॥९३॥ तीस वर्ष का पुरुष
बारह वर्ष की मनोहारिणी कन्या से विवाह करे वा चौबीस वर्ष वाला आठ
वर्ष वाली से करे, जब कि शीघ्र न करने से धर्म पीड़ित होता हो ”

(९३ । ९४ के श्लोक इस लिये माननीय नहीं जान पड़ते हैं कि इन में कन्या का
मूल्य ऋतुमती होने पर न देना कहा है तो क्या विना ऋतुमती का विवाह हो

सकता है ? और क्या दिन ऋतुमती का मूल्य देना ही चाहिये ? विना ऋतु के विवाह करना ९० के विरुद्ध है और मूल्य लेना ९८ के विरुद्ध है) ॥ ९४ ॥

देवदत्तां पतिभार्यां विन्दते नेच्छयात्मनः । तां साधवीं विभूया-
न्नित्यं देवानां प्रियमाचरन् ॥ ९५ ॥ प्रजनार्थं स्त्रियः सृष्टाः संतानार्थं
च मानवाः । तस्मात्साधारणो धर्मः श्रुतौ पत्न्या सहोदितः ॥ ९६ ॥

अर्थ—(“भगो अर्यमा सविता पुरंधिर्मस्यं त्वादुर्गाहपत्याय देवाः” इत्यादि मन्त्रानुसार) देवतों की दी हुई भार्या को पति पाता है, कुछ अपनी इच्छा से ही नहीं, इसलिए देवतों का प्रिय आचरण करता हुआ उस सती का नित्य पालन करे ॥ ९५ ॥ गर्भ धारण करने के लिये स्त्रियों को (ईश्वर ने) उत्पन्न किया और वीर्यसन्तान के लिये पुरुष उत्पन्न किये हैं । इसी से स्त्री के साथ पुरुष का वेद में समान धर्म कहा है ॥ ९६ ॥

“कन्यायां दत्तशुल्कायां स्त्रियेत यदि शुल्कदः ।

देवराय प्रदातव्या यदि कन्याऽतुमन्यते ॥ ९७ ॥”

आददीत न शूद्रोऽपि शुल्कं दुहितरं ददन् ।

शुल्कं हि गृह्णन्कुरुते छन्नं दुहितृ विक्रयम् ॥ ९८ ॥

अर्थ—“कन्या का शुल्क देने पर यदि शुल्क देने वाला मरजात्रे तो देवर की कन्या देरनी चाहिये यदि कन्या स्वीकार करे तो (यह अगले ही ९८ के विरुद्ध है) ॥ ९७ ॥ शूद्र भी (द्विजों की तो कयाही क्या है) लड़की देता हुआ शुल्क ग्रहण न करे । शुल्क ग्रहण करने वाला छिपा हुआ कन्या का विक्रय करता है ॥ ९८ ॥

एतत्तु न परे चक्रुर्नापरे जातु साधवः । यदन्यस्य प्रतिज्ञाय
पुनरन्यस्य दीयते ॥ ९९ ॥ नानुशुश्रुम जात्वेतत्पूर्वेष्वपि हि
जन्मसु । शुल्कसंज्ञेन मूल्येन छन्नं दुहितृ विक्रयम् ॥ १०० ॥

अर्थ—यह पहिले शिष्ट पुरुष कभी नहीं करते थे और न कोई (शिष्ट) इस समय करते हैं जो कि एक के लिये कन्यादान करके दूसरे को दी आवे ॥ ९९ ॥ पूर्वजन्मों में भी हमने कभी शुल्कसंज्ञक मूल्य से छिपा लड़की का बेचना नहीं सुना ॥ १०० ॥

अन्योन्यस्याव्यभीचारीभवेदामरणान्तिकः । एषधर्मसमासेन
ज्ञेयस्त्रीपुंसयोःपरः ॥१०१॥ तथा नित्यं यतेयातांस्त्रीपुंसौ तु
कृतक्रियौ । यथा नाभिचरेतां तौ विद्युक्तावितरेतरम् ॥१०२॥

अर्थ—भार्या पति का मरण पर्यन्त आपस में व्यभिचार न होना ही स्त्री
पुरुषों का संसेव से श्रेष्ठ धर्म जानना चाहिये ॥१०१॥ विवाह वाले स्त्री पुरुषों
को सदा ऐसा यत्न करना चाहिये जिसमें कभी आपस में जुदाई न हो ॥१०२॥
एषस्त्रीपुंसयोरुक्तो धर्मो वीरतिसंहितः । आपद्यपत्यप्राप्तिश्च
दायभागं निबोधत ॥१०३॥ ऊर्ध्वं पितुश्च मातुश्च समेत्य भ्रातरः
समम् । भजेरन्पैतृकं रिक्थमनीशास्ते हि जीवतोः ॥ १०४ ॥

अर्थ यह भार्या और पति का आपस में प्रीतियुक्त धर्म और सन्तान के
न होने में सन्तान की प्राप्ति भी तुम से कही । अब दायभाग को सुनो ॥१०३॥
माता पिता के मरने पर भाई लोग मिलकर बाप के रिक्थ (जायदद आदि)
के बराबर भाग करें उनके जीवते पुत्रों को अधिकार नहीं ॥ १०४ ॥

ज्येष्ठ एव तु गृह्णीयात्पितृयं धनमशेषतः । शेषास्तमुपजीवेयु-
र्यथैव पितरं तथा ॥१०५॥ ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति
मानवः । पितृणामनृणश्चैव स तस्मात्सर्वमर्हति ॥ १०६ ॥

अर्थ—(अथवा) पिता के सम्पूर्ण धन को ज्येष्ठ पुत्र ही ग्रहण करे और
शेष छोटे भाई खाना कपड़ा लेवें, जैसे पिता की सामने रहते थे ॥१०५॥ ज्येष्ठ
के उत्पन्न होने मात्र से मनुष्य पुत्र वाला कहलाता और पितृऋण से छूट
जाता है । इस कारण ज्येष्ठ पुत्र सम्पूर्ण धन लेने योग्य है ॥ १०६ ॥

यस्मिन्क्षणे सन्नयति येन आनन्त्यमश्नुते । स एव धर्मजः पुत्रः
कायजानिपतरान्विदुः ॥१०७॥ पितेव पालयेत्पुत्रा न्ज्येष्ठी भ्रातृन्
यत्रीयसः । पुत्रवञ्चापिवर्तेरन् ज्येष्ठे भ्रातरि धर्मतः ॥१०८॥

अर्थ—जिस के उत्पन्न होने से (पितृ) ऋण दूर होता है और मोक्ष प्राप्त
होता है उसी को धर्मज पुत्र जाने । औरों को कायज कहते हैं ॥१०७॥ ज्येष्ठ
भ्राता छोटे भाइयों का पिता, पुत्र के समान पालन करे और छोटे भाई
और बड़े भाई को धर्म से पिता के समान साने ॥ १०८ ॥

ज्येष्ठःकुलं वर्धयति विनाशयति वा पुनः । ज्येष्ठ पूज्यतमो लोके
ज्येष्ठः स हि रगर्हितः ॥१०९॥ योज्येष्ठो ज्येष्ठवृत्तिः स्यान्मातेव स
पितेव सः । अज्येष्ठवृत्तिर्यस्तु स्यात्स संपूज्यस्तु बन्धुवत् ॥११०॥

अर्थ—ज्येष्ठ कुल की बढ़ाता है, ज्येष्ठ ही कुल का नाश करता है, ज्येष्ठ ही
लोगों में अति पूज्य है और ज्येष्ठ सत्पुरुषों से निन्दा को नहीं पाता ॥१०९॥
जो ज्येष्ठवृत्ति हो (पितृवत् पोषणादि करे) वह माता पिता के समान
पूज्य है और यदि माता पिता के तुल्य पोषणादि न करे तो बन्धुवत् ॥११०॥

एवं सह वसेयुर्वा पृथग्वा धर्मकाम्यथा । पृथग्विवर्धते धर्म-
स्तस्माद्दुर्म्या पृथक् क्रिया १११ ज्येष्ठस्य विंश उद्धारः सर्वद्रव्याश्च
यद्दरम् । ततोऽर्धं मध्यमस्य स्यात्तुरीयं तु यवीयसः ॥११२॥

अर्थ—इस प्रकार विना बांटे सब भाई साथ रहें अथवा धर्म की इच्छा
से सब भाई विभाग करके अलग रहें । अलग २ में धर्म बढ़ता है, इसलिये
विभाग धर्मानुकूल है ॥१११॥ उद्धार (जो निकाल कर—भाग के अतिरिक्त भेंट
दिया जाय) बड़े का सब द्रव्यों में से उत्तम बीसवां भाग होना चाहिये
और बिचले का चालीसवां तथा छोटे का ८० वां भाग होना चाहिये (जो
बच्चे उसको ११६ के अनुसार सब बराबर बांट लें) ॥ ११२ ॥

ज्येष्ठश्चैव कनिष्ठश्च संहरेतां यथोदितसूयैऽन्ये ज्येष्ठकनिष्ठाभ्यां
तेषां स्यान्मध्यमं धनम् ॥११३॥ सर्वेषां धनजातानामाददी-
ताग्रयमग्रजः । यच्च सातिशयं किञ्चिद्दशनश्राप्नुयाद्दरम् ॥११४॥

अर्थ—ज्येष्ठ और कनिष्ठ, पूर्व श्लोकानुसार उद्धार ग्रहण करें और ज्येष्ठ
तथा कनिष्ठां से जो अतिरिक्त हों उन (मध्यमों) का मध्यम भाग होना
चाहिये ॥११३॥ सब प्रकार के धनों में जो श्रेष्ठ धन हो उसको और जो
सब से अधिक हो उसको तथा जो एक वस्तु १० वस्तुओं में अधिक उत्तम
ही उसको भी ज्येष्ठ ग्रहण करे ॥ ११४ ॥

उद्धारो न दशस्वस्ति संपन्नानां त्वकर्मसु। यत्किञ्चिद्देव देयं तु
ज्यायसे मानवर्धनम् ॥११५॥ एवं समुद्भूतोद्धारि सनातनान्

प्रकल्पयेत् । उद्धारिऽनुद्घृते त्वेषामिधं स्यादंशकल्पना ॥११६॥

अर्थ—पूर्व श्लोक में दश में ज्येष्ठ वस्तु बड़ा पावे, इत्यादि उद्धार कहा परन्तु स्वकर्मा में समस्त आताश्री का नहीं है किन्तु वे जो कुछ ज्येष्ठ को देदेवे, वही सम्मानार्थ है ॥११५॥ पूर्वोक्त प्रकार से उद्धार निकलने पर बराबर भाग करें । यदि कोई उद्धार न निकाले तो आगे कहे अनुसार भाग बाँटे ॥११६॥

एकाधिकं हरेज्ज्येष्ठः पुत्रोऽध्यर्थं ततोनुजः । अंशमंशं यवीयांस
इति धर्माव्यवस्थितः ॥११७॥ स्वभ्यां शोभयस्तु कन्याभ्यः प्रदद्युर्भा-
तरः पृथक् । स्वात्स्वादंशाच्च तुर्भागं पतितोः स्युरदित्सवः ॥११८॥

अर्थ—ज्येष्ठ पुत्र एक भाग अधिक (अर्थात् दो भाग) और उस से छोटा डेढ़ भाग और शेष छोटे सब एक एक भाग ग्रहण करें । इस प्रकार धर्म की व्यवस्था है ॥११७॥ भाई लोग अपने अपने भागों में से चौथा भाग बहनों को दें । यदि देना न चाहें तो पतित हों ॥ ११८ ॥

अजाविकं सैकशफं न जातु विषमं भजेत् । अजाविकंतु विषमं
ज्येष्ठस्यैव विधीयते ॥११९॥ यवीयान् ज्येष्ठभार्यायां ७ त्रमुत्पाद-
येद्यदि । समस्तत्र विभागः स्यादिति धर्माव्यवस्थितः ॥१२०॥

अर्थ—बकरी, भेड़ तथा घोड़ा आदि एक खुर वाले पशु का विषम संख्या होने पर कभी भाग न करे किन्तु वह ज्येष्ठ पुत्र का ही है ॥११९॥ यदि कनिष्ठ भाई, ज्येष्ठ की भार्या में (नियोगविधि से) पुत्र उत्पन्न करे तो वहाँ सम विभाग होना चाहिये । ऐसी धर्म की व्यवस्था है । १२० ॥

उपसर्जनं प्रधानस्य धर्मतोनीपपद्यते ।

पिता प्रधानं प्रजने तस्माद्दुर्मणं तं भजेत् ॥१२१॥

“पुत्रः कनिष्ठो ज्येष्ठार्यां कनिष्ठार्यां च पूर्वजः ।

कथं तत्र विभागः स्यादिति चेत्संशयो भवेत् ॥ १२२ ॥”

अर्थ—प्रधान की अप्रधानता धर्मानुकूल विद्वानहीं है । और उत्पादन में पिता प्रधान है । इस कारण धर्म से उस की सेवा करे ॥१२१॥ “प्रथम विवाहिता में कनिष्ठ पुत्र और द्वितीय विवाहिता में ज्येष्ठ पुत्र होते तो वहाँ किस प्रकार विभाग होना चाहिये ? यदि इस प्रकारका संशय हो तो:—॥१२२॥”

एकं वृषभमुद्गारं स हरेत् स पूज्यः । ततोऽपरे ज्येष्ठवृषास्तदूनानां
स्वमावृतः ॥ १२३ ॥ ज्येष्ठस्तु जातो ज्येष्ठायां हरेद्दृष्टाभषोडशः ।
ततः स्वमावृतः शेषा भजेरन्निति पारणा ॥ १२४ ॥”

“अर्थ—पहिली में उत्पन्न हुवा वह कनिष्ठ भी एक श्रेष्ठ बैल भेंट में
ग्रहण करे । उस के अनन्तर कनिष्ठाओं से उत्पन्न हुवे पुत्र क्रम से अपनी २
सताओं के विवाहक्रमानुसार ज्येष्ठ हों, वे एक एक वृषभ ग्रहण करें ॥ १२३ ॥
(इस प्रलोकका पाठ भी अस्तव्यस्त है) यदि ज्येष्ठ पुत्र ज्येष्ठा में उत्पन्न हो
तो १ बैल के साथ पन्द्रह गाय ग्रहण करे । उसके अनन्तर अपनी माता
की छोटाई के हिसाब से शेष भाग बांट लेवे, यह निर्णय है ॥ १२४ ॥

“सदृशस्त्रीषु जातानां पुत्राणामविशेषतः ।

न मातृतीज्येष्ठ्यमस्ति जननीतीज्येष्ठ्यमुच्यते ॥ १२५ ॥”

जन्मज्यैष्ठ्येन चाह्वानं सुब्रह्मण्यास्वपि स्मृतम् ।

यमथीश्रिय गर्भेषु जन्मतीज्येष्ठता स्मृता ॥ १२६ ॥

अर्थ—“समस्त समान जाति की स्त्रियों से उत्पन्न हुवे पुत्रों की माता
की ज्येष्ठता नहीं, किन्तु जन्म से ज्येष्ठता कहाती है ॥”

(१२२ से १२५ तक प्रलोक अविहित शास्त्रविरुद्ध अनेक तथा असवर्णा से
विवाहों के समर्थक और १३-१५-१६ के विरुद्ध होने से त्याज्य हैं ॥ १२५ ॥

सुब्रह्मण्याख्य मन्त्र (“सुब्रह्मण्या ३ इन्द्र आगच्छ” इत्यादि ज्योति-
ष्टोम में इन्द्र को बुलाने में पढ़ते हैं । उस) में ज्येष्ठपुत्र के नाम से कहते हैं
(कि असुक का पिता यज्ञ करता है) सो वहां भी और जौड़िया दो पुत्रों में
से गर्भों में, प्रथम जन्मने वाले को ज्येष्ठता कही है ॥ १२६ ॥

अपुत्रीऽनेन विधिना सुतां कुर्वीत पुत्रिकाम् ।

यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्स्वधाकरम् ॥ १२७ ॥

अर्थ—विना पुत्र वाला इस विधि से कन्या को “पुत्रिका” करे कि
विवाह के समयमें (जाभाता से) कहे कि जो पुत्र इस के होगा वह मेरा
जलादि दान करने वाला हो (ऐसी प्रतिज्ञा करके विवाह करे ॥

१२७ वें के आगे १ प्रलोक ३ पुस्तकों में अधिक पाया जाता है :—

[अभ्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम् ।
अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रोभवेदिति] ॥

भ्राता से रहित अलंकृता कन्या आप को दूंगा, परन्तु इसमें जो पुत्र उत्पन्न हो वह मेरा पुत्र ही जावे, यह) ॥ १२७ ॥

“अनेन तु विधानेन पुरा चक्रोऽथ पुत्रिकाः ।

विवृद्ध्यर्थं स्ववंशस्य स्वयं दत्तः प्रजापतिः ॥ १२८ ॥

अर्थ—“पहिले अपने वंश की वृद्धि के लिये आप दत्त प्रजापति ने भी इस विधान से पुत्रिकाएं किई थीं ॥ १२८ ॥” (यह दत्त के पश्चात् की रचना १२८ । १२९ में है) ॥

“ददौ स दश धर्मोय काश्यपाय त्रयोदश ।

सोमाय राज्ञे सत्कृत्य प्रीतात्मा सप्तविंशतिम् ॥ १२९ ॥”

यथैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा ।

तस्याभात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्योधनं हरेत् ॥ १३० ॥

अर्थ—“उस प्रीतात्मा दत्त प्रजापतिने सत्कार करके दश धर्म को और तेरह काश्यप को तथा सत्ताईस कन्या चन्द्रमा को (पुत्रिका धर्म से) दौं थीं ॥ १२९ ॥

जैसा आपा वैसा पुत्र और पुत्र के समान कन्या है । फिर भला उसके होते हुवे अपने यहां का धन दूसरा कैसे हरे ? ॥ १३० ॥

आतुस्तु यौतकं यत्स्यात्कुमारीभाग एवसः । दौहित्रएवञ्च हरे-

दपुत्रस्याखिलं धनम् ॥ १३१ ॥ दौहित्रोह्य खिलं रिक्थमपुत्रस्य

पितुर्हरेत् । सएव दद्याद्ददौ पिण्डौ पित्रे मातामहाय च ॥ १३२ ॥

अर्थ—माता का कोड़चा कुमारी का ही भाग है और अपुत्र का संपूर्ण धन दौहित्र ही लेवे ॥ १३१ ॥ दौहित्र ही अपुत्र पिता का संपूर्ण धन ले और वही पिता और नाना इन दोनों को पिण्ड देवे । (पिण्डदान का तात्पर्य वृद्धावस्था में सेवार्थ भोजन आसादि देना जानो) ॥ १३२ ॥

पौत्रदौहित्रयोर्लोकैः विशेषोऽस्ति धर्मतः । तयोर्हिमातापितरौ

संभूतौ तस्य देहतः १३३ पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोऽनुजा-

यते । समस्तत्रविभागः स्याज्ज्येष्ठता नास्ति हि स्त्रियाः ॥ १३४ ॥

अर्थ-लोक में पुत्र और दौहित्रों की धर्म से विशेषता नहीं है क्योंकि उन के माता पिता उसी के देह से उत्पन्न हैं ॥१३३॥ पुत्रिका करनी पर यदि पीछे से पुत्र हो जावे तो वहाँ (पुत्र तथा दौहित्र के) सम विभाग करे । क्योंकि स्त्री की ज्येष्ठता नहीं है ॥ १३४ ॥

अपुत्रायां भृतायां तु पुत्रिकायां कथञ्चन धर्मतत्पुत्रिकाभर्ता
हरेतैवाऽविचारयन् ॥१३५॥ अकृता वा कृता वापियंविन्देत्सदृ-
शात्सुतम् । पौत्री मातामहस्तेन दद्यात्पिण्डं हरेदुनम् ॥१३६॥

अर्थ-“पुत्रिका” कदाचित् पुत्ररहिता ही मर जावे तो उस धन को पुत्रिका का पति ही बिना विचार किये लेले ॥१३५॥ पुत्रिका का विधान किया हो वा न भी किया हो, समान भाति वाले जामाता से जिस पुत्र को पावे, उसी से मातामह पौत्र वाला कड़ावे और पिण्ड दे और धन ले ॥ १३६ ॥

पुत्रेण लोकान्जयति पौत्रेणानत्यमश्नुते । अथ पुत्रस्य पौत्रेण
ब्रध्नस्याप्नोति विष्टपम् ॥ १३७ ॥ पुत्रान्मनो नरकाद्यस्मात्त्रायते
पितरं सुतः । तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥१३८॥

अर्थ-पुत्र के होने से लोकों को जीतता और पौत्र के होने से ब्रिकाल पर्यन्त सुख में निवास करता है । और पुत्र के पौत्र (प्रपौत्र) से तो मानों आदित्यलोक को पाता है ॥१३७॥ जिस कारण पुत्रान् मरक से पुत्र (सेवा करके) पिता को बचाता है, इस कारण आप ही ब्रह्मा ने ‘पुत्र’ कहा है ॥१३८॥

पौत्रदौहित्रयोर्लोकै विशेषो नोपपद्यते । दौहित्रोपि ह्यमुत्रैव
सन्तारयति पौत्रवत् ॥१३९॥ मातुः प्रथमतः पिण्डं निर्वपेत्पुत्रि-
कासुतः । द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तत्पितुः पितुः ॥१४०॥

अर्थ-लोक में पौत्र और दौहित्रमें कुछ विशेषता नहीं समझी जाती। क्योंकि दौहित्र भी हम (मातामह) का पौत्रवत् ही परलोक पहुँचाता है ॥१३९॥ पुत्रिकापुत्र, प्रथम माता का पिण्ड करे और दूसरा मातामह का, तीसरा माता-मह के पिता का (इस प्रकार तीनों की अन्नादि से सेवा करे) ॥ १४० ॥

उपपन्नो गुणैः सर्वैः पुत्रो यस्य तु दत्त्रिमः । स हरेतैव तद्विकथं
संप्राप्तोऽप्यन्प्रगोत्रतः ॥१४१॥ गोत्रविकथे जनयितुर्न हरेद्विकथः
क्वचित् । गोत्रविकथानुगः पिण्डोव्यपैति ददतः स्वधा ॥१४२॥

अर्थ- जिसका दत्तक पुत्र (अध्ययनादि) सम्पूर्ण गुणों से युक्त है, वह दूसरे गोत्र से प्राप्त हुवा भी उस के भाग को ग्रहण करे ॥१४१॥ (जो उत्पादक पिता ने अन्य को दे दिया उस) उत्पन्न करने वाले पिता के गोत्र और धन को दत्तक कभी न पावे, क्योंकि पिण्ड=प्रास आदि देना ही गोत्र और धन का अनुगामी है और दिये हुये पुत्र का पिण्डादि उस जनक पिता से कूट जाता है ॥१४२॥

अनियुक्तासुतश्चैव पुत्रिण्याप्तश्च देवरात् । उभौ तौ नार्हते भागं
जारजातककामजौ ॥१४३॥ नियुक्तायामपि पुमान्भार्या जाती
ऽविधानतः । नैवार्हः पैतृकं रिक्तं पतितोत्पादितो हि सः ॥१४४॥

अर्थ- विना नियोगविधि से उत्पन्न हुवा पुत्र और लहके वाली का नियोग विधि से भी देवर से उत्पन्न हुवा पुत्र, से दोनों भाग को नहीं पाते । क्यों कि ये दोनों जार से उत्पन्न और कामज हैं ॥१४३॥ नियुक्ता स्त्री में भी विना विधान उत्पन्न हुवा पुत्र (अर्थात् घृतादि लगाकर जिस नियम से रहना चाहिये, उसकी विपरीत करने वालों से उत्पन्न पुत्र) क्षेत्र वाले पिता के धन को पाने योग्य नहीं है । क्यों कि वह पतित से उत्पन्न हुवा है ॥१४४॥

हरेत्तत्र नियुक्तायां जातः पुत्रो यथौरसः । क्षेत्रिकस्य तु तद्वीजं
धर्मतः प्रसवश्च ॥१४५॥ धनं यो विभूयाद्भ्रातुर्मृतस्य स्त्रियमेव
च । सोऽपत्यं भ्रातुरुत्पाद्य दद्यात्तस्यैव तदुत्तमम् ॥१४६॥

अर्थ- नियुक्ता में उत्पन्न हुवा पुत्र, क्षेत्र वाले पिता का धन लेवे, जैसे औरस पुत्र लेता है क्यों कि वह धर्म से उत्पन्न हुवा, इस कारण क्षेत्र वाले का वीज समझा जाता है ॥१४५॥ जो मरे भाई की स्त्री तथा धन का धारण करे वह (नियोग-विधि से) भाई का पुत्र उत्पन्न करके उस धन को उसी को देवे ॥१४६॥

याऽनियुक्ताऽन्यतः पुत्रं देवराद्वाऽप्यऽवाप्नुयात् ।
तं कामजमऽरिक्तीयं वृथोत्पन्नं प्रचक्षते ॥१४७॥

“एतद्विधानं विज्ञेयं विभागस्यैकयोनिषु ।

वह्नीषु चैकजातानां नानास्त्रीषु निबोधत ॥१४८॥”

अर्थ- जो स्त्री विना नियोग देवर से वा दूसरे से पुत्र को प्राप्त हो, उस कामज को द्रव्य का भारी नहीं कहते ॥१४७॥ “समान जातिवाली भार्या में

एक पति से उत्पन्न पुत्रों के विभाग का यह विधान जानना चाहिये । अब जाना जाति की बहुत स्त्रियों में एक पति से उत्पन्न पुत्रों का (विभाग) सुतो १४८”

“ब्राह्मणस्यानुपूर्व्येण चतस्रस्तु यदि स्त्रियः । तासां पुत्रेषु जातेषु विभागेऽयं विधिः स्मृतः ॥ १४९ ॥ कीनाशोगीवृषोयानमलङ्कारश्च वैश्वस्य । विप्रद्यूद्धारिकं देयमेकांशप्रथमं प्रधानतः ॥ १५० ॥”

“अर्थ—ब्राह्मण की क्रम से (ब्राह्मणी से आदि लेके) यदि चार भायाँ हीवें तो उन के पुत्रों में यह विभाग विधि कही है किः—१४९॥ कृषि वाला झील, अश्ववादि सवारी, आभूषण, घर और प्रधान अंश प्रधानभूत ब्राह्मणों के पुत्र को देवे (औरों को आगे कहे अनुसार दे) ॥ १५० ॥”

“अथंशं दायान्तरे द्विप्रोद्वाकशी क्षत्रियासुतः । वैश्याजः सार्धमेवांशसंशं शूद्रासुतो हरेत ॥ १५१ ॥ सर्वं वा रिक्थजातं तद्दशधा परिकल्प्य च । धर्म्यं विभागं कुर्वीत विधिनाऽनेन धर्मवित् ॥ १५२ ॥”

“अर्थ—पिता के धन से ब्राह्मणी का पुत्र तीन अंश लेवे और क्षत्रिया का सुत दो अंश तथा वैश्या का पुत्र डेढ़ अंश और शूद्रा का एक अंश लेवे ॥ १५१ ॥ अथवा (बिना उद्धार के निकाले) सम्पूर्ण धन को दश भाग करके धर्म का जानने वाला इस विधि से धर्म्य विभाग करे किः— १५२ ॥”

“चतुरोऽशान्तरे द्विप्रोद्वाकशी क्षत्रियासुतः । वैश्यापुत्रो हरेत द्वायं संशं शूद्रासुतो हरेत ॥ १५३ ॥ यद्यपि स्यात् सत्पुत्रोऽप्यसत्पुत्रोऽपि वा भवेत् । नाधिकं दशमाहृत्पुत्राय भवेत् ॥ १५४ ॥”

“अर्थ—(१० भागों में से) चार अंश ब्राह्मणी का पुत्र और क्षत्रिया का तीन अंश तथा वैश्या का पुत्र दो अंश और शूद्रा का पुत्र दो अंश ले ॥ १५३ ॥ यद्यपि सत्पुत्र हो वा असत्पुत्र हो परन्तु धर्म से शूद्रा के पुत्र को दशमांश से अधिक न दे ॥ १५४ ॥”

“ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्रापुत्रेन रिक्थभाक् । यदेवास्य पितर इद्यात्तदेवास्य धनं भवेत् ॥ १५५ ॥ सप्तवर्णासु ये जाताः सर्वेषु पुत्रा हि जन्मनाम् । उद्धारं ज्यायसे दत्त्वा भजे नितरे समम् ॥ १५६ ॥”

“अर्थ—ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का शूद्रा से उत्पन्न हुवा पुत्र धन का भागी नहीं, किन्तु जो कुछ उस का पिता देदे, वही उस का धन हो ॥१५५॥ समान जाति की भार्या में द्विजातियों से उत्पन्न हुवे सब पुत्र ज्येष्ठको उद्धार देकर शेष को सम भाग करके बांट लें ॥ १५६ ॥”

“शूद्रस्य तु सर्वणैव नान्या भार्या विधीयते । तस्यां जाताः सर्वांशाः स्युर् यदि पुत्रशतं भवेत् ॥ १५७ ॥ पुत्रान् द्वादश यानाह नृणां स्वायम्भुवो मनुः । तेषां षड् बन्धुदायादाः षड्दायादबान्धवाः ॥ १५८ ॥”

“अर्थ—शूद्र की समान जाति ही की भार्या कही है, दूसरे वर्ण की नहीं कही । उस शूद्रा में यदि १०० पुत्र भी उत्पन्न हों तो भी समान अंश वाले ही हों ॥ १५७ ॥ जो मनुष्यों के द्वादश पुत्र स्वायम्भुव मनु ने कहे हैं उन में छः बन्धुदायाद हैं और छः अदायाद बान्धव हैं ॥”

(१५८ से १५८ तक ११ श्लोक भी हमारी सम्मति में अनान्य हैं । क्योंकि यथार्थ में मनु की आज्ञा से द्विजों को सर्वर्ण से ही विवाह कहा है । असर्वर्ण से विवाह करने पर पतित हो जाते हैं । तब ब्राह्मणत्वादि द्विजत्व ही नहीं रहता । १५८ में इन असर्वर्णाओं के दायभाग की प्रस्तावना है । १५९ से १५९ तक ब्राह्मण की ४ स्त्रियों के, जो चारों वर्णों में से एक २ हों, पुत्रों का दायभाग है । फिर १५५ में शूद्रापुत्र को दायभागित्व का निषेध करके ये असान्य श्लोक आपस में भी लड़ते हैं । तथा ब्राह्मण की चारों वर्ण की ४ स्त्रियों के पुत्रों का ती-वर्णन किया, परन्तु क्षत्रिय की ३ वर्ण की ३ स्त्रियों और वैश्य की २ वर्ण की स्त्रियों के पुत्र कोरंकोर ही रखे हैं । १५८ वां स्पष्ट ही अन्यकृत है जो इन अपने से पूर्व ले १० के भी अन्यकृत होने की पुष्टि करता है) ॥ १५८ ॥”

औरसःक्षेत्रजश्चैव दत्तः कृत्रिमएव च । गूढोत्पन्नोऽपविदुश्च
दायादाबान्धवाश्च षट् ॥१५९॥ कानीनश्चसहोढश्चक्रीतःपौन-

र्भवस्तथा । स्वयंदत्तश्चशौद्रश्चषड्दायादबान्धवाः ॥ १६०॥

अर्थ औरस, क्षेत्रज, दत्तक, कृत्रिम, गूढोत्पन्न, अपविदु ये छः धन के भागी बान्धव हैं ॥ १५९ ॥ कानीन, सहोढ, क्रीत, पौनर्भव, स्वयंदत्त और शौद्र; ये छः धन के भागी नहीं किन्तु केवल बान्धव हैं (इन के लक्षण १६६ से कहेंगे) ॥ १६० ॥

षाट्शंफलमाप्नोति कुप्लवैःसन्तरज्जलमृताद्दृशं फलमाप्नोति

कुपुत्रैः संतरंस्तमः ॥१६१॥ यद्येकरिक्थिनौ स्यातामौरसक्षेत्रजौ
सुतौ । यस्य यत्पैतृकं रिक्थं स तद् गृह्णीत नेतरः ॥ १६२॥

अर्थ—बुरी (टूटी फूटी) नावों से जल में तरता हुआ जिस प्रकार के फल को पाता है, उसी प्रकारका फल कुपुत्रों से दुःख को तिरने वाला पाता है ॥१६१॥ यदि अपुत्रके क्षेत्र में नियोगविधि से एक पुत्र हो, और किसी प्रकार दूसरा औरस-पुत्र भी होजावे तौ दोनों अपने-पिता के धन को ग्रहण करें, अन्य को अन्य का पुत्र न ले ॥ १६२ ॥

एकएवौरसः पुत्रः पितृयस्य वसुन प्रभुः । शेषाणामानृशंस्यार्थं
प्रदद्यात्तु प्रजीवनम् ॥१६३॥ षष्ठं तु क्षेत्रजस्यांशं प्रदद्यात्पैतृका-
दुनात् । औरसो विभजन्दायं पितृयं पञ्चममेव वा ॥ १६४ ॥

अर्थ—एक औरस पुत्र ही पिता के धन का भागी होता है, शेष सब को दया से भोजन वस्त्रादि देदेवे ॥ १६३ ॥ औरस पुत्र दाय का विभाग करता हुआ, क्षेत्रज को छठा वा पांचवां भाग पितृधन से देदेवे ॥ १६४ ॥

औरसक्षेत्रजौ पुत्रौ पितृरिक्थस्य भागिनौ । दशापरेतुक्रमशो
गोत्ररिक्थांशभागिनः ॥१६५॥ स्वक्षेत्रे संस्कृतायां तु स्वयमुत्पाद-
येद्दि यम् । तमौरसं विजानीयः त्पुत्रं प्रथमकल्पितम् ॥१६६॥

अर्थ—औरस और क्षेत्रज ये दोनों पुत्र (उक्त प्रकार से) पितृधन के लेने वाले हों और क्रमशः शेष दश पुत्र गोत्रधन के भागी हों ॥१६५॥ विवाहादि संस्कार किये हुवे अपने क्षेत्र में आप जिस को उत्पन्न करे, उस को पहिले कहा हुआ " औरस " पुत्र जानिये । १६६ ॥

यस्तल्पज प्रमीतस्य क्लीबस्य व्याधितस्य वा । स्वधर्मण नियु-
क्तायां स पुत्रः क्षेत्रजः स्मृतः १६७॥ मातापिता वा दद्यातां यमद्भिः
पुत्रमापदि । सदृशं प्रीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो दत्त्रिमः सुतः ॥१६८॥

अर्थ—जो सुत वा नपुंसक वा प्रसवविरोधी व्याधि से युक्त की स्त्री में नियोगविधि से उत्पन्न होवे वह "क्षेत्रज" पुत्र कहा है ॥१६७॥ माता वा पिता आपत्काल में जिस समान जाति वाले प्रीतियुक्त पुत्र को सद्गुण करके दे दें, वह "दत्त्रिम" पुत्र (दत्तक) जानने योग्य है । १६८ ॥

सदृशं तु प्रकुर्याद्यं गुणदोषविचक्षणम् । पुत्रं पुत्रगुणैर्युक्तं स
विज्ञेयश्च कृत्रिमः ॥ १६९ ॥ उत्पद्यते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्य
सः । स गृहे गूढोत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तल्पजः ॥ १७० ॥

अर्थ—जो सन्तान जाति वाला और गुण दोष का जानने वाला तथा पुत्र के
गुणों से युक्त पुत्र कर लिया जावे उसको “कृत्रिम” पुत्र जानना चाहिये १६९
जिसके घर में उत्पन्न होवे और न जाना जाय कि वह किसका है, वह घर
में “गूढोत्पन्न” उसका पुत्र है, जिसकी कि स्त्री ने जना है ॥ १७० ॥

मातापितृभ्यामुत्सृष्टं तयोरन्यतरेण वा । यं पुत्रं परिगृह्णीयादप-
विदुः स उच्यते ॥ १७१ ॥ पितृवेश्मनि कन्या तु यं पुत्रं जनयेद्गृहः ।
तं कानीनं वदेन्नाम्ना वीदुः कन्यासमुद्भवम् ॥ १७२ ॥

अर्थ—जो माता पिता का अधवा उन दोनों में से किसी एक का छोड़ा
हुवा है, उस पुत्र को जो ग्रहण करे, उसको उसका “अपविदु” पुत्र कहते
हैं ॥ १७१ ॥ पिता के घर में जो कन्या बिना प्रकट किये पुत्र को जने उस
कन्योत्पन्न को उस के पति का “कानीन” पुत्र नाम से कहे ॥ १७२ ॥

याशर्भिणी संस्क्रियते ज्ञाताऽज्ञातापि वा सती । वीदुः स गर्भाभि-
वतिसहोदइति चोच्यते ॥ १७३ ॥ क्रीणीयाद्यत्त्वपत्यार्थं मातापित्रो-
र्यमन्तिकात् । स क्रीतकः सुतस्तस्य सदृशोऽसदृशोऽपि वा ॥ १७४ ॥

अर्थ—जो ज्ञात वा अज्ञात शर्भिणी के साथ विवाह किया जावे, वह उसी
पति का गर्भ है और उसको “सहोद” कहते हैं ॥ १७३ ॥ सन्तान चलाने के
लिये माता पिता के पास से जिसे मोल ले लेवे, वह उस के सदृश हो वा
असदृश हो, उसको उस का “क्रीतक” पुत्र कहते हैं ॥ १७४ ॥

यापत्यावापरित्यक्ताविधवा वा स्वयेच्छया । उत्पादयेत्पुनर्भू-
त्वा सपौनर्भव उच्यते ॥ १७५ ॥ सा चेदक्षतयोनिः स्याद्गतमत्या-
गतापि वा । पौनर्भवेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारमर्हति ॥ १७६ ॥

अर्थ—जो पति की छोड़ी हुई वा विधवा स्त्री अपनी इच्छा से दूसरे की
भार्या होकर पुत्र को जने उसको “पौनर्भव” पुत्र कहते हैं ॥ १७५ ॥ वह
स्त्री यदि पूर्व पुरुष से संयुक्त न हुई तो दूसरे पौनर्भव पति से फिर

विवाह संस्कार करने के योग्य है। (अथवा फिर से उसी के पास जावे तो भी पुनः विवाह संस्कार करना योग्य है) ॥ १७६ ॥

मातापितृविहीनीयस्त्यक्तोवास्यादकारणात्। आत्मानंस्पर्शये-
द्यस्मैस्वयंदत्तस्तुसंभृतः ॥१७७॥ यंब्राह्मणस्तुशूद्रायां कामादु-
त्पादयेत्सुतम्। स पारश्वस्त्रैवशवस्तस्मात्पारश्वःस्मृतः ॥१७८॥

अर्थ जो माता पिता से होन वा बिना अपराध निकाला हुआ अपने को जिसे देदे, वह "स्वयंदत्त" कहा है ॥ १७७ ॥ जिस को ब्राह्मण-शूद्रा में काम से उत्पन्न करे वह जीता हुआ भी शव (स्मृतक) के तुल्य है, इस से उसको "पारश्व" (वा "शूद्र") कहा है ॥ १७८ ॥

दास्यांवादासदास्यांवायःशूद्रस्यसुतोभवेत्। सोऽनुज्ञातीहरेदंश-
मिति धर्मीव्यवस्थितः ॥ १७९ ॥ क्षेत्रजादीन्सुतानेतानेकादश-
यथोदितान्नापुत्रप्रतिनिधीनाहुःक्रियालोपान्मनीषिणः ॥१८०॥

अर्थ-दासी में वा दास की स्त्री में जो शूद्र का पुत्र हो वह (पिता की आज्ञा से) भाग लेवे। यह शास्त्र की मर्यादा है ॥ १७९ ॥ इन उक्त क्षेत्रजादि एकादश पुत्रों को (सेवादि) क्रिया का लोप न हो, इस कारण पुत्र का प्रतिनिधि बुद्धिमानों ने कहा है ॥ १८० ॥

यएतेऽभिहिताःपुत्राःप्रसङ्गादन्यबीजजाः। यस्यतेबीजतोजाता-
स्तस्यते नेतरस्य तु ॥१८१॥ भ्रातृणामेकजातानामेकश्चेत्पुत्र-
वान्भवेत्। सर्वांस्तांस्तेन पुत्रेण पुत्रिणोमनुरब्धवीत् ॥ १८२ ॥

अर्थ-जो ये (औरस के) प्रसङ्ग से दूसरे के बीज से उत्पन्न हुवे पुत्र कहे हैं, वे जिस के बीज से उत्पन्न हुवे हों उसी के हैं, दूसरे के नहीं ॥ १८१ ॥ संहोदर भाइयों में एक भाई भी पुत्रवान् हो तो उन सब को पुत्रवाला (सुम्न) मनु ने कहा है (अर्थात् अन्य भाइयों को नियोग वा पुनर्विवाहादि नहीं करना चाहिये) ॥ १८२ ॥

सर्वासामेकपत्नीनामेकाचेत्पुत्रिणीभवेत्। सर्वांस्तांस्तेन पुत्रेण-
प्राह पुत्रवतीर्मनुः ॥ १८३ ॥ अथसः अथसोऽलाभे पापीयान्-
रिवथमर्हति। वहवश्चेत्तु सदृशाःसर्वैरिवथस्य भागिनः ॥१८४॥

अर्थ—एक पुरुष की कई स्त्रियों में यदि एक पुत्रवाली हो तो उस पुत्र से उन सब को (सुभ्र) मनु ने पुत्रवाली कहा है ॥ १८३ ॥ औरसादि पुत्रों में पूर्व २ के अभाव में दूसरे २ नीच पुत्र धन को पाने योग्य हैं और यदि बहुत से समान हों तो सब धन के भागी होंगे ॥ १८४ ॥

न भ्रातरोन पितरःपुत्रारिक्थहरा पितुः । पिता हरेदऽपुत्रस्य
रिक्थं भ्रातरएवच ॥१८५॥ त्रयाणामुदकं कार्यं त्रिषु पिण्डः
प्रवर्त्तते । चतुर्थः संप्रदातैषां पञ्चमोनोपपद्यते ॥ १८६ ॥

अर्थ—न सहोदर भाई, न पिता धन को लेने वाले हैं किन्तु पुत्र ही धन के लेने वाले हैं, परन्तु अपुत्र का धन पिता और भाई ले लें १८५ ॥ पित्रादि तीनों को जल और पिण्ड (भोजन) दें, चौथा पिण्ड वा उदक का देने वाला है। पांचवें का यहाँ (सेवादि कार्य में) सम्बन्ध ही नहीं हो सकता ॥ (१८६ से आगे यह श्लोक केवल एक पुस्तक में ही मिलता है, अनुमान है कि अन्यो में से जाता रहा:—

(असुतास्तु पितुः पत्न्यः समानांशाः प्रकीर्त्तिताः ।
पितामह्यश्रुताः सर्वा मातृकल्पाः प्रकीर्त्तिताः)

अर्थात्—अपने पिता की जो अन्य अपुत्र भार्या (अपनी मासी) हों वे सब समान अंश की भागिनी हैं और पितामही भी। ये सब (माता के समान ही कही हैं) ॥ १८६ ॥

अनन्तरःसपिण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत् । अत ऊर्ध्वं सकुल्यः
स्यादाचार्यःशिष्यएव वा ॥१८७॥ सर्वेषामप्यभावे तु ब्राह्मणा
रिक्थभागिनः।त्रैविद्याःशुचयोदान्तास्तथा धर्मो न हीयते १८८

अर्थ—सपिण्डों में जो २ बहुत समीपी हो उस २ का धन हो और इसके उपरान्त (सपिण्ड न हो तो) आचार्य, इसके अनन्तर शिष्य धनभागी हो ॥१८७॥ और यदि ये भी न हों तो उस धन के भागी ब्राह्मण हैं। वे ब्राह्मण वेदत्रय के जानने वाले और पवित्र तथा जितेन्द्र्य हों तो धर्म नष्ट नहीं होता ॥ १८८ ॥

अहार्थंब्राह्मणद्रव्यं राज्ञानित्यमितिस्थितिः। इतरेषांतुवर्णानां
सर्वाभावे हरेन्नृपः ॥१८९॥ संस्थितस्यानपत्यस्य सगोत्रात्पुत्र-
माहरेत् । तत्र यद्विक्थजातं स्यात्तत्तस्मिन्प्रतिपादयेत् ॥१९०॥

अर्थ—ब्राह्मण का धन राजा कभी भी न ले। यह ब्राह्मण की नित्य मर्यादा है (अर्थात् वैकारिष ब्राह्मण का धन ब्राह्मणों ही को देदेवे) अन्य सब वर्णों का धन दायभागी न हो तो राजा ले लेवे ॥१८९॥ राजा, अपुत्र सरे ब्राह्मण की सन्तति के लिये समानगोन वाले से पुत्र दिलाकर सब ब्राह्मण का जो कुछ धन हो वह उस पुत्र को देदेवे ॥ १९० ॥

द्वौतुयीविवदेयात्तांद्वाभ्यांजातौस्त्रियाधनेततोर्यद्यस्यपित्रयं
स्यात्तत्सगृह्णीतनेतरः॥१९१॥जनन्यांसस्थितायांतुसमं सर्वे
सहोदराः। भजेरन्मातृकं रिक्थं भगिन्यश्च सनाभयः ॥१९२॥

अर्थ—दो पिताओं से एक माता में उत्पन्न हुवे दो पुत्र यदि स्त्रीधन के लिये लड़ें, तो उन में जो जिस के पिता का धन हो, वह उस को ग्रहण करे, अन्य न लेवे ॥१९१॥ माता के मरने पर सब सहोदर भाई और सहोदरा भगिनी मिलकर मातृधन को बराबर बांट लेवें ॥ १९२ ॥

यास्तासांस्युद्धितरस्तासामपियथाहृतः। मातामह्याधनात्किं
ञ्चित्प्रदेषं प्रीतिपूर्वकम् ॥१९३॥ अथयन्नयध्यावाहनिकं दत्तञ्च
प्रीतिकर्मणि। भ्रातृमातृपितृप्राप्तं षड्विधं स्त्रीधनं स्मृतम् ॥१९४॥

अर्थ—उन लड़कियों की जो (अविवाहिता) कन्या हों उन को भी यथायोग्य मातामही के धन से प्रीतिपूर्वक षोडश सा धन देना चाहिये ॥१९३॥
१ विवाह काल में अग्नि के सन्निधि में पित्रादिका दिया हुआ धन, २ सुलभकर दिया हुआ, ३ प्रीतिकर्म में तथा समयान्तर में पति का दिया हुआ, ४ पिता ५ भ्राता ६ माता से पाया हुआ। यह ६ प्रकार का स्त्रीधन कहा है ॥१९४॥

अन्वाधेयं च यद्दत्तं पत्याप्रीतेन वै जयत्। पत्यौ जीवति वृत्तायाः
प्रजायारतद्गुणं भवेत् ॥१९५॥ ब्राह्मणैर्वाप्यगान्धर्वप्राजापत्येषु
यद्दत्तं सु। उभयजायामतीतायां भर्तुरेव तदिष्यते ॥ १९६ ॥

अर्थ—(विवाह के उपर पति के कुल में स्त्री जो धन पावे वह) अन्वाधेय धन और जो पति ने प्रीतिकर्म में दिया हो, पति के जीते हुवे सारी स्त्री का वह सम्पूर्ण धन, सन्तान का हो ॥ १९५ ॥ ब्राह्मण, वैश्य, आप्य, गान्धर्व और प्राजापत्य, इन पांच प्रकार के विवाहों में जो (स्त्रियों का छः प्रकार का) धन है वह अपुत्रा स्त्री के मरने पर पति का ही कहा है ॥ १९६ ॥

यत्प्रत्याः स्याद्दुन्दत्तं विवाहेष्वासुरादिषु । अप्रजायामती-
तार्यां मातापितृस्तदिष्यते ॥१९७॥ स्त्रियां तु यद्भवेद्वित्तं पित्रा
दत्तं कथञ्चन ब्राह्मणी तद्दुरेकन्या तदपत्यस्य वा भवेत् ॥१९८॥

अर्थ—परन्तु आसुरादि (३) विवाहों में जो स्त्री को दिया धन है, उस स्त्री के अपुत्रा मरने पर वह (धन) माता पिता का है ॥ १९७ ॥ स्त्री के पास जो कुछ धन किसी प्रकार पिता का दिया हो, वह उस की ब्राह्मणी कन्या ग्रहण करे, अथवा उस की सन्तान का हो जावे ॥ १९८ ॥

ननिर्हारं स्त्रियः कुर्युः कुटुम्बाद्बहुमध्यगात् । स्वकादपि च वित्ताद्भि-
स्वस्य भर्तुरनाज्ञया ॥१९९॥ पत्यौ जीवतियः स्त्रीभिरलङ्कारो
धृती भवेत् । न तं भजेरन्दायादा भजमानाः पतन्ति ते ॥२००॥

अर्थ—बहुत कुटुम्ब के धन से स्त्रियें धनसञ्चय (कौरवा) न करें और न अपने धन से बिना पति की आज्ञा अलङ्कारादि (कौरवा) करें ॥ १९९ ॥ पति के जीवते हुवे (उस की सम्मति से) जो कुछ अलङ्कार स्त्रियों ने धारण किया हो, उस को (पति के मरने पर) दायित्व लोग न बाँटे । जो उस को बाँटते हैं वे पतित होते हैं ॥ २०० ॥

अनशौक्लीवपतितौ जात्यन्धवधिरौ तथा । उन्मत्तजडमूकाश्च
ये च केचिन्निरिन्द्रियाः ॥२०१॥ सर्वेषामपितुन्यायं दातुं शक्या
मनीषिणा ग्रासाच्छादनमत्यन्तं पतितो ह्यददद्भवेत् ॥२०२॥

अर्थ—नपुंसक, पतित, जन्मान्ध, बधिर, उन्मत्त, जड़, मूक और जो कोई जन्म से निरिन्द्रिय हों; ये सब पिता के धन के भागी नहीं हैं ॥२०१॥ इन सब (नपुंसकादि) को अर्यु पर्यन्त न्याय से अन्न वस्त्र यथाशक्ति शास्त्र के जानने वाले धनस्वामी को देना चाहिये । यदि न देवे तो पतित हो ॥२०२॥

यद्यर्थिता तु दारैः स्यात्क्लीबादीनां कथञ्चन । तेषामुत्पन्नतन्तू-
नामपत्यं दायमर्हति ॥२०३॥ यत्किञ्चित्पितरि प्रेते धनं ज्यैष्ठ्योऽधि-
गच्छति । भागो यवीयसां तत्र यदि विद्यानुपालितः ॥२०४॥

अर्थ—यदि कदाचित् नपुंसक को छोड़कर (अतद्गुणसंविज्ञान बहुव्रीहि समान जानने) पतितादि का विवाह करने की इच्छा हो तो उन सन्तान वालों

के सन्तान धन के भागी हैं ॥२०३॥ पिता के मरने पर ज्येष्ठ पुत्र जो कुछ धन पावे, यदि छोटा भाई विद्वान् हो तो उस में भी उस का भाग है ॥२०४॥

अविद्यानां तु सर्वेषामीहातश्चेद्वनं भवेत् । समस्तत्र विभागः स्यादपित्र्यइति धारणा ॥२०५॥ विद्याधनं तु यद्यस्य तत्तस्यैव धनं भवेत् । मैत्र्यमौद्वाहिकं चैव माधुपर्किकमेव च ॥२०६॥

अर्थ-सब विद्वान् भाइयों का यदि कृषि वाणिज्यादि से कमाया हुआ धन हो तो उस में पिता के कमाये धन को छोड़ कर सम विभाग करें (अर्थात् ज्येष्ठ को कुछ निकाल कर न दें) यह निश्चय है ॥२०५॥ विद्या, मैत्री, विवाह; इन से सम्पादित और मधुपर्कदान के काल में प्राप्त धन जिस को मिला हो उसी का हो ॥ २०६ ॥

भ्रातृणां यस्तु नेहेत धनं शक्तः स्वकर्मणा । सनिर्भाज्यः स्वकादंशात्किञ्चिद्दत्त्वोपजीवनम् ॥२०७॥ अनुपघ्नन्पितृद्रव्यं प्रमेण यदुपार्जितम् । स्वयमीहितलब्धं तन्नाकामोदातुमर्हति ॥२०८॥

अर्थ-जो अपने पुरुषार्थ से धन कमा सकता है और भाइयों के साधारण धनों को नहीं चाहता, उसको अपने भाग में से कुछ निर्वाहयोग्य धन देकर अलग करें (जिससे सब भाइयों के साझे कमाये धन में उस भाग न चाहने वाले के पुत्रादि भगवान् करें) ॥२०७॥ पिता के धन को न गमाता हुआ अपने श्रम से जो धन उपार्जित करे, वह धन न चाहे तो भाइयों को न दे ॥ २०८ ॥

पैतृकं तु पिता द्रव्यमनवाप्तं यदाप्नुयात् । न तत्पुत्रैर्भजेत्सार्धमकामः स्वयमर्जितम् ॥२०९॥ विभक्ताः सह जीवन्तो विभजेरन् पुनर्यदि । समस्तत्र विभागः स्याज्जैयष्ठ्यं तत्र न विद्यते ॥२१०॥

अर्थ-पिता अपने न पाये हुवे पैत्रिक द्रव्य को यदि फिर बड़े परिश्रम से पावे तो बिना इच्छा के उस अपने कमाये धन को पुत्रों को न बांटे ॥२०९॥ पहिले अलग हुवे हों और पश्चात् एकत्र ही व्यापारादि करते रहें और फिर यदि विभाग करें तो उसमें सम विभाग हो, उसमें बड़े का उद्धार नहीं है ॥२१०॥ ये प्राज्येष्ठः कनिष्ठोवा हीयेतांशप्रदानतः । म्रियेतान्यतरोवापि तस्य भागी न लुप्यते ॥३१॥ सोदर्याविभजेरंस्तं समेत्य सहिताः

समम् । भ्रातरोये च संसृष्टा भगिन्यश्च सनाभयः ॥२१२॥

अर्थ-जिन भाइयों के बीच में कोई छोटा वा बड़ा भाई विभागकाल में (संन्यासादि कारण से) अपने अंश से छूट जाने अथवा अरजावे तो उसका भाग लुप्त न होगा ॥२११॥ किन्तु सहोदर भाई और सहोदर भगिनी और जो मिले हुवे भाई हैं वे भी सब मिल कर उस में समान विभाग करलें ॥२१२॥

योज्येष्ठो विनिकुर्वीत लोभाद्भ्रातृन्धवीयसः । सोऽज्येष्ठः स्याद्भागश्च नियन्तव्यश्च राजभिः ॥२१३॥ सर्वेषु विकर्मस्थाना हन्ति भ्रातरो धनमानचादत्वा कनिष्ठेभ्योज्येष्ठः कुर्वीत यौतकम् ॥२१४॥

अर्थ-जो ज्येष्ठ भ्राता लोभ से कनिष्ठ भाइयों की वज्रना (ठगई) करे, वह ज्येष्ठ भ्राता अपने (ज्येष्ठ) भाग से रहित और राजों के दण्ड योग्य होवे ॥ २१३ ॥ विषदु कर्म करने वाले सब भाई धन का भाग पाने योग्य नहीं और ज्येष्ठ, कनिष्ठों को न देकर कोरवा न करे ॥ २१४ ॥

भ्रातृणामविभक्तानां यद्युत्थानं भवेत्सह । न पुत्रभागं विषमं पिता दद्यात्कथञ्चन ॥२१५॥ ऊर्ध्वं विभागाज्जातस्तु पित्रमेव हरेद्दुनम् । संसृष्टास्तेन वा ये स्युर्विभजेत स तैः सह ॥ २१६ ॥

अर्थ-भाइयों के साथ रहने वाले साफले भाई यदि (धन के उपार्जनको) साथ साथ ही उत्थान करें तो विभागकाल में पिता पुत्रों का विषम विभाग कभी न करे ॥ २१५ ॥ (यदि जीवते ही पिता ने पुत्रों की इच्छा से विभाग कर दिया हो) उस विभाग के पश्चात् पुत्र उत्पन्न हुवा, तो वह पुत्र पिता ही का भाग लेवे अथवा जो फिर से पिता के साथ रहते हों उन के साथ विभाग करे ॥ २१६ ॥

अनपत्यस्य पुत्रस्य भ्राता दायमवाप्नुयात् । मातर्यपि च वृत्तायां पितुर्माता हरेद्दुनम् ॥२१७॥ ऋणोधनं च सर्वमिन्द्रविभक्त्यथा विधिः । पश्चाद्दृश्येत यत्किञ्चित्सर्वं समतां नयेत् ॥ २१८॥

अर्थ-सन्तानरहित पुत्र का दाय साता ग्रहण करे और माता के भी अरने पर पिता की माता ग्रहण करे ॥२१७॥ ऋण और धन सब में यथाशास्त्र विभाग हो जाने पर पीछे से जो कुछ पता लगे तो उस सब को भी बराबर बांटलें (अर्थात् पिता लगाने का वा ज्येष्ठ का उद्धार देना योग्य नहीं है) ॥२१८॥

वस्त्रं पत्रमलङ्कारं कृतान्नमुदकं स्त्रियः यौगक्षेमं प्रचारं च न
विभाज्यं प्रचक्षते २१६ अथमुक्तो विभागीवः पुत्राणां च क्रिया-
विधिः । क्रमशः क्षेत्रजादीनां, द्यूतधर्मं निबोधत ॥ २२० ॥

अर्थ—वस्त्र, वाहन, आभरण और पकाया हुआ अन्न, पानी (कृपादि) तथा स्त्री और निर्वाह की अत्यन्तोपयोगी वस्तु और प्रचार (भाग) ये विभाग योग्य नहीं हैं (अर्थात् जो जिस के काम में जिस प्रकार आरहा है वही उसे वैसे ही रखे) ॥२१६॥ यह क्षेत्रजादि पुत्रों का क्रम से विभाग करने का प्रकार और क्रियाविधान तुम्हारे प्रति कहा । अब आगे द्यूतधर्म को सुनो ॥२२०॥

द्यूतं समाह्वयं चैव राजा राष्ट्रां निवारयेत् । राज्यान्तकरणावेतौ
द्वौ दोषौ पृथिवीक्षिताम् ॥ २२१ ॥ प्रकाशमेतत्तारुकर्यं यद्देवन-
समाह्वयौ । तयोर्नित्यं प्रतीघाते नृपतिर्यत्नवान्भवेत् ॥ २२२ ॥

अर्थ—द्यूत और समाह्वय (देखा २२३) को राजा राज्य में न होने देवे क्योंकि ये दोनों दोष राजाओं के राज्यका नाश करने वाले हैं ॥२२१॥ ये द्यूत और समाह्वय एकट चीर्य हैं । इनके दूर करने में राजा नित्य यत्न वाला होवे ॥ २२२ ॥

अप्राणिभिर्यत्क्रियते तल्लोके द्यूतमुच्यते । प्राणिभिः क्रियते यस्तु
स विज्ञेयः समाह्वयः ॥ २२३ ॥ द्यूतं समाह्वयं चैव यः कुर्यात्कारयेत्
वा । तान्सर्वान्घातयेद्राजा शूद्रांश्च द्विजलिङ्गिनः ॥ २२४ ॥

अर्थ—(कौड़ी फांसा इत्यादि) बेजान वस्तुओं से जो हार जीत होती है उसको "द्यूत" कहते हैं और (मैंढा मुर्गा इत्यादि) प्राणियों से जो हार जीत होती है उसको "समाह्वय" जानना चाहिये ॥२२३॥ द्यूत और समाह्वय को जो करे वा करावे, उन सबको राजा मरवा देवे (वा चोट का दण्ड देवे) और यज्ञोपवीतादि द्विजचिह्न धारण करने वाले शूद्रों को भी यही दण्ड देवे ॥२२४॥

कितवान्कुशीलवान्कूरान्पापण्डस्थांश्च मानवान् । विकर्मस्थान्
शौण्डिकांश्च क्षिप्रं निर्वासयेत्पुरात् २२५ एते राष्ट्रे वर्तमाना राज्ञः
प्रच्छन्नतरकराः । विकर्मक्रिययानित्यं बाधन्ते भद्रिकः प्रजाः २२६

अर्थ-जुवारी, धूर्त, क्रूरता करने वाले, पाषण्डी, विरुद्धकर्म करने वाले तथा शराबी मनुष्यों को राजा शीघ्र नगर से निकाल देवे ॥२२५॥ क्योंकि राजाके राज्य में ये छिपे चीर रहते हुवे कुकर्म से सली प्रजाओं को पीड़ा देते हैं ॥२५॥

द्यूतमेतत्पुराकल्पे दूष्टवैरकरं महत् । तस्माद्द्यूतं न खेलेत
हास्यार्थमपिबुद्धिमान् ॥२२७॥ प्रच्छन्नं वा प्रकाशं वा तन्निषेवेत
योनरः । तस्य दण्डविकल्पः स्याद्यथेष्टं नृपतेस्तथा ॥२२८॥

अर्थ-यह द्यूत पहिले कल्प में बड़ा वैर बढाने वाला देखा गया है, इस कारण बुद्धिमान् हास्यार्थ भी द्यूत न खेले ॥२२७॥ जो मनुष्य इस जुवे को गुप्त वा प्रकट खेले उस के दण्ड का विकल्प जैसी राजाकी इच्छा हो वैसा करे ॥२२८॥

क्षत्रविद् शूद्रयोनिस्तु दण्डं दातुमशक्नुवन् । आनृण्यं कर्मणा
गच्छेद्विप्रोदद्याच्छनैः शनैः २२९ स्त्रीबालोन्मत्तवृद्धानां दरिद्राणां
चरोगिणाम् । शिफाविदलरज्जवाद्यैर्विदध्यान्नृपतिर्दमन् २३०

अर्थ-क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र निर्धन होने के कारण दण्ड देने को असमर्थ होवें तो नौकरी करके दण्ड का ऋण उतार दें और ब्राह्मण धीरे २ देदे (अर्थात् ब्राह्मण से नौकरी न करावे) ॥ २२९ ॥ स्त्री, बाल, उन्मत्त, वृद्ध, दरिद्र और रोगी का कमची, बेत, रस्सी आदि से राजा दमन करे ॥२३०॥

येनियुक्तास्तु कार्येषु हन्युः कार्याणि कारिणाम् । धनोष्मणापच्य-
मानास्तान्निस्वान्कारयेन्नृपः २३१ कूटशासनकर्तृं प्रकृतीनां
चदूषकान् स्त्रीबालब्राह्मणघ्नांश्च हन्याद्द्विट्सेविनस्तथा २३२

अर्थ-जो पुरुष कार्यों (मुकद्दमों) में नियुक्त हों धन की गरमी से पकते हुवे कार्य वालों के कामों को बिगाड़ें, उन का सर्वस्व राजा हरण करवाले ॥२३१॥ राजा की मोहर करके वा अन्य किसी बल से राजकार्य करने वालों और असाह्यों के भेद करने वालों तथा स्त्री, बालक ब्राह्मण को मारनेवालों और शत्रु से मिले रहने वालों का राजा हनन करे ॥ २३२ ॥

तीरितं चानुशिष्टं च यत्र कचन यद्वेत् ।

कृतं तदुर्मतोविद्यान्न तदभूयोनिवर्तयेत् ॥२३३॥

अर्थ—जहाँ कहीं ऋणाऽदानादि व्यग्रहार (मुकद्वमे) का न्याय से अन्त तक निर्णय और दण्डादि तक ठीक होगया हो, तो उसको फिर से न लौटावे ॥

(२३३ से आगे एक श्लोक मिलता है, जो कि केवल अब दो पुस्तकों में पाया गया है। परन्तु यथार्थ में उसकी यहाँ आवश्यकता थी। वह यह है :—

[तीरितं चानुशिष्टं च योमन्येत विकर्मणा ।

द्विगुणं दण्डमास्थाय तत्कार्यं पुनरुदुरेत् ॥]

अर्थ—यदि कोई कार्य (मुकद्वमा) निर्णीत हो चुका हो और दण्ड भी हो चुका हो, परन्तु राजा की ससक्त में अन्याय हुआ हो तो द्विगुण दण्ड (राजकर्मचारी पर) करके उस कार्य को राजा फिर से करे) ॥ २३३ ॥

अमात्याःप्राडविवाकोवा यत्कुर्युःकार्यमन्यथा ।

तत्स्वयंनृपतिःकुर्यात्तान्सहस्रं च दण्डयेत् ॥२३४॥

अर्थ—मन्त्री अथवा मुकद्वमा करने वाला जिस मुकद्वमे को अन्याय करे उस मुकद्वमे को राजा आप करे और उन को “सहस्र” दण्ड देवे ॥ २३४ ॥

ब्रह्महा च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः। एते सर्वे पृथक्ज्ञेया
महापातकिनो नराः॥२३५॥ चतुर्णामपि चैतेषां प्रायश्चित्तमकु-
र्वताम्। शरीरं धनसंयुक्तं दण्डं धर्म्यं प्रकल्पयेत् ॥ २३६ ॥

अर्थ—ब्राह्मण का मारने वाला, मद्य वा पीने वाला, चोर और गुरु की स्त्री से व्यभिचार करने वाला, इन सब प्रत्येक को महापातकी मनुष्य जानना चाहिये ॥ २३५ ॥ प्रायश्चित्त न करते हुवे इन चारों को (राजा) धर्मानुसार धनयुक्त शरीरसम्बन्धी दण्ड करे ॥ २३६ ॥

गुरुतल्पे भगः कार्यःसुरापाने सुराध्वजः। स्तेयैश्चपदकं कार्यं

ब्रह्महण्यशिरःपुमान्॥२३७॥ असंभोज्याहासं याज्या असंपा-

ठ्याऽविवाहिनः। चरेयुःपृथिवीदीनाःसर्वधर्मबहिष्कृताः॥२३८॥

अर्थ—गुरुपत्नी के व्यभिचार में पुरुष के ललाट में तप्त लोह से भगाकार चिह्न करना चाहिये और सुरा के पीने में सुरापान के आकार का चिह्न, तथा चोरी करने में कुत्ते के पैर के आकार का चिह्न करना चाहिये और ब्राह्मण के मारने में शिर काटना चाहिये ॥२३७॥ ये (महापातकी) पण्डितों में भोजन

कराने और यज्ञ कराने तथा पहाने और विवाह सम्बन्ध के ही अयोग्य सम्पूर्ण धर्मी से बहिष्कृत हुवे दीन (गरीब) पृथिवी पर पर्यटन करें । २३८ ॥

ज्ञातिसंवन्धिभिस्त्वेते त्यक्तव्याःकृतलक्षणाः। निर्दयानिर्म-
स्कारास्तन्मनोरनुशासनमृ३६प्रायश्चित्तंतुकुर्वाणाःसर्ववर्णा
यथोदितम् । नाङ्ग्याराज्ञाललाटेस्युर्दाप्यास्तूत्तमसाहसमृ३७

अर्थ-ये चिह्न वाले जाति विरादरी से त्यागने योग्य हैं, न इज पर दया करनी चाहिये और न ये नमस्कार करने योग्य हैं, इस प्रकार (सुक) मनु की आज्ञा है ॥२३९॥ परन्तु शास्त्रविहित प्रायश्चित्त किये हुवे ये सब वर्ण राजा को ललाट में चिह्न करने योग्य नहीं हैं किन्तु "उत्तम साहस" के दण्डयोग्य हैं ॥२४०॥

आगःसुब्राह्मणस्यैव कार्योमध्यमसाहसः। विवास्योवाभवेद्वा-
ष्पात्सद्भव्यःसपरिच्छदः॥२४१॥ इतरेकृतवन्तस्तु पापान्येतान्य-
ऽकामतः । सर्वस्वहारमर्हन्ति कामतस्तु प्रवासनम् ॥ २४२ ॥

अर्थ-इन अपराधों में ब्राह्मण को ही "मध्यम साहस" दण्ड करना चाहिये अथवा धन धान्यादिके सहित राज्य से निकाल देने योग्य है ॥२४१॥ ब्राह्मण से अन्य (क्षत्रियादि) ने यदि इन पापोंको अनिच्छा से किया हो तो सर्वस्व हरण योग्य है और यदि इच्छा से किया हो तो देश से निकालने के योग्य हैं ॥२४२॥

नाददीतनृपःसाधुर्महापातकिनोधनन्। आददानस्तुतल्लोभा-
त्तेन दोषेण लिप्यते ॥२४३॥ अप्सु प्रवेश्य तं दण्डं वरुणायो-
पपादयेत् । श्रुतवृत्तोपपन्ने वा ब्राह्मणे प्रतिपादयेत् ॥२४४॥

अर्थ-धार्मिक राजा महापातकी के धन को ग्रहण न करे; लोभ से उसको लेता हुवा उस पाप से लिप्त होता है ॥२४३॥ किन्तु उस दण्डधन को पानी में धुलवा कर वरुण के यज्ञ में लगा देवे अथवा वेदसम्पन्न ब्राह्मण को दे देवे ॥२४४॥

ईशोदण्डस्य वरुणी राज्ञां दण्डधरोहिसः। ईशःसर्वस्य जगतो
ब्राह्मणोवेदपारगः ॥२४५॥ यत्र वर्जयते राजा पापकृद्दुधीधना-
गमम् । तत्र कालेन जायन्ते मानवा दीर्घजीविनः ॥ २४६ ॥

अर्थ-दण्ड का स्वामी वरुण है क्योंकि राजाओं को भी दण्ड का धर्ता (प्रभु) वरुण है। सम्पूर्ण वेद का ज्ञानने वाला ब्राह्मण सब जगत का स्वामी है (इस से दोनों दण्डधन लेने के योग्य हैं) ॥ २४५ ॥ जिस देश में राजा इन महापातकियों के धन को नहीं ग्रहण करता, उस देश में मनुष्य काल से दीर्घ आयु वाले होते हैं ॥ २४६ ॥

निष्पद्यन्ते च सस्यानि यथोप्तानि विशां पृथक्। बालाश्च न प्रमीयन्ते विकृतं न च जायते ॥२४७॥ ब्राह्मणान्बाधमानं तु कामादऽवरवर्णजम्। हन्याच्चित्रैर्वधोपायैरुद्धे जनकरैर्लृपः ॥२४८॥

अर्थ-और प्रजाओं के धान्यदि जैसे बोए गए वैसे ही अलग अलग उत्पन्न होते हैं और बालक नहीं मरते और कोई विकार नहीं होता ॥२४७॥ जान बूझ कर ब्राह्मणों को पीड़ा देने वाले शूद्र को भयानक कई प्रकार के मार पीट के उपायों से राजा दमन करे ॥ २४८ ॥

यावानऽवध्यस्य वधे तावान्वध्यस्य मोक्षणे। अधर्मानृपतेर्दुष्टो धर्मस्तु विनियच्छतः ॥२४९॥ उदितोऽयं विस्तरशी मिथो विवदमानयोः। अष्टादशसु मार्गेषु व्यवहारस्य निर्णयः ॥ २५० ॥

अर्थ-अवध्य के वध में जैसा अधर्म शास्त्र से देखा गया है वैसा ही वध्य के छोड़ने में भी राजा को अधर्म होता है और नियम करने में धर्म होता है ॥२४९॥ यह अठारह प्रकार के मार्गों में परस्पर विवादियों (सुदई सुदू आइ उह) के मुकद्दमें का निर्णय विस्तार के साथ कहा ॥ २५० ॥

एवं धर्म्याणि कार्याणि सस्य लकुर्वन्महीपतिः। देशानलब्धान्निष्पेत लब्धान्परिपालयेत् ॥२५१॥ सस्यं ह्यनिविष्टदेशस्तु कृतदुर्गं शास्त्रतः। कण्ठकोदुरणे नित्यमातिष्ठेद्यत्तमुत्तमम् ॥ २५२ ॥

अर्थ इस प्रकार धर्म्य कार्यों को अच्छे प्रकार करता हुवा राजा अलब्ध देशों को पाने की इच्छा करे और लब्धों का परिपालन करे ॥२५१॥ अच्छे प्रकार बसे देश में (सप्तमाध्याय में कही रीति के अनुसार) किले बनाकर घोर द्याकू आदि कण्ठकों के उद्धार में सर्वदा उत्तम यत्न करे ॥ २५२ ॥

रक्षणादार्यवृत्तानां कण्ठकानां च शाधनात्तानरेन्द्रास्त्रिदिवं
यान्ति प्रजापालनतत्पराः ॥२५३॥ अशासंस्तस्करान्यस्तु बलिं
गृह्णाति पार्थिवः। तस्य प्रभुभयते राष्ट्रं स्वर्गाञ्च परिहीयते ॥२५४॥

अर्थ—अच्छे आचरण वालों की रक्षा और चौरादि के शोधन से प्रजा-
पालन में तत्पर राजा स्वर्ग को प्राप्त होते हैं ॥२५३॥ जो राजा चौरादि को
दण्ड न करके अपना बलि (मालगुजारी) लेता है, उस की प्रजा उस से
बिगड़ती है और वह स्वर्ग से भी हीन हो जाता है ॥ २५४ ॥

निर्भयं तु भवेदस्य राष्ट्रं बाहुबलाश्रितस्मात्तस्य तद्वर्धते नित्यं
सिच्यमान इव द्रुमः ॥२५५॥ द्विविधांस्तस्करान्विद्यात्परद्रव्या-
ऽपहारकान्। प्रकाशांश्चाऽप्रकाशांश्च चारचक्षुर्महीपतिः ॥२५६॥

अर्थ—जिस राजा के बाहुबल के आश्रय से प्रजा (चौरादि से) निर्भय
रहती है, उस राजा का राज्य नित्य सिंचते हुवे वृक्ष के समान बढ़ता है ॥२५५॥
चार (गुप्त दूत) रूपी चक्षु वाला राजा दो प्रकारके परद्रव्य के हरण करने
वाले चोरों को जाने । एक प्रकट, दूसरे अप्रकट ॥ २५६ ॥

प्रकाशवज्रकाः तेषां नाना पण्योपजीविनः। प्रच्छन्नवज्रकास्त्वेते
वे स्तेनाऽटविकादयः ॥२५७॥ उत्कोचकाश्चोपधिका वज्रकाः
कितवास्तथा । सङ्गलादेशवृत्ताश्च भद्राश्चेक्षणिकैः सह ॥२५८॥

अर्थ—उन (चौरादि) में जाना प्रकार की दुकानदारी से जीवन करने वाले
प्रकाशवज्रक (खुले ठग) हैं और चोर तथा जङ्गल आदिके लुटेरे छुपेवज्रक
॥२५७॥ उत्कोचक=रिश्वतखोर । उपधिक=भय दिखाकर धन लेने वाले ।
वज्रक=ठग । कितव=जुबारी आदि । सङ्गलादेशवृत्त="तुम्हारी भलाई होने
वाली है" इत्यादि प्रकार प्रलोभन देने वाले । भद्र=भलमनसाहत से ठगई
करने वाले । ईक्षणिक=हाथ देखने वाले आदि ॥ २५८ ॥

प्रसम्यक्कारिणश्चैव महामात्राश्चिकित्सकाः। शिल्पोपचारयु-
क्ताश्च निपुणाः पण्ययोषितः २५९ एवमादीन्विजानीयात्प्रकाशां
लोककण्ठकान्। निगूढचारिणश्चान्याननार्यानिर्घलिङ्गिनः २६०

अर्थ-नुरा करने वाले उच्च कर्मचारी, वैद्य, शिल्पादिजीवी और चालाक
वेश्याओं-॥ २५९ ॥ इत्यादि प्रकार के प्रत्यक्ष ठगों और दूधरे (ठग) आर्य
वेष धारण करने वाले अनार्यों को भी (राजा) जानता रहे ॥ २६० ॥

तान्विदित्वासुचरितैर्गूढैस्तत्कर्मकारिभिः चारैश्चानेकसंस्थानैः
प्रोत्साद्य वशमानयेत् २६१तेषां दोषानभिख्याप्य स्वे स्वे कर्मणि

तत्त्वतः । कुर्वीत शासनं राजा सम्यक्साशपराधतः ॥२६२॥

अर्थ-उन पूर्वोक्त दण्डकों को सम्यक्, गुप्त, प्रकट में उस काम को करने वाले
तथा कोई जगह रहने वाले चारों (जासूसों) के द्वारा राजा चौरीदि में
प्रवृत्त कराकर (सजा देकर) वश करे ॥ २६१ ॥ उन प्रकाश और अप्रकाश
तस्करों के उन २ चौरीदि दोषों को ठीक २ प्रकट करके उन के धन शरी-
रादि चासर्थ्य और अपराध के अनुसार राजा सम्यक् दण्ड देवे ॥ २६२ ॥

न हि दण्डाद्दूतेशक्यः कर्तुं पापविनिग्रहः । स्तेनानां पापबुद्धीनां
निभृतं चरतां क्षितौ ॥२६३॥ सभाप्रपापूपशाला वेशमद्यान्न-
विक्रयाः । चतुष्पथाश्चैत्यवृक्षाः समाजः प्रेक्षणानि च ॥२६४॥

अर्थ-पृथिवी में विनीत वेप करके रहने वाले पापाचरणबुद्धि चोरों को
दण्ड के अतिरिक्त पापका निग्रह नहीं हो सकता ॥२६३॥ सभा, प्याऊ, हलवाई
की दूकान, रण्डी कामकान, कलाली, अनाज बिकने की जगह, चौराहे, बड़े
और प्रसिद्ध वृक्ष, जनसमूहों के स्थान तथा तमाजे देखने की जगह ॥ २६४ ॥

जीर्णान्धानान्यरण्यानि कारुकावेशनानि च । शून्यानि चाप्य-
गाराणि वनान्युपवनानि च ॥२६५॥ एवंविधान्नुपोदेशान्गुल्मैः
स्थावरजङ्गमैः । तस्करप्रतिषेधार्थं चारैश्चाप्यनुचारयेत् ॥२६६॥

अर्थ-जीर्ण वाटिका, वन, शिल्पगृह, शून्यगृह तथा बाग़ बगीचे ॥२६५॥
इस प्रकार के देशों को राजा एक स्थान में स्थित सिपाहियों की चौकी
और घूमने वाले चौकी पहरे और गुप्त चरों से चोरों के निवारणार्थ विच-
रित करावे (ज्योंकि प्रायः तस्कर इन स्थानों में पड़ते हैं) ॥ २६६ ॥

तत्सहायैरनुगतैर्नानाकर्मप्रवेदिभिः । विद्यादुत्सादयेच्चैव

निपुणैःपूर्वतस्करैः ॥२६७॥ मध्यभीज्यापदेशैश्च ब्राह्मणानां च
दर्शनैः । चौर्यकर्मापदेशैश्च कुर्युस्तेषां समागमम् ॥ २६८ ॥

अर्थ-उन की सहायता करने वाले और उन के पीछे चलने वाले और
सैंध आदि अनेक कर्मों को जानने वाले पहिले चोर और उस कर्म में
निपुण गुप्त चारों द्वारा (राजा) चोरों को जाने और निर्मूल करे ॥ २६७ ॥
वे (जासूस) उन चोरों को खाने पीने के बहानों और ब्राह्मणों के दर्शनों के
निष और शूरवीरता के काम के बहाने से राजद्वार में लिवा लाकर
पकड़वा दें ॥ २६८ ॥

ये तत्र नोपसर्पेयुर्मूलप्रणिहिताश्च ये । तान्प्रसह्य नृपोहन्यात्
समित्रज्ञातिव्यान्धवान् ॥२६९॥ न होठेन विना चौरं घातये
द्वार्मिको नृपः । सहोढं सोपकरणं घातयेद्द्विचारयन् ॥२७०॥

अर्थ-जो वहाँ पर पकड़े जाने की शङ्का से न जावें और उन गुप्त राजदूतों
के साथ घालाकी-सावधानी से रहकर आपे को बचाते हों उन को राजा
बलात्कार से पकड़कर मित्र जाति भाइयों सहित वध करे ॥ २६९ ॥ घार्मिक
राजा विना माल और सैंध आदि प्रमाण के चोर का वध न करे और माल
तथा सैंध आदि के प्रमाण सहित हों तौ विना विचारे मरवा देवे ॥२७०॥

ग्रामेष्वपि च ये केचिच्चौराणां भक्तदायकाः । भाण्डावकाशदाश्चैव
सर्वास्तानपि घातयेत् ॥२७१॥ राष्ट्रेषु रक्षाधिकृतान्सामन्ताश्चैव
चोदितान् । अभयाघातेषु मध्यस्थान् शिष्याञ्चौरानिवद्रुतम् ॥२७२॥

अर्थ-ग्रामों में भी जो चोरों के भोजनादि (मदद) देने वाले और पता
वा जगह देने वाले हों उन सब को भी (राजा) मरवा देवे ॥२७१॥ राज्य में
रक्षा को नियुक्त (पुलिस) और सीमा पर रहने वालों में जो क्रूर चौरादि
की घात के उपदेश में मध्यस्थ हों उन को भी चौरवत् शीघ्र दण्ड देवे ॥२७२॥

यश्चापि धर्मसमयात्प्रच्युतो धर्मजीवनः । दण्डेनैव तमप्योषेत्
स्वकाहुर्माह्विच्युतम् ॥२७३॥ ग्रामघाते हिता भङ्गे पथियोषा-
भिमर्शने । शक्तितोनाभिधावन्तो निर्वास्याः सपरिच्छदाः ॥२७४॥

अर्थ-जो कचहरां करने वाला (हाकिम) धर्म की मर्यादा से भ्रष्ट हो उस स्वधर्म से पतित को भी दण्ड से ही क्लेश दे ॥ २९३ ॥ झांकू चौर आदि से गाँव के लुटने से, पुल के टूटने और मार्ग के चोरों की खोज में, स्त्री के साथ बलात्कार में जो आस पास के रहने वाले यथाशक्ति राजा की सहायतार्थ दौड़धूप नहीं करते उनको असबाब के सहित (ग्राम से) निकाल देवे ॥२९४॥

राज्ञः कोषापहतं च प्रतिकूलेषु च स्थितान् घातयेद्वि विधैर्दंडै-
ररीणां चोपजापकान् ॥२९५॥ सन्धिं छित्वा तु ये चौर्यं रात्रौ कुर्वन्ति
तस्कराः । तेषां छित्वा नृपो हस्तौ तीक्ष्णो शूलैः निवेशयेत् ॥२९६॥

अर्थ-राजा के खजाने में चोरी करने वालों तथा आज्ञा भङ्ग करने वालों और शत्रु को भेद देने वालों को नाना प्रकार के दण्ड देकर मारे ॥ २९५ ॥ जो चोर रात को संध देकर चोरी करें, राजा उन के हाथ काट कर तेज शूली पर चढ़ावे ॥ २९६ ॥

अङ्गुलीर्ग्रन्थिभेदस्य छेदयेत्प्रथमे ग्रहे । द्वितीये हस्तचरणी
तृतीये वधमर्हति ॥२९७॥ अग्निदान् भक्तदांश्चैव तथा शस्त्रावका-
शदान् । सन्धिधातुं च मोषस्य हन्याश्चौरमिवेश्वरः ॥२९८॥

अर्थ-गाँठ काटने वाले की पहिली वार चोरी करने में अङ्गुलियां और दूसरी वार करने में हाथ पैर कटवादे और तीसरी वार में वध के योग्य है ॥२९७॥ उन चोरों को अग्नि, अन्न, शस्त्र, स्थान देने वाले और चोरी का धन पास रखने वालों को भी राजा चोरवत् दण्ड देवे ॥२९८॥

तडागभेदकं हन्यादपसु शुद्धवधेन वा । यद्वापि प्रतिसंस्कुर्याद्
दाप्यस्तूत्तमसाहसम् ॥२९९॥ कोष्ठागारायुधागार देवतागार
भेदकान् । हस्त्यश्वरथहर्तृश्च हन्यादेवाऽविचारयन् ॥ ३०० ॥

अर्थ-जो तालाब के जल को तोड़े उसको जल में डुबा कर वा सीधा ही मार डाले और यदि वह उस को फिर बनवा देवे तो "सहस्रपण" दण्ड दे ॥२९९॥ राजा के धान्यागार (गोदाम) वा हथियारों के मकान अथवा यज्ञमन्दिर को तोड़ने वालों और हाथी, घोड़ा और रथ चुराने वालों को बिना विचारे हनन करे ॥ ३०० ॥

यस्तु पूर्वनिविष्टस्य तडागस्योदकं हरेत् । आगमं वाप्यपां
भिन्द्यात्सदाप्यःपूर्वसाहसम्२१समुत्सृजेद्वाजमार्गं यस्त्वऽमे-
ध्यमनापदि।सद्वीकार्पापणौदद्यादमेध्यं चासुशोधयेत् ॥२२॥

अर्थ-जो कोई पहले बने तालाब का (सब) पानी हरले या पानी के
स्रोत का आगमन को बन्द करे, वह " प्रथम साहस " दण्ड देने योग्य है
॥२२॥ जो रोगादिरहित सरकारी सड़क पर मैला डाले वह दो सौ कार्पा-
पण दण्ड दे और उस मैले को शीघ्र उठवा देवे ॥ २२२ ॥

आपत्गतोऽथवा वृद्धो गर्भिणी बालएव वा।परिभाषणमर्हन्ति
तच्चशोधयामिति स्थितिः ॥२२३॥ चिकित्सकानां सर्वेषा मिथ्या
प्रचरतां दमः । अमानुषेषु प्रथमो मानुषेषु तु मध्यमः ॥२२४

अर्थ-(परन्तु)व्याधित, वृद्ध, बालक, गर्भिणी, ये धमकाने और उस मैले को
साफ कराने योग्य हैं (दण्डयोग्य नहीं) यह सर्पादा है ॥ २२३ ॥ जे पढे उलटी
चिकित्सा करने वाले वैद्यों को दण्ड करना चाहिये । उसमें गाय बैल आदि
की बृथा चिकित्सा करने वालों को " प्रथम साहस " और मनुष्य की उलटी
चिकित्सा करने वालों को " मध्यम साहस " दण्ड होना चाहिये ॥ २२४ ॥

संक्रमध्वजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदकः । प्रतिकुर्याच्च तत्सर्वं
पञ्च दद्याच्छतानि च ॥२२५॥ अदूषितानां द्रव्याणां दूषणो
भेदने तथा । मणीनामपवेधे च दण्डः प्रथमसाहसः ॥ २२६ ॥

अर्थ=लकड़ी के छोटे पुल या ध्वजा की लकड़ी और किसी प्रतिमा
को तोड़ने वाला, उन सब को फिर बनवा देवे और पांच सौ पण दण्ड देवे
॥२२५॥ अच्छी वस्तु को दूषित (खराब) करने, तोड़ने और मणियों के बुरा
बीधने में " प्रथम, साहस " दण्ड होना चाहिये ॥ २२६ ॥

समैर्हि विषमं यस्तु चरेद्वैमूल्यतोऽपि वा । समाप्नुयाद्दमं पूर्वं
नरोमध्यममेव वा ॥२२७॥ बन्धनानि च सर्वाणि राजा मार्गं
निवेशयेत् । दुःखिता यत्र दृश्येरन्विकृताःपापकारिणः ॥२२८॥

अर्थ-बराबर की वस्तुओं वा मूल्य से जो घटिया बढिया वस्तु देने का
ठगवहार करे उस को ' पूर्व ' या " मध्यम " साहस दण्ड मिले ॥२२७॥ राजा

मार्ग में बन्धनशृंखलों को बतवावे, जहां दुःखित और विकृत पाप करने वाले (सब को) दीखें ॥ २५८ ॥

प्राकारस्य च भेत्तारं परिखाणां च पूरकम् ।

द्वाराणां चैव भङ्गकारं क्षिप्रमेव प्रवासयेत् ॥२५९॥

अर्थ-प्राकार (सफ़ील) के तोड़ने वाले और उसी की खाई को भरने वाले और उसी के द्वारों के तोड़ने वाले को शीघ्र ही (देश से) निकाल दे ॥ (२५८ के पूर्वार्ध से आगे (बीच में) यह श्लोक एक पुस्तक में देखा जाता है:—

[एतैर्नैव तु कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः ।

कर्माण्यारम्भमाणं तु पुरुषं श्रीर्निषेवते ॥]

परन्तु यह सर्वथा असंग्रह है । इसका बीचमें कोई प्रसङ्ग समझमें नहीं आता, किन्तु इसी आशय का आगे ३०० वां श्लोक है (सो वही ठीक है) २५९

अभिचारेषु सर्वेषु कर्तव्योद्विशतोदमः ।

मूलकर्मणि चान्नाप्तेः कृत्यासु विविधासु च ॥२६०॥

अर्थ-सम्पूर्ण अभिचारों (मारणादि) में यदि जिस का मारना चाहा हो वह मरे नहीं और नाना प्रकार के (श्रावधादि द्वारा) उच्चाटनादि में दोस्रो पण दण्ड होना चाहिये ॥ २६० ॥

अबीजविक्रयी चैव बीजोत्कृष्टं तथैव च । मर्यादाभेदकश्चैव विकृतं प्राप्नुयाद्धधम् ॥२६१॥ सर्वकण्टकपापिष्ठं हेमकारं तु पार्थिवः । प्रवर्त्तमानमन्याये छिदयेत्प्रवशः क्षुरैः ॥ २६२ ॥

अर्थ-बोधे बीज को बेचने वाला, उसी प्रकार अच्छे बीज को बुरे के साथ मिला कर बेचने वाला तथा सीमा (मर्यादा) का तोड़ने वाला; विकृत वध को प्राप्त हो ॥२६१॥ सब ठगों में अतिशय ठग अन्याय में चलने वाले सुनार की तीं राजा चाकुओं से बोटी बोटी कटवावे ॥ २६२ ॥

सीताद्रव्यापहरणी शस्त्राणामौषधस्य च । कालमासाद्यकार्यं च राजा दण्डं प्रकल्पयेत् ॥२६३॥ स्वाम्यमात्यौ पुरं राष्ट्रं कोश-दण्डौ सुहृत्तथा । सप्तप्रकृतयोह्येताःसप्ताङ्गं राज्यमुच्यते २६४॥

अर्थ—हल, कुदाल आदि और शस्त्रों तथा दवा के चुराने में समय और किये हुवे अपराधको विचार कर राजा दण्ड नियत करे ॥२९३॥ राजा, मन्त्री, पुर, राष्ट्र, कोश, दण्ड और मित्र, ये सात प्रकृति राज्य के सम्राज्ञ कहाती हैं २९४
सप्तानां प्रकृतीनां तु राज्यस्यासां यथाक्रमम् । पूर्वं पूर्वं गुरुतरं
जानीयाद्द्वयसनं महत् ॥२९५॥ सम्राज्ञस्येह राज्यस्य विष्टव्यस्य
त्रिदण्डवत् । अन्योन्यगुणवैशेष्यान् किञ्चिदतिरिचयते ॥२९६॥

अर्थ—राज्य की इन सात प्रकृतियों में क्रम से पहिली २ को अतिशय बड़ा भारी व्यसन (उत्तरोत्तर एक से एक को अधिक) बिगड़ने पर घुरा जाने ॥२९५॥ जैसे तीन दण्ड परस्पर एक दूसरे के सहारे ठहरे हों ऐसे ही यह सम्राज्ञ राज्य ७ प्रकृतियोंमें एक दूसरे के सहारे ठहरा है। इन सातोंमें अपनेर गुण की विशेषता से कोई भी एक दूसरे से अधिक नहीं है (अर्थात् यद्यपि पूर्व श्लोक में एक से दूसरे को अधिक कहा था परन्तु पूर्व पूर्व इस झूल में भी न रहे कि अगले अगले हमार कुछ कर ही नहीं सकते) ॥ २९६ ॥

तेषु तेषु तु कृत्येषु तत्तदङ्गं विशिष्यते । येन यत्साध्यते कार्यं
तत्तस्मिन्श्रेष्ठमुच्यते ॥२९७॥ चारेणोत्साहयोगेन क्रियथैव च
कर्मणाम् । स्वशक्तिं परशक्तिं च नित्यं विद्यान्महीपतिः ॥२९८॥

अर्थ—उन उन कामों में वही २ अङ्ग बड़ा है, जिस २ से जो २ काम सिद्ध होता है, वह उसमें श्रेष्ठ कहाता है ॥ २९७ ॥ (सप्तमाध्याय में कहे) चारों (जासूखों) से, उत्साहयोग और कामों को कारंवाई से अपने तथा शत्रु के सामर्थ्य को राजा नित्य जानता रहे ॥ २९८ ॥

पीडनानि च सर्वाणि व्यसनानि तथैव च । आरभेत ततः कार्यं
संचिन्त्य गुरुलाघवम् ॥२९९॥ आरभेतैव कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः
पुनःपुनः । कर्माण्यारभमाणं हि पुरुषं श्रीर्निषेवते ॥ ३०० ॥

अर्थ—काम क्रोध से हुवे सम्पूर्ण दुःखों और व्यसनों और गौरव लाघवों का सोच कर काम का आरम्भ करे ॥ २९९ ॥ राज्य की वृद्धि होने के काम राजा दम लेले कर फिर २ करता ही रहै क्योंकि कामों के आरम्भ करने वाले पुरुष को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है ॥ ३०० ॥

कृतं त्रेतायुगं चैव द्वापरं कलियुगं च । राज्ञो वृत्तानि सर्वाणि
राजा हि युगमुच्यते ॥३०१॥ कलिः प्रसुप्तो भवति सजाग्रद्द्वापरं
युगम् । कर्म स्वभ्युद्यत्स्त्रेता विचरंस्तु कृतं युगम् ॥ ३०२ ॥

अर्थ-सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलियुग सब राजा ही के प्रेषा विशेष हैं, क्योंकि राजा भी युग कहा जाता है ॥३०१॥ जब राजा निरुद्यम होता है, वह कलियुग है और जब जागता हुआ भी कर्म नहीं करता, वह द्वापर है, जब कर्म अनुष्ठान में उद्यत होता है, उस समय त्रेता है और जब यथाशास्त्र कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ विचरता है, उस समय सत्ययुग है ॥ ३०२ ॥

इन्द्रस्यार्कस्य वायोश्च यमस्य वरुणस्य च । चन्द्रस्याग्नेः पृथिव्याश्च
तेजोवृत्तं नृपश्चरेत् ॥३०३॥ वार्षिकं चतुरो मासान् ये-
न्द्रोऽभिप्रवर्षति तथा भिवर्षत्स्वराष्ट्रं कामैरिन्द्रव्रतं चरन् ३०४

अर्थ-इन्द्र, सूर्य, वायु, यम, वरुण, चन्द्र, अग्नि और पृथिवी के सामर्थ्यरूप कर्म को राजा करे ॥३०३॥ वर्षा ऋतु के चार मास में जैसे इन्द्र (वायुविशेष) वर्षा करता है, वैसे ही इन्द्र के काल को करता हुआ राजा स्वदेश में (इच्छित पदार्थों को) वर्षावे ॥ ३०४ ॥

अष्टौ मासान् यथादित्यरतो यं हरति रश्मिभिः तथा हरत्कुरं रा-
ष्ट्रान् नित्यमर्कव्रतं हि ततः ॥३०५॥ प्रविश्य सर्वभूतानि यथा चरति
मारुतः । तथा चारैः प्रवेष्टव्यं व्रतमेतद्दि मारुतम् ॥ ३०६ ॥

अर्थ-आठ महीने जैसे सूर्य किरणों से जल लेता है वैसे (राजा) राज्य में फेर लेवे, यही नित्य सूर्य का काम है ॥ ३०५ ॥ जैसे वायु सब सन्तुष्ट्यादि में प्रविष्ट रहता है वैसे राजा दूतों द्वारा सब में प्रवेश करे (अर्थात् सब के चित्त वृत्तान्त ज्ञात कर लेवे) यही वायु का काम है ॥ ३०६ ॥

यथा यम प्रियद्वेष्यौ प्राप्ते काले नियच्छति । तथा राजान् नियन्तव्या
प्रजास्तद्दि यमव्रतम् ॥ ३०७ ॥ वरुणेन यथा पार्श्वे बहु एवा-
भिदृश्यते तथा पापान्निगृह्णीयाद् व्रतमेतद्दि वारुणम् ॥३०८॥

अर्थ—जैसे यम (मृत्यु वा परमात्मा) प्राप्तकाल में मित्र, शत्रु सबका निग्रह करता है वैसेही राजा को अपराध काल में प्रजा दण्डनीय होनी चाहिये। यम का यही व्रत है ॥३०७॥ जैसे वनरु (वायुविशेष) के पाशों से प्राणी बंधे हुवे देखे जाते हैं वैसेही राजा पापियों का शासन करे। व्रत का यही व्रत है ३०८

परिपूर्णं यथा चन्द्रदुष्टाहृष्यन्ति मानवाः। तथा प्रकृतयो यस्मिन्
स चान्द्रव्रतिको नृपः ॥३०९॥ प्रतापयुक्तस्तेजस्वी नित्यं स्यात्पाप
कर्मसु । दुष्टसामन्तहिंसाश्च तदाग्नेयं व्रतं स्मृभू ॥ ३१० ॥

अर्थ—जैसे पूर्ण चन्द्र को देखकर मनुष्य हर्ष को प्राप्त होते हैं वैसे ही अना-
त्वादि जिस राजा के देखने से प्रसन्न हों, वह राजा चन्द्रव्रत करने वाला
है ॥३०९॥ पाप करने वालों पर सदा अश्रित जाज्वल्यमान रहे, तथा दुष्ट
वीरों की भी हिंसा के स्वभाव वाला हो। यह अग्नि का व्रत है ॥ ३१० ॥

यथा सर्वाणि भूतानि धरा धारयते समम् । तथा सर्वाणि भूतानि
विश्रतः पार्थिवं व्रतम् ॥३११॥ एतैरुपायैरन्यैश्च युक्तो नित्य
मतन्द्रितः । स्तेनान् राजानि गृह्णीयात्स्वराष्ट्रे पर एव च ३१२॥

अर्थ—जैसे पृथिवी सब को बराबर धारण करती है, वैसे राजा भी सब
प्राणियों का बराबर पालन पोषण करे। यह पृथिवी का काम है ॥ ३११ ॥
इन उपायों तथा अन्य उपायों से सदा आलस्यरहित राजा वीरों को जो
अपने या दूसरे के राज्य में (आग गये) हों, वश में करे ॥ ३१२ ॥

परामप्यापदं प्राप्नो ब्राह्मणान्न प्रकोपयेत् ।

ते ह्येनं कुपिता हन्त्युः सद्यः सबलवाहनम् ॥ ३१३ ॥

“यैः कृतः सर्वभक्षोऽग्निरपेयञ्च अहोदधिः ।

क्षयी चाप्यायिनः सोमः कोन नश्येत्प्रकोपयतान् ॥३१३ ॥”

अर्थ—(कोशक्यादि) बड़ी विपत्ति को प्राप्त हुवा भी राजा ब्राह्मणों को
रुष्ट न करे क्योंकि वे क्रुद्ध हुवे, सेना हाथी घोड़ा आदि सहित इस राजा
को शीघ्र नष्ट कर सकते हैं (दीर्घदृष्टि से विचारा जावे तो निरसन्देह विद्या
और विद्वानों के विरोधी का राज्य बहुत दिन तक नहीं रह सकता) ॥३१३॥
जिन्होंने अग्नि को सर्वभक्षी और समुद्र को खारा कर दिया और क्षयी
चन्द्रको अप्यायित किया। उनको रुष्ट करके कौन नाशको प्राप्त न होगा ॥३१४॥

“लोकानन्यान्सृजेयुर्धे लोकपालांश्च कोपिताः । देवान्कुर्युर्देवांश्च
काक्षिण्यंस्तान्ससृभुयात् ॥ ३१५ ॥ यानुपाश्रित्य तिष्ठन्ति लोका
देवाश्च सर्वदा । ब्रह्म चैव धनं येषां कोहिंस्यात्तान्जिजीविषुः ॥ ३१६ ॥”

“अर्थ—जो कोप को प्राप्त हुवे दूसरे लोकों को उत्पन्न कर दे, ऐसी
सम्भावना है । और देवों को अदेव करदे, तब उन को पीड़ा देता हुआ
कौन वृद्धि को प्राप्त होगा ? ॥ ३१५ ॥ जिन का आश्रय करके सर्वदा देव
तथा लोक ठहरे हैं और वेद है धन जिन का, उन को जीने की इच्छा
करने वाला कौन दुःखी करेगा ? ॥ ३१६ ॥”

“अविद्वांश्चैव विद्वांश्च ब्राह्मणोदैवतं महत् । प्रणीतप्रयाऽप्रणीतश्च
यथाऽग्निदैवतं महत् ॥ ३१७ ॥ श्मशानेष्वपि तेजस्वी पावको
नेव दुष्यति । ह्यमानश्च यज्ञेषु भूयएवाभिर्वधते ॥ ३१८ ॥”

“अर्थ—जैसे अग्नि प्रणीत हो, वा अप्रणीत हो,—महती देवता है, ऐसे
ही सूखे ब्राह्मण हो वा विद्वान् हो—महती देवता है ॥ ३१७ ॥ तेज वाला
अग्नि श्मशानों में भी (शव को जलाता हुआ) दोषयुक्त नहीं होता,
किन्तु फिर से यज्ञ में हवन किया हुआ वृद्धि को पाता है ॥ ३१८ ॥”

एवं यद्यप्यनिष्टेषु वर्तन्ते सर्वकर्मसु ।

सर्वथा ब्राह्मणाः पूज्याः परमं दैवतं हि तत् ॥ ३१९ ॥”

“अर्थ—यद्यपि इस प्रकार सम्पूर्ण कुत्सित कर्मों में रहते हैं तथापि
ब्राह्मण सर्व प्रकार से पूजनयोग्य हैं, क्योंकि वे महती देवता हैं ॥”

(३१४ से ३१९ तक ६ श्लोक ब्राह्मणों की असम्भव प्रशंसा से युक्त हैं क्योंकि
अग्नि को सर्वभक्षी और समुद्र को अपेय (खारा) ब्राह्मणों ने नहीं किन्तु
प्रथमाध्याय के अनुसार परमात्माने ही इनको अपने राज्यभावयुक्त बनाया
है । और चन्द्रमाको त्रय वृद्धि भी सूर्य के प्रकाश पहुँचने में विलक्षणता के
कारण होती है । यह विषय निरुक्तादि के प्रमाणपूर्वक हमने सामवेदभाष्य
में लिखा है । ब्राह्मणों का नदीनसृष्टि बना सकना भी कितनी अत्युक्ति नहीं
करना असंभव है । अविद्वान् को ब्राह्मण और पूज्य मानना भी प्रज्ञापातपूर्वक
लेख तथा “यथा काष्ठमयो हस्ती” इत्यादि पूर्वोक्त मनुवचनों से विरुद्ध है । यज्ञ
में शूद्र को घर ला अग्नि भी वर्जित है, तब श्मशान (पितृ) के अग्नि को

निर्दोष मानना और उस दृष्टान्त से कुकर्मी ब्राह्मण को भी निर्दोष सिद्ध करना पूर्वोक्त अनेक अनुवचनों के साक्षात् विरुद्ध है) ॥ ३१९ ॥

क्षत्रस्यातिप्रबृद्धस्य ब्राह्मणान्प्रति सर्वशः ।

ब्रह्मैव संनियन्तु स्यात्क्षत्रं हि ब्रह्मसंभवम् ॥३२०॥

अर्थ—ब्राह्मणों के सर्वथा प्रीटा देने में प्रवृत्त क्षत्रियों को ब्राह्मण ही अच्छी प्रकार नियम में रखें, क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मणों से (संस्कार के जन्म से) उत्पन्न हैं ॥ ३२० ॥

अद्भ्योऽग्निर्ब्रह्मतःक्षत्रमश्मनोलोहमुत्थितम् । तेषांसर्वत्रगं
तेजः स्वासु योनिषु शाम्यति ॥ ३२१ ॥ नाऽब्रह्मक्षत्रमृध्नोति
नाऽक्षत्रं ब्रह्म वर्धते । ब्रह्म क्षत्रं च संयुक्तमिह चाभुत्र वर्धते ३२२

अर्थ—जल ब्राह्मण और पाषाण से उत्पन्न हुवे क्रम से अग्नि, क्षत्रिय और शस्त्रों का तेज सब जगह तीव्रता करता है, परन्तु अपने उत्पन्न करने वाले कारणों में शान्त हो जाता है ॥३२१॥ ब्राह्मण रहित क्षत्रिय वृद्धि को प्राप्त नहीं होता वैसे ही क्षत्रियरहित ब्राह्मण भी वृद्धि को नहीं प्राप्त होता । इसलिये ब्राह्मण क्षत्रिय मिले हुवे इस लोक तथा परलोक में वृद्धि को पाते हैं ॥ ३२२ ॥

दत्त्वा धनं तु विप्रेभ्यः सर्वदण्डसमुत्थितम् । पुत्रेराज्यं समासृज्य
कुर्वीत प्रायणं रणे ॥३२३॥ एवं चरन्सदा युक्तो राजधर्मेषु
पार्थिवः । हितेषु चैव लोकस्य सर्वान्भृत्यान्नियोजयेत् ॥३२४॥

अर्थ—दण्ड का सम्पूर्ण धन ब्राह्मणों को देकर और पुत्र को राज्य संपर्ण करके राजा रण में प्राणत्याग करे ॥ ३२३ ॥ राजधर्म में सदा युक्त रह कर इस प्रकार आचरण करता हुवा राजा सब लोगों के हित के लिये सम्पूर्ण नौकर चाकरों की योजना करे ॥ ३२४ ॥

एषोऽखिलः कर्मविधिरुक्तो राज्ञः सनातनः । इमं कर्मविधिं वि-
द्यात्कर्मशो वैश्यशूद्रयोः ॥३२५॥ वैश्यस्तु कृतसंस्कारः कृत्वादार
परिग्रहम् । वार्त्तायां नित्ययुक्तः स्यात्पशूनां चैव रक्षणे ॥३२६

अर्थ—यह राजा का सम्पूर्ण सनातन कर्मविधि कहा । अब (आगे कहा) यह वैश्य शूद्रों का कर्म विधि जाने ॥३२५॥ उपनयनादि सस्कार किया हुआ वैश्य विवाह करके व्यापार तथा पशुपालन में सदा युक्त होवे ॥ ३२६ ॥

प्रजापतिर्हि वैश्याय सृष्ट्वा परिददे पशून्। ब्राह्मणाय च राज्ञे च सर्वाः परिददे प्रजाः ॥३२७॥ न च वैश्यस्य कामः स्यान्न रक्षेयं पशूनिति । वैश्ये चेच्छति नाऽन्येन रक्षितव्याः कथञ्चन ॥३२८॥

अर्थ—क्योंकि ब्रह्मा ने पशु उत्पन्न करके (रक्षा के लिये) वैश्य को देदिये और ब्राह्मण तथा राजा को सब प्रजा (रक्षा के लिये) देदी हैं ॥ ३२७ ॥ मैं पशुओं की रक्षा नहीं करूँ, ऐसी वैश्य की इच्छा नहीं होनी चाहिये और वैश्य के चाहते हुवे दूसरे को पशुपालनवृत्ति कभी न करनी चाहिये ॥ ३२८ ॥

मणिमुक्ताप्रवालानां लौहानां तान्तवस्य च । गन्धानां च रसानां च विद्यादर्घवलाबलम् ॥३२९॥ बीजानामुप्तिविच्चस्यात्क्षेत्रदोष गुणस्य च । मानयोगं च जानीयात्तुलायोगांश्च सर्वशः ॥३३०॥

अर्थ—मणि, मोती, संग, लोहा और कपड़ा तथा कर्पूरादि गन्ध और लवणादि रसों का घटी बढी का भाव वैश्य जाने ॥ ३२९ ॥ सब बीजों के बोने की विधि और खेत के गुण दोष और सब प्रकार के माप तोल का भी जानने वाला (वैश्य) हो ॥ ३३० ॥

सारासारं च भाण्डानां देशानां च गुणागुणान् । लाभालाभं च पण्यानां पशूनां परिवर्धनम् ३३१ भृत्यानां च भृतिं विद्याद्वापाश्च विविधानृणाम् । द्रव्याणां स्थानयोगांश्च क्रयविक्रयमेव च ॥३३२॥

अर्थ—अन्न के अडले बुरे का हाल और देशों में सस्ते महंगे आदि गुण अन्नगुण का भाव और विक्री के लाभ हानि का वृत्तान्त तथा पशुओं के बढने का उपाय (जाने) ॥ ३३१ ॥ और नौकरों के वेतनों तथा नाना देश के मनुष्यों की बोली और माल के रखने की विधि तथा बेचने खरीदने का ढङ्ग (वैश्य को जानना चाहिये) ॥ ३३२ ॥

धर्मेण च द्रव्यवृद्ध्यावातिष्ठेद्यत्नमुत्तमम् । दद्याच्च सर्वभूताना-
मन्नमेव प्रयत्नतः ॥ ३३३ ॥ विप्राणां वेदविदुषां गृहस्थानां

यशस्विनाम् । शुश्रूषैव तु शूद्रस्य धर्मो नैश्रेयसः परः ॥३३४॥

अर्थ- (वैश्य) धर्म से धन के बढ़ाने में पूरा यत्न करे और सब प्राणियों को यत्न से अन्न अवश्य पहुंचावे ॥३३३॥ वेद के जानने वाले विद्वान् गृहस्थ यशस्वी ब्राह्मणादि की सेवा ही शूद्र का परमसुखदायी धर्म है ॥ ३३४ ॥

शुचिरुत्कृष्टशुश्रूषुर्मृदुवागऽनहंकृतः । ब्राह्मणाद्यश्रयो नित्यमुत्कृष्टां जातिमश्नुते ॥३३५॥ एषोऽनापदि वर्णानामुक्तः कर्मविधि शुभः । आपद्यपि हि यस्तेषां क्रमशस्तं निबोधत ॥३३६॥

अर्थ-स्वच्छ रहने वाला, अच्छा मेहनती और नम्रता से बोलने वाला तथा अहङ्काररहित, नित्य ब्राह्मणादि की सेवा करने वाला शूद्र उच्चजाति को प्राप्त होजाता है ॥३३५॥ यह वर्णों का आपत्तिरहित समय में शुभ कर्म विधि कहा, अब जो उनका कर्मविधि है (दशमाध्याय में) उसको सुनो ॥३३६॥

इति मानवे धर्मशास्त्रे (भृगुप्रोक्तायां संहितायां)

नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

* इति श्री तुलसीरामस्वामिविरचिते मनुभाषानुवादे *

नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥



* ओ३म् *

अथ दशमोऽध्यायः

अधीयीरंस्त्रयोवर्णाः स्वकर्मस्थाद्विजातयः । प्रब्रूयाद्ब्राह्मण-
स्त्वेषां नेतराविति निश्चयः ॥१॥ सर्वेषां ब्राह्मणोविद्याद् वृत्त्यु-
पायान्यथाविधि । प्रब्रूयादितरेभ्यश्च स्वयं चैव तथा भवेत् ॥२॥

अर्थ—अपने कर्म में स्थित द्विजाति (ब्राह्मणादि) तीन वर्ण (वेद)
पढ़ें और ब्राह्मण इन को पढ़ावे । इतर (क्षत्रिय वैश्य) न पढ़ावें । यह
निर्णय है ॥१॥ ब्राह्मण सब वर्णों का जीवतोपाय यथाशास्त्र जाने और उन
को बतावे और आप भी यद्योक्त कर्म करे ॥ २ ॥

वैशेष्यात्प्रकृतिश्रैष्ठ्यानियमस्य च धारणात् । संस्कारस्य विशेष-
षाञ्च वर्णानां ब्राह्मणः प्रभुः ॥३॥ ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो
वर्णाद्विजातयः । चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पञ्चमः ॥४॥

अर्थ—विशेषतः, स्वाभाविक श्रेष्ठता, नियम के धारण करने तथा संस्कार
की अधिकता से सब वर्णों का ब्राह्मण प्रभु है ॥ ३ ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य
ये तीन वर्ण द्विजाति हैं, चौथा शूद्र एक जाति है, पञ्चम वर्ण नहीं है ॥ ४ ॥

सर्ववर्णेषु तुल्यासु पत्नीष्वक्षतयोनिषु । आनुलोम्येन संभूता
जात्या ज्ञेयास्तएव ते ॥५॥ स्त्रीष्वनन्तरजातासु द्विजैरुत्पादि-
तान्सुतान् । सदृशानेव तानाहुर्मातृदोषविगर्हितान् ॥६॥

अर्थ—ब्राह्मणादि चार वर्णों में अपने समान वर्ण की (विवाहसे पूर्व) पुरुष
सम्बन्ध से रहित पत्नियों में कम से जो सन्तान उत्पन्न हों उन को जाति
से वे ही जानना चाहिये । (इस प्रकार में जो जातियों का विचार है सो
इसलिये है कि गर्भाधान से लेकर जन्मपर्यन्त हुवे संस्कारों के प्रभाव से
जन्मकाल में वह उस २ नाम से पुकारने योग्य है परन्तु यह कथन उस अप-
वाद का बाधक नहीं जो विपरीत आचरणादि से वर्णव्यवस्था स्थापन में मानव
शास्त्र का सिद्धान्त है) ॥५॥ क्रम के साथ अपने से (अर्थात् ब्राह्मण से क्षत्रिया

में, क्षत्रिय से वैश्या में इस प्रकार) एक नीचे की हीन जाति की स्त्रियों में द्विजों के उत्पन्न किये हुवे सन्तानों को माता की जाति से निन्दित, पिता में समान ही (पतित) कहते हैं ॥ ६ ॥

अनन्तरासुजातानां विधिरेषसनातनः द्व्येकान्तरासुजातानां धर्म्यं विद्यादिमं विधिम् ॥७॥ ब्राह्मणाद्वैश्यकन्यायामम्बष्ठो नाम जायते । निषादः शूद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते ॥८॥

अर्थ—अपने से एक वर्ण हीना स्त्रियों में उत्पन्न हुवों का यह सनातन विधि कहा, अब दो वर्ण हीना स्त्रियों में (जैसे ब्राह्मण से वैश्या में) उत्पन्न हुवों का यह धर्मविधि जाने कि—॥७॥ ब्राह्मण जिसे वैश्या कन्या में “अम्बष्ठ नाम उत्पन्न होता है और ब्राह्मण से शूद्रा कन्या में “निषाद” जिस को “पारशव” भी कहते हैं ॥८॥

क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायां क्रूराचारविहारवान् । क्षत्रशूद्रवपुर्जन्तु र्गुणो नाम प्रजायते ॥९॥ विप्रस्य त्रिषु वर्णेषु नृपतेर्वर्णयो-
र्द्वयोः । वैश्यस्य वर्णे चैकस्मिन्पडेतेऽपसदाः स्मृताः ॥१०॥

अर्थ—क्षत्रिय से शूद्र कन्या में क्रूर आचार विहार वाला और क्षत्रिय शूद्र शरीर वाला “उग्र नामक उत्पन्न होता है ॥९॥ ब्राह्मण के तीन वर्ण (की क्षत्रियादि स्त्रियों) में और क्षत्रिय के २ (वैश्या वा शूद्रा) में, तथा वैश्य के १ (शूद्रा) में (उत्पन्न हुवे) ये छः “अपसद” कहे गये हैं ॥१०॥

क्षत्रियाद्विप्रकन्यायां सूतो भवति जातितः । वैश्यान्मागधवैदेहौ
राजविप्राङ्गनासुतौ ॥११॥ शूद्रादायोगवः क्षत्ता चण्डालश्चा-
ऽधमो नृणाम् । वैश्या राजन्यविप्रासु जायन्ते वर्णसंकराः ॥१२॥

अर्थ—(ये अनुलोम कहकर, अब प्रतिलोम कहते हैं) क्षत्रिय से ब्राह्मण की कन्या में “सूत” नाम जाति से होता है और वैश्य से क्षत्रिया में “मागध” तथा वैश्य से ब्राह्मणी में “वैदेह” नाम उत्पन्न होते हैं ॥११॥ शूद्र से वैश्या, क्षत्रिया तथा ब्राह्मणी में क्रम के साथ “आयोगव”, “क्षत्ता” और “चण्डाल” अधम, ये (श्लोक ६ से यहां तक कहे) मनुष्यों में वर्णसङ्कर उत्पन्न होते हैं ॥१२॥

एकान्तरे त्वानुलोम्यादम्बष्ठोग्रौ यथास्मृतौ । क्षत्तवैदेहकौ

तद्वत्प्रातिलोभ्येऽपिजन्मनि।१३।पुत्रार्थेऽनन्तरस्त्रीजाःक्रमेणो-
क्ता द्विजन्मनाम्।ताननन्तरनाम्नस्तु मातृदोषात्प्रचक्षते॥१४॥

अर्थ-एक के अन्तर वाले वर्ण में अनुलोम से जैसे अम्बष्ठ और उग्र कहे
हैं, वैसे ही प्रतिलोम से जन्म में "क्षत्ता" और "वैदेह" कहे हैं ॥ १३ ॥
द्विजन्माश्रों के क्रम से कहे हुके अनन्तर (एक वर्ण नीची) स्त्री से उत्पन्न
हुवे पुत्रों को माता के दोष से "अनन्तर" नाम से कहते हैं ॥ १४ ॥

ब्राह्मणादुग्रकन्यायामावृतीनामजायते।आभीरोऽम्बष्ठकन्या-
यामायोगव्यांतुधिग्वणः।१५।आयोगवश्चक्षत्ताचक्षुष्मालश्चा-
ऽधसोऽनृणाम्।प्रातिलोभ्येन जायन्ते शूद्रादपसदास्त्रयः॥१६॥

अर्थ-ब्राह्मण से "उग्र" कन्या में "आवृत" नाम सन्तान और "अम्बष्ठ" कन्या में "आभीर" नाम उत्पन्न होता है तथा "आयोगव" कन्या में उत्पन्न हुवा "धिग्वण" कहाता है ॥ १५ ॥ आयोगव, क्षत्ता, चक्षुष्माल; ये अनुष्यों में तीन अथस प्रतिलोम से उत्पन्न शूद्र से भी निकट हैं ॥ १६ ॥

वैश्यान्मागधवैदेही क्षत्रियात्सूतएव तु।प्रतीपमेते जायन्ते
परिऽप्यपसदास्त्रयः॥१७॥जातोनिपादाचक्षूद्रायांजात्याभवति
पुक्कसः।शूद्राज्जातोनिपाद्यां तु स वै कुक्कुटकः स्मृतः॥१८॥

अर्थ-पूर्वोक्त प्रकार वैश्य से मागध और वैदेह तथा क्षत्रिय से सूत; ये भी प्रतिलोम से अन्य ३ निकट उत्पन्न होते हैं ॥ १७ ॥ निपाद से शूद्रा में उत्पन्न हुवा "पुक्कस" याति से होता है और शूद्र से निपाद की कन्या में उत्पन्न हुवा "कुक्कुटक" कहा गया है ॥ १८ ॥

क्षत्तुर्जातिस्तथोग्रायां श्वपाकइति कीर्त्यते।वैदेहकेन त्वञ्ज-
पुत्र्यामुत्पत्तौविणउच्यते।१९।द्विजातयःसवर्णासुजनयन्त्यव्रतां-
स्तुयान्नातान्सावित्रीपरिभ्रष्टान्ब्रात्यानितिविनिर्दिशेत्॥२०॥

अर्थ-ऐसे ही क्षत्ता से उग्र की कन्या में उत्पन्न हुवा "श्वपाक" कहाता और वैदेह से अम्बष्ठी में (उत्पन्न हुवा) "वेण" कहाता है ॥ १९ ॥ द्विजाति अपने वर्ण की स्त्री में संस्काररहित जिन पुत्रों की उत्पन्न करते हैं उन समय पर उपनयनवेदारम्भरहितों को "ब्रात्य" कहाता चाहिये ॥ २० ॥

ब्रात्यात्तु जायते विप्रात्पापात्मा भूर्जकण्टकः। आवन्त्यवाठ-
धानौच पुष्पधः शैख एव च ॥२१॥ भ्रूल्लमल्लश्च राजन्याद् ब्रात्या
न्निच्छिविरेव च । नटश्च करणश्चैव खसोद्भविड एव च ॥२२॥

अर्थ-ब्रात्य ब्राह्मण से पापात्मा " भूर्जकण्टक " उत्पन्न होता है और उसी को (देशभेद से) आवन्त्य, वाठधान, पुष्पध और शैख भी कहते हैं ॥२१॥ (ब्रात्य) क्षत्रिय से कल्ल, मल्ल, निच्छिवि, नट, करण, खस और द्रविड नामक उत्पन्न होते हैं ॥ २२ ॥

वैश्यात्तु जायते ब्रात्यात्सुधन्वाचार्य एव च । कारुषश्च विजन्मा च
सैत्रः सात्वत एव च ॥ २३ ॥ व्यभिचारेण वर्णानामवेद्यावेद-
नेन च । स्वकर्मणां च त्यागेन जायन्ते वर्णसङ्कराः ॥ २४ ॥

अर्थ-ब्रात्य वैश्य से सुधन्वाचार्य, कारुष, विजन्मा, सैत्र और सात्वत नाम वाले उत्पन्न होते हैं (ये सब नाम पर्यायवाची देशभेद से समर्थ) ॥२३॥ ब्राह्मणादि वर्णों से अनयोन्व स्त्री के गमन और सगोत्रादि अगम्या से विवाह करने तथा अपने कर्म के छोड़ने से वर्णसङ्कर उत्पन्न होते हैं ॥ २४ ॥

संकीर्णयोनिप्रोये तु प्रतिलोभाऽनुलोमजाः । अन्योन्यव्यति-
षक्ताश्च तान्प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥२५॥ सूतीवैदेहकश्चैव चण्डा-
लश्च नराधमः । मागधः क्षत्तजातिश्च तथाऽऽयोगव एव च ॥२६॥

अर्थ-जो संकीर्णयोनि प्रतिलोम अनुलोम के परस्पर सम्बन्ध से उत्पन्न होती हैं, उन को विशेष करके मैं आगे कहता हूँ ॥२५॥ भूत, वैदेह, चण्डाल ये अधम ननुष्य और मागध, क्षत्त तथा आयोगव-॥ २६ ॥

एतेषु सङ्घे शान्त्र्याञ्जनयन्ति स्वयोनिषु । मातृजात्यां प्रसूयन्ते
प्रधरासु च योनिषु ॥२७॥ यथा त्रयाणां वर्णानां द्वयोरात्मा
ऽस्वजायते । आनन्तर्या स्वयोन्यां तु तथावाह्येष्वपि क्रमात् २८

अर्थ ये छः स्वयोनि में स्वतुल्य सुतीत्पत्ति करते हैं और अपने से उत्तम योनियों में जन्में ती मातृजाति में गिने जाते हैं ॥ २७ ॥ जैसे तीनों वर्णों में दो में से इस पुरुष का आत्मा उत्पन्न होता है और अनन्तर होने से अपनी योनि में गिना जाता है, वैसे ही इन वाह्य वर्णसङ्करों में भी क्रम से जानो २८

ते चापि बाह्यान्सुवहूँस्ततोऽप्यधिकदूषितान् । परस्परस्य
दारेषु जनयन्ति विगर्हितान् ॥२९॥ यथैव शूद्रो ब्राह्मण्यां बाह्यं
जन्तुं प्रसूयते । तथा बाह्यतरं बाह्यश्चातुर्वर्ण्यं प्रसूयते ॥३०॥

अर्थ-वे (पूर्वोक्त) आयोगवादि भी परस्पर जाति की स्त्री में बहुत
से उन से भी अधिक दुष्ट और निन्दित सन्तान उत्पन्न करते हैं ॥२९॥ जैसे
शूद्र ब्राह्मणी में अधम जीव को उत्पन्न करता है, वैसे ही चारों वर्णों में वे
अधम उन से भी अधमों को उत्पन्न करते हैं ॥ ३० ॥

प्रतिकूलवर्त्तमाना बाह्याबाह्यतरान्पुनः।हीनाहीनान्प्रसूयन्ते
वर्णान्पञ्चदशैव तु ॥३१॥ प्रसाधनीपचारज्ञमदासं दासजीव-
नम् । सैरिन्ध्रं वागुरावृत्तिं सूते दस्युरयोगवे ॥ ३२ ॥

अर्थ-प्रतिकूल चलने वाले अधम चारहालादि तीन, चारों वर्णों की स्त्रियों
में अपने से अधिक अधम सन्तान को उत्पन्न करते हैं, तो एक से एक हीन
पन्द्रह वर्ण उत्पन्न होते हैं (चार वर्णों की स्त्रियों में तीन अधमों के तीन २
ऐसे बारह निकट सन्तान और उनके पिता तीन अधम, ऐसे यन्द्रह अधम
उत्पन्न होते हैं) ॥३१॥ बालों में कंधी आदि करना और चरणों का धोना
और स्नानादि करवाना, इस प्रकार के काम से वा जाल फाँसे बांध कर जीने
वाला "सैरिन्ध्र" नाम (आगे कहे हुवे) दस्यु से आयोगव उत्पन्न होता है ॥३२॥

मैत्रेयकं तु वैदेही साधूकं संप्रसूयते । नृन्प्रशंसत्यजस्रं यो
घण्टाताडोऽरुणोदये ॥३३॥ निषादी मार्गवं सूते दासनौकर्म
जीविनम् । कैवर्त्तमिति यं प्राहुरार्यावर्तनिवासिनः ॥ ३४॥

अर्थ-आयोगवी वैदेह से मधुरभाषी "मैत्रेयक" को उत्पन्न करती है
जो कि प्रातःकाल घण्टा बजाकर राजा आदिकों की निरन्तर स्तुति करता
है ॥३३॥ निषाद और आयोगवी से "दास" इस दूसरे नाम वाला नाव के
खलाने से जीवन वाला "मार्गव" उत्पन्न होता है, जिस को आर्यावर्त
निवासी लोग "कैवर्त्त" कहते हैं ॥३४॥

सृतवस्त्रभूत्सुनारीषु गर्हितान्नाशनासुचाभ्यवृत्यायोगवीष्वेते

जातिहीनाः पृथक् त्रयः ॥ ३५ ॥ कारावरो निषादः तु चर्मकारः
प्रसूयते । वैदेहिकादन्धमेदौ बहिर्ग्रामप्रतिश्रयो ॥ ३६ ॥

अर्थ-सूतक के बख को पहरने वाली और उच्छिष्ट अन्न को भोजन करने वाली आयोग्यी हैं अलभ र जातिहीन (तीन पुरुषों के भेद से) ये तीन उत्पन्न होते हैं ॥३५॥ निषाद से तौ कारावराख्य "चर्मकार" उत्पन्न होता है और वैदेह से "अन्ध" और "मेद" ग्राम के बाहर रहने वाले उत्पन्न होते हैं ॥३६॥

चण्डालात्पाण्डुसोपाकस्त्वक्सारव्यवहारवान् । आहिण्डिको
निषादेन वैदेह्यामेव जायते ॥ ३७ ॥ चण्डालेन तु सोपाको मूल
व्यसनवृत्तिमान् । पुङ्गुस्यां जायते पापः सदा सज्जनगर्हितः ॥ ३८ ॥

अर्थ-चण्डाल से वैदेही में "पाण्डु सोपाक" नामक जाँव के रूप पट्टा आदि बनाने से जीने वाला उत्पन्न होता है । और निषाद से वैदेही में ही "आहिण्डिक" उत्पन्न होता है ॥३७॥ चण्डाल से पुङ्गुसी में पापात्मा सदा सज्जनों से निन्दित और जलाद वृत्ति वाला "सोपाक" उत्पन्न होता है ॥३८॥

निषादस्त्री तु चण्डालात्पुत्रमन्त्यावसायिनमूत्रमशानगोचरं
सूते वाह्यानामपि गर्हितम् ॥ ३९ ॥ सङ्करे जातयस्त्वेताः पितृमातृ
प्रदर्शिताः । प्रच्छन्नावाप्रकाशावावेदितव्याः स्वकर्मभिः ॥ ४० ॥

अर्थ-निषाद की स्त्री चण्डाल में अधमों में भी निन्दित और चण्डालों से अतिनिकृष्ट शनशाननिवासी और उसी वृत्ति से जीने वाला पुत्र उत्पन्न करती है ॥ ३९ ॥ वर्णसङ्करों में ये जाति बाध और मा के भेद से दिखाई । इन लकी वा खुली हुइयों को अपने २ कर्मों से जानना चाहिये ॥ ४० ॥

सजातिजानन्तरजाः षट्सुताद्विजधर्मिणः । शूद्राणां तु सध-
र्माणः सर्वेऽपध्वंसजाः स्मृताः ॥ ४१ ॥ तपोबीजप्रभावैस्तु
ते गच्छन्ति युगेयुगे । उत्कर्षं चापकर्षं च मनुष्येष्विह जन्मतः ॥ ४२ ॥

अर्थ-द्विजातियों के बनाने जाति वाले (तीन पुत्र अर्थात् ब्राह्मण ब्राह्मणी से इन क्रम से ३ और अनुलाम से तीन अर्थात् ब्राह्मण के क्षत्रिया, वैश्य से ये दो और क्षत्रिय से वैश्य में एक मिलकर ३ इस प्रकार) ये लः

पुत्र द्विजधर्मी है । और (सृतादि) प्रतिलोमज सब शूद्रों के समान कहे हैं ॥४१॥ तपःप्रभाव से (विश्वाभित्रवत्) और बीजप्रभाव से (ऋष्यशृङ्गादिवत्) सब युगों में मनुष्य जन्म की उच्चता और (आगे कहे अनुसार) नीचता को भी प्राप्त होते हैं ॥ ४२ ॥

शनकैस्तुक्रियालीपादिमा क्षत्रियजातयः । वृषलत्वंगतालोके
ब्राह्मणादर्शनेनच ॥४३॥ पौण्ड्रकाश्रीड्रविडःकाम्बोजायव-
नाःशकाः । पारदापल्हवारचीनाः किरातादरदाःखशाः॥४४

अर्थ-ये क्षत्रियजातियें, क्रियालोप से और (याजन अध्यापन प्रायश्चि-
त्तादि के लिये) ब्राह्मणों के न मिलने से लोगों में धीरे धीरे शूद्रता को
प्राप्त हो गई (जैसे-) ॥ ४३ ॥ पौण्ड्रक, श्रीड्र, द्रविड, काम्बोज, यवन,
शक, पारद, अपल्हव, चीन, किरात, दरद और खश ॥ ४४ ॥

मुख्याहूरूपज्जानां या लोके जातयोवहिः । म्लेच्छवाचश्चार्थ
वाचः सर्वेतेदस्यवःस्मृताः॥४५॥ येद्विजानामपसदा येवापध्वं-
सजाःस्मृताः । ते निन्दितैर्वर्तयेयुर्द्विजानामेव कर्मभिः ॥४६॥

अर्थ-ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों की (क्रियालोप से) अधम जातियें
म्लेच्छभाषायुक्त वा आर्यभाषायुक्त सब "दस्यु" कही गई हैं ॥ ४५ ॥ जो पूर्व
द्विजों के अनुलोम से अपसद और प्रतिलोम से अपध्वंस कहे हैं, वे द्विजों
के ही निन्दित कर्मों से आजीवन करें ॥ ४६ ॥

सूतानामश्वसारथ्यमम्बष्ठानां चिकित्सनम् । वैदेहकानां स्त्रीकार्यं
मागधानां वणिक्पथः॥४७॥ सत्स्यघातोनिषादानां त्वष्टिस्त्व-
योमवश्य च । मेदान्ध्रचुक्षुमद्गूनामारण्यपशुहिंसनम् ॥४८॥

अर्थ-सूतों का (काम) अश्व का सारथि होना, अम्बष्ठों का चिकित्सा,
वैदेहों का अन्तःपुर का काम और मागधों का वनियापन, (इन कामों को
करके ये जीवन करते हैं) ॥ ४७ ॥ निषादों का मच्छी मारना और आयोगव-
का लकड़ी तोड़ना और मेद अन्ध्र चुक्षु और भद्गुवों का जङ्गली जानवरों को
मारना (पेशा) है ॥ ४८ ॥

क्षत्रुग्रपुक्कसानां तु विलीकोवधबन्धनम् । धिग्वणानां चर्म
कार्यं वेणानां भाण्डवादनम् ॥४९॥ चैत्यदुमश्मशानेषु शैलेषु-
पवनेषु च । वसेयुरेते विज्ञाता वर्तयन्तः स्वकर्मभिः ॥ ५० ॥

अर्थ—क्षत्रु, उग्र, पुक्कस; इनका (रोज़गार) बिल के रहने वाले जानवरों को
मारना और बान्धना और धिग्वणों का चमड़े का कास बनाना और
वेणों का बाजा बजाना (काम) है ॥ ४९ ॥ ग्राम के समीप बड़े २ वृक्षों के
नीचे और श्मशान तथा पर्वत क्षात्र वगैरों के पास अपने २-कामों को
करने से प्रसिद्ध हुवे ये निवास करें ॥ ५० ॥

चण्डालश्चपचानांतु बहिर्ग्रामात्प्रतिश्रयः । अपपात्राश्च कर्तव्या
धनमेषांश्च गर्दभम् ॥५१॥ वासांसि धृतचैलानि भिन्नभाण्डेषु
भोजनम् । काष्णायसमलङ्कारः परिव्रज्या च नित्यशः ॥५२॥

अर्थ—चण्डालों और श्वपचों का निवास ग्राम के बाहर हो और निषिद्ध
पात्र वाले रखने चाहिये और इन का धन कुत्ता और गधा है ॥५१॥ इन के
कपड़े मुरदे के वस्त्र वा पुराने चिथड़े हों तथा फूटे बरतनों में भोजन, लोहे
के आभूषण और घूमना स्वभाव (यह इन का लक्षण है) ॥ ५२ ॥

न तैः समयमन्विच्छेत्पुरुषो धर्ममाचरन् । व्यवहारीमिथस्तेषां
विवाहः सदृशैः सह ॥ ५३ ॥ अन्नं तेषां पराधीनं देयं स्याद्
भिन्नभाजने । रात्रौ न विचरेयुस्ते ग्रामेषु नगरेषु च ॥५४॥

अर्थ—धर्मानुष्ठान के समय में इन (चण्डाल श्वपाक इत्यादि) के साथ
देखना बोलना आदि व्यवहार न करे । उन का व्यवहार और विवाह बराबर
वालों के साथ हो ॥५३॥ इन को खपरे आदि में रख कर अलग से पराधीन
अन्न देना चाहिये और वे रात को ग्रामों और नगरों में न घूमे ॥ ५४ ॥

दिवाचरेयुः कार्यार्थं चिह्निताराजाशासनैः । अबान्धवं शवं चैव
निर्हरेयुरिति स्थितिः ॥५५॥ वध्यांश्च हन्युः सततं यथाशास्त्रं
नृपाज्ञया । वध्यवासांसि गृह्णीयुः शय्याश्चाभरणानि च ॥५६॥

अर्थ-वे राजा की आज्ञा से चिह्न पाये हुवे काम के लिये दिन में घूमें और बेवारिस सुरदे को ले जावें (यह मर्यादा है ॥५५॥ यथाशास्त्र राजा की आज्ञा से निरन्तर फांसी के योग्यों को फांसी दें, और उस वध के कपड़े, शय्या और आभरणों को ग्रहण करें ॥

(३९ वें तक मनु ने व्यभिचारोत्पन्न वर्णसङ्करों की नाना प्रकार के नामों से उत्पत्ति कही । उष का तात्पर्य यह है कि उन की व्यभिचारजनित वर्ण-सङ्करता की प्रसिद्धि रहे, आगे की लोग व्यभिचार न करें, वर्णसङ्करों को उत्पन्न न करें, आर्यसन्तान को उत्तरोत्तर उन्नति ही । परन्तु ४२ वें में यह बतला दिया है कि तप आदि के प्रभाव से नीचे ऊंचे होजाते हैं । तथा ४३ । ४४ में पीशङ्कादि का ऊंचे से नीचा हो जाना कहा है । ४६ से ५६ तक वर्णसङ्करों के नीचे तथा निन्दित काम राजद्वारा नियत कये हैं, जिससे उनकी नीचे दशा को देखकर अन्यो को नीचेत्व के भय के कारण व्यभिचारादि से घिन हो) ५६

वर्णापेतमविज्ञातं नरं कलुषयोनिजम् । आर्यरूपमिवानार्यं
कर्माभिः स्वैर्विभावयेत् ॥ ५७ ॥ अनार्यता निष्ठुरता क्रूरता
निष्क्रियात्मता । पुरुषं व्यञ्जयन्तीह लोकेकलुषयोनिजम् ॥५८॥

अर्थ-(सङ्कर से हुवे) रङ्ग बदले और नहीं पहचाने जाते हुवे देखने में आर्य से परन्तु यथार्थ में अनार्य, अधम पुरुष का निज २ कामों में निश्चय करे ॥ ५७ ॥ असभ्यपन और कठोरभाषणशीलता तथा कर्मानुष्ठान से रहितता ; ये लक्षण इस लोक में नीचयोनिज पुरुष को प्रकट करते हैं ॥ ५८ ॥

पितृयं वा भजते शीलं मातुर्वीभयमेव वा । न कथंचन दुर्योनिः
प्रकृतिं स्वां नियच्छति ॥५९॥ कुले मुख्योऽपि जातस्य यस्य स्या-
द्योनिसङ्करः । संश्रयत्येव तच्छीलं नरोऽल्पमपि वा बहु ॥६०॥

अर्थ-यह वर्णसङ्कर से उत्पन्न हुवा पुरुष, पितृसम्बन्धी दुष्टस्वभाव अथवा माता का या दोनों का स्वभाव स्वीकार करता है, किन्तु अपनी असलियत छिपा नहीं सकता ॥ ५९ ॥ बड़े कुल में उत्पन्न हुवे का भी जिस का योनि से सङ्कर (ढका छिपा) हुआ है, वह मनुष्य योनि का स्वभाव छोड़ा या बहुत पकड़ता ही है ॥ ६० ॥

यत्र त्वेते परिध्वंसाज्जायन्ते वर्णदूषकाः । राष्ट्रकैःसहतद्राष्ट्रं
क्षिप्रमेव विनश्यति ॥६१॥ ब्राह्मणार्थं गवार्थं वा देहत्यागीऽनुप-
स्कृतः । स्त्रीबालाभ्युपपत्तौ च बाह्यानां सिद्धिकारणम् ॥६२॥

अर्थ—जिस राज्य में ये वर्णसङ्कर बहुत उत्पन्न होते हैं, वह राज्य वहाँ के निवासियों के सहित शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाता है ॥६१॥ ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक, इन की रक्षा में दुष्ट प्रयोजन से रहित होकर प्रतिलो-
मर्जों का प्राणत्याग सिद्ध (उच्चता) का हेतु है ॥ ६२ ॥

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

एतं सामासिकं धर्मं चातुर्वर्ण्येऽब्रवीन्मनुः ॥ ६३ ॥

“शूद्रायां ब्राह्मणाज्जातः श्रेयसा चेत्प्रजायते ।

अश्रेयान्श्रेयसीं जातिं गच्छत्याश्रमाद्युगात् ॥ ६४ ॥”

अर्थ—सिंसा न करना, सत्यभाषण, दूसरे का धन अन्याय से न लेना, पवित्र रहना और इन्द्रियों का नियंत्रण करना, यह मन्त्रों से चारों वर्णों का धर्म (मुक्त) मनु ने कहा है ॥ ६३ ॥ “शूद्रा में ब्राह्मण से पौरुषवाक्यवर्ण उत्पन्न होता है, यदि वह दैववश से स्त्रीगर्भ हो और वह स्त्री दूसरे ब्राह्मण से विवाह करे और फिर उसकी कन्या तीसरे ब्राह्मण से विवाह करे, इस प्रकार सातवें जन्म में ब्राह्मणता को प्राप्त होता है ॥”

(यह श्लोक इसलिये अमान्य है कि शूद्रागामी ब्राह्मण तृतीयाध्याया-
नुसार पतित हो जाता है, तो ऐसे सात ब्राह्मणों को ७ पीढ़ी तक पतित
कराने वाला श्लोक मनु का सम्मत हो, सो ठीक नहीं जान पड़ता) ॥६३॥

शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम् । क्षत्रियाज्जातमेवन्तु
विद्याद्वैश्यात्तथैव च ॥६५॥ अनार्यायां समुत्पन्नो ब्राह्मणात्तु
यदुच्छ्रया । ब्राह्मणयामप्यनार्यात्तु श्रेयस्त्व क्लृप्ति चेद्भवेत् ॥६६॥

अर्थ—ब्राह्मण शूद्रता को प्राप्त हो जाता है और शूद्र ब्राह्मणता को प्राप्त ही
जाता है । क्षत्रिय से उत्पन्न हुवा भी इसी प्रकार और वैसे ही वैश्य से हुवा पुत्र
भी अन्य वर्ण को प्राप्त होता जानना चाहिये ॥६५॥ जो संयोगवश ब्राह्मण से
शूद्रा में उत्पन्न हुवा और जो शूद्र से ब्राह्मणी में उत्पन्न हुवा, इन दोनों में
अच्छापन किस में है ? यदि यह शंभय हो (तो उत्तर यह है कि :-) ॥६६॥

जातो नार्या म नार्या यामार्या दार्या भवेद्गुणैः । जातोऽप्यनार्या-
 दार्या याम नार्या इति निश्चयः ॥६७॥ तावु भावप्यसंस्कार्याविति
 धर्मा व्यवस्थितः । वैगुण्याज्जन्मनः पूर्व उत्तरः प्रतिलोमतः ॥६८॥

अर्थ-१ अनार्या स्त्री में आर्य से उत्पन्न हुआ, गुणों से आर्य हो सकता है
 और दो २ शूद्र से ब्राह्मणी स्त्री में उत्पन्न हुआ गुणों से शूद्र उत्पन्न होना
 संभव है । यह निश्चय है । ६७ ॥ धर्म को मर्यादा है कि १ पहला शूद्रा में
 उत्पन्न होने रूप जाति की विगुणता से और २ दूसरा प्रतिलोम से उत्पन्न
 होने के कारण; ऐसे ये दोनों उपनयन के अयोग्य हैं ॥६८॥

सुबीजं चैव सुक्षेत्रे जातं संपद्यते यथा । तथा र्याज्जात आर्यायां
 सर्वं संस्कारमर्हति ॥ ६९ ॥ बीजक्षेत्रे प्रशंसन्ति क्षेत्रमन्ये मनी-
 षिणः । बीजक्षेत्रे तथैवान्य तत्रेयं तु व्यवस्थितिः ॥ ७० ॥

अर्थ- जैसे अच्छा बीज खेत में बोया हुआ समृद्ध होजाता है, वैसे ही
 आर्या में आर्य से उत्पन्न हुआ सम्पूर्ण उपनयनादि संस्कार के योग्य है ॥६९॥
 कोई विद्वान् बीज को और कोई खेत को और अन्य कोई दोनों को प्रधान
 कहते हैं, उन में यह व्यवस्था है कि- ॥ ७० ॥

अक्षेत्रे बीजमुत्सृष्टमन्तरेव विनश्यति ।

अबीजकमपि क्षेत्रं केवलं स्थण्डिलं भवेत् ॥७१॥

“यस्माद्बीजप्रभावेण तिर्यग्जाऋषयोऽभवन् ।

पूजिताश्च प्रशस्ताश्च तस्माद्बीजं प्रधानव्यते ॥७२॥”

अर्थ-जपर में बोया हुआ बीज भीतर ही नाश को प्राप्त हो जाता है
 और बीजरहित अच्छा भी खेत कोरा चैतन ही रहेगा (इससे दोनों ही
 अपने २ गुण में मुख्य हैं । यहां तक बीज और क्षेत्र की प्रधानता के विवाद
 में गुणकर्मों का वर्णन नहीं है किन्तु स्वभाव जो कि प्रायः रज क्षीर्य के
 शुद्धाऽशुद्ध होने से शुद्धाऽशुद्ध होता है, उसमें ही यह विचार प्रवृत्त किया है
 कि दोनों में प्रबलता किसकी है) ॥७१॥ “बीज के माहात्म्य से तिर्यग्योनि
 (अर्थात् हरिणादि से उत्पन्न हुवे शृङ्गी ऋष्यादि) ऋषित्व, पूजन और
 स्तुति की प्राप्त हुवे । इस से बीज की प्रधानता है” (प्रधानता तिर्यग्योनि

में सनुष्योनि उत्पन्न नहीं हो सकती । दूसरे शृङ्गी ऋष्यादि की कथायें पीछे की हैं । मनु उन का मृतकाल करके वर्णन नहीं कर सकते थे) ॥१२॥

अनार्यः सार्यकर्माणमार्यं चानार्यकर्माणम् ।

संप्रधार्याऽब्रवीद्ब्रह्मा न समौ नाऽसमाविति ॥७३॥

अर्थ-द्विज, शूद्रों के कर्म करने वाले और शूद्र द्विजों के कर्म करने वाले, इनको ब्रह्मा ने विचार कर कहा कि न ये सम हैं, न असम हैं ॥ (क्योंकि गुणों और स्वभावों के बिना केवल कर्म से अनार्य आर्य नहीं हो सकते । और गुणों तथा स्वभावों से युक्त आर्य, केवल कर्महीन होजाने से अनार्य नहीं हो सकता । अर्थात् मनु जी कहते हैं कि केवल कर्म से हम कोई व्यवस्था नहीं दे सकते । किन्तु गुण कर्म-स्वभाव सब पर दृष्टि डाल कर व्यवस्थापक विद्वान् वा समा को व्यवस्था देनी चाहिये । मेधातिथि कहते हैं कि वहां तक वर्णसङ्घों की निन्दा और कर्मों की प्रशंसारूप अर्थवाद ही है । विधि वा निषेध कुछ नहीं) ॥ ७३ ॥

ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्था ये स्वकर्मण्यवस्थिताः ।

ते सम्यगुपजीवेयुः षट् कर्माणि यथाक्रमम् ॥७४॥

अर्थ-जो ब्रह्मयोनिस्थ ब्राह्मण हैं और अपने कर्म से रहते हैं वे क्रम से अच्छे प्रकार (इन) छः कर्मों का अनुष्ठान करें ॥ ७४ ॥

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । दानं प्रतिग्रहश्चैव षट्

कर्माण्यग्रजन्मनः ॥७५॥ षण्णां तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि

जीविका । याजनाध्यापने चैव विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः ॥७६॥

अर्थ-१ पढ़ना, २ पढ़ाना, ३ यज्ञ करना और ४ कराना, ५ दान देना और ६ लेना; ब्राह्मण के ये छः कर्म हैं ॥७५॥ छः कर्मों में से इस ब्राह्मण की तीन कर्म जीविका हैं । १ यज्ञ कराना, २ पढ़ाना और ३ शुद्ध (द्विजातियों) से दान लेना ॥ ७६ ॥

त्रयोधर्मानिवर्तन्ते ब्राह्मणात्क्षत्रियं प्रति । अध्यापनं याजनं च

तृतीयं प्रतिग्रहः ॥ ७७ ॥ वैश्यं प्रति तथैवैते निवर्तन्ति

स्थितिः । न तौ प्रति हि तान्धर्मान्मनुराह प्रजापतिः ॥७८॥

अर्थ—ब्राह्मण के धर्मों से क्षत्रिय के तीन धर्म छूटे हैं, १ पढ़ाना, २ यज्ञ कराना और ३ दान लेना (अर्थात् इन को क्षत्रिय न करे) ॥ ७७ ॥ वैश्य के भी इसी प्रकार तीन धर्म छूटें। इस प्रकार खयादा है क्योंकि क्षत्रिय वैश्यों की जीविकार्थ उन धर्मों को (मुक्त) गनु प्रजापति ने नहीं कहा है ॥७८॥

शस्त्रास्त्रभृत्त्वक्षत्रस्यवणिक्पशुकृषिर्विशः। आजीवनार्थं धर्म-
स्तु दानमध्ययनंयजिः॥७९॥ वेदाभ्यासोब्राह्मणस्यक्षत्रियस्य
च रक्षणम्। वार्ताकर्मैव वैश्यस्य विशिष्टानि स्वकर्मसु॥८०॥

अर्थ—क्षत्रियों का शस्त्र अस्त्र धारण करना और वैश्य का व्यापार, गाय बिल आदि का रखना और खेती; ये दोनों कर्म दोनों के आजीवनार्थ कहे हैं और दान देना, पढ़ना, यज्ञ करना, (दोनों का) १ धर्म कहा है ॥७९॥ ब्राह्मण का वेदाभ्यास करना, क्षत्रिय का रक्षा करना और वैश्य का वाणिज्य करना; अपने २ कर्मों में विशेष कर्म हैं ॥ ८० ॥

अजीवंस्तुयथोक्तेन ब्राह्मणःस्वेनकर्मणा। जीवेत्क्षत्रियधर्मेण
स ह्यस्य प्रत्यनन्तरः॥८१॥ उभाभ्यामप्यजीवंस्तुकथं स्यादिति
चेद्भवेत्। कृषिगोरक्षमास्थाय जीवेद्वैश्यस्य जीविकाम् ॥८२॥

अर्थ—ब्राह्मण अपने यथोक्त कर्म से निर्वाह न कर सका हुवा (आपत्काल में) क्षत्रिय के धर्म से अपना आजीवन करे क्योंकि वह इस के समोप है ॥८१॥ दोनों (ब्राह्मण और क्षत्रियों की जीविकाओं) से न जी सका हुवा कैसे जीवन करे ? ऐसा संशय हो तो कृषि और गोरक्षा करके (ब्राह्मण) वैश्य की जीविका करे ॥ ८२ ॥

वैश्यवृत्त्यापि जीवंस्तु ब्राह्मणःक्षत्रियोऽपिवा। हिंसाप्रायां
पराधीनांकृषिंयत्नेनवर्जयेत्कृषिंसाध्वितिमन्यन्तेसावृत्तिः
सद्विगर्हिता। भूमिभूमिशयांश्चैव हन्ति काष्ठमयीमुखम् ॥८३॥

अर्थ—ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्यवृत्ति करके जीते हुये भी बहुत हिंसा वाली और पराधीन खेती को यत्न से छोड़ दें ॥८३॥ " खेती अच्छी है ? ऐसा (कोई) कहते हैं। परन्तु यह वृत्ति साधुओं से निन्दित है क्योंकि कुवाल इलादि लोहा लगा हुवा काष्ठ भूमि और भूमि के रहने वाले जन्तुओं का भी नाश करता है ॥ ८३ ॥

इदं तु वृत्तिवैकल्यात्प्रजतो धर्मनैपुणम् । विदूषण्यमुहधृती-
ह्वारं विक्रेयं वित्तवर्धनम् ॥२५॥ सर्वान् रसानपोहेतकृतान् च
तिलैः सह । अश्मनीलवर्णं चैव पशवीये च मानुषाः ॥२६॥

अर्थ-ब्राह्मण पत्नियों को अपनी वृत्ति के न होने या धर्म की यथोक्त
निष्ठा को छोड़ते हों तब वैश्य के बचने योग्य द्रव्यों में से आगे कहे हुए को
छोड़कर धनवृद्धिकारक विक्रय करना योग्य है ॥२५॥ सम्पूर्ण रसों, पकाये
अनाज तिलों के सहित, पत्थर, नसक और मनुष्यों के पालनीय पशु;
इन को न बेचे ॥ २६ ॥

सर्वं च तान्तव रक्तं शाणक्षौमाविकानि च । अपिचेत्स्युरऽ-
रक्तानि फलमूले तथौषधीः ॥२७॥ अणुः शूलं विषं मांसं सोमं
गन्धांश्च सर्वशः । क्षीरं क्षौद्रं दधि घृतं तैलं मधु गुडं कुशान् ॥२८॥

अर्थ-सब रक्त के तथा सन के कपड़े और रेशमी ऊनी कपड़े रङ्गे वा विना
रंगे भी हों और फल मूल तथा औषधियों को (न बेचे) ॥२७॥ जल, शस्त्र, विष,
मांस, सोमवल्ली तथा सब प्रकार के गन्ध, दूध, शहद, दही, घी, तेल, मधु, (एक
पुस्तक में मधु=मजजा पाठ है) गुड़ और कुशा (इन को भी न बेचे) ॥२८॥

आरण्यांश्च पशून्सर्वान्दंष्ट्रिणश्च वयांसि च । मयानीलिं च लाक्षां
च सर्वांश्चैकशफांस्तथा ॥२९॥ काममुत्पाद्य कृष्यां तु स्वयमेव कृ-
षीबलः । विक्रीणीत तिलान्शूद्रान्धर्मार्थमचिरस्थितान् ॥३०॥

अर्थ-जङ्गली सब पशु तथा दांतों वाले (कुत्ते आदि) और पत्नियों
तथा मद्य, नील, लाख और एक सुर वाले घोड़े आदि (इनको भी न बेचे)
॥२९॥ खेती वाला आप ही खेती में तिलों को उत्पन्न करके दूसरे द्रव्य से
विना मिलाये हुये तिलों का बहुत दिन न रखकर धर्मकार्य में लगाने निमित्त
चाहे तो शूद्रों को विक्रय करदे ॥

“शूद्रान्” की जगह “शुद्रान्” पाठ की जहाँ टीकाकारों ने व्याख्या
की है, “शूद्रान्” की किसी ने नहीं । परन्तु ५ मूल पुस्तकों को छोड़ शेष
२५ पुस्तकों में मूल का पाठ “शूद्रान्” ही है । २९ वें से आगे एक पुस्तक
में यह श्लोक अधिक है कि-

[त्रपु सीसं तथा लोहं तैजसानि च सर्वशः ।

बालांश्चर्म तथाऽस्थीनि सस्नायूनि च वर्जयेत्]

हस्त पर मन्दन का भाष्य भी है । अर्थ यह है कि रांग, सीसा तथा लोहा और सब फमकीले धातु और बाल, चमड़ा तथा तांत लिपटी हुई नबेचे)। जैसा सहाभाष्य में तैल मांस विक्रय का निषेध और सरसों तथा गौ आदि के विक्रय की विधि कही है वसा ही यह है । क्योंकि अत्यन्त मलिन और पापजनक वृत्ति से बचना चाहिये) ॥९०॥

भोजनाभ्यञ्जनादानान्यत्कुरुतेतिलैः।कृमिभूतःश्वविष्टायां
पितृभिः सह मज्जति ॥९१॥ सद्यः पतनि आंसेन लाक्षया

लवणेन च । त्र्यहेण शूद्रीभवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात् ॥९२॥

अर्थ—भोजन, अभ्यञ्जन और दान के सिवाय जो कोई तिलों से और कुछ करता है, वह कृमि बनकर पितरों के सहित कुत्ते की विष्टा में डूबता है ॥९१॥ मांस, लाख और लवण के बेचने से ब्राह्मण उसी समय पतित हो जाता है और दूध के बेचने से (ब्राह्मण) तीन दिन में शूद्रता को प्राप्त होता है ॥९२॥

इतरेषां तु पण्यानां विक्रयादिह कामतः।ब्राह्मणःसप्तरात्रेण
वैश्यभावं नियच्छति ॥९३॥रसारसैर्निभातव्या नत्वेव लवणं
रसैः । कृतान्नं चाकृतान्नेन तिलाधान्येन तत्समाः ॥९४॥ *

अर्थ—ब्राह्मण उक्त मांसादि से अतिरिक्त पण्यों को इच्छापूर्वक बेचने से सात दिन में वैश्य हो जाता है ॥९३॥ गुड़ादि का घृतादि से बदला कर लेवे परन्तु लवण का इन से बदला न करे । सिद्ध किया अन्न विना सिद्धकिये अन्न से बदल ले और तिल धान्य के समान हैं (धान्य से बदल लेवे) ॥९४॥

जीवेदेतेन राजन्यः सर्वेणाप्यनयं गतः । नत्वेवज्यायसीं वृत्ति
सभिमन्येतकहिं चित् ॥९५॥ योलोभादधमोजात्या जीवेदुत्कृष्ट
कर्मभिः । तं राजा निर्धनं कृत्वा क्षिप्रमेव प्रवासयेत् ॥९६॥

* यद्यपि ८५ से ९४ तक १० श्लोकों को पहले ४ वार छापे में और ५ वीं वार भी सूची में प्रसिद्ध लिखा गया, परन्तु अब विचार से वह अयुक्त जान कर बदल दिया है ॥

दुःखं रां रवाम्

अर्थ—आपत्ति को प्राप्त सत्रिय भी इस विधि से (वैश्यवत्) जीवन करे, परन्तु कदापि ब्राह्मण की वृत्ति का अभिमान न करे ॥९५॥ जो निकृष्ट जाति से उत्पन्न हुआ, (विना व्यवस्थापकों से विधिपूर्वक उच्चता पाये, आप ही आप) लोभ से उत्कृष्ट जाति की वृत्ति करे, उसके राजा निर्धन करके देश से निकाल देवे ॥ ९६ ॥

वरं स्वधर्मो विगुणो न प्रारब्धः स्वनुष्ठितः परधर्मेण जीवन्निह
सद्यः पतति जातितः ॥९७॥ वैश्योऽजीवन् स्वधर्मेण शूद्रवृत्त्यापि
वर्त्तयेत् । अनाचरन् कार्यानि निवर्त्तयेत् च शक्तिमान् ॥९८॥

अर्थ—अपना धर्म (काम) छोटा मोटा भी श्रेष्ठ है और दूसरे का अच्छा अनुष्ठान किया हुआ भी श्रेष्ठ नहीं क्योंकि पराये धर्म (पेशे) का आचरण करके जीविका करता हुआ उसी समय अपनी जाति से पतित हो जाता है ॥९७॥ वैश्य अपनी वृत्ति से जीवन न कर सकता हुआ शूद्रवत् वृत्ति द्विजातियों की सेवा भी करले परन्तु अकार्यको छोड़कर, और होसके तो सर्वथा ही बचे ॥९८॥

अशक्नुवंस्तु शुश्रूषां शूद्रः कर्तुं द्विजन्मनाम् । पुत्रदारान्त्ययं
प्राप्नो जीवेत् कारुककर्मभिः ॥९९॥ यैः कर्मभिः प्रचरितैः शुश्रूष्यन्ते
द्विजातयः । तानि कारुककर्माणि शिल्पानि विविधानि च ॥१००॥

अर्थ—द्विजों की शुश्रूषा करने को असमर्थ शूद्र बुधा से पुत्र कलत्र आदि को कष्ट प्राप्त होते हुवे कारुक कर्मों (सूपकारत्वादि) से जीवन करे ॥९९॥ जिन प्रचरित कर्मों से द्विजातियों की शुश्रूषा करते हैं, उनको और नाना प्रकार के शिल्पों को भी कारुक कर्म कहते हैं ॥ १०० ॥

“वैश्यवृत्तिमनातिष्ठ ब्राह्मणः स्वपथि स्थितः । अवृत्तिकर्षितः

सीदन्निमं धर्मं समाचरेत् ॥ १०१ ॥ सर्वतः प्रतिगृह्णीयाद् ब्राह्मण-

स्त्वनयं गतः । पवित्रं दुष्यतीत्येतद् धर्मतो नोपपद्यते ॥ १०२ ॥”

“अर्थ—अपने मार्ग में स्थित ब्राह्मण जीविका के न होने से पीड़ा को प्राप्त हुआ वैश्यवृत्ति को भी न कर सके तो इस वृत्ति को करे कि—॥१०१॥ विपत्ति को प्राप्त हुआ ब्राह्मण सब से दान लेलेवे, क्योंकि पवित्र को दोष लगना धर्म से नहीं पाया जाता ॥ १०२ ॥”

“नाध्यापनाद्याजनाद्वा गर्हिताद्वा प्रतिग्रहात् ।

दोषो भवति विप्राणां ज्वलनाम्बुसमा हि ते ॥ १०३ ॥”

“जीवितात्ययमापन्नो येरऽन्नमस्ति यतस्ततः ।

आकाशमिव पङ्केन न स पापेन लिप्यते ॥ १०४ ॥”

“अर्थ—ब्राह्मणों को निन्दित पढ़ाने और यज्ञ कराने तथा प्रतिग्रह से दोष नहीं होता, क्योंकि वे पानी तथा आग के समान हैं (देव पुस्तकों में ज्वलनाकसमा हि ते, और एक में “ज्वलनाकसमाहितः” भी पाठभेद है) ॥१०३॥ जो प्राणात्यय को प्राप्त हुआ जहाँ तहाँ अन्न भोजन करता है, वह कीचड़ से आकाश के समान उस पाप से लिप्त नहीं होता ॥ १०४ ॥”

“अजीगर्तः सुतं हन्तुमुपासर्षद्बुभुक्षितः ।

न चालिप्यत पापेन क्षुत्प्रतीकारमाचरन् ॥ १०५ ॥”

श्वमांसमिच्छन्नातीतं धर्माधर्मविचक्षणः ।

प्राणानां परिरक्षार्थं वामदेवो न लिप्तवान् ॥ १०६ ॥”

“अर्थ—अजीगर्त नाम ऋषि बुभुक्षित हुआ, पुत्र को मारने को चला, परन्तु क्षुधा के दूर करने को वैसा करता हुआ पाप से लिप्त नहीं हुआ १०५ वामदेव धर्म अधर्म का जानने वाला, क्षुधा से पीड़ित हुआ, प्राण की रक्षा के कुत्ते के मांस खाने की इच्छा करता हुआ पाप से लिप्त नहीं हुआ ॥१०६॥”

“भरद्वाजः क्षुधात्तस्तु सपुत्रीविभने वने ।

बह्वीर्गाः प्रतिजग्राह वृधोस्तदणोमहातपाः ॥ १०७ ॥

क्षुधात्तश्चात्सु मभयागाद्विश्वामित्रः श्वजाघनीम् ।

चण्डालहस्तादादाय धर्माधर्मविचक्षणः ॥ १०८ ॥”

“अर्थ—बड़े तपस्वी पुत्र के सहित निर्जन वन में क्षुधा से पीड़ित हुवे भरद्वाज ने वृधुनामा बड़ई की बहुत सी गायों को ग्रहण किया ॥१०७॥ धर्म अधर्म के जानने वाले विश्वामित्र ऋषि क्षुधा से पीड़ित हुवे चण्डाल के हाथ से लेकर कुत्ते की जाँघ का मांस खाने को तैयार हुवे ।”

(यद्यपि १०९ से १०४ तक भी श्लोक असमान्य हैं । क्योंकि आपत्काल में भी आपत्काल से नीचे न गिरना चाहिये और पूर्व मनु जी कह भी आये हैं कि स्वधर्म त्याग से पतितता होती है, परन्तु यदि यहाँ आपत्काल का तात्पर्य प्राणसङ्कट हो, अर्थात् कभी दैवयोग से कहीं ऐसा अवसर आ जावे कि सर्वथा ही प्राण न बच सकते हों तो प्राणरक्षार्थ ये श्लोक मान्य भी समझे जा सकते हैं

और प्राणों को भी धर्मार्थ न्यौछावर कर देना तो बहुत ही अच्छा है । परन्तु कोई र विद्वान् जगत् के सहान् उपकारक है, यदि वे अपने प्राणों को परोपकारार्थ बचाते हुवे निषिद्ध प्रतिग्रहादि ले भी लें और इसको धर्म भी मान लिया जावे तो इसमें तो सन्देह ही नहीं कि १०५ से १०८ तक के ४ श्लोक तो अवश्य ही मनुप्रोक्त वा भृगुप्रोक्त भी नहीं । जिनमें मनु से पश्चात् हुवे अजीगर्त वामदेव आदि की कथा को भूतकाल से वर्णन किया है ॥ १०८ ॥

प्रतिग्रहाद्याजनाद्वा तथैवाध्यापनादपि । प्रतिग्रहः प्रत्यवरः
प्रेत्य विप्रस्य गार्हितः १०९ याजनाध्यापने नित्यं क्रियेते संस्कृ-
तात्मनाम् । प्रतिग्रहस्तु क्रियते शूद्रादप्यन्त्यजन्मनः ॥११०॥

अर्थ—प्रतिग्रह, याजन, अध्यापन; इन में बुरा दान लेना ब्राह्मण को पर-
लोक में बहुत नीचता का हेतु है (इसलिये याजन अध्यापन से जब तक
काम चले तब तक निन्दित प्रतिग्रह न लेवे) ॥१०९॥ क्योंकि याजन और
अध्यापन तो उपनयनादि संस्कारवाले द्विजों ही का सर्वदा किया कराया
जाता है परन्तु प्रतिग्रह तो अन्त्य जन्म वाले शूद्र से भी लिया जाता है ॥११०॥

जपहोमैरपैत्येनो याजनाध्यापनैः कृतम् । प्रतिग्रहनिमित्तं तु
त्यागेन तपसैव च ॥१११॥ शिलोच्छ्रमप्याददीत विप्रोऽजीवन्य-
तस्ततः । प्रतिग्रहाच्छिलः श्रेयांस्ततोऽप्युच्छ्रमः प्रशस्यते ॥११२॥

अर्थ—अर्थात् असत् याजन और अध्यापन से उत्पन्न हुवा पाप तो जप
होमों से दूर हो जाता है, परन्तु प्रतिग्रहनिमित्तक पाप, त्याग तथा तप से
ही दूर होता है ॥१११॥ ब्राह्मण अपनी वृत्ति से जीवन न कर सकता हुवा
इधर उधर से शिलोच्छ्रमों को भी ग्रहण करे (अर्थात् शिलोच्छ्रमों के होते हुवे भी
निन्दित प्रतिग्रह न ले) क्योंकि प्रतिग्रह से शिल चुगना श्रेष्ठ है और शिल
से भी उच्छ्रम (चुगे पर चुगना) श्रेष्ठ है ॥ ११२ ॥

सीदद्भिः कुप्यमिच्छद्भिर्धनं वा पृथिवीपतिः । याचयः स्यात्सना-
तकैर्विप्रैरदित्संस्त्यागमर्हति ॥३॥ अकृतं च कृतात्क्षेत्राद् गौर-
जाविकमेव च । हिरण्यधान्यमन्नं च पूर्वं पूर्वमदोषवत् ॥११४॥

सप्तवित्तागमाधर्म्या दायोलाभः क्रयोजयः। प्रयोगः कर्मयोगश्च
सत्प्रतिग्रहएवच॥११५॥ विद्याशिल्पभृतिः सेवा गोरक्षं विपणिः
कृषिः । धृतिर्भैक्ष्यं कुसीदं च दश जीवनहेतवः ॥ ११६ ॥

अर्थ—धान्य कुप्य और धन की इच्छा करने वाले, कुटुम्बादि पोषण के लिये धन के न होने से पीड़ित हुवे स्नातकविप्रां को राजा से याचना करनी योग्य है, परन्तु जो राजा देना नहीं चाहता वह याचना करने के योग्य नहीं है ॥११३॥ बनाये हुवे खेत से बे बनाया खेत, गाय बकरी भेड़, सोना, धान्य और अन्न में (यथासंभव) पहिले २ में कम दोष है ॥ ११४ ॥ धर्म से प्राप्त इन सात प्रकार के धनों का आगम धर्मानुकूल है—प्रथम वंश से चले आये हुवे धन का दायभाग, दूसरा भूमि आदि में दया धन मिल जाना, तीसरे बेचना, चौथे संग्राम में जय करना, पांचवें व्याज आदि से बढ़ाना वा खेती करना आदि, छठा नौकरी करना और सातवां सज्जन से दान लेना ॥११५॥ ये दश जीवन के हेतु हैं—१ विद्या, २ कारीगरी, ३ नौकरी, ४ सेवा, ५ पशुरक्षा, ६ दुकानदारी, ७ खेती, ८ सन्तोष, ९ भिक्षा और १० व्याज ॥ ११६ ॥

ब्राह्मणः क्षत्रियोवापि वृद्धिर्नैव प्रयोजयेत् । कामंतु खलु धर्मार्थं
दद्यात्पापीयसेऽल्पिकाम् ॥११७॥ चतुर्थमाददानोऽपि क्षत्रियो
भागमापदि प्रजारक्षन्परं शक्त्या किल विषात्प्रतिमुच्यते ॥११८॥

अर्थ—ब्राह्मण और क्षत्रिय सूद से धन बढ़ाने को न दे । आपत्काल में चाहे ती धर्मकर्मनिर्वाहार्थ नीच लोगों को थोड़ा धन देदे और थोड़ी सी वृद्धि लेले ॥ ११७ ॥ आपत्काल में धनादि का चतुर्थ भाग भी चाहे ग्रहण करता हो, परन्तु शक्ति से प्रजा की रक्षा करता हुआ राजा उस (अधिक कर लेने के) पाप से लूट जाता है ॥ ११८ ॥

स्वधर्मा विजयस्तस्य नाहवे स्यात्पराङ्मुखः । शस्त्रेण वैश्यान्
रक्षित्वा धर्म्यमाहार्येद्वलिम् ॥११९॥ धान्येऽष्टमं विशां शुल्कं
विंशं कार्पापणावरम् । कर्मोपकरणाः शूद्राः कारवः शिल्पिनस्तथा

अर्थ—शत्रु का जय करना राजा का स्वधर्म है । संग्राम में पीठ न देवे । शस्त्र से वैश्यों की रक्षा करके उन से उचित कर लेवे ॥११९॥ वैश्यों के धान्य में

उपचय (नक्त) में आठवें भाग को राजा ग्रहण करे । और काषांपण तक सराफ के भाग पर २० वां भाग छे (पहिले धान्य का १२ वां और सुवर्णादि का ५० वां कहा था, यहां आपत्काल में अधिक कहा है) । तथा शूद्र कारीगर बड़हें आदि काम करके कार्यरूप ही कर देने वाले हैं (इन से विपत्ति में भी कर न लेवे) ॥ १२० ॥

शूद्रः तु वृत्तिमाकाङ्क्षन् क्षत्रमाशययेद्यदि । धनिर्नवाप्युपाराध्य
वैश्यं शूद्रो जिजीविषेत् ॥ १२१ ॥ स्वार्गार्थमुभयार्थं वा विप्राना
शययेत्तु सः । जातब्राह्मणशब्दस्य सा ह्यस्य कृतकृत्यता ॥ १२२ ॥

अर्थ शूद्र यदि जीविका चाहे तो क्षत्रिय की सेवा करे अथवा धनी वैश्य की सेवा करके निर्वाह करे ॥ १२१ ॥ स्वर्ग और अपनी वृत्ति की इच्छा वाला शूद्र ब्राह्मण की सेवा करे । "ब्राह्मण का सेवक" इस शब्द ही से इस की कृतकृत्यता है ("या तु ब्राह्मणसेवाऽस्य" यह एक पुस्तक में तृतीय पाद का पाठान्तर है) ॥ १२२ ॥

विप्रसेवैव शूद्रस्य विशिष्टं कर्म कीर्त्यते । यदतोऽन्यद्दि कुरुते
तद्भवत्यस्य निष्फलम् ॥ १२३ ॥ प्रकल्प्यात्तस्य तैर्वृत्तिः स्वकुटुम्बा-
द्यथार्हत । शक्तिं चावेक्ष्य दाक्ष्यं च भृत्यानां च परिग्रहम् ॥ १२४ ॥

अर्थ—क्योंकि ब्राह्मण की सेवा शूद्र को अन्य कर्मों से श्रेष्ठ कर्म कहा है इसलिये इससे अतिरिक्त जो कुछ करता है, वह इस का निष्फल है ॥ १२३ ॥ उस परिचारक शूद्र को परिचर्या सामर्थ्य और काम में चतुराई तथा उस के घर के प्रोष्यवर्ग का ध्यय देख कर अपने घर के अनुसार उन (द्विजों) को जीविका नियत कर देनी चाहिये ॥ १२४ ॥

उच्छिष्टमन्नं दातव्यं जीर्णानिवसनानि चापुलाकाश्चैव धान्यानां
जीर्णाश्चैव परिच्छदाः ॥ १२५ ॥ न शूद्रे पातकं किञ्चिन्न च संस्कार
मर्हति । नास्याधिकारो धर्मोऽस्ति न धर्मात्प्रतिषेधनम् ॥ १२६ ॥

अर्थ—भोजन से बचा अन्न और पुराने कपड़े और धान्यों की छटन तथा पुराना बरतन भागडा देना चाहिये ॥ १२५ ॥ सेवक शूद्र को (द्विजों के घर

का) कोई पातक नहीं है और न कोई संस्कार योग्य है । क्योंकि न तौ (उन द्विजों के) धर्म में इस को अधिकार है और न (अपने) धर्म से इस को निषेध है ॥ १२६ ॥

धर्मेष्वस्तु धर्मज्ञाः सतां वृत्तमनुष्ठिताः ।

मन्त्रवर्जं न दुष्यन्ति प्रशंसां प्राप्नुवन्ति च ॥१२७॥

अर्थ—धर्म की बूझा वाले तथा धर्म को जानने वाले शूद्र मन्त्रवर्जित सत्-पुरुषों का आचरण करते हुये दोष को नहीं किन्तु प्रशंसा को प्राप्त होते हैं ॥ (भाव यह है कि धर्मकार्य यज्ञादि करने का शूद्रों को अधिकार [इस्तहकाक] नहीं है । अर्थात् यदि द्विज लोग किसी शूद्र की अयोग्य समझ कर रोकें तो उस का यह अधिकार [इस्तहकाक] नहीं है कि वह राजद्वारादि से कानूनन अपना स्वत्व सिद्ध कर पावे । परन्तु उस को धर्म करने की सजाई भी नहीं है कि शूद्र धर्म करे ही नहीं, किन्तु [धर्मेष्वः] यदि शूद्र धर्म करना चाहें और (धर्मज्ञाः) धर्म करना जानते भी हों तो बिना वेदमन्त्रों के उच्चारण ही यज्ञ होमादि कर सकते हैं, उस में उन को असन्त्र होखे का कोई दोष नहीं [क्योंकि वे पढ़ना जानते ही नहीं] प्रत्युत उन की प्रशंसा होती है कि वे धर्म में श्रद्धा करते हैं) ॥ १२७ ॥

यथा यथा हि सद्वृत्तमातिष्ठत्यनसूयकः ।

तथा तथेमं चामुं चलोकं प्राप्नोत्यऽनिन्दितः ॥१२८॥

अर्थ—निन्दारहित शूद्र जैसे २ गर्व छोड़ कर अच्छे आचरण कहता है, वैसे २ इस लोक तथा परलोक में उदकष्टता को प्राप्त होता है ॥ १२८ ॥

शक्तेनापि हि शूद्रेणनकार्यो धनसञ्चयः । शूद्रो हि धनमासाद्य
ब्राह्मणानेव बाधते ॥१२९॥ एते चतुर्णां वर्णानामापहूर्माः प्रकी-
र्त्तिता । यान्सम्यगनुतिष्ठन्तो ब्रजन्ति परमां गतिम् ॥ १३० ॥

अर्थ—समर्थ शूद्र को भी धनसञ्चय न करना चाहिये क्योंकि शूद्र धन को पाकर ब्राह्मणादि को ही बाधा देता है ॥ १२९ ॥ ये चारों वर्णों के आपत-काल में धर्म कहे । जिन को अच्छे प्रकार आचरण करते हुये (मनुष्य) मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥ १३० ॥

एष धर्मविधिः कृष्णश्रातुर्वर्ण्यस्य कीर्तितः ।

अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तविधिं शुभम् ॥१३१॥

अर्थ—यह सम्पूर्ण चारों वर्णों की कर्मविधि कही । इस के उपरान्त शुभ प्रायश्चित्तविधि कहूंगा ॥ १३१ ॥

इति मानवे धर्मशास्त्रे (भृगुप्रोक्तायां संहितायां)

दशमोऽध्यायः

॥ १० ॥

इति श्री तुलसीराम स्वामिद्विरचिते मनुभाषानुवादे

दशमोऽध्यायः

॥ १० ॥



अथ एकादशोऽध्यायः

सान्तानिकं यक्ष्यमाणमध्वगं सर्ववेदसम् । गुर्वथं पितृमात्रथं
स्वाध्यायार्थ्युपतापिनौ ॥१॥ नवैतान्स्नातकान्विख्याद्ब्राह्मणान्
धर्मभिक्षुकानानिःस्वभ्यो देयमेतेभ्योदानं विद्याविशेषतः ॥२॥

अर्थ-सन्तानार्थे विवाह के प्रयोजन वाला और ज्योतिषोमादि यज्ञ करने की इच्छा वाला तथा मार्ग चलने वाला, और जिसने सम्पूर्ण धन दक्षिणा देकर यज्ञ में लगा दिया वह, और गुरु तथा माता और पिता के लिये धन का अर्धी और विद्यार्थी और रोगी ॥ १ ॥ इन ९ स्नातकों को धर्म-भिक्षुक ब्राह्मण जाने और ये निर्धन हों तो इन को विद्या की विशेषता के अनुसार दान देना चाहिये ॥ २ ॥

एतेभ्योहि द्विजाग्र्येभ्यो देयमन्नं सदक्षिणम् । इतरेभ्यो बहि-
र्वेदि कृतान्नं देयमुच्यते ॥३॥ सर्वरत्नानि राजा तु यथाहं प्रति
पादयेत् । ब्राह्मणान्वेदविदुषो यज्ञार्थं चैव दक्षिणाम् ॥ ४ ॥

अर्थ-इन द्विजश्रेष्ठों को दक्षिणा के साथ अन्न देना चाहिये और दूसरों को वेदी के बाहर पका अन्न देना कहा है ॥ ३ ॥ राजा वेद के जानने वाले ब्राह्मणों को यज्ञ के लिये सम्पूर्ण रत्न दक्षिणा यथायोग्य देवे ॥ ४ ॥

कृतदारोऽपरान्दारान्भिक्षित्वायोऽधिगच्छति । रतिमात्रं फलं
तस्य द्रव्यदातुस्तु सन्ततिः ॥५॥ धनानि तु यथाशक्ति विप्रेषु
प्रतिपादयेत् । वेदवित्सु विविक्तेषु प्रेत्य स्वर्गं समश्नुते ॥ ६ ॥

अर्थ-जो विवाहित पुरुष भिक्षा मांग कर दूसरा विवाह करता है उसको रतिमात्र फल है । और उस की सन्तति द्रव्य देने वाले की है ॥ ५ ॥ यथाशक्ति वेद के जानने वाले निःसङ्ग ब्राह्मणों को धन देवे (उस से) परलोक में स्वर्ग को पाता है ॥ ६ ॥

यस्य त्रैवार्षिकं भक्तं पर्याप्तं भृत्यवृत्तये । अधिकं वापि विद्येत
स सोमं पातुमर्हति ॥ ७ ॥ अतः स्वल्पीयसि द्रव्ये यः सोमं पिबति
द्विजः । स पीतसोमपूर्वोऽपि न तस्याप्नोति तत्फलम् ॥ ८ ॥

अर्थ—जिसके आवश्यक वयस तीन वर्ष तक कुटुम्बियों के निर्वाह योग्य
धन वा इस से अधिक हो, वह सोमयज्ञ करने योग्य है ॥ ७ ॥ इस से कम
द्रव्य होने में जो द्विज सोमयज्ञ करता है उस का प्रथम सोमयज्ञ भी नहीं
सम्पन्न होता । (इस से दूसरा यज्ञ करना ठीक नहीं है) क्योंकि:— ॥ ८ ॥

शक्तः परजने दाता स्वजने दुःखजीविनि । सधवापातोविषा-
स्वादः स धर्मप्रतिरूपकः ॥ ९ ॥ भृत्यानामुपरोधेन यत्करोत्पौ-
र्ध्वदैहिकम् । तद्वत्यसुखोदकं जीवतश्च मृतस्य च ॥ १० ॥

अर्थ—जो कुटुम्बियों के दुःखी भूखे मरते हुवे परजन को देता है, वह
मंधु का त्याग और विष का चाटने वाला धर्मविरोधी है ॥ ९ ॥ पुत्र स्त्री
इत्यादि को क्लेश देकर जो परलोक के लिये दानादि करते हैं, वह दान
इस लोक तथा परलोक में उत्तरोत्तर दुःख देने वाला है ॥

(इस से आगे ५ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक प्रतिष्ठित है:—

[वृद्धौ च मातापितरौ साध्वी भार्या शिशुः सुतः ।

अथकार्यशतं कृत्वा भर्त्सव्या मनुस्मृतीत्]

अर्थ—बूढ़े माँ बाप, सती स्त्री, बालक पुत्र; इन का भरण पोषण १००
अकाज करके भी करना चाहिये, (यह मनु ने कहा है) ॥ १० ॥

यज्ञश्चेत्प्रतिरुद्धः स्यादेकेनाङ्गेन यज्वनः । ब्राह्मणस्य विशेषेण
धार्मिके सति राजनि ॥ ११ ॥ यो वैश्यः स्याद्बहुपशुर्हीनक्रतु-
रसोमपः । कुटुम्बात्तस्य तद्द्रव्यमाहरेद्यज्ञसिद्धये ॥ १२ ॥

अर्थ—धार्मिक राजा के हाँते हुवे (क्षत्रियादि यजमानों का और)
विशेष करके ब्राह्मण का यज्ञ किसी एक अङ्ग से रुका हो तो— ॥ ११ ॥ जो
वैश्य बहुत से गाय बैल वाला और यज्ञ न करने वाला तथा सोमयज्ञ
रहित हो, उस के घर से यज्ञ की विधि को वह द्रव्य ले आवे ॥ १२ ॥

आहरेत्रीणिवाद्देवा कामं शूद्रस्य वेश्मनः । न हि शूद्रस्य यज्ञेषु
कश्चिदस्ति परिग्रहः ॥१३॥ योऽनाहिताग्निः शतगु-र्यज्वा

च सहस्रगुः । तयोरपि कुटुम्बाभ्यामाहरेदऽविचारयन् ॥१४॥

अर्थ-दो अङ्ग अथवा तीन अङ्ग की हीनता में चाहे शूद्र के घर से भी अपने यज्ञसिद्धवर्षे उन दो वा ३ वस्तुओं को लेआवे क्योंकि शूद्र का यज्ञों में खर्च भी कुछ नहीं है ॥१३॥ जो अग्निहोत्री नहीं है और घत १०० गौ परिमित धन उसके पास है, तथा जिसने यज्ञ न किया हो और उसके पास सहस्र १०००गौ परिमित धन है, उन दोनों के कुटुम्बो से भी बिना विचारे लेआवे ॥१४॥

आदाननित्याच्चादातुराहरेदप्रयच्छतः । तथा यथाऽस्य प्रथते
धर्मश्रीव प्रवर्धते ॥१५॥ तथैव सप्तमे भक्ते भक्तानि षडऽनश्नता ।

अश्वरत्नविधानेन हर्तव्य हीनकर्मणः ॥ १६ ॥

अर्थ-जिसके यहां (प्रतिग्रहादि से) धन ग्रहण तो नित्य है और दान नहीं है, उससे यज्ञ के लिये न देते हुवे से भी ले आवे, ऐसा करने से यज्ञ फैलता और धर्म बढ़ता है ॥ १५ ॥ तीन दिन के भूखे को छः बार भोजन न मिला हो तो ७ वीं बार भोजनार्थे अगले दिन के लिये न लेकर हीन-कर्मों से विना आज्ञा भी लेलेने में दोष नहीं है ॥ १६ ॥

खलात्क्षेत्रादगाराद्वा यतोवाप्युपलभ्यते । आख्यातव्यं तु
तत्तस्मै पृच्छते यदि पृच्छति ॥१७॥ ब्राह्मणस्व न हर्तव्य क्षत्रियेण
कदाचन । दस्युनिष्क्रिययोस्तु स्वप्नऽजीवन्हर्तुमर्हति ॥१८॥

अर्थ खलिहान से वा खेत से वा मकान से वा जिस जंगह से मिलजावे वहीं से (पूर्व श्लोकोक्त अवस्था में) लेलेना चाहिये । यदि धनस्वामी पूछे तो उसको कह दे (कि छः बार की भूस में लिया है) ॥ १७ ॥ (इस दशा में भी) क्षत्रिय को ब्राह्मण की वस्तु कभी न लेनी चाहिये । क्षुधित क्षत्रिय को निष्क्रय और दस्यु का धन लेना योग्य है ॥ १८ ॥

योऽसाधुभ्योऽर्थमादाय साधुभ्यः संप्रयच्छति । स कृत्वा प्लव-
सात्मनं संतारयति तावुभौ ॥१९॥ यद्गुणं यज्ञशीलानां देवस्वं
तद्विदुर्बुधाः । अयज्वनां तु यद्वित्तमासुरस्वं तदुच्यते ॥२०॥

अर्थ—जो असाधुओं से धन लेकर साधुओं को देता है, वह अपने को नाव बनाकर दोनों को पार उतारता है ॥१९॥ सर्वदा यज्ञ करने वालों का जो धन है उसको पण्डित "देवधन" समझते हैं और यज्ञ न करने वालों का जो धन है वह "आसुरधन" कहाता है ॥ २० ॥

न तस्मिन्धारयेद्गण्डं धार्मिकः पृथिवीपतिः। क्षत्रियस्य हि बालिभ्याद्ब्राह्मणः सीदति क्षुधा ॥२१॥ तस्य भृत्यजनं ज्ञात्वा स्वकुटु-

म्बान्महीपतिः। श्रुतशीले च विज्ञाय वृत्तिं धर्म्यां प्रकल्पयेत् ॥२२॥

अर्थ—उस (ई वार की भूख में परधन लेने वाले) को धार्मिक राजा दण्ड न देवे। क्यों कि राजा ही के मूढ़ होने से ब्राह्मण क्षुधा से पीड़ित होता है ॥ २१ ॥ (बलिक) उस ब्राह्मण के पुत्रादि प्रोढ्यवर्गों और विद्या तथा सदाचार को जानकर राजा अपने निज से उसको धर्मानुकूल जीविका का प्रबन्ध करदे ॥ २२ ॥

कल्पयित्वाऽथ्यवृत्तिं च रक्षेद्देनं समन्ततः। राजा हि धर्म षड्भागं तस्मात्प्राप्नोति रक्षितात् ॥२३॥ न यज्ञार्थं धनं शूद्राद्विप्रो भिक्षेत कर्हिचित्। यजमानो हि मिक्षित्वा चण्डालं प्रेत्य जायते ॥२४॥

अर्थ—इस (ब्राह्मण) की जीविका नियत करके सब ओर से इस की रक्षा करे। क्योंकि उसकी रक्षा से धर्म का लूटा भाग राजा को प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ यज्ञ के लिये ब्राह्मण शूद्र से धन कभी न मांगे, क्योंकि (शूद्र से) भिक्षा मांग कर यज्ञ करने वाला मरने पर चण्डाल होता है ॥ २४ ॥

यज्ञार्थं मर्थं भिक्षित्वा धीन सर्वं प्रयच्छति। स याति भासतां विप्रः काकतां वा शतं समाः ॥२५॥ देवस्त्वं ब्राह्मणस्त्वं वा लोभेनोप-हिनस्ति यः। स पापात्मा परे लोके गृध्रोच्छिष्टेन जीवति ॥२६॥

अर्थ—यज्ञ के लिये भिक्षा मांग कर जो सब नहीं लगाता, वह सौ वर्ष तक भास (गोष्ठकुक्कुट) का काक होता है ॥२५॥ देवधन और ब्राह्मणधन को जो लोभ से हरता है, वह पापात्मा परलोक में गिद्ध की झूठ से जीवता है ॥२६॥

“इष्टिं वैश्वानरीं नित्यं निर्वपेदब्दपर्यये।

बलप्रानां प्रशुसोमानां निष्कृत्यर्थमसम्भवे ॥२७॥”

आपत्कल्पेन यो धर्मं कुरुतेऽनापदि द्विजः ।

स नाप्नोति फलं तस्य परस्मैति विचारितम् ॥ २८ ॥

अर्थ—“ (वर्ष के समाप्त होने में दूसरे वर्ष की प्रवृत्ति को अठदपर्यय कहते हैं) उस चैत्र शुक्ल से आदि लेकर वर्ष की प्रवृत्ति में विहित सोनयज्ञ के न हो सकने में उस के दोष दूर करने को सर्वदा शूद्रादिसे उक्त धनहरण रूप पाप के प्रायश्चित्तार्थ वैश्वानरी इष्टि करे ॥ (४। २६-२७ के हेतुओं से भी यह प्रक्षिप्त है) ॥ २७ ॥ जो द्विज आपत्काल के धर्म को अनापत्काल में करता है उस का कर्म पर लोक में निष्फल होता है । ऐसा विचार है ॥ २८ ॥

विश्वेश्वदेवैः साध्यैश्च ब्राह्मणैश्च महर्षिभिः । आपत्सु मरणा-
द्वीतैर्विधैः प्रतिनिधिः कृतः ॥ २९ ॥ प्रभुः प्रथमकल्पस्य योऽनु-
कल्पेन वर्त्तते । न साम्परायिकं तस्य दुर्मतेर्विद्यते फलम् ॥ ३० ॥

अर्थ—क्योंकि सब देवों और साध्यों तथा महर्षि और ब्राह्मणों ने आपत्काल में मरण से डर कर विधि का प्रतिनिधि आपदुर्ले नियत किया है ॥ २९ ॥ जो मुख्यानुष्ठान करने की शक्ति वाला होकर, आपत्त के लिये विहित प्रतिनिधि अनुष्ठान करता है, उस दुर्बुद्धि को पारलौकिक फल नहीं है (इस से ऐसा न करे) ३० ॥

न ब्राह्मणो विदयेत् किञ्चिद् राजानि धर्मवित् । स्ववीर्येणैव तान्
शिष्यान्मानवान् उपकारिणः ॥ ३१ ॥ स्ववीर्याद्वाजवीर्याच्च स्ववीर्यं
बलवत्तरम् । तस्यात्स्वेनैव वीर्येण निगृह्णीयादरीन्द्रिजः ॥ ३२ ॥

अर्थ—धर्म का जानने वाला ब्राह्मण कुछ नहीं (नुकसान हुवे) को राजा से न डरे किन्तु अपने ही पुत्रपार्थ से उन उपकार करने वाले मनुष्यों का शिष्या देवे ॥ ३१ ॥ अपना सामर्थ्य और राजा का सामर्थ्य, इन दोनों में अपना सामर्थ्य अधिक बलवान् है । इस कारण ब्राह्मण अपने ही सामर्थ्य से शत्रुओं का निग्रह करे ॥ ३२ ॥

श्रुतीरथर्वाङ्गिरसीः कुर्यादित्यविचारयन्वाक्शस्त्रं वै ब्राह्मण-
स्य तेन हन्यादरीन्द्रिजः ॥ ३३ ॥ क्षत्रियो वाहुवीर्येण तरेदापद-
मात्मनः । धनेन वैश्यशूद्रौ तु जपहोमैर्द्विजोत्तमः ॥ ३४ ॥

अर्थ-अथर्ववेद का दुष्टाभिचार श्रुतियों का (विना विचार) शीघ्र प्रयोग करे । इसी अविचार के उच्चारण रूप ब्रह्म वाता होने से ब्राह्मण की वांछी शक्ति है । ब्राह्मण उस से शत्रुओं को मारे ॥ ३३ ॥ क्षत्रिय बाहुबल से अपनी आपत्ति दूर करे, वैश्य और शूद्र धन से तथा ब्राह्मण जप होम से आपद् को दूर करे ॥

(३१ से ३४ तक चारों वर्णों को अपनी २ आपत्ति से बचने के लिये उपदेश हैं । क्षत्रिय बल से और वैश्य, शूद्र धन या दीनता से आप्ति को बचावे । परन्तु ब्राह्मण का धन वेद है, वह वेद से आप्ति को बचावे । अथर्ववेदादि में जो शत्रु से अपनी रक्षा की प्रार्थना और शत्रु के नाश की प्रार्थना है, वन्हीं को परमात्मा से सहायतार्थ मंगि । परमात्मा उन के सच्चे ब्राह्मणत्व को जानता हुआ अवश्य उस की रक्षा का साधन कुछ न कुछ उत्पन्न करेगा । आस्तिकों को उस में कुछ सन्देह नहीं हो सकता । परन्तु ऐसे ब्राह्मण बहुधा वर्ण में कोई २ कभी २ होते हैं, बहुत नहीं । तथा सब के हितकारी होने से उन के साथ शत्रुता भी बहुत ही थोड़े लोग करते हैं । परन्तु तीनों वर्णों में जो ब्राह्मण को पराये ह मन के लिये प्रार्थना करने को उत्तेजित किया है वो कुछ अनुचित जान पड़ता है । यूँ तो अपने २ दुःखों और दुःखदायकों का निवारण सभी चाहते हैं, परन्तु ब्राह्मण को इस प्रकार उत्तेजित करना कि (इत्यादेव) “ मारे ही ” और (अविचारयन्) विना विचार शीघ्र ही । भला कुछ ठीक है ? इस के अतिरिक्त इस में (इत्यविचारयन्) में “ इति ” शब्द बेढङ्गा और निरर्थक है जो मनु की शैली से नहीं मिलता । तथा एक पुस्तक में इस की जगह (इत्यवधारितम्) और अन्य दो पुस्तकों में (इत्यभिचारयन्) पाठान्तर हैं और “ इति ” शब्द सब पाठों में व्यर्थ ही रहता है । तथा इस से आगे ३० पुस्तकों में से १ में नीचे लिखा श्लोक अधिक मिलता है । जिस से यह सन्देह पुष्ट सा होता है कि ऊपर का ३० वां भी जिस के पाठ भी कई प्रकार के मिलते हैं और शैली भी भिन्न है, कदाचित् पीछे का बना ही हो । अधिक श्लोक जो सब पुस्तकों में नहीं मिलने पाया है, यह है:-

[तदस्त्रं सर्ववर्णानामऽनिवार्यं च शक्तितः ।]
 तपोवीर्यप्रभावेण अवध्यानपि बाधते ॥

अर्थात् सप्त वीर्य के प्रभाव से जो अवधियों को भी बाधा कर सकता है, वह यह अस्त्र शक्ति में किसी वस्तु से निवारित नहीं हो सकता । ३४ वें श्लोक के बीच में ही पूर्वार्ध से आगे आधा श्लोक दो पुस्तकों में और मिलाया दीस पड़ता है कि:—

[तद्विकुर्वन् यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिम्]

इस से यह भी पाया जाता है कि कई श्लोकों में अर्ध भाग भी प्रक्षिप्त हुआ है) ॥ ३४ ॥

विधाता शासिता वक्ता मैत्रीब्राह्मणउच्यते । तस्मै नाऽकुशलं
ब्रूयान्न शुष्कांगिरमीरयेत् ३५ नवैकन्या न युवतिर्नाल्पविद्यो न
वालिशः । होता स्यादग्निहोत्रस्य नातीनासत्कृतस्तथा ॥३६॥

अर्थ—विहित कर्मों का अनुष्ठान करने वाला, पुत्र शिष्यों को शिक्षा करने वाला और प्रायश्चित्तादि धर्मों का बताने वाला, सब का मित्र ब्राह्मण कहा है, उस से कोई बुरी बात न बोले, और रूखी बोली भी न बोले ॥३५॥ कन्या, युवति, थोड़ा पढ़ा और कुपढ़ तथा बीमार और संस्काररहित; ऐसे लोग अग्निहोत्र से होता नियत नहीं (इस से बड़ा शिष्यों को भी होता बनाना पाया जाता है) ॥ ३६ ॥

नरके हि पतन्त्येते जुहुतः स च यस्य तत् । तस्माद्द्वैतानकुशलो
होता स्याद्वेदपारगः ॥३७॥ प्राजापत्यमदत्वाश्चमन्याधेयस्य
दक्षिणाम् । अनाहिताग्निर्भवति ब्राह्मणोविभवे सति ॥३८॥

अर्थ—(कन्यादि) होता बनाये जाने के अनधिकारी (होता बन कर) और जिस का वह अग्निहोत्र है वह (यज्ञमान) भी नरक को प्राप्त होता है । इस कारण अतीत कर्म में प्रवीण और ससंपूर्ण वेद का जानने वाला होता होना चाहिये ॥३७॥ धर्म के होते हुवे प्राजापति देवता के निमित्त अश्व और अन्यधेय की दक्षिणा न देवे तो ब्राह्मण अनाहिताग्नि हो जाता है (अर्थात् उस को आधान का फल प्राप्त नहीं होता) ॥ ३८ ॥

पुण्यान्यन्यानि कुर्वीत श्रद्धधानो जितेन्द्रियः । नतश्चल्पदक्षिणीर्ध-
ज्ञैर्यजेतेह कथञ्चन ॥३९॥ इन्द्रियाणि यशः स्वर्गमायुः कीर्तिं
प्रजाः पशून् । हन्त्यल्पदक्षिणो यश्चास्तरमावाल्पधनो यजेत ४० ॥

अर्थ-जितेन्द्रिय शूद्रा वाला अन्य पुरुष कर्मों को करे, परन्तु थोड़ी दक्षिणा के यज्ञ से कभी यजन न करे ॥४९॥ इन्द्रियों, यज्ञ, स्वर्ग, आयु, कीर्ति, प्रजा और गौ आदि पशुओं को थोड़ी दक्षिणा वाला यज्ञ नष्ट करता है, इसलिये थोड़े धन वाला यज्ञ न करे (तात्पर्य यह है कि थोड़े धन वाला यज्ञ करे तो ऋत्विजों को थोड़ी दक्षिणा से दुःख होगा, यज्ञमान भी निर्धन हो जायगा, भूखा मरेगा और लक्ष ४० वें में कही हानियें होंगी ही । परन्तु यह थोड़ी दक्षिणा के यज्ञ की बुराई [निन्दार्थवाद] कुछ अत्युक्ति सी प्रतीत होती है और ४० वें से आगे ६ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक भी पाया जाता है:-

[अन्नहीनोदहेद्राष्टं मन्त्रहीनस्तु ऋत्विजः ।

दीक्षितं दक्षिणाहीनोमास्ति यज्ञसमीरिपुः ॥]

अन्नहीन यज्ञ राज्य को फूंकता है । मन्त्रहीन ऋत्विजों का नाश करता है । दक्षिणाहीन दीक्षित को नष्ट करता है । यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं ॥ इस से यह भी संदेह होता है कि ४० वां श्लोक भी कदाचित् हीन यज्ञ की निन्दापरक पीछे से ही बढ़ाया गया हो, जैसे कि यह केवल छः पुस्तकों में ही है) ॥ ४० ॥

अग्निहोत्र्यपविध्याग्नीन् ब्राह्मणः कामकारतः । चान्द्रायणं चरेन्मासं वीरहत्यासमं हि तत् ॥४१॥ ये शूद्रादधिगम्यार्थमग्नि होत्रमुपासते। ऋत्विजस्ते हि शूद्राणां ब्रह्मवादिषु गार्हिताः ॥४२॥

अर्थ-अग्निहोत्री ब्राह्मण इच्छा से अग्नि में चायं प्रातः होम न करे तो एक मास पर्यन्त चान्द्रायण व्रत करे । क्योंकि वह पुत्रहत्यासम पाप है ॥४१॥ जो शूद्र से धन लेकर अग्निहोत्र किया करते हैं, वे वेदपाठियों से निन्दित हैं क्योंकि (एक प्रकार से) वे शूद्रों के ऋत्विज हैं ॥ ४२ ॥

तेषां सततमज्ञानां वृषलाग्न्युपसेविनाम् । पदा मस्तकमाक्रम्य दाता दुर्गाणि संतरेत् ॥४३॥ अकुर्वन्विहितं कर्म निन्दितं च समाचरन् । प्रसक्तश्चेन्द्रियार्थेषु प्रायश्चित्तीयते नरः ॥४४॥

अर्थ-उन शूद्रों के धन से सदा यज्ञ करने वाले सूर्ध्व ब्राह्मणों के शिर पर पैर रख कर वह दाता (शूद्र) दुःखों से तरता है (अर्थात् यज्ञ कराने

वालों को सदा शूद्र से दबना पड़ता है) ॥ ४३ ॥ विहित कर्म को न करता और निन्दित को करतम हुवा तथा दुःखियों के विषय में आवश्यक अनुष्ण प्रायश्चित्त के योग्य हो जाता है ॥ ४४ ॥

अकामतः कृते पापे प्रायश्चित्तं विदुर्बुधाः कामकारकृतेऽप्याहुरेके श्रुतिनिदर्शनात् ॥४५॥ अकामतः कृतं पापं वेदाभ्यासेन शुद्ध्यति । कामतस्तु कृतं मोहात्प्रायश्चित्तैः पृथग्विधैः ॥४६॥

अर्थ—विद्वान् लोग बिना इच्छा से किये पाप पर प्रायश्चित्त कहते हैं, दूसरे आचार्य वेद के देखने से कहते हैं कि इच्छा से किये में भी (प्रायश्चित्त होना चाहिये) ॥४५॥ बिना इच्छा से किया पाप वेदाभ्यास से शुद्ध होता है और मोह वश इच्छा से किया हुआ पाप नाना प्रकार के प्रायश्चित्तों से शुद्ध होता है ॥४६॥

प्रायश्चित्त का विचार

प्रायः पापं विज्ञानीयाञ्चित्तं वै तद्विशोधनम्

और

प्रायोनाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चयउच्यते ।

तपोनिश्चयसंयुक्तं प्रायश्चित्तं तदुच्यते ॥

प्रायश्चित्तं समं चित्तं चारयित्वा प्रदीयते ।

पर्यदा कार्यते यत्तु प्रायश्चित्तं तदुच्यते ॥

तथा—

यो ह्यद्रुष्टजन्मवेदनीयोऽनियतविपाकस्तस्य त्रयी गतिः । कृतस्यऽपक्वाय नाशः, प्रधानकर्मेणैवापगमनं वा, नियतविपाकप्रधानकर्मेणाभिभूतस्य वा चिरभवस्थानमिति । यथा शुक्लकर्मादयादिहेव नाशः कृत्वास्य । यत्रेदमुक्तं, के द्वे कर्मेणी वेदितव्ये (इत्यादि) ॥ यह व्यासभाष्य, योगदर्शन के—

सति सूत्रे तद्विपाकीजत्यायुर्भाषाः ॥ २ । १३ ॥

इस सूत्र पर है । जिस का तात्पर्य यह है कि जो पूर्व जन्म का जानने योग्य अनियतविपाक कर्म है, उस की ३ गति हैं । १—अपक्व कृत का नाश, २—वा प्रधान कर्मके भीतर भुगता जाना, ३—वा नियतविपाक प्रधान कर्म से दबे

हुये का बहुत काल तक स्थित रहना । जैसे पुण्य कर्म के उदय से पाप का वा श्वेतकर्म-वस्त्र धोने आदि से कलोंस का यहीं नाश हो जाता है; जिसमें यह कहा गया है कि दो दो कर्म पाप पुण्य भेद से जानने चाहियें इत्यादि ॥

अब जानना यह है कि पाप क्या वस्तु है और उस की निवृत्ति किस प्रकार हो सकती है ? जिस प्रकार एक लकड़ी को मोड़ते रहने से वह तिरछी हो जाती है और वह सीधे कर्मों के योग्य नहीं रहती, इसी प्रकार आत्मा भी पराअपकारादि पाप से अवस्थान्तर की प्राप्त होकर शुद्ध अवस्था से भोग्य शुभ फलों के योग्य नहीं रहता । वा जिस प्रकार स्वच्छ वस्त्र पर जो रङ्ग काळे या अच्छे लगाये जावें, उन २ से वस्त्र की वह २ रङ्गत होजाती है । और उस रङ्ग विशेष से वह वस्त्र रङ्गानुसार पुष्ट वा क्षीण भी होता है । इसी प्रकार आत्मा भी विचित्र कर्मों के करने से विचित्र अवस्थाओं की प्राप्त हो जाता है और अवस्थानुसार ही फलभोग की योग्यता वा अयोग्यता होती है । इसी प्रकार कुकर्म से आत्मा में एक प्रकार की वासना, विषमता वा मलिनता उत्पन्न हो जाती है । उस को दूर करने का उपाय भोग है । वह भोग दो प्रकार का है । एक ईश्वर वा राजा की व्यवस्था से परवश होकर भोगना । दूसरा अपने आप ही समझ कर कि मैंने यह दुरा किया है, जिस से मेरे आत्मा में पाप वास करता है, जो मुझे अनिष्ट है (स्मरण रहे कि यहाँ "आत्मा" शब्द का प्रयोग हमने अन्तःकरण सहित आत्मा के लिये किया है। केवल आत्मा में पाप पुण्य नहीं लग सकते) । मनुष्य विद्वान् लोगों से कहे कि मैंने यह पाप किया है इस से मेरा आत्मा घुटता है, इस की निवृत्ति का उपाय बताइये । तब वे लोग देश काल अवस्था के विचार से शास्त्रानुसार वा शास्त्र में स्पष्ट न कहा हो तो शास्त्र की अविरोधिनी अपनी कल्पना से प्रायश्चित्त बतावें । वह पापी श्रद्धा और ममता और परघाताप से युक्त उस २ प्रकार से अनुष्ठान करे । जो कष्ट हों, उन को सहे, आगे की अपमा सुधार करे । यद्यार्थ में राजदण्डादि से भी तो इस से अधिक फल नहीं होता । क्योंकि एक पुरुष ने दूसरे पुरुष को थप्पड़ से मारा और मारने वाले को राजदण्ड होगया तो उस राजदण्ड से जिस के थप्पड़ लगा था, उस की चोट दूर नहीं हुई, किन्तु एक तो उस थप्पड़ से पिटने वाले को जो दुःख था वो इस अपराधी को देख मिलने से शान्ति वा सन्तोष सा होकर चित्तविषमता का निवारक हुवा । दूसरे अपराधी को यह बलपूर्वक ज्ञात कराया

गया कि ऐसा काम करना योग्य न था । जिससे इसके ब्रित्त की भी आगे के लिये और देखने वालों को पाप करने से पूर्व ही ग्लानि होकर उत्तरोत्तर संसार में शान्ति का प्रसार हुआ । जो प्रायश्चित्त का फल सोचें तो एक प्रकार से राजदण्ड से भी उत्तम हो सकता है । क्योंकि बलात्कार से जब कभी एक पुरुष हानि उठाकर हानिकारक को राजद्वार से दण्ड दिलाता है तो कभी २ ऐसा देखा गया है कि कारागार से छुटते ही आकर पूर्व द्वेष से उसी अपराधी ने उसी पुरुष को द्वेष के शब्द प्रकट करके कि "तू ने ही मुझे जेल में भेजवाया था" उससे भी अधिक हानियें फिर की हैं, परन्तु जब कि मनुष्य स्वयं अपराध स्वीकार करके प्रायश्चित्त करता है, तब ऐसा नहीं हो सकता ॥

प्रायः ऐसे ही प्रायश्चित्त हैं, जिनमें बड़ा अपराध है और भोग थोड़ा जान पड़ता है, परन्तु देश काल अवस्था के विचार से ऐसा होना ही चाहिये एक पुरुष को बेटे मारने से जितनी शिक्षा मिल सकती है, दूसरे को "तुम ने बुरा किया" इतना कहने का ही उस बेटे खाने वाले से भी अधिक शिक्षा दायक प्रभाव हो जाता है । ऐसे ही देश और काल से भी भेद समझिये । सम्भ्रदेशों के सम्भ्रदार-मनुष्यों को ही "समा माँगने" से ही जितनी शिक्षा होती है उतनी असम्भ्र अधिष्ठितों को कभी २ बध से भी नहीं होती । इत्यादि बहुत दूर तक विचार फैलाने से प्रायश्चित्त की सार्थकता समझ में आ सकती है । यहाँ थोड़ा ही लिख कर समाप्त करते हैं) ॥ ४६ ॥

प्रायश्चित्तीयतां प्राप्य देवात्पूर्वकृतेन वा । न संसर्गं व्रजेत्सद्विः
प्रायश्चित्तेऽकृते द्विजः ॥४७॥ इह दुश्चरितैः केचित्केचित्पूर्व
कृतेस्तथा । प्राप्नुवन्ति दुरात्मानो नरा रूपविपर्ययम् ॥४८॥

अर्थ—देववश वा पूर्वजन्म के पाप से द्विज प्रायश्चित्त के योग्य होकर प्रायश्चित्त बिना किये संसर्गों के साथ संसर्ग न करे (४७ वें से आगे एक पुस्तक में " प्रायो नाम तपः प्रोक्तम् " इत्यादि श्लोक अधिक हैं) ॥ ४७ ॥ कोई इस जन्म के और कोई पूर्व जन्म के दुराचरण से दुष्टात्मा मनुष्य, रूप की विपरीतता को प्राप्त होते हैं ॥ ४८ ॥ जैसा कि:-

सुवर्णचौरः कौनख्यं सुरापः श्यावदन्तताम् । ब्रह्महाक्षयरो गित्वं
दौश्रम्यं गुरुतल्पगः ॥४९॥ पिशुनः पीतिनात्सिक्यं सूचकः पूति-
वक्त्रताम् । धान्यचौरोऽह्नीनत्वमातिरेक्यं तु मिश्रकः ॥५०॥

अर्थ—खाने का चुराने वाला कुनखी होता है और मदिरा पीने वाला फाड़े दाँत को और ब्रह्महत्या करने वाला क्षयरोगिता को तथा गुरु की स्त्री से गमन करने वाला दुष्ट चर्म को पाता है ॥४९॥ चुगली करने वाला दुर्गन्ध नादिका को और झूठी निन्दा करने वाला दुर्गन्ध मुख को और धन का चुराने वाला अकृहीनता को और धान्य में अन्य वस्तु मिलाने वाला अधिकाङ्गता को (प्राप्त होता है) ॥ ५० ॥

अन्नहर्ताऽमयावित्वं मौक्यं वागऽपहारकः ।

वक्ष्यापहारकः श्वैत्र्यं पङ्गुतामश्वहारकः ॥५१॥

अर्थ—अन्न चुराने वाला मद शिवा को, वाणी का चुराने वाला गूने-पन को, कपड़े का चुराने वाला श्वेत कौढ़ और घोड़े का चुराने वाला पङ्गुपने को (प्राप्त होता है) ५१ वें से आगे जहाँ जहाँ १० पुस्तकों में अधिक है और रामधन्व ने उस पर टीका भी की है:-

[दीपहर्ता भवेदन्धः काणोनिर्वापकोभवेत्]

दीपक चुराने वाला अन्धा और (चोरी से) दीपक बुझाने वाला काणा होता है । अन्य ९ पुस्तकों में इसी से आगे उत्तरार्धरूप और भी अर्थ श्लोक उपस्थित है कि:-

[हिंसया वधाधिभूयस्त्वमरोगित्वमहिंसया]

(हिंसा से बहुत रोगीपना और अहिंसा से नीरोगता होती है ॥५१॥)

एवं कर्मविशेषेण जायन्ते सद्विगर्हिताः ।

जडमूकान्धवधिराविकृताकृतयरतथा ॥५२॥

अर्थ—इस प्रकार कर्मविशेष से दृजनों में निन्दित जड़, मूक, अन्ध, बधिर और विकृत आकृति वाले उत्पन्न होते हैं ॥ ५२ ॥

चरितव्यमतीनित्यंप्रायश्चित्तंविशुद्धये । निन्द्यैर्हिलक्षणैर्युक्ता

जायन्तेऽनिष्कृतैर्नसः ॥५३॥ ब्रह्महत्यासुरापानं स्तेयंगुर्वङ्ग-

नागमः । महान्ति पातकान्याहुःसंस्पर्शाश्चापि तैःसह ॥५४॥

अर्थ—बिना प्रायश्चित्त करने वाले निन्द्य लक्षणों से युक्त उत्पन्न होते हैं । इस कारण शुद्धि के लिये प्रायश्चित्त अवश्य करना चाहिये ॥५३॥ ब्रह्महत्या,

मदिरापान, चोरी, गुरु, की स्त्री से व्यभिचार; इन को महापातक कहते हैं और इन महापातकियों के साथ रहना भी (उसी के समान है) ॥ ५५ ॥

अनृतंच समुत्कर्षं राजगामि च पैशुनम् गुरोश्चालीकनिर्वन्धः
समानि ब्रह्महत्याया ॥५५॥ ब्रह्मोज्झता वेदनिन्दा कौटसाक्ष्यं
सुहृद्वधः। गर्हितानाद्ययोज्जिधः सुरापानसमानि षट् ॥ ५६॥

अर्थ—अपनी बड़ाई के लिये असत्याभाषण करना, राजा से घुगली करना और गुरु से झूठी खबर कहना, ये ब्रह्महत्या के समान हैं ॥५५॥ वेदको त्यागना वेद की निन्दा करना, झूठी गवाही देना तथा मित्र का बध, निन्दित लशुनादि और पुरीषादि अभक्ष्य का भक्षण, ये छः सुरापान के समान हैं ॥ ५६ ॥

निक्षीपस्यापहरणं नराश्वरजतस्य च । भूमिवज्रमणीनां च
स्वमस्तेयसमं स्मृतम् ॥५७॥ रेतःसेकः स्वयोनीषु कुमारीष्व-
न्त्यजासु च । सख्युःपुत्रस्य च स्त्रीषु गुरुतल्पसमं विदुः ॥५८॥

अर्थ—धरोहर और मनुष्य, घोड़ा, चान्दी, भूमि, हीरा और मणियों का हर लेना सुवर्ण की चोरी के समान है ॥ ५७ ॥ सहोदरा भगिनी, कुमारी, चण्डाली, सखा और पुत्र की स्त्री, इन से व्यभिचार करना गुरुभार्यागमन के समान (महापातक) है ॥ ५८ ॥

गोवधोऽघाज्यसंयाज्यपारदार्यात्मविक्रयाः । गुरुमातृपितृ-
त्यागः स्वाध्यायाग्नयोः सुतस्य च ॥५९॥ परिवर्त्तितानुजेऽनूढे
परिवेदनमेव च । तयोर्दानं च कन्यायास्तयोरेव च याजनम् ॥६०॥

अर्थ—गाय का मारना, दुष्टों को यज्ञ कराना, परस्त्रीगमन करना, आटना का वेचना, गुरु माता-पिता-ब्रह्मयज्ञ श्रौतस्मार्त्त अग्नि में होम और पुत्र का त्यागना ॥५९॥ छोटों का पहिले विवाह करने में ज्येष्ठ की परिवर्त्तितता, कनिष्ठ की परिवेत्ता होना, उन दोनों को कन्या देना और उन दोनों को यज्ञादि कराना ॥ ६० ॥

कन्यायादूषणं चैव त्राधुष्यं व्रतलीपनम् । तडागारामदाराणा-
मपत्यस्य च विक्रयः ॥६१॥ ब्रात्यतावान्धवत्यागोभृत्याध्याप-
नमेव च । भूताञ्चाधुष्यनादानमपण्यानां च विक्रयः ॥६२॥

अर्थ—अरे कन्या का दूषित करना, (वैश्य न होकर) सूद का लेना; व्रतभङ्ग करना, तालाव बगीचा, स्त्री और सन्तान का बेचना ॥६१॥ यथोचित काल में उपनिषत् का न होना, बान्धवों का त्याग, नियत धैतन लेकर पढ़ाना, और हेने ही देकर पढ़ने का ग्रहण, बेचने के अयोग्य वस्तु का बेचना ॥६२॥ सर्वाकरेष्वाधीकारोमहायन्त्रप्रवर्त्तनम्। हिंसोपधीनांस्त्रयाजी-
वोऽभिचारोमूलकर्मच ॥ ६३॥ इन्धनार्थमशुष्काणांदुष्माणामव-
पातनम्। आत्मार्थं च क्रियारम्भो निन्दितान्नादनं तथा ॥६४॥

अर्थ—सुवर्णादि सम्पूर्ण खानों में अधिकार, बड़े भारी यन्त्र का चलाना ओषधियों का काटना, भायादि स्त्रियों से (विश्यासित करके) आजीवन करना, मारण और वशीकरण, ॥६३॥ इन्धन के लिये हरे वृक्षों को काटना, (देव-
पितरों के उद्देश बिना केवल) आत्मार्थ पाकादि काम करना और निन्दित
कर्म का भक्षण ॥ ६४ ॥

अनाहिताग्नितास्तेयमृणानामनपक्रिया । असच्छास्त्राधिग-
मनं कौशीलव्यस्यचक्रिया ॥६५॥ धान्यकुण्ड्यपशुस्तेयंमद्यपस्त्री-
निषेवणम् । स्त्रीशूद्रविट्क्षत्रवधीनास्तिक्यं चोपपातकम् ॥६६॥

अर्थ—अग्निहोत्र न करना, चोरी करना, ऋणों का न चुकाना, असत्
शास्त्रों का पढ़ना, नाचने गाने बजाने का सेवन, ॥ ६५ ॥ धान्य कुण्ड्य और
पशुओं की चोरी, मद्य पीनेवाली स्त्री से व्यभिचार, स्त्री शूद्र वैश्य क्षत्रिय का
वध और नास्तिकता (ये सब) उपपातक हैं ॥

(तहागादि के खेचने से पुण्य कर्म रुकता है । नौकरी के पढ़ने पढ़ाने
में गुरु शिष्य का पूर्ण भाव नहीं रहता है । खानि खुदवाने के ठुके लेने और
महायन्त्रों के चलवाने में जीवों की हिंसा है । उस के प्रायश्चित्त उन लोगों
को करने चाहिये । मारण में दूसरे का स्पष्ट अपकार है । वशीकरण में दूसरे
को अज्ञानी वा पराधीन करना बुरा है । (वशीकरण किसी के पास सुन्दर
स्त्री आदि भेज कर उस को मोहित करने से होता है) ॥ ६६ ॥

ब्राह्मणस्य रुजः कृत्या घ्रातिरप्रेयमद्ययोः। जैह्वयं च सैथुनं
पुंसिजातिभ्रंशकरं स्मृतम् ॥६७॥ खराश्वोष्ट्रमृगेभानामजाविक-
बंधं तथा । संकरीकरणं ज्ञेयं मीनाहिमहिषस्य च ॥ ६८ ॥

अर्थ—ब्राह्मण को लाठी आदि से पीड़ा देने की क्रिया करना, दुर्गन्ध और मद्य का सूघना, कुटिलता करना, तथा पुरुष से श्लेथन करना, इन को जातिव्यंशकर पातक कहा है ॥ ६७ ॥ गर्दभ, तुरङ्ग, रुष्ट, मृग, हस्ती, बकरा, भेड़, मत्स्य, कर्प, महिष, इन में प्रत्येक के वध को “सङ्करीकरण” कहते हैं ॥ ६८ ॥

निन्दितेभ्यो धनादानं वाणिज्यं शूद्रसेवनम् । अपात्रीकरणं ज्ञेयमसत्यस्य च भाषणम् ॥ ६९ ॥ कृमिकीटवयोहत्या मद्यानुगतभोजनम् । फलैधःकुसुमस्तेयमधैर्यं च मलावहम् ॥ ७० ॥

अर्थ—अप्रतिग्राह्य पुरुषों के धन का प्रतिग्रह लेना, (वैश्य न होकर) वाणिज्य करना, शूद्र की परिचर्या और झूठ बोलना, इनको “अपात्रीकरण” जाने ॥ ६९ ॥ कीड़े मकई पत्ती की हत्या, मद्य के साथ मिला भोजन, फल इन्धन और पुष्प का चुराना और अधीरता को “मलिनीकरण” कहते हैं ॥ ७० ॥

एतान्येनांसि सर्वाण्यथोक्तानि पृथक्पृथक् । यैर्यैर्व्रतैरपोह्यन्ते तानिसम्यङ्निबोधतः ॥ ७१ ॥ ब्रह्महाद्वादशसमाः कुटीकृत्वा वने वसेत् । भिक्षारयात्मविशुद्धयर्थकृत्वा शवशिरोध्वजम् ॥ ७२ ॥

अर्थ—ये सब ब्रह्महत्यादि पाप जैसे अलग अलग कहे गये, वे जिन जिन व्रतों से नाश की प्राप्त किये जाते हैं, उन को अच्छे प्रकार सुनो ॥ ७१ ॥ ब्राह्मण का हत्यारा वन में कुटी बना कर मुरदे के सिर का चिह्न करके, भोजन मांग कर खाता हुआ, अपनी श्रद्धि के लिये बारह वर्ष रहे ॥ ७२ ॥

लक्ष्यं शस्त्रभतां वा स्याद्विदुषामिच्छयात्मनः । प्राख्येदात्मानमग्नी वा समिद्धे त्रिरवाक्शिराः ॥ ७३ ॥ यजेत वाश्वमेधेन स्वर्जिता गोसवेन वा । अभिजिद्धिश्च जिद्ध्यां वा त्रिवृताग्निष्ठुतापि वा ॥ ७४ ॥

अर्थ—अथवा शस्त्रधारण करने वाले विद्वानों का अपनी इच्छा से निशाना बने । अथवा नीचे शिर कर के जलती हुई अग्नि में अपने को तीन बार डाले ॥ ७३ ॥ अथवा अश्वमेध यज्ञ करे वा स्वर्जित, गोसवन, अभिजित, विश्वजित, त्रिवृत वा अग्निष्ठत (ये यज्ञविशेष) करे ॥ ७४ ॥

जपन्वाऽन्यतमं वेदं योजनानां शतं व्रजेत् । ब्रह्महत्यापनोदाय

मितभुङ्गनियतेन्द्रियः ॥७५॥ सर्वस्वं वेदविदुषे ब्राह्मणायो-
पपादयेत् । धनं वाजीवनायाऽलं गृहं वा सपरिच्छिदम् ॥७६॥

अर्थ-अथवा ब्रह्महत्याके दूर करने को किसी एक वेद का जप करता हुआ सौ योजन गमन करे, थोड़ा खावे और जितेन्द्रिय होकर रहे ॥ ७५ ॥ अपनी सब जमा पूंजी अथवा जीवन्मर्थ पुष्कल धन वा असबाब सहित घर वेद जानने वाले ब्राह्मण को देदेवे ॥ ७६ ॥

हविष्यभुग्वाऽनुसरेत्प्रतिस्त्रोतः सरस्वतीम् । जपेद्द्वानियता-
हारस्त्रिवै वेदस्य संहितां ॥७७॥ कृतावपनीनिवसेद् ग्रामान्ते
गोव्रजेऽपि वा । आश्रमे वृक्षमूले वा गोब्राह्मणहिते रतः ॥७८॥

अर्थ-अथवा हविष्य भोजन करता हुआ सरस्वती-नदी के स्रोत की ओर गमन करे वा नियमपूर्वक आहार करता हुआ वेद की संहिता को ३ बार पढ़े ॥ ७७ ॥ बारह वर्ष तक सिर मुंडाये गौ ब्राह्मण के हित में रत होकर ग्राम के बाहर वा गौ के गोष्ठ में, शुद्ध देश में वा वृक्ष के नीचे वास करे ॥ ७८ ॥

ब्राह्मणार्थं गवार्थं वा सद्यः प्राणान्परित्यजेत् । मुच्यते ब्रह्मह-
त्याया गोप्रागो ब्राह्मण यच्च ॥७९॥ त्रिवारं प्रतिरोद्ध्वा सर्वस्वम-
वजित्य वा । विप्रस्य तन्निमित्ते वा प्राणालाभे विमुच्यते ॥८०॥

अर्थ-अथवा ब्राह्मण वा गौ के अर्थ यदि उसी समय प्राण दे देवे तो वह गौ ब्राह्मण की रक्षा करने वाला ब्रह्महत्या से छूट जाता है ॥७९॥ यदि ब्राह्मण का सर्वस्व चोर ले जाते हों उनको तीन बार बचावे (अथवा ४ पुस्तक और राघवानन्द के टीकास्य पाठभेद से " त्र्यवरस्य " कम से कम तीन ब्राह्मणों के सर्वस्व की चोरी को बचाने वाला) अथवा ऐसा यत्न ही करके चाहे धन भी न छुड़ाने पाया हो, अथवा इस निमित्त प्राण त्याग ने पर (अथवा कुल्लूक के अनुमत " प्राणलाभे " पाठ में, धन न बचाने से ब्राह्मण का प्राण बचाने पर ब्रह्महत्या से) छूटता है ॥ ८० ॥

एवं दृढव्रतो नित्य ब्रह्मचारी समाहितः । समाप्ते द्वादशे वर्षे
ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥८१॥ शिष्ट्वा वा भूमिदेवानां नरदेव-
समागमे । स्वप्नेनोऽवमृथस्नाती हयमेधे विमुच्यते ॥ ८२ ॥

अर्थ-इस प्रकार तद्व्रत करता हुआ, प्रतिदिन ब्रह्मचर्य से रहने वाला सनाधान किये चित्त से बारह वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्महत्या को दूर करता है ॥८१॥ अथवा अश्वमेधयज्ञ में ब्राह्मणों और राजा के समक्ष में (ब्रह्महत्या के पाप का) निवेदन करके यज्ञ के अन्त में अश्वभूष स्नान करता हुआ (ब्रह्महत्या के पाप से) छूट जाता है ॥ ८२ ॥

धर्मस्य ब्राह्मणो मूलमग्रं राजन्य उच्यते । तस्मात्समागमे तेषा-
मेनो विख्याप्य शुध्यति ॥८३॥ ब्राह्मणः स भवेन्नैव देवानामपि
दैवतम् । प्रमाणं चैव लोकस्य ब्रह्माऽत्रैव हि कारणम् ॥८४॥

अर्थ-ब्राह्मण धर्म का मूल है और राजा अग्र है । इस कारण उन के समागम में पाप का निवेदन करके शुद्ध होता है ॥ ८३ ॥ ब्राह्मण (सावित्री के) जन्म से ही देवतों का देवता और लोक को प्रमाण है, इस में वेद ही कारण है ॥ ८४ ॥

तेषां वेदविदो ब्रूयुस्त्रयोऽप्येन सु निष्कृतिम् । सा तेषां पावनाय
स्यात्पवित्रा विदुषां हि वाक् ॥८५॥ अतोऽन्यतममास्थाय विधिं
विप्रः समाहितः । ब्रह्महत्याकृतं पापं व्यपोहत्यात्मवत्तया ॥८६॥

अर्थ-उन (ब्रह्महत्यादि करने वालों) को वेद के जानने वाले तीन भी विद्वान्, पापों के जो प्रायश्चित्त बतावें वही उन पापियों की शुद्धि के लिये हों । क्योंकि विद्वानों की वाणी पवित्र है ॥ ८५ ॥ स्वस्थ चित्त ब्राह्मण इन में से कोई एक विधि ही करके आत्मवान्=मनस्वी होने से ब्रह्महत्या से किये पाप को दूर कर देता है ॥

हत्वा गर्भमविज्ञातमेतदेव व्रतं चरेत् ।

राजन्यवैश्यौ चेजानावात्रेयीमेव च स्त्रियम् ॥ ८७ ॥

अर्थ-बिना जाने गर्भ को मार कर वा यज्ञ करते हुवे क्षत्रिय, वैश्य और गर्भवती स्त्री का वध करके भी यही ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त करे ॥ (८७ वें से आगे एक पुस्तक में आत्रेयी का लक्षण करने के लिये एक यह श्लोक अधिक पाया जाता है:-

[जन्मप्रभृतिसंस्कारैः संस्कृता मन्त्रत्राचया ।

गर्भिणी त्वथ वा स्यात्तामात्रेयीं च विदुर्बुधाः] ॥

अर्थात् जो जन्म से लेकर संस्कारों से मन्त्रपूर्वक संस्कृता स्त्री अथवा गर्भिणी हो, उसे विद्वान् लोग " आत्रेयी " जानते हैं) ॥ ८७ ॥

उक्त्वा चैवानृतं साक्ष्ये प्रतिरुद्ध्य गुरुं तथा ।

अपहृत्य च निःक्षेपं कृत्वा च स्त्रीसुहृद्बन्धम् ॥ ८८ ॥

अर्थ—गवाही में झूठ बोल कर, गुरु का विरोध करके, धरोहर को हजम करके और स्त्री तथा मित्र का वध करके (भी यही प्रायश्चित्त करे) ॥ ८८ ॥

इयं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याऽकामतोद्विजम् । कामतोब्राह्मण
वधे निष्कृतिर्न विधीयते ॥ ८९ ॥ सुरां पीत्वा द्विजोमोहादग्नि
वर्णा सुरां पिबेत्तथा स काये निर्दग्धे मुच्यते किल्बिषात्ततः

अर्थ—यह शुद्धि विना इच्छा ब्राह्मण के वध में कही है और इच्छा से ब्राह्मण के वध करने में प्रायश्चित्त ही नहीं कहा ॥ ८९ ॥ द्विज अज्ञान से (दूसरे महापातक) मदिरा पीकर, आग के समान गरम मदिरा पीवे, उस मद्य से शरीर जलने पर वह (द्विज) उस पाप से छुटता है ॥ ९० ॥

गोमूत्रमग्निवर्णं वा पिबेदुदकमेव वा । पयोधतं वाऽऽमरणाद्
गोशकृद्रसमेव वा ॥ ९१ ॥ कणान्वा भक्षयेद्बुद्धं पिण्याकं वा
सकृन्निशि । सुरापानापनुत्त्यर्थं बालवासा जटी ध्वजी ॥ ९२ ॥

अर्थ—अथवा गोमूत्र वा जल अग्निवर्ण गरम करके पीवे अथवा सरण पर्यन्त दुग्ध घृत ही पीकर रहे अथवा गोबर का रस पीवे (मद्यपान का पाप छूट जावेगा) ॥ ९१ ॥ अथवा चावल की खुट्टी वा कुटे तिल एक समय रात को १ वर्ष तक भक्षण करे । सुरापान के पाप दूर होने को कम्बज वा कपड़ा पहिने और सिर के बाल रक्खे तथा सुरापान के दिह युक्त होकर रहे ॥ ९२ ॥

सुरा वैमलमन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते । तस्माद्ब्राह्मणरा-
जन्यौ वैश्यश्च न सुरां पिबेत् ॥ ९३ ॥ गौडीपैष्टीचमाध्वीचविज्ञे
यात्रिविधासुरा यथैवैकातथा सर्वा नपातव्या द्विजोत्तमैः ॥ ९४ ॥

अर्थ-सुरा अन्न का मल है और मल को पाप कहते हैं । इस कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मदिरा को न पीवें ॥९३॥ गुड़ की और पिट्टी की तथा महुवे की; ये तीन प्रकार की सुरा जाननी चाहियें । जसी एक वैधी ही सब द्विजोत्तमों को न पीनी चाहियें ॥ ९४ ॥ क्योंकि:—

यक्षरक्षःपिशाचान्नं मद्यं मांसं सुरासवम् । तद्ब्राह्मणेन ना-
त्तव्यं देवानामश्नता हविः ॥९५॥ अमिध्ये वा पतेन्मत्तो वैदिकं
वाप्युदाहरेत् । अकार्यमन्यत्कुर्षाद्वा ब्राह्मणो मदमोहितः ॥९६॥

अर्थ-यह राजस पिशाचों के अन्न-मद्य, मांस; सुरा, आसव; देवतों का हवि खाने वाले ब्राह्मण को भक्षण करने न चाहियें ॥९५॥ मद्य पीकर उन्मत्त हुआ ब्राह्मण अशुचि स्थान (भोरी आदि) में गिरेगा वा वेद की बकवाद करेगा वा और कोई निषिद्ध कार्य करेगा (इस कारण मद्य न पीवे) ॥९६॥
यस्यकायगतं ब्रह्म मद्येनाप्लाव्यते सकृत् । तस्य व्यपैति ब्राह्मण्यं
शूद्रत्वं च स गच्छति ॥९७॥ एषा विचित्राभिहिता सुरापानस्य
निष्कृतिः । अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि सुवर्णस्तेयनिष्कृतिम् ॥९८॥

अर्थ-जिस ब्राह्मण के देह में रहने वाला वेदज्ञान एक बार भी मद्य से डूब जाता है, उस को ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है और वह शूद्रत्व की प्राप्त हो जाता है ॥ ९७ ॥ यह सुरापान की विचित्र निष्कृति कही । अब (तीसरे महापातक) चोरी की चोरी का प्रायश्चित्त कहता हूँ ॥ ९८ ॥

सुवर्णस्तेयकृद्विप्रो राजानामभिगम्यतु । स्वकर्म ख्यापयन् ब्रूयान्
मां भवाननुशास्तिवति ॥९९॥ गृहीत्वा मूसलं राजा सकृद्गुण्णान्
तं स्वयम् । वधेन शुष्यति स्तेनो ब्राह्मणस्तपसैव तु ॥१००॥

अर्थ-चोरी की चोरी करने वाला ब्राह्मण, राजा के पास जाकर अपने किये को प्रसिद्ध करके कहे कि मुझे आप शिक्षा दें ॥९९॥ राजा (उसके कंधे पर लिये हुवे मूसल को लेकर उस (चोर) को एक बार मारे, मारने (पीटने) से ब्रह्मण चोर शुद्ध होता है और तप करने से भी (शुद्ध होता है) ॥१००॥

तपसाऽपनुत्सुस्तु सुवर्णस्तेयजं मलम् । चीरवासा द्विजो
ऽरण्ये चरेद्ब्रह्महणो ब्रतम् ॥१०१॥ एतैर्ब्रतैरपोहेत पापं स्तेयकृतं

द्विजः । गुरुस्त्रीगमनीयं तु व्रतैरेभिरपानुदेत् ॥ १०२ ॥

अर्थ—चोरी के पाप को तप से दूर करने की इच्छा करने वाला द्विज चीर को पहन कर वन में ब्रह्महत्या का व्रत करे ॥१०१॥ द्विज इन व्रतों से चोरी के पाप को दूर करे । और गुरु स्त्री के व्यभिचार सम्बन्धी पाप (चीथे महापातक) को इन (आगे कहे) व्रतों से दूर करे—॥ १०२ ॥

गुरुतल्पमभिभाष्यैतस्त्वस्वप्यादयोमये। सूर्मूर्ज्वलन्तीं स्वा-
शिलप्येन्मृत्युनासविशुध्यति १०३ स्वयं वा शिश्रुवृषणावुकृत्या
धाय चाञ्जलौ नैर्ऋतीं दिशमातिष्ठेदानिपातादजिह्वगः ॥१०४॥

अर्थ—गुरुभार्यागामी पाप का प्रसिद्ध करके लोहे की तप्तशय्या में सोवे और लोहे की स्त्री लाल करके उस के साथ आलिङ्गन करे । उस से मृत्यु पाकर वह शुद्ध होता है ॥ १०३ ॥ वा आप ही लिङ्ग तथा वृषणों को काट कर अञ्जलि में लेकर जब तक शरीर न गिरजावे तब तक टेढ़ी घालको न चलाता हुआ सीधा नैर्ऋत्य दिशा में गमन करे ॥ १०४ ॥

खट्वाङ्गीचीरवासावा शमश्रुलोविजनेवने। प्राजापत्यं चरेत्
कृच्छ्रमबद्धमेकं समाहितः ॥१०५॥ चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्य-
स्येन्नियतेन्द्रियः। हविष्येणयवाग्ना वा गुरुतल्पापनुत्तये १०६

अर्थ—अथवा खट्वाङ्ग चिह्न और केश नख लोम प्रस्रु का धारण करने वाला यति होकर निर्जन वन में एक वर्ष पर्यन्त प्राजापत्य व्रत करे ॥ १०५ ॥ अथवा जितेन्द्रिय रह कर ३ मास तक हविष्य तथा यवागू के भोजन से गुरु भार्यागमनसम्बन्धी पाप दूर करने के लिये चान्द्रायण व्रत करे ॥ १०६ ॥

एतैर्व्रतैरपोहेयुर्महापातकिनीमलम् । उपपातकिनस्त्वेव-
मेभिर्नानाविधैर्व्रतैः ॥१०७॥ उपपातकसंयुक्तीगोघ्नीमासंयवान्
पिबेत् । कृतवापोवसेद्गोष्ठे चर्मणा तेन संवृतः ॥ १०८ ॥

अर्थ—इन व्रतों को करके महापातको पाप को दूर करें । और उपपातकी (आगे कहे हुए) नानाप्रकार के व्रतों से पाप दूर करें ॥१०७॥ उपपातक से संयुक्त गौ का मारने वाला एक मास पर्यन्त यवों को पीवे, सुगडन किये हुआ और गौ के चर्म से वेष्टित होकर गोष्ठ में रहे ॥ १०८ ॥

चतुर्थकालमश्रीयादक्षारलवणं मितम् । गोमूत्रेणाचरेत्स्नानं
द्वीमासौनियतेन्द्रियः ॥१०९॥ दिवानुगच्छेद्गस्तास्तु तिष्ठन्नुर्ध्वं
रजःपिबेत् । शुश्रूषित्वा नमस्कृत्य रात्रौ वीरासनं वसेत् ॥११०॥

अर्थ—और इन्द्रियों को वश में करता हुआ दो मास पर्यन्त गोमूत्र से
स्नान किया करे और खारी लवण वर्जित हृषिष्य अन्न का चौथे काल में
थोड़ा भोजन किया करे ॥१०९॥ और दिन में उन गायों के पीछे चले और
(सुर से ऊपर उड़ी) घल को खड़ा हुआ पीवे और सेवा तथा अन्न से
सत्कार करके रात को "वीरासन" होकर पहरा देवे ॥ ११० ॥

तिष्ठन्तीष्वनुतिष्ठेत्तु ब्रजन्तीष्वप्यनुब्रजेत् । आसीनासु तथा-
सीनो नियतो वीतमत्सरः १११ आतुरामभिस्तां वा चौरव्याघ्रा-
दिभिर्भयैः । पतितां पङ्कलग्नां वा सर्वोपायैर्विमोचयेत् ॥११२॥

अर्थ—और मत्सरतारहित नियम पूर्वक दूढ़ होकर बैठी हुई गौ के पीछे
बैठ जावे और चलती हुई के पीछे चले और खड़ी हुई के साथ खड़ा रहे १११॥
उपाधियुक्ता और चौर व्याघ्रादि के भयों से आक्रान्ता तथा गिरी हुई
और कीचड़ लगी हुई गौ को सब उपायों से छुड़ावे ॥ ११२ ॥

उष्णो वर्षति शीते वा मारुते वा तिवाभृशम् । न कुर्वीतात्मनस्त्राणं
गोरकृत्वा तु शक्तितः ॥११३॥ आत्मनो यदि वाऽन्येषां गृहे क्षेत्रे-
ऽथवा खले । भक्षयन्तीं न कथयेत्पिबन्तं चैव वत्सकम् ॥११४॥

अनेन विधिनायस्तु गोघ्नो गामनुगच्छति । स गोहत्याकृतं पापं
त्रिभिर्मासैर्व्यगोहति ॥ ११५ ॥ वृषभैकादशागाश्च दद्यात्सु-
चरितव्रतः । अविद्यमाने सर्वस्वं वेदविद्व्योनिवेदयेत् ॥११६॥

अर्थ—उष्ण काल, शीत, वर्षा और अधिक वायु के चलने में यथाशक्ति
गौ का बचाव न करके (गोहत्यारा) अपना बचाव न करे ॥११३॥ और अपने
घा दूसरे के घर में वा खेत में वा खलियान में भक्षण करती हुई गौ को
और दूध पीते हुवे उस के बच्चे को प्रसिद्ध न करे ॥ ११४ ॥ इस विधान से
जो गोहत्या वाला गौ की सेवा करता है वह उस गोहत्या के पाप को तीन

महीने में दूर करता है ॥ ११५ ॥ अच्छे प्रकार प्रायश्चित्तव्रत करके एक बैल और दश गाय और इतना न हो ती अपना सर्वस्व धन वेद के जानने वाले ब्राह्मणों को देदेवे ॥ ११६ ॥

एतदेव व्रतं कुर्युरुपपातकिनी द्विजाः । अवकीर्णिवर्जं शुद्धार्थं चान्द्रायणमथापि वा ॥११७॥ अवकीर्णी तु काणेन गर्दभेन चतुष्पथे । पाकयज्ञविधानेन यजेत निर्ऋतिं निशि ॥११८॥

अर्थ—अवकीर्णी को छोड़ अन्य उपपातक वाले द्विज भी यही व्रत अथवा चान्द्रायण करें ॥११७॥ अवकीर्णी, काने गधे पर बड़ा कर रात को चौराहे में जा, पाकयज्ञ के विधान से निर्ऋति देवता का यज्ञ करे ॥११८॥

हुत्वाग्नीविधिवद्भोमानन्ततश्च समेत्यूचा । वातेन्द्रगुरुबह्वीनां जुहुयात्सर्पिषाहुतीः ॥ ११९ ॥ कामतोरेतसः सेकं व्रतस्थस्य द्विजन्मनः । अतिक्रामं व्रतस्याहुर्धर्मज्ञा ब्रह्मवादिनः ॥१२०॥

अर्थ—विधिवत् अग्नि में होम करके उसके अनन्तर “ सं मा सिञ्चन्तु मरुतः सं पूषा सं बृहस्पतिः । सं मायमग्निः सिञ्चतु प्रजयां च धनेन च । दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ अथर्व ७ । ३ । ३३ । १ ” इस ऋचा के साथ मरुत, इन्द्र, बृहस्पति और अग्नि को घृत से आहुति दे ॥ ११९ ॥ (ब्रह्मचर्य) व्रत को धारण करने वाले द्विज के इच्छा से वीर्य रखलन को वेद के जानने वाले धर्मज्ञ लोग ब्रह्मचर्य का खरिहत होना (अवकीर्णित्व) कहते हैं ॥ १२० ॥

मासतं पुरुहूतं च गुरुं पावकमेव च । चतुरोव्रतिनोऽभ्येति ब्राह्मं तेजोऽवकीर्णिनः ॥१२१॥ एतस्मिन्नेनसि प्राप्ते वसित्वा गर्दभाजिनम् । सप्तागारांश्चरेद्द्वैक्षं स्वकर्म परिकीर्तयन् ॥१२२॥

अर्थ—व्रतवाले अवकीर्णीका ब्रह्मसम्बन्धी तेज मासत, इन्द्र, गुरु और अग्नि इन चारों में चला जाता है (इस कारण इनको आहुति देकर फिर प्राप्त करे) ॥ १२१ ॥ इस पातक के प्राप्त हुवे पर गधे के चमड़े को लपेट कर अपने किये अवकीर्णिरूप पाप को प्रसिद्ध करता हुवा सात घरों से भिक्षा मांगे ॥ १२२ ॥

तेभ्योलब्धेन भिक्षेण वर्त्तयन्नेककालिकम् । उपस्पृशंस्त्रिषवणं
त्वब्देनस विशुद्ध्यति ॥१२३॥ जातिभ्रंशकरं कर्म कृत्वान्यतममि-
च्छया । चरेत्सान्तपनं कृच्छ्रं प्राजापत्यमनिच्छया ॥ १२४ ॥

अर्थ—उन घरों से प्राप्त हुवे भिक्षात्न से एक काल में भोजन से निर्वाह करता हुवा त्रिकाल स्नान करने वाला वह (पापी) एक वर्ष में शुद्ध होता है ॥१२३॥ इच्छा से कोई जातिभ्रंशकर कर्म करके (आगे कहा) सान्तपन कृच्छ्र और विना इच्छा से (करने पर) प्राजापत्य व्रत करे ॥ १२४ ॥

संकराऽपात्रकृत्यासु मासंशोधनमैन्दवम् । मलिनीकरणीयेषु
तप्तः स्याद्यावकैस्त्रयहम् ॥१२५॥ तुरीयो ब्रह्महत्यायाः क्षत्रियस्य
वधे स्मृतः । वैश्येऽष्टमांशो वृत्तरथे शूद्रे ज्ञेयस्तुषोडशः ॥१२६॥

अर्थ—(पूर्वोक्त) संकरीकरण और अपात्रीकरण करने पर शुद्धि के लिये एक महीने तक चान्द्रायणव्रत करे और मलिनीकरणों में शुद्धि के लिये तीन दिन गरम यवागू पीये ॥ १२५ ॥ अच्छे आचरण करने वाले क्षत्रिय के वध में ब्रह्महत्या का चौथाई प्रायश्चित्त है । वैसे ही वैश्य के (वध) में आठवां और शूद्र के (वध) में सोलहवां भाग प्रायश्चित्त होना चाहिये ॥ १२६ ॥

अकामतस्तु राजन्यं विनिपात्य द्विजोत्तमः । वृषभैकसहस्रागा
दद्यात्सुचरितव्रतः ॥१२७॥ त्र्यब्दं चरेद्वा नियतो जटी ब्रह्म-
हणोव्रतम् । वसन्दूरतरे ग्रामाद् वृक्षमूलनिकेतनः ॥ १२८ ॥

अर्थ—ब्राह्मण विना इच्छा से क्षत्रिय को मारकर अच्छे प्रकार व्रत करके एक बैल के सहित १ सहस्र गौओं का दान करे ॥१२७॥ अथवा जटा धारण करके दूढ़ होकर तीन वर्ष तक ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त ग्राम से बहुत दूर वृक्ष के नीचे रहता हुवा करे ॥ १२८ ॥

एतदेव चरेदब्दं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमः । प्रसाप्य वैश्यं वृत्तरथं
दद्याच्चैकशतं गवाम् ॥१२९॥ एतदेव व्रतं कृत्स्नं षण्मासाञ्छूद्रहा
चरेत् । वृषभैकादशा वापि दद्याद्विप्राय गाः सिताः ॥१३०॥

अर्थ-इसी व्रत को (विना इच्छा से) अच्छे आचरण वाले वैश्य की हत्या में ब्राह्मण एक वर्ष तक करे और एक सौ गौओं का दान देवे ॥१२९॥
इसी सम्पूर्ण व्रत को (विना इच्छा से) शूद्र का मारने वाला ब्रह्मः महीने तक करे अथवा एक बैल तथा दश श्वेत-गौ ब्राह्मण को देवे ॥ १३० ॥

मार्जारिनकुलीहत्वा चाषमण्डूकमेव च । श्वगोधोलूककाकांश्च
शूद्रहत्याव्रतंचरेत् ॥१३१॥ पयःपिबेत्त्रिरात्रं वा योजनं वाऽध्व-
नोव्रजेत् । उपस्पृशेत्स्रवन्त्यां वा सूक्तं वाब्देवतं जपेत् ॥१३२॥

अर्थ-मार्जार, नेवला, चिड़िया, मेंढक, कुत्ता, गोधा, ललूक, काक, इन को मारकर शूद्रहत्या का प्रायश्चित्त करे ॥१३१॥ अथवा तीन दिन दुग्धपान करे वा योजन भर तीन दिन रास्ता चले वा तीन दिन नदी में स्नान करे वा तीन दिन जलदेवता वाले (आपोहिष्ठा० इत्यादि ऋ० १० । ९) सूक्त को जपे ॥ १३२ ॥

अग्निं काष्णायिसौदद्यात्सर्पं हत्वा द्विजोत्तमः । पलालभारकं
षण्ढेसैसकं चैकमाषकम् ॥१३३॥ घृतकुम्भं वराहे तु तिलद्राणं
तु तित्तिरौ । शुकैद्विहायनं वत्सं क्रौञ्चं हत्वा त्रिहायणम् ॥१३४॥

अर्थ-ब्राह्मण सर्प को मारकर लोहे की करड्डुल का दान करे । और नपुंसक के मारने पर धान्य के पलाल का भार और १ माषा मात्र सीसा देवे ॥ १३३ ॥ सूकर के मर जाने पर घी भर कर चढ़ा और तीतर मरजाने में चार आढ़क तिल और तीते के मर जाने पर दो वर्ष का बलड़ा और क्रीष्ण पक्षी को मार कर तीन वर्ष का (वत्स देवे) ॥ १३४ ॥

हत्वा हंसं बलाकां च बकं बर्हिणमेव च । वानरं श्येनभासौ च
स्पर्शयेद्ब्राह्मणाय गाम् ॥१३५॥ वासोदद्याद्घृणं हत्वा पञ्चनीला-
न्वृषान्गजम् । अजमेषावनड्वाहं खरं हत्वैकहायनम् ॥१३६॥

अर्थ-हंस, बलाका, बक, मीर, वानर, श्येन और भास; इन को मारकर ब्राह्मण को गाय देवे ॥ १३५ ॥ अश्व को मारकर घस्त्र देवे और गज को मार कर पांच नील बैल; बकरे, और मेंढे की मार कर बैल देवे और गधे की मार कर एक वर्ष का (वत्स) देवे ॥ १३६ ॥

क्रव्यादांस्तुमृगान्हत्वधेनुं दद्यात्पयस्विनीम्। अक्रव्यादान्व-
त्सतरीमुष्ट्रहत्वातुकृष्णलम् १३७ जीनकार्मुकवस्तावीन्पृथग्द-
द्याद्विशुद्धये चतुर्णामपिवर्णानां नारीर्हत्वाऽनवस्थिताः ॥ १३८ ॥

अर्थ—क्रव्याद् घ्याघ्रादिकी मार कर दूध वाली गौ और हरिणादि की मारकर बछिया और कूट को मारकर १ कृष्णल मात्र (सोना) देवे ॥ १३७ ॥ चारों वर्णों की क्रम से बिगड़ी हुई स्त्रियों के विना जाने मर जाने पर शुद्धि के लिये चर्मपुट, धनुष, बकरा और मेष पृथक् २ देवे ॥

(११८ वें से आगे यह श्लोक ५ पुस्तकों में अधिक मिलता है :-

[वर्णानामानुपूर्व्येण त्रयाणामविशेषतः ।

अमत्या च प्रमाप्य स्त्रीं शूद्रहत्याव्रतं चरेत्]

(क्रम से तीनों वर्णों में से किसी स्त्री को मूल से मारने वाला शूद्रहत्या का प्रायश्चित्त करे) ॥ १३८ ॥

दानेन वधनिर्णेकं सर्पादीनामशक्रुवन् । एकैकशश्चरेत्कृच्छ्रं
द्विजः पापापनुत्तये ॥ १३९ ॥ अस्थिमतां तु सत्त्वानां सहस्रस्य
प्रमापणे । पूर्णं चानस्यनस्थानां तु शूद्रहत्याव्रतं चरेत् ॥ १४० ॥

अर्थ—सर्पादि के वध के प्रायश्चित्तार्थ दान करने को असमर्थ द्विज पाप दूर करने को एक एक कृच्छ्र व्रत करे ॥ १३९ ॥ अस्थि वाले सहस्र शूद्र-जीवों के वध में शूद्रवध का प्रायश्चित्त करे और अस्थि रहित जीवों के एक गाड़ी भर के वध में भी (उसी प्रायश्चित्त को करे) ॥ १४० ॥

किंचिदेवतुविप्रायदद्यादस्थिमतांवधे । अनस्थानांचैव हिंसायां
प्राणायामेन शुद्ध्यति ॥ १४१ ॥ फलदानांतु वृक्षाणां छेदने जप्यमृ-
क्षशतम् । गुल्मवल्लीलतानां च पुष्पितानां च वीरुधाम् ॥ १४२ ॥

अर्थ—आस्थि वाले शूद्रजन्तुओं के वध में प्राणायाम को कुछ दे देवे और अस्थिरहित शूद्रजन्तुओं के वध में प्राणायाम से शुद्ध होता है ॥ १४१ ॥ फल देने वाले वृक्षों, गुल्म, बेल, लता और पुष्पित वीरुधों के काटने में सौ (साठियादि) ऋचाओं को जपे ॥ १४२ ॥

अन्नाद्यजानां सखानां रसजानां च सर्वशः । फलपुष्पोद्भवानां च
घृतप्राशो विशोधनम् ॥ १४३ ॥ कृष्टजानामोषधीनां जातानां च
स्वयं वने । वृथालम्भेऽनुगच्छेद्वा । दिनमेकं पयोत्रतः ॥ १४४ ॥

अर्थ—अन्नादि और गुड़ादि रसों और फलपुष्पादि में उत्पन्न हुवे जीवों
के वध में “घृत का प्राशन” पापशोधन है ॥ १४३ ॥ खेती से उत्पन्न हुवे
और वन में स्वयं उत्पन्न हुवे धान्यों के वृथा छेदन में दुग्ध का आहार करता
हुवा एक दिन गौ के पीछे चले ॥ १४४ ॥

एतैर्ब्रतैरपोह्यं स्यादेनो हिंसा समुद्भवम् । ज्ञानाज्ञानकृतं कृत्स्नं
शृणुतानाद्यभक्षणम् ॥ १४५ ॥ अज्ञानाद्वारुणी पीत्वा संस्कारेणैव
शुद्धमिति पूर्वमनिर्देश्यं प्राणान्तिकमिति रिथितिः ॥ १४६ ॥

अर्थ—इन प्रायश्चित्तों को करके हिंसाजनित पाप, जो कि जाने वा बिना
जाने किया हो उसको दूर करना चाहिये अब आगे अभक्ष्यभक्षण के प्रायश्चित्त
सुनो ॥ १४५ ॥ अज्ञान से वारुणी मद्यिरा पीकर संस्कार से ही शुद्ध होता है
और इच्छापूर्वक पीने से प्राणान्तिकवध अनिर्देश्य है । यह मर्यादा है ॥ १४६ ॥

अपः सुराभाजनस्थामद्यभाण्डस्थितास्तथा । पञ्जरात्रं पिबेत्पी
त्वाशङ्खपुष्पीशृतं पयः ॥ १४७ ॥ स्पृष्ट्वा दत्त्वा च मदिरां त्रिधिवत्प्र-
तिगृह्य च । शूद्रोच्छिष्टाश्च पीत्वापः कुशवारिपिबेत्त्रयहम् १४८

अर्थ—मद्य की बोतल में रक्खा पानी तथा मद्य के करव के पानी को
पीने वाला शङ्खपुष्पी को पानी से औटाकर पांच दिन पीवे ॥ १४७ ॥ मदिरा
को स्पर्श करके वा वा देकर तथा ग्रहण करके और शूद्र के उच्छिष्ट पानी को
पी कर तीन दिन विधिपूर्वक कुशों का काढ़ा पीवे ॥ १४८ ॥

ब्राह्मणस्तु सुरापस्य गन्धमाघ्राय सोमपः । प्राणानप्सु त्रिरा
यम्य घृतं प्राश्य विशुद्ध्यति १४९ । अज्ञानात्प्राश्य विष्णुभूत्रं सुरासं-
स्पृष्टमेव च । पुनः संस्कारमर्हन्ति त्रयो वर्णाद्विजातयः ॥ १५० ॥

अर्थ—सोमयज्ञ किया हुवा ब्राह्मण मद्य पीने वाले को सूँघ कर पानी में
तीन वार प्राणायाम कर घृत का प्राशन करके शुद्ध होता है ॥ १४९ ॥ बिना

जाने मल मूत्र और मूत्र से स्पर्श हुवे को प्राशन करके तीनों द्विजघणे
रकर से संस्कार के योग्य हैं ॥ १५० ॥

वपनं मेखलादगडौ भैक्षचर्याव्रतानि च । निवर्तन्ते द्विजातीनां
पुनःसंस्कारकर्मणि ॥१५१॥ अभोज्यानां तु भुक्तानं स्त्रीशूद्रो-
च्छिष्टमेव च । जग्ध्वामांसमभक्ष्यंचसपरात्रं यवान्पिबेत् ॥१५२॥

अर्थ—द्विजातियों के फिर से उपनयन होने में सुगडन, मेखला का धारण,
दगडधारण, भिक्षा और व्रत (ये सब) नहीं होते हैं ॥१५१॥ जिन का भोजन
करने के योग्य नहीं, उनका अन्न और स्त्री का तथा शूद्र का उच्छिष्ट और
मांस और अन्य अभक्ष्य खा लेवे ती सात दिन जी के सत् पीवे ॥ १५२ ॥

शुक्तानि च कषायांश्च पीत्वा मेघधानपि द्विजः । तावद्भवत्यप्रयतो
यावत्तन्न व्रजत्यधः ॥१५३॥ विड्बराहखरोष्ट्राणां गोमायोः
कपिकाकयोः । प्राश्य मूत्रपुरीषाणि द्विजश्चान्द्रायणं चरेत् ॥१५४

अर्थ—सिरका आदि सही ग्राह्य वस्तु भी और काढ़ा पीकर तब तक
द्विज अशुद्ध रहता है जब तक वह पच कर नीचे नहीं जाता ॥१५३॥ ग्राम
का शूकर, खर, उष्ट्र, शृगाल, वानर और काक के मूत्र वा मल को द्विजाति
भक्षण करले ती चान्द्रायण व्रत करे ॥ १५४ ॥

शुष्काणि भुक्त्वा मांसानि भौमानि कवकानि च ।
अज्ञातं चैव सूनास्थमेतदेव व्रतं चरेत् ॥ १५५ ॥

“क्रव्यादसूकरोष्ट्राणां कुक्कुटानां च भक्षणे ।

नरकाकखराणां च तप्तकृच्छ्रं विशोधनम् ॥१५६॥”

अर्थ—सूखे मांस और पृथिवी में उत्पन्न हुवे कुकुरमुत्ता और बजाने हिंसा
स्थान के मांस को भक्षण करले ती भी यही (चान्द्रायणव्रत) करे ॥१५५॥

“कषे मांसके खाने वाले और शूकर, उष्ट्र, मुरगा, नर और काक को भक्षण
करले ती (आगे कहे हुवे) तप्तकृच्छ्रव्रत को करे । यह शोधन है” ॥१५६॥

“मांसिकान्तु योऽश्नीयादसमावर्त्तको द्विजः । स त्रीण्यहान्युपव-
सेदेकाहं षोडशं वसेत् ॥१५७॥ ब्रह्मचारी तु योऽश्नीयान्मधुमांसं
कथञ्चन । स कृत्वा प्राकृतं कृच्छ्रं व्रतशेषं समापयेत् ॥१५८॥”

अर्थ—जो द्विज ब्रह्मचारी मासिक श्राद्ध के अन्न को भोजन करे, वह तीन दिन उपवास करे और एक दिन जल में निवास करे ॥ १५७ ॥ जो ब्रह्मचारी मद्य मांस को किसी प्रकार भक्षण करे वह प्राकृत कृच्छ्रव्रत करके व्रत शेष को समाप्त करे” ॥

(१५७ । १५८ श्लोक भी मृतकश्राद्ध और मांस के प्रचारकों ने मिलाये जान पड़ते हैं । भला जब श्राद्ध के वैदिककर्म बताते हैं तो उसमें भोजन करने वाले को प्रायश्चित्ती क्यों बतलाते हैं । यह विरोध ! और मांस सभी को अभक्ष्य है तो ब्रह्मचारी को मद्य मांस के सेवन में प्राकृत कृच्छ्रमात्र अल्प प्रायश्चित्त क्यों ?)

विडालकाकाखूचिच्छृष्टं जग्ध्वाश्वनकुलस्य च । केशकीटावपन्न
च पिवेद्ब्रह्मसुवर्चलाम् ॥१५९॥ अभोज्यमन्नं नात्तव्यमात्मनः
शुद्धिमिच्छता । अज्ञानभुक्ततूत्तार्यं शोधयं वाऽप्याशुशोधनैः १६०

अर्थ—बिल्ली, काक, मूसा, कुत्ता और नवला के सच्छिष्ट और केश तथा कीट से युक्त अन्न को भोजन करके ब्रह्मसुवर्चला का काढ़ा पीवे (दो पुस्तकों में “ब्राह्मी सुवर्चलाम्” पाठ है) ॥ १५९ ॥ अपने को पवित्र रहने की इच्छा करने वाला भोजन के अयोग्य अन्न का भोजन न करे और विना जाने खाये को वमन करके निकाले वा शोधन द्रव्यों से शीघ्र शोधन करे ॥ १६० ॥

एषोऽनाद्यादनस्योक्तो व्रतानां विविधो विधिः । स्तेयदोषापह-
तृणां व्रतानां श्रूयतां विधिः १६१ धान्यान्नधनचौर्याणिकृत्वाका-
माद्द्विजोत्तमः । स्वजातीयगृहादेव कृच्छ्राब्देन विशुद्ध्यति १६२

अर्थ—अभक्ष्यभक्षण में जो प्रायश्चित्त हैं उन के ये नामा प्रकार के विधान कहे । अब चोरी के दोष दूर करने वाले व्रतों का विधान सुनिये ॥ १६१ ॥ ब्राह्मण अपने जाति वालों ही के घर से धान्य; अन्न और धन की चोरी इच्छा से करके एक वर्ष कृच्छ्रव्रत करने से शुद्ध होता है ॥ १६२ ॥

मनुष्याणां तु हरणेस्त्रीणां क्षेत्रगृहस्य च । कूपवापीं जलानां च
शुद्धिश्चान्द्रायणं स्मृतम् १६३ द्रव्याणामल्पसाराणां स्तेयंकृत्वा-
ऽन्यवेशमतः । चरेत्सान्तपनं कृच्छ्रं तन्निर्यात्यात्मशुद्ध्यै ॥ १६४ ॥

अर्थ—पुरुष, स्त्री, क्षेत्र, गृह, कुवा, बावही और जानी के हरण करने में चान्द्रायणव्रत कहा है ॥१६३॥ दूधरे के घर से (खीरा, ककड़ी, लूनी इत्यादि) तुच्छ वस्तुओं की खोरी करके अपनी शुद्धि के लिये वह वस्तु जिस की है उस को देकर (आगे कहा) सात्त्विक कृच्छ्र करने ॥ १६४ ॥

भक्ष्यभोज्यापहरणो यानशाय्यासनस्य च । पुष्पमूलफलानां च
पञ्चगव्यं विशोधनम् ॥१६५॥ तृणकाष्ठद्रुमाणां च शुष्कान्नस्य
गृहस्य च । चैलचर्मामिषाणां च त्रिरात्रं स्यादभोजनम् ॥१६६॥

अर्थ—(मोदक खीर आदि) भक्ष्य भोज्य पदार्थों और सचारी, शय्या, आसन तथा पुष्प, मूल और फल के घुराने में पञ्चगव्य का मान करना (और वस्तु उस की उसी को दे देना) शोधन है ॥ १६५ ॥ घास, लकड़ी, घस, शुष्कान्न, गृह, कपड़ा, चर्महा और नाच के घुराने में तीन रात्रि दिन उपवास करे ॥ १६६ ॥

अणिमुक्ताप्रवालानां तास्यस्य रजतस्य च । अयःकांस्योपलानां
च द्वादशाहं कणान्नता ॥१६७॥ कार्पासकीटजीर्णानां द्विशकैक-
शफस्य च । पक्षिगन्धौषधीनां च रज्जवाश्रैव त्र्यहं पयः ॥१६८॥

अर्थ—मणि, मोती, मूंगा तांबा, चांदी, लोहा, कांसी और उपल (पत्थर) के घुराने में १२ दिन चावल की खुटी का भोजन करे ॥१६७॥ कपास, रेशम, ऊन और बिल आदि दो छुरवाले, घोड़ा आदि एक खुर्वाले, पत्नी, चम्दनादि गन्ध और औषध तथा रस्सी के घुराने में तीन दिन पानी पीकर रहे ॥१६८॥

एतैर्ब्रतैरपोहेत पापं स्तेयकृतं द्विजः । अग्न्यागमनीयं तु
व्रतैरेषिरयानुदेत् ॥१६९॥ गुरुतल्पव्रतं कुर्याद्वैतःसिक्ता स्वयो-
निषु । लख्मुः पुत्रस्य च स्त्रीषु कुमारीष्वनस्यजासु च ॥१७०॥

अर्थ—द्विज इन व्रतों से चोरी के पाप को दूर करे और जो गमन करने के अयोग्य है उसके साथ गमन से पाप को इन आगे कहे व्रतों से दूर करे ॥१६९॥ अपनी सगी बहन तथा मित्र की भार्या और पुत्र की स्त्री तथा कुमारी और घरहाली के साथ गमन करने से गृहस्त्रीगमन का प्रायश्चित्त करे ॥१७०॥

पैतृष्वसेयीं भगिनीं स्वस्त्रीयां मातुरेव च । मातुश्च भ्रातुस्तनयां
गत्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥१७१॥ एतास्तिस्त्रस्तु भार्यार्थे नोपय-
च्छेत्तुष्टुभिमानाज्ञातिस्त्वेनानुपेयास्ताः पततिह्यु पयस्त्रयः ॥१७२

अर्थ—पिता की बहन की लड़की तथा माता की बहन की लड़की और
माता के भाई की बेटी (इन ३ बहनों) के साथ गमन करके वे चान्द्रायण
व्रत करे ॥१७१॥ इन तीनों को बुद्धिमान् भार्या के अर्थ न ग्रहण करे । ज्ञाति
होने से ये विवाह करने के अयोग्य हैं, इन के साथ विवाह करने वाला
नीचता को प्राप्त हो जाता है ॥ १७२ ॥

अमानुषीषु पुरुष उदक्याथामयोनिषु ।

रेतः सिक्त्वा जले चैव कृच्छ्रं सान्तपनं चरेत् ॥१७३॥

“सैथुनं तु समासेव्य पुंसि योषिति वा द्विजः ।

गोयानेऽप्यु दिवा चैव सवासाः स्नानमाचरेत् ॥१७४॥

अर्थ—अमानुषी योनियों और रजस्वला और जल में वीर्य को स्थलित
करके पुरुष सान्तपन कृच्छ्रव्रत करे ॥१७३॥ “द्विज-पुरुष में वा स्त्री में सैथुन
करके तथा बेल की गाड़ी में या पानी में वा दिन में सैथुन करके उचैल स्नान
करे ॥” (१७४ वां श्लोक प्रशिष्ट है । क्योंकि इस में क ई प्रायश्चित्त विशेष नहीं
कहा “स्नानं सैथुनिनः स्मृतम्” यह ही विहित सैथुन में भी स्नान का
विधान है । फिर भला ऐसे बड़े अप्राकृत पापकर्म में इतना अल्प स्नान
और वस्त्र धो लेना मात्र भी कोई प्रायश्चित्त गिना जा सकता है ?) ॥१७४॥

चण्डालान्त्यस्त्रियोगत्वा भुक्त्वा च प्रतिगृह्य च । पतत्यज्ञानतो

विप्रो ज्ञानात्साम्यंतु गच्छति ॥१७५॥ विप्रदुष्टांस्त्रियं भर्तानिरु-

न्धयादेकवेशमनायत्पुंसः परदारिषु तच्चैनां चारयेद्ब्रतम् ॥१७६॥

अर्थ—चण्डाल और नीच की स्त्रियों से गमन और इन के यहां सौजन्य
करके तथा प्रतिग्रह लेकर विना जाने विप्र पतित हो जाता और जान कर
करने से उन्हीं में मिल जाता है ॥१७५॥ दुष्टा स्त्री को भर्ता एक घर में बन्द
रकड़े और जो पुत्र को पराई स्त्री के गमन करने में प्रायश्चित्त कहा है
वह उस (स्त्री) से करावे ॥ १७६ ॥

सा चैत्पुनःप्रदुष्येत्तु सदृशेनीपयन्त्रिता ।

कृच्छ्रं चान्द्रायणं चैव तदस्याः पावनं स्मृतम् ॥१७७॥

अर्थ- यदि अपने सजातीय पुरुष की वहकाई हुई फिर बिगड़ जावे, तो इस का पवित्र करने वाला कृच्छ्रचान्द्रायण व्रत कहा है ॥

(१७७ वें से भाग्ये ३ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक है:-

[ब्राह्मणक्षत्रियविशां स्त्रियः शूद्रेऽपसंगताः ।

अप्रजाताविशुध्येयुः प्रायश्चित्तेन नेतराः]

द्विजों की जो स्त्रियें शूद्र से सङ्ग करें, वे सन्तान उत्पन्न न करें तब तो (उक्त) प्रायश्चित्त से शुद्ध हों परन्तु सन्तान उत्पन्न कर लेने वाली नहीं) ॥१७९॥

यत्करोत्येकरात्रेण वृषलीसेवनाद्द्विजः ।

तद्द्वैक्ष्यभुञ्जपन्नित्यं त्रिभिर्वर्षैर्व्यपोहति ॥१७८॥

अर्थ-वेश्या-वा शूद्रागतन में एक रात्रि में द्विज जो पाप करता है, उस (पाप) को नित्य भिला मांग कर भोजन और गायत्री का जप करने से तीन वर्ष में दूर कर पाता है ॥ १७८ ॥

एषापापकृतामुक्ताचतुर्णामपिनिष्कृतिः। पतितैःसंप्रयुक्तानामिमाः शृणुत निष्कृतीः ॥ १७९॥ संवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन् । याजनाध्यापनाद्यौनान्नतु यानासनाशनात् ॥१८०॥

अर्थ-यह पाप करने वाले चारों वर्णों की निष्कृति (प्रायश्चित्त) कही । अथ इन पतितों के साथ मिलने वालोंके प्रायश्चित्तों को सुनिये-॥१७९॥ एकवर्ष तक पतित के साथ मिल कर यज्ञ कराने, पढ़ाने और योजसंमन्थ करने से पतित हो जाता है, परन्तु सहयान, सह-आसन और सहभोजन से नहीं ॥१८०॥

योयेन पतितेनैषां संसर्गं याति सानयः ।

स तस्यैव व्रतं कुर्यात्तत्संसर्गविशुद्धये ॥ १८१ ॥

“पतितस्योदकं कार्यं सपिण्डैर्बान्धवैर्वहिः ।

निन्दितेऽहनि सायाह्ने ज्ञात्यद्विवग्गुरुसन्निधौ ॥१८२॥”

अर्थ-जो मनुष्य इन पाप करने वालों में से जिन के संसर्ग को पाकर पतित होता है, वह उस के संसर्ग की शुद्धि के लिये वही व्रत करे ॥ १८१ ॥

“उपिष्ठ बान्धव लोग ग्राम के बाहर जीते हुवे ही पतित को उदकक्रिया निन्दित दिनके सायंकाल में ज्ञाति वाले ऋत्विज् औरगुरु के साथनेकरें ॥१८२॥”

“दासीघटमपांपूर्णपर्यस्येतप्रेतवत्पदा। अहीरात्रमुपासीरन्ना-
शीचंबान्धवैःसह ॥१८३॥ निवर्तेरंश्रुतस्मात्तुसंभाषणसहासने।
दायादस्य प्रदानं च यात्रा चैव हि लौकिकी ॥ १८४ ॥”

“अर्थ—और दासी जल भरे घड़े को प्रेतवत् (दक्षिणाभिमुख होकर) पैर से गिरावे और बान्धवों के साथ एक दिन रात अशीच रखें ॥ १८३ ॥ और उस पतित से बोलना, साथ बैठना और दायभाग देना और नौता खीत सब छोड़ देवें ॥ १८४ ॥

ज्येष्ठता च निवर्तेत ज्येष्ठावाप्यं च यद्गुणम्। ज्येष्ठांशं प्राप्नु-
याद्भ्रातृययवीयान्गुणतोऽधिकः ॥१८५॥ प्रायश्चित्तुचरितेपूर्ण-
कुम्भमपां नवमातेनैव सार्धंप्रास्येयुःस्नात्वापुन्येजलाशये १८६

“अर्थ—और बड़ाई और ज्येष्ठपत्नी का उद्धार घन भी छूट जावे तथा बड़े का भाग, जो छोटा गुण में अधिक हो, वह पावे ॥१८५॥ परन्तु प्रायश्चित्त करने पर पानी में भरे हुवे नये बड़े को उस के साथ बान्धव लोग पवित्र जलाशय में स्नान करके डाल देवें ॥ १८६ ॥

“सु त्वप्सु तं घटं प्रास्य प्रविश्य भवनं स्वकम्। सर्वाणि ज्ञाति-
कार्याणि यथापूर्वं समाचरेत् ॥१८७॥ एतमेवविधिं कुर्याद्योषि-
त्सु पतितारूपिवास्नानपानंदेयंतुवसेयुश्चगृहान्तिके ॥१८८॥”

अर्थ—और वह उस घड़े को पानी में फेंक कर अपने मकान में आकर यथोक्त संपूर्ण ज्ञातिकर्मों को करने लगे ॥ १८७ ॥ पतित स्त्रियों के विषय में भी यहीविधि करे और खाना कपड़ा देवे तथा घर के पास दूसरे मकान में रहने दे” (१८२ से १८८) तक ७ श्लोक भी प्रहित जान पड़ते हैं क्यों कि प्रथम तो श्रुतकआहु ही वैदिक नहीं। फिर पतित का जीवते हुवे ही श्रुतकवत् आहु आशीचादि सब व्यर्थ हैं। पतित के साथ सब प्रकार के सम्बन्ध छोड़ देना पूर्व कह ही आये। इस के दायभाग का निषेध दायभाग प्रकरण में कर आये। यहां प्रायश्चित्तमात्र का प्रकरण है। आशीच और दायभाग का वर्णन यहां प्रकरण विरुद्ध भी है) ॥१८८॥

एनस्त्रिभिरनिर्णिक्तैर्नार्थं किञ्चित्सहाचरेत् । कृतनिर्णजनांश्चैव
न जुगुप्सेत् कर्हिचित् ॥१८९॥ बालघ्नांश्च कृतघ्नांश्च विधुङ्क्षानपि
धर्मतः । शरणागतहन्तंश्च स्त्रीहन्तुंश्च न संवसेत् ॥ १९० ॥

अर्थ-विना प्रायश्चित्त किये हुवे पाप करने वालों के साथ कुछ भी व्यवहार न करे और प्रायश्चित्त किये हुवों की कमी निन्दा न करे ॥१८९॥ परलु घातक को मारने वाले और किये उपकार को दूर करने वाले तथा शरण आये को और स्त्री को मारने वाले के साथ धर्म से गुदु होते पर भी न रहे ॥१९०॥

येषां द्विजानां सावित्रीनानुच्येत यथाविधि तांश्चारयित्वा त्रीन्
कृच्छ्रान्यथाविधुपनाययेत् १९१ प्रायश्चित्तं चिकीर्षन्ति विकर्म
स्थास्तु ये द्विजाः । ब्रह्मणा च परित्यक्ता स्तेषामप्येतदादिशत् १९२

अर्थ-जिन द्विजातिधों का उक्तकाल में यथा शास्त्र गायत्री उपदेश और उपनयन न किया गया हो उनका तीन कच्छ्रत कराकर यथाशास्त्र उपनयन करे ॥१९१॥ विरुद्ध कर्म करने वाले और वेद को न पढ़े हुवे द्विज प्रायश्चित्त करना चाहें तो उन को भी यह तीन कच्छ्र का प्रायश्चित्त दतावे ॥ १९२ ॥

यद्गर्हितेनार्जयन्ति कर्मणा ब्राह्मणा धनमात्स्योत्सर्गेण शुद्ध्यन्ति
जपेन तपसैव च ॥१९३॥ जपित्वा त्रीणि सावित्र्याः सहस्राणि
समाहिताः । मासंगोष्ठे पयः पीत्वा मुच्यतेऽस्तप्रतिग्रहात् ॥१९४॥

अर्थ-जो ब्राह्मण निन्दितकर्म करके धन कमाते हैं वे उचके छोड़ने और जप तप से शुद्ध होते हैं ॥ १९३ ॥ एकायचित्त हुवा तीन सहस्र गायत्री का जप कर गोष्ठ में एक महीने भर दुग्धाहार करके बुरे दान लेने के पाप से छूटता है ॥ १९४ ॥

उपवासकृशतंतुशो ब्रजात्पुनरागतम् । प्रणतं प्रतिपृच्छेयुः साम्यं
सौम्येच्छसीति किम् ॥१९५॥ सत्यमुक्त्वा तु विभेषु विकिरेद्यवसं
गवाम् । गोभिः प्रभर्तिते तीर्थे कुर्युस्तस्य परिग्रहम् ॥१९६॥

अर्थ-उस उपवास से कश हुवे और गोष्ठ से आये तथा नम्र हुवे को (ब्राह्मण) पूछे कि सौम्य ! क्या तू हम लोगों के बराबर होना चाहता है ? ॥१९५॥ ब्राह्मणों के आगे ठीकर फड़ कर गायीं को घ्रास देवे । गायों के पवित्र

किये तीर्थ में वे (ब्राह्मण) उस का समान व्यवहार आरम्भ करें ॥ १९६ ॥
 ब्राह्मणानां याजनं कृत्वा परेषामन्त्यकर्मचाप्रभिचारमहीनं च
 त्रिभिः कृच्छ्रैर्व्यपोहति ॥ १९७ ॥ शरणागतं परित्यज्य वेदं
 विप्लाव्य च द्विजः । संवत्सरं यवाहारस्तत्पापमपसेधति ॥ १९८ ॥

अर्थ—(पूर्वोक्त) ब्राह्मणों को यज्ञ कराने और दूसरों को अन्त्येष्टि कराने तथा अहीन अभिचार कराने पर ३ कृच्छ्रों से शुद्ध होता है ॥ १९७ ॥ शरणागते को परित्याग करके और पढ़ाने के अयोग्य को वेद पढ़ा कर उस से तत्पन्न हुये पाप को एक वर्ष तक जी का आहार करने वाला दूर करता है ॥ १९८ ॥

श्वश्रुगालखरैर्दृष्टो ग्राम्यैः क्रव्याद्विरेव च ।

नराश्वोष्ठवराहैश्च प्राणायामेन शुद्ध्यति ॥ १९९ ॥

अर्थ—कुत्ता, सियार, खर, मनुष्य, घोड़ा, ऊँट, सूकर वा अन्य ग्राम-वासी मांसाहारियों से काटा हुआ मनुष्य प्राणायाम से शुद्ध होता है ॥

(१९९वें से आने एक पुस्तक में यह श्लोक अधिक है:—

[शुना घ्रातोपलीढस्य दन्तैर्विदलितस्य च ।

अद्विःप्रक्षालनं प्रोक्तमग्निना चोपचूलनम्] ॥

अर्थात् जो वस्तु कुत्ते ने सूधी चाटी वा दांतों से खावी हो, उस का पानी से धोना और अग्नि से पकाना कहा है) ॥ १९९ ॥

पष्टान्नकालता मासं संहिताजपएव वा ।

हामाश्रु सकलो नित्यमपाङ्क्त्यानां विशोधनम् ॥ २०० ॥

अर्थ—पंक्तिरहितों का विशेष करके शोधन यह कहा है कि तीन दिन उपवास करके एक मास तक सायङ्काल में भोजन करना और वेदसंहिता का पाठ और सम्पूर्ण होमों को करना (आठ पुस्तकों में—सकला=शाकला पाठ भेद है) ॥ २०० ॥

उष्ट्रयानं समारुह्य खरयानंतुकामतः । स्नात्वा तु विप्रो दिग्वासाः
 प्राणायामेन शुद्ध्यति ॥ २०१ ॥ विनाद्विरप्सु वाप्यार्तः शारीरं
 सन्निवेश्य च । सचैलो बहिराप्लुत्य गामालभ्य विशुद्ध्यति ॥ २०२ ॥

अर्थ—कंठ तथा गधे की खवारी पर इच्छा से खड़ कर ब्राह्मण नग्न हो, स्नान करके प्राणायाम से शुद्ध होना है ॥ २०१ ॥ बिना जल से या जल में ही मल मूत्रादि करके चाहे रोगी भी हो, वस्त्र के सहित नगर से बाहर (नदी में) स्नान करके धीरे पृथ्वी की छूकर शुद्ध होता है ॥ २०२ ॥

वेदोदितानां नित्यानां कर्मणां समतिक्रमे । स्नातकव्रतलोपे च प्रायश्चित्तमभोजनम् ॥२०३॥ हुद्धारं ब्राह्मणस्योक्त्वात्वद्धारं च गरीयसः । स्नात्वाऽनश्नन्नहःशेषमभिवाद्य प्रसादयेत् ॥२०४॥

अर्थ—वेद में कहे हुए नित्यकर्म के छूटने और स्नातक ब्रह्मचारी के व्रत लोप में भोजन न करना प्रायश्चित्त कहा है ॥२०३॥ ब्राह्मण को " हुम् " ऐसा कह कर और बिद्यादि में बड़े को " तू " ऐसा कर स्नान करके सूखा रह, दिन भर हाथ जोड़ कर अभिवादन से प्रसन्न करे ॥ २०४ ॥

ताडयित्वा तृणेनापि कण्ठे वावध्य वाससा ।

विवादे वा विनिर्जित्य प्रणिपत्य प्रसादयेत् ॥२०५॥

“अवगूर्य त्वद्दशतं सहस्रमभिहत्य च ।

जिघांसया ब्राह्मणस्य नरकं प्रतिपद्यते ॥२०६॥

अर्थ—तृण से भी (ब्राह्मण) को मारकर वा गले में कपड़ा डाल कर तथा वफावाद में भीते ती हाथ जोड़ उभे प्रसन्न करे ॥ २०५ ॥ “ब्राह्मण को मारने की इच्छापूर्वक दण्ड उठाने से सौ वर्ष तक नरक को प्राप्त होता है और यदि दण्ड से मारे तो १००० वर्ष तक नरक में रहता है ॥ २०६ ॥

“ शोणितं यावतः पांसून्संगृह्णाति महीतले ।

तावन्त्ययद्दसहस्राणि तत्कर्त्ता नरके वसेत् ॥२०७॥”

“अर्थ—(मारे हुये ब्राह्मण का) रुधिर भूमि के जितने रत्नः कणों की भिगोता है उतने हजार वर्ष रुधिर निकालने वाला नरक में वास करता है ॥” (२०६ । २०७ भी प्रकरणविरुद्ध और अत्युक्त तथा पुनरुक्त भी हैं । यहां प्रायश्चित्तमात्र का प्रकरण है, सो २०८ वें में ब्राह्मण को दण्ड उठाने, मारने और रुधिर निकालने की प्रायश्चित्त कहे ही हैं, । फिर पूर्ववर्णित नरकादि गति की यहां दुबारा वर्णन करने की आवश्यकता कुछ भी नहीं है) ॥ २०७ ॥

अवगूर्य चरेत्कृच्छ्रमतिकृच्छ्रं निपातने ।

कृच्छ्रातिकृच्छ्रौ कुर्वीत विप्रस्योत्पाद्य शीणितम् ॥२०८॥

अर्थ—ब्राह्मण को मारने के लिये दण्ड उठाने से कृच्छ्र प्रायश्चित्त करे और दण्ड मारने से (आगे कहा) अतिकृच्छ्र और रुधिर निकल आवे तौ दोनों प्रायश्चित्त करे ॥ २०८ ॥

अनुक्तनिष्कृतीनां तु पापानामपनुत्तये । शक्तिं चावेक्ष्य पापं

अप्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत् २०९ वैरभ्युपायैरेनांसि स्नानवोढ्यपक-

र्षति । तान्वोऽभ्युपायान्वक्ष्यामि देवर्षि पितृसेवितान् ॥२१०॥

अर्थ—जिन पापों का प्रायश्चित्त नहीं कहा है उन पापों के दूर करने को शक्ति और पाप को देख कर प्रायश्चित्त की कल्पना करलेवे ॥ २०९ ॥ जिन उपायों से अनुष्ठय पापों को दूर करता है, उन देव, ऋषि, पितरों के किये हुबे उपायों को तुम से कहता हूँ ॥ २१० ॥

त्र्यहं प्रातस्त्र्यहं सायं त्र्यहमद्यादयाचितम् । त्र्यहं परंच नाश्नी-

यात्प्राजापत्यं चरन्द्भिजः ॥२११॥ गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः

कुशोदकम् । एकरात्रोपवासश्च कृच्छ्रं सान्तपनं स्मृतम् ॥२१२॥

अर्थ—प्राजापत्य कृच्छ्र से आचरण करने वाला द्विज तीन दिन प्रातः काल और तीन दिन सायंकाल भोजन करे और तीन दिन अयाचित अन्न का भोजन करे तथा परछे तीन दिन उपवास करे, (यह बारह दिन का एक " प्राजापत्य " व्रत होता है ॥ २११ ॥ गोमूत्र, गोबर, दुग्ध, दधि, घृत, और कुशा के पानी का एक दिन भक्षण करे और इन के पश्चात् एक दिन रात्रि का उपवास करे । इत्त को " सान्तपन कृच्छ्र " कहा है ॥ २१२ ॥

एकैकं प्रासमश्नीयात्त्र्यहाणि त्रीणि पूर्ववत् । त्र्यहंचोपवसे

दन्त्य मतिकृच्छ्रं चरन्द्भिजः ॥२१३॥ तप्तकृच्छ्रं चरन्विप्रोजलक्षीर

घृतानिलान् । प्रतित्र्यहंपिबेदुष्णान्सकृत्स्नायीसमाहितः ॥२१४॥

अर्थ—(कृच्छ्रजन " अतिकृच्छ्र " आचरण करने वाला ३ सायं, ३ प्रातः, ३ अयाचित; इन ९ दिन से एक एक घात भोजन करे और अन्त के ३ दिन

उपवास करे ॥२१३॥ "तप्तकच्छु" का आचरण करने वाला द्विज, स्थिरचित्त हुवा एक बार स्नान करके तीन दिन उष्ण जल पीवे और तीन दिन उष्ण दूध, इसी प्रकार तीन दिन उष्ण घृत और ३ दिन उष्ण वायु पावे ॥२१४॥

(२१४ से आगे एक पुस्तक में यह श्लोक अधिक है:-

[अपां पिबेत्त्रिपलं त्रिमात्रं चात्कमानतः ।

पयः पिबेत्तु त्रिपलं त्रिमात्रं चात्कमानतः]

जल ३ पल, घृत १ पल, दूध ३ पल; उक्त ममास से ३ मात्रा [उक्त २ दिन में उक्त २ वस्तु की] पिया करे) ॥

यत्तात्मनोऽप्रमत्तस्य द्वादशाहमभोजनम् । पराकीनामकृच्छ्रद्वीयं
सर्वपापपनीदनः ॥२१५॥ एकैकं हासयेत्पिण्डं कृण्वे शुक्ले
च वर्धयेत् । उपस्पृशाल्लिखेवणमेतच्चान्द्रायणं स्मृतम् ॥२१६॥

अर्थ-स्वस्थ और स्वाधीन चित्त वाले का बारह दिन भोजन न करना " पराक " नाम कृच्छ्र, सब पाप दूर करता है ॥ २१५ ॥ तीन कास स्नान करता हुआ कण्ठपत्र में एक एक पिण्ड=ग्रास को घटावे और शूलपत्र में एक एक बढ़ावे । इस व्रत को " चान्द्रायण " कहा है ॥ २१६ ॥

एतमेवविधिंकृत्स्नमाचरेद्यवमध्यमे । शुक्लपक्षादिनियतश्वरं-
श्चान्द्रायणव्रतम् ॥२१७॥ अष्टावष्टौसप्तश्रीयात्पिण्डान्मध्यन्दिने
स्थिते । नियतात्मा हविष्याशी यतिचान्द्रायणं चरन् ॥२१८॥

अर्थ-इसी पिण्ड=ग्रास के घटाने बढ़ाने और त्रिकालस्नानात्मक " *यव मध्याख्य चान्द्रायण" को शुक्ल पक्ष के अरम्भ करके मितेन्द्रिय होकर करे ॥२१७॥ जितेन्द्रिय, वहिष्य अन्न का भोजन करने वाला " यतिचान्द्रायण " व्रत का आचरण करता हुआ मध्यह्न में आठ २ पिण्ड=ग्रास भोजन करे ॥ २१८ ॥

चतुरःप्रातरश्रीप्रात्पिण्डान्विम्रःसमाहितः चतुरोऽस्तमितेसूर्ये

*यवमध्याख्य=जिस चान्द्रायण में जैसे " यव " बीज में मोटा और किमारी पर पहला होता है, तद्वत् शुक्लपक्ष में आरम्भ करने के कारण ग्रास वृद्धि करके फिर कण्ठपत्र में ग्रास घटाने से बिज के ग्रासों का भोजन यव-मध्य के समान मोटा हो जाता है ॥

शिशुचान्द्रायणं स्मृतम् ॥२१९॥ यथाकथञ्चित्पिण्डानां तिस्रो
ऽशीतीः समाहितः। मासेनाश्वन्हविष्यस्य चन्द्रस्यैतिसलोकताम्

अर्थ-विष्वक् प्रातःकाल चार घास और चार सायङ्काल में भक्षण करे। इस को "शिशुचान्द्रायण" कहते हैं ॥२१९॥ स्वस्थ हुवा जैसे बने वैसे हविष्य अन्न के १ महीने में तीन अरुषी $६ \times ८० = ४८०$ दो सौ चालीस घास भोजन करने वाला चन्द्रलोक को प्राप्त होता है ॥ २२० ॥

एतद्ब्रह्मस्तथादित्यावसवश्चाचरन्ब्रह्मम्। सर्वाऽकुशलमोक्षाय
मरुतश्च महर्षिभिः ॥ २२१ ॥ महाव्याहृतिभिर्हीमः कर्त्तव्यः
स्वयमन्वहम्। अहिंसा सत्यमक्रोधमार्जवं च समाचरेत् ॥२२२॥

अर्थ-इस "चान्द्रायण" व्रत को रुद्र आदित्य वसु मरुत इन संज्ञा वाले विद्वाने महर्षियों के साथ सम्पूर्ण पाप के नाशार्थ किया है (२२० । २२१ भी अनावश्यक और अत्युक्त तथा भिन्न शैली के जान पड़ते हैं) ॥ २२१ ॥ (व्रती) आप नित्य महाव्याहृतियों से होम करे तथा अहिंसा सत्य अक्रोध और सरलता का आचरण करे ॥ २२२ ॥

त्रिरहस्त्रिर्निशायांचसवासाजलमाविशेत्। स्त्रीशूद्रपतितांश्चैव
नाभिभाषेत कर्हिचित् ॥२२३॥ स्थानासनाभ्यां विहरेद्दशक्ताऽधः
शशीत वा। ब्रह्मचारी व्रती च स्याद्गुरुदेवद्विजार्चकः ॥२२४॥

अर्थ-दिन में ३ वार और रात्रि में ३ वार सचैल गोता लगाकर स्नान करे तथा स्त्री, शूद्र और पतितों के साथ कभी न बोले ॥२२३॥ स्थान और आसन पर उठा बैठा करे और यदि अशक्त होवे तो भूमि पर नीचे सोवे। व्रती ब्रह्मचर्य को धारण करने वाला तथा गुरु देव द्विज का पूजन करने वाला ही ॥२२४॥

सावित्रीं च जपेन्नित्यंपवित्राणि च शक्तितः। सर्वेष्वेव व्रतेष्वेव
प्रायश्चित्तार्थमाहुतः ॥२२५॥ एतैर्द्विजातयः शोधया व्रतैरावि-
ष्कृतैः सः। अनाविष्कृतपापांस्तु मन्त्रैर्हीमैश्च शोधयेत् ॥२२६॥

अर्थ-यथाशक्ति नित्य गायत्री और अन्य पवित्र मन्त्रों को जपे, सम्पूर्ण व्रतों में इसी प्रकार प्रायश्चित्त के लिये अहुत से अनुष्ठान करे ॥२२५॥ लोक

विदित पाप वाळे द्विजाति इन व्रतों से शोधने योग्य हैं और गुप्तपाप वालों की मन्त्रों और होमों से शुद्ध करे ॥ २२६ ॥

ख्यापनेनानुतापेनतपसाऽध्ययनेनच । पापकृन्मुच्यते पापा-
त्तथा दानेन चापदि ॥ २२७ ॥ यथायथानरोऽधर्मं स्वयंकृत्वाऽनु-
भाषते । तथा तथा त्वचेवाहिस्तेनाऽधर्मेण मुच्यते ॥ २२८ ॥

अर्थ—पाप करने वाला पाप को प्रकाश करने और पश्चात्ताप करने तथा तप और अध्ययन करने से और यदि इन में असमर्थ हो तो दान करने से पाप से छूटता है ॥ २२७ ॥ मनुष्य जैसे जैसे अधर्म करके उसे कहता है, वैसे वैसे उस अधर्म से छूटता है । जैसे साँप कांचली से ॥ २२८ ॥

यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कर्म गर्हति । तथा तथाशरीरं त-
त्तेनाऽधर्मेणमुच्यते ॥ २२९ ॥ कृत्वा पापं हि संतप्य तस्मात्पापात्
प्रमुच्यते । नैवं कुर्यां पुनरिति निवृत्त्या पूयते तु सः ॥ २३० ॥

अर्थ—जैसे जैसे उस का मन दुष्कृत कर्म को निन्दा करता है, वैसे वैसे वह शरीर उस अधर्म से छूटता है ॥ २२९ ॥ पाप करने के पश्चात् सन्तापयुक्त होने से उस पाप से बचता है और “ फिर ऐसा न करूँ ” इव प्रकार कह कर निवृत्त होने से वह पवित्र होता है ॥ २३० ॥

एवंसंचिन्त्यमनसाप्रेत्यकर्मफलोदयम् । मनोवाङ्मूर्त्तिभिर्नित्यं
शुभं कर्म समाचरेत् ॥ २३१ ॥ अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात्कृत्वाकर्म
विगर्हितं तस्माद्भिमुक्तिमन्विच्छन् द्वितीयं न समाचरेत् ॥ २३२ ॥

अर्थ—इस प्रकार मन पर परलोक में कर्म के फलोदय की विचार कर मन वाणी शरीर से नित्य शुभ कर्म करे ॥ २३१ ॥ समझे वा बिना समझे अशुभ कर्म करके उस से छूटने की इच्छा करने वाला फिर उस को दूसरी बार न करे ॥ २३२ ॥

यस्मिन्कर्मण्यस्यकृते मनसःस्थादऽलाघवम् । तस्मिंस्तावत्तपः
कुर्याद्यावत्तुष्टिकरं भवेत् ॥ २३३ ॥ तपोमूलमिदं सर्वं दैवमानुषकं
सुखम् । तपोमध्यं युधैः प्रोक्तं तपोऽन्तं वेददर्शिभिः ॥ २३४ ॥

अर्थ—इस (पाप करने वाले) के मन का जिस कर्म के करने में शारी-
पन हो उस में इतना प्रायश्चित्त करे जितने से इस को तुष्टि करने वाला
हो जावे ॥२३३॥ इस सब देव सन्तुष्टों के सुख का आदि, मध्य और अन्त
वेद के जानने वाले ऋषिओं ने तप को ही कहा है ॥ २३४ ॥

ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः क्षत्रस्य रक्षणम् । वैश्यस्य तु तपो वार्ता
तपः शूद्रस्य सेवनम् ॥२३५॥ ऋषयः संयतात्मानः फलमूलानि-
लाशनाः । तपसैव प्रपश्यन्ति त्रैलोक्यसञ्चराच्चरम् ॥२३६॥

अर्थ—ब्राह्मण का वेदशास्त्र जानना, क्षत्रिय का रक्षा करना, वैश्य का
व्यापार करना और शूद्र का सेवा करना तप है ॥२३५॥ इन्द्रियों को जीतने
वाले और कन्द मूल फल के भोजन करने वाले ऋषि संपूर्ण तीनों लोकों
के चर तथा अचर को तप ही से देखते हैं ॥ २३६ ॥

औषधान्यगदो विद्यादिवी च विविधा स्थितिः । तपसैव प्रसि-
द्वन्ति तपस्तेषां हि साधनम् ॥२३७॥ यद्दुःखं यद्दुःखं यद्दुःखं यद्दुःखं
यद्दुःखं यद्दुःखं । सर्वं तु तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम् ॥२३८॥

अर्थ—औषध, आरोग्य, विद्या और नाना प्रकार की देवतों की स्थिति
सब तप ही से प्राप्त होती हैं क्योंकि उन का साधन तप ही है ॥२३७॥ जो
दुःख है और दुःख से पाने योग्य है, जहाँ दुःख से जाया जाता है और
जो दुःख से किया जाता है, वह सब तप से सधने योग्य है क्योंकि तप
दुर्लभ है ॥ २३८ ॥

महापातकिनश्चैव शेषाश्चाऽकार्यकारिणः । तपसैव सुतप्तेन
सुच्यन्ते किल्बिषान्ततः ॥२३९॥ कीटाश्चाऽहिपतङ्गाश्च पशवश्च
व्यांश्चिच्छास्त्रावराणि च भूतानि दिव्यान्ति तपो बलत् २४०

अर्थ—महापातकी और शेष उग्रपातक वाले, उक्त प्रकार से तप ही के
अनुष्ठान करने से उस पाप से छूटते हैं ॥ २३९ ॥ कीड़े, साँप, पतङ्ग, पशु,
पक्षी और वृक्ष लता इत्यादि सब तप के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त होते हैं
(वह पदार्थों का तप और स्वर्गति विन्त्य है) ॥ २४० ॥

यत्किञ्चिदेनः कुर्वन्ति मनोवाङ्मूर्तिभिर्जनाः । तत्सर्वं निर्दह-

न्त्याशुतपसैव तपोधनाः ॥२४१॥ तपसैव विशुद्धस्य ब्राह्मणस्य
दिवीकसः। इज्याश्च प्रतिगृह्णन्ति कामान्संवर्धयन्ति च ॥२४२॥

अर्थ—मनुष्य, मन, वाणी, काय से जो कुछ पाप करते हैं, उन सब को तप करने वाले तप से ही जलाते हैं ॥२४१॥ तप करने से शुद्ध हुवे ब्राह्मण के यज्ञ में देवता आहुति को ग्रहण करते और उनके मनोवाञ्छित फलों की वृद्धि करते हैं ॥ २४२ ॥

“प्रजापतिरिदं शास्त्रं तपसैवासृजन्प्रः ।

तथैव वेदानुषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ २४३ ॥”

“अर्थ—प्रजापति ने तप ही से इस शास्त्र को बनाया। वसी प्रकार ऋषियों ने तप ही से वेदों को पाया ॥”

(२४३ वां श्लोक तो स्पष्ट ही मनु से भिन्न पुरुष का वचन है। परन्तु इसी से यह भी प्रतीत होता है कि कदाचित्त यह तप का सब ही व्याख्यामन्यकृत ही। क्योंकि मनु की शैली यह नहीं देखी जाती कि वह एक बात का इतना बड़ा गीत बढ़ावे। जो हो, परन्तु नन्दन टीकाकार ने, “शास्त्रं=सर्वम्” माना है। तदनुसार तो यह श्लोक मनुप्रोक्त ही है। परन्तु नन्दन ने भी लिखा है कि (इदं शास्त्रमिति च पठन्ति) इस से जान पड़ता है कि नन्दन के समय में भी “शास्त्रम्” पाठ चल गया था) ॥ २४३ ॥

इत्येतत्तपसो देवा महाभाग्यं प्रचक्षते ।

सर्वस्यास्य प्रपश्यन्तस्तपसः पुण्यमुत्तमम् ॥२४४॥

अर्थ—इस सम्पूर्ण तप के उत्तम पुण्य को इस प्रकार देखते हुवे देवता लोग यह तप का माहात्म्य कहते हैं ॥

(२४४ से आने दो पुस्तकों में यह श्लोक अधिक पाया जाता है और इस पर रामचन्द्र ने टीका भी की है:—

[ब्रह्मचर्यं जपो होम काले शुद्धाल्पभोजनम् ।

अरागद्वेषलोभाश्च तप उक्तं स्वयंभुवा] ॥

ब्रह्मचर्य, जप, होम, समय पर शुद्ध थोड़ा भोजन, रागद्वेषलोभों का त्यागना, यह ब्रह्मा ने तप कहा है) ॥ २४४ ॥

वेदाभ्यासोऽन्वहंशक्त्यामहायज्ञक्रिया क्षमा । नाशयन्त्याशु
पापानिमहापातकजान्यपिरुभ्यथैधस्तेजसांबहिःप्राप्तनिर्द-
हतिक्षणात् । तथाज्ञानाग्निना पापं सर्वं दहतिवेदवित् ॥२४६॥

अर्थ—प्रतिदिन यथाशक्ति वेद का अध्ययन और पञ्चमहायज्ञों का अनु-
ष्ठान करना तथा अपराधको सहन करना; ये महापातकों के भी (कुसंस्कार-
रूप) पापों का शीघ्र नाश करते हैं ॥ २४५ ॥ जैसे अग्नि तेज से पाप के
इन्धन को क्षण में सबथा जला देता है, वैसे ही वेद का जानने वाला
ज्ञानाग्नि से सम्पूर्ण (कुसंस्काररूपी) पापों को जला देता है ॥ २४६ ॥

“इत्येतदेनसामुक्तं प्रायश्चित्तं यथाविधि । अत ऊर्ध्वं रहस्यानां
प्रायश्चित्तं निबोधत ॥२४७॥ सव्याहृतिप्रणवकाः प्राणायामास्तु
षोडश । अपि भ्रूणहणं मासात्पुनन्त्यहरहः कृताः ॥२४८॥”

अर्थ—इस प्रकार ये पापों के प्रायश्चित्त यथाविधि कहे । अब अप्रकाश
(छुपे) पापों का प्रायश्चित्त सुनो ॥२४७॥ प्रणव और व्याहृति के साथ प्रति
दिन किये हुवे सोलह प्रणायाम महीने भर में भ्रूणहत्या वाले को भी पवित्र
कर देते हैं” । (२४७ से २५१ तक ५ श्लोक भी प्रतिपन्न जान पड़ते हैं क्योंकि
२४७ वें में जो कहा है कि यह प्रत्यक्ष पापों का प्रायश्चित्त कहा । अब छुपों का
प्रायश्चित्त सुनों । प्रथम तो प्रायश्चित्त छिपाने पर होता नहीं । प्रत्युत
छिपाना भी एक और पाप है और पूर्व कह आये हैं कि पाप का स्वीकार
करके प्रकट करना भी एक प्रकार से प्रायश्चित्त है । दूसरे यह प्रतिज्ञा-
वाक्य सब पुस्तकों में पुराने समय में न था क्योंकि कुल्लूक टीकाकार
कहते हैं कि “यह श्लोक गोविन्दराम टीकाकार ने नहीं लिखा परन्तु
मेधातिथि ने लिखा है” तथा राघवानन्द टीकाकार ने इस का पूर्वार्थ इस
प्रकार लिखा है कि “इत्येषोऽभिहितः कृत्स्नः प्रायश्चित्तस्य बोधविधिः”
यदि यह पाठ ठीक मानें तो प्रायश्चित्तों की समाप्ति यहीं हो जानी
चाहिये तथा छिपे पाप का गुरुतर=बड़ा भारी प्रायश्चित्त होना चाहिये ।
यहां २५१ में तो गुरुस्त्रीगहन के शरीरत्यागरूप प्रायश्चित्त के स्थान में कुछ
श्रवाओं, मन्त्रों और सूक्तों का पाठमात्र ही विधान किया है । इत्यादि
हेतुओं से २५१ तक कल्पना प्रतीत होती है) ॥ २४८ ॥

“कौत्सं जपत्वाप इत्येतद्वासिष्ठं च प्रतीत्युचमामाहित्रं शुद्धव-
त्यश्च सुरापोऽपि विशुद्धमिति ॥२४९॥ सकृज्जपत्वास्य वामीयं शिव
सङ्कल्पमेव च । अपहृत्य सुवर्णं तु क्षणाद्भवति निर्मलः ॥२५०॥”

“अर्थ—कुत्स ऋषि वाला “अप नः शो शुचदधम्” ८ ऋचा ऋग्वेदस्य १।
९७ सूक्त और वसिष्ठ ऋषि वाली प्रतिस्तोत्रेभिरुषसं वसिष्ठ०” इत्यादि ७।
८०। १ ऋचा “महित्रीणामवोस्तु०” इत्यादि १०। १८५। १ और ‘एतुन्विन्द्र
सवाम शुद्धं शुद्धेन०’ इत्यादि ८। ९५। ७ शुद्धवती ऋचाओं का जप करके
सुरापान करने वाला भी सुद्ध हो जाता है (दो पुस्तकों में—माहित्रं=माहेन्द्रम्
पाठ है) ॥२४९॥ सोना चुराकर एक बार प्रतिदिन “अस्य वामीयं=जिस में
‘अस्यवामो’ शब्द है (मती छः सूक्तसञ्ज्ञीः । अष्टा० ५। २। ५९) उस “अस्य
वामस्य पलितस्य होतुः० इत्यादि १। १६५। १-५२ ऋचा के सूक्त को पढ़ कर
वा “शिवसङ्कल्प०” (यजुः ३४। १-६ इस सूक्त को पढ़ कर क्षण भर में निर्मल
हो जाता है ॥ २५०॥”

“हविष्यन्तीयमभ्यस्य न तमंहइतीति च ।

जपित्वा पौरुषं सूक्तं मुच्यते गुरुतल्पगः ॥२५१॥”

एनसां स्थूलसूक्ष्माणां चिकीर्षन्नपनोदनम् ।

अवेत्युचं जपेदब्दं यत्किञ्चेदमितीति वा ॥ २५२ ॥

“अर्थ—हविष्यान्तमजरं स्वर्षिदि० ऋ० १८। ८८ इस ११ ऋचा के सूक्त को
और “न तमंहोन दुरितम् ० २। २३। ५ अथवा १०। १२६। १ और “इति
वा इति मे मनः” १०। ११९। १ इव को तथा “सहस्रशीर्षा०” इत्यादि १०
९०। १-१६ ऋचाओं के सूक्तको पढ़कर गुरुस्त्रीगमन का पाप छूट जाता है ॥२५१॥
छोटे बड़े पापों का प्रायश्चित्त करने की इच्छावाला मनुष्य “अव ते
हेठ वत्स नमोमिः” इत्यादि १। २४। १४ ऋचा को अथवा “यत्किञ्चेदं
वत्स दैवमे जने०” इत्यादि ७। ८९। ५ ऋचा को एक वर्ष तक जपे ॥२५२॥

प्रतिगृह्याप्रतिग्राह्यं मुक्त्वा चान्नं विगर्हितम् । जपंस्तेरत्समन्दीयं
पूयते मानवस्त्रयहात् ॥२५३॥ सौमारौद्रं तु बहुना मासमभ्यस्य
शुद्धमिति । स्ववन्त्यामाचरन्स्नानमर्यङ्गामिति चतुचम् ॥२५४॥

अर्थ—प्रतिग्रह के अयोग्य का प्रतिग्रह लेकर और निन्दित अन्न भोजन करके “तरतश्च मन्दी धावति” यह जिन में आता है उन पवनान देवता की ऋ० ९।५८ १-४ ऋचाओं की तीन दिन पहने से मनुष्य पवित्र होता है ॥२५३॥ “सोमालद्रा धारये प्राः० ऋ० ६।१४।१-४ सूक्त और” अर्यन्नामिति—“ [“अर्यन्नामिति वरुणं मित्रं” ऋ०।४।२।४] (ठीक ‘अर्यन्नाम्’ प्रतीक वाला ३ ऋचा का कोई सूक्त नहीं मिलता) इन ३ ऋचाओं का एक एक मास अस्यान्न करने से नदी में स्नान करता हुआ बहुत पापों वाला शुद्ध हो जाता है ॥२५४॥

अब्दार्थमिन्द्रमित्येतदेनस्वीसप्तकं जपेत्। अप्रशस्तं तु कृत्वा प्सु
मासमासीत् भैक्षभुक् ॥२५५॥ मन्त्रैः शाकलहोमीधैरवहं हुत्वा
घृतं द्विजः। सुगुर्वप्यपहन्त्येनो जप्त्वावानमहृत्य चम् ॥२५६॥

अर्थ—पापी पुरुष छः मास तक “इन्द्रं मित्रं वरुणमग्नि भूतये” ऋ० १।१०६।१-९ इत्यादि ७ ऋचा का जप करे और जिसने जल में कोई न करने का काम किया हो, वह एक मास तक भिक्षा भोजन से निर्वाह करे ॥२५५॥ (३ पुस्तकों में अप्रशस्तम् = अप्रकाशम् पाठ है) “देवकृतस्यैव सोऽवयजनमसि०” यजुः ८।१३ इत्यादि ८ मन्त्र कात्यायन श्रौत सूत्र १०।८।६ के अनुसार शाकल होनीय कहाते हैं। इन का पाठ करके हवन करने वाला वा “नमः कपदिने०” इत्यादि यजुः १६।२९ (वा “नम आशवे० यजुः १६।२९ इत्यादि वा “नमो मित्रस्य वरुणस्य०” इत्यादि ऋ० १०।३३।१) ऋचा को जप कर एक वर्ष में बड़े पाप को भी नष्ट कर देता है ॥२५६॥

महापातकसंयुक्तोऽनुगच्छेद्दुगाः समाहितः। अभ्यस्यावदं पाव-
मानिर्भैक्षाहारी विशुद्धति ॥२५७॥ अरण्ये वा त्रिरभ्यस्य प्रयतो
वेदसंहिताम्। मुच्यते पातकैः सर्वैः पराकैः शोधितस्त्रिभिः २५८

अर्थ—बड़े २ पातकों से युक्त हुआ जितेन्द्रिय होकर गायों को चरावे और पावमाना = पवमान देवता की (ऋ० ९।१।१ से ९।१४।४ तक अर्थात् ९ वर्ष मण्डल की समस्त) ऋचाओं को एक वर्ष पर्यन्त पढ़ कर भिक्षा-भोजन करे तब शुद्ध होता है (दो पुस्तकों में महापातक के स्थान में उप-पातक पाठ है, वही ठीक भी जान प्रडता है ॥२५७॥ पूर्वोक्त तीन पराकों से पवित्र हुवा और बाह्य अभ्यन्तर शौचयुक्त होकर वन में वेदसंहिता मात्र को पढ़ कर संपूर्ण पातकों से छूट जाता है ॥२५८॥

अपहं तूपवसेद्युक्तस्त्रिरहोऽभ्युपयन्नापः। मुच्यते पातकैः सर्वै-
स्त्रिर्जपित्वाऽघमर्षणम् ॥२५९॥ यथाश्वमेधः क्रतुरात् सर्वपापा-
ऽपनोदनः। तथाऽघमर्षणं सूक्तं सर्वपापापनोदनम् ॥ २६० ॥

अर्थ-संयत होकर त्रिरात्र उपवास करे और प्रतिदिन त्रिकाण्ड स्नान करता रहे। जल में खड़ा हुआ-“ऋचं च सत्यं” ऋ० १०। १००। १-३ इस अघमर्षण सूक्त को त्रिरावृत्ति पढ़ कर सब पापों से बच जाता है ॥२५९॥ जैसे अश्वमेध यज्ञ सब यज्ञों में श्रेष्ठ और सब पापों को दूर करने वाला है, वैसे ही सब पापों को दूर करने वाला यह अघमर्षण सूक्त है ॥ २६० ॥

हत्वा लोकानपीमांस्त्रीनश्नन्नापियतस्ततः। ऋग्वेदं धारयन्विप्रो
नैनः प्राप्नोति किञ्चनः ॥२६१॥ ऋक्संहितां त्रिरभ्यस्य यजुषां वा
समाहितः। साम्ना वा सरहस्यानां सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥२६२॥

अर्थ-एक तीन लोकों को मारकर और जहां तहां के भी अन्न को भोजन करता हुआ ऋग्वेद को धारण करने वाला विप्र कुछ पाप को नहीं प्राप्त होता (यह ऋग्वेदधारण की अत्युक्ति से प्रशंसा मात्र है। यथार्थ नहीं मानपड़ती। असम्भव सो भी है) ॥२६१॥ ऋक्संहिता वा यजुःसंहिता अथवा सामसंहिता की ब्राह्मणोपनिषदादिग्रहित समाहितपित्रां हाकर तीन आवृत्ति करने से सब पापों से बच जाता है ॥ २६२ ॥

यथामहाहृदं प्राप्य क्षिप्रं लोष्टं विनश्यति। तथा दुष्परितं सर्व
वेदे त्रिवृत्ति मज्जति ॥२६३॥ ऋचायजूषि चान्यानि सामानि
विषिधानि च। उपज्ञेयस्त्रिवृद्धेदो यो वेदैनं स वेदवित् ॥२६४॥

अर्थ-जैसे बड़ी नदी में डाला हुआ तैला गल जाता है, वैसे सबपूर्व पाप त्रिरावृत्ति वेद में डूब जाता है (यह भी वेदों की प्रशंसा है) ॥२६३॥ ऋग्यजुः और साम के नाना प्रकार के मन्त्र, यह त्रिवृद्धेद जानने के योग्य हैं। जो इस की जानता है, वह वेदवित् है ॥ २६४ ॥

आद्यां यत्त्रयक्षरं ब्रह्म त्रयोयस्मिन्प्रतिष्ठिताः ।

स गुह्योऽन्यस्त्रिवृद्धेदोयस्तं वेदं स वेदवित् ॥ २६५ ॥

—=०*०=—

इति मानवे धर्मशास्त्रे (भृगुप्रोक्तायां संहितायाम्)

एकादशोऽध्यायः

॥ ११ ॥

अर्थ—सब वेदों का जो प्राथमिक तीन अक्षरयुक्त ओंकाररूप वेद है, जिसमें तीनों वेद स्थित हैं, वह दूसरा त्रिवृद्धेद ओंकार गुप्त (बीजरूप) है। जो इस के स्वरूपार्थ (परमात्मा) को जानता है, वह वेदवित् है ॥

(तीन प्राचीन पुस्तकों में और राघवानन्द के भाष्य में नीचे लिखा श्लोक अधिक मिलता है, जिसकी आवश्यकता भी है क्योंकि उपसंहार करना उचित भी था, जैसा कि मनु की शैली है। तदनुसार इस श्लोक में पूर्वाध्याय के विषय का उपसंहार और अगले अध्याय के विषय का प्रस्ताव है। अनुमान है कि १२ द्वादशाध्याय के धारम्भ के दो प्रक्षिप्त श्लोकों को बढ़ाने वाले ने यह श्लोक मनुसंहिता को भृगुसंहिता बनाने के लिये निकाल दिया है। वह यह है—

[एष वोभिहितः कृत्स्नः प्रायश्चित्तस्य निर्णयः ।

निश्रेयसं धर्मविधिं विप्रस्थेमं निबोधत]

यह तुम से समस्त प्रायश्चित्त का निर्णय कह दिया। अब ब्राह्मण के इस श्लोकधर्मविधान को सुनो ॥ तथा इसी से आगे दो पुस्तकों में अर्ध श्लोक यह अधिक पाया जाता है—

[पृथग्ब्राह्मणकल्पाभ्यां स हि वेदस्त्रिवृत्स्मृतः ।

यह ब्राह्मणग्रन्थों और कल्पग्रन्थों से पृथक् "त्रिवत्" वेद कहा गया है) ॥ २६५ ॥

—=०*०=—

इति श्री तुलसीरामस्वामिविरचिते मनुभाषानुवादे

एकादशोऽध्यायः

॥ ११ ॥

अथ द्वादशोऽध्यायः

“चातुर्वस्यस्य कृत्स्नोऽयमुक्तो धर्मस्त्वयाऽनघ। कर्मणां फलनिर्मु-
क्तिं शंस नरतत्त्वतः पराम् ॥१॥ स तानुवाच धर्मात्मा महर्षिन्
मानवीभृगुः। अस्य सर्वस्य शृणुत कर्मयोगस्य निर्णयम् ॥२॥”

“अर्थ है पापरहित। तुमने चारों वर्णों का यह सम्पूर्ण धर्म कहा। अब
कर्मों की शुभाऽशुभ परमार्थरूप फलप्राप्ति हम से कहिये (इस प्रकार महर्षि
लोगों ने भृगु जी से पूछा) ॥१॥ वह धर्मात्मा मनु के पुत्र भृगु उन महर्षियों
से बोले कि इस संपूर्ण कर्मयोग के निश्चय को सुनिये ॥ २ ॥

(स्पष्ट है कि इन १।२ श्लोकों का कर्ता न मनु है, न भृगु। किन्तु
कोई ग्रन्थ का सम्पादक वा संग्राहक कहता है, जिस ने इस धर्मशास्त्र में
भृगु का ऋषियों से संवाद मान रक्खा है) ॥ २ ॥

शुभाऽशुभफलं कर्म मनोवाग्देहसंभवम्। कर्मजा गतयो नृणा-
मुत्तमाऽधममध्यमाः ॥३॥ तस्येह त्रिविधस्यापि त्र्यधिष्ठानस्य
देहिनः। दशलक्षणयुक्तस्य मनोविद्यात्प्रवर्त्तकम् ॥ ४ ॥

अर्थ—मन, वाणी तथा शरीर से उत्पन्न शुभाऽशुभ फल वाले कर्म से
मनुष्यों की उत्तम, मध्यम, अधम गति (जन्मान्तर की प्राप्ति) होती है ॥३॥
उस देही के उत्तम, मध्यम, अधम और मन, वाणी, शरीर के आश्रित फल
के देने वाले तीन प्रकार से १० लक्षणयुक्त कर्म का चलाचल वाला मन को जानो।
यहां से कर्मफल कहते हुवे क्रमपूर्वक मोक्ष का वर्णन करेंगे) ॥ ४ ॥

परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसाऽनिष्टचिन्तनम्। वितथाभिनिवेशश्च
त्रिविधं कर्म मानसम् ॥५॥ पारुष्यमनृतं चैव पैशुन्यं चापि
सर्वशः। असंबद्धमलापश्च वाङ्मयं स्याच्चतुर्विधम् ॥ ६ ॥

अर्थ—अन्याय से परद्रव्य लेने की इच्छा और मन से (परायण) बुरा चाहना
तथा “परलोक में कुछ नहीं है” ऐसा विश्वास; यह तीन प्रकार का महत्तम (पाप)

कर्म है ॥ ५ ॥ कठोर और असत्यभाषण तथा सब प्रकार की झुगली और अतृप्तबहु वकवाद करना; यह चार प्रकार का वाङ्मय (पाप) कर्म है ॥ ६ ॥
अदत्तानामुपादानं हिंसा चैवाऽविधानतः। परदारोपसेवा च
शाश्वरं त्रिविधं स्मृतम् ॥ ७ ॥ मानसं मनसैवाऽयमुपभुङ्क्ते
शुभाऽशुभम् । वाचा वाचाकृतं कर्म कायेनैव च कायिकम् ॥ ८ ॥

अर्थ—अन्वय से दूसरे का धन उतारना और शास्त्र के विधान (दण्डनीय=
वध्य के वधादि) से अतिरिक्त हिंसा तथा दूसरे की स्त्री से गमन करना;
यह तीन प्रकार का शारीरिक (पाप) कर्म है ॥ ७ ॥ मन से किये हुवे शुभ
अशुभ कर्मफल का मन ही से, वाणी से किये हुवे का वाणी से और शरीर
से किये हुवे का शरीर ही से यह (प्राणी) भोग करता है ॥

(६ वें से आगे एक पुस्तक में यह श्लोक अधिक है:—

[त्रिविधं च शरीरेण वाचा चैव चतुर्विधम् ।

मनसा त्रिविधं कर्म दशाऽधर्मपथांस्त्यजेत्]

३ प्रकार का शारीरिक, ४ प्रकार का वाचिक और ३ तीन प्रकार का
मानसिक; यह १० अधर्म के मार्ग त्यागने चाहिये) ॥ ८ ॥

शरीरजैः कर्मदोषैर्याति स्थावरतां नरः ।

वाचिकैः पक्षिमृगतां मानसैरन्त्यजातिताम् ॥ ९ ॥

अर्थ—शरीर के कर्मदोषों से मनुष्य वृक्षादि योनि और वाणी के कर्मदोष
से पक्षी और मृग की योनि तथा मन के कर्मदोषों से चण्डालादि कुल में
उत्पत्ति पाता है ॥ (९ वें श्लोक से आगे ४ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक है:—

[शुभेः प्रयोगे देवत्वं व्यामिश्रैर्मानवी भवेत् ।

अशुभैः केवलैश्चैव तिर्यग्घोनिषु जायते] ॥ १ ॥

शुभ कर्मों से देवभाव, शुभाशुभ मिश्रितों से मनुष्यभाव की प्राप्ति और
केवल अशुभों से भीच घोनियों में जन्म पाता है ॥ एक अन्यपुस्तक सहित
५ पुस्तकों में निम्नलिखित श्लोक और भी मिलता है:—

[वाग्दण्डो हन्ति विज्ञानं मनोदण्डः परां गतिम् ।

कर्मदण्डस्तु लोकांश्चो हन्यादपरिरक्षितः] ॥ २ ॥

विना रजा किया हुआ वाग्दण्ड विज्ञान को, मनोदण्ड परस्मैलि की और कर्मदण्ड तीनों लोकों को नष्ट करता है। तथा एक अन्य पुस्तकें सहित छः पुस्तकों में यह श्लोक और भी पाया जाता है।—

[वाग्दण्डोऽथ भवेन्मौनं मनोदण्डस्त्वनाशनम् ।

शारीरस्य हि दण्डस्य प्राणायामोविधीयते] ॥ ३ ॥

मौन को वाग्दण्ड, अनशन को मनोदण्ड और प्राणायाम को शारीरिक दण्ड कहते हैं) ॥ ९ ॥

वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डाः कायदण्डस्तथैव च ।

यस्थैते निहिता बुद्धौ त्रिदण्डीति स उच्यते ॥ १० ॥

अर्थ—वाणी का दमन (अशुभकर्म से रोकना), तथा मन का दमन और काय का दमन; ये तीनों जिस की बुद्धि में स्थित हैं वह “त्रिदण्डी” कहा जाता है ॥ १० ॥

त्रिदण्डमेतन्निक्षिप्य सर्वभूतेषु मानवः । कामक्रोधौ तु संयम्य

ततःसिद्धिं नियच्छति ॥११॥ योऽस्यात्मनःकारयिता तं क्षेत्रज्ञं

प्रचक्षते । यः करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते बुधैः ॥१२॥

अर्थ—मनुष्य सम्पूर्ण जीवों पर इन तीनों प्रकार का दमन करके काम, क्रोधों की रोक कर फिर सिद्धि को प्राप्त होता है ॥ ११ ॥ जो इस आत्मा को कर्म में प्रवृत्त कराने वाला है उस को “क्षेत्रज्ञ कहते हैं और जो कर्म करता है, बुद्धिमान् लोग उस को भूतात्मा कहते हैं ॥ १२ ॥

जीवसंज्ञोऽन्तरात्माऽन्व्यः सहजःसर्वदेहिनाम् । येन वेदयतेसर्वं

सुखं दुखं च जन्मसु ॥ १३ ॥ तावुभौ भूतसंपृक्तौ महान्क्षेत्रज्ञ

एव च । उद्धावचेषु भूतेषु स्थितं तं व्याप्य तिष्ठतः ॥ १४ ॥

अर्थ—सम्पूर्ण देहियों के साथ होने वाला दूधरा जीवसंज्ञावाला (अन्तःकरण) अन्तरात्मा है, जिससे जन्मों में सम्पूर्ण सुखदुःख जाना जाता है ॥१३॥ वे दोनों महान् और क्षेत्रज्ञ जो कि पृथिव्यादि पञ्चभूतों से मिले हुये हैं, ऊंच नीच सब भूतों में स्थित उस (परमात्मा) के आश्रय रहते हैं ॥

१४ वें से आगे एक श्लोक तीन पुस्तकों में मिलता है और वह इसी प्रकरण में गीता में भी आया है। गीता से मनु प्राचीन है। इसलिये कदाचित् मनु से गीता में गया हो। यहाँ अन्तःकरण शरीर और जीवात्मा का वर्णन किया तो साथ में प्रसङ्गीपयोगी १४ वें श्लोकोक्त "तम्" पदवाच्य परमात्मा के वर्णन की आवश्यकता भी थी। अनुमान है कि यह श्लोक वास्तव में हो, पी डे जाता रहा हो वा अद्वैतियों ने निकाल दिया हो ॥

[उत्तमःपुरुषस्त्वन्व्यः परमात्मैत्युदाहृतः ।

योलोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्ययर्द्धश्वरः] ॥

उत्तम पुरुष तो अन्य है जो "परमात्मा" कहाता है और जो तीन लोकों में प्रविष्ट, समर्थ और अधिनाशी होने से इन का धारण पोषण करता है। और अगले २५ वें में भी उसी का प्रसङ्ग है ॥ १४ ॥

असंख्यामूर्त्तयरतस्य निष्पतन्तिशरीरतः । उञ्चावचानिभूतानि सततं चेष्टयन्ति याः ॥१५॥ पञ्चभ्यएव मात्राभ्यः प्रेत्यदुष्कृतिनां नृषाम् । शरीरं यातनार्थीयमन्यदुत्पद्यते ध्रुवम् ॥१६॥

अर्थ—उस (परमात्मा) के शरीरतुल्य पञ्चभूतसमुदाय से असंख्य शरीर निकलते हैं जो कि उत्कृष्ट निकृष्ट प्राणियों को निरन्तर कर्म कराते हैं ॥१५॥ दुष्ट कर्म करने वाले मनुष्यों का सरकार पञ्चतन्मात्रा से दुःख सहन करने के लिये दूसरा शरीर अवश्य उत्पन्न होता है ॥ १६ ॥

तेनानुभूय ता यामीः शरीरेणैह यातनः । तास्वेवभूतमात्रासु प्रलीयन्ते विभागशः ॥१७॥ सोऽनुभूयासुखोदकर्कान्दीषान्विषयसङ्गजान् । व्यपेतकलमषोऽभ्येति तावेवोभौ महौजसौ ॥१८॥

अर्थ—उस शरीर से यम की दी हुई यातनाओं को यहां भोग कर प्राणी उन्हीं भूतमात्रों में विभाग से फिर छिप जाते हैं ॥ १७ ॥ वह प्राणी निषिद्ध विषयों के उपभोगजनित दुःखों को भोग कर पाप को दूर करके बड़े पराक्रम वाले उन्हीं दोनों (महान् और क्षेत्रज्ञ) को प्राप्त होता है ॥ १८ ॥

सौ धर्मं पश्यतस्तस्य पापं चातन्द्रितौ सह । याभ्यां प्राप्नोति संपृक्तःप्रेत्येह च सुखाऽसुखम् ॥१९॥ यद्याचरति धर्मं स प्रायशोऽधर्ममल्पशः । तैरेव आवृत्तोभूतैः स्वर्गं सुखमुपाश्रुते ॥२०॥

अर्थ-वे आलस्यरहित (महान् और क्षेत्रज्ञ दोनों-) उस प्राणी के पुण्य और पाप को साध २ देखते हैं। जिन से निला हुआ इस लोक तथा परलोक में सुख और दुःख को प्राप्त होता है ॥१९॥ वह जीव यदि अधिक धर्म कर्म करता है और अधर्म न्यून, तो उन ही उत्तम पञ्चभूतों से युक्त स्वर्ग में सुख को भोगता है ॥ २० ॥

यदि तु प्रायशोऽधर्मसेवते धर्ममल्पशः । तैर्भूतैः स परित्यक्तो
यामीःप्राप्नोति यातनाः ॥२१॥ यामीस्तायातनाः प्राण्य स जीवो
वीतकल्मषः । तान्येव पञ्च भूतानि पुनरप्येति भागशः ॥२२॥

अर्थ-और यदि वह जीव पाप अधिक और पुण्य थोड़ा करे तो उन उत्तम भूतों से त्यक्त हुआ यस की यातनाओं को प्राप्त होता है ॥ २१ ॥ उन यस की यातनाओं को प्राप्त होकर वह जीव (भोग से) पापरहित होने पर फिर उन्हीं उत्तम पञ्चभूतों को क्रम से प्राप्त हो जाता है ॥ २२ ॥

एताद्दृष्ट्वाऽस्य जीवस्य गतीः स्वनैव चेतसा । धर्मतोऽधर्मतश्चैव
धर्मदध्यात्सदामनः ॥२३॥ सत्त्वं रजस्तमश्चैव त्रीन्विद्यादात्मनो
गुणान् । वैवर्षीप्येमान्स्थितो भावान्महान्सर्वानशेषतः ॥२४॥

अर्थ-इस जीव की धर्म और अधर्म से इन गतियों को अपने मनु से ही देख कर सर्वदा मन को धर्म में लगावे ॥२३॥ सत्त्वगुण रजोगुण तमोगुण इन तीनों को आत्मा (प्रकृति) के गुण जाने, जिन से व्याप्त हुआ यह "महान्" स्यावर जङ्गमरूप सम्पूर्ण भावों को अशेषता से व्याप कर स्थित है ॥२४॥

यो यदैषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते । स तदा तद्गुणप्रायं
तं करोति शरीरिणम् ॥२५॥ सत्त्वं ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्वेषौ
रजःस्मृतम् । एतद्द्वेषाग्निमदेतेषां सर्वभूताश्रितं वपुः ॥२६॥

अर्थ-जिस शरीर में गुणों में से जो गुण पूरा पूरा जब अधिक होता है, तब वह उस प्राणी को उसी गुण के अधिक लक्षणयुक्त कर देता है ॥ २५ ॥ यद्यार्थ वस्तु का जानना सत्त्व का लक्षण और उसके विपरीत=न जानना=अज्ञान=तम का और रागद्वेष रज के लक्षण हैं। इन सब प्राणियों का आश्रित शरीर इन सत्त्वादि गुणों की व्याप्ति वाला होता है ॥ २६ ॥

तत्र यत्प्रीतिसंयुक्तं किञ्चिदात्मनि लक्षयेत् । प्रशान्तमिव
शुद्धाभं सत्त्वं तदुपधारयेत् ॥२७॥ यत्तु दुःखसमायुक्तमप्रीतिकर-
मात्मनः । तद्रजोऽप्रतिपं विद्यात्सततं हारि देहिनाम् ॥२८॥

अर्थ—उन तीनों में से जो कुछ प्रीति से भिला हुआ और शान्त प्रकाश
रूप का आत्मा में जाना जावे उसको सत्त्व जाने ॥ २७ ॥ और जो दुःख से
जिला हुआ तथा आत्मा की अप्रीति करे और सर्वदा शरीरियों को विषयों की
ओर प्रतिकूल खींचने वाला है, उसको रज जाने ॥ २८ ॥

यत्तु स्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्तं विषयात्मकम् । अप्रतर्क्यमविज्ञेयं
तमस्तदुपधारयेत् ॥ २९ ॥ त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां यः
फलोदयः । अग्र्यो मध्यो जघन्यश्च तं प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥३०॥

अर्थ—जो मोह से युक्त हो, प्रकट न हो तथा विषय वाला हो और
तर्क और बुद्धि द्वारा जानने योग्य न हो उसको तम समझे ॥ २९ ॥
इन (सत्त्वादि) तीनों गुणों का यथाक्रम उत्तम, मध्यम, अधम जो फलोदय
है, उस सम्पूर्ण को भागे कहता हूँ ॥ ३० ॥

वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । धर्मक्रियात्मचिन्ता
च सत्त्विक्कं गुणलक्षणम् ॥३१॥ आरम्भरुचिताऽधैर्यमसत्कार्य
परिग्रहः । विषयोपसेवा चाजस्रं राजसं गुणलक्षणम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—वेद का अभ्यास, तप, ज्ञान, शौच, इन्द्रियों का निग्रह, धर्मक्रिया
और आत्मा का मनन, ये सत्त्वगुण के लक्षण हैं ॥ ३१ ॥ आरम्भ में रुचि
हीना, फिर अधैर्य; निषिद्ध कर्म को पकड़ना और निरन्तर विषयभोग;
यह रजोगुण का लक्षण है ॥ ३२ ॥

लोभः स्वप्नोऽधृतिः कार्यं नास्तिक्यं भिन्नवृत्तित्वा । याचिष्णुता
प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम् ॥३३॥ त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां
त्रिषु तिष्ठताम् । इदं सामासिकं ज्ञेयं क्रमशो गुणलक्षणम् ॥३३॥

अर्थ—लोभ, नींद, अधीरता, क्रूरता, नास्तिकता, अनाचारीपना, याचन
स्वभाव और प्रमाद; यह तमोगुण का लक्षण है ॥३३॥ इन तीनों (सत्त्वादि)

गुणों का, जो कि तीनों में रहने वाले हैं, यह काम से सक्षिप्त गुणलक्षण जानना चाहिये कि—॥ ३४ ॥

यत्कर्म कृत्वा कुर्वंश्च करिष्यंश्चैव लज्जति तज्ज्ञेयं विदुषा सर्वं
तामसं गुणलक्षणम् ॥३५॥ येनास्मिन्कर्मणालोके ख्यातिमिच्छति
पुष्कलाम् । न च शोचत्यसंपत्तौ तद्विज्ञेयं तु राजसम् ॥३६॥

अर्थ—जिस कर्म को करके और करते हुवे और भागे करने का विचार करते हुवे (तीनों काल में) लज्जा करता है, उस सब को विद्वान् तम का लक्षण जाने ॥३५॥ जिस कर्म से इस लोक में बड़ी प्रसिद्धि को चाहता है और असम्पत्ति (असिद्धि) में शोक नहीं करता, उस को राजस जाने ॥ ३६ ॥

यत्सर्वगोच्छतिज्ञातुं यन्नलज्जति चाचरन्नायेन तु ष्यति चात्मा
ऽस्य तत्सत्त्वगुणलक्षणम् ॥३७॥ तमसोलक्षणं कामोरजसस्त्वर्थ
उच्यते । सत्त्वस्य लक्षणं धर्मः श्रेष्ठ्यमेषां यथोत्तरम् ॥३८॥

अर्थ—जिस कर्म को सर्वथा जानने के लिये इच्छा करता है और जिस कर्म को करता हुआ (तीनों काल में) लज्जित नहीं होता, तथा जिस कर्म से इस के मन को आनन्द हो, वह सत्त्वगुण का लक्षण है । ३७ ॥ तम का प्रधान लक्षण काम है और रज का प्रधान लक्षण अर्थ कहाता है । तथा सत्त्व का प्रधान लक्षण धर्म है । इन में उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है ॥ ३८ ॥

येन यस्तु गुणैर्नैषां संसारान्प्रति पद्यते । तान्समासेन वक्ष्यामि
सर्वस्यास्य यथाक्रमम् ॥३९॥ देवत्वं सात्त्विकायां तिमनुष्यत्वं च
राजसाः । तिर्यक्तं तामसानित्यमित्येषां त्रिविधा गतिः ॥४०॥

अर्थ—इन सत्त्वादि गुणों में जिस गुण से जीव जिस गति को प्राप्त होता है; इस सब के उस गुण को संक्षेप से यथाक्रम कहता हूँ— ॥ ३९ ॥ सात्त्विक देवत्व और राजस मनुष्यत्व को तथा तामस सदा तिर्यक्यानि को प्राप्त होते हैं । इस प्रकार तीन प्रकार की गति है ॥ ४० ॥

त्रिविधा त्रिविधेषां तु विज्ञेया गौणिकी गतिः । अधमामव्यमा
ऽग्रथा च कर्मविद्याविशेषतः ॥४१॥ स्थावराः कृमिकीटाश्च
मत्स्याः सर्पाः सकच्छपाः पशवश्च मृगाश्चैव जघन्यातामसी गतिः

अर्थ—जो सत्त्वादिगुणत्रयनिमित्त तीन प्रकार की गति कही, वह देवका-
लादि भेद से फिर भी उत्तम मध्यम अधम तीन तीनों प्रकार की है और फिर
कर्म का विशेष (अनन्त) जन्मना चाहिये ॥४१॥ वृक्षादि, कृषि, कीट, सत्त्व,
सर्प, कछुवे, पशु और मृग; यह तमोनिमित्त निकृष्ट गति है ॥ ४२ ॥

हस्तिनश्चतुरङ्गाश्चशूद्रास्त्रेचछाश्चगर्हिताः।सिंहाव्याघ्रावराहाश्च
मध्यमा तामसी गतिः ॥४३॥ चारणाश्च सुपर्णाश्च पुरुषाश्चैव
दाम्भिकाः।रक्षांसि च पिशाचाश्च तामसीषूत्तमागतिः ॥४४॥

अर्थ—हाथी, घोड़े, शूद्र, निन्दित स्त्रेच्छ, सिंह, व्याघ्र और शूकर; यह
तमोनिमित्त मध्यम गति है ॥ ४३ ॥ और चारण (खुशामदी) तथा पत्नी
और दम्भ करने वाले पुरुष और राक्षस (हिंसक) तथा पिशाच (अनाचारी)
यह तमोगतियों में उत्तम गति है ॥ ४४ ॥

भङ्गा मङ्गा नटाश्चैव पुरुषाःशस्त्रवृत्तयः।द्यूतपानप्रसक्ताश्च
जघन्या राजसी गतिः ॥४५॥ राजानः क्षत्रियाश्चैवराजां चैव
पुरोहिताः।वाद्दयुद्धप्रधानाश्च मध्यमा राजसी गतिः ॥४६॥

अर्थ (दशम अध्याय में कहे हुवे) कल्ल मल्ल और नट तथा शस्त्र से
आजीविका वाले अनुष्ठय और जुवा तथा मद्यपान में आसक्त पुरुष; यह
रजोगुण की निकृष्ट गति है ॥ ४५ ॥ राजा लोग तथा क्षत्रिय, और राजों के
पुरोहित और वाद्द वा भगड़ा करने वाले, यह मध्यम राजस गति है (राघ-
वानन्द ने—“प्रधानाः=प्रसक्ताः” की और रामचन्द्र ने “वाद्द=दान” की
व्याख्या की है) ॥ ४६ ॥

गन्धर्वागुह्य कायक्षा विभुधाऽनुचराश्चये।तथैवाप्सरसःसर्वा
राजसीषूत्तमागतिः ॥४७॥तापसायतयोविप्रा येचवैमानिका
गणाः।नक्षत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा सार्विकी गतिः ॥४८॥

अर्थ—गन्धर्व, गुह्यक, यक्ष और देवतों के अनुचर तथा सब अप्सरा; यह
रजोगुण की गतियों में उत्तम गति है ॥ ४७ ॥ तप करने वाले, यति, विप्र
और विमानों पर घूमने वाले, तथा (चमकते) नक्षत्र और दैत्य; सत्त्वगुण
की अथम गति है ॥ ४८ ॥

यज्वानऋषयो देवा वेदा ज्योतीषि वत्सराः । पितरश्चैव सा-
ध्याश्च द्वितीया सात्त्विकी गतिः ॥४९॥ ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मा महा-
नऽव्यक्तमेव च । उत्तमांसात्त्विकीनेतां गतिमाहुर्मनीषिणः ५०

अर्थ-यज्ञ करने वाले, ऋषि लोग, देव और वेद, तारे और काल के
ज्ञाता, पितर और साध्य, यह मध्यमा सात्त्विक गति है ॥४९॥ ब्रह्मा और
विश्व को उत्पन्न करने वाले (सृष्टि के आरम्भ के ब्रह्माण्डादि) और धर्म
तथा महत्तरव और अव्यक्त (मूलप्रकृति) को विद्वान् लोग उत्तम सात्त्विक
गति कहते हैं ॥ ५० ॥

एष सर्वः समुद्भिष्टस्त्रिप्रकारस्य कर्मणः । त्रिविधस्त्रिविधः कृत्स्नः
संसारः सार्वभौतिकः ॥५१॥ इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन धर्मस्याऽसे-
वनेन च । पापान् संशान्ति संसारानऽविद्वांसो नराधमाः ॥५२॥

अर्थ-यह संपूर्ण तीन २ प्रकार के कर्म की सार्वभौतिक ३ प्रकार की
सब सृष्टि कही ॥ ५१ ॥ इन्द्रियों के प्रसङ्ग से और धर्म के आचरण न करने से
मूढ अधम समुप्य कृत्स्न गतियों को प्राप्त होते हैं ॥ ५२ ॥

यां यां योनिं तु जीवोऽयं येन येनेह कर्मणा ।

क्रमशो याति लोकेस्मिंस्तत्तत्सर्वं निबोधत ॥५३॥

“अहून्वर्षगणानघोरात्तरकान्प्राप्य लक्षयात् ।

संसारान्प्रतिपद्यन्ते महापातकिनस्त्विमान् ॥५४॥”

अर्थ-यह जीव जो जो कर्म करके जिस जिस योनि में कुछ सृष्टि में
जन्म लेता है, वह वह सब सुनो ॥ ५३ ॥ “(ब्रह्माण्डादि) महापातक करने
वाले जीव बहुत वर्ष पर्यन्त घोर नरकों में पड़ कर लक्ष के क्षय से संसार में
ये जन्म धारण करते हैं किः—” ॥

(५३ वें में योनिप्राप्ति की प्रतिज्ञा करके ५५ वें में योनियों का वर्णन है,
इसलिये नीचे के ५४ वें की कुछ भी आवश्यकता नहीं है) ॥ ५४ ॥

श्वसूकरखरोष्ट्राणां गीजा विमृगपक्षिणाम् । चण्डालपुच्छसालां च
ब्रह्महा योनिमृच्छति ॥५५॥ कुम्भिकीटपतङ्गानां विड्भुजां चैव
पक्षिणाम् । हिंस्रानां चैव सत्त्वानां सुरापो ब्राह्मणो ब्रजेत् ॥५६॥

अर्थ—कुत्ता, सूकर, गर्दभ, ऊँट, बैल, बकरा, भेड़, मृग, पक्षी, चण्डाल और पुच्छर योनि को ब्रह्महत्या का प्राप्त होता है ॥ ५५ ॥ मद्य पीने वाला ब्राह्मण कीड़े, मकड़ी, पतङ्ग, मैला खाने वाले पक्षियों और हिंसा करने वाले प्राणियों की (योनि को) प्राप्त होता है ॥ ५६ ॥

लूताहिसरटानां च तिरश्चां चाम्बुचारिणाम्। हिंसाणां च पिशाचानां स्तेनो विप्रः सहस्रशः ॥ ५७ ॥ तृणगुल्मलतानां च क्रव्यादां दंष्ट्रिणामपि । क्रूरकर्मकृतां चैव शतशो गुरुतल्पगः ॥ ५८ ॥

अर्थ—चोरी करने वाला ब्राह्मण मकड़ी, सर्प, घिरगट, जल में रहने वाले तथा हिंसा करने वाले पिशाचों के जन्म को हजारों बार प्राप्त होता है ॥ ५७ ॥ गुरुपत्नी से गमन करने वाला—घास, गुच्छे, लता, कच्चे मांस को खाने वाले और क्रूर कर्म करने वाले का जन्म सैकड़ों बार पाता है ॥ ५८ ॥

हिंसा भवन्ति क्रव्यादाः कृमयोऽभक्ष्यभक्षिणः । परस्परादिन स्तेनाः प्रेत्यान्त्यस्त्रीनिषेविणः ॥ ५९ ॥ संयोगं पतितैर्गत्वा परस्यैव च योषितम् । अपहृत्य च विप्रस्वं भवति ब्रह्मराक्षसः ॥ ६० ॥

अर्थ—प्राणियों का वध करने के स्वभाव वाले—(मार्जारदि) कच्चे मांस के खाने वाले होते हैं और अभक्ष्य के भक्षण करने वाले—कृमि और चोर—परस्पर एक दूसरे को खाने वाले होते हैं । तथा चण्डाल की स्त्री से गमन करने वाले भी मर कर इसी गति को प्राप्ति होते हैं । (दो पुस्तकों के अतिरिक्त अन्यो में 'प्रेतान्त्य' अशुद्ध पाठ है) ॥ ५९ ॥ पतितों के साथ रहने और पराई स्त्री से नैष्ठिक करने तथा ब्राह्मण का धन चुराने से ब्रह्मराक्षस होता है ॥ ६० ॥

मणिमुक्ताप्रवालानिहृत्वा लोभेन मानवः विविधानि चरत्नानि जायते हेमकर्तृषु ॥ ६१ ॥ धान्यं हृत्वा भवत्यासुः कांस्यं हंसो जलं प्लवः । मधुदशः पयःकाको रसं श्वानकुलीघृतम् ॥ ६२ ॥

अर्थ—मणि, मोती, लूंगा और नाना प्रकार के रत्नों को चुरा कर हेमकार पक्षियों में जन्म होता है ॥ ६१ ॥ धान्य को चुराने से चूहा, कांसे के चुराने से हंस, जल के चुराने से मेंढक, मधु के चुराने से चूखी वा हांस दूध के चुराने से कीवा, रस के चुराने से कुत्ता और घृत के चुराने से नेवला होता है ॥ ६२ ॥

मांसं गृध्रोवपांमद्गुस्तैलं तैलपकःखगः। चीरीवाकस्तुलवणं
बलाका शकुनिर्दधि॥६३॥कीशेयं तित्तिरिहत्वाक्षौमंहत्वातु
दुर्दुरः। कार्पासतान्तवं क्रौञ्चोगोधा गां वाग्गुदोगुडम्॥६४॥

अर्थ—मांस को चुराने से गिद्ध, वपा (चरबी) के चुराने से जलकौवा नाम पक्षी, तेल को चुराने से तैलपीने वाला पक्षी, लवण को चुराने से भाँगरी और दधि के चुराने से बलाका नाम पक्षी होता है ॥ ६३ ॥ रेशमी कपड़े चुराने से तीतर, अलसी का वस्त्र चुराने से मेंडक, कपास के कपड़े चुराने से सारस, गाय के चुराने से गोधा और गुड के चुराने से वाग्गुद नाम पक्षी होता है ॥ ६४ ॥

छुच्छुन्दरिः शुभान्गन्धान्पत्राकंतुवर्हिणः। श्वावित्कृतान्नं
विविधमकृतान्नं तु शल्यकः६५वकोभवतिहत्वाग्निगृहकारी
ह्युपस्करम्। रक्तानिहत्वावासांसिजायतेजीवजीवकः॥६६॥

अर्थ—अच्छे सुगन्धित पदार्थों को चुराने से छच्छुन्दर, सागपात के चुराने से मोर, विविध सिद्ध अन्न चुराने से गीदड़ और कच्चे अन्न चुराने से शल्यक होता है ॥ ६५ ॥ आग को चुराने से बक, शूषमुसलादि चुराने से गृहकारी पक्षी (मकड़ी) और रंगे वस्त्रों के चुराने से जीवजीवक (चकोर) होता है ॥ ६६ ॥

वृकोमृगेभं व्याघ्रोश्चं फलमूलं तु मर्कटः। स्त्रीमृक्षःस्तोकको
वारि यानान्युष्ट्रः पशूनजः॥६७॥ यद्वा तद्वा परद्रव्यमपहृत्य
बलान्तरः। अत्रशयंयातितिर्यक्त्वंजग्ध्वाचैवाऽहुतं हविः॥६८॥

अर्थ—मृग हाथी को चुराने से भेड़िया, घोड़े के चुराने से व्याघ्र, फल मूल के चुराने से बन्दर और स्त्री के चुराने से रीळ, पीने के पानी चुराने से चातक पक्षी, सवारियों के चुराने से ऊट तथा पशुओं के चुराने से बकरा होता है। (एक पुस्तक में स्तोकक=चातक है) ॥ ६७ ॥ मनुष्य को दूसरे का कुछ अन्न पदार्थ भी चुराने और बिना होम किये हवि के भोगन करने से अवश्य तिर्यग्योनि प्राप्त होती है ॥ ६८ ॥

स्त्रियाप्येतेनकल्पेनहत्वादापमवाप्नुयुः। एतेषामेवजन्तूनां
भार्यात्वमुपयान्तिताः६९स्त्रेभ्यःस्त्रेभ्यस्तुकर्मभ्यश्च्युतावर्णा
ह्यनापदिपापान्संसृत्य संसारान्प्रेष्यतांयान्तिशत्रुषु॥७०॥

अर्थ—स्त्री भी इसी प्रकार चुराने से हीनों को प्राप्त होती हैं और उसी पाप से उन्हीं जन्तुओं की स्त्री बनती हैं ॥ ६१ ॥ चारों धर्म विना आदित्य शपने नित्य कर्म न करने से कुत्सितयोनि को प्राप्त होकर फिर शत्रुओं के दासत्व को प्राप्त होते हैं ॥ ७० ॥

यान्ताशुल्कामुखः प्रेतो विप्रो धर्मात्स्वकाञ्चयुतः । अपमेध्य
कुणपाशी च क्षत्रियः कटपूतनः ७१ मैत्राक्षज्योतिकः प्रेतो वैश्यो
भवति पूयभुक् । चैलाशकरच भवति शूद्रो धर्मात्स्वकाञ्चयुतः ७२

अर्थ—अपने कर्म से भ्रष्ट ब्राह्मण सर कर वसन का भोजन करने वाला ज्वालामुख, स्वकर्मभ्रष्ट क्षत्रिय पुरीष और शव का भोजन करने वाला कट-पूतनाख्य योनिविशेष में उत्पन्न होता है ॥ ७१ ॥ स्वकर्मभ्रष्ट वैश्य सरकर पीब का भक्षण करने वाला मैत्राक्षज्योति नाम उत्पन्न होता और वैसे ही स्वकर्म भ्रष्ट शूद्र कपड़े की नू आदि खाने वाला चैलाशक नाम होता है ॥ ७२ ॥

यथा यथा निषेवन्ते विषया निषयात्मका । तथा तथा कुशलता
तेषां तेषु जायते ॥ ७३ ॥ तेऽभ्यासात्कर्मणां तेषां पापानामल्प
बुद्ध्यः । संप्राप्नुवन्ति दुःखानि तासु तास्विह योनिषु ॥ ७४ ॥

अर्थ—विषयासक्त पुरुष जैसे जैसे विषयों को सेवन करते हैं, वैसे वैसे उन में उन की कुशलता हो जाती है ॥ ७३ ॥ वे निर्बुद्धि उन पापकर्मों के अभ्यास से यहां उन उन योनियों में दुःखों को प्राप्त होते हैं ॥ ७४ ॥

तामिस्रादिषु चोग्रेषु नरकेषु विवर्तनम् । असिपत्रवनादीनि
बन्धनच्छेदनानि च ॥ ७५ ॥ विविधाश्चैव संपीडाः काकोलूकैश्च
भक्षणम् । करम्भवालुकासापान्कुम्भीपाकांश्च दारुणान् ॥ ७६ ॥

अर्थ—तामिस्रादि उग्र नरकों में दुःख का अनुभव करते हैं तथा असि-पत्रवनादि बन्धन छेदन वाले घोर नरकों को प्राप्त होते हैं ॥ ७५ ॥ और नाना प्रकार की पीड़ा तथा काक उलूक आदि से भक्षण और तप्त बालुकादि से तपाये जाते और दासता कुम्भीपाकों को प्राप्त होते हैं ॥ ७६ ॥

संभवांश्च विधोनीषु दुःखप्रायासु नित्यतः । शीतातपाभिधा-
तांश्च विविधानि भयानि च ॥७०॥ असकृद्गर्भवासेषु वास-
जन्मचदारुणसु । बन्धनानि च कष्टानि परप्रेष्यत्वमेव च ॥७१॥

अर्थ—अधिक दुःख वाली तिर्यक्वोनियों से नित्य २ उत्पन्न होते और
नाना प्रकार की शीत आतप की पीड़ा तथा अनेक प्रकार के भयों को
प्राप्त होते हैं ॥ ७०॥ बारम्बार गर्भस्थान में वास अतिकठिन उत्पत्ति तथा
उत्पन्न होने पर झुल्लादि के बन्धनों और दूसरे के हलकारेपन के दुःखों को
प्राप्त होते हैं ॥ ७१ ॥

बन्धुप्रियवियोगांश्च संवासं चैव दुर्जनैः । द्रव्यार्जनं च नाशं च
मित्रामित्रस्य चार्जनम् ७२ जरां चैवाऽप्रतीकारां व्याधिभिश्चो-
पपीडनम् । क्लेशांश्च विविधांस्तांस्ताः सृष्ट्युमेव च दुर्जयम् ॥७०॥

अर्थ—बन्धु और प्यारों को जुदाई तथा दुर्जनों के साथ रहना और धन
कमाने का परिश्रम और धन का नाश और क्लेश से मित्र का मिलना तथा
विना कारण शत्रुओं का उत्पन्न होना (ये सब प्राप्त होते हैं) ॥७१॥ जनि
वारणीय वृद्धावस्था और व्याधियों से क्लेशित होना तथा नाना प्रकार के
(सृष्टिपासादि) क्लेशों और दुर्जय सृष्ट्यु को प्राप्त होते हैं ॥ ७० ॥

यादृशेन तु भावेन यद्यत्कर्म निषेवते । तादृशेन शरीरेण
तत्तत्फलमुपाप्नुते ॥ ६१ ॥ एष सर्वः समुद्दिष्टः कर्मणां वः
फलोदयः । नैश्रेयसकरं कर्म विप्रत्येहं निबोधत ॥ ६२ ॥

अर्थ—जिस जिस (सात्त्विक, राजस, तामस) भाव से जो जो कर्म करता
है वैसे वैसे शरीर से उस उस फल का भोग करता है ॥ ६१ ॥ यह सब
कर्मों का फलोदय तुम से कहा । अथ प्राणी ब्राह्मण का कल्याण करने वाले
इस कर्म को सुनीं :- ॥ ६२ ॥

वेदाभ्यासस्तपोदानमिन्द्रियाणां च संयमः । अहिंसागुरुसेवा
च नैश्रेयसकरं परम् ॥६३॥ सर्वेषामपि चैतेषां शुभानामिह
कर्मणाम् । किञ्चिच्छ्रेयस्करतरं कर्मात्तं पुरुषं प्रति ॥ ६४ ॥

अर्थ—वेद का अभ्यास, तप, ज्ञान इन्द्रियों का रोकना तथा हिंसा न करना और गुरु की सेवा; यह परम कल्याण का देने वाला है ॥८३॥ इन सब कर्मों में कुछ अधिक श्रेय का देने वाला कर्म पुरुष के लिये कहा है (कि:-) ८४॥

सर्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम् । तद्गुण्यं सर्वविद्यान
प्राप्यते ह्यमृतं ततः ॥ ८५ ॥ यस्मात्तेषां तु सर्वेषां कर्मणां
प्रेत्य चेह च । श्रेयस्करतरं ज्ञेयं सर्वदा कर्म वैदिकम् ॥ ८६ ॥

अर्थ—इन सब में आत्मज्ञान श्रेष्ठ कहा है। वह सम्पूर्ण विद्याओं में प्रधान है, क्योंकि उस से मोक्ष प्राप्त होता है ॥८५॥ इन छः कर्मों में इस लोक तथा परलोक में सर्वदा अतिशय श्रेय को देने वाला वैदिक कर्म जानिये ॥८६॥

वैदिके कर्मयोगे तु सर्वाण्येतान्यशेषतः । अन्तर्भवन्ति क्रमशः
स्तस्मिंस्तस्मिन्क्रियाविधौ ॥ ८६ ॥ सुखाभ्युदयिकं चैव नैश्रेय-
सिकमेव च । प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम् ॥ ८७ ॥

अर्थ—वैदिक (परमात्मा की उपासनादि) कर्मयोग में ये सब पुरुष उस उस कर्मविधि में संपूर्णता से क्रमपूर्वक आजाते हैं ॥८७॥ सुख का अभ्युदय करने वाला और मोक्ष का देने वाला एक प्रवृत्त, दूसरा निवृत्त, यह दो प्रकार का क्रम से वैदिक कर्म है ॥ ८८ ॥

इह चामुत्र वा काम्यं प्रवृत्तं कर्म कीर्त्यते ।

निष्कामं ज्ञानपूर्वं तु निवृत्तमुपदिश्यते ॥ ८९ ॥

अर्थ—इस लोक तथा परलोक में भोगार्थ जो कामना से कर्म किया जाता है उसको प्रवृत्त कहते हैं और जो निष्काम तथा ज्ञानपूर्वक किया जाता है उसको निवृत्त कहते हैं। (८९ वें से आगे १ पुस्तक में यह श्लोक अधिक है:-

[अकामोपहतं नित्यं निवृत्तं च विधीयते ।

कामतस्तु कृतं कर्म प्रवृत्तमुपदिश्यते ॥]

अकाम से उपहत कर्म निवृत्त और काम से किया कर्म प्रवृत्त कहाता है) ॥८९॥

प्रवृत्तं कर्म संसेव्य देवानामिति साम्यताम् ।

निवृत्तं सेवमानस्तु भूतान्यत्येति पञ्च वै ॥ ९० ॥

अर्थ-प्रकृत कर्म करने से देवताओं के साध्य को प्राप्त होता है तथा निवृत्त कर्म के करने से पशुभूतों को लाव कर मोक्ष को प्राप्त होता है ॥८०॥

सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। समं पश्यन्नात्मया जी स्वाराज्यमधिगच्छति ॥८१॥ यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तम। आत्मज्ञानेशमे च स्याद्देवाभ्यासे च यत्नवान् ॥८२

अर्थ-सब भूतों में आत्मा की और आत्मा में सब भूतों को बराबर देखने वाला आत्मयाजी (आत्मयज्ञ करने वाला) स्वाराज्य (मोक्ष) को प्राप्त होता है ॥ ८१ ॥ ब्राह्मण यथोक्त कर्मों को छोड़ कर भी आत्मज्ञान और इन्द्रियनिग्रह तथा वेद के अभ्यास में यत्न करे ॥ ८२ ॥

एतद्विजन्मसाफल्यं ब्राह्मणस्य विशेषतः। प्राप्यैतत्कृतकृत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा ॥८३॥ पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम्। अशक्यचाऽप्रमेयश्च वेदशास्त्रमिति स्थितिः ॥८४॥

अर्थ-ब्राह्मण का विशेष करके जन्मसाफल्य यही है। क्योंकि इस को पाकर द्विज कृतकृत्य होता है, दूसरे प्रकार नहीं ॥८३॥ पितर देव और मनुष्यों की वेद आंख है और वह सनातन है तथा (अन्य ग्रन्थ पढ़ने मात्र से जाजने को) अशक्य और अप्रमेय है। इस प्रकार- (वेदशास्त्र की) स्थिति है ॥८४॥

या वेद्वाहाः स्मृतयो वा श्रुका श्रुकुदूष्टयः। सर्वास्तानि फलाः प्रेत्य समो निष्ठाहिताः स्मृताः ॥८५॥ उत्पन्नं ते च यवते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्। तान्यर्वाकालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ॥८६॥

अर्थ-जो स्मृति वेद्वाह्य हैं और जो कुदूष्टि हैं वे सब निष्फल हैं क्योंकि इत्यकार से छे जाने वाली हैं एक प्रकार से मानो मनु अपनी भी स्मृति जो भी किसी अश में वेदविरुद्ध हो जाना सम्भव मानते हुवे यह वचन करते हैं। क्योंकि मनु के लक्ष्य में रखने को अन्य स्मृति तब उक्त समय ही ही नहीं) ॥ ८५ ॥ वेद से अन्यमूलक जो कुछ ग्रन्थ हैं वे उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, वे अर्वाकाल के होने से निष्फल और अकृत्य हैं (इसलिये जो वेद से प्रमाणित है, वही प्रमाण है) ॥ ८६ ॥

चातुर्वर्ण्यं त्रयी लोकारचत्वारश्चाश्रयाः पृथक्। शूलभयं भविष्य

च सर्वं वेदात्मसिद्ध्यति ॥ ९७ ॥ शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो
गन्धश्च पञ्चमः । वेदादेव प्रसूयन्ते प्रसूतिर्गुणकर्मतः ॥ ९६ ॥

अर्थ—चार वर्ण, तीन लोक, अलग २ चार आश्रम, तथा भूत सविषयत
वर्तमान, सब वेद ही से प्रसिद्ध है ॥९७॥ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध, ये
५ भी वेद ही से उत्पन्न हैं । यद्यपि उत्पत्ति (उत्वादि) गुणों के कर्म से है ॥
(अर्थात् यद्यपि सब पदार्थ अपने २ उत्पादान से उत्पन्न हैं, परन्तु उन सब
का ज्ञान वेद से ही आरम्भ हुआ, इस लिये शब्दादि विषयों की उत्पत्ति वेद
से ही कही गई) ॥ ९६ ॥

विभर्ति सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम् । तस्मादेतत्परमन्थे
यज्जन्तोरस्य साधनम् ॥९८॥ सेनापत्यं च राज्यं च दण्डने-
तृत्वमेव च । सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविद्वर्हति ॥१००॥

अर्थ—सनातन वेदशास्त्र सर्वदा संपूर्ण जीवों का धारण और पोषण करता
है । इस शास्त्री के लिये इस वेद के साधन को मैं (मनु) परम मानता हूँ
॥९८॥ सेनापत्य और राज्य तथा दण्डनेतापन और सब लोगों पर आधिपत्य
को वही पाने योग्य है, जो वेदशास्त्र का जानने वाला है ॥ १०० ॥

यथा जातश्लोवह्निर्दहत्यार्द्रानपि हुमान् ।

तथा दहति वेदज्ञः कर्मजं दोषमात्मनः ॥१०१॥

अर्थ—जैसे बलवान् हुवा अग्नि गीले वृक्षों को भी जला देता है, वैसे
ही वेद का जानने वाला अपने कर्मज दोष को जला देता है ॥

(१०१ से आगे ३ पुस्तकों में यह श्लोक मिलता है, जो कि आवश्यक भी था:-

[न वेदबलमाश्रित्य पापकर्मरुचिर्भवेत् ।

अज्ञानाच्च प्रमादाच्च दहते कर्म नेतरत्]

परन्तु वेदबल के अतीसे मनुष्य को (निर्भय हो) पापकर्म में रुचिवाला
नहीं बनना चाहिये । क्योंकि अज्ञान वा प्रमाद से जो कर्म बन जाते हैं,
उन्हीं का [पूर्व श्लोकानुसार] हनन हो सकता है, अन्धों का नहीं) ॥१०१॥

वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञीयत्र तत्राश्रमे वसन् ।

इहैव लोके तिष्ठन्स ब्रह्मभूयाथ कल्पते ॥१०२॥

अर्थ वेद शास्त्रार्थ का तर्क जानने वाला, चाहे जिस आश्रम में रह कर ही लोक में रहता हुआ वह लोक को प्राप्त होता है ॥ १०२ ॥

अज्ञेभ्योऽग्रन्थिनः श्रेष्ठाग्रन्थिभ्योऽधारिणोऽवराः । धारिभ्योऽज्ञानि-
नः श्रेष्ठाज्ञानिभ्योऽव्यवसायिनः ॥ १०३ ॥ तपो विद्या च विप्रस्य निश्रे-
यसकरं परमात्मसाकिलिष्यं हन्ति विद्ययाऽमृतमश्नुते ॥ १०४ ॥

अर्थ- यिना पढ़ने वालों से ग्रन्थ के पढ़ने वाले श्रेष्ठ हैं, उन से (कण्ठस्थ) शारदा करने वाले तथा उन से भी उसके अर्थ जानने वाले और अर्थज्ञानियों से अनज्ञान करने वाले श्रेष्ठ हैं ॥ १०३ ॥ तप और विद्या ब्राह्मण का परम कल्याण-प्रद है : तप से पाप दूर होता है और विद्या से मोक्ष प्राप्त होता है ॥ १०४ ॥

प्रत्यक्षं चानुमानं च शास्त्रं च विविधागमम् । अयं सुविदितं
कार्यं धर्मशुद्धिमभीप्सता ॥ १०५ ॥ आर्षं धर्मापदेशं च वेदशास्त्रा-
ऽविरोधिना । अस्तर्कैर्गानुसंधत्ते स धर्मं वेदनेतरः ॥ १०६ ॥

अर्थ- धर्म के तत्त्व को जानने की इच्छा करने वाले को प्रत्यक्ष, अनु-मान और विविध शास्त्र; इन तीनों को अलग प्रकार से जानना चाहिये ॥ १०५ ॥ ऋषियों के कहे हुये उपदेशरूप धर्म को वेदशास्त्र के अविरोधी तर्क से जो खोज करता है वह धर्म को जानता है, अन्य नहीं ॥ १०६ ॥

“नैश्रेयसमिदं कर्म यथोदितमशेषतः ।

मानवस्यास्य शास्त्रस्य रहस्यमुपदिश्यते ॥ १०७ ॥”

अनाज्वालेषु धर्मेषु कथं स्यादिति चेद्भवेत् ।

यं शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयुः स धर्मः स्यादशङ्कितः ॥ १०८ ॥

अर्थ- “यह नैश्रेयस का साधन कर्म निःशेष यथावत् कहा । अब इस मनु के शास्त्र का रहस्य बताया जाता है” (यह स्पष्ट ही अन्यकृत है। तथा इस के बिना भी प्रसङ्ग में कुछ भेद नहीं पड़ता) ॥ १०७ ॥ जहाँ पर स्वमान्य विधि ही और विशेष न हों वहाँ कैसा होना चाहिये, इस शब्दा पर कहते हैं कि जो शिष्ट ब्राह्मण कहे वहाँ वही अशङ्कित धर्म है ॥ १०८ ॥

धर्मणाधिगतो वैस्तु वेदः सपरिवृंहणः । तेशिष्टाब्राह्मणाज्ञेयाः
श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः १०९ दशावरा वा ररिषदां धर्मं परिकल्प

येत् । अथवा वाऽपि वृत्तस्था तं धर्मं न विचालयेत् ॥११०॥

अर्थ—ब्रह्मचर्यादियुक्त धर्म से जिन्होंने पहल्लादि अहित वेद पढ़ा है, वे श्रुति के अत्यन्त करने वाले लोग शिष्ट ब्राह्मण जानने चाहिये, ॥१०॥ (१११ में कहे हुवे) दश भी श्रेष्ठ विद्वान् जिस धर्म को कहें, वा (उन के अभाव में) सदाचारी तीन भी कहें; उस धर्म को न लांघे ॥

(११० वें से आगे चार पुस्तकों में १ यह श्लोक प्रक्षिप्त है:—

[पुराणं भानवो धर्मः साङ्गोपाङ्गचिकित्सकः ।

आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः] ॥

१ पुराण, २ मनुप्रोक्त धर्म, ३ साङ्गोपाङ्ग चिकित्सा शास्त्र, ४ साधु आदि की आज्ञा से सिद्ध, इन ४ को हेतुओं से खण्डित न करे) ॥ ११० ॥

त्रैविध्यो हेतुकस्तर्कानैरुक्तो धर्मपाठकः । अथश्चाश्रमिणः पूर्वं परिपत्स्याद्दशावरा ॥ १११ ॥ ऋग्वेदविद्यजुर्विद्युत्सामवेदविदेव च । अथवा परिषज्ज्ञेया धर्मसंशयनिर्णये ॥ ११२ ॥

अर्थ—१-३ तीन वेदों के जानने वाले और ४ (श्रुतिस्मृति के अविरोध) न्यायशास्त्र का जानने वाला तथा ५ (नीमांशक) शर्क का जानने वाला और ६ निरुक्त जानने वाला तथा ७ धर्मशास्त्र का जानने वाला और ८-१० पूर्व के तीन (ब्रह्मचारी एही वसी) आश्रम वाले, यह दशावरा सभा (परिषत्) है ॥ १११ ॥ ऋक् यजुः, साम; इन तीन वेदों को जानने वालों की धर्मसंशय निर्णय के लिये अथवा सभा जाननी चाहिये ॥ ११२ ॥

एकोऽपि वेदविदुर्मं यं व्यकस्येदद्विजोत्तमः । सविज्ञेयः परो धर्मो नाऽज्ञानामुदितोऽयुतैः ११३ अत्रतानामऽमन्त्राणां जातिमाश्रीपजीविन म् । सहस्रशः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते ॥ ११४ ॥

अर्थ—वेद का जानने वाला ब्राह्मण एक भी जिस धर्म को कहे उस को श्रेष्ठ धर्म जानना चाहिये और अज्ञों का दश हजार का भी कदा कुछ नहीं ॥ ११३ ॥ व्रत और वेदमन्त्रों से रहित तथा केवल जातिमात्र से जीते हुवे सहस्रों भी इकट्ठे हुवों को परिषत्त्वं (धर्मनिर्णय का सभात्व) नहीं है ॥ ११४ ॥

यं वदन्ति समीभूता मूर्खा धर्ममऽतद्विदुः । तत्पापं शतया भूत्वा

तद्गुरुननुगच्छति ॥११५॥ एतद्वोऽभिहितं सर्वं निःश्रेयसकरं
परम् । अस्मादप्रच्युतो विप्रः प्राप्नोति परमां गतिम् ॥११६॥

अर्थ—तनोगुरुप्रधान, गुरु, धर्मप्रमाणवेदार्थ को न जानने वाले लोग जिसको
(प्रायश्चित्तादि) धर्म बताते हैं, उसका पाप शो गुणा होकर उन बताने वालों को
लगता है ॥११५॥ यह निःश्रेयस का साधन धर्मोदि सब तुम से कहा । इस के
अनुष्ठान से न गिने वाले ब्राह्मणादि परमगति को प्राप्त होते हैं ॥ ११६ ॥

“एवं स भगवान्देवो लोकानां हितकाम्यया ।

धर्मस्य परमं गुह्यं ममेदं सर्वमुक्तवान् ॥११७॥”

सर्वमात्मनि संपश्यत्सच्चाऽसञ्च समाहितः ।

सर्वं ह्यात्मनि संपश्यन्नाऽधर्मं कुरुते मनः ॥११८॥

अर्थ—इस प्रकार उस भगवान् देव (मनु) ने लोगों के हित की इच्छा से
धर्म का परमगुह्य यह सब मुझ को उपदेश किया ॥ (भृगु वा सम्पादक
कोई कहता है ॥ ११७ ॥ सत् और असत् सब को समाहितचित्त होकर
आत्मा में देखे, क्योंकि सब को आत्मा में देखने वाला (परमात्मा के भय से)
अधर्म में मन नहीं लगाता ॥ ११८ ॥

आत्मैव देवताः सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितम् । आत्मा हि जनय-
त्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम् ॥११९॥ खं सन्निवेशयेत्खेषु चेष्टनरूप-
र्शनेऽनिलम् । पक्तिदृष्टयोः परतेजःस्नेहेऽपोगां च मूर्त्तिषु ॥१२०॥

अर्थ—आत्मा ही सम्पूर्ण देवता है, क्योंकि सब कुछ आत्मा में ही
स्थित है और इन शरीरियों (जीवात्माओं) के कर्मयोग को आत्मा ही
उत्पन्न करता है ॥ ११९ ॥ आकाशों में आकाश को निविष्ट करे और चेष्टा
तथा रूपज्ञ से वायु को और जडराशि तथा दृष्टि में परमतेज को और
शरीर के स्नेह में जल को तथा मूर्त्तियों (शरीरों) में पृथिवी को सन्निविष्ट करे
(इन क्रम से ध्यानावस्थित होवे) ॥ १२० ॥

मनसीन्हुं दिशः प्रोत्रेकान्तेविष्णुं बले हरम् । वाचयन्निमित्र-
मुत्सर्गं प्रजने च प्रजाप्रतिम् ॥१२१॥ प्रशासितारं सर्वेषामणीयां-
समणोरपि । स्वमाभं स्वप्रधीगम्यं विद्यात्तंपुरुषं परम् ॥१२२॥

अर्थ—मन में चन्द्र को, कान में दिशाओं को, गति में विष्णु को, बल में शिव को, वाणी में अग्नि को और गुदा में मित्र को, लिङ्ग में प्रजापति को, निवेशित करे। इन २ इन्द्रियों के ये २ अधिष्ठातृदेवता=दिव्यगुण हैं। ध्यान करने वाला प्रथम उम २ इन्द्रिय के साथ उम २ के अधिष्ठातृ देवता की भले प्रकार स्थिति सम्पादन करे (अर्थात् इन्द्रियों में अनुचित विषय ग्रहण को वर्ज्ये) ॥ १२१ ॥ उम के नियन्ता और अणु से अणु तथा सुवर्ण की ही ज्ञाना वाले और स्वप्न की ही (एकाग्र) बुद्धि से गन्ध को परम पुरुष जानना चाहिये ॥ १२२ ॥

एतमेके वदन्त्यग्निंमनुमन्ये प्रजापतिम् । इन्द्रमेके परे प्राण-
सपरे ब्रह्मशाश्वतम् ॥१२३॥ एष सर्वाणि भूतानि पञ्चभिर्व्याप्य
मूर्तिभिः । जन्मवृद्धिक्षयैर्नित्यं संसारयात चक्रवत् ॥ १२४ ॥

अर्थ—इस को कोई अग्नि कहते हैं और कोई मनु, कोई इन्द्र, कोई प्राण और कोई शाश्वतब्रह्म कहते हैं ॥ १२३ ॥ यह आत्मा मक्ष जीवों को पञ्चमहाभूतों रूप मूर्तियों से व्याप्त करा कर नित्य चक्र के समान जन्म वृद्धि क्षयों से घुमाता है ॥ १२४ ॥

एवं यः सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना ।

स सर्वसमतामेत्य ब्रह्माऽभ्येति परं पदम् ॥१२५॥


“इत्येतन्मानवं शास्त्रं भृगुप्रोक्तं पठन्द्बिजः ।

भवत्याचारवान्नित्यं यथेष्टां प्राप्नुयाद्गतिम्” ॥१२६॥

अर्थ—इस प्रकार जो सब में आत्मा से परमात्मा को देखता है, वह समदृष्टि होकर परमपद ब्रह्म को प्राप्त होता है ॥ १२५ ॥ “इस प्रकार यह मनु का शास्त्र भृगु ने कहा है। इस की पढ़ने वाला द्विज सर्वदा आचार वाला और यथेष्ट गति को प्राप्त होता है” ॥ (यह वचन भृगु से भी पीछे बनाकर मिलाया गया स्पष्ट है) ॥ १२६ ॥

इति मानवे धर्मशास्त्रे (भृगुप्रोक्तायां संहितायां)

द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

—ॐ—: समाप्तैषा मनुसंहिता चः  •

इति श्री तुलसीरामस्वामिविरचिते मनुभाषानुवादे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

नवीन पुस्तकें

भीम प्रश्नोत्तरी

पं० भीमसेन शर्मा इटावा निवासी की रचित
“आर्यमतनिराकरण प्रश्नावली” का उत्तर—

इसमें ३९० प्रश्नों के उक्त पुस्तक का उत्तर प्रौढता से दिया गया है। अनेक पत्र वेदप्रकाश कार्यालय में इसके उत्तर छाप कर स्वतन्त्र पुस्तक प्रकाशनार्थ प्रेरणा वा प्रार्थना के आ रहे थे। आज यह पुस्तक तयार होगया। दयानन्द लि० भा० के उत्तर “भास्करप्रकाश” के छपने से पश्चात् जो शङ्का शास्त्रों के आधार पर आर्यधर्म पर उठायी जा सकती थीं, प्रायः वे सब ही पं० भीमसेनजी ने एकत्र करदी हैं, इस कारण इन शङ्काओं पर आर्यसमाज की ओर से उत्तर की बड़ी आवश्यकता थी, वह इस “भीमप्रश्नोत्तरी” ने पूर्ण करदी है। मूल्य ॥)

सन्ध्या मूल्य)॥

तुलसीराम स्वामी कृत

पद २ के सरल संक्षिप्त सुगम अर्था सहित यह सन्ध्या यद्यपि १० सहस्र तौ आर्यप्रतिनिधिसभा ने प्रथम बार प्रकाशितकी, और फिर १०।१० सहस्र करके १७ वर्ष में २ लाख अनुमान प्रकाशित हुई है रेल में मगावे तौ ५०० मील तक ॥) में पहुंच जावेगी ॥

२५० मील तक ॥) में ॥

पारस्कर-गृह्यसूत्र

* भाषा टीका सहित मूल्य ॥) सब से सस्ता *

यह प्राचीन ग्रन्थ है इसमें गृहस्थ के सब संस्कारों का पूर्ण विधान है। श्री स्वामी दयानन्द स० जी ने भी इस ग्रन्थ के प्रमाण संस्कार-विधि में दिये हैं, भाषा भी सरल है। मांस विधान का खंडन लिखा है। देखने योग्य है।

विष्णुस्मृति

सरल भाषा में अनुवाद किया है। प्रमाण देने धर्म-व्यवस्था लगाने में अपूर्व ग्रन्थ है। मूल्य =) मात्र ॥

पराशरस्मृति का भाषानुवाद छपने वाला है ॥

नागरी रीडर नं० १।२।३।४ और ५ मूल्य ॥)

नागरी रीडर नं० १।२।३। को पाठशालाओं में पढ़ाने से बालक धर्मात्मा बनते हैं। इसी लिये दश हजार से ऊपर बिक चुके हैं ॥

रीडर नं० ३ (सत्यार्थ सार)

इस पुस्तक में बड़े रोचक रूप में ६० पृष्ठों पर सत्यार्थप्रकाश के १ समुदायों का सार लिखा गया है। ३४ पृष्ठों पर श्री पुरुषों के पत्र लिखने का प्रकार धर्मशिक्षा आदि ३६ विषय हैं। यवन उद्योतिष और राधास्वामी मत की समालोचना अपूर्व है ॥ सत्यार्थप्रकाश का सार

देखना हो, बालकों को शिक्षा देनी हो, धार्मिक बनाना ही तो सगाकर देखिये। पञ्चम रीडर नं० ०५ छिट्टी पत्री सभारी कागज़ मत्तसुख रुक्का भी है पांचो रीडर ॥) में मिलेंगे ॥

छुहनलाल स्वामी

स्वामीपुस्तकालय—मेरठ ।

